सरदार पटेल और मणिबहन पटेल के साथ कांग्रेस अधिवेशन, बम्बई में

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

५९

(१६ सितम्बरसे १५ दिसम्बर, १९३४)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

सितम्बर १९७४ (भाद्र १८९६)

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमें १६ सितम्बरसे १५ दिसम्बर, १९३४ तककी सामग्री दी गई है। सितम्बर १९३२मे गाधीजीने जो उपवास रखा था, उसके साथ ही घटनाओकी जो श्रृंखला प्रारम्भ हुई थी, उसकी पराकाष्ठा इसी अवधिमे हुई जब गांधीजीने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके सक्रिय नेतृत्वसे अवकाश ग्रहण कर लिया और ग्रामीण जनताके "आर्थिक, नैतिक और स्वच्छता-सफाईकी दृष्टिसे उत्थान" (पृ० ३२४) हेतु कार्य करनेके लिए उन्होने काग्रेसके तत्वावधानमें अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी स्थापना की। यो तो कांग्रेसके सक्रिय नेतृत्वसे हटनेके गाधीजीके इरादेकी घोषणा १७ सितम्बर को जारी किये गये प्रेस-वक्तव्यमे कर दी गई थी, परन्तु इस विषयमें अन्तिम निर्णय कार्य-समिति और ससदीय बोर्डके कुछ सदस्योके सुझावपर अक्टूबरमे होनेवाले काग्रेसके आगामी अधिवेशनकी समाप्तितक के लिए स्थगित कर दिया गया था। गाधीजीने इसी प्रेस-वक्तव्यमे काग्रेसके सविधानमे ऐसे अनेक सशोधनोकी घोषणा भी की थी जिन्हे वे अधिवेशनमे प्रस्तावित करनेका इरादा रखते थे। उन्होने सोचा कि इस मध्यवर्ती अवधिमे इन सशोधनोके सम्बन्धमे काग्रेसजनोकी जो प्रतिक्रियाएँ होगी, उनसे वे अपनी इस धारणाकी सत्यता या असत्यता भी परख सकेगे कि "मै काग्रेसके स्वाभाविक विकासमे सहायक न होकर बाधक हो गया हूँ", . . . "कि कांग्रेस . . . मेरे व्यक्तित्त्व द्वारा प्रशासित एक सगठन रह गया है, और यह कि इसमे अन्य लोगोके स्वतन्त्र रूपसें विचार करनेकी कोई गुजाइश नही है" (पृ० ४)। चूँकि प्रस्तावित संशोधनपर अनुकूल प्रतिक्रिया नही हुई इसलिए १५ अक्टूबरको जारी किये गये एक दूसरे वक्तव्य (पृ० १८५-९५) में गाधीजीने अपने अन्तिम निर्णयकी घोषणा कर दी कि वे २३ अक्टूबरसे शुरू हो रहे अधिवेशनकी समाप्तिके तुरन्त बाद ही काग्रेससे अलग हो जायेगे। गाधीजीने इस बातपर जोर दिया कि उन्होने जो-कुछ किया है, वह विरक्तिकी भावनाके वशीभूत होकर नही किया है (पृ० २७८)। उन्होने विषय-समितिको बताया कि मै "पराजित महसूस नही कर रहा हूँ"। "मै आपके आशीर्वादके साथ ऐसे साधनोका पता लगानेके लिए अधिक बडी शक्तिकी तलाशमे जा रहा हूँ जिससे कि मेरे अन्दर जो विश्वास है, वह विश्वास मै आपको दे सकूँ" (पृ० २४३)।

१७ सितम्बरके वक्तव्यमे गाधीजीने अपने "और अनेक काग्रेसियोके दृष्टिकोणमें महत्वपूर्ण भेद" (पृ० ४) की विशद् चर्चा करते हुए कहा कि इसका सम्बन्ध स्वराज के अर्थ और उसे प्राप्त करनेके साधनो, दोनोसे है। उस मतभेदकी जड़ राजनीतिके सम्बन्धमे गांधीजी और उन काग्रेसियोकी कल्पनामे जो मौलिक भेद था, उसीमें थी।

काग्रेसजनोका प्रबल बहुमत देशके लिए महज राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका इच्छुक था। इसके विपरीत गांधीजीके लिए राजनीतिका अर्थ महज राजनीतिक उत्थान ही नही, बल्कि सम्पूर्ण "नागरिक शास्त्र" था, जिसमें मानवताका "सामाजिक, नैतिक, आर्थिक" उत्थान भी सन्निहित था। वे चाहते थे कि "राजनीतिको उसके बुनियादी अर्थमे फिरसे प्रतिष्ठित किया जाये" और इसीलिए काग्रेसके कार्यक्रममें "उत्तरोत्तर सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पहलूपर" (पृ० २८१-२) विशेष ध्यान दिया जाता रहा था। इसमे अस्पृश्यता-उन्मूलन, हिन्दू-मुस्लिम एकताको प्रोत्साहन, पूर्ण मद्य-निषेध, हाथ-कताई और खादी तथा "ग्रामोद्योगोके पुनरुत्थान . . . के अर्थमे . . . शत-प्रतिशत स्वदेशी" और सात लाख गाँवोकी सामान्य पुनर्व्यवस्था, सभी शामिल थे। गाधीजीने कहा कि यह कार्यक्रम "किसी भी व्यक्तिकी देश-भक्तिकी भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है" (पृ० ९)। उन्होने इस विस्तृत कार्यक्रमको "सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी पूर्व-शर्त" के रूपमें अपनानेपर कभी जोर नही दिया क्योकि, जैसाकि उन्होने स्पष्ट किया, "मै इस दलीलसे अभिभूत हो गया था कि राष्ट्र इन चीजोको सविनय अवज्ञाके दौरान अपने-आप ग्रहण कर लेगा।" उनकी यह आशा पूरी नही हो सकी (पृ० २८४)। जिस हाथ-कताई और खादीको गाधीजीने कार्यक्रमका महत्वपूर्ण अंग माना, उसकी ओर भी काग्रेसजनोने कोई उत्साह नही दिखाया था। गाधीजीके लिए चरखा "मानवीय गौरव और समानताका प्रतीक" और "राष्ट्रका दूसरा फेफडा" था। ठीक उसी तरह काग्रेसके सविधानमे खादी-विषयक धारा "काग्रेस और उन लाखो लोगोके बीचके सजीव सम्बन्ध " की प्रतीक थी जिनका कि वह . . . प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न करती आई है।" परन्तु "काग्रेसके बौद्धिक वर्गमें हाथ-कताई लगभग समाप्त" हो गई थी और "काग्रेसके अच्छे-खासे बहुमतको खादीमे जीवन्त विश्वास नही" रह गया था (पृ० ५)।

ठीक इसी तरह साधनके सम्बन्धमें भी गाधीजी और काग्रेसजनोके बीच एक मौलिक भेद था। गाधीजीका विश्वास था कि "साधन और साध्य समानार्थी शब्द है और इसलिए जहाँ साधन विभिन्न और परस्पर विरोधी होगे वहाँ साध्य भी भिन्न और परस्पर विरोधी होगा"। दूसरी तरफ काग्रेसियोका विश्वास यह था कि "साध्य से साधनोका औचित्य सिद्ध हो जाता है, फिर चाहे वे कैसे भी क्यो न हो" (पृ० ९)। अहिंसाके प्रति दृष्टिकोणमे यही भेद परिलक्षित होता था। जैसाकि गाधीजीने कहा. "लगातार १४ वर्ष तक आजमानेके बावजूद यह अभी भी अधिकाश काग्रेसियोके लिए महज एक नीति है, जबकि मेरे लिए यह एक मूलभूत सिद्धान्त है" (पृ० ७)। एक सिद्धान्तके रूपमे अहिंसामें आस्थाका जो अभाव काग्रेसियोमें है उसीकी वजहसे सविनय-अवज्ञा आन्दोलनका कोई भी असर सरकार या आतकवादियो पर नही हुआ है। गाधीजीने कहा · "यदि हममें अहिंसाकी पूरी भावना होती तो वह स्वयं ही सबको दिखती" (पृ० ७-८)।

अपने सितम्बर, १९३२ के उपवासके बाद गाधीजीने राजनीतिक क्षेत्रमें जो कदम उठाये, उसे काग्रेसजन दृष्टिकोणकी इन भिन्नताओकी वजहसे समझ नही सके। जहाँ गाधीजीके लिए अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन "एक अत्यन्त धार्मिक और नैतिक विषय" था, वही अनेक काग्रेसियोने कहा कि उन्होने जिस समय और जिस ढंगसे अस्पृश्यताके सवालको उठाया, उससे सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे बाधा पहुँची, और इसलिए उनका "वैसा करना एक गम्भीर भूल थी" (पृ० ६)। इसी प्रकार जब गाधीजीने पहले जुलाई १९३३ (खण्ड ५५)मे सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन और फिर अप्रैल १९३४ (खण्ड ५७)मे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया तो अनेक काग्रेसियोने इसे नापसन्द किया। पुन जब उन्होने काग्रेसमें ससदीय दलके गठनका समर्थन किया तो इससे उनके कई बेहतरीन साथियोको कष्ट हुआ था (पृ० ५-६)। गाधीजीने पाया कि "इस विषयपर हाल ही मे जितने प्रस्ताव पास किये गये है, हालाँकि साथी काग्रेसियोने उन सबके पक्षमे मत दिया है, फिर भी उन्हें समझा सकनेका काम मेरे लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है" और इससे गाधीजीको उतनी ही मनोव्यथा हुई थी जितनी स्वय काग्रेसियोको। उन्होने कहा कि "जिसे हम अपना सामान्य लक्ष्य मानते है, उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हमें अपना विकास करना है तो हमे इस मनोव्यथाके बोझसे मुक्त हो जाना चाहिए" (पृ० ७)। गाधीजी जन्मजात "लोकतन्त्रवादी" होनेका दावा करते थे और इसलिए उन-जैसे लोकतन्त्रवादी व्यक्तिके लिए "यह एक अपमानजनक रहस्योद्घाटन" था कि कई लोगोको उनका "विरोध करनेकी हिम्मत नही हुई है"। इसी प्रकार समाजवादियोके कार्यक्रम पर मूलभूत मतभेद होते हुए भी उन्होने कहा कि "हालाँकि मै नैतिक दबावके द्वारा उनके . विचारोको फैलनेसे रोक सकता हूँ", लेकिन मै वैसा नही करूँगा।" मै उन विचारोकी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमे कोई हस्तक्षेप नही कर सकता, फिर चाहे उनमे से कुछ विचार मुझे कितने ही नापसन्द क्यो न हो" (पृ० ६)।

इसके बजाय कि वे काग्रेसमे रहते हुए ही अपने सिद्धान्तोके लिए लड़े, उन्होने "मार्गसे हटनेका सिद्धान्त" अपनाया, क्योकि यह "अहिंसासे मेल खाता है" (पृ० ६१)। एक बार इससे पहले भी उन्होने ऐसा ही किया था जबकि १९२५ मे उन्होने काग्रेसका नियन्त्रण मोतीलाल नेहरू और इनके नेतृत्वमे चलनेवाली स्वराज्य पार्टीको सौप दिया था (खण्ड २८)। काग्रेससे बाहर रहते हुए ही वे "पूर्णरूपेण अनासक्त" होकर तथा अपने ढगसे "कार्य करनेके लिए बिलकुल स्वतन्त्र" रहकर यह सिद्ध करनेका अपना प्रयत्न जारी रख सकते थे कि "अहिसा अच्छी चीजो, जिनमे स्वतन्त्रता भी शामिल है, को प्राप्त करनेका साधन" है। केवल अहिंसाके ही द्वारा वे सत्यकी खोज कर सकते थे, जो उनके जीवनका चरम लक्ष्य था। उन्होने

कहा कि वास्तवमे "सत्य ही मेरा ईश्वर" है और सत्यके रूपमें ईश्वरकी खोजमें ही भारत तथा पूरी दुनियाकी स्वतन्त्रता निहित है।

सितम्बर, १९३२ में अस्पृश्यताके विरुद्ध जो अभियान शुरू हुआ, वह इसी सत्यकी खोजका ही अंग था (पृ० ४४)। इस खोजको वे "इहलोक अथवा परलोककी किसी भी चीजको प्राप्त करनेके लोभसे" (पृ० ८) बन्द नही कर सकते थे। और अभी-अभी जो हरिजन-यात्रा उन्होने समाप्त की थी, उससे उन्हे जान पडा था कि "अस्पृश्यताके विरुद्ध अभियानका" अर्थ "जो लोग अस्पृश्य माने जाते है, उनकी प्रथाके अनुसार मान्य की हुई अस्पृश्यताको दूर करनेकी अपेक्षा" कही अधिक व्यापक है। शहरवालेकी दृष्टिमें गाँव अस्पृश्य हो गये थे (पृ० ४४१)। "गाँवोकी तबाहीके परिणामस्वरूप विकसित होनेवाले" शहर "करोडो मूक लोगोकी कगालीके लिए अपनी जिम्मेदारीसे बच . . ." (पृ० १९०) नही सकते थे। शहरवाले अवश्य ही "गाँवोका जो देय है, उसे वे गाँवोको दे" (पृ० ४३५)। अपने "ऐच्छिक और अनैच्छिक आलस्य के कारण ये लोग विदेशी और देशी शोषणकर्ताओके शिकार . . ." बने और फिर "शोषणकर्त्ता चाहे विदेशी हो और चाहे शहरोंके लोग हो . . ." उन्हें कोई अन्तर नही पडता था। क्योकि दोनो ही हालतमे गाधीजीके विचारसे "उन्हें कोई स्वराज्य नही मिलेगा" (पृ० ४३४)। इसलिए गाधीजीने महसूस किया कि "शहरके लोगोने गाँववालोसे जिस चीजको क्रूरता और अविचारपूर्वक छीन लिया है, उस चीजको ईमानदारीके साथ उन्हे लौटा देनेके लिए सच्चा प्रयत्न करनेवाले एक सगठनकी कितनी जबर्दस्त आवश्यकता है" (पृ० ३७७)। इसलिए काग्रेसके वार्षिक अधिवेशनके अवसर पर उन्होने आग्रह करके अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी स्थापना "काग्रेसकी प्रवृत्तियोके एक अंगके रूपमें" (पृ० २३३) कराई। और इसके बाद उन्होने अपनी अद्‌भुत सगठनात्मक शक्ति सघके पीछे लगा दी ताकि वह अपना कार्यारम्भ कर सके तथा उसके माध्यमसे करोड़ो लोगोके बीच स्वराज्यकी नई परिकल्पनाका प्रचार हो सकें। इस समयके बादसे आर्थिक और नैतिक रूपसे पुनरुज्जीवित ग्रामीण भारतकी कल्पना (जिसकी कुछ प्रारम्भिक अभिव्यक्ति उन्होने "हिन्द स्वराज्य" में की थी) की ओर गाधीजीका अधिकसे-अधिक ध्यान और शक्ति लगी रही। वे अपने जीवनके अन्तिम दिनतक भी इस कल्पनाको साकार करनेके लिए प्रयत्नशील बने रहे।

गाधीजी यह अच्छी तरहसे जानते थे कि "आजकल केन्द्रीकरण और अत्यन्त विकसित ढगका मशीनीकरण करनेकी जो हवा चल रही है, उसके सम्मुख गाँवोके पुनरुद्धारका काम कोई आसान नही है" (पृ० ४०९)। जिन लोगोंका गाधीजीसे गहरा सम्बन्ध था, उनमें से भी कुछ लोगोको उनका विश्वास ग्राह्य नही था। ऐसे लोगोमे वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री भी एक थे। जब गाधीजीने उन्हें लिखा कि "मै जो अनेक प्रवृत्तियाँ चलाता हूँ, उनमें कही-न-कही" (पृ० ३८५) आपका सहयोग चाहता हूँ तब उन्होने उत्तर देते हुए लिखा कि " . . . आप आधुनिक सभ्यताके

विरुद्ध कभी न खत्म होनेवाला और अव्यावहारिक युद्ध चला रहे है . . . यदि सम्भव हो तो आप सदियोसे चली आ रही इस आधुनिक सभ्यताका रुख मोड़ देना चाहेंगे" (पृ० ३८५)। तत्कालीन मैसूर रियासतके दीवान और प्रसिद्ध इंजीनियर एम० विश्वेश्वरय्या, जो यन्त्रीकरणके कट्टर समर्थक थे, को एक पत्रमे गाधीजीने लिखा: "हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पास अवकाशका समय भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थितिमे मानवशक्तिको व्यर्थ गँवाते हुए यन्त्र-शक्तिका उपयोग करना हमारे लिए आत्म-घातक सिद्ध होगा" (पृ० ४१२)। इस प्रकार गहरी दृष्टिका परिचय देते हुए गाधीजीने भारत-जैसे अधिक जनसख्यावाले देशके आर्थिक विकाससे सम्बन्धित चर्चामे सबसे मुख्य प्रश्न यह उठाया कि भारतके लिए श्रम-प्रधान योजना ठीक है अथवा पूँजी-प्रधान विकास-योजना। स्वयं श्रम-प्रधान योजनाके पक्षपाती होते हुए भी गांधीजी मताग्रही नही थे। उन्होने भारी उद्योगोको नितान्त अनावश्यक नही माना। विश्वेश्वरय्याको लिखे एक अन्य पत्रमे उन्होने स्वीकार किया कि "बिना शक्ति-चालित यन्त्रोके भारी उद्योगोका संगठन नही किया जा सकता। मै मशीनोके ऐसे उपयोगके खिलाफ नही हूँ" (पृ० ४६२)। काग्रेस-अधिवेशनमें विषय-समितिकी बैठकमे उन्होने इस बातको सक्षेपमे यो रखा· "हमे यन्त्रोकी जरूरत है। लेकिन हमे इनका गुलाम नही बनना चाहिए, बल्कि उन्हें हमारा गुलाम होना चाहिए। "हमारा गुलाम अर्थात् गरीबोका, धनिकोका नही" (पृ० २३८)।

आर्थिक समस्याकी जड़मे एक नैतिक प्रश्न समाया हुआ था और वह नैतिक प्रश्न यह था कि व्यक्ति और उसकी आर्थिक गतिविधिमे परस्पर क्या सम्बन्ध है। सारे रूढिगत आर्थिक सिद्धान्त "स्वार्थकामी मनुष्य"को आधार मानकर गढे गये है, परन्तु गाधीजी इससे सहमत नही थे। कुछ खादी-कार्यकर्त्ताओसे बातचीत करते हुए उन्होने कहा कि "हमारी खादी-सस्थाओका उद्देश्य तो जनताका प्रेय नही, उसका श्रेय साधन है" अर्थात् महज आर्थिक सुख प्रदान करना ही नही अपितु उसका नैतिक कल्याण भी करना है। उन्होने कहा कि "खादीके अर्थशास्त्रकी आधार-शिला मनुष्य स्वभावमे निहित परमार्थकी भावना" ही है और यह तथ्य स्वीकार किया कि कतैये "जड मशीन नही है, मनुष्य है"। "वह उनके शुद्ध परिश्रमसे पवित्र हुआ सूत है, इसलिए वह हमे प्रिय लगना चाहिए। यन्त्रके मालमे यह व्यक्तित्वका तत्व नही होता, इसलिए इस तरहका आध्यात्मिक सन्तोष वह नही दे सकता" (पृ० २१६-७)। गाधीजीने प्राचीन भारतकी वर्ण-व्यवस्थाके आदर्शोकी व्याख्या एक ऐसे समाजके रूपमे की जो श्रेयकी प्राप्तिके लिए सतत प्रयत्नशील हो। गाधीजीने दावा किया कि "इस धर्मके मुताबिक अगर दुनिया चले तो सब जगह सन्तोष फैले, झूठी होड़ मिटे। ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखो न मरे, जन्म-मरण बराबर रहे और बीमारियाँ जाती रहें" (पृ० ६७)। गाधीजीके अनुसार चारो वर्णोमे से जो शूद्र इस धर्मपर चलता है और "सिर्फ धर्म समझकर सेवा करता है . . . वह हजार नमस्कारके

लायक है और सबसे ऊँचा है" (पृ० ६९)। गांधीजीने दावा किया कि इस व्यवस्था को इच्छापूर्वक और कर्त्तव्य मानकर अपनाना ही "सच्चा साम्यवाद" है। "यह बराबरीका 'धर्म' है" (पृ०.७०) और इसके बिना कोई और बराबरी सम्भव नही है। उनका कहना है कि "इस व्यवस्थामें जिसके पास जायदाद होगी, उसका वह सारी जनताके लिए रक्षक होगा" (पृ० ६९)। इसके बाद गांधीजीने भारतके आर्थिक पुनर्निर्माणके विषयपर जो भी कुछ लिखा या कहा, उसमें उन्होंने न्यास-पद्धति की चर्चा बार-बार की। मनुष्यके स्वभाव और नैतिक उत्थानकी उसकी शक्तिमें गांधीजीका जो विश्वास था, उसीपर यह न्यासका सिद्धान्त आधारित था। निर्मल-कुमार बोससे गांधीजीने कहा कि न्यासी-पद एक कानूनी कल्पना हो सकती है परन्तु "यदि लोग उसपर बराबर विचार करे और उसके अनुरूप आचरण करनेकी कोशिश करे तो धरतीपर जीवनका नियमन आज प्रेमके द्वारा जितना-कुछ होता है, उससे कही ज्यादा अंशमे होगा" (पृ० ३३९)। निर्मलकुमार बोसके अनुसार जहाँ समाज-वादियोका विश्वास था कि "मनुष्य इच्छाके मुकाबले आदतके भरोसे रहते है", वहाँ गांधीजी यह मानते थे कि "यद्यपि मनुष्य अपनी आदतके अनुसार रहता है" तथापि "उसके लिए अपनी इच्छाके अनुसार रहना बेहतर है" और यह कि "मनुष्य अपनी इच्छा-शक्तिको इस हदतक विकसित करनेमे समर्थ है कि शोषण कमसे-कम हो सके।" राज्यके हाथोमें शक्ति केन्द्रित होनेसे मनुष्यकी नैतिक शक्ति समाप्त हो जायेगी। गांधीजीने कहा: "मै राज्यकी बढती हुई शक्तिको भयके साथ देखता हूँ, क्योकि वह प्रत्यक्षत शोषणको कम करते हुए भी व्यक्तिगत प्रयत्नको नष्ट करके मानव-जातिको ज्यादासे-ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह व्यक्तिगत प्रयत्न ही मानव-जातिके प्रयत्नोकी प्रगतिकी जड या बुनियाद है" (पृ० ३४०-१)। राज्यके प्रभुत्वका गांधीजी "हिंसाके आधारपर" भी विरोध करते थे। उनका यह तर्क था कि "यदि राज्य पूंजीवादको हिंसात्मक तरीकेसे दबाता है तो वह स्वय हिंसाके चगुलमे फँस जायेगा . . व्यक्तिके पास आत्मा होती है, लेकिन चूंकि राज्य एक आत्माहीन यन्त्र है इसलिए उस हिंसासे उसे कभी मुक्त नही किया जा सकता जिसपर कि उसका अस्तित्व ही निर्भर करता है" (पृ० ३३९)।

वास्तवमे सत्य और अहिंसाकी शक्तिमे गांधीजीका अडिग विश्वास ही उनके इस विश्वासका आधार था कि मनुष्यका नैतिक विकास सम्भव है। जैसाकि उन्होने निर्मलकुमार बोससे कहा था, "सत्यकी प्रत्येक अभिव्यक्तिमें प्रसारके बीज होते है, उसी तरह जिस प्रकार सूर्यमे प्रकाश" (पृ० ३४२)। सत्यको छोडकर अहिंसा ससार की सबसे ज्यादा सक्रिय शक्ति" (पृ० ४५) है। उन्होने एक पत्र-लेखकको उत्तर देते हुए बताया कि "सत्य सदैव सुन्दर होता है।" यह सम्पूर्ण कला है। "सत्यसे रहित कला कोई कला नही है, और सत्य-रहित सौन्दर्य शुद्ध कुरूपता है" (पृ० ३५०)। मानवीय सम्बन्धोमें भी गांधीजीने सत्यको अन्य सभी चीजोसे अधिक महत्व-

पूर्ण माना। एक आश्रमवासीको लिखते हुए वे कहते हैं: "व्यभिचार आदि पापकी अपेक्षा मैं असत्यको अधिक भयंकर पाप मानता हूँ"। (पृ० ६२)। उन्होंने वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको लिखा, "मेरे लिए आपके सहयोगकी उतनी कीमत नहीं है जितनी आपकी सचाईकी" (पृ० ३८५)। अपने जीवनमें सचाईमें उन्होंने जो गहरी दिलचस्पी रखी, उससे उनके विचारों और धारणाओंमें स्वाभाविक विकास होता रहा, भले ही उनमें बनावटी सामंजस्य न दिखाई पड़ता हो। 'वर्ण-व्यवस्था' की प्रस्तावनामें वे कहते हैं: "मुझे आगे-पीछेका सम्बन्ध अटूट रखनेका लालच नहीं है। सचाईको नजरके सामने रखकर आज जो-कुछ मैं मानता हूँ, वही कह देना ठीक है। . . . मेरा दावा . . . जिस वक्त जो सच मालूम हो, उसीके मुताबिक, जहाँ तक हो सके, अमल करनेका है" (पृ० ६५)। अहिंसामें गांधीजीके विश्वासकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब उन्होंने मन्दिर-प्रवेश विधेयक को विधान-सभामें उसके प्रस्तुतकर्ता द्वारा ही वापस लिये जानेपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधेयकको वापस ले लेनेसे सनातनी लोग बहुत प्रसन्न थे। सुधारकोंको सलाह देते हुए गांधीजीने कहा: "हमें उनके हर्षका बुरा नहीं मानना चाहिए। कलतक हम लोग भी उतने ही खुश थे जितने खुश वे आज हैं।" ए० ई० रचित 'इन्टरप्रेटर्स' से प्रेम और घृणा दोनोंकी "चमत्कारी परिवर्तन कर देनेकी शक्ति" से सम्बन्धित एक अंश उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा: "प्रेम ही एकमात्र चीज है जो सनातनियोंको बदल सकती है।" और उन्होंने आगे कहा कि "हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सनातनियोंकी विजयमें उनकी पराजय निहित है" (पृ० १७४)। गुजरातके एक गाँवमें "धर्मान्ध हिन्दुओं" ने हरिजनोंके साथ जो क्रूर व्यवहार किया था उसपर टिप्पणी करते हुए गांधीजीने प्रश्न उठाया कि आखिर हम "ऐसे अन्ध-विश्वासको कैसे जीतें? लगता है कि अहिंसा हार रही है, प्रेम मुरझा जा रहा है।" फिर भी उन्होंने पाठकोंको स्मरण दिलाया कि "चारों तरफ अन्धकार हो और तब भी अहिंसाकी किरण चमकती रहे, तभी उसे अहिंसा कहना चाहिए। हिंसाका निवारण अहिंसासे और घृणाका निवारण प्रेमसे और असत्यका निवारण सत्यसे उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार सूर्यकी धूपसे शीतका निवारण निश्चित है" (पृ० ७२)।

राजनीतिक क्षेत्रमें भी गांधीजी ऐसे ही धैर्यसे काम ले रहे थे। उनके सुझाव पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था और कांग्रेसने "अहिंसाकी भावनाको प्रोत्साहन देनेके खयाल से" यह निश्चय किया कि "मनुष्यके लिए जिस हदतक सम्भव है" उस हदतक वह "दमनकारी कानूनोंकी अधीनता स्वीकार करेगी" (पृ० ४६३)। गांधीजीने निश्चय कर लिया था कि उन्हें "इस प्रकारके उत्तेजनोंको सहन करना होगा . . ."। यह उन्हें "इस समय सविनय प्रतिरोधका सबसे अच्छा तरीका . . ." (पृ० २६४) लगा। फिर भी गांधीजीने अपने एक अंग्रेज मित्रसे कहा कि "मेरी सहन-शक्तिकी जैसी कड़ी परीक्षा हो रही है, वह मेरी

क्षमतासे परे है" (पृ० ४६४)। यद्यपि उन्होंने वाइसरायको आश्वासन दिया था कि सीमा-प्रान्त जानेके पीछे उनका मात्र यही "उद्देश्य . . . है कि मैं वहाँके लोगोमे जाकर रहना चाहता हूँ, उनका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँके अहिंसाके सिद्धान्तको उनके अनुयायियोने किस हदतक ग्रहण किया है" (पृ० ३७०), फिर भी सरकारने उन्हें वहाँ (सीमा-प्रान्त) जानेकी इजाजत नहीं दी। "जिस हदतक मानवके लिए सम्भव है, उस हदतक" उन्होने "सत्ताकी सविनय अवज्ञा करनेके हर अवसरको" टालनेका प्रयास किया। उन्होने कहा कि "यदि अनुमति न देनेका कारण यह होगा कि सरकारको मेरी मंशामे सन्देह है, तो मै उस सन्देहको दूर करनेकी कोशिश करूँगा" (पृ० ४७१)। सरकार द्वारा अपमानित किये जानेपर भी गाधीजीने संयम बनाये रखनेकी भरसक कोशिश की। इससे उनकी अहिंसाको एक नई शक्ति मिलती-सी जान पडी। जब कुछ वर्षोंके ही दरम्यान उन्हें साम्प्रदायिक दंगेका विषपान करना पडा, उस समय उनकी अहिंसा बिलकुल अलौकिक प्रमाणित हुई।

प्रस्तुत खण्डमें जो अनेक पत्र है उनमे से कुछ हरिलालको लिखे गये है और एक रामदासको। इनसे गाधीजीके अन्दर जो पिताका हृदय था वह दिखाई पड़ता है। बीस वर्षोसे भी अधिक अवधितक उनसे अलग-अलग रहनेके बाद हरिलाल उनके पास लौट आये थे और ऐसा जान पड़ता था कि वह नये सिरेसे जिन्दगी शुरू करना चाहते हैं। इससे गाधीजीको बहुत खुशी हुई थी। उन्होने हरिलालको लिखा कि "तू जैसा लिखता है, यदि ऐसा ही परिवर्तन तुझमे हो गया है तो . . . मै तेरे भूतकालको एकदम भूल जानेको तैयार हूँ" (पृ० २८)। एक दूसरे पत्रमें उन्होने लिखा कि " . . . यदि वह बात बराबर कायम रहे तो मेरे जीवनका दु:खद प्रसग ही समाप्त हो जाये और इस उत्तरावस्थामे मुझे बहुत सन्तोष हो।" गाधीजीने स्वीकार किया कि "मेरे प्राण तुझमें बसे हुए है। पिताका मोह तो गीता-माताके भक्तको भी नही छोडता, अथवा हो सकता है 'गीता' का धर्म ही यही कहता हो कि मै तेरी इतनी चिन्ता करूँ।" लेकिन पहलेके ही समान गाधीजीने धर्मकी माँगको स्नेह और प्यारके बन्धनके ऊपर ही रखा। हरिलालसे उन्होने कहा कि "धर्मको बीचमें रखकर मुझसे जितनी मदद बन सके, उतनी मदद मै करना चाहता हूँ" (पृ० १९९-२००)। वे इस समस्याको लेकर इतने अधिक चिन्तित थे कि एक दिन वे २.३० बजे भोरमे उठ गये और जैसाकि उन्होने हरिलालको बताया, "मै तेरे प्रति अपने धर्मके बारेमे विचार करने लगा।" उन्होने कहा कि "तेरे और मेरे बीचमे अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि तूने मुझे जो कहा हो, यदि तू उसका भंग करे अथवा यह बात सिद्ध हो जाये कि तूने मुझे धोखा दिया है तो मै कम-से-कम सात दिनोका उपवास करूँगा" (पृ० ११६)। रामदासको लिखे एक पत्रमे उन्होने बताया कि बौद्धिक पवित्रताके लिए वे जो प्रयास करते रहे है, उसमें कस्तूरबा

और पुत्रोके प्रति उनके प्यारने किस प्रकार उनकी रक्षा की है। उन्होंने कहा कि "मै जानता हूँ कि मैंने तुम भाइयोंको अपनी आत्मिक सम्पद् देनेमें कभी संकोच नही किया है। किसी औरकी खातिर न सही, लेकिन मैंने तुम लोगोकी खातिर पवित्र रहनेका प्रयत्न किया।" गाधीजीने जिन "नये प्रयोगो" की शुरुआत की थी उनकी वजहसे पुत्रोको उच्च शिक्षा देनेमे जो "अनिवार्य" कमी रह गई थी उसका जिक्र करते हुए उन्होने स्वीकार किया कि " . . . तुम्हारे मनमे जिस हदतक उसका असन्तोष रहा, उस हदतक मुझे दु.ख हुआ। यदि तुझे और अन्य भाइयोको यह कमी महसूस न हो तो पिताके रूपमे मै अपने आपको कृतार्थ मानूंगा" (पृ० १५३)।

अपने साथी-कार्यकर्त्ताओसे उनके सार्वजनिक तथा निजी जीवनमे जैसे आचरणकी गाधीजी कड़ी अपेक्षा रखते थे, उसके अनेक उदाहरण इस खण्डमे मिलेगे। इस सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए कि "भूल साबित हो जाये तो उसे सुधारना ही चाहिए" (पृ० ४४६), उन्होने काका कालेलकरको गुजरात विद्यापीठके न्यासी पदसे इस कारण इस्तीफा दे देनेका सुझाव दिया था, क्योकि उन्होने अन्य दूसरे न्यासियोसे बिना पूछे ही अहमदाबादके जिलाधीशको पत्रमे लिखा था कि विद्यापीठके न्यासी विद्यापीठके पुस्तकालयकी पुस्तके अहमदाबाद नगरपालिकाको दानमे दे देना चाहते हैं। कालेलकरके इस्तीफेकी वजहसे अनेक साथी-कार्यकर्त्ताओके बीच भयकर गलतफहमी फैल गई थी और यह भी कहा जाने लगा था कि यह इसलिए हुआ है क्योकि वल्लभभाई उनके विरोधी थे। काकासाहबने तो गुजरात छोड़ देनेकी भी सोच ली थी। लेकिन गाधीजी को लगा कि "चूंकि काकाके गुजरात छोडनेकी बातसे सरदारका नाम जुड़ गया है और इसके लिए उनकी निन्दा भी हुई है, अतः काकाके कर्त्तव्यकी दृष्टिसे यह और भी आवश्यक हो गया है कि वे गुजरात न छोड़े" (पृ० ६४)। उन्हे यह सुनकर भी बहुत दु.ख हुआ था कि जमनालाल बजाज एक कपड़ा-मिल खरीदनेकी सोच रहे है और ऐसा न करनेके लिए उन्होने तुरन्त उनको एक पत्र लिखा। उन्होने कहा "यदि तुम्हें परोपकारार्थ ज्यादा पैसा चाहिए तो हम ऐसे परोपकारके बिना ही काम चलायेगे" (पृ० ९०)। उन्होने अपने एक दूसरे पत्रमे लिखा कि उन्हे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि श्रीमती बजाज और बच्चे "इस बाघके डरसे" व्याकुल हो गये थे। यह सुनकर भी वे खुश थे कि जमनालाल "मिलकी झझटसे अच्छे बचे" (पृ० १३८)। एक दूसरे साथी-कार्यकर्त्ताको उन्होने लिखा: "आप जानते है कि हिसाब रखनेके सभी मामलोमे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसपर मेरा विशेष आग्रह है" (पृ० ४९)। उन्होने एस० गणेशनको सुझाव दिया कि "एक न्यासीको अपने न्यासके मामलेमे कंजूसीसे काम लेना चाहिए" (पृ० ३३५)। अखबार में छपी "एक सूचना" की "जिसमे खादीकी प्रशंसा" की गई थी, इसलिए आलोचना करते हुए कि उसमें खादीके पक्षको "बहुत भोडे और अपूर्ण ढगसे" प्रस्तुत

किया गया था, गांधीजीने कहा: " . . . सत्यकी अपर्याप्त समझके कारण यथा-तथ्यताका अभाव ही इस गलतीका कारण है" (पृ० १३४ और १३६)। प्रेमाबहनको यह सुझाव देते हुए कि वे अपने कार्य-क्षेत्रका विस्तार न बढ़ायें तथा उसकी जड़ें गहरी जमने दें, गाधीजीने उलाहना दिया कि जिस तरह हम मुल्कमे घासके बीज बोकर उसपर ही गुजर करते हैं, इसी तरह सेवाके क्षेत्रमें भी हम "घाससे सन्तुष्ट रहते हैं।" उन्होंने सुझाया कि यदि हम थोड़े-से लोग भी ऐसी भूल करनेसे बच जायेंगे "तो जो फलवाले पेड़ उगेंगे, उनकी छाया मिलेगी और उनके फल पीढ़ी-दर-पीढ़ी खाये जायेंगे" (पृ० १३९)।

गाधीजी इस आदर्शको मानते थे कि यदि "स्त्री और पुरुष विकारवश हुए बिना कभी साथ नही रह सकते तो उनका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नही कहा जा सकता।" इसके आधारपर उन्होंने इस बातमे कोई बुराई नही देखी कि पुरुष स्त्रियोकी सस्थाओको चलानेमे मदद दे। "कुछ पुरुष तो ऐसे होने भी चाहिए जिनमे स्त्रियोचित गुणोका समावेश भी हो" (पृ० ६०)। गाधीजीने एक अन्य पत्र-लेखकको अपने उत्तरमे बताया कि लडके और लड़कियोका परस्पर सम्पर्कमें आना "हमारे प्रयोगके अन्तर्गत" की ही बात है, और यह इस सत्यपर आधारित है कि "आत्मा ही आत्माका मित्र और शत्रु है।" जन-सेवाके क्षेत्रमे स्त्रियो और पुरुषोके पारस्परिक सम्पर्कमे आनेकी स्वतन्त्रताका यह प्रयोग, गाधीजी सत्यकी जो खोज कर रहे थे, उसीका एक अग था। उन्हे विश्वास था कि यदि "सत्यकी आराधनामे हम थके नही तो सब कुशल ही है" (पृ० ६२)। इस खोजमें जो कठिनाइयाँ थी, उनसे वे भली-भाँति परिचित थे। एक दूसरे सन्दर्भमें उन्होने कहा कि "ईश्वर या सत्यकी खोजका यह अभियान असख्य हिमालय-अभियानोसे कही ज्यादा कठिन है", और इसी कारण "कही ज्यादा दिलचस्प है" (पृ० ४७)।

श्री अरविन्दके एक अनुयायीको लिखते हुए गांधीजीने कहा कि श्री अरविन्द और हमारे मार्ग अलग-अलग प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तवमें ऐसे है नही। उन्होने पूछा: "वृत्तकी परिधिसे उसके केन्द्रबिन्दुकी ओर जानेवाली कितनी सारी रेखाएँ होती है?" (पृ० ७९)। उनके इस प्रश्नमे ही शका और शकाका समाधान, दोनो सन्निहित हैं।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी है :

संस्थाएँ : साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्ली, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली, राष्ट्रीय सग्रहालय, नई दिल्ली, नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार, बगलोर; महाराष्ट्र सरकार, बम्बईका गृह-विभाग और विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन।

व्यक्ति : श्रीमती अमृत कौर, श्री आनन्दस्वरूप गुप्त; श्री ए० के० सेन, कलकत्ता, श्रीमती एफ० मेरी बार, श्री एम० आर० मसानी, नई दिल्ली, श्रीमती एस० अम्बुजम्माल, श्री क० मा० मुन्शी, श्री कान्ति गाधी, श्रीमती गगाबहन वैद्य, बोचासण, श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता, श्री चन्द त्यागी, श्री जी० एन० कानिटकर; श्री डाह्याभाई मनोरदास पटेल, धोलका, श्रीमती तहमीना खम्भाता, बम्बई, श्री नारणदास गाधी, राजकोट, श्री नारायण जेठालाल सम्पत, बम्बई, श्री नारायण देसाई, वाराणसी, श्री पुरुषोत्तम गगाधर पानसे, वर्धा; श्री प्रभुदास गाधी, अलमोडा, श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवाड; श्री भगवानजी पुरुषोत्तम पण्डया, श्रीमती मनुबहन मशरूवाला, अकोला; श्री महेश पट्टणी, भावनगर, श्रीमती मीराबहन, गाडेन, आस्ट्रिया, श्रीमती श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री रावजीभाई नाथाभाई पटेल, श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद, श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई, श्रीमती लीलावती मुन्शी, बम्बई, श्रीमती वसुमती पण्डित, श्री वालजी गोविन्दजी देसाई, बडौदा, श्री वेणीलाल गाधी, नासिक, श्रीमती शान्ता पटेल, अहमदाबाद, श्री शान्तिकुमार मोरारजी, श्री शिवभाई पटेल, बोचासण, श्री सुरेशसिंह और श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर।

पुस्तकें : 'इसिडेंट्स ऑफ गाधीजीज लाइफ', '(ए) बच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'टू सर्वेन्ट्स ऑफ गॉड', 'दिल्ली का राजनैतिक इतिहास', 'पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो – ६ : ग० स्व० गगाबहेनने', 'बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गाधीने', भाग – २, 'बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने', 'बापुना बाने पत्रो', 'बापुनी प्रसादी', 'बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वर्ष', 'माई डियर चाइल्ड', 'रेमिनिसेंसेज ऑफ गाधीजी' तथा 'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री'।

पत्र-पत्रिकाएं : 'गुजराती', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु', 'हितवाद,' 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'हिन्दू'।

अनुसन्धान एव सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे मदद देनेके लिए हम सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी है।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हैं।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, उनका हमने मूलसे मिलान और संशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें संदेह था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है, उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधार पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका, 'एम० एम० यू०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोंका, 'एस० जी०', गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध सेवाग्राम आश्रमकी फोटो-नकलोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध परिशिष्ट दिया गया है। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

१. पत्र : दुनीचन्दको

वर्धा
१६ सितम्बर, १९३४

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आप गलत आदमीके पास आये है। क्या आपको मालूम है कि मै संसदीय बोर्ड[1] की बैठकोमे बहुत कम भाग लेता हूँ? उम्मीदवारोके चयनमे मेरा कोई हाथ नही होता। मै मालवीयजीके दलकी[2] समस्याका समाधान करनेके कार्यमे व्यस्त रहा हूँ। आपने मौलाना अबुल कलाम आजादको विस्तारपूर्वक लिखकर ठीक ही किया है। उन्हे इस प्रश्नपर विचार करने दे। चुनावका यह मामला बिलकुल मेरे बसके बाहर है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला दुनीचन्द, बी० ए०
कृपा निवास
अम्बाला सिटी

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२. पत्र : शान्ता पटेलको

१६ सितम्बर, १९३४

चि० शान्ता[3],

मै तेरा पत्र इसके साथ लौटा रहा हूँ, परन्तु तू इसे किसलिए वापस चाहती है, यह मै नही समझ पाया। मैने तो अपनी सारी दलीले मगनभाईको समझानेके लिए दी है, इसलिए उन्हे फिरसे लिखकर व्यर्थ समय खोना नही चाहता। तुझे

१. संसदीय बोर्डकी स्थापना मई, १९३४में डॉ० मु० अ० अन्सारीकी अध्यक्षतामें विधान-सभाके चुनावोंकी व्यवस्था करनेके लिए की गई थी।

२. मदनमोहन मालवीय तथा एम० एस० अणेने साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध आन्दोलन चलानेकी दृष्टिसे पृथक् दलकी स्थापना कर ली थी।

३. शंकरभाई पटेलकी पुत्री।

मेरे आशीर्वाद तो मिलेंगे ही। क्या इतना पर्याप्त नही है?[1] लक्ष्मीदासभाई को सारी बातसे अवगत कर दिया है न?

आजकल तेरा क्या अध्ययन चल रहा है? बा आजकल वही पर है, यह तो तू जानती है न? रामदास अस्वस्थ है, यह भी जानती ही होगी।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती शान्ताबहन शंकरभाई पटेल
जेम्स विला, एलिस ब्रिज
अहमदाबाद[2]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०७१) से। सी० डब्ल्यू० २२ से भी; सौजन्य : शान्ता पटेल

३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[१६ सितम्बर, १९३४][3]

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। काका वाला किस्सा तो दुःखदायक बन गया है। लेकिन तुम्हे तो इसे हँसीमे उड़ा देना चाहिए। अन्तमे सब-कुछ शान्त हो जायेगा। मेरा खयाल है कि इसके पीछे कोई मलिनता नही है। मै इसे शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मै अपने इस प्रयत्नमें सफल होऊँगा। इस सबके पीछे गलतफहमीके अलावा और कोई बात नही है। काकाको मै इस तरह नही जाने दूँगा। मैने मावलंकरको जो पत्र लिखा है[4] उसकी एक प्रति मैंने तुम्हे भेजी है।

काका तो यहाँ आनेके दूसरे दिनसे ही बुखारमे पड़े हुए है। बुखार अभीतक उतरा नही है। आज सवेरे १०० से ऊपर था। १०२ तक जाता है। और कुछ तो दिखाई नही देता, सिर्फ सर्दी और थोड़ी खाँसी है। टाइफाइडका खतरा जरूर है। काकाको पत्र लिखना।

जोन्स[5] ठीक है, लेकिन अभी बीमार तो है। उसे भी दो पंक्तियाँ लिखना। डॉ० खानसाहब[6] उसकी जाँच करते है।

१. शान्ता पटेलने अपनी पसन्दके किसी लडकेसे विवाह करनेकी अनुमति चाही थी जो उसकी जातिका नहीं था।

२. पता महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे लिया गया है।

३. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

४. देखिए खण्ड ५८, पृ० ४७८।

५. स्टेनले जोन्स, एक मिशनरी।

६. अब्दुल गफ्फार खाँके बड़े भाई।

कल दोनो भाई अकोला गये। अब वहाँसे उन्हे लोग खीचकर खामगाँव ले गये हैं। पहले वे आज वापस आनेवाले थे, लेकिन अब कल आयेंगे।

लाला शामलालका पत्र मैं तुम्हे पढनेके लिए भेज रहा हूँ। दुनीचन्दके बारेमें कुछ जल्दबाजी की गई जान पड़ती है।[1] उनका एक और तार आया है।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
८९, वार्डन रोड
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३२

४. पत्र : कु० को

१६ सितम्बर, १९३४

चि० कु०[2],

दे०[3] की कथा करुण है। मे०[4] ने हम लोगोको बडा धोखा दिया है। दे० ठीक फस गई थी। उसका दोष तो है ही। मे० यहासे आखरमें भागा। ऐसा ही कहा जाये। जानेके पहले मुझको मिला भी नही। झूठ भी बहुत बोला। साबरमतीमें भी विषयासक्त रहा था। यह सब भेदकी बात है। दे० भोली सादी लडकी प्रतीत होती है जैसे मलबारकी लड़कीया हुआ करती है। उसको यहा रखनेमें कुछ खतरासा लगता है। उसके पतिको खबर तो देनी चाहीये। लेकिन तुमारी सलाह बिना कुछ करना नहिं चाहता हूँ, यदि यहां आनेकी आवश्यकता है तो आ जाना। कुछ गभराहटकी आवश्यकता नही है। दे० को अच्छी तरहसे रखी जाती है। मै अब करीब रोज मिलता हू, दे० का खत इसके साथ है।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१. देखिए "पत्र : दुनीचन्दको", १६-९-१९३४।
२, ३ और ४. नाम नहीं दिये गये हैं।

५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

१७ सितम्बर, १९३४

यह अफवाह कि मै कांग्रेससे सारे सम्बन्ध तोड़ लेनेका विचार कर रहा हूँ, सच थी। तथापि, पिछले सप्ताह वर्धामे कार्य-समिति और संसदीय वोर्डकी जो बैठकें हुई थी, उनमें भाग लेनेके लिए आनेवाले अनेक मित्रोंने इस सम्बन्धमें अपने विचार प्रस्तुत किये, जिनको ध्यानमें रखते हुए मैं उनसे इस वातपर सहमत हो गया कि यदि मैं कांग्रेसको छोड़ना ही चाहता हूँ तो मेरे लिए कांग्रेसके आगामी अधिवेशनके वाद ऐसा करना वेहतर होगा। पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री रफी अहमद किदवईने मेरे कांग्रेसमें वने रहनेके लिए एक वीचका रास्ता सुझाया था कि मैं काग्रेसमे तो रहूँ, लेकिन उसके सक्रिय प्रशासनमें कोई भाग न लूँ। लेकिन सरदार वल्लभभाई और मौलाना अवुल कलाम आजादने जोरदार शब्दोमे इसका विरोध किया। सरदार वल्लभभाई मुझसे इस वातपर सहमत है कि मेरे कांग्रेससे अलग होनेका समय आ गया है, लेकिन अन्य लोग इस वातको माननेको तैयार नही है।

पक्ष-विपक्षपर पूरी तरहसे विचार करके मैंने आखिरी कदमको कमसे-कम तवतक उठा रखनेका सुरक्षित और विवेकपूर्ण मार्ग अपनाया था जवतक अक्टूवर मे होनेवाली कांग्रेस-अधिवेशनकी बैठक खतम नहीं हो जाती।

काग्रेससे अलग होनेकी वातको स्थगित करनेका आग्रह करनेके पीछे यह प्रेरणा भी काम कर रही थी कि इस तरह मैं अपनी इस धारणाके सही अथवा गलत होनेकी जाँच कर सकूँगा कि कांग्रेसके वौद्धिक लोगोका एक वहुत वड़ा वर्ग मेरे तरीको और विचारोसे तथा उनपर आधारित मेरे कार्यक्रमसे ऊव गया है, यह कि मैं कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमे सहायक न होकर वाधक हो गया हूँ, यह कि काग्रेस देशका सवसे ज्यादा लोकतान्त्रिक और प्रातिनिधिक संगठन न रहकर मेरे व्यक्तित्व द्वारा प्रशासित एक संगठन रह गया है और यह कि इसमे अन्य लोगोके स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेकी कोई गुंजाइश नही है।

यदि मुझे अपनी इस धारणाकी सचाईकी अथवा अन्य प्रकारसे जाँच करनी है तो मुझे जनताके सम्मुख उस कारणको पेश करना होगा जिसपर मेरी यह धारणा आधारित है और उसपर मेरे सुझाव आधारित हैं। काग्रेसी लोग यदि चाहे तो उनपर अपना वोट दे सकते है और इस तरह स्पष्ट रूपसे अपनी राय अभिव्यक्त कर सकते है। मैं इसे जितने संक्षेपमें हो सके, उतने संक्षेपमे कहनेका प्रयत्न करूँगा।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे और अनेक कांग्रेसियोके दृष्टिकोणमें महत्त्वपूर्ण भेद है। और यह भेद दिन-व-दिन वढता जाता है।

मैं जिस दिशाकी ओर अग्रसर हो रहा जान पड़ता हूँ, वह उस दिशासे ठीक विपरीत है जिसकी ओर बौद्धिक वर्गके काग्रेसियोमे से अनेक काग्रेसी उत्साह-पूर्वक और प्रसन्नताके साथ जाना चाहेगे, वशर्ते कि मेरे प्रति उनकी अभूतपूर्व निष्ठा उनके आडे नही आती। बौद्धिक वर्गके काग्रेसियोने काग्रेसके सम्मुख रखी मेरी नीतियोका विरोध करने और अपनी असहमति प्रकट करनेके बावजूद जिस वफादारी और आस्थाका परिचय दिया है, उससे अधिक वफादारी और आस्थाकी अपेक्षा अन्य कोई नेता नही कर सकता। लेकिन मेरे लिए उनकी इस वफादारी और आस्थाका और ज्यादा फायदा उठाना उनपर अनुचित प्रभाव डालना होगा।

काग्रेसके बौद्धिक वर्गमे और मुझमे जो मूलभूत भेद है, उसकी ओरसे उनकी वह वफादारी मेरी आँखे बन्द नही कर सकती।

मुझे उन्हे बता देना चाहिए कि मैं चरखे और खादीको सबसे आगे रखता हूँ। कांग्रेसके बौद्धिक वर्गमे हाथ-कताई लगभग खत्म हो गई है। उनमे से ज्यादातर लोगोका इसमे कोई विश्वास नही है। तथापि, अगर मैं उनको समझा सकूँ तो मैं चवन्निया-सदस्यताके स्थानपर दैनिक हाथ-कताई-सदस्यताको रखना चाहूँगा। मुझे यह बात समझ लेनी चाहिए कि खादी-विषयक धाराको खादीके प्रति गहरे विश्वासके कारण नही रखा गया था वरन् मेरे प्रति व्यक्तिगत निष्ठाके कारण उसे पास किया गया था। मुझे स्वीकार करना होगा कि इस तर्कके पीछे पर्याप्त बल है।

तथापि, मेरी यह धारणा दिन-प्रतिदिन दृढ होती जाती है कि यदि भारतको मेहनत-मजदूरी करनेवाले लाखो लोगोके सन्दर्भमे और विशुद्ध अहिंसाके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी है, तो चरखा और खादी चन्द शिक्षित लोगोके लिए भी उतने ही स्वाभाविक होने चाहिए जितने कि आशिक रूपसे बेरोजगार और अधभूखे लाखो लोगोके लिए होने चाहिए, जोकि अपने हाथोको उस कामके लिए, जिसके लिए कि विधाताने उन्हें मनुष्यको दिया है, उपयोग नही करनेके कारण करीब-करीब भार-रूप पशु बन गये है। अतएव चरखा सच्चे अर्थोमे मानवीय गौरव और समानताका प्रतीक है। चरखा खेतीकी परिचारिका है। यह राष्ट्रका दूसरा फेफड़ा है। तथापि, केवल थोडे-से कांग्रेसियोको चरखेकी राष्ट्र-व्यापक शक्तिमे जीवन्त विश्वास है।

काग्रेसके संविधानसे खादी-विषयक धाराको हटानेका मतलब होगा कि काग्रेस और उन लाखो लोगोके बीचके सजीव सम्बन्धको खत्म करना जिनका कि वह प्रारम्भ से ही प्रतिनिधित्व करनेका प्रयत्न करती आई है, और यदि यह धारा बनी रहती है तो इसे सही ढंगसे लागू करना होगा। लेकिन यदि काग्रेसके अच्छे-खासे बहुमतको खादीमे जीवन्त विश्वास नही है तो ऐसा करना असम्भव है।

अब संसदीय बोर्डको ही ले। असहयोगका जनक होनेके बावजूद मुझे इस बातका पक्का यकीन हो गया है कि देशकी मौजूदा परिस्थितियोको देखते हुए और सविनय प्रतिरोधकी किसी सामान्य योजनाके अभावमे काग्रेसमे संसदीय दलका होना काग्रेस द्वारा रचे गये किसी भी कार्यक्रमका एक आवश्यक अग है, लेकिन इस

मुद्देको लेकर हममे परस्पर तीव्र मतभेद है। पटनामे हुई अ० भा० का० क० की बैठकमे[1] मैंने इस कार्यक्रमकी जिन जोरदार शब्दोमे वकालत की, उससे हमारे कई बेहतरीन साथियोको कष्ट हुआ, लेकिन अपने विश्वासके अनुसार कार्य करनेमें उन्हे संकोच हुआ।

समझदारी या अनुभवमें अपनेसे बडे माने जानेवालोके विचारोका खयाल करके खुद अपने विचारोको दबा देना एक हदतक अच्छी बात है और किसी सगठनके स्वस्थ विकासमे यह वाछनीय है। लेकिन अगर किसी को रोज-बरोज ऐसा ही करना पडे तो यह अत्यन्त पीडादायक हो जाता है।

हालाँकि मैंने कभी ऐसे बुरे परिणामकी इच्छा नही की है तथापि, मै अपनेसे और जनतासे इस दु खद तथ्यको नही छिपा सकता कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है। कई लोगोको मेरा विरोध करनेकी हिम्मत नही हुई है। मुझ-जैसे लोकतन्त्रवादी व्यक्तिके लिए यह एक अपमानजनक रहस्योद्घाटन है। गरीबसे-गरीब लोगोके साथ पूर्ण एकाकार करनेवाले और उनके-जैसा जीवन बितानेकी उत्कट इच्छा रखनेवाले तथा उस स्वरतक पहुँचनेके लिए सतत प्रयत्न करनेवाले व्यक्तिको यदि यह दावा करनेका अधिकार प्राप्त है तो मै यह दावा करता हूँ।

मैंने समाजवादी दलकी स्थापनाका स्वागत किया है।[2] उसमें अनेक प्रतिष्ठित और आत्मत्यागी कार्यकर्ता है। इसके बावजूद उनकी अधिकृत पुस्तकमे छपे कार्यक्रम पर मेरा उनसे मूलभूत भेद है। और हालाँकि मै नैतिक दबावके द्वारा उनके साहित्यमें प्रतिपादित विचारोको फैलनेसे रोक सकता हूँ, लेकिन मै ऐसा नही करूँगा। मैं उन विचारोकी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमें कोई हस्तक्षेप नही कर सकता, फिर चाहे उनमे से कुछ विचार मुझे कितने ही नापसन्द क्यो न हो।

यदि वे कांग्रेसमें प्रबल हो जाते है, जैसाकि वे हो भी सकते है, तो मै कांग्रेस मे नही रह सकता। मेरे लिए सक्रिय विरोधीके रूपमें कांग्रेसमें रहना विचारातीत है। हालाँकि जनसेवाकी लम्बी अवधिके दौरान मेरा अनेक सस्थाओसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है तथापि मैंने ऐसी स्थितिको कभी स्वीकार नही किया है।

इसके अलावा रियासतोके सम्बन्धमें कुछ लोगोने जिस नीतिके अपनाये जानेकी वकालत की है, वह मेरे द्वारा सुझाई गई नीतिसे सर्वथा भिन्न है। इस प्रश्नपर मैंने घटो विचार किया है, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोणको नही बदल सका हूँ।

अस्पृश्यताके सम्बन्धमें भी मेरा काम करनेका तरीका यदि अधिकांश कांग्रेसियोसे नही तो अनेकसे सम्भवत भिन्न है। मेरे लिए यह एक अत्यन्त धार्मिक और नैतिक विषय है। अनेक लोगोका यह विचार है कि मैंने जिस समय और जिस ढंगसे सविनय अवज्ञा-आन्दोलनको भग किया, वैसा करना एक गम्भीर भूल थी। लेकिन मै समझता हूँ कि यदि मैं कोई और तरीका अपनाता तो अपने प्रति झूठा ठहरता।

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० ९-१२।

२. कांग्रेस समाजवादी दलकी स्थापना मई, १९३४ में की गई थी।

और सबसे अन्तमे अहिंसाको ले। लगातार १४ वर्षतक आजमाये जानेके बावजूद यह अभी भी अधिकांश कांग्रेसियोंके लिए महज एक नीति है, जबकि मेरे लिए यह एक मूलभूत सिद्धान्त है। और यदि कांग्रेसजन अभी भी अहिंसाको एक सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार नही करते तो इसमे उनका कोई दोष नही है। मैंने उसे निश्चय ही गलत ढंगसे पेश किया होगा और उसपर गलत ढगसे अमल किया होगा, जिसके कारण मुझे इसमे असफलता मिली। लेकिन मुझे इसका कोई एहसास नही है कि मैंने इसे कब गलत ढगसे पेश किया और कब गलत ढंगसे उसपर अमल किया। लेकिन इस तथ्यसे कि अहिंसा अभी भी कांग्रेसियोके जीवनका अखण्ड भाग नही बन पाई है, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है।

और यदि अहिंसाको लेकर अनिश्चयकी स्थिति है तो सविनय अवज्ञाके बारेमे तो और भी होगी। इस सिद्धान्तका २७ वर्षोतक अध्ययन और इसपर अमल करनेके बावजूद मै इसके बारेमे सब-कुछ जाननेका दावा नही कर सकता, और चूंकि मनुष्यके जीवनमे सविनय अवज्ञाके अवसर बार-बार नही आते इसलिए इस विषयपर खोज करनेका क्षेत्र भी अनिवार्यत. सीमित है और होना भी चाहिए। यह बात तभी आ सकती है जब मनुष्य अपनी इच्छासे सत्ताके आदेशोका पालन करे, फिर चाहे वह माता-पिता हो, अध्यापक हो, बड़े-बूढे हो अथवा धार्मिक और सामाजिक अधिकारी हों। और इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही कि सविनय अवज्ञाके एकमात्र विशेषज्ञके रूपमे, फिर चाहे मै कितना ही अपूर्ण क्यो न होऊँ, मै इस निष्कर्षपर पहुँचा कि कुछ समयके लिए इसे मुझतक ही सीमित रहना चाहिए। सविनय अवज्ञा-आन्दोलनको भंग करना इसलिए भी जरूरी था जिससे कि भूलोको और उपद्रवोको कम किया जा सके तथा उसमे छिपी सम्भावनाओका पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ भी कांग्रेसियोंका दोष न होनेके बावजूद इस विषयपर हाल ही मे जितने प्रस्ताव[1] पास किये गये हैं, हालाँकि साथी कांग्रेसियोंने उन सबके पक्षमे मत दिया है, फिर भी उन्हे समझा सकनेका काम मेरे लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है।

इन प्रस्तावोंको बुद्धिपूर्वक सही माने बिना जब इनपर मत दिये जा रहे थे, उस समय उनके प्रति विरोधकी जो भावना मौजूद थी, उसके स्मरण-मात्रसे मेरे मनको उतनी ही व्यथा होती है जो उन्हें हुई थी। जिसे हम अपना सामान्य लक्ष्य मानते हैं, उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हमे अपना विकास करना है तो हमें इस मनोव्यथाके बोझसे मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वासके अनुसार साहसपूर्वक और स्वतन्त्र मनसे काम करे।

मैंने अपने पटनाके वक्तव्यमे[2] सविनय अवज्ञा-आन्दोलनको स्थगित करनेकी सिफारिश करते हुए दो स्पष्ट परिणामोको प्राप्त करनेके लिए लोगोका ध्यान सविनय अवज्ञा-आन्दोलनकी ओर खीचा है। यदि हममे अहिंसाकी पूरी भावना होती तो

१ और २. देखिए खण्ड ५८।

वह स्वयं ही सबको दिखती और सरकारके ध्यानमे यह बात आये बिना नही रहती कि हमारे द्वारा की गई अथवा हमपर आरोपित किसी भी 'शरारत' के कारण उसे वे अध्यादेश जारी करनेकी जरूरत न थी। उन अध्यादेशोका उद्देश्य बेशक किसी भी तरह हमारे उत्साहको भग करना था तथापि, यदि हम यह मानें कि सविनय प्रतिरोधी निर्दोष थे तो ऐसा मानना गलत होगा। यदि हम पूरी तरहसे अहिंसक होते तो हमारी अहिंसा स्वयं लक्षित होती।

और न ही हम आतंकवादियोको यह बता सके कि उन्हे हिंसामे जितना विश्वास है, उससे कही अधिक हमे अहिंसामे विश्वास है। इसके विपरीत हममे से कई लोगोने उन्हे यह एहसास कराया कि हमारे सीनोमे भी हिंसाकी उतनी ही भावना है जितनी उनमें है। केवल हमें हिंसापूर्ण कार्यवाहियोमे विश्वास नही है।

आतंकवादियोका यह तर्क ठीक ही था कि यदि दोनोमें हिंसाकी भावना सामान्य है तो हिंसा करने अथवा न करनेकी नीति तो विवादग्रस्त विषय है। मैं पहले ही जो बात कह चुका हूँ, उसे मुझे यहाँ फिर दुहरानेकी कोई जरूरत नही है और वह यह कि देशने अहिंसाकी दिशामे नि सन्देह लम्बे-लम्बे डग भरे है और कई लोगोने अत्यधिक साहस और आत्मत्यागका परिचय दिया है। मै जो कहना चाहता हूँ, वह सिर्फ यह कि मनसा, वाचा, कर्मणा हमारी अहिंसा विशुद्ध अहिंसा नही रही है।

अब मेरा यह परम कर्त्तव्य है कि ऐसे तरीके और उपाय खोज निकालूँ जिनके द्वारा मैं सरकार और आतकवादियोको सही वस्तु प्राप्त करनेके साधन-रूपमें, जिसमें सच्चे अर्थोमें स्वाधीनता भी शामिल है, अहिंसाके प्रभावको दिखा सकूँ।

इस प्रयोगके लिए, जिसके लिए मेरा जीवन समर्पित है, मुझे पूरी तरहसे अलग रहनेकी और कार्य करनेकी स्वतन्त्रताकी जरूरत है। मेरे लिए सत्याग्रह, सविनय प्रतिरोध जिसका महज एक हिस्सा है, जीवनका सामान्य नियम है। 'सत्य' ही मेरा ईश्वर है। मैं उसकी खोज केवल अहिंसा द्वारा ही कर सकता हूँ, किसी अन्य तरीकेसे नही, और सत्यकी इस खोजमे मेरे देशकी और संसारकी स्वाधीनता भी शामिल है। मै अपनी इस खोजको इहलोक अथवा परलोककी किसी भी चीजको प्राप्त करनेके लोभसे बन्द नही कर सकता।

सत्यकी इस खोजके कारण मैंने राजनीतिक जीवनमें प्रवेश किया। और जब मै यह कहता हूँ कि इसके द्वारा ही हमे पूर्ण स्वाधीनता तथा अन्य अनेक चीजे प्राप्त होगी जो सत्यका ही हिस्सा हो सकती है, यदि शिक्षित कांग्रेसी लोग इसे अच्छी तरह नही समझ सकते और अपने दिलोमे उतार नही सकते तो जाहिर है कि मुझे इस विश्वासके साथ अकेले ही काम करना चाहिए कि आज जो बात मैं अपने देशवासियोको नही समझा सकता, वह उन्हे खुद ही समझमें आ जायेगी अथवा यदि ईश्वरने चाहा तो उसके द्वारा मेरे मेरे मुँहसे निकले किन्ही शब्दोसे अथवा उसकी प्रेरणासे किये गये मेरे किसी सही कामसे वह उनकी समझमे आ जायेगी।

इतने महत्त्वपूर्ण मामलोमे यन्त्रवत मत देना अथवा आधे मनसे अपनी सहमति व्यक्त करना यदि उद्देश्यके लिए घातक नही तो सर्वथा अपर्याप्त अवश्य होगा।

मैने सामान्य उद्देश्यका जिक्र किया है, लेकिन मुझे इस वातपर सन्देह होने लगा है कि क्या सारे काग्रेसी स्वाधीनताका वही अर्थ करते है जो मै करता हूँ। 'कम्पलीट इडिपेडेस' शब्दका जो अग्रेजी अर्थ है, मै उसी अर्थमे भारतके लिए पूर्ण स्वाधीनता चाहता हूँ। मेरी दृष्टिमें पूर्ण स्वराज्यका अर्थ 'कम्पलीट इंडिपेडेस' से अत्यन्त व्यापक है, लेकिन मै जो चीज चाहता हूँ, वह पूर्ण स्वराज्यमे भी ध्वनित नही होती। किसी एक शब्द अथवा शब्दपदसे ऐसा अर्थ नही निकलता जिसे हम सब समझ सके। इसलिए मैंने कई अवसरोपर स्वराज्यकी कई परिभाषाएँ दी है। और मै यह मानता हूँ कि वे सब सही है, एक दूसरेके प्रतिकूल नही। इन सबको एक साथ रखनेपर भी ये सब अत्यन्त अपूर्ण है, लेकिन मै इस मुद्देपर और अधिक कुछ नही कहना चाहता।

मैंने स्वराज्यकी पूर्ण परिभाषा कह देनेके बारेमे यदि अपनी असमर्थता की नही तो दिक्कत की जो चर्चा की है उसपर से मुझे एक और गम्भीर मुद्दा याद आ गया जिमे लेकर कांग्रेसियों और मुझमे मतभेद है।

मैंने १९०८ से हमेशा यह कहा है कि साधन और साध्य समानार्थी शब्द है और इसलिए जहाँ साधन विभिन्न और परस्पर विरोधी होगे वहाँ साध्य भी भिन्न और परस्पर विरोधी होगा। हमारा वस तो बराबर साधनपर ही रहता है, साध्य पर कभी नही, लेकिन अगर हम एक-से साधनोका एक-से ही अर्थमे प्रयोग करे तो फिर साध्य क्या है, उसकी चिन्ता करनेकी हमें जरूरत नही रहती। यह स्वीकार करना होगा कि कई काग्रेसी इस स्पष्ट सत्यको मेरे सामने स्वीकार नही करते। उनका विश्वास है कि साध्यसे साधनोका औचित्य सिद्ध हो जाता है, फिर चाहे वे कैसे भी क्यो न हो।

कुल मिलाकर इन्ही मतभेदोके कारण वर्तमान काग्रेस-कार्यक्रम विफल हो गया है, क्योकि जिन लोगोने इसपर विश्वास किये विना जवानी सहमति व्यक्त की, वे स्वभावत. उसे व्यवहारमे नही ला सके और फिर भी मेरे पास देशको देनेके लिए काग्रेस-कार्यक्रमके अलावा और कोई कार्यक्रम नही है। ग्रामोद्योगोके पुनरुत्थान तथा सात लाख गाँवोके सामान्य पुनर्गठनके अर्थमे अस्पृश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, पूर्ण मद्य-निषेध, खादीके साथ हाथ-कताई और शत-प्रतिशत स्वदेशी किसी भी व्यक्ति की देशभक्तिकी भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है।

व्यक्तिगत रूपसे मै दुनियाकी निगाहोसे दूर किसी भारतीय गाँवमे, यदि वह सीमावर्ती गाँव हो तो वेहतर, जाकर रहना चाहूँगा। यदि खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिसक है तो अहिसाकी भावनाका प्रसार करने और हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढानेमे वे सबसे प्रमुख भाग अदा करेंगे, क्योकि यदि वे मनसा, वाचा, कर्मणा अहिसक है और हिन्दू-मुस्लिम एकताके प्रेमी है तो हम वेशक उनके द्वारा उन दो चीजोको पूरा होते हुए देखेंगे जिनकी इस भूमिपर हमे सबसे ज्यादा जरूरत है। तब अफगानी आतंक भी, जिसका हमे इतना ज्यादा भय है, भूतकालकी चीज हो जायेगा।

इसलिए मुझे इस दावेकी सत्यताकी जाँच करनेकी तीव्र उत्कंठा हो रही है कि उन्होने अहिसाकी भावनाको हृदयंगम कर लिया है, तथा हिन्दुओ और मुसलमानो और

अन्य लोगोकी दिली एकतामे उनका दृढ़ विश्वास है। इसके साथ ही मैं निजी तौर पर उन्हे चरखेका सन्देश भी सुनाना चाहूँगा। ऐसे और इस तरह के अन्य तरीकोसे मैं अपने ढंगसे कांग्रेसकी सेवा करना चाहूँगा, फिर भले ही मैं कांग्रेसमे रहूँ अथवा कांग्रेससे वाहर रहूँ।

हम लोगोमें जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है उसकी चर्चाको मैंने सबके अन्तमे रखा है। मैं सार्वजनिक रूपसे इसके वारेमें पहले ही वहुत-कुछ कह चुका हूँ। और जो मैंने कहा है उस सवके वावजूद मेरी रायमें कांग्रेस अभी देशका अत्यन्त शक्तिशाली और प्रातिनिधिक संगठन है। इसका इतिहास अनवरत सेवाओ और आत्मत्यागसे भरा हुआ है। प्रारम्भसे ही इसने जितने तूफानोका सामना किया है, उतने तूफानोका सामना किसी अन्य सस्थाने नही किया है। इसने जिस आत्मत्यागका परिचय दिया है उसपर से कोई भी देश गर्वका अनुभव करेगा। आज इसमे निर्दोष चरित्रके निष्ठावान स्त्री तथा पुरुष सवसे ज्यादा हैं। यदि इसे छोडना ही पड़ा तो इसे छोड़ते हुए मुझे निश्चय ही दु ख होगा और मैं ऐसा तभी करूँगा जब मुझे इस वातका सन्तोप हो जायेगा कि मैं कांग्रेसमें रहनेकी वनिस्वत कांग्रेससे वाहर रहकर कांग्रेसकी अर्थात् देशकी अधिक सेवा कर सकूँगा।

मैंने ऊपर जो विचार व्यक्त किये है उनको ध्यानमें रखते हुए मैंने विषय-समितिके सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे हैं, और मैं उपर्युक्त सभी मुद्दोपर कांग्रेसकी भावनाको जान लेना चाहूँगा।

मैं जो पहला संशोधन पेश करना चाहूँगा, वह यह है कि 'उचित और शान्तिपूर्ण' के स्थानपर, "सत्यपूर्ण और अहिंसक" शब्द रखे जाये। मैं ऐसा नही करता, लेकिन मैंने अत्यन्त निर्दोष भावसे "उचित और शान्तिपूर्ण" शब्दोके स्थानपर जिन दो विशेषणोका प्रयोग किया उनका जैसा विरोध हुआ, उसको देखते हुए मेरा ऐसा करना जरूरी था। हमारे उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए यदि कांग्रेसी लोग सत्य और अहिंसाकी आवश्यकतामें विश्वास रखते है तो उन्हे इन सुस्पष्ट विशेषणोको स्वीकार करनेमें कोई संकोच नही होना चाहिए।

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहूँगा, वह यह कि चवन्नी-सदस्यताके स्थानपर प्रत्येक सदस्य अथवा सदस्याको हर महीने २,००० तार (प्रत्येक तार चार फुटके वरावर हो) अपने हाथसे कातकर कांग्रेस डिपोमें भेजने चाहिए। यह सूत अच्छा वुना हुआ, एक सार और १५ अंक होना चाहिए। किसी सदस्यके गरीव सावित होनेपर यदि उसे आवश्यक मात्राका सूत कातनेके लिए कपास दे दी जाती है तो फिर उसके पक्षमे अथवा विरोधमे कुछ कहनेकी जरूरत नही रह जाती। यदि हम कांग्रेसका विकास सवसे कम वेतन पानेवाले मजदूरका प्रतिनिधित्व करनेवाली और सच्चे अर्थोमे लोकतान्त्रिक सस्थाके रूपमे करना चाहते है तो हमारे लिए वेहतर यह होगा कि हम सरल श्रम-सदस्यताके सिद्धान्तको स्वीकार कर ले।

इस वातपर सव लोग सहमत है कि हाथ-कताईमे सवसे कम मजदूरी मिलती है, फिर भी यह सवसे अधिक प्रतिष्ठानजनक धन्धा है। यह वयस्क मताधिकारके

अत्यन्त निकट है और यह लगभग प्रत्येक ऐसे व्यक्तिके बसकी बात है जो देशके लिए प्रतिदिन आधा घटा मजदूरी करनेके लिए तैयार हो। क्या बौद्धिक वर्गसे और धनवानसे यह अपेक्षा करना बहुत अधिक होगा कि वे श्रमसे होनेवाले लाभकी ओर ध्यान दिये बिना श्रमके गौरवको पहचाने? क्या शिक्षाके समान श्रम भी अपना पुरस्कार आप नही है? यदि हम जनताके सच्चे सेवक है तो हम उसकी खातिर चरखा कातनेमे गर्वका अनुभव करेगे।

स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली जो बात अनेक मचोसे कहा करते थे, उस बातको मैं यहाँ फिर दोहराना चाहूँगा। वे कहा करते थे कि जिस तरह तलवार पशु-बलका प्रतीक है उसी तरह चरखा अथवा तकली अहिंसा, सेवा और विनम्रताका प्रतीक है। जब चरखेको राष्ट्रीय झण्डेके एक भागके रूपमे स्वीकार किया गया तब उसमे यह बात अवश्य निहित थी कि हर घरमे चरखेकी गूँज सुनाई देगी। यदि काग्रेसी लोग चरखेके सन्देशमे विश्वास नही करते तो हमे चरखेको राष्ट्रीय झण्डे परसे और खद्दरको काग्रेसके सविधानसे हटाना होगा। यह बात असह्य है कि खद्दर-सम्बन्धी धाराके पालनमे निर्लज्जतापूर्वक छल-कपटसे काम लिया जाये।

तीसरा सशोधन मैं यह पेश करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति काग्रेसके किसी भी चुनावमे वोट देनेका अधिकारी नही होगा जिसका नाम लगातार छ महीने तक काग्रेसके रजिस्टरपर न रहा हो और जिसने उस अरसेके दौरान आदतन खद्दर न पहना हो। खद्दर-सम्बन्धी धाराके लागू करनेमे हमे काफी दिक्कतका सामना करना पड़ा है। काग्रेस-अध्यक्ष और विभिन्न समितियोके प्रधानोको ज्यादा अधिकार देकर इस स्थितिको दूर किया जा सकता है। वे लोग इस बातका निर्णय कर सकते है कि क्या मतदाता विशेष सविधानके अर्थमे आदतन खद्दरधारी व्यक्ति है अथवा नही, लेकिन उनके इस निर्णयके विरुद्ध मतदाता विशेषको अपील करनेका अधिकार होगा। तथापि, किसी भी नियमको बनाते समय कितनी ही सावधानीसे क्यो न काम लिया गया हो, उसमे चाहे कितने ही कड़ेसे-कड़े शब्दोका प्रयोग क्यो न किया गया हो, लेकिन जबतक काफी बडी सख्यामे लोग स्वेच्छासे उस नियमका पालन नही करते तबतक उसके सन्तोषजनक परिणाम नही हो सकते।

अनुभवसे मालूम हुआ है कि केवल ६,००० प्रतिनिधि होनेके बावजूद काग्रेस एक सहज चलाने योग्य सगठन नही है। व्यवहारमे काग्रेसके ६,००० प्रतिनिधियोने कभी भी काग्रेसकी किसी भी सभामे एक साथ भाग नही लिया है और काग्रेसके इस रजिस्टरमे कही भी सच्चे अर्थोमे कोई प्रातिनिधिक सूची नही है, इसलिए इस प्रतिनिधि-मण्डलके वास्तविक होनेका दावा नही किया जा सकता।

इसलिए मैं एक सशोधन रखना चाहूँगा जिसके द्वारा ६,००० प्रतिनिधियोकी इस सख्याको घटाकर केवल १,००० कर दिया जायेगा, प्रति एक हजार मतदाताओके पीछे एक प्रतिनिधि। प्रतिनिधियोकी पूरी सख्या होनेका अर्थ होगा दस लाख मत-दाता होना और ३१ करोड़की आबादीवाले इस देशमे इतने मतदाताओकी अपेक्षा करना अधिक न होगा। इस सशोधनके द्वारा सख्याके विचारसे भले ही काग्रेसको नुकसान हो, लेकिन तात्विक दृष्टिसे उसे लाभ होगा।

कांग्रेसके अधिवेशनोमे दर्शकोके लिए समुचित प्रवन्ध करके उसके प्रदर्शनवाले भागको अक्षुण रखा जायेगा। लेकिन स्वागत-समितिको वेशुमार प्रतिनिधियोके रहनेकी व्यवस्था करनेकी चिन्ता से, जो सर्वथा अनावश्यक है, मुक्त रखा जायेगा। हमे इस तथ्यको समझ लेना चाहिए कि आज जो प्रतिष्ठा है, उसका जो लोकतान्त्रिक स्वरूप है और लोगोपर उसका जो प्रभाव है सो इस कारण नही कि उसके वार्षिक उत्सवोमें उपस्थित प्रतिनिधियों और दर्शकोकी संख्या कितनी ज्यादा थी, वल्कि इसलिए कि उसने लोगोकी कितनी ज्यादा सेवा की है और लगातार करती चली आ रही है।

पश्चिमी लोकतन्त्रको, यदि वह अभीतक विफल नही हो चुका है तो, कसौटी पर कसा जा रहा है। क्या भारत लोकतन्त्रकी अपनी स्पष्ट योग्यताके प्रदर्शनके द्वारा लोकतन्त्रके सच्चे सिद्धान्तका विकास करनेका श्रेय प्राप्त नही कर सकता? भ्रष्टाचार और दम्भ लोकतन्त्रके अनिवार्य परिणाम नही होने चाहिए जैसेकि वे आज असदिग्ध रूपसे है, और न ही लोगोकी संख्या लोकतन्त्रकी खरी कसौटी होनी चाहिए।

/ वहुत थोडे-से लोग भी यदि जनताकी भावनाओ, आशाओ और महत्वाकाक्षाओ का सही प्रतिनिधित्व करते है तो यह भी सच्चा लोकतन्त्र ही है। मेरी धारणा यह है कि लोकतन्त्रका विकास जोर-जवरदस्ती करके नही किया जा सकता। लोकतन्त्रकी भावनाको वाहरसे नही लादा जा सकता, यह तो हृदयसे स्फूर्त होनी चाहिए।

यहाँ मैंने केवल उन प्रस्तावोका जिक्र किया है जो मै सविधानमें पेश करना चाहूँगा। अन्य प्रस्ताव भी पेश किये जायेगे जिनमे उन मुद्दोकी स्पष्ट रूपसे व्याख्या की जायेगी जिनके वारेमे मैंने उपर्युक्त अनुच्छेदोमे लिखा है। यहाँ उनकी चर्चा करके अपने इस वक्तव्यको वोझिल नही वनाना चाहिए।

मुझे भय है कि मैंने जो प्रस्ताव रखे है वे कांग्रेस-अधिवेशनमे भाग लेनेके लिए आनेवाले कांग्रेसियोकी एक वहुत वडी सख्याको मान्य नही होगे। फिर भी, अगर कांग्रेसकी नीतियोका नियमन मुझे करना है तो मै उन संशोधनोको और मेरे इस वक्तव्यकी भावनाके अनुरूप प्रस्तावको शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्यतक पहुँचानेके लिए अत्यन्त आवश्यक मानता हूँ।

कोई भी स्वयसेवी सस्था अपने उद्देश्यमे तवतक सफल नही हो सकती जवतक उसके सदस्य पूरे हृदयके साथ उसकी नीतियो और प्रस्तावोपर अमल नही करते। और कोई भी नेता तवतक विजयी नही हो सकता जवतक लोग विना किसी द्वेषभावके वफादारीके साथ और वुद्धिपूर्वक उनका अनुकरण नही करते और यह वात उस नेताके वारेमे पूर्णतया सच है जिसके पास सत्य और अहिंसाके अलावा और कोई साधन नही है।

इन सव वातोका यह निष्कर्ष निकलता है कि मैंने उपरोक्त अनुच्छेदोमें जिस कार्यक्रमकी एक रूपरेखा देनेका प्रयत्न किया है, उसके सारभूत अशोको लेकर कोई समझौता नही किया जा सकता। इसलिए कांग्रेसियोको चाहिए कि वे अनासक्त भावसे

इसके गुण-दोषोंकी जाँच करें। उन्हें चाहिए कि वे मुझे अपने दिलोंसे निकाल बाहर करें और अपनी बुद्धिके अनुरूप कार्य करे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-९-१९३४

६. पत्रः तान युन-शानको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके दो पत्र मिले। मैं आपके ४ सितम्बरके पत्रका इससे पहले उत्तर नही दे सका। मै चीनमे आपके प्रेमके मिशनकी सफलताकी कामना करता हूँ। मुझे इस बारेमे तनिक भी सन्देह नही है कि पारस्परिक सौहार्द स्थापित करनेकी दिशामे व्यक्तिगत रूपसे किये गये सारे प्रयत्न अन्तत फलदायी होगे। आप निश्चय ही जब चाहे तब मेरे साथ पत्र-व्यवहार करेंगे, और मै जितनी जल्दी सम्भव होगा उतनी जल्दी उत्तर देनेकी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप भारत लौट सकेगे और अपना काम जारी रख सकेगे। और जब आप भारत लौटेंगे उस समय यदि मै मुक्त रहा और एक स्थानपर रहा तो आप निश्चय ही मेरे साथ रहेगे। मुझे आपकी पुस्तक मिल गई है और मुझे यह कहते हुए दु.ख होता है कि आपकी उक्त पुस्तक मेरे लिए अत्यन्त दुर्बोध है।

प्रोफसर तान युन-शान
शान्तिनिकेतन

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

७. पत्र: महेश चरण मोवारको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरे कथनकी सत्यताको पहेलियो द्वारा, जिन्हे सन्तोषजनक ढंगसे सुलझाया नही जा सकता, प्रमाणित नही किया जा सकता। उसका प्रमाण तो इस बातमे ही देखा जा सकता है कि विधनाकी इस असहाय सृष्टिमे केवल प्रभुकी इच्छा ही सर्वोपरि है, मेरे मन कुछ और है विधनाके कुछ और। हमारी अच्छी-से-अच्छी योजनाएँ पलक झपकते ही धरी रह जाती है।

हृदयसे आपका,

श्री महेश चरण मोवार, बी० ए०, एल-एल० बी०
वकील, मैनपुरी (यू० पी०)

अग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

८. पत्र: एल० जी० खरेको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय खरे,

यदि आप ग्रामोद्योगोकी भरोसे लायक निर्देशिका तैयार करनेमे सफल हो जाते है और उसकी कीमत एक आना रखते है तो ऐसा करके आप शत-प्रतिशत स्वदेशी के उद्देश्यकी सहायता करेगे और जो स्वदेशीकी सेवा करना चाहते है उनके लिए वरदान-रूप सिद्ध होगे। आप एक आकुल आवश्यकताकी पूर्ति करेगें।

श्री एल० जी० खरे
सम्पादक 'स्वदेशी'
अखिल भारतीय स्वदेशी सघ
स्वदेशी मार्केट, बम्बई—२

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

मै आपको दारुल अमनसे मिला एक पत्र भेज रहा हूँ। इस पत्रके साथ मेरे उत्तरकी एक प्रति[1] भी संलग्न है। क्या आपको इस सस्थाके बारेमे कोई जानकारी है?

मैंने आपकी स्याहीसे लिखना शुरू कर दिया है। मुझे यह सन्तोष देती जान पडती है, लेकिन मुझे इसका और अनुभव प्राप्त करना होगा। तथापि, महादेव इसकी बहुत सूक्ष्म जाँच कर रहे है।

आशा है, अब आपको सतकौडी बाबूसे किताबे और कागजात मिल गये होगे।

संलग्न : १

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१०. एक पत्र

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र[2],

मुझे आपके पुत्रका एक करुणाजनक पत्र मिला है और उसने मुझे बताया है कि जबतक स्वराज्य नही मिल जाता, तबतक आप भारत आनेके लिए तैयार नही है। कोई नही जानता कि स्वराज्य क्या है। यदि यह वर्तमान शासकोसे सत्ता छीनना मात्र है तो कमसे-कम मै ऐसा स्वराज्य पाकर सन्तुष्ट नही होऊँगा। लेकिन जब कांग्रेसने १९२० के सविधानको[3] और उसके बलसे निर्धारित नीतिको स्वीकार किया तब एक अर्थमे स्वराज्यकी स्थापना हो गई थी। इसलिए मै जरूर यह आशा करता हूँ कि अपनी पत्नी और पुत्रकी खातिर आप जितनी जल्दी हो सकेगा

१. उपलब्ध नहीं है।
२. विद्या प्रकाशके पिता; देखिए अगला शीर्षक।
३. देखिए खण्ड १९, पृ० १९४-२०२।

उतनी जल्दी भारत आयेंगे और स्वराज्यकी योजनाके अंगरूप उनके प्रति अपना कर्त्तव्य निभायेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

११. पत्र: विद्या प्रकाशको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे आपका २५ तारीखका पत्र मिला। मुझे आपके पिछले पत्रकी अच्छी तरह से याद है। लेकिन मेरा यह खयाल था कि मैंने आपके पत्रका उत्तर दे दिया है और उस पत्रके साथ आपके पिताके लिए भी एक पत्र लिखा है। बहुत सम्भव है कि मेरे तूफानी दौरे[1] के दौरान लिखे गये पत्रोंकी तरह यह पत्र भी इधर-उधर हो गया है। यह रहा आपके पिताको लिखा पत्र।[2] आप यह पत्र उन्हें भेज देना। मैं माने लेता हूँ कि आप पत्रको गोपनीय रखेंगे।

हृदयसे आपका,

सलग्न: १

श्री विद्या प्रकाश
लाठ बिल्डिंग्स
ऋषिनगर, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

१. हरिजन-यात्रा, जो ७ नवम्बर, १९३३ को आरम्भ होकर २ अगस्त, १९३४ को समाप्त हुई थी।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

१२. पत्र : लालचन्द नवलरायको

१७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। विभिन्न प्रान्तोसे हरिजन-कोषके लिए जो धन एकत्र किया जाता है, उसको हम इस तरहसे खर्च करते है. विभिन्न प्रान्त मजूरीके लिए केन्द्रीय बोर्ड[1] के पास अपनी योजनाएँ भेजते है और जब आवश्यक समझा जाता है तब केन्द्रीय बोर्ड इन योजनाओको मेरे पास भेजता है। इसलिए आपको अपने प्रस्तावके ठोस होनेके बारेमे प्रान्तीय बोर्डको विश्वास दिलाना होगा और आपको बोर्डको यह भी दिखाना होगा कि स्थानीय बोर्डके पास जितना धन है, उतनेमे से आपकी योजनाको क्रियान्वित किया जा सकता है और इससे उनके कार्योमे विघ्न भी नही पडेगा।

हृदयसे आपका,

श्री लालचन्द नवलराय, एम० एल० ए०
एडवोकेट, लरकाना (सिन्ध)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

१३. पत्र : एफ० मेरी बारको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० मेरी[2],

तुम्हारा पत्र मिला। राजभोजने अपने पत्रमे 'ब्राह्मण' शब्दका इस्तेमाल गैर-हरिजन हिन्दुओके लिए किया है। बोर्डमे विशुद्ध रूपसे ब्राह्मण सदस्य नही है, इसमे गैर-ब्राह्मण भी है। तथापि, तुम्हे याद रखना चाहिए कि बोर्डमे केवल कार्यकर्त्ताजन है और ऐसे लोग नही है जो ख्याति अथवा सस्ते किस्मके यशके भूखे हो। सुननेमे यह बात जरूर अजीब लगेगी, लेकिन यदि यह सच है कि अस्पृश्यताके विरुद्ध हमारी इस लड़ाईकी प्रगतिमे ब्राह्मण लोग बाधा रूप है तो यह भी सच है कि त्यागकी भावना

१. हरिजन सेवक संघका।
२. मेरी बारको लिखे गये इस पत्रमें तथा अन्य पत्रोंमें सम्बोधन देवनागरी लिपिमें है।

आज भी सबसे ज्यादा ब्राह्मणोमे ही पाई जाती है। लेकिन कोई भी स्थानिक सस्था पूर्णतया ब्राह्मणोकी नही है।

तुम्हारी दूसरी आपत्तिके सम्बन्धमें, तुम्हे यह जानकर खुशी होगी कि ऐसा एक भी हरिजन बोर्ड नही है जिसमे कमसे-कम एक भी हरिजन न हो और कुछ संस्थाओमे तो बहुत सारे हरिजन है। भारतमे सैकड़ो हरिजन बोर्ड है जो केन्द्रीय बोर्डसे सम्बद्ध है। इसका मुझे कोई श्रेय नही है। यदि मैं इसमे कुछ कर सकता तो मै इन सारे बोर्डोको केवल गैर-हरिजनोतक ही सीमित रखता। "पश्चात्ताप करने-वाले लोगो" के स्थान पर 'कर्जदार' शब्द पढो।[1] आज हरिजनोका स्थान ऋण-दाताओका है। क्या तुमने कभी कर्जदारोके किसी ऐसे बोर्डके बारेमे सुना है जिसमे एक-आध ऋणादाता भी हो? केवल कर्जदार लोग ही जानते है कि उन्हे अपने कर्त्तव्यका कैसे पालन करना है। कर्जदार जो भुगतान करेगे उसके लिए प्रमाणपत्र देनेका निर्णय ऋणदाता ही करेगे। लेकिन वे कर्जदारोकी बैठकोको लेकर तनिक भी परेशान नही होगे। वे अपनी बैठकोका आयोजन करेगे, उनके अपने सलाहकार होगे, आदि-आदि। मैंने हरिजनोसे कहा है कि वे अपने सलाहकार बोर्ड बनाये जिनका प्रतिरोध नही किया जा सकेगा। और यदि उनमे सगठन और एकता हुई तो वे चाहे जो काम करवा सकते है। और यदि तुम हर हफ्तेके 'हरिजन' को ध्यानपूर्वक पढ रही हो तो मैंने जो कहा है, उसका अर्थ निस्सन्देह तुम्हारी समझमे आ जायेगा। धन-वितरणके रूपमे आश्चर्यजनक काम किया गया है। हरिजन बोर्ड ऐसी सस्थाएँ है जिनका उद्देश्य बिना कोई शोरगुल किये तेजीके साथ अपना काम करना है। वे कोई बहस-मुबाहसा करनेवाली सस्थाएँ नही है। उनके रूपको बदलना उन्हे समय तथा शक्तिका अपव्यय करने तथा केवल बहस-मुबाहसा करनेवाली सस्थाओमे बदलना होगा, जबकि मै इन सस्थाओको पूर्णत हरिजनोकी भलाईके लिए बचाये रखना चाहता हूँ। और तब, केवल तब ही 'तुम' और 'हम' की भावना नही होगी, बल्कि सभीमे केवल 'हम' की भावना पैदा हो सकेगी।

तुमने अपने पत्रमें प्रार्थना-सम्बन्धी अपने सुझावको फिर दोहराया है। मुझे यह सुझाव उचित नही जान पड़ता। इस दिशामे हम ज्यादा-से-ज्यादा यही कर सके है कि हमारे यहाँ प्रार्थनामे मुस्लिम कलमे अथवा भजन और ईसाई भजन भी है। तुम्हे कदाचित् मालूम हो कि हर शुक्रवारको हमारे यहाँ "लीड काइण्डली लाइट" के अनुवादका पाठ होता है और हर गुरुवारको अत्यन्त प्रसिद्ध मुस्लिम भजन गाया जाता है। 'आश्रम भजनावली'[2] मे कुछ भजन मुस्लिम सूत्रोसे लिये गये है और तुम्हे उसमे ईसाई भजनोका भी एक संग्रह देखनेको मिलेगा। लेकिन इन्हे रोजकी प्रार्थनामें शामिल करना न केवल पाखण्डपूर्ण ही होगा, बल्कि इन भजनोको पूर्णत. यन्त्रवत बनाना होगा। लेकिन यदि विभिन्न आश्रमोमें हमारे यहाँ मुसलमानो और ईसाइयोकी ज्यादा सख्या होती है तो स्थिति भिन्न होगी। और यदि हमारे यहाँ कोई ऐसा आश्रम

१. देखिए खण्ड ५८, "पत्र. पी० एन० राजभोजको", ३१-८-१९३४।

२. देखिए खण्ड ४४।

हो जिसमे रहनेवाले लोग मुख्यत. मुसलमान अथवा ईसाई हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ आम तौरपर केवल ईसाई-धर्म अथवा इस्लाम-धर्मकी प्रार्थना होती हो। मैं तुम्हें जो बात बतानेकी कोशिश कर रहा हूँ, वह यह है कि आश्रम कोई ब्रह्म-ज्ञान-सम्बन्धी सस्थाएँ नही है, बल्कि वे ऐसी सस्थाएँ है जहाँ सब धर्मोंके प्रति समान रूपसे आदर-भाव है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिन आश्रमोमे मुख्यत हिन्दू लोग रहते हो उनमे गैर-हिन्दुओके दिलोमे हिन्दू-धर्मके प्रति समान रूपसे आदर-भाव हो। आश्रमके लोग समानता और आन्तरिक विकासके आदर्शको ईमानदारीके साथ प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे है, फिर चाहे वे इसमे सदा असफल होते रहे।

सप्रेम,

बापू

कुमारी मेरी बार
खेडी सावलीगढ
जिला बैतूल

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०२९) से। सी० डब्ल्यू० ३३५८ से भी; सौजन्य: एफ० मेरी बार

१४. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिल गये थे। एन्ड्रचूजके साथ विस्तृत चर्चा हुई है। सोराबजी[1] वाला मामला तो चलता ही रहेगा, परन्तु एजेटपर कोई आक्षेप न हो तो अच्छा। उसे व्यक्तिगत पत्र लिखे जाये, यह अधिक ठीक होगा। उसपर आक्षेप करनेसे तो केवल अपना गुस्सा ही निकालना हुआ; इससे अधिक कोई मतलब हल नही होगा, ऐसा मुझे यहाँ बैठे-बैठे लगा है। एन्ड्रचूजको तेरा सारा काम ठीक लगा है। केवल एजेटपर जो तेरा आक्षेप है वह नही जँचा। श्लेसिन[2] को भी नही जँचा।

तू कान्तिको[3] भेजनेकी बात लिखती है, लेकिन वह नही आयेगा। उसे तो बहुत अभ्यास करना है।

मेरा ख्याल है कि रामदासको पर्मिटकी जरूरत पडेगी। तुझे शक है कि पैदायशी कोलोनियल लोगोका हक भी छीन लिया गया है। रामदासका अभी तो सब-कुछ

१. पारसी रुस्तमजीके पुत्र।
२. सोन्जा श्लेसिन।
३. हरिलाल गाधीके पुत्र।

अनिर्णीत ही है, अभी तो वह बा को लेकर साबरमती गया है। वहाँ उसे जोरका बुखार हो आया था। लेकिन फिर उतर गया है। वह कनु[1]को साथ लेकर गया है। क्योंकि वहाँ उसे अच्छा सत्सग मिल गया है, इसलिए वह प्रसन्न है। कान्ति तो ठेठ त्रावणकोर चला गया है। वहाँपर हरिजन-सेवा करता हुआ अपना अध्ययन भी जारी रखेगा।

मेरी योजनाएँ भी अधरमे लटक रही है। अभी तो निकट भविष्यमे काग्रेससे अलग नही हो सकूँगा। देखे, अक्टूबरमे क्या होता है। उसके बाद मेरा कर्त्तव्य मुझे कहाँ ले जायेगा, यह नही कहा जा सकता। इस प्रकार मेरा सब-कुछ अनिश्चित ही समझो। परन्तु इसकी मुझे कोई चिन्ता नही है। जिसने अपना सब-कुछ कृष्णार्पण कर दिया है उसके लिए तो अनिश्चिततामे ही निश्चितता है। ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिए मै सतत प्रयत्नशील हूँ। इसीलिए मुझे चिन्ता तो कभी व्याप्त नही होती। जहाँ जीनेकी ही प्रतिक्षण अनिश्चितता हो वहाँ और अनिश्चितताओकी और क्या चिन्ता हो सकती है?

जालभाई[2] मिल गये। उमर सेठका तो सब-कुछ बर्बाद हुआ जान पडता है। यह कैसे हो गया?

अभी किशोरलालभाई[3] और गोमतीबहन[4] तो यही है, वसुमतीबहन तो है ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरी दृष्टिसे सीता[5]को जो शिक्षा दी जाती है, वह ठीक है, पर यदि उसे यहाँ भेज दो तो व्यवस्था तो कर ही दूँगा।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२६) से।

१५. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है, तुम रोगसे बिलकुल मुक्त हो गये होगे।

सारी चीज तुमने बहुत अच्छी तरह हल कर ली।

गाडी अपनी स्वाभाविक गतिसे चले, यही ठीक है। अब तो यही कहा जायेगा न कि जमाना मोटरका नही, हवाई जहाजका है? लेकिन यह भाग-दौड़ क्षणिक है।

१. नारणदास गांधीके पुत्र।
२. जाल खम्भाता।
३ और ४. किशोरलाल मशरूवाला और उनकी पत्नी।
५. मणिलाल गांधीकी पुत्री।

हमारे पाँव तो जबतक मनुष्य-जातिका अस्तित्व है तबतक रहेंगे ही। इनकी गतिसे जिन्हें सन्तोष है, उन्हे ही जीता समझना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत शान्तिकुमार नरोत्तम मोरारजी
सुदामा हाउस
बलार्ड एस्टेट
बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२४) से; सौजन्य शान्तिकुमार मोरारजी

१६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१७ सितम्बर, १९३४

चि० ब्रजकिसन,

तुमारा खत मिला है। दामोदरदाससे मिलने पर क्या होता है देखा जायगा। तबतक मेरा वहेम तो कायम ही रहेगा। न दामोदरदास को न्याय मिलता है न संतोकादिको[1]। अब तुमारे पर आ पडी है। तुमने ही दामोदरदासको नहिं समजा है ऐसा वह कहते है। लेकिन तुमारे बारेमे मैं निश्चित हू। तुमारे बारेमे मेरा डर और किसमका है। पैसेका अबतक ख्याल तक नहि आया है। एक तरफसे त्याग किया है लेकिन मन तो धनवान है, परिग्रही है। जो चीज मनसे नहिं बनती है वह शरीरसे की गई तो भी उसकी कोई किम्मत नहि है।

तुमारा शरीर वहा तो अच्छा रहना चाहिये। प्रभा[2] पटना गई है। शायद शुक्रवारको वापिस आवे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२४) से।

१. संतोक, मगनलाल गांधीकी विधवा पत्नी।
२. प्रभावती, जयप्रकाश नारायणकी पत्नी।

१७. पत्र : हीरालाल शर्माको

१७ सितम्वर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा हिंदी खत आज मिला। इंग्रेजी कल मिलना चाहिये। मैं तो तुमारे सव खत वरावर पढ लेता हूं।

रामदास ही यदि तुमसे मुक्ति चाहता है तव तो मुझे कहना नहिं होगा। तव तुमारे यहां आ जाना है। मैं कुछ समझ नहिं सकता हूं, क्या हो रहा है। वा क्या करती हैं, कहती है। सुरेन्द्र वहां है यह वहुत अच्छी वात है। कैसे भी हो तुमारे अपनी शांति नहिं खोना। तुमने रामदासके लिये जो कष्ट उठाया है सो मेरे ध्यानके वाहर कभी नहिं रहा है। और अंतमे तुमारा मेरे पास आना कुछ रामदासके लिये नहिं हुआ है। यह तो नैसर्गिक उपायोके कारण ही हैं। इस लिये इस वारेमें जो कुछ है वह तो करनेका वाकी है ही। जव मिलेंगे तव वातें करेंगे।

तुमारा खत वापिस करता हूँ; जमनालालजीका नहिं। उसे फाड डालता हूं।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

जमनालालजीका खत भी भेजता हूँ। शायद यही तुम्हारी फाइल कापी है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ९७ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१८. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

१७ सितम्वर, १९३४

चि० अम्बुजम[1],

तुमारा खत मिला है। मैंने एक या दो खत तो अवश्य लिखे है। मेरा खत एक भी न मिले ऐसे तो नहिं होना चाहियें।

शर्माकि व्याधिके वारेमें गोमतीने कुछ नहि लिखा है लेकिन सत्य नारायणका काकाके पर खत था उससे पता चला था। अव तो विलकुल ठीक हो गया होगा।

रामायणके वारेमे तुमने लिखा है सो यथार्थ है।

१. श्रीनिवास अय्यंगारकी पुत्री।

यहि वर्धामे थोडे दिनके लिये भी आ सकती है तो अच्छा ही होगा।

काग्रेसमे तो ठीक है। उस वखत तो मै किसीके सामने भी नहि देख सकता हूं। रामदास ठीक है। आज कल तो बाके साथ साबरमतीमे ही रहेगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० (९५९७) से; सौजन्य . एस० अम्बुजम्माल

१९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको

१८ सितम्बर, १९३४

भाई बनारसीदास,

कोई और चीज ढुढ रहा था वह मिली और तुमारा २१ जुलाईका पत्र भी देखनेमे आया। यह पत्र तो यात्रामे ही मिल सकता था। मैंने पढ भी लिया था। उत्तर देनेके लिये खास जगह रखा तो उत्तर ही रह गया।

उमेद है कि अभी भी उत्तर समयके बाहर नहि हो गया है। जब दिल चाहे आ जाइये जितने दिन ठहरना है ठेरीये। तुमारा विरोध मुझे प्रिय लगता है। यह तुमको आनेसे रोकनेका कभी कारण नहि हो सकता था न हो सकता है।

आनेका दिन बता देना। मतलब मै यह समझता हूं कि मेरे निकट रहना है, मेरा समय ज्यादा नहि लेना है। समय तो मेरे पास कम ही रहता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५१५) से।

२०. पत्र : पुरुषोत्तम गं० पानसेको

१८ सितम्बर, १९३४

चि० भाउ,

रेंटीया बारस[1] नाम मुझे प्रिय है। घर-घर यदि यह इस युगका सुदर्शन चक्र चले तो कम से कम प्रयत्नसे कगालियत और बेकारीको हम दूर कर सकते हैं। यह बात तब ही बन सकेगी जब प्रत्येक देहाती कातेंगे और उसी सूत से जो खादी बने उसीके कपड़े पहनेंगे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६७५३) से। सी० डब्ल्यू० ४४९६ से भी, सौजन्य . पुरुषोत्तम गंगाधर पानसे

१. गुजराती-तिथिके अनुसार गांधीजीका जन्मदिन कताई-दिवसके रूपमें मनाया जाता था।

२१. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

१८ सितम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

तुमारे तारका उत्तर महादेवके मार्फत भेज दिया सो प्रभावतीने दिया होगा। बाद मे तुमारा खत भी मिला। पहले खतका उत्तर मैंने किसी के मार्फत भेजा अथवा रह गया। कुछ स्मरण नही रहा है। आजकल कामकी भीड काफी रहती है। आराम की दरकार भी रहती है। अवदुल गफार खाको प्रमुख पद इस वखत देना कुछ उचित प्रतीत नही होता है। वे अच्छे है, देश प्रेम उनमे है, सच्चे है, त्यागी है। लेकिन काग्रेसका अनुभव बहुत कम है। और इस वखतका अधिवेशन वडी जिम्मेदारीका है। तुम, राजगोपालाचारी और जेरामदासके सिवा और कोई मेरी नजरमें नही है जो सत्य और अहिंसाके पुजारी है। और उनको लोग पसद करे ऐसे है। लेकिन आज इन दोनोमे से किसीका चुनाव अब नही हो सकता इसलिए तुमारा नाम ही रह जाता है। और भूकम्पके कामके कारण और कोई चारा ही नही है। कौटुबिक व्याधि है। आर्थिक प्रश्न है। लेकिन तुमारे लिये कुटंब कहाँ है? अथवा कुटुब लोगका अेक अश होनेके कारण जितनी सेवा सम्भव है उतनी ही हो सकती है। आर्थिक प्रश्न करीब करीब हल हो गया है। जमनालालजी अब भी मुबईमे है। लेकिन इसकी कुछ चिंता नही है।

जितनी जलदी यहाँ आ सकते है आ जाओ। कुछ अधिक दिन रह सकते है तो अधिक समय लेकर आना। जितने दिन मिले सो काफी मान लूंगा। तारीख ठीक नियत होगी तो मैं सरदारको भी बुलानेकी कोशिश करूगा। मुबई तो हरगीज, २० अक्तूबरके पहले जा ही नही सकते हो। खान भाई इस अरसेमे यही होगे। और किसीकी हाजरीकी आवश्यकता होगी तो उनको भी बुला लेगें।

मेरा निवेदन[1] अखबारोमे देखा होगा। प्रभावती-जयप्रकाशका समबध स्पष्ट होनेकी आवश्यकता रहती है। वर्धामे सेवा करनेका प्रबध हो चुका है। लेकिन जयप्रकाशका तार मेरे पर आनेसे भेज दी है। तुमसे और बृजकिशोर बाबू[2]से वात करनेका मैंने प्रभासे कहा तो है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९७३२) से; सौजन्य: राजेन्द्रप्रसाद

१. १७ सितम्बरका।

२. प्रभावतीके पिता।

२२. पत्र : शामलालको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला। मुझे खुशी है कि आपके सामने ऐसा सुन्दर भविष्य है। ऐसे समयमे मै आपको अवकाश-ग्रहणके लिए कहूँगा, इसका सवाल ही पैदा नही होता। यह बात तो केवल उन्ही स्थानोपर लागू होती है जहाँ सफलताका कोई अवसर दिखाई नही देता। बहरहाल ये चीजे मेरे द्वारा नियमित नही होती है। इनका नियमन तो ससदीय बोर्ड करता है। इसलिए आप यह न समझे कि मै आपसे एकाएक अवकाश ग्रहण करनेके लिए कहूँगा। बापूजी अणेके साथ मेरी आगामी बातचीतको लेकर भी आप परेशान न हों।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला शामलाल
एडवोकेट, रोहतक (पंजाब)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

२३. पत्र : एमा हारकरको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका मर्मस्पर्शी पत्र मिला। यदि पियरे सेरेसोल[2] अपने पूरे दल सहित यूरोप से यहाँ आते हैं तो मैं निश्चय ही यह चाहूँगा कि आप भी उनके साथ आयें। अन्यथा मुझे आपका कही और जानेका विचार पसन्द नही है, क्योकि आपसे गरीबीका जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा करना एक क्रूर बात है और यदि मै आपको ऐसे स्थानमे रखता हूँ, जहाँ बजाये इसके कि आप लोगोका ध्यान रखे, लोगोको ही आपका अधिक ध्यान रखना पडे, तो यह उन लोगोके प्रति अन्याय करना होगा। आप नही जानती कि बिहार अथवा उड़ीसाके गाँवोमे अथवा बाढग्रस्त क्षेत्रोके किसी भी इलाकेमे

१. देखिए "गांधी-अणे वक्तव्य", २०-९-१९३४।
२. एक स्विट्जरलैंड अधिवासी जिन्होंने 'इन्टरनेशनल सर्विस' की स्थापना की थी।

राहत-कार्यमें किन कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है। और शहरोमे तो कोई मददकी जरूरत नही होती। इसलिए मेरा तो यह विचार है कि अगर सेरेसोल नही आते तो आपको कराचीमे रहकर ही कुछ सेवाकार्य करना चाहिए। बेशक, इसमे जमशेद मेहता आसानीसे आपका मार्गदर्शन कर सकते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती एमा हारकर
४७, कार्लटन होटल
कराची

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

२४. पत्र : माटिल्डा बी० कैलनको

१९ सितम्बर, १९३४

प्रिय मैटी,

मै आज श्यामजीभाईके साथ तुम्हारे बारेमे बातचीत कर रहा था। उन्होने मुझे बताया है कि तुम्हारे बारेमे कुछ-न-कुछ जरूर किया जायेगा। लेकिन उनका एक सवाल है। उन्होने मुझसे पूछा कि ईसाई होते हुए भी क्या तुम हरिजन लडके और लडकियोका भार उठाना चाहोगी और उनके दिलोमे हिन्दू-धर्मके प्रति सम्मानभाव जाग्रत कर सकोगी और उन्हे हिन्दू-धर्मके सिद्धान्तोकी शिक्षा दोगी तथा उन्हें बताओगी कि ये सिद्धान्त उतने ही अच्छे है जितने कि ईसाई-धर्मके। मैने उनसे नि सकोच भावसे यह कहा है कि तुम बहुत उदार हो और यह कि तुम्हारी कल्पनाके ईसाई-धर्ममे अन्य सभी महान् धर्मोका समावेश है। क्या मैने ठीक नही कहा ? हालाँकि मैने तुम्हे लम्बे अरसेसे पत्र नही लिखा है, मेरा खयाल है कि तुम यह महसूस करोगी कि मै तुम्हारे बारेमे निष्क्रिय नही हूँ।

सप्रेम,

बापू

श्री एम० बी० कैलन
नेत्तूर, तेल्लीचेरी
उत्तरी मलाबार

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२५. पत्र : पद्माको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० पद्मा[1],

तेरा पत्र मिल गया। ऐसे रगीन कागज मैंने तेरे लिए ही इकट्ठे किये है। तेरे-जैसी ही दूसरी लडकी दुर्गा[2] है उसके लिए भी ऐसे कागज एकत्र किया करता हूँ। मुझे स्मरण नही होता कि मैंने तेरे एक भी पत्रका जवाब न दिया हो।

तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल तो यहाँ की लडकियोके साथ भी बातचीतका अवसर शायद ही बन पडता है और तेरे-जैसी दूर बैठी हुई लड़की कमसे-कम पत्र तो पा जाती है। यहाँ वाली तो बिचारी पत्र भी नही पा सकती। क्या अब भी तुझे उनसे ईर्ष्या होती है?

यदि तेरा मगनचरखा बिगड गया है तो तू उसे सुधरवा क्यो नही लेती? क्या बिगडा है? पूनियाँ वहाँ क्यो नही तैयार हो सकती?

प्रार्थना भी नियमित रूपसे होनी ही चाहिए।

यदि हमारे खेतोमे ढोर आते हो तो उनके मालिकोको सूचित करना चाहिए और जो नुकसान हो गया हो, उसकी भरपाईके लिए उनसे विनयपूर्वक कहा जाना चाहिए। वे यदि न माने और पशु फिर भी आये तो उन्हे काजी हाउसमे अवश्य ही बन्द करवा देना चाहिए। यदि ऐसा करनेमे हिंसाका दोष लगता हो तो हमे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका यदि कोई अर्थ निकालना चाहे तो यो निकाले, "उसका अपना कुछ है ही नही", अत अपने स्वार्थके लिए किसीके ढोरोको काजी हाउसमे बन्द करवानेकी उसे आवश्यकता भी नही है।

जो पत्र व्यक्तिगत हो, उनपर 'व्यक्तिगत' शब्द लिख दिया जाये तो फिर उन्हे कोई नही पढेगा। लेकिन हम लोगोके पास गोपनीय हो ही क्या सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४९) से। सी० डब्ल्यू० ३५०५ से भी, सौजन्य: प्रभुदास गाधी

1. सीतला सहायकी पुत्री।
2. नेपालके दलबहादुर गिरि और कृष्णमैयादेवीकी पुत्री।

२६. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१९ सितम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

सूरजबहनके सम्बन्धमें आपका पत्र मिला। यह सारी दुःखद घटना ही घटी। लेकिन यह दुःख भी विस्मृत हो सकेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं भाई चित्तलिया[1] को लिखता हूँ कि सूरजबहन अपना प्रसूति-गृह उनके मकानमें ले जाये और वही सेवा-मन्दिर खोले। ऐसा हो चुकनेपर गोकुलभाईको चावी सौंप दे।

जो पैसा गायब हुआ माना जाता है, उसके सम्बन्धमें समझ पाया।

साथका पत्र लक्ष्मीको दे दें।[2] देवदास तो आपपर अच्छा-खासा बोझ डाल कर गया है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २२७५७) से।

२७. पत्र : हरिलाल गांधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। तू जैसा लिखता है, यदि ऐसा ही परिवर्तन तुझमें हो गया है तो मेरी आशा सफल हुई, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं तेरे भूतकालको एकदम भूल जानेको तैयार हूँ।

. . .[3] विवाहके सम्बन्धमें समझा। तुझे यदि कोई साथी ही चाहिए और यदि वह पत्नी ही होनी चाहिए तो यदि तू किसी योग्य विधवाकी तलाश कर ले तो इसमें मैं बिलकुल दोष नहीं मानूँगा। एक साठ वर्षकी विधवाने लगभग इसी उम्रके पुरुषसे शादी की थी। मैं उसे जानता था। ऐसा करनेमें उसका हेतु

१. करसनदास चित्तलिया।

२. देखिए "पत्र : लक्ष्मी गांधीको", १९-९-१९३४।

३. मूलमें छूटा हुआ है।

केवल सहवासका ही था, लेकिन इस समय तो ऐसा विचार करनेकी कदाचित आवश्यकता ही नहीं है।

हरिलाल गांधी
पोरबन्दर

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

२८. पत्र: आनन्दशंकर बा० ध्रुवको[1]

१९ सितम्बर, १९३४

भाईश्री,

ईश्वरने आपको और मुझे भयसे उबार लिया है।...[2] की सिफारिश मैंने ही आपसे की थी। आठ-नौ वर्षतक हम उसे साधु पुरुष मानते रहे। साधारण रूपसे वह किसीसे बातचीत नहीं करता था, लेकिन वह तो एक विषयासक्त और कपटी मनुष्य सिद्ध हुआ। उसने एकाएक ही आसन छोड दिया है। मैं तो कदाचित ही किसी की सिफारिश करता हूँ। ... जैसा मनुष्य भी ऐसा खोटा निकले तो फिर किसकी सिफारिश की जाये?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई

१ (१८६९-१९४२); संस्कृत और गुजरातीके विद्वान; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रो० वाइस चासलर।

२. नाम नहीं दिया गया है।

२९. पत्र : बलवन्तराय प्रमोदराय ठाकुरको

१९ सितम्बर, १९३४

भाई बलुभाई,

यदि कानून ही आड़े आता होगा तो जो नुक्ताचीनी होगी, उसे हम सहन करेंगे। मेरा आशय तो यही है कि ट्रस्टीको ऐसा दान[1] करनेका अधिकार था। यदि उस जमानेका विचार किया जाये तो इस दानसे विद्यापीठको हानि नही बल्कि लाभ ही माना जा सकता है और ऐसा दान करनेका अधिकार ट्रस्ट मात्रके आदर्श मे निहित होता है; पर यह तो साधारण मनुष्यका अभिप्राय हुआ। सच्ची बात तो वही होगी जो एक कुशल वकील कहेगा।

बहीखाते निकालकर देनेकी बातपर भी मैंने किसीके समक्ष खेदका प्रश्न नही उठाया। प्रश्न केवल इतना ही था, और सो आज भी है कि जो-कुछ अनुचित हो, वह न किया जाये। कही भूल होती हो तो उसे सुधार लिया जाये, इसके अलावा मेरे लिखनेके पीछे कोई हेतु नही था। इसलिए इस बातको मनसे निकाल देना।

पुस्तकोकी नोद करनेमे अथवा जीवनजीकी तरफसे उनकी यादी मिलनेमे विलम्ब होता हो तो मुझे लिखना। जबतक (पुस्तकालय) भवन तैयार नही हो जाता तबतक पुस्तकोका उपयोग किया जा सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था हम नही कर सकते?

बलुभाई
खाडिया
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१. आश्रम तथा विद्यापीठकी पुस्तकोंका, जो अहमदाबादकी माणेकलाल जेठालाल म्युनिसिपल लायब्रेरीको दे दी गई थीं; देखिए खण्ड ५६, पृ० १५-६।

३०. पत्र : नारणदास गांधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

इसके साथ हरिलालके पत्रकी एक नकल है, इसे पढना और उसपर विचार करना। मुझे यह पत्र अच्छा लगता है। हरिलालमे यदि इतनी तब्दीली हो गई हो तो यह बडी बात मानी जायेगी। अब तुम विचार करके देखना। क्या उसे खादीका या हरिजनका काम दिया जा सकता है? उसे अपने पास बुला लो अथवा तुम स्वय पोरबन्दरका एक चक्कर लगाओ; जाँच करके तुम्हे जो दिखे सो लिखो। हरिलालको मैंने पत्र दिया है कि वह तुम्हे लिखे। खादीका काम तो रामजीभाईसे मिलकर ही सौपा जा सकता है और हरिजनका काम जीवनलाल या नानालालको पूछकर। पर किसीपर दबाव तो न ही डाला जाये। मुझे तो इस समय कोई स्वतन्त्र प्रयोग करना अधिक अच्छा लगेगा, लेकिन इस सबका विचार तुम ही कर लेना।

उसकी आँखो और दाँतोके सम्बन्धमे क्या करना आवश्यक है? क्या वहाँ कोई है, जो उसकी जाँच कर सकता है? यदि ऐसा न हो तो अहमदाबादमे इनका इलाज किया जा सकता है। वहाँ तो आँख और दाँत दोनोके इलाजकी सुविधा है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

पत्रोमे मेरा जो निवेदन प्रकाशित हुआ है, उसे पढकर यदि कुछ कहने योग्य हो तो कहना।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-९ : श्री नारणदास गांधीने, भाग-२, पृ० १७१-२। सी० डब्ल्यू० ८४ से भी, सौजन्य: नारणदास गाधी

३१. पत्र : लक्ष्मी गांधीको

१९ सितम्बर, १९३४

चि० लक्ष्मी,

देवदासने तो तुमको छोड ही दी, लेकिन ठक्कर बापा जैसे रक्षक मिले हैं। इसलिये वियोग दु:ख बहुत नहिं लगता होगा।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी से; सौजन्य: नारायण देसाई

३२. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

२० सितम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। आज भी सुबहकी प्रार्थनासे पहले यह पत्र लिख रहा हूँ। यह तुझपर मेहरबानी करनेके लिए नही; परन्तु इतना ही बतानेके लिए है कि अब नियमानुसार प्रातःकाल तीन बजे उठकर मैं काममें लग जाता हूँ। दिनमें पत्र लिखनेकी फुरसत कम मिलती है। मुझे कोई जगाता नही और अलार्म भी नही है। ज्यादातर यो ही उठ जाता हूँ। यहाँ[1] तो सोनेके लिए छत है। आसपास अम्तुस्सलाम, वसुमती, अमला[2], बा हो तब बा, ओम, और प्रभावती सोती है।

तू अपना काम बढाती जा रही दीखती है। थोड़ा परन्तु खूब पक्का काम करनेकी मेरी सिफारिश है। गाँवोके काममे अधीरता काम नही देती। 'हरिजन' या 'हरिजनबन्धु' या दोनो नियमपूर्वक पढना। उनमे इस समय दूसरे विषयोकी चर्चा होती है।

रामदासकी देखभाल करनेके लिए बा के साबरमती जानेकी बात लिख चुका हूँ न?

'गीताई'[3] की प्रति चाहिए तो भेजूँ। मेरे वक्तव्य परसे जो विचार आये, वे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६०) से। सी० डब्ल्यू० ६७९९ से भी, सौजन्य प्रेमाबहन कटक

१. तब गांधीजी मगनवाड़ीमें रहते थे।

२. जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल।

३. विनोबा-कृत गीता का समश्लोकी मराठी-अनुवाद।

३३. पत्र : वामन जी० जोशीको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय वामनराव[1],

आपका पत्र मिला।

तर्कमे उतरे बिना मै आपके प्रश्नोके उत्तर देता हूँ।

१. जब कोई व्यक्ति आदतन खादीके बने वस्त्र पहनता है तो उसे इसका आदी कहा जायेगा। इसलिए यदि वह किसी उचित कारणसे किन्ही अवसरोपर खादी नही पहन सकता तो उसके बारेमे यह नही कहा जा सकता कि अब वह खादीका आदी नही रहा।

२. लेकिन यदि कोई व्यक्ति कांग्रेसके समारोहोमे खादीके वस्त्र पहनकर नही आता तो उसे खादीके वस्त्रोका आदी नही कहा जायेगा।

३ आदतन खादीके वस्त्र पहननेसे हमारा अभिप्राय सिरसे लेकर पैरतक हाथकी कती और बुनी हुई खादीके वस्त्र पहनना है।

४ जब अध्यक्षका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है अथवा जब कांग्रेसकी बैठकके अध्यक्षको स्वय यह मालूम हो कि अमुक मतदाता अथवा उम्मीदवार उक्त बैठकमे खादी नही पहने है तो व्यक्तिके प्रतिवाद करनेके बावजूद अध्यक्ष यह निर्णय देगा कि वह व्यक्ति खादी पहननेका आदी नही है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य · प्यारेलाल

१. वामन गोपाल जोशी उर्फ वीर वामनराव, मराठी नाटककार तथा बरार प्रदेश कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष।

३४. पत्र : के० श्रीनिवासनको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय श्रीनिवासन[1],

महादेवको लिखा आपका ८ तारीखका पत्र मिलनेके बादसे मेरी फाइलमें पड़ा हुआ है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि आपका तर्क मुझे नहीं जँचता। यदि सूचना गोपनीय रही हो तो केवल इतना कहनेसे सम्पादक आलोचनासे मुक्त नहीं हो जाता कि उसे सूचना अत्यन्त विश्वस्त सूत्रोंसे मिली है, विशेष रूपसे तब जबकि सम्पादक उस उद्देश्यके पक्षमें हो जिसके बारेमें यह सूचना हो। रंगास्वामी[2] को कार्य-समितिके सदस्यों द्वारा विचार किये जानेवाले कई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयोंकी जानकारी होती थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी किसी बातको प्रकाशित करके और यह कहकर कि सूचना बिलकुल विश्वसनीय है, जबकि वह निश्चय ही विश्वसनीय होती थी, इस विश्वासका अनुचित लाभ उठाया हो। सालीवती[3] को भी, जिन्होंने गम्भीर भूल की थी, रंगास्वामीके समयमें मैं अक्सर सूचनाएँ देता रहता था इसलिए वह बिलकुल विश्वसनीय हुआ करती थी। लेकिन जब उन्हें यह मालूम हो जाता था कि मैं अमुक सूचनाको प्रकाशित नहीं होने देना चाहता तो वे इस नियमका पालन करते थे।

यदि मेरे लिए यह दुविधा की बात होती तो मुझे महादेवको आपको पत्र लिखनेके लिए नहीं कहना चाहिए था। वैसे ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन आपके सूचनाको प्रकाशित करनेकी बातसे, उस सूचनाको जो अत्यन्त गोपनीय थी और वह ठीक भी नहीं थी, निश्चय ही सार्वजनिक उद्देश्यको क्षति पहुँची है। यदि आपने यह खतरनाक वक्तव्य[4] प्रकाशित न किया होता कि मेरे कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके विचारके मूलमें मालवीयजीके दलकी स्थापना है, तो मैंने आपकी घोषणाकी ओर कोई ध्यान ही न दिया होता।[5]

मेरी कितनी इच्छा है कि मैं आपको इस बातका यकीन दिला सकता कि ऐसा करके आपने आचरणका अत्यन्त खतरनाक सिद्धान्त पेश किया है। आप कहते हैं कि, "इस हालतमें हमें एकमात्र चिन्ता इस बातकी थी कि सूचना प्रामाणिक

१. हिन्दू के सम्पादक।
२. ए० रंगास्वामी अय्यंगार; हिन्दू के भूतपूर्व सम्पादक।
३. एस० सालीवती, हिन्दू के संवाददाता।
४. देखिए खण्ड ५३, पृ० ८७ और १११-२।
५. देखिए खण्ड ५८, पृ० ४२८-९।

है अथवा नही"। मान लीजिए कि सरदारने काग्रेसकी ओर से कोई बडा कदम उठानेकी बात सोची हो जिसके समयसे पहले ही प्रकाशित होनेसे उसके उद्देश्यको हानि पहुँचती हो। और यह भी मान लीजिए कि 'हिन्दू' का एक बहुत चतुर सवाददाता लोगोके दिलोकी बात को पढ लेता हो और उसने सरदारके मनकी बात जान ली हो। समाचार प्रामाणिक तो अवश्य होगा। यदि आप अपनेको काग्रेसका शत्रु न मानते हो तो क्या आप उक्त प्रामाणिक सूचनाको प्रकाशित करनेकी अपनी कार्रवाईको न्यायोचित ठहरा सकते है? अपने बचावमे आप यह न कहिएगा कि आपने जो सूचना प्रकाशित की उससे ऐसे अनर्थकी कोई सम्भावना नही थी। मै तो आपको यह दिखानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपने जो रुख अपनाया है वह कितना अयुक्तिपूर्ण है। आप अपने बचावमे यह नही कह सकते कि आपने जो सूचना प्रकाशित की उससे अधिक नुकसान नही हुआ। इसलिए आप कृपया इस विचारको अपने मनसे निकाल दे कि आपने मेरे प्रति कोई अपराध किया है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि मै आपकी स्थितिको ठीक-ठीक समझ नही सका हूँ। मेरा खयाल है कि आपके इस व्यवहारका बिलकुल समर्थन नही किया जा सकता बशर्ते कि आपका दृष्टिकोण यह हो कि एक पत्रकार होनेके नाते आपको राष्ट्रसे कुछ लेना-देना नही है, और आपका एकमात्र उद्देश्य समाचारोको इकट्ठा करना है — चाहे वे किसी तरह से ही क्यो न प्राप्त किये जाये और उससे चाहे किसीका नुकसान क्यो न होता हो, लेकिन जबतक यह समाचार पूर्णतया अथवा अशत प्रामाणिक है तबतक उसे प्रकाशित करनेमे कोई हर्ज नही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री के० श्रीनिवासन
मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५. पत्र : सन्तदास मंघारामको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय सन्तदास,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तुम्हारा तार भी मिला था। आत्माराम यदि यहाँ आता है और वह भी मीराबहनके साथ आता है तो उसकी बीमारी वरदान सिद्ध होगी। इसमे कोई सन्देह नही कि मीराबहनकी संगतिसे उसे बहुत लाभ होगा।

हाँ, प्रार्थनामे बहुत शक्ति है। हम इसे महसूस नही कर पाते, क्योकि हम इसे इन्द्रियो द्वारा नही देखते।

तुम्हारा,
बापू

श्री सन्तदास मंघाराम
एडवोकेट, हैदराबाद (सिन्ध)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३६. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय भाई,

तुम्हारे पत्रसे जानमे जान आई। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक नई बात भी मालूम हुई। तुम सब मक्कार हो और रेहाना तो तुम सबसे बड़ी मक्कार है। मैं नही जानता था कि वह जो इतने लम्बे-लम्बे पत्र लिख रही है सो केवल बहाना है और मजाकके तौरपर लिख रही है, और एक भुर्र न रहकर, तुम जो एक श्वेत दाढीवाले नौजवान हो, मुझे एक गम्भीर पत्र लिखते हो मानो सारा बंगला आँसुओसे आप्लावित हो उठा हो। अगली बार जब कभी वह मुझे लम्बी शिकायत लिखकर भेजेगी तब मैं उससे *अच्छी तरह निपट लूँगा।* उसने अपने पत्रोंमें तुम्हारी शरारतोके बारेमें जो लिखा है यदि उसे उतना ही लिखना होता तो जो पत्र उसने मुझे लिखा वह न लिख पाती। किसीकी पुत्री जब रहस्यवादी कवयित्री

हो जाती है तब ऐसा ही होता है। उम्मीद है, अखबारोंको दिये गये मेरे वक्तव्य[1] ने तुम्हें दिन-भर व्यस्त रखा होगा। रेहानाका पत्र[2] इसके साथ नत्थी है।

तुम सबको सप्रेम,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५९०) से।

३७. पत्र : अमृत कौरको

२० सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन[3],

आपने दीनबन्धु सी० एफ० एन्ड्रयूज की मार्फत जो सुस्वादु सेब और किशमिश भेजे हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
शिमला वेस्ट

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५११) से; सौजन्य : अमृत कौर। जी० एन० ६३२० से भी।

३८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२० सितम्बर, १९३४

बा,

तेरी चिट्ठी कल मिली थी। अगर तू कानो[4] को रखना चाहती है तो फिर मैं उसे यहाँ बुलाकर क्या करूँगा? तू जरूर उसे वहीं रख ले। मैं तो तेरी और रामदासकी जिम्मेदारी कम करना चाहता था। सरिता[5] यहाँ है इसलिए नीमु[6] कानोकी देखरेख करनेके लिए उत्सुक थी। लगता है, रामदास का हाल इस समय

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १७-९-१९३४।
२. पत्र उपलब्ध नहीं है।
३. साधन-सूत्रमें यहाँ 'महोदय' दिया गया है जो स्पष्टतः भूल है।
४ से ६. क्रमशः रामदास गांधीके पुत्र, सास और पत्नी।

तो ठीक ही है। वह खानेमें उतावली बिलकुल न करे। तेरे पास मच्छरदानी तो होगी ही। दिन किस तरह व्यतीत होते हैं? मैं जो अखबारमें लिखता हूँ, वह किसीसे सुन लिया कर। सुमित्राकी[1] आँखके लिए नीमु रोज अस्पताल जाती है। अमलाबहनको शान्तिनिकेतनमें नौकरी मिल गई है, इसलिए अब दो-चार दिनोंमें वह वहाँ चली ही जायेगी। वहाँ वह शान्तिपूर्वक रहे तो सब ठीक हो जाये। कमला नेहरू बहुत बीमार है, उसे किसीसे पत्र लिखवा देना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २७

३९. पत्र: परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

२० सितम्बर, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

हरिजन जिस आश्रममें रहते हो और वहाँ उनसे कोई दोष बन पड़े तब क्या किया जाये? इस प्रश्नका ऐसा उत्तर दिया जाना, जो हमेशा लागू किया जा सके, कठिन है। इसका निर्णय तो तुम्हींको करना होगा, या नरहरिके आ जानेपर वह करेगा। एक ओर तो क्षमावृत्तिका निर्वाह किया जाये और दूसरी ओर आश्रमकी रक्षा की जाये, इनके बीचसे कोई मार्ग निकालना तो उस घटनापर अवलम्बित होगा जो घटित होगी। अनुभवके आधारपर जैसा कुछ तुम्हें सूझे, निर्भय होकर वही करना।

ऐसा कोई नियम न तो किसी सवर्ण हिन्दूपर लागू हो सकता है और न आश्रममें रहनेवाले किसी जवाबदार हरिजनपर ही। और मेरा यह दृढ़ मत है कि आश्रमके संचालकोंको तो क्षमा किया ही नहीं जा सकता। इन संचालकोंमें यदि अनीतिका प्रवेश हो जाये तो हरिजन-संस्थाएँ नष्ट हो जायें।

तुम्हारी जैसी अपेक्षा है वैसा सन्तोषदायक उत्तर तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसीमें से जो मार्गदर्शन मिल सके, ले लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४०) से।

१. रामदास गांधीकी पुत्री।

४०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

२० सितम्बर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

साथका कार्ड पढ़ लीजिएगा। क्या इसमें किसी सत्यकी गुंजाइश है?

आशा है, कुमार साहब[1] को आराम होगा।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३७) से। सी० डब्ल्यू० ३२५५ से भी; सौजन्य: महेश पी० पट्टणी

४१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२० सितम्बर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

इसके साथ मेरे द्वारा तैयार किये गये जवाबका मसौदा है। इसमें कोई फेरबदल करना चाहो तो कर लेना।

यह कैसा अंधेर है कि बोर्डकी ओरसे ऐसा जवाब दिया जाये जिससे दुनीचन्दकी फजीहत होनेकी सम्भावना हो![2] यह ठीक ही है कि तुम जाँच कर रहे हो।

× × ×[3]

मैंने नरहरिके सम्बन्धमें तुम्हारे उद्‌गार पढ़े। तुम्हारा सन्ताप ठीक है। परन्तु इस सबकी तहमें जान-बूझकर कुछ किया गया हो, ऐसा नहीं है; केवल गलतफहमी है। वह कुछ समय बाद दूर हो जायेगी, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसीके मनमें कहीं कोई मलिनता नहीं है। मैंने तो निश्चय किया है कि यदि काका समझ सके तो इस वैमनस्यको मिटानेकी खातिर भी उन्हें अभी गुजरात नहीं छोड़ना

१. भावनगरके।

२. देखिए "पत्र : वल्लभभाई पटेलको", १६-९-१९३४।

३. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

चाहिए। गुजरातमे बैठकर भले ही वे सारे हिन्दुस्तानका शिक्षा-विभाग चलाये या कुछ भी करे।

तुम्हारे निकलनेकी बात ही नही है। और यदि मेरा मत तुम्हारे गले उतरा हो, तो अभी तो विद्यापीठकी व्यवस्था करनेका अर्थ इतना ही है कि जैसा निर्णय हो उसके अनुसार अलग-अलग आदमियोको रुपये देते रहे। विद्यापीठ तो जंगम रहेगा। सब अपना नियत काम करते रहेगे। शिक्षाके बारेमें जो भी निर्णय होगे, वे काका ही करेगे अथवा जो शिक्षक-मडल होगा, वह करेगा। मेरी राय यह है कि जो जहाँ जम जाये, उसे वहाँ स्वतन्त्र रूपसे अपनी जिम्मेदारी सँभालनी होगी। यदि कोई अपनी पसन्दके आदमीसे कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो मित्रभावसे पूछ सकता है, ऐसी मेरी कल्पना है। इसपर मैंने काका, किशोरलाल और नरहरिके साथ खूब चर्चा की है। यदि तुम्हे यह बात पसन्द आये, तो एक पत्र लिखकर इसका अमल कर डालो। बस, सारी समस्या हल हो जायेगी। वेतनके बारेमे काका और नरहरिने कुछ निर्णय तो किया है। उसमे मैंने दखल नही दिया। मै चाहता हूँ कि तुम इस झगडेका बोझ अपने दिमाग परसे बिलकुल उतार दो।

उम्मीद है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। राजेन्द्रबाबू को २३ तारीखके आसपास आ जाना चाहिए। उस समय तो तुम मौजूद रहोगे ही न?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३३-४

४२. पत्र : हीरालाल शर्माको

२० सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा तार मिला था। तारका अमल मिलते ही किया और द्रौपदी[1] को कल तार भेज दीया। यदि रामदास तुमको छोडने पर राजी हो गया है तो शीघ्र वर्धा आ जाओ और मेरे पास दो तीन दिन अथवा कम रहकर अब तो खुर्जा ही चले जाओ। द्रौपदीके खतका मेरे पर असर यह हुआ है कि तुमारे उससे अलग रहना पाप है। देवी[2] की देखभाल करना तुमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि उसकी रक्षा तुमारे से हो ही न सके तो तुमारे उसकी दिल्लीमे छोडना शायद उचित होगा। मेरी

१. हीरालाल शर्माकी पत्नी।
२. हीरालाल शर्माका पुत्र।

दृष्टिमे तो यह तुमारा पतनकी निशानी होगी। लेकिन तुमारा धर्म नियत करनेवाला मै कौन? अतमे तो तुमारा हृदय कहे वही तुमारा धर्म हो सकता है।

और तो क्या लिखू?

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ९८ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४३. गांधी-अणे वक्तव्य[1]

२० सितम्बर, १९३४

पारस्परिक बातचीतके बाद हम इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि संसदीय बोर्ड और राष्ट्रवादी पार्टी[2] को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जहाँ दो उम्मीदवारोमे स्पष्टत· ऐसा लगे कि एक उम्मीदवारके जीतनेकी सम्भावना बहुत ज्यादा है वहाँ दूसरे उम्मीद-वारको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। चूँकि हमारे पास पर्याप्त सामग्री नही है, इसलिए जिन उम्मीदवारोके नाम हमारे सामने थे, उनकी सफलताकी सम्भाव-नाओको लेकर किसी प्रकारकी सिफारिश करना हमारे लिए सम्भव नही था। हममे से किसीको भी किसी निश्चयतक पहुँचनेका अधिकार प्राप्त नही था। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि हम इस सिद्धान्तकी घोषणा कर सके। हमे यह भी बता देना चाहिए कि इस कार्यके लिए हमें दोनो पार्टियोमे से किसीने भी नियुक्त नही किया और हम विशुद्ध रूपसे मित्र और साथी-कार्यकर्त्ताकी हैसियतसे मिले है। हमारा उद्देश्य घरेलू कलहको टालनेके उपायोको ढूंढ निकालना था।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २१-९-१९३४

१. असेम्बलीके चुनावोंके लिए संसदीय बोर्ड और राष्ट्रवादी पार्टीके उम्मीदवारोंके बारेमें बातचीत करनेके बाद गांधीजी और एम० एस० अणेने यह संयुक्त वक्तव्य जारी किया था।

२. मदनमोहन मालवीय और एम० एस० अणे द्वारा संस्थापित।

४४. भेंट : एक हरिजन कार्यकर्त्ताको[1]

[२१ सितम्बर, १९३४ से पूर्व]

[गाधीजी] तो तुम गढीमे उथल-पुथल मचा देना चाहते थे?

[अकरते :] बेशक, मैं ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन उपदेशक अस्पृश्यता-निवारणके सिद्धान्तको माननेवाला है और मैंने मंत्रीसे कहा था कि उसे ऐसे मन्दिरमें कीर्तन करना चाहिए जो हरिजनोंके लिए खुला हो।

तुम स्वय उपदेशकके पास नही गये?

जी नहीं।

लेकिन उपदेशकके मनमे हरिजनोंके प्रति कोई पूर्वग्रह नही था, क्योकि तुम स्वय कहते हो कि वह हरिजनोके क्वार्टरोमे गया और वहाँ उसने कीर्तन किया।

यह सच है। उसके मनमें [हरिजनोके प्रति] कोई पूर्वग्रह नहीं था, लेकिन उसे मंत्रीकी बात नहीं माननी चाहिए थी।

तुम जानते हो कि मन्दिर हरिजनोके लिए खुला नही था और ऐसा करके तुमने अपने-आपको इस आरोपका भागी बनाया कि तुम कीर्तनके बहाने मन्दिरमे जाना चाहते थे?

लेकिन महात्माजी, वह मन्दिरसे बाहर आकर कीर्तन कर सकता था।

लेकिन वह हरिजनोके क्वार्टरोमे गया तो था। गया था न?

जी हाँ। लेकिन जो पर्चे बाँटे गये थे उनमें केवल हिन्दुओंको ही बुलाया गया था।

जो तुम कहते हो ठीक है। लेकिन ये पर्चे उपदेशकने तो नही बाँटे थे और फिर हमारी वर्तमान सुप्तावस्थामे 'सब' का अर्थ है 'तथाकथित हिन्दू लोग' और इसमे हरिजन शामिल नही है।

नहीं। महात्माजी, इस बारेमें हिन्दूसभाके मंत्रीको ज्यादा मालूम होना चाहिए।

अच्छा, अच्छा, कानूनी नुक्तेको लेकर झगडा करनेकी जरूरत नही। विरोध व्यक्त करनेकी जरूरत नही। विरोध व्यक्त करनेके लिए कोई सभा नही की जानी

१. यह भेंट *हरिजन* में "गलत रास्ता" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी। मध्यप्रान्तमें मोरसीकी हिन्दूसभाने अपने एक धर्मोपदेशकके माध्यमसे एक कीर्तनका आयोजन किया था और पर्चे बाँटे थे जिसमें हिन्दुओंको आमन्त्रित किया गया था। कीर्तन एक मन्दिरमें हुआ था जिसमें एक हरिजन कार्यकर्त्ता अकरते और अन्य हरिजनोंको जाने नहीं दिया गया। धर्मोपदेशकने भी हरिजनोंकी खातिर मन्दिरके बाहर कीर्तन करनेसे इनकार कर दिया, लेकिन उसने कीर्तनके बाद हरिजन-क्वार्टरोंमें जानेकी बात और उनके लिए विशेष रूपसे कीर्तन करनेकी बात कही। अकरतेने बादमें एक विरोधसभा की और उसमें धर्मोपदेशकके विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव पास किया। इसके बाद अकरतेने गाधीजीसे पथ-प्रदर्शन करनेके लिए कहा।

चाहिए थी। सबसे पहले तो तुम्हे उपदेशकके पास जाना चाहिए था। तुम उससे विनम्रतापूर्वक कह सकते थे कि वह हिन्दुओकी सभामे अस्पृश्यता-निवारणके विषय पर बोले अथवा अपने कीर्तनके दौरान हिन्दुओसे अपील करे कि वे धार्मिक कार्यमें हरिजनोको भाग लेने दे, जिसका कि उन्हे पूरा-पूरा अधिकार है। तुम अन्य हिन्दुओसे कीर्तनका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए कह सकते हो। अभी भी, यदि तुममे पर्याप्त शक्ति है, तो तुम मन्दिरके न्यासियोके नाम नोटिस जारी कर सकते हो और उसमे उनसे कारण पूछ सकते हो कि उन्होने हरिजनोको मन्दिरके आँगनमे आनेसे और इस तरह धार्मिक उपदेश सुननेसे क्यो रोका। यह एक अच्छा परीक्षात्मक मामला होगा, जबकि मन्दिरमे प्रवेश करना तो कानूनमे निषिद्ध हो सकता है, किन्तु मन्दिरके आँगनमे प्रवेश करना निषिद्ध नही हो सकता। लेकिन तुमने विरोधसभा और जो अन्य कार्य किये, वह कदाचित् तुम्हारी ओरसे अत्यधिक उत्साहका प्रदर्शन था। हमारा काम करनेका तरीका विशुद्ध अहिंसा है और केवल अहिंसा ही सफल होगी। हिंसा असफल होकर रहेगी।

महात्माजी, मैने जो किया उसका मुझे दुःख है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मै उस समय गुस्सेमें था। यदि आप चाहें तो मै इस आशयका एक सार्वजनिक वक्तव्य दे सकता हूँ।

इसकी कोई जरूरत नही। पश्चात्ताप व्यक्त करनेकी अपेक्षा तुम्हारा सुसंयमित व्यवहार अधिक प्रभावकारी होगा।

. . . हालाँकि मलकापुर और मोरसी गाँवोंमे हैजा तेजीसे खत्म हो रहा है[1], ऐसे अन्य अनेक गॉव है जहाँ यह फैल गया है, अथवा जहाँ इसके फैलनेकी सम्भावना है। एहतियातके लिए आप कौनसे उपाय सुझायेंगे? क्या हम ऐसे संकटके समयमें पुलिसकी सहायता ले सकते है?

अवश्य, जैसे चिकित्सा-सहायता ली जाती है, वैसे पुलिसकी सहायता भी ली जा सकती है। पीनेके पानीको उबाला जाना चाहिए और उसमे थोडा-सा पोटैशियम परमैंगनेट डालना चाहिए। उन लोगोसे इसके अलावा और कोई पानी न पीनेके लिए कहना चाहिए।

लेकिन वे लोग अज्ञानी हैं, वे किसीकी नहीं सुनते। और हम उन गरीब लोगोसे, जब वे खेतोंमें काम करने जाते हैं, उबाला हुआ पानी पीनेकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं।

अब, एक सक्रिय कार्यकर्त्ताको ऐसी बात करना शोभा नही देता। [इस सम्बन्धमे] तुम्हे जोरोसे प्रचार करना होगा। उन्हे हर सुविधा प्रदान करनी होगी और जबतक वे तुम्हारी बात नही सुनते तबतक तुम्हे चैनसे नही बैठना चाहिए। तुम उन्हे पानी उबालनेके लिए अतिरिक्त ईंधन दे सकते हो, पोटैशियम परमैंगनेट और वे बर्तन

१. कार्यकर्त्ताने इन गाँवोंमें हैजा फैलने तथा इसकी रोकथामके लिए जो उसने उपाय किये थे, उनका उल्लेख किया था।

दे सकते हो जिनमे वे पानी भरकर खेतोमे ले जा सके। इस कार्यके लिए तुम उन हरिजनोको अपने साथ ले सकते हो जिन्हे तुमने प्रचार-कार्यमे अपनी सहायताके लिए हैजेका टीका लगाया है। तुम्हे कोई भी कसर उठा नही रखनी चाहिए।

मै समझ गया। मै कल ही एक हरिजनकी देखभाल कर रहा था। मैने उसके उपचारके लिए एक डॉक्टरको बुलाया था; लेकिन उसकी हालत ज्यादा खराब थी, इसपर मैने एक और डॉक्टरको बुलाया। और मुझे खुशी है कि वह अब पूरी तरह ठीक हो जायेगा। उसका ऐसा उपचार किया गया जिससे कि हमारे गाँवके सबसे धनवान व्यक्तिको भी उससे ईर्ष्या हो सकती है।

यह बहुत अच्छी बात है। इस बातका विश्वास रखो कि ईश्वरने, जो हमारे अच्छे-बुरे कृत्योका लेखा-जोखा रखता है, तुम्हारा नाम दर्ज कर लिया है। उससे बढकर अच्छा लेखापाल इस दुनियामे और कोई नही है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-९-१९३४

४५. हिंसाके विरुद्ध क्यों?

एक पत्र-लेखक तर्क करते है:

> आप हिंसाके विरुद्ध क्यों है? क्या आपके विचारसे हिंसाका प्रत्येक कार्य हिंसाकी अभिव्यक्ति है? क्या यह एक अजीब बात नहीं है कि हम लोग किसी कत्ल अथवा हत्याको देखनेपर एक प्रकारके भयका, दयाका और वितृष्णाका अनुभव करते हैं, लेकिन संसारमें प्रतिदिन लोगोंका जो खून चूसा जाता है, उसे मूक दर्शककी भाँति देखते रहते हैं? यदि कोई व्यक्ति यह समझता हो कि एक सफल खूनी क्रान्तिके द्वारा संसारके दुःखोंका बहुत हदतक अन्त किया जा सकता है तो वह शस्त्रोंका सहारा क्यों न ले? आप मानव-स्वभावके प्रति अत्यन्त आशावादी प्रतीत होते हैं, हालाँकि मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि आपको उसका कैसा कटु अनुभव हुआ है। आप यह क्यों नहीं समझते कि संसारके शासक लोग इतने निष्ठुर हो गये हैं कि आपकी बातको अथवा मानवताको समझनेके लिए उन्हें फिरसे बालक बनना होगा। मेरे कहनेका तात्पर्य यह नहीं कि वे जन्मसे बुरे हैं। लेकिन उनकी बुराई एक स्थूल तथ्य है और चाहनेपर भी वे इसे नहीं बदल सकते।

इसी आधारपर कि शासक लोग, यदि वे बुरे है तो, अनिवार्यत अथवा पूर्णत. जन्मसे बुरे नही है बल्कि वे मुख्यत. अपने परिवेशके कारण बुरे है, मैं उनसे यह आशा रखता हूँ कि वे अपनी आदतोको बदल डालेगे। यह बिलकुल सच है, जैसा कि-पत्र-लेखकने लिखा भी है, कि शासक लोग अपनी आदतोको खुद नही बदल सकते। यदि उनके स्वभावपर उनका परिवेश हावी है, तो निश्चय ही वे मार डाले जाने योग्य नही है अपितु उनके परिवेशमे परिवर्तन करके उन्हे बदल देना चाहिए। लेकिन

उनका परिवेश तो हम लोग है—हमी लोग शासकोको वैसा बनाते है, जैसाकि वे है। और इस तरह कुल मिलाकर हम औसतमे जैसे है उसका वे बृहद रूप-भर है। यदि मेरा तर्क ठीक है, तो शासकोके साथ हिंसा करना स्वय अपने साथ हिंसा करना होगा। यह आत्महत्या होगी। और चूँकि मै आत्महत्या नही करना चाहता और अपने पडोसियोको भी इसके लिए प्रोत्साहित नही करना चाहता, इसलिए मै स्वय अहिंसक बन गया हूँ और अपने पडोसियोको भी अहिंसक बननेके लिए कहता हूँ।

इसके अतिरिक्त, हिंसासे एक अथवा एकाधिक शासकोको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रावणके सिरोके समान उनकी जगह वैसे ही बुरे दूसरे शासक पैदा हो जायेगे। क्योकि बुराईकी जड तो कही और है। बुराई हमारे अन्दर है। यदि हम अपनेको सुधार लेगे तो शासक लोग खुद सुधर जायेगे।

पत्र-लेखक ऐसा समझता जान पडता है कि अहिंसक मनुष्यकी कोई भावनाएँ नही होती और वह "प्रतिदिन ससारमे लोगोका जो खून चूसा जाता है", उसका मूक दर्शक है। अहिंसा एक निष्क्रिय शक्ति नही और न ही वह इतनी असहाय है जितनी कि पत्र-लेखक समझता है। सत्यको छोडकर, यदि सत्यको अहिंसासे अलग समझा जाये तो, अहिंसा ससारकी सबसे ज्यादा सक्रिय शक्ति है। यह कभी असफल नही होती। हिंसा ऊपर-ऊपरसे देखनेपर तो सफल दिखाई देती है, लेकिन यह दावा किसीने नही किया है कि वह हमेशा ही सफल होती है। अहिंसा कभी भी तात्कालिक अथवा ठोस परिणाम देनेका वादा नही करती। यह कोई जादूका करिश्मा नही है। इसीलिए इसकी असफलताएँ दिखती है। हिंसामे विश्वास रखनेवाला व्यक्ति हत्यारेको मार डालेगा और शेखी बघारेगा। लेकिन हत्या रूपी बुराईको उसने नही मारा। हत्यारेकी हत्या करके उसने हिंसामे वृद्धि ही की और सम्भवत. और ज्यादा हत्याओको न्योता दिया। प्रतिशोधका सिद्धान्त तो बुराईमे वृद्धि करनेका सिद्धान्त है।

एक अहिंसक व्यक्ति अपने प्रेमके द्वारा हत्यारेका हृदय-परिवर्तन करनेका प्रयत्न करेगा। हत्यारेको दण्ड देकर जो हत्या की जा चुकी है उस हत्याको वह मिटा नही सकता। लेकिन वह अपने विनम्र व्यवहार द्वारा यह आशा करता है कि हत्यारेको शायद अपने कियेपर पश्चात्ताप होने लगे और इस तरह शायद हत्यारेका सारा जीवन ही बदल जाये। एक अहिंसक व्यक्तिकी दृष्टि हमेशा अपने-आप अपने अन्तरकी ओर ही घूमती है और उसको इस बातकी प्रतीति हो जाती है कि लोगोसे व्यवहार करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे दूसरोके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहारकी वह दूसरोसे अपेक्षा रखता है। मान ले कि वह यदि स्वय ही हत्यारा होता तो अपने इस पागलपनके लिए वह मारा जाना पसन्द नही करेगा, बल्कि वह चाहेगा कि उसे अपने-आपको सुधारनेका मौका दिया जाये। वह यह भी जानता है कि जिस चीजको वह स्वय नही रच सकता, उसे नष्ट करनेका अधिकार भी उसे नही है। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्यके बीच भगवान ही एकमात्र सर्वोच्च निर्णायक है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-९-१९३४

४६. ईश्वर है अथवा नहीं

अपनी दक्षिण भारतकी यात्राके दौरान मैं ऐसे हरिजनो और अन्य लोगोसे मिला जो यह दावा करते थे कि उनका ईश्वरमे विश्वास नही है। एक स्थानपर हरिजनोका सम्मेलन हो रहा था। वहाँ सम्मेलनके अध्यक्ष महोदयने उसी मन्दिरकी छाया तले अनीश्वरवादपर लम्बा-चौडा भाषण दिया जिसे हरिजनोने अपने लिए और अपने पैसोसे बनवाया था। लेकिन उनका हृदय अपने साथी हरिजनोके प्रति किये जानेवाले दुर्व्यवहारको देखकर कटुतासे भर उठा था और उनको उस दयावान शक्तिके अस्तित्वपर ही सन्देह होने लगा था जिसने ऐसी क्रूरताको विकसित होने दिया। इस अविश्वासके लिए सम्भवत कुछ कारण भी था।

लेकिन यह रहा एक अन्य सूत्रसे प्राप्त हुए एक दूसरे प्रकारके अविश्वासका नमूना

> क्या आपके विचारमें ईश्वर, सत्य अथवा वास्तविकताकी पूर्व-निर्धारित धारणा हमारी खोजकी समस्त प्रवृत्तिको ही आच्छादित नहीं कर देगी और इस तरहसे यह एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होगी तथा हमारे जीवनके उद्देश्यको ही विफल बना देगी? उदाहरणके तौरपर आप कुछ नैतिक सत्योंको मूलभूत सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार करते है और जबतक हमें वास्तविकताका पता नहीं चल जाता तबतक हम यह दम्भोक्ति अथवा दावा कैसे कर सकते हैं कि नैतिकताका अमुक सिद्धान्त ही सत्य है अथवा केवल यही सिद्धान्त हमारे अन्वेषणमें सहायक होगा?

कुछ कामचलाऊ मान्यताओके बिना कोई भी अन्वेषण सम्भव नही है। यदि हम कुछ देंगे नही, तो हमें कुछ मिलेगा भी नही। जबसे इस सृष्टिकी रचना हुई है तबसे [जगतके] सभी मानव, जिसमे बुद्धिमान और मूर्ख दोनो ही शामिल है, इस धारणाको लेकर चले हैं कि यदि हम है तो ईश्वर भी है और यदि ईश्वर नही है तो हम भी नही है। और चूँकि ईश्वरमे विश्वास मानवजातिके अस्तित्वके साथ जुडा हुआ है, इसलिए ईश्वरके अस्तित्वके तथ्यको सूर्यके अस्तित्वके तथ्यसे भी अधिक निश्चित तथ्य के रूपमे माना जाता है। ईश्वरमे इसी जीवन्त विश्वासने जीवनकी विपुल गुत्थियोको सुलझाया है। इसने हमारे दु खोको कम किया है। यह विश्वास हमें जीवन-कालमें बल प्रदान करता है और मृत्युके समय शान्ति प्रदान करता है। लेकिन सत्यकी खोज ईश्वरकी खोज है। सत्य ही ईश्वर है। क्योकि सत्य है, इसलिए ईश्वर भी है। इस विश्वासके कारण ही सत्यकी खोज दिलचस्प और सार्थक बन जाती है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर है, क्योकि सत्य है। हम अन्वेषण करने निकलते है तो इसी कारण

कि हम विश्वास करते हैं कि सत्य है और अन्वेषणके जाने-माने और सुपरीक्षित नियमोका सावधानीसे पालन करते हुए परिश्रमके साथ खोज करनेपर उसे पाया जा सकता है। इतिहासमे ऐसी खोजके विफल होनेका कोई दृष्टान्त नही मिलता। यहाँ तक कि उन अनीश्वरवादियोको भी, जो ईश्वरमे विश्वास न करनेका दावा करते रहे है, सत्यमे विश्वास रहा है। उन्होने जो चातुर्य दिखाया है वह यह है कि उन्होने ईश्वरको एक दूसरा नाम, ध्यान रहे कि नया नाम नही, दे दिया। ईश्वरके तो कोटिश. नाम हैं। सत्य इन नामोमे सरताज है।

जो बात ईश्वरके बारेमे सच है, वही बात कुछ घटकर "कुछ आधारभूत नैतिक सिद्धान्तोकी सत्यताकी मान्यता" के बारेमे सच है। सच तो यह है कि ये सिद्धान्त ईश्वर या सत्यपर विश्वासमे ही अन्तर्निहित है। इन सिद्धान्तोको छोड़ देने वाले व्यक्तियोको अनन्त दुखोमे पडना पड़ा है। व्यवहारमे उतारनेकी कठिनाई और अनास्थाको एक चीज नही मानना चाहिए। हिमालय-अभियानकी सफलताकी सुनिर्धारित शर्तें हैं। इन शर्तोको पूरा करनेकी कठिनाई पर्वतारोहणको असम्भव नही बना देती। यह कठिनाई अन्वेषण-कार्यको रोचक और मजेदार बना देती है। ईश्वर या सत्यकी खोजका यह अभियान असख्य हिमालय-अभियानोसे कही ज्यादा कठिन है, और इसी कारण कही ज्यादा दिलचस्प है। यदि हममे इसके लिए कोई उत्साह नही है तो इसका कारण हमारे विश्वासकी दुर्बलता है। जो चीज हम अपनी स्थूल आँखोसे देखते हैं वह हमारे लिए एकमात्र वास्तविकतासे भी ज्यादा वास्तविक है। हम जानते है कि बाह्य रूप भ्रमकारक होता है। इसके बावजूद हम तुच्छ चीजोको वास्तविकताएँ मान लेते है। नगण्य चीजोको नगण्य-जैसा ही देख पाना आधा समर जीत लेनेके समान है। यह सत्य या ईश्वरका आधेसे ज्यादा अन्वेषण कर लेने-जैसा है। जबतक हम नगण्यताओसे अपनेको मुक्त नही कर लेते, तबतक हमारे पास सत्यान्वेषणकी महान खोज करनेकी फुर्सत ही नही होगी, अथवा क्या हमने यह महान खोज अपने फुर्सतके क्षणोके लिए छोड़ रखी है?

हरिजन कार्यकर्त्ताओको समझना चाहिए कि हम यह बात जानते हो अथवा न जानते हो, लेकिन अस्पृश्यताके विरुद्ध हमारा अभियान उस महान खोज-कार्यका ही अग है। अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा झूठ है। यह बात हमने अपने सामने सिद्ध कर ली है, अन्यथा हम इस अनुष्ठानके प्रति समर्पित न होते। हम सत्यको अन्य लोगोतक सम्प्रेषित तभी कर सकते हैं जब हम परिश्रम करें और सफलताके उन नियमोका पालन करें जिन्हे इन पृष्ठोमे बारम्बार बताया गया है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-९-१९३४

४७. तार : नारणदास गांधीको

२१ सितम्बर, १९३४

नारणदास[1] गाधी
मिडिल स्कूलके पास
राजकोट

कनु को भेजो।

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

४८. पत्र : डेविड बी० हार्टको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका २६ जुलाईका पत्र मेरे पास है। भारतीय आन्दोलनका लक्ष्य सम्पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। लेकिन हम अंग्रेजोके साथ पूर्णतया समान शर्तोपर सम्मानजनक गठबन्धन करनेको राजी है। किन्तु भारतके अथवा किसी देशके साम्राज्यवादी शोषणके साथ हमारा कोई सहयोग नही हो सकता। आपने स्वभावत लोगोको यह कहते हुए सुना होगा कि भारतीयोको उनके हालपर नही छोडा जा सकता। साम्राज्यवादी हमेशा ही ऐसा कहते आये है और अपनी कार्रवाईको न्यायोचित ठहराते रहे है। मै इस कहावतमे विश्वास करता हूँ कि किसी भी देशके लिए स्वाधीनता खो देनेसे बढकर दुर्भाग्यकी बात और कोई नही हो सकती।

जाति-प्रथा, आज जिस रूपमे प्रचलित है, हिन्दू-जीवनके लिए बहुत बडी विपदा है। ब्रिटिश शासनसे इसकी प्रचण्डता कुछ कम नही हुई है। इसके विपरीत ब्रिटिश शासनने इसकी खातिर जो तथाकथित तटस्थ दृष्टिकोण अपना रखा है, उससे

१. साधन-सूत्रमें 'नारायणदास' दिया हुआ है।

यह और भी प्रबल हो गई है। अस्पृश्यता-निवारणका हमारा यह महान आन्दोलन जाति-प्रथामे निहित इस बुराईपर एक प्रहार है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत डेविड बी० हार्ट
पाइपस्टोन
मिनेसोटा, अमेरिका

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

४९. पत्र : आर० वी० शास्त्रीको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय शास्त्री[1],

पृथुराज मुझे बताते है कि उन्होने आपको 'हरिजन' के हिसाबके सिलसिलेमे कुछ लिखा था। क्या गणेशन अपना हिसाब-किताब बराबर रख रहा है? क्या आप उसपर नजर रखे हुए है? आप जानते है कि हिसाब रखनेके सभी मामलोमे बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, इसपर मेरा विशेष आग्रह है।

हमारे यहाँ चन्देकी थोडी-सी धनराशि प्राप्त हुई है। पृथुराज इसके बारेमें आपको लिखनेवाले है। इसे जमा और खर्चके खातेमे लिखा जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप बहीखातेकी अच्छी तरहसे जाँच कर जाये और मुझे आश्वासन दें कि हर चीज सिलसिलेसे रखी जाती है। हालाँकि, गणेशनमे जो फुर्ती और उत्साह है, वह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसकी व्यवहार-कुशलताका कायल नही हूँ। इसके विपरीत उसके मुझे कटु अनुभव हुए है। फिर भी, मैंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया है, क्योकि मुझे उसकी ईमानदारीपर भरोसा है।

उम्मीद है कि आप और विशालाक्षी ठीक चल रहे है और अपना दुःख भूल गये है।

श्री आर० वी० शास्त्री
मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. हरिजन के सम्पादक।

५०. पत्र : निर्मलकुमार बोसको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

खानसाहबने कृपा करके मुझे 'सेलेक्शन्स फ्रॉम गाधी' की एक प्रति दी है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे आपका 'कास्ट' पर लिखा निबन्ध मिल गया है। यदि समय मिला तो मैं सहर्ष इसे पढ जाऊँगा और यदि कुछ कहने लायक हुआ तो अपनी राय दूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत निर्मल के० बोस
खादी सघ
बोलपुर पोस्ट ऑफिस
बीरभूम[1]

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५२३) से।

५१. पत्र : के० पी० रामन वैद्यरको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं सबसे पहले आपको स्थानीय हरिजन सेवक सघ और बादमे प्रादेशिक हरिजन सेवक सघमे जानेकी सलाह दूँगा। जबतक आप इन सामान्य बातोको पूरा नही कर लेते, तबतक मेरे लिए कुछ कह सकना मुश्किल है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० पी० रामन वैद्यर
पी० एम० मेडिकल हॉल
कोयम्बटूर

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

१. पता प्यारेलाल पेपर्ससे लिया गया है।

५२. पत्र : जुगलकिशोरको

२१ सितम्बर, १९३४

प्रिय जुगलकिशोर,

तुम्हारा पत्र और वक्तव्य मिले।

(१) मेरे सार्वजनिक बयान देनेसे कोई लाभ नही है। यदि तुम फिरसे सस्थामे शामिल होने नही जा रहे हो तो तुम्हे और तुम्हारे-जैसे विचार रखनेवाले लोगोको सस्थामे शामिल न होनेके अपने इरादेकी सार्वजनिक घोषणा कर देनी चाहिए, और उसमे निश्चित रूपसे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तुम अपनी गत राजनीतिक गतिविधियोके कारण, और यदि तुम्हारी उन गतिविधियोसे सस्थापर लगा वर्तमान प्रतिबन्ध जारी रहता है, तो उसे उस प्रतिबन्धसे बचानेके लिए ही सस्थामे शामिल नही हो रहे हो। मेरा यह भी खयाल है कि यदि न्यासी लोग चाहे तो वे उच्च न्यायालयको ऐसा आदेश जारी करनेके लिए कह सकते है जिसमे सरकार से प्रतिबन्ध हटानेके लिए कहा गया हो। लेकिन यह पूरी तरहसे एक कानूनी मुद्दा है जिसके बारेमे उन्हे कानूनी सलाह लेनी चाहिए। न्यासियोको सर तेजसे, यदि वे उनतक पहुँच सकते हो तो, परामर्श करना चाहिए। वे उन्हे कानूनी सलाह दे सकते है और एक सार्वजनिक व्यक्तिकी हैसियतसे सरकारपर प्रभाव भी डाल सकते है।

(२) तुम अगले महीने जब भी चाहो तब आ सकते हो। मै १९ अक्टूबर तक वर्धामे हूँ। मै तुम्हे सामान्य रूपसे शिक्षापर और विशेष रूपसे ग्रामीण शिक्षा पर बातचीतके लिए कुछ समय दूंगा। यदि इस सम्बन्धमे तुम काकासाहबसे मिलना चाहते हो तो तुम उससे भी पहले आ सकते हो। वे आजकल यहाँ है। वे बुखारमे पड़े हुए है, जो धीरे-धीरे कम हो रहा है।

तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

५३. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२१ सितम्बर, १९३४

बा,

आज तेरा पत्र नही आया। सुमित्राके हाल रामदासको लिखे मेरे पत्र परसे जान लेना। उसकी कोई चिन्ता मत करना। नीमुकी भी नही। अमतुस्सलाम और वसुमती वहाँ जाती ही रहती है। राधाकिसन[1] तो वहाँ है ही। अमलाको शान्तिनिकेतनमें नौकरी मिली है और वह वहाँ दो-चार दिनोमे चली जायेगी। नौकरी मिलनेसे वह खुश हो गई है। काकासाहबको बुखार आ रहा था, अब उतरता जा रहा है। उन्हे देखने रोज चलकर चला जाता हूँ। थोड़ी दूर नीमु भी साथ रहती है और लौटते समय फिर साथ हो लेती है। फिलहाल वह कातना सीख रही है। आज मेरे नाम जमनाबहनका पत्र आया है। आशा है, उसे तू लिखती रहती होगी। मणिको भी पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २७

५४. पत्र : जमनालाल बजाजको

२१ सितम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

सुमित्राकी आँखके सम्बन्धमे चूंकि यहाँका डॉक्टर निराश हो गया और उसने सुमित्राको बम्बई ले जानेकी सलाह दी, इसलिए मैंने उसे सविताबहनके साथ भेज दिया है। मैंने उन्हे मणि भवनमे ठहरनेके लिए कहा है। डॉक्टरको ढूंढनेका काम मैंने सरदारपर छोड़ दिया है। तुम्हे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। लेकिन वे दोनों तुमसे आकर मिल जायेंगी।

तुम्हारे आनेमें देर होती जा रही है, इसकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। जब डॉक्टर बिलकुल निर्भय कर दे तभी आना। तबतक यहाँकी समस्याओंको लेकर बेकार ही परेशान न होना।

१. राधाकृष्ण बजाज।

मदनमोहन[1] बहुत करके तो आज ही रवाना होगा। खान-बन्धु ठीक-ठाक है। छोटे भाई चरखा सीख रहे हैं और बड़े भाई जोन्स और काकाकी देखभाल करते हैं। उनके बारेमें कोई चिन्ता न करना। राधाकिसन बहुत कर्मठ है।

आशा है, भोजनके बारेमें मैंने जो नियम सुझाये थे तुम उनका पालन करते होगे। तुम्हारा वजन कितना रहता है? क्या घनश्यामदासका ऑपरेशन होना रुक गया?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४१) से।

५५. पत्र : जमनालाल बजाजको

[२१ सितम्बर, १९३४][2]

चि० जमनालाल,

तुम्हें याद होगा कि बा के भाई माधवदासको ५०० रुपये दिये गये थे। उन्हें वे मिल गये। उसमें से ३२५ रुपये उस समय ठक्कर बापासे दिलवाये गये थे। बाकी दुकानसे दिये गये जान पड़ते हैं। अब ये ३२५ रुपये ठक्कर बापाको वापस दिये जाने चाहिए। इस रकमकी हुंडी उन्हें भिजवाना। विवरण: 'बम्बईमें गांधीको जो ३२५ रुपये दिये गये थे, उसकी अदायगीमें।'

अब मदनमोहनके बारेमें। मेरा खयाल था कि वह आज ही तुम्हारी ओर (बम्बईको) रवाना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। हालाँकि खान-बन्धु हँसी-हँसीमें ही ऐसा कहते हैं, लेकिन लगता है उन्हें सचमुच मदनमोहनकी जरूरत है। मुमकिन है, वे उससे कुछ लिखनेका काम करायें और अपने साथ हर जगह वे किसी परिचितको ही ले जाना पसन्द करेंगे। यदि तुम्हें मदनमोहनकी वहाँ खास जरूरत न हो तो वह भले यहीं रहे अथवा तुम्हारे ध्यानमें इस कामके लिए यदि कोई और व्यक्ति हो तो बताना। यदि तुम ऐसा कुछ न सुझा सको और मदनमोहनकी वहाँ जरूरत हो तो मैं उसे भेज दूँगा। जो हो, मैं कल उनके साथ इसके सम्बन्धमें बात तो करूँगा ही।

मनहरसिंहके बारेमें तुम्हें राधाकिसनने लिखा ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राजेन्द्रबाबू सोमवारको अथवा मंगलवारको आ रहे हैं। एन्ड्रयूज भी तभी आयेंगे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४२) से।

१. मदनमोहन चतुर्वेदी, जमनालाल बजाजके सचिव।

२. मदनमोहनकी बम्बई-यात्राके उल्लेखके आधारपर; देखिए पिछला शीर्षक।

५६. पत्र : छगनलाल जोशीको

२१ सितम्बर, १९३४

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। यूँ कहना चाहिए कि 'पत्र' मिले।

तुम्हारा बयान मिला। अपने कार्यका निर्वाह तुमने बहुत अच्छी तरह किया। अब ऐसा ही लखतर[1] में कर सको तो करना। वहाँ यदि लखतरके शासकका कोई परिचित व्यक्ति हो तो उसे खोज निकालना और यदि उससे कुछ काम निकाला जा सके तो निकालना। इस सम्बन्धमें परीक्षितलालने तुम्हे लिखा होगा।

जबतक तुम्हारा मन वहाँ नही लगता तबतक तुम स्थायी मन्त्री नही बन सकते, यह बात मैं समझ सकता हूँ। काल और परिस्थितियाँ अपना काम करती रहती है। हम उनके अधीन है। इसीसे हम "भगवान जो करता है वही होता है", ऐसा कहते है।

जबतक स्थायी सलाहकार-समितिकी स्थापना नही हो जाती तबतक जैसा चल रहा है, वैसा ही चलने दो। जिस मनुष्यमें जिस कार्यकी योग्यता हो, उससे उस कार्यके सम्बन्धमें सलाह-मशविरा करते रहना। इस तरह तुम उनमें से सलाहकार-समितिका निर्माण कर सकोगे।

मैंने जो सन्देश गुजरातके कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओको भेजा है, वह सबके लिए है। उसके अनुरूप कार्य करनेवाले लोग फिलहाल भले ही दो-तीन अथवा २०-३० हो, इसकी मुझे कोई चिन्ता नही। मैंने तो उनके आगे आदर्श रखा है। विद्यापीठ जिस रूपमे था, उसे उसी रूपमें पुनरुज्जीवित नही किया जा सकता। परिस्थितियाँ बदल गई है, और नये अनुभव मिले हैं। तुमने निराशाके जो-जो उदाहरण दिये है उनमे मैं आशाकी किरणें देखता हूँ। आज जो काम एक-दो लोग करते है वह काम कल दस-बीस लोग करेंगे और अगले दिन २००-३०० लोग करेंगे। और यदि इस प्रयोगमे कोई सार नही है अथवा एक-दो भी योग्य व्यक्ति गाँवोमे नही गये है तो भले ही यह प्रयोग निष्फल हो। यदि प्रयोग ही दोषमय है तो उसे असफल होना ही चाहिए, अथवा ऐसा कहो कि वह योग्य विशेषज्ञोके अभावमें निष्फल हुआ जान पडेगा। हममे से कुछ लोग योग्य बननेका प्रयत्न करेंगे। लेकिन जबतक हम यह मानते है कि हिन्दुस्तान गाँवोमें बसता है शहरोमें नही, तबतक हमे जल्दसे-जल्द गाँवोमे ही जाना होगा। उसके बिना काम नही चलेगा। तो फिर आज ही क्यो नही?

काका अथवा नरहरि विद्यापीठसे निकल नही गये है। नरहरि गाँवोमे नही गये, यदि तुम ऐसा कहो तो यह अर्धं सत्य है। जो व्यक्ति हरिजनोके बीच रहता है उसका

१. लखतरमें हरिजनोंको स्थानीय सार्वजनिक तालाबका उपयोग करनेकी मनाही थी।

मन गाँवोमे भी अवश्य रहेगा। यदि ऐसा नही है तो वह हरिजनोकी सच्ची सेवा नही कर सकता। पाँच अथवा सात करोड हरिजन कहाँ रहते है? जहाँ वे रहते हैं, वहाँ तुम्हारा, मेरा, नरहरिका, हम सबका मन रमना चाहिए।

काका भी विद्यापीठ छोड़कर नही गये है। वे ट्रस्टी नही रहे, इसका मतलब यह नही कि उन्होने सस्थाको ही छोड दिया। ऐसा क्यो नही मानते कि वे अब सस्था के और भी ज्यादा हो गये। वह स्वय तो ऐसा ही मानते है। यदि तुम अभी भी न समझ पाये हो तो निस्संकोच पूछना। काका फिलहाल अहमदाबादमे होने चाहिए। सरदार बम्बईमें है, स्वामी किशोरलाल आदि यही है। अभी तो देवदास भी यही है।

मैं एक और कदम उठानेका विचार कर रहा हूँ। उसकी चर्चा अभी यहाँ नही करूँगा। यदि सम्भव हुआ तो आज किशोरलालको उसके बारेमे तुम्हे पत्र लिखनेके लिए कहूँगा।

तुम परेशान न होना। बाल आदिके उदाहरणसे पता चलता है कि हमे अपनी श्रद्धाको अधिक स्वच्छ और तीव्र बनाना होगा। जो लोग उद्देश्यसे पीछे हटते जाते है, वे अपने-अपने स्वभावका अनुसरण करते है। उसका दु ख नही होना चाहिए। उम्मीद है रमा,[1] धीरू,[2] और विमु[3] मजेमे होगे। तुम सब कहाँ रहते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५२५) से।

५७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२१ सितम्बर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

तुमपर जो बोझ है, उनमे मैं एक और बढा रहा हूँ। साथमें सुमित्राके बारेमें यहाँके सिविल सर्जनकी राय है। इसलिए मैं उसे उसकी नानीके साथ आज ही भेज रहा हूँ। वे मणि भवनमें रहेगी, परन्तु यदि तुम उन्हे अपने पास रखना चाहो तो भले रखना। सुमित्राको आँखके किसी डॉक्टरको दिखाना और इलाज करवाना। उसकी आँखमे कील है और टेढापन तो है ही। दोनों चीजोके इलाजकी जरूरत है। मणि उसे जिसके यहाँ ले जानेकी जरूरत हो, ले जाये।

जान पड़ता है कि मेरे वक्तव्यकी बहुत आलोचना की जा रही है। मुझे [कांग्रेससे] निकालनेका ही वातावरण पैदा करना। किसीको कातने या खादी पहननेमे दिलचस्पी नही होगी, तुमने अपने वक्तव्यमे[4] ठीक ही कहा है।

१, २ और ३. क्रमशः छगनलाल जोशीकी पत्नी, पुत्र और पुत्री।
४. यह वक्तव्य २० सितम्बर, १९३४ को जारी किया गया था।

वामनरावको भेजे गये अपने उत्तरकी एक प्रति[1] मैंने तुम्हे कल भेजी है। अणे कल आकर मिल गये। पूरे दो घटे बैठे। तुमने हमारा बयान[2] देखा होगा। नेकीरामका तार है कि मालवीयजी २६ तारीखको आयेंगे। यह तार अणेके सामने ही मिला था। मैंने तो कहा है कि मालवियजीको आनेका कष्ट न दें। दोनो पक्ष यदि इतना समझ ले कि जहाँ जिसके हार जानेकी स्थिति हो, वहाँसे उसे हट जाना चाहिए तो काफी है। चिन्तामणि[3] और कुजरू[4] आये, यह मै चाहता तो जरूर हूँ; दोनो बड़े कामके आदमी है। लेकिन यह कैसे किया जाये, सो मैं नही जानता। सयुक्त प्रान्तमें क्या स्थिति है, यह हमें कैसे पता चले? सयुक्त प्रान्तके अलावा अन्यत्र कही भी उनकी सफलताकी सम्भावना दिखाई नही देती। वे कहते है कि बंगालमें उनके उम्मीदवार जीतेंगे। फूकनके बारेमे भी आशा रखते ह और उत्कलके सफल दौरेकी भी उन्हे आशा है। बहुत करके वे आसफ अलीके विरुद्ध किसीको खडा नही करेंगे। कहते थे कि बंगालमे बड़ी गंदगी है। दिन-दहाड़े धावा करके काग्रेसके कागजपत्र उठा ले जाये, यह तो हद हो गई। फिर भी, जिन झूठी रसीदोके लिए धावा किया गया, वे तो धावा करनेवालोके हाथ लगी ही नही। कहते है, इस धावेमें कांग्रेसके प्रसिद्ध स्वयसेवक थे। काका अभी ज्वरसे पूरी तरह मुक्त नही हुये है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३४-७

५८. पत्र : चन्द त्यागीको

२१ सितम्बर, १९३४

भाई चंद्र त्यागी,

तुमारा खत मिला।

गीताके उपरात रामायण भी पढी जाय तो अच्छा होगा।

ज्ञानमयी श्रद्धाके साथ बुद्धि तेज होती जाती है श्रद्धाके पीछे २ चलती है।

मीराबहनके बारेमें जो खत आया सुमधुर था। मीरांबहन आजकल प्रचारार्थ विलायतमें घूमती है। अक्तूबरके अंतमे यहा पहूंच जायगी।

कर्मयोगमे पूजा केवल भगवान की होती है, और भी उसकी प्रजाकी सेवासे।

जो मनुष्य रात्रिको बहूत जागता है उसे दिनमें सोनेका अधिकार है।

१. देखिए "पत्र : वामन जी० जोशीको", २०-९-१९३४।
२. देखिए "गांधी-अणे वक्तव्य", २०-९-१९३४।
३. लीडर के सम्पादक सी० वाई० चिन्तामणि।
४. पण्डित हृदयनाथ कुंजरू।

बीस नंबरका अच्छा सूत् नीकले तो काफी है।

राजकिशोरी[1] के बारेमें मैं तजवीज करूगा। आजकल मैं वर्धामे ही रहता हूँ। जनवरीमे मेरे पास आना है तो आ सकते है। वहा तकका मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नही है।

आजकल बा साबरमतीमे रामदासके पास है। रामदास बीमार है। मेरे पास प्रभावती, अमतुल सलाम, वसुमती और उमीया[2] है। महादेव, प्यारेलाल राज और पृथुराज है।

अमीना[3] अपने पतिकी देहातमे आजकल रहती है।

मेरा खुराक दूध फल और उबाली हुई कोई भाजी।

पपीता मिलनेसे खाना अच्छी बात है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

जमनालालने कानकी हड्डी पर नस्तर लगवाया था इसलिये आजकल मुबई रहते है। शायद अक्तूबरमे यहा आ जायेगे।

बापुके आशीर्वाद

श्री चन्द त्यागी
प्रिजनर
सहारनपुर[4]

[पुनश्च :]

सत्यदेवजीसे अभी पता लगा है कि राजकिशोरीको बुलानेमे कुछ मुश्केली है। शेठजीकी सम्मति चाहिये।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२७०) से।

५९. पत्र : रामसरण विद्यार्थीको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय विद्यार्थी,

खान साहब किसी भी सार्वजनिक समारोह आदिमे भाग लेना पसन्द नही करते। वे उस हालतमे ही भाग लेते है जब ऐसा करना अनिवार्य हो। वे एक के बाद दूसरे प्रस्तावको अस्वीकार करते आये हैं। [इस सम्बन्धमें] मैं आपसे किसी और

१. चन्द त्यागीके पुत्र बलबीरकी होनेवाली पत्नी।
२. जयसुखलाल गांधीकी पुत्री।
३. अमीना कुरेशी, गुलाम रसूल कुरेशीकी पत्नी।
४. मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।

व्यक्तिसे, हो सके तो किसी स्थानीय व्यक्तिसे, मिलनेके लिए कहूँगा। अब हमें बाहरी सहायताकी अपेक्षा स्थानीय व्यक्तियोंके गुणोंपर निर्भर करना सीख लेना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीराम सरण विद्यार्थी, बी० ए०
अध्यक्ष, खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी
विद्यार्थी खादी लीग
मेरठ

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

६०. पत्र: डॉ० सत्यपालको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० सत्यपाल,

मुझे लाला दुनीचन्दके सम्बन्धमें आपका पत्र मिला। आपने तो इस तरह लिखा है मानो मुझे लाला दुनीचन्द और उनकी सेवाओंके बारेमें कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वह सारी चीज एक गलतीके कारण हुई, जिसको कि सुधार लिया गया है अथवा सुधारा जा रहा है।[1]

हृदयसे आपका,

डॉ० सत्यपाल बी० ए०, एम० बी०
४२, निस्बत रोड
लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र: वल्लभभाई पटेलको", २०-९-१९३४।

६१. पत्र : विश्वनाथ गुप्तको

२२ सितम्बर, १९३४

प्रिय विश्वनाथ,

दीनबन्धु एन्ड्रयूजको लिखा आपका पत्र मुझे आज ही मिला। वे इसके बारेमें सब-कुछ भूल गये हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नीकी मृत्यु हो गई है या वह अभी जैसे-तैसे करके चल रही है।

मैं अक्टूबरके मध्यतक वर्धामें रहूँगा। इसलिए आप अक्सर वहाँ आ-जा सकते हैं। मैं जरूर यह आशा करता हूँ कि जब आपने दीनबन्धुको पत्र लिखा था तबसे आपका चित्त इस समय अपेक्षाकृत अधिक शान्त है।

श्री विश्वनाथ गुप्त
कूचा मैदान
दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

६२. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० पण्डितजी,

किशोरलालको लिखा तुम्हारा पत्र पढ़ा। कह सकते हैं कि काकाका बुखार अब उतर गया है। लेकिन देखभालकी जरूरत रहेगी। उनके विषयमें तुम जो लिखते हो वह ठीक ही है। यदि उन्होंने गुजरात छोड़ा तो इसके कारण बहुत गलतफहमी होने की सम्भावना है। काकाके त्यागपत्रका कारण कदाचित् तुम्हें मालूम न हो। उसका कारण यह नहीं है कि उन्होंने साथियोंसे सलाह-मशविरा नहीं किया था। यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसमें कुछ गलतफहमी भी है। लेकिन साथियोंसे न पूछने पर भी कलेक्टरको लिखे पत्रमें उन्होंने लिखा कि न्यासियोंका इरादा दान करनेका है। न्यासीमें ऐसा दोष नहीं होना चाहिए और इसलिए, इस दोषका प्रायश्चित्त करनेके लिए उन्होंने न्यासीके पदसे त्यागपत्र दे दिया। यह एक सही कदम था।

इसके साथ वल्लभभाई अथवा किसी अन्य व्यक्तिका कोई ताल्लुक नही है। यह तो केवल आत्मशुद्धिका अथवा आत्मजागृतिका प्रश्न था। अब तो गलतफहमी न हो इसलिए भी काका गुजरात नही छोड़ेंगे।

लक्ष्मीबहन[1] के साथ आश्रमकी किसी बडी बहनको नही रखा जा सकता। प्रत्येक अपने स्वतन्त्र मार्गका अनुसरण कर रही है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके द्वारा जितना विकास हो सके, हमारे लिए उतना ही बहुत है। लक्ष्मीबहनके लिए प्रश्न यह नही है कि उसे किसीका साथ चाहिए; उसका प्रश्न सहयोगका है। यहाँ वह अकेली पड़ गई जान पडती है। उसे हर जगह और हमेशा शायद ऐसा ही लगेगा। यदि उसके हाथमे दो-चार कन्याएँ सौंप दी जायें और वह उनकी तालीमका सारा काम अपनी इच्छानुसार चला सके तो कदाचित् उसे यह अच्छा लगेगा। उसे किसी मार्गदर्शनकी जरूरत है भी, और नही भी है। तात्पर्य यह कि जहाँ उसे शका हो वहाँ वह उससे सलाह तो ले लेकिन करे अपने मनकी, ऐसी सुविधा वह चाहती है। यह अवगुण नही है; गुण भी नही है। या ऐसा कहे कि गुण हो सकता है। उसमे केवल सेवाभाव ही हो तो वह वस्तु गुणकी तरह दीप्त हो सकती है। लक्ष्मीबहनकी स्थिति ऐसी नही है तथापि, भविष्यकी कोई स्पष्ट योजना उसके पास नही है। मुझे उससे एक बार और बातचीत करनी है। इस विषयपर पहले एक बार उससे बात कर चुका हूँ। और उस बातचीतकी मुझपर यह छाप पड़ी है। क्या वह तुम्हारे पास रह सकती है? क्या तुम यह चाहते हो कि वह तुम्हारे पास रहे? वहाँ तुम कितना कमा लेते हो? वहाँ कबतक रहना चाहते हो? आखिर तो गाँवमे ही रह कर काम करना है न?

आज कन्या विद्यालय पूरी तरह स्त्रियो द्वारा नही चलाया जा सकता। हमारे यहाँ अभी ऐसी स्त्रियाँ पर्याप्त संख्यामें नही है। कुछ संस्थाओका संचालन स्त्रियाँ करती है तथापि, उनमें भी पुरुषोका हाथ रहता है। इसमे कोई हर्ज नही। हमारे आदर्शोंके अनुसार चलनेवाली सस्थाओमे कुछ वर्षोतक पुरुषोकी जरूरत अवश्य रहेगी। यह हमारे प्रयोगका एक अग भी है। कुछ पुरुष तो ऐसे होने भी चाहिए जिनमें स्त्रियोचित गुणोंका समावेश भी हो। यदि स्त्री और पुरुष विकारवश हुए बिना कभी साथ नही रह सकते तो उनका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नही कहा जा सकता। क्या माँ-बेटा, पिता-पुत्री, बहन और भाई इस तरह नही रहते? तो फिर जिन लोगोका परस्पर कोई नाता-रिश्ता नही, क्या वे लोग इस तरह नही रह सकते? और यदि हम अपने प्रति सच्चे हुए तो भूल करनेके बावजूद किसी दिन हम देखेंगे कि जो असम्भव प्रतीत होता था, वह सम्भव हो गया है।

तुम ऐसा तो नही मानते न कि मैंने आश्रम भग करनेकी जो सलाह दी, उसके पीछे आश्रमके विषयमें निराशाकी भावना काम कर रही थी? यदि ऐसा होता तो मैं यही बात करता। आश्रमके बलिदानका निर्णय आश्रम द्वारा किये गये महान कार्यको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिए ही किया गया। बलिदान पवित्र वस्तुका

१. नारायण मोरेश्वर खरेकी पत्नी।

किया जाता है, अपवित्रका नही। जिस कारणसे आश्रमका बलिदान किया गया, आश्रम की पवित्रता उसके अनुरूप थी।

मेरे कांग्रेस छोड़नेके विचारका कारण काग्रेसमे व्यापक भ्रष्टाचार नही है, बल्कि काग्रेसके बुद्धिजीवियो और मुझमे सिद्धान्तोको लेकर जो मतभेद है—और यह मतभेद लगातार बढ़ता जाता है—वह है। भ्रष्टाचारको दूर करनेके लिए सविधानमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन दो दलोमे मतभेदको दूर करनेके लिए या तो एक दलको दूसरे दलको मार्ग देना चाहिए अथवा सघर्ष करना चाहिए। मार्ग देनेका सिद्धान्त अहिंसासे मेल खाता है। संघर्षमे तो अधिकतर हिंसा ही होती है।

शेष समाचार तो किशोरलाल लिखेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २४८) से, सौजन्य . लक्ष्मीबहन एन० खरे

६३. पत्र : नारायण एम० देसाईको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० नारायणराव[1],

अब क्या तुझे नारायणराव कहा जा सकता है? नारायण नामवाले व्यक्तिको कायर होना चाहिए या बहादुर? टॉन्सिल्स कटवाने-जैसे छोटे-से ऑपरेशनसे क्या डरना? तेरेसे भी छोटी उम्रके बच्चे ऐसा ऑपरेशन करवाते है। मणिका ऑपरेशन करवाकर हम उसे उसी समय घर ले आये थे। अब बहादुर बनोगे न? यदि ऐसा नही हुआ तो तेरी, मेरी, महादेवकी और दुर्गाकी लाज जायेगी। यह भी भले जाये, लेकिन आश्रमका भी तो अपमान होगा। बड़े-बडे भजन गानेवाला तू थोड़ी-सी पीड़ासे डर गया क्या? देख, अब लाज रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९४८२) से।

१. महादेव देसाईके पुत्र।

६४. पत्र : सुरेन्द्रको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

मै० के बारेमे तुमने जो लिखा, मै समझ गया। उसका पश्चात्तापका पत्र आ गया है। उसे गिरानेवाला उसका अहंकार और अपनी पवित्रताके बारेमे उसका अनुचित विश्वास था। उसके पश्चात्तापके पत्रमे भी मैं यह दोष देखता हूँ। अब तो अपने रहन-सहनमें हमने कुछ परिवर्तन कर लिया है, लेकिन मेरी सलाह यह है कि जब किसीको लेकर हमारे मनमे ऐसी शका उठे तब सबसे पहले हमे उसे सावधान करना चाहिए। और फिर, जिस संस्थामें वह रहता है, उसके अधिष्ठाता को बता देना चाहिए। मुझे यदि इसकी भनक भी मिली होती तो कदाचित् उसका हित हो सकता था और विषयोका जो सेवन उसने वर्षोतक किया है, वह न कर पाता। शर्माका कहना है कि उसने चेतावनी दी थी। मुझे याद नही है। लेकिन उसकी परीक्षा-शक्तिपर मुझे उस समय तो तनिक भी विश्वास न था, आज भी बहुत नही है। मनुष्यकी बुराइयाँ उसे तुरन्त दिखाई दे जाती है, ऐसे दो उदाहरण तो मैंने उसे स्पष्ट बता दिये थे। लेकिन जब तुम कहते हो तब मुझे उसपर विचार तो करना ही पड़ेगा।

कन्याओंके बारेमें तुम जो कहते हो, वह जागरूक व्यक्तिके लिए तो ठीक है। लेकिन हमारे प्रयोगके अन्तर्गत उनके साथ सम्पर्ककी बात आती ही है। किन्तु चूंकि हमारा तौर-तरीका भिन्न है और हमारे प्रयोगमें आधुनिक स्वच्छन्दता-सम्बन्धी विचारोका मिश्रण हो गया है, इसलिए उसमें निष्फलतका आभास होता है। लेकिन कुल मिलाकर मेरी राय यह है कि हमारा प्रयोग निष्फल नही गया है। हमारा प्रयोग जिस सत्यपर आधारित है, उसे हम न भूलें। वह सत्य यह है कि आत्मा ही आत्माका मित्र और शत्रु है। हम कन्याओको अपनी रक्षा करनेकी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते है, उसी तरह युवकोका भी हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। हम मर्यादाकी सीमारेखाएँ निर्धारित करें। हमारे हिसाबमे गलतियाँ हो सकती है; उन्हे हम सुधारते जाये। व्यभिचार आदि पापकी अपेक्षा मैं असत्यको अधिक भयकर पाप मानता हूँ। सत्यकी आराधनामे हम थकें नही तो सब कुशल ही है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

६५. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

पानी तो किसीके भी हाथका पी लेना चाहिए, हाथ साफ न हो या वर्तन साफ न हो तो अलग बात है। यदि उस सेवककी माँ के वारेमे तुम अपवाद रूपमे इस नियमको नही मानना चाहते तो भले ऐसा ही करो। मुझे तो वह भी खटकेगा। यदि हम उक्त नियमके पालनमे इस तरह अपवादको जगह देगे तो आश्रममे वैमनस्य फैलनेकी सम्भावना है। मेरी दृष्टि तो इतनी दूरतक जाती है कि वाहर जो रोटी-बेटीकी मर्यादा है सो ठीक है, लेकिन आश्रममे रोटीकी मर्यादाको सहन नही किया जाना चाहिए। इसलिए जिसे हम किरायेदारके रूपमे रखते है, वह यदि इस मामलेमे हम जितनी दूरतक जाते है, उतनी दूरतक जानेको तैयार हो तो ही ठीक होगा। जिन व्यक्तियोकी हमे कार्यकी दृष्टिसे जरूरत होगी यदि उनमे से कोई छुआछूतको मानने वाला हो तो हमे कदाचित् उसे सहन करना होगा। उदाहरणके लिए, यदि हमे किसी हरिजनके लिए कारीगरकी जरूरत पडे और वह यह कहे 'मै तो हरिजनोके साथ न खाऊँगा, न पीऊँगा' और हमे उसके स्थानपर अन्य कोई व्यक्ति न मिले तो हम कदाचित् उसे सहन करेगे। लेकिन तुम्हारे प्रश्नोमे ऐसा तो कोई प्रश्न नही है।

सरदारको अभी तुम सन्तोष नही दे सके हो। दे सको तो देना। उन्होने जो प्रश्न उठाया है उसका पुस्तकालयके साथ कोई सम्बन्ध नही है, यह बात तुम्हे निश्चित रूपसे जान लेनी चाहिए। सरदारने मेरा दोष तो नही बताया, लेकिन काकाके दोषमे मेरा दोष भी आ ही जाता है। और फिर मै भले ही ट्रस्टी न होऊँ, फिर भी मै अत्यन्त सावधान चौकीदार तो अवश्य माना जाता हूँ। इस दृष्टिसे विचार करनेपर कह सकते है कि मुझे काकाको कलेक्टरको पत्र लिखने से बचाना चाहिए था। पूरी छानबीन किये बिना इस पत्रमे मैंने अन्य ट्रस्टियोका उल्लेख कैसे करने दिया? लेकिन "समरथको नहि दोष गुसाई"[1] वाली बात मुझपर भी लागू होती है न? मैंने इस बात की ओर ध्यान नही दिया, सो बात नही। लेकिन मैंने अपने-आपको इस मामलेमे डाला ही नही। इतना ही बहुत है कि मैंने इस सत्यको समझ लिया। मै इससे अधिक सावधानी और बरत भी क्या सकता था? यदि मै यह मानकर न चलूँ कि सब कोई अपनी-अपनी जिम्मेदारीको समझकर काम करते है, तो फिर मैं इतने सारे काम नही कर सकता। मैंने अपना सारा जीवन इसी तरह विताया है। नैतिक उत्तरदायित्वको मैंने स्वीकार किया है, और इसीसे सन्तोष माना है।

१. रामचरितमानस, बालकाण्ड।

इतना सब लिखनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि वल्लभभाई भी मन-ही-मन यह सब समझ गये हैं तथा उन्होंने, उन्हें जो उचित लगा, सो निडर होकर किया है। इसलिए यदि उनके मनमें काकाके प्रति कोई पूर्वग्रह हो तो उसके लिए इस घटनाको उत्तरदायी नही माना जा सकता। और इसलिए यदि काकाने अतीतमें कुछ किया हो तो उसे काकाके इस समय गुजरात छोड़नेके लिए कतई कारणभूत नही माना जा सकता। इसलिए सरदारके विरुद्ध एक भी शब्द नही बोला जाना चाहिए। काकाका सदैव ऐसा ही मत रहा है और हमे उनके इस मतमें परिवर्त करवानेका प्रयत्न करना चाहिए। मैंने तो जेलमें भी काकाको यही समझानेका प्रयत्न किया है और अभी भी काकाको यही समझा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त चूँकि काकाके गुजरात छोड़नेकी बातसे सरदारका नाम् जुड़ गया है और इसके लिए उनकी निन्दा भी हुई है अतः काकाके कर्त्तव्यकी दृष्टिसे यह और भी आवश्यक हो गया है कि वे गुजरात न छोड़ें। ऐसा होनेपर ही इस निन्दाके पख कट सकेंगे। अन्यथा यह पक्षी उड़ान भरता ही रहेगा।

यह दलील तुम्हारे गले उतरती है या नही?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई

६६. पत्र: हीरालाल शर्माको

२२ सितम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत मिला है। ...[1] 'म' के बारेमे तुमने लिखा था सो याद नही है। लेकिन उस युगमे तुम्हारी परीक्षा शक्तिके लिए मेरे मन में आदर कहां था? आज भी बहुत नही है। जल्दीसे खयाल बॉंध लेते हो ऐसे दृष्टात कहां मेरे पास कम हैं। लेकिन उसकी कोई हरज नहीं है। मलेरियाके बारेमे तुम्हारा लेख पढ गया।...[2]

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १०६-७

१ और २. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

६७. प्रस्तावना : 'वर्ण-व्यवस्था' को[1]

२३ सितम्बर, १९३४[2]

वर्ण-धर्मपर मैंने आजतक जो-कुछ लिखा है, यह छोटी-सी पुस्तक उसका एक संग्रह है। यह कई महीनों पहले छप चुकी थी, लेकिन प्रस्तावना न होनेसे पड़ी रही। मैंने प्रस्तावना लिख देना मंजूर किया था। पर हरिजन-यात्राके कारण आजतक लिख ही न सका। अलग-अलग मौकोंपर लिखी हुई सारी सामग्री एक बार पढनेके बाद प्रस्तावना लिखना चाहता था। यह इच्छा तो आज भी पूरी नही कर सकता। शायद इसीमे भला है। मुझे आगे-पीछेका सम्बन्ध अटूट रखनेका लालच नही है। सचाईको नजरके सामने रखकर आज जो-कुछ मैं मानता हूँ, वही कह देना ठीक है। प्रकाशक भी यही चाहते है। यह देखना कि आगे-पीछेका सम्बन्ध बना रहता है या नही, पढ़नेवालेका काम है। जहाँ उसमें पढनेवालेको मेल बैंठता न दीखे, वहाँ मेरे मनकी हालत जाननेके लिए उसे पिछले लेखोको छोडकर इस प्रस्तावनामे लिखे हुए को सही मानना चाहिए। मै सब-कुछ जाननेका दावा नही करता। मेरा दावा सचाईपर डटे रहनेका और जिस वक्त जो सच मालूम हो, उसीके मुताबिक, जहाँ तक हो सके, अमल करनेका है। इससे जाने या अनजानेमे मुझमे परिवर्तन या तरक्की, जो-कुछ कहिए, हो सकती है। जहाँ जान-बूझकर तबदीली सूझती है, वहाँ तो मै उसे लिख ही देता हूँ। लेकिन बारीक तबदीलियाँ तो अनजानमे ही हुआ करती है। उनकी याद कहाँसे रखी जाये? वह सतर्क पाठक ही रख सकता है।

लोग मामूली व्यवहारमे वर्ण-धर्म समासका इस्तेमाल कम ही करते है। 'वर्णाश्रम-धर्म' समास काममे लानेका रिवाज लोगोमे ज्यादा है। इस छोटी-सी पुस्तकमे आश्रम यानी उम्रके चार हिस्सोके बारेमे थोड़ा लिखा है। ज्यादा तो वर्ण यानी समाजके चार हिस्सोपर ही लिखा है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि हिन्दू-धर्मका सच्चा नाम वर्णाश्रम-धर्म है। हिन्दू नाम परदेशी मुसाफिरोका रखा हुआ जान पड़ता है। और उसका सम्बन्ध भूगोलके साथ है। हमने जिस धर्मका पालन किया है, उसे अगर कोई खास और मतलब-भरा नाम दिया जा सकता हो, तो निश्चय ही वह नाम वर्णाश्रम-धर्म है। यह कहनेसे कि हिन्दुओका धर्म आर्यधर्म है, धर्मके बारेमें कोई जानकारी नही मिलती। इसका मतलब तो इतना ही हुआ कि हिन्दू यानी सिन्धुके पूर्वमे रहनेवाले लोग अपनेको आर्य मानते

१. मूल गुजराती प्रस्तावना हरिजनबन्धु में 'वर्णाश्रम धर्म' शीर्षकसे १६-९-१९३४ और २३-९-१९३४ को दो किस्तोंमें निकली थी:

२. वर्ण-व्यवस्था के अनुसार।

है और दूसरोंको अनार्य, या वेदका धर्म माननेवाले खुदको आर्य और दूसरोंको अनार्य समझते हैं। ऐसे नाममें मुझे तो दोष भी दिखाई देता है। वर्णाश्रम-धर्मसे धर्मकी विलक्षणता जाहिर होती है। यह विचार ठीक हो या न हो, इतना तो सब मानेंगे कि वर्णाश्रमको हिन्दू-धर्ममें बड़ी जगह दी गई है। स्मृतियोंके जमानेकी एक भी धर्म-पुस्तक ऐसी नहीं देखनेमें आती, जिसमें वर्णाश्रम-धर्मको बहुत बड़ा स्थान न दिया गया हो। वर्णाश्रमकी जड़ तो वेदमें ही है। इसलिए कोई हिन्दू वर्णाश्रमकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस प्रथाको समझकर और फिर उसमें कोई दोष दिखे, तो उसे सोच-समझकर छोड़ देना चाहिए; लेकिन जहाँ यह वस्तु धर्मकी निर्दोष विशेषता हो, तो इसकी परवरिश करनी चाहिए। वर्णाश्रममें से आश्रम-धर्मका तो नाम और अमल दोनों मिट गये, ऐसा कहा जा सकता है। हिन्दू-धर्ममें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम माने गये हैं, और ये हर हिन्दूके लिए है। लेकिन ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थका पालन शायद ही कोई करता होगा। नामका सन्यास थोडी मात्रामें भले ही पाला जाता हो, मगर चारों आश्रम एक-दूसरेके साथ इस तरह जुडे हुए हैं कि एकके बिना दूसरा पाला ही नहीं जा सकता। जिसका आज सब पालन करते हैं, वह तो गृहस्थ 'वृत्ति' है, गृहस्थ 'धर्म' नहीं। पर याद रखना चाहिए कि गृहस्थ-वृत्ति यानी प्रजावृद्धिका काम तो दुनियामें सभी कोई करते हैं। धर्ममें मर्यादा, विवेक वगैरह होते हैं। इसलिए जो दम्पति मर्यादा और विवेकके साथ रहते हैं, वे गृहस्थ-धर्मका पालन करते हैं। जो मर्यादाके बिना चलते हैं, वे फर्ज अदा करनेवाले नहीं, बल्कि स्वेच्छाचारी हैं, और आजकी गृहस्थ-वृत्ति तो ज्यादातर मनमानी है और व्यभिचारका ही पोषण करती है। व्यभिचारी या स्वेच्छाचारी जीवनके बाद वानप्रस्थ और संन्यासको नामुमकिन समझना चाहिए। इससे यही मानना चाहिए कि आश्रम-धर्म तो मिट ही गया। उस धर्मको फिरसे ऊँचा उठाना जरूरी है। यह किस तरह हो सकता है, इसका विचार करना इस प्रस्तावनाके क्षेत्रके बाहर है।

अब वर्ण-धर्मपर आये। असलमें वर्ण चार माने गये हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आज तो वर्ण बेशुमार हैं। फिर भी लोग अपनेको चार वर्णोंमें गिना सकते हैं। कोई अपनेको ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय और कोई वैश्य। अपनेको शूद्र बतानेमें सबको शर्म आती है। शूद्र अपना परिचय उपजातियोंसे ही देते हैं। तीन वर्णोंमें भी उपजातियाँ हैं, मगर उन्हें अपनेको ब्राह्मण वगैरह बतानेमें शर्म नहीं आती। इस तरह वर्ण नामके ही रह गये हैं।

लेकिन मनुष्य अपने साथ कोई विशेषण लगा ले, तो इसीसे वह उसके लायक नहीं बन जाता। काले रंगका आदमी अपना रंग लाल कहे तो लाल नहीं हो सकता। इसी तरह अपनेको ब्राह्मण बताकर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। ब्राह्मण होनेकी आखिरी कसौटीपर तो वह तब खरा उतर सकता है, जब ब्राह्मणके गुण अपनेमें मूर्तिमन्त कर ले। इस तरह सोचनेपर हम देखेंगे कि वर्ण-धर्म भी मिट गया है। अगर व्यवहारके आधारपर हम 'वर्ण' तय करें तो यह समझा जा सकता है कि हम सब शूद्र हैं। लेकिन असलमें तो हम शूद्र भी नहीं माने जा सकते,

क्योकि धर्मशास्त्रमे तो वर्णको धर्म माना है। इसलिए शूद्र-वर्ण भी धर्म है। और धर्म तो अपनी मरजीसे मंजूर किया जाता है। उसके पालनमे शर्मकी गुजाइश ही नही है। धर्मके तौरपर शूद्रपनका अमल करनेवाले कितने नजर आयेगे? दिनोके फेरसे हम शूद्रपनको पहुँच गये है। कोई यह कहे कि विभिन्न वर्णोके काम तो होते ही रहते है, इसलिए वर्ण-धर्म नही मिटा है, अगर वे कहे कि जो आदमी जिस वर्णका काम करता है, वह उसी वर्णका गिना जायेगा, तो मेरे खयालसे यह वर्ण-धर्म नही है। जहाँ काममे मिलावट हो और सब अपनी-अपनी मरजीसे जो अच्छा लगे वही करे, तो मै उसे वर्णका सकर हुआ मानूँगा। वर्णका जन्मके साथ अनिवार्य नही तो बहुत नजदीकका सम्बन्ध अवश्य है। जो जिस वर्णमे पैदा हो, वह उस वर्णका काम धर्म-भावनाके साथ करे, तो वह वर्ण-धर्मका पालन करता है। इस तरह धर्मका पालन करनेवाले आज उँगलियोपर गिने जा सकते है। वर्ण-धर्मके पालनमे स्वार्थकी गुजाइश नही, या है तो गौण है। वर्ण-धर्ममे तो परमार्थ ही हो सकता है, या कमसे-कम उसका स्थान मुख्य हो। ब्राह्मण ब्रह्मको जानने और जतानेमे ही वक्त लगाये और यह माने कि उसका गुजर भगवान चलाता है। क्षत्रिय प्रजाके पालनका फर्ज अदा करे और उसके बदलेमे हदके भीतर गुजारेके लिए खर्च ले। वैश्य जनताकी भलाईके लिए खेती, गोपालन और व्यापार करे, जो रुपया मिले, उसमे से सच्चा वैश्य अपनी गुजरके लायक रखकर बाकीको लोगोकी भलाई मे लगा दे। इसी तरह शूद्र सेवा करे तो धर्म समझकर करे।

आम तौरपर वर्णका निर्णय जन्मसे किया जाता है। एक हदतक कर्मसे भी किया जाता है। ब्राह्मणका लडका ब्राह्मणके घर पैदा होकर ब्राह्मण तो कहलायेगा, मगर बड़ा होनेपर उसमे ब्राह्मणके लक्षण या गुण न दिखे तो वह ब्राह्मण नही माना जायेगा। वह तो पतित हो गया। इसके विपरीत, जो दूसरे वर्णमे पैदा होकर अपने जीवनमे ब्राह्मणके लक्षण साफ-साफ और रोज प्रकट करे, वह भले ही खुदको ब्राह्मण न कहे तो भी ब्राह्मण माननेके लायक होगा। दुनिया उसे ब्राह्मण ही मानेगी।

इस धर्मके मुताबिक अगर दुनिया चले तो सब जगह सन्तोष फैले, झूठी होड़ मिटे, ईर्ष्या दूर हो, कोई भूखो न मरे, जन्म-मरण बराबर रहे और बीमारियाँ जाती रहे।

लेकिन वर्ण अगर धर्म बन जाये और अधिकार न रहे, तो वर्ण-वर्णके बीच भेद न रहे और सब वर्ण बराबर हो जाये। बहुत समयसे हिन्दू-धर्ममे धर्मके नाम पर ऊँच-नीचके भेद घुस गये है। यह वर्ण-धर्मका विकृत रूप है, भयकर रूप है। हमारे पुरखोने कठिन तपस्यासे जिस बडे नियमको ढूँढा और जिसपर भरसक अमल किया, उसका अनर्थ करके आज हमने उसे दुनियाके लिए हँसीकी चीज बना दिया है। नतीजा यह है कि आज हिन्दुओमे भी ऐसा फिरका निकल पड़ा है जो वर्ण-व्यवस्थाका नाश करनेपर तुला हुआ है, क्योकि वह मानता है कि वर्णसे हिन्दू-जाति पामाल हुई है और आज वर्णके नामपर जो हालत पाई जाती है, उसमे तो हिन्दू-जातिका नाश ही है।

आज रोटी-बेटीके व्यवहारकी हदबन्दीतक ही वर्ण-धर्मका पालन मर्यादित होकर रह गया है। ब्राह्मण ब्राह्मणके साथ और उससे भी बढकर अपनी उपजातिके साथ ही रोटी-बेटी-व्यवहार रखेगा और उसीमे अपने धर्मकी इतिश्री मानेगा। उत्तर भारतमें कहावत है कि 'आठ कनौजिये नौ चूल्हे।' यह है धर्म पालन! सब एक-दूसरेके छूनेसे नापाक हो जाते है। इसी तरह खाने-पीनेके बारेमे जो विवेक रखा जाता है, उसे भी वर्ण-धर्मका अग मानकर ब्राह्मणपन या क्षत्रियपन वगैरहका अन्त इसीमे समझा जाता है कि फलां चीज खाई जाये या न खाई जाये। फिर क्या अचरज कि दुनिया ऐसे धर्मको दुतकारती है और कितने ही समझदार हिन्दू भी इस अव्यवस्थाको मिटाने पर तुले हुए है!

यहाँ मेरे कहनेका मतलब यह बिलकुल नही है कि रोटी-बेटी-व्यवहारकी मर्यादा या खानपानके विवेककी गुंजाइश ही नही है। मै खुद चाहे जिसके साथ चाहे जो खानेको न धर्म मानता हूँ, न उसे पालता हूँ। चाहे जिसके साथ विवाह-सम्बन्ध करना मै मनमानी समझता हूँ। जिस तरह हर व्यवहारमे कडी मर्यादा या संयम जरूरी है, उसी तरह इसमे भी जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि खाद्याखाद्यका भी शास्त्र है। मनुष्य सब-कुछ खानेवाला प्राणी नही है। उसके खानेकी चीजोकी भी हद है। लेकिन रोटी-बेटी-व्यवहार और खानपानके विवेकपर वर्ण-धर्मका दारोमदार नही है। वर्ण-धर्म एक अलग ही शास्त्र है। मै समझ सकता हूँ कि एक वर्णकी दूसरे वर्णमे शादी करनेमे कोई बुराई नही है। मै मानता हूँ कि सफाई वगैरहके नियमोका पालन करते हुए और खानपानमे विवेक करते हुए सब वर्णके लोग एक पगतमे बैठकर खाये तो कोई दोष नही है। पुराने जमानेमे इस तरह रोटी-बेटी-व्यवहार होनेके बहुत-से सबूत हैं। रोटी-बेटी-व्यवहारको वर्ण-धर्मके साथ जोड देनेसे हिन्दू-धर्मको भारी नुकसान पहुँचा है।

यह सही है कि वर्ण-धर्मकी खोज हिन्दू-धर्मंमे हुई है, मगर इससे कोई यह न माने कि ये नियम हिन्दुओपर ही लागू होते है और दूसरोपर नही होते। हर धर्ममे कोई-न-कोई विशेषता होती ही है। मगर यह विशेषता उसूलके तौरपर हो तो वह सब जगह फैल जानी चाहिए। दुनिया भले ही आज उसे न माने। वह उस हदतक घाटेमे रहेगी। वर्ण-धर्मके बारेमे मेरी यही मान्यता है। इसे मै एक बड़ी भारी खोज मानता हूँ। आज नही तो कल, दुनियाको उसे मानना ही होगा।

इस उसूलको थोड़ेमे इस तरह रखता हूँ: जो आदमी जिस खानदानमें पैदा हो वह उसका धन्धा, अगर वह नीतिके खिलाफ न हो तो, धर्मभावसे करे और उसे करते हुए जो आमदनी हो, उसमें से मामूली गुजरके लायक रखकर बाकीको सार्वजनिक भलाईमें लगाये।

चार वर्णोको वेदमे शरीरके चार अगोकी उपमा दी गई है। शरीरके अंगोमें यह भेद नही होता कि एक उच्च और दूसरा नीच है; अगोमें समझ हो और वे ऊँच-नीचका भेद रखे, तो शरीर-रूपी राष्ट्रके टुकड़े-टुकड़े हो जाये। इसी तरह जगतका राष्ट्र भी अपने वर्ण-रूपी चार अगोके बीच ऊँच-नीचका भेदभाव रखे तो टुकड़े-टुकड़े

हो जाये। आज जगतमे ऊँच-नीचके भेद है, और जगतमे जो आपसी झगडा चल रहा है, उसके वे खास कारण है। इस बातके समझनेमे मामूली आदमीको भी मुश्किल नही होनी चाहिए कि यह लडाई वर्ण-धर्मपर चलनेसे मिट सकती है। वर्ण-धर्ममे हर वर्णको अपना-अपना काम धर्म समझकर करना है। पेट भरना तो इसका अल्प-सा फल है। यह मिले या न मिले, तो भी चारो वर्णोको अपने-अपने धर्ममे लगे रहना है। इस वर्ण-धर्मपर अमल हो, तो आजकल दुनियामे जो ऊँच-नीचकी भावना मौजूद है, उसकी जगह बराबरीका बोलवाला रहे, सारे धन्धे इज्जत और कीमत, दोनोमे एक-से समझे जाये और मत्री, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, चमार, बढई, भंगी और ब्राह्मण बराबर-बराबर कमाये। जहाँ वर्ण-धर्मका पालन होता हो वहाँ ऐसी दयनीय हालत हो ही नही सकती, न होनी ही चाहिए कि तीन वर्ण ज्यादा कमाये और शूद्र थोडा कमाये, या क्षत्रिय महलोमे चढकर बैठे, ब्राह्मण भिखारी यानी झोपडेमे रहे, वैश्य बडी-बडी हवेलियाँ बनाये और शूद्र विना घरबारके गुलाम बनकर रहे।

मेरे कहनेका मतलब यह नही कि जिस वक्त वर्णाश्रम-धर्म खोज निकाला गया था, उस वक्त हिन्दू-समाज इस आदर्शतक पहुँच गया था। मुझे मालूम नही कि किस समय वर्ण-धर्म इस ऊँचे दर्जेतक पहुँचा था। मगर मै इतना कह सकता हूँ कि वर्ण-धर्म का आदर्श यही हो सकता है। समझदारके लिए इस धर्मपर चलना सहल है। ऐसा वर्ण-धर्म सिर्फ हिन्दुओके लिए ही नही, बल्कि सारी दुनियाके सब समझदार लोगोके लिए है।

इस व्यवस्थामे जिसके पास जो जायदाद होगी, उसका वह सारी जनताके लिए रक्षक होगा। वह अपनेको कभी उसका मालिक नही मानेगा। राजा अपने महलका या वह प्रजासे जो कर वसूल करता है उसका मालिक नही, बल्कि रक्षक है। वह अपने लिए पेट-भर लेकर बाकीको प्रजाके लिए खर्च करनेको बँधा हुआ है। यानी प्रजासे वह जितना लेगा उसमे अपनी होशियारीसे बढोतरी करके उसी प्रजाको किसी-न-किसी तरह लौटा देगा। यही बात वैश्यकी है। शूद्रका तो कहना ही क्या? और अगर किसी भी तरह मुकाबला किया जा सकता हो तो जो शूद्र सिर्फ धर्म समझकर सेवा ही करता है, जिसके पास कोई जायदाद कभी होनेवाली ही नही और जिसे मालिक बननेका लालचतक नही, वह हजार नमस्कारके लायक है और सबसे ऊँचा है। धर्मपर चलनेवाला शूद्र अवश्य ही अपने बारेमे ऐसा नही समझेगा, लेकिन देवता तो उसपर फूल बरसायेगे। यह वाक्य आजकलके सेवा करनेवालोके बारेमे भले ही शोभा न दे। वे चप्पा-भर जमीनके मालिक न होकर भी मालिकी चाहते है। यानी वे अपने शूद्रपनको सुख देनेवाले धर्मके तौरपर नही देखते, बल्कि भोगकी इच्छा पूरी न होनेसे दुःखदायी समझते है। इसीलिए मैने तो आदर्श शूद्रको प्रणाम किया है, और दुनियासे कहता हूँ कि वह भी उसके सामने सिर झुकाये।

लेकिन शूद्रका यह धर्म उसपर लादा नही जा सकता। तीन वर्ण अपनेको प्रजाके सेवक मानते हो और जो जायदाद उनके पास हो, सबकी भलाईके लिए अपनेको उसका रक्षक साबित कर सकते हो, तभी उनके मुँहसे शूद्र-धर्मकी बड़ाई अच्छी

लग सकती है। आज तो जहाँ तीन वर्ण सिर्फ नामके रह गये है, अपना धर्म पालने की किसी को सूझती नही और अपनेको ऊँचे वर्णका मानकर शूद्रको हलके वर्णका समझते है, वहाँ इसमे कोई अचरज की बात नही, दुःखकी बात भी नही कि शूद्र उनसे ईर्ष्या करे और जो सम्पत्ति लेकर वे बैठ गये है उसमे हिस्सा बँटाना चाहे। वर्णको धर्म बताकर शोधकोने ऐसा सुझाया है कि वर्ण-धर्मपर अमल करनेमे जबरदस्तीकी बू तक नही आनी चाहिए। वर्ण-धर्मका पालन करनेसे ही दुनियाका काम चल सकता है। इस धर्मका पालन करनेसे ही जगतका छुटकारा है। और इस धर्मपर अमल करानेके लिए हर वर्णको खुद उसपर अमल करते-करते मर जाना है, दूसरोसे जबरदस्ती अमल नही कराना है।

जहाँ होड बहुत अच्छी समझी जाती है, रुपया कमाना बहुत बडा काम माना जाता है, जहाँ सब जैसा जी मे आये, वैसा धन्धा करनेकी अपने लिए छूट मानते है और जहाँ सब जिस माली हालतमें है उससे ज्यादा अच्छी कर लेना अपना धर्म समझते है, ऐसे जमानेमे यह कहना कि वर्ण-धर्म जगतका बहुत बडा नियम है, हँसीके लायक बात मालूम देती होगी। इसको फिरसे ऊँचा उठानेकी बात करना उससे भी ज्यादा दिल्लगी मानी जा सकती है। फिर भी, मुझे पक्का भरोसा है कि आजकलकी भाषामे कहे तो यही सच्चा साम्यवाद है। 'गीता'की भाषामे यह बराबरीका 'धर्म' है, 'वाद' नही। इस धर्मपर थोडा अमल करनेसे भी अमल करनेवालेको और दुनियाको सुख मिलता है।

यहाँ यह कहना जरूरी है कि वर्ण-धर्मका यह लाजमी अंग नही कि वर्ण चार ही होने चाहिए, सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि सब अपने-अपने वर्ण-धर्मका अमल करके उसीमें से रोजी निकाल ले। वर्ण-धर्मको फिरसे उठानेका विचार करते हुए शायद ऐसा मालूम पडे कि वर्ण चार नही बल्कि ज्यादा या कम होने चाहिए, तो मुझे खुदको अचम्भा नही होगा।

मो० क० गांधी

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, १६-९-१९३४ तथा २३-९-१९३४

६८. 'गरीबीमें अमीरी'

मेरे एक मित्र है, बहुत पढ़े-लिखे। रुपये-पैसेसे सुखी है। सासारिक सुखोका उपभोग उन्होने काफी किया है। इधर कुछ वर्षोसे उन्होने वाहनमात्रका उपयोग छोड दिया है। सर्दीमे, गर्मीमे, आरोग्यमे, बीमारीमे, उन्होने आग्रहपूर्वक अपने इस व्रतको निभाया है। उनके आचरणमे मुझे कही-कही अतिका दोष दिखाई पडा है। लेकिन उनके आचरणका काजी बननेवाला मै कौन? मेरे साथ उनका पत्र-व्यवहार चलता रहता है। उनका एक पत्र मुझे हरिजन-यात्राके दौरान मिला था। उसे मैंने 'हरिजनबन्धु' के पाठकोके लिए सँभाल रखा है। उसमे से मै निम्नलिखित अश उद्धृत करता हूँ

> मैंने अनेक व्रत किये, लेकिन इन सबमें पैदल चलनेका व्रत खूब आनन्द-दायक सिद्ध हुआ है। कई अनुभव हुए और होते जा रहे हैं। ईश्वर पर मेरी श्रद्धामें पुष्कल वृद्धि हुई है; आजसे दो वर्ष पहले जब मैं अहमदाबादसे निकला था तब मुझमें २०-२५ प्रतिशत श्रद्धा रही होगी, अब वह कोई ७५ प्रतिशत हो गई होगी।
>
> गरीबी और अमीरी, मैंने दोनों देखी है। अमीरोंमें कुल मिलाकर अभिमान अधिक पाया और अनेक स्थानोंपर स्वच्छन्दता दिखाई दी। अधिकारियोंमें प्रायः सत्ताका मद देखा। गरीबीमें स्वाभाविक रूपसे ईश्वरपरायणता, सेवाभाव और कष्टोंको सहनेकी शक्ति दिखाई दी। "गरीबी खुदाको प्यारी है, अमीरी उसकी तुलनामें तुच्छ है"—इस उक्तिके सत्यका अनुभव किया। ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे हमेशा गरीब अर्थात् फकीर बनाये रखे। मुझमें कभी कोई चीज अपने पास रखनेकी वृत्ति न हो। एक जूनका भोजन भी संग्रह कर रखनेकी वृत्ति न हो।
>
> संसारके लोगोंमे मैंने पापियोंके प्रति तिरस्कार-भाव पाया, हालाँकि इस दोषसे हममें से कौन व्यक्ति मुक्त हो सकता है? पापसे घृणा करो, पापीसे नहीं — इस महासूत्रको मै समझ गया हूँ।

इस पत्रके लेखकने ठेठ उत्तरतक पैदल यात्रा की है। वे सैकडो गाँवोसे होकर गुजरे है। इसलिए उनका अनुभव मूल्यवान है, विचारणीय है। पैदल चलनेका और अपरिग्रहका जो चमत्कार उन्होंने देखा है, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिणके लोगोने भी उसी चमत्कारके दर्शन किये है। थोरो ने पैदल चलनेकी प्रशसामे एक पुस्तक लिख डाली है। दुनियामे धार्मिक क्रातियाँ करनेवाले जो महान सुधारक हो गये है, उन्होने वाहनका उपयोग शायद ही किया हो। आज जो वात विमानमे वैठकर एक स्थानसे

दूसरे स्थानपर जानेवाले मनुष्य नही कर सकते, वह बात पूर्वजोने निश्चयपूर्वक की है, इस सत्यको हमे भुलाना नही चाहिए। "उतावला सो बावरा, धीरा सो गम्भीर", यह लोकोक्ति अंग्रेजीकी एक प्रसिद्ध कहावतका अनुवाद जान पडती है। लेकिन ये दोनो वचन समान अनुभवसे स्वतन्त्र रूपसे उद्भूत हुए है। ये पहले भी सच थे, और आज भी है।

[मै जानता हूँ] इस व्रतधारीके व्रतकी बातको पढकर सब कोई पैदल नही चलने लगेगे, सब गरीब बननेकी प्रार्थना नही करेगे, सब पाप और पापीके भेदको समझकर पापीपर प्रेम और पापसे द्वेष नही करने लगेगे। लेकिन यदि सब लोग इस भावनाके महत्त्वको समझकर उसके अनुरूप यथाशक्ति आचरण करेगे तो भी यह कम उपलब्धि नही होगी। हरिजन-सेवक तो इससे भिन्न कतई कुछ कर ही नही सकता।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २३-९-१९३४

६९. धर्मके नामपर लूट

अकलेश्वरसे श्री छोटालाल गाधीने सजोदके हरिजनोके विषयमे जो पत्र लिखा है, उसके कुछ अश नीचे दे रहा हूँ[१]

तलाजाका घाव ताजा ही था कि यह दूसरा आ पडा। घर-घर माटीके चूल्हे है। कायदा कहता है कि जो नागरिक-अधिकार सवर्ण हिन्दुओके लिए है, वही हरिजन हिन्दुओके लिए भी है। अफसर लोग मदद भी करना चाहते है, किन्तु लगता है कि धर्मान्ध हिन्दुओने शासकोके हुक्म और कायदेको ताकपर धर दिया। ऐसे अन्ध-विश्वाससे कैसे जीते? लगता है कि अहिंसा हार रही है, प्रेम सूखा जा रहा है, किन्तु 'जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सर्‌यो नहिं काम, निरबलके बल राम।' भजनकी ये पंक्तियाँ मेरी कलमसे निकल रही है और मुझे सान्त्वना दे रही है। चारो तरफ अन्धकार हो और तब भी अहिंसाकी किरण चमकती रहे, तभी उसे अहिंसा कहना चाहिए। हिंसाका निवारण अहिंसासे और घृणाका निवारण प्रेमसे और असत्यका निवारण सत्यसे उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार सूर्यकी धूपसे शीतका निवारण निश्चित है।

यदि सजोदके सुधारक धर्मपर दृढ रहे तो अन्तमे उनकी विजय निश्चित है। आज सवर्ण धर्मान्ध हिन्दू वहाँ खुशीसे नाच रहे हो तो नाचे। सुधारकोको चाहिए कि सताये गये हरिजनोको सँभाले। उन्हे दृढताके साथ इस नियमका पालन करना चाहिए कि जो सुविधा हरिजनोको नही मिलने दी जाती, वे भी उसका उपभोग नही

१. यहाँ नही दिया गया है। अधिकारियोंके इस बातपर जोर देनेपर कि अन्य विद्यार्थियोंके साथ हरिजन विद्यार्थियोको भी शालामें बैठने देना चाहिए, सजोदमें हरिजनोंके प्रति अत्याचार किये गये थे।

करेंगे। जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ शासनकी मदद भी अवश्य ली जाये। वे सवर्ण हिन्दुओंसे मर्यादामें रहनेकी प्रार्थना भी करें। यदि हरिजन सार्वजनिक संस्थाओंमें जाने आदिका अपना अधिकार काममें लाते हैं और धर्मान्ध लोग इसकी छूत मानते हैं तो वे चाहें तो घर जाकर स्नान करें, और अगर उसका कोई प्रायश्चित्त भी करना चाहें तो करें, किन्तु हरिजनोंको दण्ड देनेके विषयमें शास्त्रने कोई आज्ञा नहीं दी है। शास्त्र कहता है कि जो अपनेको [छू जानेसे] अपवित्र हुआ समझते हैं, वे स्नान आदि प्रायश्चित्त कर सकते हैं। जिसे छूत लगी हो शास्त्री उसे स्नान करनेको कहते हैं, किन्तु वे हरिजनोंको सताने या मारनेकी बात कभी नहीं सिखाते। यह बात इतनी साफ और सरल है कि सुधारकोंको आत्मविश्वासपूर्वक अहिंसाकी मर्यादाका पालन करते हुए, अपना कर्त्तव्य करते ही चले जाना चाहिए।

सजोद इत्यादि गाँवोंमें किसी नेताको भेजनेके विषयमें दिया गया सुझाव अच्छा तो है ही, किन्तु बाहरके नेताओंको वहाँ भेजनेके बजाय अकलेश्वर जिलेके नेताओंको भी वहाँ जाना चाहिए। सम्भव है, इसका अधिक प्रभाव पड़े। बाहरकी मददपर सदा अवलम्बित नहीं रहा जा सकता। अन्ततोगत्वा सफलता स्थानीय कार्यकर्त्ताओंकी सतत जागृति, कार्यदक्षता और मर्यादा-पालनकी शक्तिपर ही निर्भर रहती है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २३-९-१९३४

७०. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

२३ सितम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

मुझे आपका पत्र और महत्त्वपूर्ण संलग्न पत्र मिले। उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ जानेके लिए मुझे समय निकालना होगा। आपके कठपुतली एजेण्ट होनेका विचार मैं सहन नहीं कर सकता। या तो आपकी बातोंका असर होना चाहिए अन्यथा आपको उसमें नहीं होना चाहिए। मैं इसके बारेमें शंकरलालको लिखूँगा।

डॉ० गोपीचन्द भार्गव
लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

७१. पत्र : एस्थर मेननको

२३ सितम्बर, १९३४

प्यारी बिटिया,

मुझे तुम्हारा पत्र और अब बच्चोके पत्र भी मिले है। मुझे खुशी है कि उन्हे जगह पसन्द है। बेशक, तुम अपने बँगलेका और कोई नाम नही रख सकती और 'विजन बँगलो'मे जो भाव निहित है वह बहुत अच्छा और महत्त्वपूर्ण है।

एन्ड्रयूज एक हफ्ते पहले यहाँ थे और वे शान्तिनिकेतनसे मगलवारको वापस आ जायेगे। मीरा काग्रेस-अधिवेशनमे शामिल होनेके लिए ठीक समयपर बम्बई पहुँचनेकी आशा रखती है।

रामदासको बुखार था और सामान्य कमजोरी थी। वह अब बेहतर है।

मेरा खयाल है कि चरखा पोर्तो नोवो भेजा गया था और मुझे उम्मीद है वह अब तुम्हारे पास पहुँच गया है। मै जानना चाहूँगा कि तुमने इसपर कितनी तरक्की की है।

यदि इस समय तुम मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी बहुत है, धूप बहुत तेज तो नही होती फिर भी काफी होती है।

तुम सबको प्यार और बच्चोको चुम्बन।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
विजन बँगलो
तजौर

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सख्या १३१) से, सौजन्य. राष्ट्रीय अभिलेखागार। माई डियर चाइल्ड, पृ० १०७-८ से भी।

७२. पत्र : झीणाभाई जोशीको

२४ सितम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके २० तारीखके पत्रके सम्बन्धमे, जो मुझे कल प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि आपके प्रश्नका उत्तर दो तरहसे दिया जा सकता है। यदि यह प्रदर्शनी भारतमे तैयार की गई चीजोकी प्रदर्शनी है तो आपने जिन चीजोकी चर्चा की है उनका ऐसी प्रदर्शनीमे उचित स्थान है। और यदि प्रदर्शनी लाखो लोगोके सन्दर्भमे खादी और स्वदेशीको प्रोत्साहन देनेके लिए विशुद्धत शैक्षणिक प्रयत्न है तो मै ऐसी किसी चीजका जोरोके साथ विरोध करूँगा जिसका लाखो ग्रामीणो द्वारा गाँवोमे तैयार किये जानेवाले मालसे सीधा सम्बन्ध नही है। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने अथवा मार्ग-दर्शन देनेका अधिकार नही है। प्रदर्शनी किसलिए है अथवा उसमे क्या रखा जाना चाहिए, इसका उचित निर्णय तो आपकी समिति ही कर सकती है।

हृदयसे आपका,

श्री झीणाभाई जोशी
काग्रेस भवन
अखिल भारतीय खादी प्रदर्शनी और स्वदेशी बाजार
बम्बई

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

७३. पत्र : मीराबहनको

२४ सितम्बर, १९३४

सुश्री मीरा,

तुम्हारा पत्र मेरे सामने है। तुम्हारे यूरोप-प्रवासके दौरान मेरा यह कदाचित आखिरी पत्र होगा।

खानसाहब अब्दुल गफ्फार खाँ मेरे साथ है। उनकी पुत्री वहाँ उनके भाईकी पत्नीके पास है। वे चाहते है कि उनकी लडकी लौट आये और आश्रममे आकर प्रशिक्षण ले। वे उसे तुम्हारे साथ भेजना चाहेगे। महादेव तुम्हे पता लिख भेजेगा।

यदि तुम उससे मिलो अर्थात्, यदि यह पत्र तुम्हें समयपर मिले और तुम उससे मिल सको तो उसे अपने साथ ले आना।

इन भाइयोंकी दोस्ती मुझे ईश्वरीय देन प्रतीत होती है।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

बम्बई सरकार, होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल फाइल नं० १२९/३४; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार

७४. पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजीको

२४ सितम्बर, १९३४

प्रिय बहन[1],

गोविन्दभाईका पत्र बहुत विचित्र है।[2] यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनके साथ बहसमें नही पड़ता, सिर्फ वस्तुस्थितिको स्पष्ट कर देता। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम वहाँ जाओ — किसी दूसरेको नही, बल्कि अपनेको पानेके लिए। पाण्डिचेरी उन जगहोंमें से है जहाँ ऐसी खोज फलीभूत हो सकती है। गो० ने मुझे भी लिखा है। मनुष्योंसे सम्पूर्ण रूपसे सम्बन्ध विच्छेद करनेमें मुझे कोई अच्छाई दिखाई नही देती। समाजसे सम्पर्क बनाये रखते हुए भी तुम्हे यह काम करना है। मैं तो चाहूँगा कि तुम मायावटी अथवा बेलूर जाओ। और तुम दयालबागको भी अपने मनसे नही निकालोगी।

मुझे लिखनेके लिए कृपया क्षमायाचना न करो। आखिरकार तुम आश्रमकी एक सदस्या हो।

खुर्शेदबहन
बम्बई

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

१. सम्बोधन गुजरातीमें है।
२. देखिए "पत्र: गोविन्दभाई आर० पटेलको", २४-९-१९३४।

७५. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० काका,

इस छोकरीको तुम या तो वहीं रख लो अथवा वह जहाँ रहना चाहे वहाँ जाकर रहो। अन्यथा यह तो मेरे साथ मक्खीकी तरह चिपकी हुई है और कहती है कि काकासाहबको यहाँ लाओ और उनकी दवा करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०८९०) से।

७६. पत्र : माधवदास और कृष्णा कापड़ियाको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० माधवदास[1] और कृष्णा,[2]

तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि आज मुझे मेढका एक पत्र मिला है जिसमें उसने थोड़ी बहुत रकम देनेकी बात लिखी है। पैसा मिलनेपर तुरत खबर दूंगा। कुल मिलाकर कितना पैसा लेना है? आशा है, तुम दोनों कुशलपूर्वक होगे। कुछ आमदनी होती है क्या?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती की माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२२) से।

१ और २. कस्तूरबाके भाई और उनकी पत्नी।

७७. पत्र : जयाको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० जया,

भानुकी तबीयत सुधरती जा रही है, यह एक खुशखबरी है। यह हुडी क्या चीज है, सो जाननेका भी मैंने बराबर प्रयत्न नही किया। यदि तुम बहनोको वह पसन्द नही आती तो तुम लोग बेशक उसे मत छूना। हमारा उद्देश्य तो जैसे बने खादीका शुद्ध ढगसे प्रचार करना है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती जयाबहन
नैनशी मोरारजीका बँगला
सी व्यू, घोडबन्दर रोड
विले पार्ले, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से।

७८. पत्र : रामदास गांधीको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० रामदास,

शर्माको पैसा देनेका तेरा विचार मुझे पसन्द नही। उसकी सेवाओका बदला पैसोसे नही दिया जा सकता। तुम तो दोनो मित्र बन गये हो। मित्रोमे पैसेका लेन-देन नही होता। मुझे तो लगता है कि यदि तू शर्माको पैसा देने लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। वह स्वीकार करेगा तो मुझे आश्चर्य होगा। उसकी जरूरतोको तो पूरा किया ही जा रहा है। उसके लिए अन्य जो किया जाना चाहिए सो मैं कर रहा हूँ। इसलिए तुझे उसकी आर्थिक स्थितिकी चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नही। उसके पत्रोसे मैं तो यह समझा हूँ कि यदि तू तन, मन और आत्मासे पूर्णतया रोग-मुक्त हो जाये और यदि तू इस बातकी गवाही दे सके कि इसका श्रेय मुख्यत उसीको है तो वह मानेगा कि उसे पूर्ण फलकी प्राप्ति हो गई है — और होना भी ऐसा ही चाहिए। इसलिए मेरी सलाह है कि तू यह पैसा देनेका विचार मनसे निकाल दे। लेकिन इतना कहनेके बाद मैं फिर कहता हूँ कि तू बिलकुल स्वतन्त्र है, इस

पैसेका स्वामी तू है और तुझे इस पैसेका जो अच्छेसे-अच्छा उपयोग जान पड़े, सो अवश्य करना। अपनी खुशीको मेरी खुशी समझना।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

७९. पत्र : गोविन्दभाई आर० पटेलको

२४ सितम्बर, १९३४

भाई गोविन्दभाई,

हमारे मार्ग अलग-अलग है, यह बात तुम निश्चयपूर्वक कह सकते हो — यह जानकार आश्चर्य होता है। तुम आश्रमके नियमोको भी भूल गये जान पड़ते हो। मेरा ध्येय क्या है, यह तो अगर तुमने मेरे हालके वक्तव्यको पढा हो तो उसीसे तुम्हे मालूम हो जायेगा कि जो तुम्हारा ध्येय है वही मेरा है। हाँ, यह हो सकता है कि हमारे मार्ग अलग-अलग प्रतीत होते हो। वृत्तकी परिधिसे उसके केन्द्रबिन्दुकी ओर जानेवाली कितनी सारी रेखाएँ होती है। और फिर तुम्हे यह बात मालूम होनी चाहिए कि मै नित्य गुरुकी खोजमे रहता हूँ। उसे जब मिलना होगा तब मिलेगा। उसे प्राप्त करनेकी योग्यताका विकास करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। बाजी ईश्वरके हाथ है। वह तो परमगुरु है। वह जैसे नचायेगा, वैसे नाचूंगा।

खुर्शेदबहनको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढा। इस बहनकी उम्र चालीस के आस-पास है। वह दादाभाई नौरोजीकी पौत्री है, विदुषी है। यूरोप भ्रमण कर आई है। तथापि अशान्त रहती है। श्री अरविन्दके कुछेक लेख उसने पढे है। इससे मैंने उसे सलाह दी है[1] कि वह वहाँ जाकर अनुभव प्राप्त करे। यह महिला केवल कुतूहल-वश कही जानेवालोमे से नही है। उसको लिखा तुम्हारा पत्र मुझे बहुत अविनयपूर्ण लगा है। उसके होटलमें रहनेपर कोई एतराज न होगा, इसका अर्थ क्या है? अपने पत्रमे यदि अब तुम्हे अशिष्टता दिखाई दे तो तुम उसे विनयपूर्ण पत्र लिखना और आमन्त्रित करना।

श्रीयुत् गोविन्दभाई
अरविन्द आश्रम
पाण्डिचेरी

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

१. देखिए "पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजीको", २४-९-१९३४।

८०. पत्र : राधा गांधीको

२४ सितम्बर, १९३४

चि० राधिका[1],

कृष्णदासने मुझे तेरे समाचार दिये। कृष्णको वहाँकी सचालिकाका पत्र मिला है जिसमें उसने लिखा है कि तुझे १०० डिग्री बुखार रहता है। दस पौण्ड वजन भी कम हो गया है और खाना भी एक-ही जून खाती है। रातको भूख नही लगती। तू मुझे कभी-कभार पत्र लिखती तो जरूर है, लेकिन वस्तुत: वह कोरा ही होता है। ऐसे लिखनेसे न लिखे तो ज्यादा अच्छा है।

इतना जानना कि यदि देहकी रक्षा करके ही धर्मका पालन किया जा सकता है तो यह भी उतना ही सच है कि विद्योपार्जन भी शरीरकी रक्षा करके ही किया जा सकता है। तू परीक्षामें प्रथम आये और शरीर शय्यावश हो जाये तो तेरी परीक्षाका क्या लाभ? तू अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हुए क्यो नही पढ़ सकती? इसी परीक्षाकी तैयारी राजकोटमें क्यो नही करती? सुशीला तेरी मदद अवश्य करेगी। तू वहाँ जिन विषयोंका अध्ययन करती है, उन सब विषयोंको पढ़नेकी व्यवस्था राजकोटमें है ही। राजकोटकी जलवायु भी तुझे तो अनुकूल आती है। कृष्णदासका कहना है कि वहाँ तू कोई सहेली भी नही बना सकी है। यह सब सच है तो कमसे-कम तुझे मुझको लिखना चाहिए जिससे मैं और अधिक लिख सकूँ। यदि तुझे यह डर हो कि तेरे पत्र कोई पढ़ेगा तो पत्रोंके ऊपर 'निजी' लिखा कर। तब उन्हें और कोई नही पढ़ेगा।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१. मगनलाल गांधीकी पुत्री।

८१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

२५ सितम्बर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

पहले पोस्टकार्डको जरूर अपने पास रखें। मुझे उसकी जरूरत नहीं। भगवान करे, कुमारसाहब शीघ्र ही अच्छे हो जायें।

मेरी गाडी तो ईश्वर चलाता जाता है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३८) से। सी० डब्ल्यू० ३२५४ से भी, सौजन्य महेश पी० पट्टणी

८२. पत्र : कान्ति गांधीको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला है। उसके मिलनेके पहले ही मैंने उन्हें तुझे लिखनेको तो कह ही दिया था।

तेरे पत्र कोई नही पढेगा, हालाँकि उसमे गोपनीय तो कुछ है नही। और कोई यदि उन्हे पढेगा तो उसे कुछ सीखनेको ही मिलेगा। यदि तू अपने लेखादि मुझे भेजता रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। उनसे मुझे तेरी प्रगतिके बारेमे जानकारी मिल सकेगी।

तेरा कार्यक्रम अच्छा है। तेरे उठने और खाने-पीनेके समय ठीक जान पडते है।

तेरे सुझावके अनुसार तुझे हर महीने ५ रुपये मिलते रहे, ऐसा प्रबन्ध मैं कर दूँगा। मेरी इच्छा है कि अपनी जरूरतोके बारेमे तू मुझे नि सकोच लिखता रह। तेरे खानेका खर्च रामचन्द्रन नही लेगा। मैं उसकी इच्छाका सम्मान करूँगा।

तेरा वाचन ठीक है। वह तुझे काव्य पढाये, इसमे कोई हर्ज नही। मनुष्यको काव्य भी अवश्य पढना चाहिए। शार्टहैंड तो तू मेरी ही खातिर सीख रहा है न? मेरे विचारसे तो तू यह बोझ नाहक उठा रहा है। लेकिन मै अब ऐसा भी नही कहना चाहता कि बन्द कर दे। शार्टहैंड उपयोगी वस्तु तो है ही। तू मलयाली सीख रहा है, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं मानता हूँ कि यदि तू

मलयाली अच्छी तरह सीख ले और तमिल भी, तो यह बहुत अच्छा होगा। जिसे भाषाका शौक हो उसके लिए बहुत सारी भाषाएँ सीखना मुश्किल नही है। लेकिन वहाँका अनुभव लेनेके बाद यदि तेरी इच्छा हो तो थोडा समय मदनापल्लीमे बिताना। वहाँके सगीतका थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करना।

'रेनेसांस'-सम्बन्धी पुस्तक मैंने नही पढी है। तूने जो अश उद्धृत किया है, सो ठीक किया है। मेरे बारेमें ऐसा तो बहुत-कुछ लिखा ही जाता रहता है। इनमे से मैं कुछ-न-कुछ सीख लेता हूँ। नम्रता तो अवश्य आती है। हमे दूसरे लोग किस दृष्टिसे देखते है, इस निरीक्षणके लिए ऐसी टीका बहुत उपयोगी होती है। आत्म-निरीक्षणके लिए ऐसी टीकाएँ बहुत उपयोगी होती है। स्तुतिवचन तो निरर्थक होते है। टीकासे बहुत-कुछ सीखनेको मिलता है।

मुझे नियमपूर्वक लिखा करना।

हरिलालके पत्र नियमित रूपसे आते है। वह तो लिखता है कि उसमे अच्छा परिवर्तन हुआ है। वह 'गीता' का अच्छा अध्ययन कर रहा है। मैंने उसका हाथ थामनेकी बात लिखी है। अब जो हो, सो सही। बा और रामदास साबरमती ही है। रामदास ठीक है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८८) से; सौजन्य. कान्ति गाधी

८३. एक पत्र

२५ सितम्बर, १९३४

द्वारकानाथने मुझे जो लम्बा पत्र लिखा था, उसके बारेमे तुम्हे लिख चुका हूँ न? इस पत्रमें और तुम्हे लिखे गये पत्रमे जमीन-आसमानका फर्क था। मुझे लिखे पत्रमे तो द्वारकानाथ हवामे उड़ रहे थे। वे नियमोके बन्धनसे मुक्त हो गये थे और जिस वस्तुको साधनेमे विश्वामित्रको वर्षों लगे थे, उन्हे लगता था कि वे उसे कुछ दिनोमें ही सिद्ध कर सकते है।[1]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

१. देखिए "पत्र: द्वारकानाथको", १-१०-१९३४ भी।

८४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला है। मैंने अगला खत दामोदरदासको नही भेजा है। यदि बात स्पष्ट करनी है तो तुमारे उनको सीधा लिखना। मुझे पता नही है मुबईमें कितना समय मिलेगा।

भाईओके पास खानेका लेनेमे कोई हानि नही समझता हू। तुमारा सारा समय सेवामे चला जाय तो तुमारे किसी न किसी जगह से खाना तो लेना ही पडेगा। भाई खुद शरीरसे सेवा न कर सके तो जो करना चाहे उसको खाना खिलावे तो कुछ आश्चर्यकी बात नही है—पुण्य कार्य है। यहा तक तो अपरिग्रह बनता रहता है। लेकिन बचे हुए पैसे इकट्ठे करना तो चोरी है और परिग्रह तो है ही। जो मनुष्य सचमुच गरीब है वह अपने मित्रोके लिये क्या कर सकता है? चोरी करके उनको धन देवे? यह मित्रता नही है, शत्रुता है। सो तुम कर रहे हो। क्यो सब मित्रोको न कहा जाय कि अब तुम चादीवाला मिट गया है सिर्फ गरीब सेवक बन रहा है। गरीब होते हुए भी जब वे लोग मित्र रहेगे तो सच्ची मित्रता सिद्ध होगी। तुमारे साथ मित्रता कैसे पैदा हुई उसका तुमको पता है। तुमारे पास पैसे थे और वह दोनो हाथोसे उडाते थे। तुमारी इस बारेमे जो बाते मै पढता हू सबकी सब आत्मवचना है। यह तो हुआ मेरा निदान। इस बातकी प्रतीति जबतक तुमारे चित्तमे न हो सके तब तक इसका अमल न किया जाय। तुमारा दिल जो तुमको कहे वही सच्च माना जाय। भले दुनिया उसे जूठ कहे।

काग्रेसके दिनोमे मुबई आकर क्या करोगे? बीमार होना है? मसूरीकी शाति क्यो छोडना? वही बैठे हुए ज्यादा सूत कातो। ज्यादा आत्मनिरीक्षण करो। शरीर अच्छा कर लो। लेकिन इसमें भी दिल पर बलात्कार न किया जाय। मै तो सबको रोक रहा हू।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

राधाको लिखता हूं।[1] जब तक हाजमा अच्छा न हो रोटी खाना शायद ठीक नही होगा। लेकिन जैसे दाक्तरोने कहा है वही किया जाय।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२५) से।

१. देखिए "पत्र : राधा गाधीको", २४-९-१९३४।

८५. पत्र : अन्नपूर्णाको

२५ सितम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला। मजबूती और समानता निकालनेके बारेमे मैं एक नोध थोडे दिनोमे भेजुंगा।

पिताजीसे कहो कि दीनबंधु एडरूझ उत्कल नही जा सकेंगे। उनको ६ अक्तूबरको मुवई छोडना चाहियें।

तुम सब नई जमीन पर मजदुरी करेगे सो, मुझे बहूत अच्छा लगता है। मुझे बयान देना।

बापुके आशीर्वाद

श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी
डाकखाना वाडी कटक
जिला कटक[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८५) से।

८६. पत्र : वी० वी० दास्तानेको

२५ सितम्बर, १९३४

खादी पहननेका और अपने आप यज्ञरूप कातनेका उत्तमोत्तम कारण यह है कि हम कंगाल लोगोके साथ हमारा अधवेत सिद्ध करे। आज जो खादी हमको महेगी प्रतीत होती है वह कल सब कपड़ोमें सस्ती बन सकती है और सो भी सबके अल्प प्रयत्नसे।

दास्ताने
भुसावल

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य . नारायण देसाई

१. मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।

८७. पत्र : होरेस जी० अलेक्जेंडरको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय होरेस,

मैं तुम्हे पहले ही जितना प्यार करता हूँ, यदि उसमें कुछ वृद्धि की जा सकता हो तो कहूँगा कि तुम्हारे स्पष्टवादितापूर्ण पत्रको पाकर मै तुम्हे और भी प्यार करने लगा हूँ। तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा पत्र मिलनेसे बहुत पहले ही मैंने यह राय व्यक्त की कि जवाहरलाल भारतीय मामलेको अग्रेज श्रोताओके सम्मुख मुझसे अधिक विश्वासोत्पादक ढगसे पेश कर सकते है। इसलिए तुमने मुझसे जो-कुछ कहा है वह मेरे लिए नया नही है। इसके अलावा, मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि मुझे कमसे-कम इस समय तो भारतसे बाहर नही जाना चाहिए। मै यहाँ रहकर इग्लैंडके लोगोसे अपनी बात ज्यादा प्रभावकारी ढगसे कह सकता हूँ। और न ही मेरे खयालमे अकेले श्रीमती गाधीको[1] वहाँ भेजनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। मै समझता हूँ कि जहाँतक मेरे और श्रीमती गाधीके [इग्लैड] आनेकी बात है, अग्रेज मित्रोको हम दोनोका ही खयाल अपने दिमागसे निकाल देना होगा। मैंने अपने हाल ही के वक्तव्यमे[2] जो बाते कही है, उन सबके लिए यदि सम्भव हो तो मै एक-एक क्षणका उपयोग करना चाहता हूँ।

तुम्हे और ऑलिवको[3] प्यार।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४२३) से।

१. कस्तूरबा गाधी।

२. १७ सितम्बर, १९३४ का।

३. होरेस अलेक्जेंडरकी पत्नी।

८८. पत्र : सीताराम शास्त्रीको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय सीताराम शास्त्री,

मुझे आपका पत्र मिला जिसके साथ खद्दर सस्थानकी रिपोर्ट भी सलग्न है। उसमे आपने मुझे तकली चलानेवालोकी रफ्तारके बारेमें बताया है। वह यहाँके परिणामोकी अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए मेरी राय है कि किसी व्यक्तिको यहाँकी विधि सीखनी चाहिए। यह एक अद्भुत खोज है। यहाँ सबसे ज्यादा रफ्तार प्रति घंटा ४०० तार है। इसे आसानीसे सीखा जा सकता है। यहाँ आम रफ्तार २०० तारसे ऊपर है। छोटे बच्चे मेरे-जैसे बूढोसे इसे कही जल्दी सीख लेते है। मै इसे सीखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मै अभी इसे सीख नही पाया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि थोड़ा प्रयत्न करनेपर मै इसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकूँगा।

मै वस्तु-विनिमयके तरीकेसे सन्तुष्ट नही हूँ जिसमे धानको मापदण्ड रखा गया है। इसके लिए सावधानीके साथ अध्ययन करनेकी जरूरत है।

इससे पहले रिपोर्टके साथ मुझे आपका जो पत्र मिला था उसका मै अभी तक कोई उत्तर नही दे पाया हूँ। मै अखिल भारतीय चरखा सघके सिलसिलेमे लिखे पत्रका उल्लेख कर रहा हूँ। इसका सीधा-सादा कारण यही है कि मै अत्यधिक व्यस्त हूँ और अभी मेरे पास शक्ति भी सीमित है।

श्री सीताराम शास्त्री
चण्डोल पोस्ट ऑफिस
गुटूर जिला

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

८९. पत्र : अमृतलाल डी० शेठको[1]

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय अमृतलाल,

कल हममे हुई बातचीतके सम्बन्धमे मैं जानता हूँ कि देशी राजाओ और देशी रियासतोमे रहनेवाले लोगोके प्रति कांग्रेसके दृष्टिकोणके बारेमे मेरी बातचीत और पत्रोको लेकर लोगोके दिलोमें कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति कैसे यह सोच सकता है कि मैं इन्हे भारत राष्ट्रका एक अखण्ड भाग नही मानता हूँ। बेशक, वे लोग भारतके अभिन्न भाग है, ठीक उसी तरह जिस तरह भौगोलिक भारतके अन्य भागोमें रहनेवाले भारतीय है। यद्यपि हम विभिन्न सरकारोके अधीन रहनेवाले लोग है, तथापि हम सब एक है। मुझे आपसे यह बात सुनकर भी हैरानी हुई कि कुछ लोग मुझपर यह आरोप लगाते है कि देशी रियासतोके जो लोग कांग्रेसके सदस्य है, उसके लिए उन्हे कांग्रेससे अनुमति लेनी पड़ी है। उनके कांग्रेसमे शामिल होनेके बारेमे कांग्रेस सविधानमे निश्चित व्यवस्था की गई है और जो लोग कांग्रेसके उद्देश्यसे सहमति प्रकट करते हैं तथा सदस्यतासे सम्बन्धित अन्य नियमोका पालन करते है, उन्हे किसी भी भारतीयके समान कांग्रेसमे शामिल होनेका अधिकार प्राप्त है।

हृदयसे आपका,

श्री अमृतलाल डी० शेठ
(शिविर) वर्धा

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स. सौजन्य: प्यारेलाल

१. इसी तरहका एक और पत्र ९ अक्तूबर, १९३४को अमृतलाल डी० शेठको भेजा गया था। लेकिन उसमे अन्तिमसे पहला वाक्य नही था।

९०. पत्र : सी० अब्दुल हकीमको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय महोदय,

उत्तरी अरकॉटके जिला बोर्डके प्रस्तावको अग्रेषित करते हुए आपने जो पत्र लिखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रस्तावके लिए मै जिला बोर्डका आभारी हूँ।

हृदयसे आपका,

जनाब सी० अब्दुल हकीम साहब बहादुर
अध्यक्ष, जिला बोर्ड, उत्तरी अरकॉट
आरकोनम

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

९१. पत्र : कोंगात्तिल राम मेननको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय मेनन,

श्रीमती माटिल्डा बी० कैल्लनके सम्बन्धमे मुझे पूरा यकीन है कि यद्यपि वह जन्मसे ईसाई है, तथापि उन्हे हरिजन लड़के-लड़कियोंको हिन्दू-धर्मके सिद्धान्तोके अनुसार धर्मकी शिक्षा देनेमें कोई संकोच नही होगा। इसलिए ईसाई होनेके नाते उन्हे छात्रावासकी जिम्मेदारी सौपनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

यह रही मुझे लिखे उनके पत्रकी एक प्रति।

हृदयसे आपका,

सलग्न · १

श्री कोगात्तिल राम मेनन
एडवोकेट
चेलापुरम (कालीकट)

अग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

९२. पत्र : माटिल्डा बी० कैल्लनको

२७ सितम्बर, १९३४

प्रिय माटिल्डा,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने कोगात्तिल राम मेननको इस आशयका पत्र लिखा है[1] कि तुम्हारा ईसाई होना छात्रावासकी जिम्मेदारी तुम्हे सौंपे जानेके मार्गमे आडे नही आना चाहिए। तुम्हारा पत्र बिलकुल सन्तोषजनक है।[2]

श्रीमती माटिल्डा बी० कैल्लन
नेत्तूर
तेल्लीचेरी, उत्तरी मलाबार

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

९३. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२७ सितम्बर, १९३४

बा,

कल तेरी चिट्ठीका जवाब दे दिया था। फिलहाल तुम दोनोको तुरन्त वर्धा बुला लेना ठीक नही है। वहाँके अस्पतालका इलाज भी पूरा हो जाना ठीक रहेगा। वहाँकी आबहवा मे तो कोई कसर नही है। अगर रामदासको वहाँ अच्छा न लगता हो तो बात अलग है। इसलिए तू धीरज रखना। भगवान सब ठीक ही करेंगे। राजेन्द्रबाबू कल चले जायेंगे, सरदार भी चले जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २६-७

१. देखिए पिछला शीर्षक।
२. देखिए "पत्र: माटिल्डा बी० कैल्लनको", १९-९-१९३४ भी।

९४. पत्र : जमनालाल बजाजको

२७ सितम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

वल्लभभाई खबर देते है कि तुम . . .[1] में कपडेकी मिलका सौदा करनेका विचार रखते हो। 'तुम' अर्थात् कम्पनी। मुझे इस खबरसे आघात तो अवश्य पहुँचा। जो खादी-कार्यमे इतना निमग्न हो वह मिलका मालिक बने, यह बात अजीब लगी। तथापि, मै तुम्हे कुछ लिखूँ अथवा न लिखूँ, इसका निश्चय नही कर पाया। इस बीच कल जानकीमैया[2] आईं। वह मध्यमाकी परीक्षा दे कर आई है और उनका मन निश्चिन्त हुआ है। जबसे उन्होने यह बात सुनी है उन्हे चैन नही पड़ रहा है। पूछती है, "यह बला किसके लिए मोल ले रहे हो?" लड़कोको भी तुम्हारा यह विचार अच्छा नही लगा। नौकरोका कहना है कि चलो अब घरकी मिल हुई, अब भला सेठ हमे खादी पहननेके लिए क्योकर कहेगे? तुम्हारा यह कदम किसीको पसन्द नही आया, इसलिए मिल लेनेका विचार छोड़ देना। और यदि तुम मिल खरीद ही चुके हो तो इस बलासे बच निकलनेका उपाय करना। भागीदार लेना चाहें तो भले ही ले। मुझसे तुम्हे यदि धन्धा ही चाहिए तो अन्य अनेक धन्धे पड़े है। और यदि तुम्हे परोपकारार्थ ज्यादा पैसा चाहिए तो हम ऐसे परोपकारके बिना ही काम चलायेंगे। ओम[3] मुझसे कहती है कि तुम्हे काग्रेसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए कही तुम तो काकाजीसे मिल लेनेके लिए नही कह रहे हो? इन सबको मै क्या जवाब दूं? यदि तार द्वारा मिल लेनेका विचार छोड देनेकी खुशखबरी हमे दे सको तो देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४३) से।

१. नाम नही दिया गया।

२ और ३. जमनालाल बजाजकी पत्नी और पुत्री।

९५. पत्र : लीलावती मुन्शीको

२७ सितम्बर, १९३४

चि० लीलावती[1],

तुम्हे जो आशंका है उसके लिए गुजाइश ही नही रह जाती। मै अभीसे योजना बना रहा हूँ। मुझे काम करवानेके लिए इसकी आवश्यकता तो होती नही कि अपने पक्षमे विधिपूर्वक वोट लूँ। राजनीतिमे दिलचस्पी रखनेवाले लोगोकी क्या इच्छा है, इसका अन्दाज मुझे मिल जाता है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तुम निश्चित रहना।

मै [काग्रेससे] बाहर रहूँगा, इसका अर्थ यह नही है कि मै बेकार बैठा रहूँगा। मेरा चरखा तो चलता ही रहेगा। कदाचित् गति और भी बढ जायेगी। लेकिन कोई एक हाथसे ताली थोडे ही बजती है? अर्थात् जो व्यक्ति मुझे मदद देना चाहेगा उसकी मददकी जरूरत तो मुझे होगी ही।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

९६. पत्र : रामदास गांधीको

२७ सितम्बर, १९३४

. . .[2] जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ईश्वरके अधीन रहनेमे यह सब लाभ है। होनी तो होकर रहती है, लेकिन ईश्वरार्पण-बुद्धिको कदापि असन्तोष नही होता। और जिस व्यक्तिमे अहभाव है उसे किसी चीजसे सन्तोष नही होता। इतनेमे सारा ज्ञान आ जाता है, ऐसा समझना। यह सच है कि ईश्वरार्पण-बुद्धिका विकास करना कठिन है, लेकिन सत्यकी प्रतीति होनेके बाद यदि हम उसका अनुकरण करते रहे तो सन्तोष बढता जाता है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य · नारायण देसाई

१. क० मा० मुन्शीकी पत्नी।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

९७. चर्चा: स्वदेशीके बारेमें[1]

[२८ सितम्बर, १९३४ से पूर्व]

प्रश्न: यह नया स्वदेशी पुराने स्वदेशीसे किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर. पुराने स्वदेशीमें जोर इसी बातपर दिया जाता था कि माल इसी देशका बना हुआ है। इस सबपर विचार नही किया जाता था कि वह माल किस तरह तैयार हुआ है अथवा उसके खपनेकी कितनी सम्भावना है। अच्छे पायेपर खड़े हुए सगठित उद्योगोको मैंने जो रद करा दिया है उसका यह कारण नही कि वे उद्योग स्वदेशी नही है, बल्कि इसलिए कि उन्हे अब खास सहायताकी जरूरत नही है। वे अपने पैरोपर खड़े रह सकते है, और हमारी वर्तमान जागृतिकी अवस्थामें उस स्वदेशी मालकी सहज ही खपत हो सकती है। नये स्थिति-निर्धारणके अनुसार मै अपने स्वदेशी-सघके द्वारा इतना अवश्य कराऊँगा कि वह तमाम ग्रामोद्योगोका पता लगाये और इस बातकी भी जाँच-पडताल करे कि आज उनकी क्या दशा है। हम ऐसे विशेषज्ञो और रसायनशास्त्रियोको रखेंगे, जो अपने ज्ञानका लाभ गाँवोकी जनताको देनेको तैयार हो। हम अपने विशेषज्ञोके द्वारा गाँवोके कारीगरोकी बनाई हुई चीजोकी परीक्षा करायेंगे, उनमे क्या-क्या सुधार हो सकते है, यह सब उन्हे बतलायेंगे और उन्होने अगर हमारी शर्तें स्वीकार कर ली, तो उनकी बनाई चीजोको हम बेच भी देंगे।

प्रश्न: आप क्या किसी भी और सभी ग्रामोद्योगोंको हाथमें लेना चाहते हैं?

उत्तर: ऐसी तो कोई बात नही है। मै तो एक-एक धन्धेका पता लगाऊँगा और यह देखूंगा कि ग्राम-जीवनकी अर्थव्यवस्थामे उनका क्या स्थान है। अगर मुझे यह मालूम पडा कि उन उद्योगोमे ऐसे गुण है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये तो उन्हे प्रोत्साहन दूंगा। उदाहरणके लिए, इस झाड़को ही ले लीजिए। गाँवोकी पुराने ढंगकी झाडको फेंककर उसकी जगह आधुनिक झाड़ू या ब्रुशको घरमे लाना मै कभी पसन्द नहीं करूँगा। मै श्रीमती गाधी और घरकी दूसरी बहनोसे पूछूँगा कि दोनो प्रकारकी झाड़ुओके तुलनात्मक गुण क्या-क्या है। सभी दृष्टियोसे मै लाभको देखूँगा। इस प्रकार देखते हुए मेरा विश्वास है कि गाँवको पुरानी झाडको ही पसन्द करना चाहिए, क्योकि इसके उपयोगमें मुझे सूक्ष्म जीव-जन्तुओंके प्रति कोमलता और दया भाव दिखाई देता है। इसके विपरीत ब्रुश तो सूक्ष्म जीव-जन्तुओंका बिलकुल सफाया ही कर देता है। इस तरह झाड़ूके अन्दर मैं समस्त जीवनकी फिलॉसफी देखता हूँ;

१. यह 'स्वदेशीके बारेमें और चर्चा' शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। गाधीजीने अनेक लोगोंके साथ जो परिचर्चा की थी, उसका यह सार-सक्षेप महादेव देसाईने तैयार किया था।

क्योकि मै यह नही मानता कि सिरजनहार अत्यन्त सूक्ष्म जीव-जन्तुओ और [अपनी दृष्टिमे] सूक्ष्म मनुष्योके बीच कोई भेद-भाव रखता है।

इस तरह मै गाँवोके उन सभी प्रकारके उद्योग-धन्धोको अलग छाँट लूँगा जो आज लुप्तप्राय है, लेकिन अपने अन्तर्निहित गुण और अपनी उपयोगिताके कारण पुनर्जीवित किये जानेके योग्य है। इसी रीतिसे मेरा अनुसन्धान-कार्य चलेगा। उदाहरणके लिए, तुच्छ दातौनको ही ले लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बम्बईके लाखो नागरिकोको अगर दातौन न मिले तो जरूर उनके दाँतोको नुकसान पहुँचेगा। दातौनके बदले जो यह टूथ-ब्रुशका उपयोग किया जा रहा है, उसकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। यह ब्रुश अस्वच्छ होता है। एक बार दाँतोपर फेरनेके बाद उसे फेक देना चाहिए। उसे साफ करनेके लिए चाहे जितनी कीटाणु-नाशक दवाइयाँ काममे लाई जाये, तो भी ताजे ब्रुशकी तरह साफ तो वह हो ही नही सकता। उससे हमारी बबूल या नीमकी दातौन कही अच्छी है कि उससे एक बार दाँत साफ किये और फेक दिया। दातौन मे दाँतके मसूडोको मजबूत बनानेका बहुत बडा गुण है। फिर दातौन की फाँक जीभ साफ करनेका भी काम देती है। हमारे यहाँकी दातौन-जैसी किसी स्वच्छ वस्तुका तो पश्चिमवालोने अभी तक अनुसधान ही नही किया है। आप लोगो को शायद मालूम न होगा कि दक्षिण आफ्रिकाके एक डॉक्टरका यह दावा था कि बटू जातिके खान-मजदूरोमे दातौनका आग्रहपूर्वक उपयोग कराके उन्होने उन लोगोमे फैलते हुए क्षय-रोगको रोक दिया था। टूथ-ब्रुश यदि हिन्दुस्तानका बना हुआ हो, तो भी मै उसका प्रचार नही होने दूँगा। मै तो खुलेआम दातौनकी ही तरफदारी करूँगा। यह शत-प्रतिशत स्वदेशी है। इसकी यदि मै फिक्र रखूँगा, तो बाकी चीजे तो अपनी सार-सँभाल स्वय ही कर लेगी। मुझसे अगर आप समकोणकी परिभाषा पूछे तो मै उसे सहज ही बतला सकता हूँ। पर १ और १८० अशके बीचके कोणको यदि आप बना सके, तो उसकी परिभाषा आप मुझसे न करावे। अगर मुझे समकोणकी परिभाषा आती होगी, तो मै फिर अन्य सभी प्रकारके कोण बना सकूँगा। स्वदेशी शब्द मे ही उसकी विस्तृत व्याख्या आ जाती है। तो भी मैने अपने स्वदेशीको 'शत-प्रतिशत स्वदेशी' कहा है, क्योकि मुझे आज स्वदेशीमे दूसरी चीजोके घोटाला हो जानेका भय है। शत-प्रतिशत स्वदेशीमे सेवा करनेकी अनन्त इच्छा रखनेवालोके लिए भी काफी क्षेत्र पड़ा हुआ है और इसमे हर तरहकी प्रतिभाका उपयोग हो सकता है।

प्रश्न: इस स्वदेशीके अन्तमें क्या आप 'स्वराज्य' देखते है?

उत्तर: क्यो नही? एक बार मैने कहा था कि चरखेमे स्वराज्य है। फिर कहा कि मद्य-निषेधमे स्वराज्य है। इसी तरह मै यह भी कहता हूँ कि शत-प्रतिशत स्वदेशीमे स्वराज्य अन्तर्निहित है। जिस प्रकार अधोने हाथीका वर्णन किया था, यह बात भी लगभग वैसी ही है; 'गजदर्शन' के ही समान है। उन सभी अंधोका कथन सत्य था, तो भी सम्पूर्ण सत्य नही था।

अगर हम अपने सभी साधनोका पूरा उपयोग कर सके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारतवर्ष पहलेकी तरह एक बार फिर ससारमे सबसे अधिक समृद्ध

देश बन जाये। अगर हम आलस्यको तिलांजलि देकर करोड़ो देश-भाइयोके अवकाशके समयका सदुपयोग करा सकें, तो अपने अतीतसे उस वैभवको हम एक बार फिर लौटा ला सकते है। पर यह तभी हो सकता है, जब हम मशीनकी तरह नही बल्कि मधु-मक्खियोकी तरह उद्यमी बन जाये। आपको मालूम है कि आजकल मै 'निर्दोष' मधुका प्रचार कर रहा हूँ?

प्रश्न: यह निर्दोष मधु क्या चीज है?

उत्तर: वैज्ञानिक ढंगसे मधुमक्खियाँ पालनेवाले वैज्ञानिक रीतिसे जो शहद निकालते है वह। ये लोग मधुमक्खियाँ पालते है और फिर बिना उन्हे मारे हुए उनका मधु इकट्ठा कर लेते है। इसीलिए मै उसे निर्दोष या हिंसाहीन मधु कहता हूँ। बढाया जाये तो यह धधा काफी बढ सकता है।

प्रश्न: पर क्या आप उस शहदको पूर्णतया हिंसाहीन कह सकते है? जैसे बछड़ेका दूध हम छीन लेते है, उसी तरह मधुमक्खियोंको क्या हम उनके मधुसे वंचित नहीं कर देते?

उत्तर: ठीक है। पर दुनियाका काम इस तरहके कोरे तर्कसे ही नही चल सकता। हम जीते हैं, इसीमे कितनी हिंसा है, हमे तो वही मार्ग ग्रहण करना है, जिसपर चलनेसे कम-से-कम हिंसा होती हो। यो तो शाकाहारमें भी हिंसा है—है या नही? इसी तरह यदि मुझे मधुकी जरूरत ही है, तो मुझे मधुमक्खियोके साथ मैत्रीभाव रखना होगा और जितना मधु वे दे सकें, उतना उनसे लेना चाहिए। फिर वैज्ञानिक रीतिसे मधुमक्खी-पालनकी प्रणालीमें मधुमक्खीको सारे मधुसे वंचित नही किया जाता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-९-१९३४

९८. कुछ कूट प्रश्न

मिथिलाके एक ब्राह्मणने मुझे हिन्दीमे एक लम्बा पत्र लिखा है, लेकिन वह चाहते है कि मै उसका उत्तर अंग्रेजी 'हरिजन' मे दूं। उनकी लेखन-शैलीसे स्पष्ट है कि वह अंग्रेजी अच्छी तरह जानते है। उनके पत्रमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं जो सार्वत्रिक महत्त्वके है। मूल हिन्दी पत्र 'हरिजन सेवक' के सम्पादकको भेजा जा रहा है। मै खुशी-खुशी उस पत्रका सार नीचे दे रहा हूँ।

पत्र-लेखक कट्टर पथी परिवारके सदस्य है, लेकिन उन्होने हरिजनोके विरुद्ध सभी प्रकारके पूर्वग्रहोका त्याग कर दिया है; और ऐसे लोगोको छोडकर जो कि देखनेमे ही गंदे है जैसेकि बिना नहाया हुआ कोई डोम, वह सभी लोगोको उस कुएँसे पानी भरने देते है जो अभीतक केवल तथाकथित ऊँची जातिके हिन्दू ही इस्तेमाल कर सकते थे। वह लिखते है:

१. जिस प्रकार आप सवर्ण हिन्दुओको अस्पृश्यता समाप्त करनेका उपदेश करते है, उसी प्रकार आप हरिजनोको स्वच्छताका, मुर्दार मास न खानेका और ऐसी ही अन्य बुराइयोको छोडनेका उपदेश क्यो नही करते?

२. किसी सनातनी हिन्दूके विशिष्ट गुण और लक्षण क्या है?

३. आपने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपना पुश्तैनी धन्धा या पेशा त्यागता है, तो ऐसा करके वह जाति-भ्रम पैदा करता है। यह विचार 'गीता' के प्रथम अध्यायमे प्रयुक्त शब्दसे[1] निकलनेवाले अर्थके साथ किस हदतक सगत है?

४. ब्राह्मण स्त्रीके शूद्र पुरुषके साथ विवाहके बारेमे स्मृतियोमे जो श्लोक दिये गये है, उनके बारेमे आपका क्या कहना है?

५. आप कहते है कि चारो वर्णोमे कोई ऊँच-नीचकी बात नही है। आपके इस कथनमे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन शास्त्रोमे से अनेक ऐसे श्लोक उद्धृत किये जा सकते है जो स्पष्ट ही आपके कथनके विपरीत बातोका प्रतिपादन करते है। अत. क्या आपका कथन इन श्लोकोसे सगत बैठता है? कृपया देखे कि शूद्रोके बारेमे स्मृतियोमे क्या कहा गया है।

६. आप कहते है कि वर्ण या जातिका निर्धारण सामान्यत जन्मके आधारपर होता है। आप यह भी कहते है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित आचरण नही करता उसका पतन हो जाता है। वह किस वर्णमे गिना जायेगा? उस शूद्रके बारेमे आप क्या कहेगे जिसके लक्षण ब्राह्मणो जैसे है?

७. ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो-कुछ खाता है, उसीके अनुरूप बन जाता है और किसी भ्रष्ट आदमी द्वारा बनाया हुआ या उसके द्वारा केवल छुआ हुआ भोजन या जल ग्रहण करनेवाला व्यक्ति स्वय भ्रष्ट हो जाता है, और आप कहते है कि अन्तर्जातीय भोजका निषेध वर्ण या जातिके नियमका अभिन्न अग नही है। क्या यह सही है?

८. जब मेरे-जैसे कार्यकर्त्ता अस्पृश्यताके विरोधमे कार्य करते है तब हमारे सनातनी प्रतिपक्षी आपके विरुद्ध तरह-तरहकी बाते कहते है। उनकी अधिकाश बातोका हम जोरदार ढगसे जवाब दे देते है। लेकिन आश्रममे आपने एक मरणासन्न बछड़ेका जो वध कराया था, उसे हम लोगोको समझा नही सके है। क्या आप इस सवालपर रोशनी डाल सकते है?

मूल पत्र अत्यन्त युक्तिपूर्ण है और शुद्ध बुद्धिसे लिखा गया है। मूल पत्र जिस भावनासे लिखा गया है, पत्रका सार देते हुए मै उसके साथ न्याय कर सकता हूँ या नही, मै नही जानता। यदि नही, तो पत्र-लेखक कृपया समझे कि ऐसा अन्याय करनेका मेरा कोई इरादा नही रहा है। अब इसका उत्तर ले।

१. मै हरिजनोसे स्वच्छता और सफाई बरतने, मुर्दार मास और नशीले पेय न लेने, स्वय शिक्षा प्राप्त करने और अपने बच्चोको शिक्षा देने और साथ ही सवर्ण

१. भगवद्‌गीता, अध्याय १, श्लोक ४४।

हिन्दुओंकी जूठन न खाने आदिके लिए तो कहता रहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैं इन बातोंको अस्पृश्यता-निवारणकी शर्तोंके रूपमें हरिजनोंके सामने नहीं रखता। इसके विपरीत मेरा सवर्ण हिन्दुओंसे कहना है कि ये कमियाँ या त्रुटियाँ हरिजनोंमें अन्तर्निहित नही हैं। हमने अपने इन भाइयोंकी जो घोर उपेक्षा, बल्कि जान-बूझकर हमने उनका जो दमन किया है, उनकी ये कमियाँ उसीका परिणाम हैं। इसलिए यदि हम हरिजनोंको आज वे जैसे हैं, उसी रूपमें अपने भाइयोंकी तरह अपनाये तो ये कमियाँ ज्यादा आसानीसे और जल्दी दूर हो सकेंगी; उसके बाद उन्हें बेहतर बननेमें हम उनकी मदद करें। सवर्णोंका अपने पिछले अन्यायोंके लिए यह न्यूनतम पश्चात्ताप है। हमें हरिजनोंके प्रति वैसी दृष्टि रखकर उनके पास नही जाना चाहिए जैसीकि किसी अपात्र व्यक्तिके प्रति उदारता बरत रहे सरक्षक या ऋणदाताकी होती है, बल्कि हमें स्वयं अपनेको अपराधी मानकर पश्चात्तापकी भावनासे, कर्जदार की भावनासे उनके पास जाना चाहिए।

२. वर्णाश्रम-धर्ममें विश्वास और उसका पालन हिन्दू-धर्मकी विशिष्टताएँ कही जा सकती हैं। वर्णाश्रम-धर्मके बारेमें मैंने अपने गुजराती लेखके एक सकलनकी जो प्रस्तावना लिखी है[1] उसका अंग्रेजी अनुवाद 'हरिजन' के इसी अकमें अन्यत्र छपा है। उसमें बताया गया है कि वर्णाश्रम-धर्मसे मेरा क्या तात्पर्य है। मै अपनेको एक सनातनी हिन्दू मानता हूँ, क्योंकि मै शास्त्रोंको जैसा कुछ समझता हूँ, उसके अनुसार शास्त्रोंमें धर्मके जिन शाश्वत नियमोंको बताया गया है उन नियमोंका मैं अपनी शक्ति-भर पालन करता हूँ।

३. यह बात कि अपने पुश्तैनी धंधेका त्याग करनेवाला मनुष्य[2] जातिभ्रम पैदा करता है, स्पष्ट है। यदि कोई ब्राह्मण नाई या इंजीनियरका धंधा अपनाकर अपनी जीविका कमाने लगे तो वह भी उतना ही जातिभ्रम पैदा करता है जितना जातिभ्रम तब पैदा होगा जब कोई नाई या इंजीनियर जीविकोपार्जनके लिए धर्मोपदेश करने लगे। 'गीता' में, जहाँ स्त्रियोंके लिए 'दुष्ट' विशेषणका प्रयोग किया गया है, वहाँ अभिप्राय शायद स्वच्छन्द यौनाचारसे है, विवाहके पुनीत बन्धनसे उत्पन्न संतानसे नहीं।

४ स्मृतियोंके नामसे प्रकाशित श्लोकोंके संकलनको मैं देववाणी नही मानता। मुझे इसमें कोई सन्देह नही है कि स्मृतियों और अन्य धर्मग्रन्थोंमें बहुतसे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। जैसाकि इन स्तम्भोंमें पहले कई बार कह चुका हूँ, स्मृतियों या अन्य धर्मग्रन्थोंमें लिखी हुई ऐसी हर चीजको जो सत्य और अहिंसा अथवा नैतिकताके अन्य मूलभूत और सार्वभौम सिद्धान्तोंके विरुद्ध जाती हैं, मैं प्रक्षिप्त मानकर अस्वीकृत करता हूँ। प्राचीन ग्रंथोंमें इस बातके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इस प्रकारके विवाहोंकी अनुमति थी।

५ इस प्रश्नका जवाब चौथे प्रश्नके जवाबमें ही आ जाता है। ऊँच-नीचका विचार नैतिकताके प्रारम्भिक सिद्धांतोंके विरुद्ध है। जो ब्राह्मण अपने-आपको ईश्वरके

१. देखिए "प्रस्तावना: 'वर्ण-व्यवस्था' की", २३-९-१९३४।

२. गीता में 'उत्सन्न कुलधर्म' शब्दका प्रयोग है।

बनाये किसी भी प्राणीसे श्रेष्ठ मानता है वह ब्रह्मज्ञानी नही है। यदि हम सभी लोग एक ही ईश्वरकी संतान हैं तो हमारे बीच श्रेणियाँ कैसे हो सकती है? वेदोमें वर्णके सर्वप्रथम उल्लेखमे ही चार वर्णोको शरीरके चार प्रमुख अंगोके रूपमे बताया गया है। क्या सिर भुजाओ, उदर या पैरोसे श्रेष्ठ है अथवा क्या पैर अन्य तीन अंगोसे श्रेष्ठ है? यदि शरीरके ये अंग श्रेणियोके प्रश्नपर आपसमे झगड़ने लगे तो शरीरका क्या होगा? वर्णका नियम ईश्वर-निर्मित सभी जीवधारियोमे पूर्ण समानताका नियम है। यह संसारके सभी धर्मोका आधार है। स्मृतियोमे शूद्रोके बारेमे जो श्लोक हैं, वे मानवीयताकी भावनाके विरुद्ध है और इसीलिए इस योग्य हैं कि वे बिना विचार किये रद कर दिये जाये।

६. अपने स्वधर्मका त्याग करनेवाले ब्राह्मण और शूद्र दोनो ही पतित हैं। अपनी पतितावस्थामे वे किसी भी वर्णके सदस्य नही होते। वे अपनी गलतीका सुधार फिर से स्वधर्मको—अपने उपयुक्त धंधेको—अपनाकर कर सकते हैं।

७ कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्तिको भ्रष्ट और इसी कारण अस्पृश्य समझता है तो यह उसकी धृष्टता है। मनुष्य यदि मनमे भ्रष्ट विचार रखे, भ्रष्ट वचन बोले और भ्रष्ट कार्य करे तो वह भ्रष्ट हो जाता है; अपने-जैसे किसी अन्य मानवके स्वच्छ और साफ हाथोसे पिलाये गये पानी या खिलाये गये भोजनको ग्रहण करनेसे कभी भ्रष्ट नही होता। मै यह जरूर मानता हूँ कि कोई मनुष्य क्या खाये, यह तो स्वयं उसीको निश्चय करना चाहिए।

८. मेरे खिलाफ यदि झूठा अपवाद फैलाया जाये तो कार्यकर्त्ताओको मेरे कामोका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश नही करनी चाहिए और न उसका बुरा ही मानना चाहिए। यह तो सभी सुधारकोके भाग्यमे बदा है। झूठे अपवादोसे किसीका कभी कुछ नही बिगड़ा। मनुष्यकी हानि, वह दुष्कर्म करे, तभी होती है। कार्यकर्त्ताओने जो सुधार-कार्य अपने हाथमे लिया है, उसका औचित्य सिद्ध करनेका काम ही उनके लिए बहुत है। उस मरणासन्न बछड़ेके प्राण लेनेकी मुझको शर्म नही है, न उसका कोई पछतावा ही है। मै उसकी यंत्रणाका साक्षी रहकर भी उसे किसी उपायसे कम नही कर पा रहा था। उस कामकी नैतिकतापर मै यहाँ विचार नही करूँगा। यदि पत्र-लेखक या किसी अन्य पाठकको इसके बारेमे उत्सुकता हो तो उसे, जब यह काण्ड हुआ था, उस समयके 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'मे लिखे लेखो[1] को पढ़ लेना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-९-१९३४

१. देखिए खण्ड ३७, पृ० ३२३-७, ३५२-४, ३७७-८, ३९९-४०३ और ४२९-३१।

९९. महाराष्ट्र हरिजन-सेवक संघ

मैंने श्री राजभोजकी शिकायत[1] को महाराष्ट्र प्रान्तीय हरिजन सेवक सघके सचिव श्री मराठेके पास भेज दिया था, और उन्होंने उसका निम्नलिखित जवाब तत्काल भेजा है।

मुझे भेजे गये हिसाबमे से मै प्राप्त रकमोका सक्षेप करके व्ययको विस्तारसे दे रहा हूँ। उल्लिखित अवधिमे प्राप्तिकी कुल रकम रु० १५,६३८-६-० थी। और व्यय इस प्रकार था :

	रु०	आ०	पा०
प्रशासन	२,७९३	७	९
प्रचार	५७७	०	०
कल्याण-कार्य	६,७७२	१४	२
छात्रवृत्तियाँ	३४६	०	०
कुएँ	२७५	०	०
अग्रिम सहायता	२,७९८	१	०

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-९-१९३४

१००. पत्र : एच० जी० जागीरदारको

२८ सितम्बर, १९३४

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। मै बहुत कठिनाईके बाद ही कोलम्बिया कम्पनीके लिए सन्देश दे पाया था।[2] मुझे खेद है कि मै और सन्देश नही दे सकता।

हृदयसे आपका,

श्री एच० जी० जागीरदार
रूबी रिकॉर्ड कम्पनी, चर्चगेट हाउस
चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. यह ७-९-१९३४ के हरिजन में प्रकाशित हुई थी; देखिए खण्ड ५८, "पत्र : पी० एन० राजभोजको", ३१-८-१९३४।
२. देखिए खण्ड ४८, पृ० ९-११

१०१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२८ सितम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

५०० रुपयोंके बारेमें उत्कल [कार्यालय] लिखना। अब यह मामला निपटा गया माना जा सकता है। यात्रा-खर्चकी बात मुझे याद है। जमनालालजी यहाँ नहीं है, इससे मैं कुछ ढील कर रहा हूँ।

सूरजबहनके विषयमें ऐसा है कि उन्हें छः महीने सेवा मन्दिरमें रहने देनेके लिए दबाव डाला जा रहा है। इस सम्बन्धमें हमारा क्या कर्तव्य है, इसपर मैं विचार कर रहा हूँ। क्या तुम कोई मार्ग सुझा सकते हो?

सातकौड़ी बाबूके बारेमें जानकर मैं तो चकित रह गया हूँ। ऐसा कैसे हुआ होगा? साथका पत्र तुम्हारी जानकारीके लिए है। घनश्यामदासको डॉ० विधानको लिखना चाहिए।

इस पत्रको पढनेमें यदि तुम्हें कठिनाई हुई हो तो मुझे बताना।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४३) से।

१०२. तार : मीराबहनको

२९ सितम्बर, १९३४

मीराबाई
मार्फत अलेक्जेंडर
वुडब्रुक
सेली ओक, बर्मिंघम

ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। आशीर्वाद।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६२९९) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९७६५ से भी।

१०३. पत्र : अक्षयकुमार रायको

२९ सितम्बर, १९३४

प्रिय अक्षयबाबू,

मुझे दीनबन्धुसे यह सुनकर दुःख हुआ कि आप कोढग्रस्त है। तथापि, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि चूँकि इलाज जल्द ही शुरू कर दिया गया था इसलिए आपके ठीक होनेके पूरे आसार है। भगवान आपको शान्ति दे।

हृदयसे आपका,

श्री अक्षयकुमार राय
१८, गोबरा अस्पताल
गोबरा रोड, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१०४. पत्र : अनन्त परशुराम घुरेको

२९ सितम्बर, १९३४

प्रिय घुरे,

मैंने सरदार वल्लभभाईके नाम लिखा आपका पत्र पढा और उन्होने मुझे आपकी दस रुपयेकी हुण्डी भी दी है, जिसके लिए मै आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मै सुपात्र हरिजनोके बीच खादीका वितरण करनेके लिए हुण्डीका उपयोग करूँगा। लेकिन नाम और यशके लिए आपके मनमे जो उत्सुकता है वह मुझे पसन्द नही। अनेक लोगोने देशकी खातिर प्राणोकी बलि दी है, और उनके नाम ईश्वरकी पुस्तकमे अंकित है, मनुष्योकी पुस्तकोंमे नही। मनुष्यकी पुस्तकमे जो लिखा है वह एक-न-एक दिन नष्ट हो जायेगा और जिस हदतक उनका नाम मनुष्योकी पुस्तकोमें लिखा होगा उस हदतक ईश्वरकी पुस्तकमें उनका महत्त्व कम हो जायेगा। आइए, हम ऐसी जयन्तियाँ आदि और अन्य प्रकारके सार्वजनिक समारोह उन लोगोंके लिए छोड़ दे जिनकी कीर्ति संसारमे फैली हुई है। लेकिन जो लोग विख्यात नही है, उनकी स्मृतियोको हम

अज्ञात ही रहने दे। हमे अपनेमे इस गुणका विकास करना चाहिए कि हम सद्गुणको ही स्वयंमें अपनी उपलब्धि मानें।

हृदयसे आपका,

श्री अनन्त परशुराम घुरे
हनुमान टैरेस
ब्लॉक १२ ए० बी०, लेमिंग्टन रोड
वम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

१०५. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२९ सितम्बर, १९३४

बा,

मेरे पत्र मिल रहे होगें। यदि रामदासकी ताकत पूरी तरह न लौटे तो काग्रेस-अधिवेशनमे आनेका कार्यक्रम रद कर देना। उसमे ऐसी कोई खूबी नही रहेगी। नीमुको वहाँ ले जाना ठीक नही होगा। जहाँ देखो वहाँ भीड होगी। जहाँ जैसे-तैसे गुजर करनी पडे वहाँ बाल-बच्चेवाली स्त्रियोको नही जाना चाहिए। वायु-परिवर्तनके बारेमे तो रामदासको तभी सोचना है न, जब वह पूरी तरह चंगा हो जाये। तू इसकी चिन्ता मत करना। अपने लिए मच्छरदानीका उपयोग करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २७-८.

१०६. पत्र : सरिताको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० सरिता,

मैंने तुम्हारा पोस्टकार्ड पढा। तुम्हे मेरा पहला पत्र भी मिला होगा। मैंने मणिको किसी डॉक्टरकी राय लेनेके लिए कहा है। मेरा खयाल है कि सुमित्राको अन्न नही दिया जाना चाहिए। यदि नरम खीरा उपलब्ध हो तो तुम उसे खानेके लिए दे सकती हो और पके हुए टमाटर भी। अनाज शायद उसे माफिक न आये। उसे थोड़े बादाम और मुनक्का देनेमें कोई हर्ज नही है। उम्मीद है, तुम अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (जी० एन० ११५३१) से।

१०७. पत्र : सुदर्शन वी० देसाईको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० मावो[1],

तेरा पत्र मिला। तू यदि किसीके पास बैठकर चिट्ठी लिखे तो बहुत अच्छा रहे। इग्लैडके या किसी दूसरे देशके खिलौनोको नही खरीदना चाहिए। जो अपने देशमें मिलते है, उन्हीसे सन्तोष करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५७४०) से, सौजन्य. वालजी गो० देसाई

१०८. पत्र : विमलचन्द वी० देसाईको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० नानु[2],

तेरा पत्र और लेख मिले। तेरी लिखावटमे बहुत खामी है। एक शब्दके अक्षरोको अलग-अलग नही लिखा जाना चाहिए। तू अपना पत्र यदि किसीको दिखाकर लिखे तो ज्यादा अच्छा हो। वहाँ कितने समयतक रहनेका इरादा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५७३९) से, सौजन्य वालजी गो० देसाई

१ और २. वालजी देसाईके पुत्र।

१०९. पत्र : जयकृष्ण पी० भणसालीको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० भणसाली,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। वे मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम्हारे पता न लिखनेकी वजहसे मैं उनके उत्तर नही देता। चूंकि इस बार तुमने अपना पता लिखा है इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। तुमने अपने मुँहके टाँके तुड़वा डाले, यह जानकर खुशी हुई। स्वाभाविक तो यही है कि मनुष्य अपनी अन्त प्रेरणासे बोले अथवा न बोले। बाह्य साधनोका प्रभाव क्षणिक होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य · नारायण देसाई

११०. एक पत्र

२९ सितम्बर, १९३४

चि० . . [1]

मैं तुम्हे यह तो बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे और . . .[2] के सम्बन्धमे मुझे मलिनताकी दुर्गन्धका अनुभव हुआ है। यह बात मैंने किशोरलालसे कही। और किशोरलालने काकासे। काकाने इसका स्पष्ट अर्थ बतानेको कहा। मैंने उन्हे जो बताया, वह तुम्हे सूचित करना भी अपना धर्म मानता हूँ। अनजाने ही सही, तुम दोनोके बीच एक-दूसरेके प्रति स्त्री-पुरुष-जैसा आकर्षण मालूम पडता है। ऐसा आकर्षण अनजाने हो सकता है, यह एक सिद्ध बात है। आवश्यक नही है कि यह आकर्षण कार्यरूपमे परिणत हो। मैंने तुम्हारे मोहका अन्य कारण जाननेकी कोशिश की। किन्तु कोई दूसरा कारण नही मिला। इस सगतिसे न तुम्हे कुछ लाभ हुआ है और न . . .को, यह तो मैंने स्पष्ट ही देखा। . . .ने तुम्हारी व्यक्तिगत सेवा की है, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा करना कि सब उसकी प्रशंसा करे, ठीक नही जान पडता। मैं यह लिखकर तुम्हारे प्रति अन्याय नही कर रहा हूँ। तुम्हारे मनमे विकार न हो तो भी मुझे जैसा लगा है वह तुम्हारे सामने न रखूँ, तो मै तुम्हारा वफादार साथी नही रहता। तुम्हे मेरे यह लिखनेपर न दुःख होना

१ और २. नाम नहीं दिये गये है।

चाहिए न क्रोध। आत्मनिरीक्षण करना और मुझे लिखना। मैं यही मानूँगा कि तुम जो कहते हो सो सही है। मेरी यह धारणा नही है कि तुम जान-बूझकर अपने दोष छिपाते हो।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई

१११. पत्र: सुरेश सिंहको

२९ सितम्बर, १९३४

चि० सुरेश[1];

तुमारा पत्र मिला था। राणी साहेबाको मेरा तार मिल गया होगा। जन्म-मृत्यु तो हमारे नसीबमें लिखा ही है। उसमे हर्ष शोक क्या करे। तुमारे दादाके शुभ कार्यको सुशोभित रखना है। राणी साहेबाको धैर्य देना है। मेरी यह उमीद है कि सब व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। मुझे खत लिखा करो।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६८८) से। सी० डब्ल्यू० २८९२ से भी; सौजन्य: कुमार सुरेश सिंह

११२. सजोदके हरिजन

सजोदके हरिजनों पर जो अत्याचार[2] किया जा रहा है, उसके बारेमे मैं पिछले अंकमें कुछ लिख गया हूँ। सजोदसे अब एक हरिजनने हरिजन बालकोंपर होनेवाले अत्याचारोका वर्णन किया है। उसमे नवीन कुछ नही है इसी से मैं यहाँ उस पत्रको प्रकाशित नही कर रहा हूँ। हरिजन इस तरह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारके बारेमे लिखने और बोलने लगे हैं, यह एक शुभ चिह्न है। इस पत्र-लेखकको और ऐसे अन्य हरिजनोंको फिलहाल तो मैं धीरजसे काम लेनेकी सलाह देता हूँ। वहाँके कुछ-एक सवर्ण हिन्दू इस अत्याचारका विरोध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। हरिजन भाई-बहनोको हिम्मतके साथ और निर्भय होकर उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही यथेष्ट होगा। इतना करनेमें भी अनेक हरिजन घबराते हैं, ऐसे उदाहरण मुझे बार-बार मिलते रहते हैं। तलाजामे ऐसा ही हुआ था।

१. कालाकाँकरके दिवंगत राजा अवधेशसिंहके छोटे भाई।

२. देखिए "धर्मके नामपर ढ्ढ", २३-९-१९३४।

महाराष्ट्रसे अभी-अभी एक पत्र मिला है, उसमे एक वालिकापर भारी अत्याचार किये जानेकी शिकायत की गई है। लेकिन वह वालिका और उसके सगे-सम्वन्धी गवाही देनेके लिए तैयार नही। उन्हे इस् वातका भय है कि गवाही देनेपर उन पर और अत्याचार किये जायेंगे। उनका यह भय निर्मूल है, ऐसा भी नही कहा जा सकता। इसलिए जो हरिजन स खतरेको उठाकार भी अपने ऊपर होनेवाले जुल्मको साबित करनेके लिए गवाही देनेको तैयार है, वे वघाईके पात्र है। इतना निश्चित है कि ऐसे अत्याचार अब वहुत दिनोतक चलनेवाले नही है। क्योकि एक ओर तो सवर्ण हिन्दुओमे हरिजनोके प्रति अपने धर्मके वारेमे जागृति आ रही है, दूसरी ओर हरिजन लोग भी अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारोके प्रति सजग होते जा रहे है। ईश्वर तो सदा न्यायका ही पक्षघर है। इस श्रद्धाभावसे हरिजनो और सवर्ण सुधारकोको अपने कर्त्तव्यका पालन करते चले जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ३०-९-१९३४

११३. स्वेच्छासे शूद्र

वर्ण-धर्मके विषयमे एक साथीने कुछ प्रश्न भेजे है। उनमे से आज तो मै केवल एक ही प्रश्नको हाथमे लेना चाहता हूँ। उक्त प्रश्न मेरी भाषामे इस तरह है.

> आप वर्ण-धर्मपर ऊहापोह करते ही रहते है। तो फिर इससे सम्वन्धित मेरी कुछ-एक समस्याओको यदि आप सुलझा सके तो अवश्य सुलझाइए। 'गीता' वैश्यके तीन स्वाभाविक कर्म वताती है। ये है. खेती, गोरक्षा और व्यापार। व्यापार अर्थात् एक व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये मालको दूसरा ले और किसी तीसरेको वेचे। अथवा स्वय माल तैयार कर स्वयं वेचे। खेती करनेवालो और गोरक्षा करनेवाले लोगोंकी संस्या तो करोडोकी है। तथापि, भरवाड, मोची, चमार और किसान आज तो शूद्र माने जाते है, जवकि उपरोक्त व्याख्याके अनुसार इन सवको वैश्य माना जाना चाहिए। मेरी और आपकी दृष्टिमे तो चारो वर्ण एक समान होने चाहिए, नम्रभावसे एक ही धरातलपर रहनेवाले होने चाहिए, एक-दूसरेके कन्धोपर चढकर नीचे खड़े लोगोको अभिमानपूर्वक कुचलनेवाले नही होने चाहिए। लेकिन हम जानते है कि समाजका दृष्टिकोण इससे भिन्न है। ऐसी स्थितिमे किसान, भरवाड, चमार आदि जो मजदूरी करके नही खाते वरन् स्वतन्त्र धन्धेके द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करते है उन्हे वैश्य क्यो नही माना जाना चाहिए? किसान खेती करता है। भरवाड, चमार गोरक्षा करते है। ये लोग किसीकी नौकरी नही करते। यदि हम इन्हे गोरक्षक न माने तो ये लोग व्यापारी है, क्योकि ये जो तैयार करते है उसे खुद ही वेचते है। किसी भी तरह ये लोग शूद्रकी व्याख्यामे नही आते। इसके विपरीत जो लोग नौकरी करते है वे शूद्र क्यो न कहे जाये, फिर भले वे न्यायाधीश हो अथवा गवर्नर, सिपाही हो अथवा भगी?

य समस्याएँ नि.सन्देह वास्तविक हैं। इनके उत्पन्न होनेका कारण यह है कि वर्ण-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। इसका समाधान यह नही कि भरवाड आदि को वैश्य माना जाये। जो लोग आज शूद्र माने जाते है उन्हे अभिमानी वैश्य अपने तथाकथित वैश्य-वर्णमे थोडे ही शामिल करेगे? ऊपर जो दलील दी गई है वह अकाट्य है ही। लेकिन अकाट्य दलीलोसे न्याय नही होता। न्याय प्रदान करनेके लिए [इस समस्याके] मूलकी खोज करनी पड़ेगी और वह अनुभवसे मिलेगी। अनुभव यह कहता है कि वर्ण-धर्मका लोप हो गया है। इसलिए वर्ण-व्यवस्थाका उद्धार करनेके लिए हम सबको स्वेच्छासे शूद्र बनना चाहिए। लाचारीसे तो हम शूद्र है ही। लेकिन लाचारीसे किया गया अच्छा काम भी पुण्य नही कहलाता। लाचारीसे यदि मै किसीको दो पैसे देता हूँ तो उसमे पुण्य नही है। लेकिन जो चीज मैंने आज तक लाचारीके कारण दी है यदि मै स्वेच्छासे देता हूँ तो वह पुण्य कहलायेगा। यही बात शूद्र-वर्णके विषयमे है। जो लोग इस बातको समझते है वे चाहे कितने ही उच्च वर्णके क्यो न हो, लेकिन यदि वे स्वेच्छासे अपने-आपको शूद्र मानने और कहलाने लगेगे तो कहा जायेगा कि उन्होने वर्ण-व्यवस्थाके पुनरुद्धारका काम शुरू कर दिया है।

आइए, जरा इसके अर्थपर गौर करें। स्वेच्छासे शूद्र बना हुआ व्यक्ति सेवा-कार्यको धर्म समझकर करेगा। उसे उससे आजीविका प्राप्त हो अथवा न हो, लेकिन वह शुद्ध भावसे और तन-मनसे सेवा करेगा। वह रोटी-बेटी-व्यवहार भी तथाकथित शूद्रोके ही साथ करेगा, अलबत्ता ऐसे शूद्रोके साथ जो शौचाचार आदिके सामान्य नियमोका पालन करते हों, और ऐसा वह जान-बूझकर करेगा। वह शूद्र माने जानेवाले वर्गमे ओतप्रोत हो जायेगा। वह उनकी गरीबीका यथाशक्ति अनुकरण करेगा। वह उनकी कमजोरियोको दूर करनेका प्रयत्न करेगा। ऐसा शूद्र अपनेमे ब्राह्मणका ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियका क्षत्रियत्व और वैश्यकी व्यापार-शक्तिका विकास करनेपर भी अपनी आजीविका केवल परिचर्यामे से ही प्राप्त करेगा। वर्ण-धर्ममे प्रत्येक वर्ण चारो वर्णोके गुणोका अनुकरण कर सकता है। उसे वैसा ही करना चाहिए, क्योकि 'स्मृति' मे कहा गया है:

"हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रताका पालन करना—यह मनुके द्वारा निर्दिष्ट सार्ववर्णिक धर्म है।" (१) अथवा

"हिंसा न करो, सत्य बोलो, चोरी न करो, विषयकामना, क्रोध और लोभ न करो तथा प्राणी-मात्रका प्रिय और हित करो। इतना तो सब वर्णोके लोगोका धर्म है।" (२)

इसलिए प्रत्येक वर्णमें विशेषता यह है कि लोग अपने-अपने वर्णके खास लक्षणो का विशेष रूपसे विकास करते है और उसके द्वारा ही अपनी आजीविका अर्जित करते है।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, ३०-९-१९३४

११४. टिप्पणी

तिरस्कार सूचक पद्धति

धोलकासे डाह्याभाई पटेल लिखते हैं :

> नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों और धारासभाओं आदिमें जिन्हें प्रतिनिधि चुनकर भेजनेका अधिकार मिला है, उनकी मतदाता सूचियाँ प्रकाशित की जा रही हैं। सूची तैयार करनेवाले लोग उनके नाम, विशेषकर हरिजनोंके तो बिगाड़कर लिख ले जाते हैं। ऐसे, जैसे हम कुत्तोंके नाम रखते हैं। लिखे ही नहीं, छापे भी वे वैसे ही जा रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले धोलका-जिलाके प्रमुख अधिकारीसे इस विषयमें बातचीत की थी और कहा जाता है कि अब जिलेमें इस प्रकारकी हिदायतें दे दी गई हैं कि पटवारी आदि हरिजनोंके पूरे-पूरे नाम लिखें। एक सूचना निकालकर सारे देशमें तत्सम्बन्धी सरकारी नीति जाहिर कर दी जानी चाहिए।
>
> बात पहली नजरमें महत्त्वहीन दिखाई पड़ सकती है। किन्तु मूलतः इससे यह प्रकट होता है कि व्यवहारमें हरिजनोंका जो तिरस्कार किया जाता है, उनके नाम बिगाड़कर लिखना-बोलना इस रूढ़िको दृढ़ करता है।

जैसा डाह्याभाई लिखते हैं, यह बात देखनेमे तो सामान्य है, फिर भी ऊँच-नीचकी भावनाकी यह एक निशानी तो है ही। अपने को ऊँची जातिका माननेवाला हिन्दू नीच गिनी जानेवाली जातिके व्यक्तिको अनादरपूर्वक पुकारनेमे ही बडप्पन मानता है। यह चीज रूढ हो गई है। मनमे तिरस्कार हो न हो, पुकारनेमे तो सब ऐसा करते ही है। सार्वजनिक खातोमें से तो यह रूढि निकल ही जानी चाहिए। रमुआ, किसना, कलुआ मतदाताओकी सूचीमे छपे तो इससे हमारी असभ्यता ही सूचित होती है। हमारी बोल-चालमे भी नामोके ऐसे विकृत रूपोका उपयोग बन्द होना चाहिए। इस परिवर्तनका कट्टरतापर कोई बड़ा असर नही पडेगा, फिर भी जो विवेकको जाग्रत रखना चाहते है, जो हरिजनोके प्रति प्रेम रखते है उन्हे तो अपने वरतावमे सुधार कर ही लेना चाहिए। हमे आशा है कि सरकार सूचियोको तैयार करानेकी दृष्टिसे इस रूढ़िको समाप्त करनेके आदेश तत्काल निकाल देगी।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, ३०-९-१९३४

११५. पत्र : नारणदास गांधीको

३० सितम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

इस समय मैं मौन रखे हुए हूँ। पत्रोंको निबटानेके लिए इस तरह बीच-बीचमें मौन ले लेता हूँ। मौन शुरू करनेके पहले मैंने किशोरलालसे कह दिया था कि तुम्हारे पहले पत्रोंका जवाब वह दे दे। आज जो पत्र मिला है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ।

हरिलालको भण्डार खुलवा देनेसे पहले वह खादी फेरी लगाकर बेचे, यह मुझे उचित लगता है; और सो भी पोरबन्दरमें ही। फिलहाल तो उसे स्वयं एक जगह दूसरी जगह जाना-आना अनुकूल नहीं पड़ेगा। भण्डार खुलवानेकी उतावली तो कदापि न करें।

सन्तोकके नाम एक पत्र[1] भी रख रहा हूँ। वह अपने फुटकर खर्च किस तरह चलाती है? समस्या तुम्हीं सुलझाना।

कन्हैया[2] ठीक जम रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१७ से भी, सौजन्य : नारणदास गांधी

१. उपलब्ध नहीं है।

२. नारणदास गांधीका छोटा पुत्र।

११६. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

३० सितम्बर, १९३४

भाई विट्ठलदास,

इसके साथके आँकडोको पढ जाना और ये आँकड़े ठीक है अथवा नही, सो लिखना। स्वामीने इनका अध्ययन किया है। वह कहता है कि खादीका ४० प्रतिशत लाभांश व्यापारीको मिलता है और मात्र ६० प्रतिशत बनाने वालेको मिलता है। यदि यह बात सच है तो हमे उसमे सुधार करना चाहिए। इन आँकड़ोका ठीक-ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए। हमे अनजाने भी असत्यका प्रचार नही करना चाहिए।

और फिर ६० प्रतिशतमे से कितना किसानको, कितना लोढ़ने वालेको, कितना पीजनेवालेको और कितना बुनकरको जाता है — हमे इन सब बातोकी जाँच करके उन्हे लोगोके समक्ष प्रकट करना चाहिए।

इस प्रक्रियामे तुमने एक सोपानको तो छोड ही दिया है। मिलका सूत हाथ-करघे पर बुननेको कितना मिलता है, सो भी बताना चाहिए। देशी मिलोके आँकड़े तो ठीक नही है। इनमे भी जो मजदूरको मिलता है उसे अलग दिखाया जाना जाहिए। जो मिले विदेशी रुईका इस्तेमाल करती है उनके, और जो देशी रुईका इस्तेमाल करती है, उनके आँकडे अलग-अलग दिये जाने चाहिए। मशीनोके आँकड़े भी दिये जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त मणिबहन मुझे कह रही थी कि १२ आने गजवाली खादीके हमने १५ आने लेनेका प्रयत्न किया था। लेकिन भूलसे खादीके टुकड़ेपर असल कीमत लिखी रह गई थी, ग्राहकने उसे देख लिया, विक्रेता झूठा पड गया और उसने उक्त खादी फिर १२ आनेमे बेची। यह सब क्या है?

तीसरी शिकायत यह है कि हमारा काम सबसे ज्यादा है।

मुझे अच्छी तरह जाँच कर लेनेके बाद उत्तर देना।

उम्मीद है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी।

लक्ष्मी[1] तो ऐसा लगता है मानो अदृश्य हो गई हो।

बापूके आशीर्वाद

सलंग्न : एक कतरन

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७८६) से।

१. विट्ठलदास जेराजाणीके भाईकी पुत्री।

११७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

३० सितम्बर, १९३४

भाईश्री विट्ठलदास,

इसके साथ १० रुपयेकी खादीकी हुण्डी है। इससे हरिजनोंके उपयोगमें आ सकनेवाली खादी खरीदकर हरिजनोंमें से उपयुक्त पात्रोंको दे देना। जो करो सो लिखकर बताना। यदि कुछ ठीक निर्णय करते न बने तो नर्गिसबहनसे पूछना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९७८६-ए) से।

११८. पत्र : सिद्धिमतीको

३० सितम्बर, १९३४

चि० सिद्धिमती,

तेरा पत्र मिला है। लिखावट खराब है, पंक्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हैं। इसे सुधारना। ब्रह्मचर्यका पालन करना हो तो महादेवसे अलग रहना, पर-पुरुषके साथ कभी एकान्तमें नहीं बैठना। बिना कारण उसका स्पर्श न करना। अपने काममें तल्लीन रहना और चौबीसों घंटे हृदयमें रामनाम अंकित रखना।

सिद्धिमती
हुबली

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१२१. पत्र : डंकन ग्रीनलेसको

१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डकन,

मुझे आपकी शुभकामनाएँ और प्रार्थना मिली, इन दोनोकी ही मै कद्र करता हूँ।

हाँ, मै अवश्य यह स्वीकार करता हूँ कि सत्यान्वेषी जब अकेला हो तब सत्य को पा सकता है। लेकिन 'अकेले' शब्दका अर्थ तनहाई नही है। इसका अर्थ यह है कि उसपर किसी प्रकारका बन्धन नही होना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होगे। आपने लिखा है कि मैंने आपके पत्रके किसी प्रश्नका उत्तर नही दिया है। वह प्रश्न क्या था? मै आशा करता हूँ कि आपको 'हरिजन' भी मिल रहा है।

श्री डकन ग्रीनलेस
बर्लिग
खेड़ी, सावलीगढ़, बैतूल जिला

अंग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१२२. पत्र : एम० तैयबुल्लाको

१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, जिसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जिस मामलेका जिक्र किया है, उसमे हस्तक्षेप करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन है। इस मामलेको वस्तुत· आप स्थानीय लोगोको ही सुलझाना चाहिए। बहरहाल, मुझे तो हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१) से।

१२३. एक पत्र[1]

१ अक्टूबर, १९३४

प्यारे दोस्तो,

आपका पत्र मिला, जिसके लिए आपको धन्यवाद। यह वस्तुत एक घरेलू मामला है जिसे स्थानीय लोगोको आपसमें सुलझा लेना चाहिए। बहरहाल, मैं इसमे हस्तक्षेप नही कर सकता। मैंने जो नियम बनाया है, आप लोग उसके मुताबिक काम कर सकते हैं — जिसके जीतनेकी सबसे कम उम्मीद हो उसे चुनावसे हट जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १) से।

१२४. पत्र : द्वारकानाथको

१ अक्टूबर, १९३४

चि० द्वारकानाथजी,

आश्चर्य है, तुम्हे मेरा पत्र नही मिला। मैंने तुम्हारा लम्बा पत्र भी वापस भेजा था। वह मैंने किसी औरको पढनेको नही दिया था और उसका उत्तर भी किसीने नही पढा था। हालाँकि मेरे विचारसे ऐसा करनेकी कोई जरूरत नही थी। मै देखता हूँ कि तुम्हारे सारे विचार बदल गये है। जिसे तुम आजतक धर्म मानते आये हो, वह आज तुम्हे अधर्म-रूप जान पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि केवल तुम ही सच्चे हो और हम सब भूलमे हो। तुलसीदासका वचन है. जो असत्यको सत्य मानता है, उसके भ्रमको कौन टाल सकता है? सत्यकी परीक्षा कौन करे? इसलिए हमे एक-दूसरेकी स्थितिको सहन करना चाहिए। जिस चीजको करनेमे विश्वामित्रको चौदह वर्ष लग गये थे, उसे यदि आज कोई चौदह दिनमे ही कर लेता है तो वह हजार बार वदनीय होगा और उसका तेज छिप भी नही सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत भ्रममे पडे हुए हो। आश्रमके सिद्धान्तोके अनुरूप जीवन व्यतीत करते हुए आज मुझे पचास वर्ष होनेको आये। उनमें भूलकी सम्भावना कदाचित् कम ही है।

१. यह पत्र गोपीनाथ बारदोलाईको लिखे पत्रोंमें से मिला है।

तुमने दिनकरको जो पत्र लिखा था, वह उसने मुझे पढ़नेको दिया था। कहाँ वह और कहाँ मुझे लिखा तुम्हारा पत्र।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

१२५. पत्र : जैमिनी भूषण मित्राको

२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय जैमिनीबाबू,

मैं व्यक्तियोके चुनावमें कोई दिलचस्पी नही ले रहा हूँ। मैंने तो नियम सुझा दिया है जिसके अनुसार दोनो दलोको काम करना चाहिए। आपको डॉ० रायको इस बातका यकीन दिला देना चाहिए कि दूसरा उम्मीदवार बेकार है।

जैमिनी भूषण मित्रा
मोर स्ट्रीट
कलकत्ता

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य· नारायण देसाई

१२६. पत्र : एम० को

२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय एम०[1],

तुम्हारे पत्र मिले। आशा है, तुम्हे मेरा पत्र यथावत् मिल गया होगा जिसमे . . .[2]

तुम्हारे एक पत्र परसे मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मनसे यह भावना फिर जाती रही है कि तुमने कोई अपराध किया है। लगता है कि तुम्हे अपने असत्याचरणपर सन्देह है। क्या तुम इस बातको अनुभव नहीं करते कि जिम्मेदार लोग पवित्रताकी दृष्टिसे लगभग एक सन्तके रूपमे तुम्हारी कद्र करते थे? लेकिन यदि तुम अपने गुण-दोष नही देख सकते तो भला मैं उनके बारेमे कहनेवाला कौन होता हूँ? सदैव सही

१. नाम नहीं दिया गया है।
२. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

निर्णय देनेवाला एकमात्र न्यायाधीश तो ईश्वर ही है। वही तुम्हे राह दिखाये। मै तो केवल प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि तुम्हे और हम लोगोको प्रकाश दिखाई दे और उसका अनुकरण करे।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

१२७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२ अक्टूबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

तुम्हारे बजटसे सम्बन्धित तुम्हारा पत्र मिला। तुम जो लिखते हो सो मेरी समझमें नही आया। घनश्यामदास और मुझे साथ बैठकर जाँच करनेकी क्या जरूरत है, यह बात मै नही समझा। मुझे इस जाँचके लिए दस दिन निकालने चाहिए, मै यह भी नही समझ पाया। मै तो केवल इसपर नजर डाल जानेकी इच्छा रखता हूँ। तुम यदि मुझे मूलकी नकल और उसपर अपनी सलाह लिखकर भेज दो तो मै फुरसतके समय वह सब देख जाऊँगा और अपने सुझाव भेज दूँगा। बजटकी जाँचपर दो-तीन हजार रुपयेके खर्चमे पडनेकी बात तो बिलकुल समझमे नही आती।

अगर तुम सभा बुलाना आवश्यक समझते हो, तो बेशक स्वय बुला लेना। अगर उसमे मेरी उपस्थिति जरूरी मानी जाये तो सभा यही हो सकती है। जो-कुछ करना है, नवम्बरमें ही करना। मै इस महीनेमे तो एक मिनट भी नही दे सकता।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४४) से।

१२८. पत्र : हरिलाल गांधीको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। नारणदासने जरा जल्दबाजी की। आज मैं तुझे निम्नलिखित तार दे रहा हूँ?

"नारणदाससे मिली रकमको खर्च करनेमे अभी रुको। पत्रकी प्रतीक्षा करो। बापू"[१]

आज मेरी आँख ढाई बजे खुल गई और मैं तेरे प्रति, अपने धर्मके बारेमे विचार करने लगा। नीद नही आई इसलिए २.४५ बजे उठा। दातौन की और गर्म पानी तथा शहद पीनेके बाद अब तुझे यह पत्र लिखने बैठा हूँ।

नारणदास जो पैसा तुझे देगा उसे मैं नारणदासके निजी खातेमे डालना चाहता हूँ। जबतक मुझे पूरा विश्वास नही हो जाता तबतक तेरे लिए मैं पैसा सार्वजनिक खातेसे अथवा सार्वजनिक जीवनके अपने मित्रोसे नही लेना चाहता। यदि ऐसा करता हूँ तो धर्मकी हानि होगी।

तूने अब अपनेको सुधार लिया है, इसका अभी मुझे विश्वास नही हुआ है। मुझे उसका स्वतन्त्र प्रमाण मिलना चाहिए। इसलिए मैं मात्र तुझे लिखकर इस चीजका विश्वास नही कर लेना चाहता। उसे मैं तेरे द्वारा ही, तेरे व्यवहारको देख कर ही, प्राप्त करना चाहता हूँ। तू ईश्वरलालके साथ रहता है। उसपर यदि तूने अच्छी छाप डाली हो तो उससे मुझे लिखनेके लिए कहना और निम्नलिखित प्रश्नोका उत्तर तो तू ही देना :

१. तूने जो पहला पत्र मुझे लिखा था, क्या उसके बाद तूने शराब पी है?

२. क्या तूने मन, वचन, अथवा कर्मसे विषयोका सेवन किया है।

३. क्या तू बीडी पीता है?

४. तुझे क्या अन्य कोई व्यसन है?

तेरे और मेरे बीचमे अब यह निश्चय हो जाना चाहिए कि तूने मुझे जो कहा हो, यदि तू उसका भंग करे अथवा यह बात सिद्ध हो जाये कि तूने मुझे धोखा दिया है तो मैं कम-से-कम सात दिनोका उपवास करूँगा। वचनभग से अथवा तेरे दुष्कार्य से यदि मुझे बहुत आघात पहुँचे और मुझमे शक्ति और इच्छा हुई तो मैं इससे भी अधिक दिनतक उपवास कर सकता हूँ।

१. यह अंश अंग्रेजीमें है।

हालाँकि मैं तेरे बारेमें आशावान था, तथापि मैंने अपनी छाती पत्थरकी बना ली थी और तुझे तनिक भी आर्थिक सहायता नहीं देता था। लेकिन पोरबन्दरसे लिखे तेरे पत्रसे मुझे लगा कि तू बदल गया है, इसलिए जितनी हो सके तेरी उतनी मदद करनेकी मेरी इच्छा हुई।

यदि तुझे मेरी जीवन-पद्धतिपर और धर्मकी मेरी समझपर विश्वास हो गया हो तो मैं तुझसे जो अपेक्षा रखता हूँ और जो सलाह देता हूँ, वह सब तेरी समझमें आ जायेगी। इस विषयपर मेरे साथ बहस न करने लगना, अपितु जिस प्रकार कोई रोगी वैद्यकी सलाहको आज्ञारूप मानकर उसका पालन करता है, उसी प्रकार तू मेरी सलाहके अनुरूप कार्य करना। पिता होनेके नाते मेरे प्रति तेरा कुछ विशेष कर्त्तव्य है, ऐसा समझकर कुछ न करना। तेरा यह कर्त्तव्य तभी हो सकता है जब मैं अपंग हो जाऊँ। यहाँ तो तू मेरे साथ, मुझे मित्र, वैद्य और साथी समझकर व्यवहार करना। तेरा पोरबन्दरमें रहनेका आग्रह क्यों है? यदि तू राजकोटमें रहे तो तेरी मदद करने में मुझे सुविधा होगी।

और यदि तुझे पोरबन्दरमें ही रहना हो तो बाप-दादाओंके घरमें रह, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या उसमें कोई हिस्सा खाली है? क्या वह हिस्सा हवादार है?

जबतक मुझे तेरी स्थिरताके विषयमें विश्वास नहीं हो जाता और रामजी भाईको भी वैसा विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुझे कोई दुकान करनेका विचार छोड़ देना चाहिए।

खादीके नमूनों परसे तू पोरबन्दरमें जो आर्डर ले सकता हो सो लेना।

यदि चरखे और खादीपर तुझे मेरे-जैसी श्रद्धा हो गई हो तो तू उत्साहपूर्वक तकली और चरखेपर कातना सीख लेना और रोज तकलीपर कातना। कातनेसे पहलेकी समस्त क्रियाएँ भी सीख लेना। यह सब तू राजकोटमें ज्यादा आसानीके साथ कर सकता है। क्या तू मेरे साथ और मेरी देख-रेखमें रहनेको तैयार है? कांग्रेस [अधिवेशन]के बाद मेरे मनमें यह विचार अवश्य उठ सकता है।

काका साहब और किशोरलालभाई यहीं हैं। विनोबा तो हैं ही।

तू जो भी करे सो अच्छी तरह सोच-समझकर करना। अपनी शक्तिसे बाहर कुछ नहीं करना। जो बात बुद्धि और हृदय स्वीकार न करे वह भी न करना। मात्र अपना जीवन-निर्वाह करनेके लिए ही तू मेरे साथ सम्बन्ध मत बनाना। तेरा निर्वाह इतने वर्षोंतक जैसे-तैसे होता ही रहा है। अच्छे-बुरे सब लोगोंका निर्वाह जैसे-तैसे ईश्वर तो करता ही है न? [किन्तु] अपूर्ण मनुष्यको अन्तकालतक अच्छे-बुरेका भेद करके ही रहना पड़ता है। अभीतक कोई देहधारी मनुष्य सम्पूर्ण नहीं बन पाया है और भविष्यमें होगा भी नहीं, क्योंकि जड़देहके साथ आत्माका विवाह ही उसकी सीमा है। विवाह मात्र सीमाकारक है। आत्मा जब पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाती है तब वह नये शरीरकी रचना नहीं करती। लेकिन मैं तुझसे यह सारी चर्चा क्यों करूँ?

तेरा कल्याण हो। तुझमे भगवानका वास हो। वही तेरा सच्चा गुरु है। 'देहीना स्नेही सकल स्वारथमा अन्ते अलगा रहेशे रे' इसलिए ईश्वरको साक्षी मानकर तेरी अन्तरात्मा जो कहे सो करना। यदि तू मेरी बात नही मानेगा तो उसका मुझे लेशमात्र भी दु:ख नही होगा। लेकिन यदि मेरे साथ तू विश्वासघात करेगा तो उससे मुझे बहुत दु:ख होगा। मैं बूढा हो गया हूँ और तू भी अब कोई बच्चा नही है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१२९. पत्र: शामलालको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल,

यह रहा श्री रामरिछपालकी ओरसे लिखा पत्र। मैंने यह पत्र अबतक रोके रखा था, क्योंकि मैंने यह पत्र आपको भेजनेके लिए पत्र-लेखकसे अनुमति माँगी थी। ऐसा मुझे इसलिए करना पडा, क्योंकि इसमे ऐसी बाते कही गई है जो मुझे चौकानेवाली जान पडती है और इनपर मैं तबतक विश्वास करनेके लिए तैयार नही था जबतक मैं यह आपको दिखला न लेता। अब आप कृपा करके इस पत्रपर अपनी आलोचना लिख भेजे और उसके साथ यह पत्र भी वापस कर दें। मेरे पास इस पत्रकी प्रति नही है।

हृदयसे आपका,

सलग्न १

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

१३०. पत्र : एच० पी० मोदीको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

पत्रके साथ गोरखपुरसे सहायताकी जो अपील की गई है उसकी एक प्रति नत्थी है। वहाँ अकथनीय दुःख और कष्ट है। अपीलपर जिन लोगोके हस्ताक्षर है वे सब जाने-माने लोग है। बाबा राघवदास ने, जो सहायता-कार्योके अध्यक्ष हैं, मुझे बताया है कि उन्होने कपडेके लिए मिल-मालिकोसे अपील की है। उन्हे दिल्लीसे इसका अनुकूल उत्तर मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब उन्होने मुझे लिखा था तब बम्बई अथवा अहमदाबादके मिल-मालिकोने इस अपीलके उत्तरमे कुछ नही दिया था। मैं बम्बईके मिल-मालिकोसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस अपीलकी ओर ध्यान दे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्रीयुत एच० पी० मोदी
बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य · प्यारेलाल

१३१. पत्र : डॉ० बी० जयरामको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० जयराम,

मैसूरके प्रिन्सेस कृष्णाजम्मन्नी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियममें श्री भोलेको भर्ती किये जानेके सम्बन्धमे लिखे आपके २९ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं माने लेता हूँ कि आपने बगलौरके ब्रह्मचारी रामचन्द्रको सलाह दी है जिनके साथ श्री भोले इस समय रह रहे हैं और जो इस समय आपके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

हृदयसे आपका,

डॉ० बी० जयराम, एम० बी० आदि
मेडिकल अफसर
प्रिन्सेस कृष्णाजम्मन्नी ट्यूबरक्लोसिस सेनेटोरियम
मैसूर

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१३२. पत्र : डॉ० एस० सुब्बारावको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० सुब्बाराव,

आपने मुझे यह बताते हुए जो पत्र लिखा है कि आपने श्री भोलेको तुरन्त सेनेटोरियममें भर्ती करनेके निर्देश दिये हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे सेनेटोरियमके चिकित्सा-अधिकारीका पत्र मिला है कि वह श्री भोलेको भर्ती करनेके लिए तैयार हैं और उनका इलाज मुफ्त किया जायेगा।

हृदयसे आपका,

डॉ० एस० सुब्बाराव
बी० ए०, एम० बी०, एम० आर० सी० एस०
विश्वेश्वरपुरम्
बंगलौर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१३३. पत्र : भारत स्टोर्सके मैनेजिंग गवर्नरको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे आपके दो पत्र मिले हैं। पहले पत्रके सम्बन्धमें, मैंने जिस स्याहीकी चर्चा की है, उसका विज्ञापन आपको इलाहाबाद स्वदेशी लीग द्वारा प्रकाशित निर्देशिकामें दिखाई देगा। बम्बईकी फर्मका, जो नई है, पता उसमें नहीं है। उसका पता है: दौलतराम काशीराम ऐंड कम्पनी, ठाकुरद्वार रोड, बम्बई-२। जहाँतक आपके दूसरे पत्रका सवाल है, मैं आपके स्टोरका उद्घाटन नहीं कर सकता।

हृदयसे आपका,

मैनेजिंग गवर्नर
भारत स्टोर्स लिमिटेड
आगरा

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१३४. पत्र : नगेन्द्रनाथ सेनको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैंने कभी किसीसे यह नहीं कहा कि विभिन्न उम्मीदवारोंकी सफलताकी सम्भावनाओंपर मैं श्री अणेके साथ बातचीत करूँगा।[1] हममें परस्पर इतनी ही बात हुई थी कि घरेलू झगड़ेसे बचनेके लिए हमने यह सिद्धान्त तय किया था कि जिस उम्मीदवारके जीतनेकी बहुत कम उम्मीद हो, उस उम्मीदवारको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री नगेन्द्रनाथ सेन, बी० एल०
खुलना (बंगाल)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१३५. पत्र : बी० सुब्बन्नाको

३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपने जो सुन्दर पेटी भेजी है और जो मुझे अभी-अभी मिली है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इसकी जितनी सम्भव होगी उतनी कीमत प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा और उस धनका खादी तथा हरिजन-सेवामें उपयोग करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री बी० सुब्बन्ना, रिटायर्ड जज
बासवागुडी
बंगलौर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "गांधी-अणे वक्तव्य", २०-९-१९३४।

१३६. पत्र : नारणदास गांधीको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास,

इसके साथ मैं हरिलालके पत्रकी नकल और उसे मैंने जो जवाब दिया है[1], उसकी नकल भेज रहा हूँ। जवाबके आधारपर तुम मेरी सलाह समझ जाओगे। यह ठीक है कि वह जो ऋण ले, उसके चुकाये जानेकी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। फिलहाल उसे इस तरहके काममें पड़ने नही देना है। यदि उसे खाने-पीनेके लिए कुछ देना योग्य जान पडे और तुम्हे सुविधा हो तो तुम अपने निजी खातेमे से उतना ले सकते हो; यदि सुविधा न हो तो मुझे खबर देना। मै इसपर विचार करूँगा।

जमनादास यहाँ आ गया है। वह आज जमशेदपुर जायेगा। उससे काफी बाते हो गई।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

गोशाला-विषयक तुम्हारा पत्र मिला। मैं जल्दी ही निर्णय करूँगा। शकरनके बारेमे दूसरे पत्रमे लिखूँगा।

[संलग्न] दो पत्रे।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१८ से भी, सौजन्य नारणदास गाधी

१३७. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० नरहरि,

अभी-अभी नारणदासका पत्र मिला है कि गोशाला का काम बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमे तुरन्त ही इस प्रश्नपर विचार करना होगा कि इसे किस (सस्था) के हिसाबमे डाला जाये। तुम्हारे कारण अभीतक मैंने अपने निर्णयको रोके रखा है। अब यदि तुम इसका निरीक्षण करके अपना निर्णय दे सको तो मुझे तुरन्त भेजना।

बापूके आशीर्वाद

१. देखिए "पत्र : हरिलाल गांधीको", ३-१०-१९३४।

[पुनश्च .]

बाकी किशोरलाल लिख रहा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६५) से।

१३८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

३ अक्टूबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

मामा[1] ९ नवम्बरको आश्रम छोड़ेंगे। हममें आपसमें जो बातचीत हुई थी उसके आधारपर मैंने मामासे कह दिया था कि यदि वे तुम्हारे अधीन काम नहीं कर सकते तो उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए। मैं उनका खर्च किसी औरसे नहीं माँग सकता। प्रान्तीय समिति भी स्वतन्त्र सस्थाको नहीं निभा सकती। यह बात मामाकी समझमें आ गई है। इसलिए तुम उनके कब्जा छोड़नेके समयतकका खर्च चुकानेके लिए परीक्षितलालको लिख देना। आजतक तो वे खर्चा दे ही रहे थे। लेकिन बादके लिए मैंने मना कर दिया था।

हालाँकि मामा आश्रमसे मुक्त हो जायेंगे तो भी हमें उनको निभाना तो पड़ेगा। यदि वे किसी गाँवमें जाकर रहें और भंगियोंमें काम करें तो यह बहुत अच्छा होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका खर्च कैसे चलाया जाये, इस बातपर हम बादमें विचार करेंगे।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४२) से।

१. विट्ठल ल० फड़के।

१३९. पत्र : विट्ठल ल० फड़केको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० मामा,

मुझे तुम्हारा निर्मल पत्र मिला। मैं तो तुम्हे पहले ही लिख चुका हूँ कि तुम जो लिखोगे उसे मैं मान लूँगा। इसलिए तुमने जो अभयदान दिया है, वह मुझे अच्छा लगा है। . . .[1] के बारेमें मेरी जो धारणा है वह इससे बदल नही जाती। यदि वह सिपाही बनकर नही रह सकता तो वह सघमें काम नही कर सकता।

मामा फड़के
गोधरा

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१४०. पत्र : सरिताको

३ अक्टूबर, १९३४

चि० सरिता,

जिस तरह मेरा लालन-पालन हुआ था, उसी तरह मैंने अपने लड़कोका लालन-पालन किया है। और उनके बडे होनेपर मैंने उनके साथ वही व्यवहार किया है जैसा मेरे साथ किया जाता था। जब मेरे बडे-बुजुर्गोने मुझे भावनगरमे और अहमदाबादमे अपने मित्रोके यहाँ भेजा था तब मुझे इन दोनो जगहोपर तुम्हारी अपेक्षा कही अधिक कष्ट सहन करना पडा था। मुझे भूखे रहना पड़ता था, लेकिन मैंने उसका कोई दु ख नही माना। वे मेरे लिए और क्या कर सकते थे? क्या वे मेरे लिए रहनेकी अलग व्यवस्था करते? इस अनुभवसे मुझे बहुत-कुछ सीखनेको मिला।

रामदासके लिए भी मैं अधिक क्या करूँ? अहमदाबाद भी वह हरिजन-आश्रममे रहनेके खयालसे ही गया। वहाँ उसकी अच्छी देखभाल हो रही है। यहाँ उसे किस बातकी कमी थी? नीमुके लिए अधिक क्या किया जा सकता है? और फिर मैं ठहरा गरीब। मैं जो खर्च करता हूँ वह भिक्षा लेकर ही करता हूँ। लेकिन मैं तो

१. नाम नहीं दिया गया है।

इससे भी एक कदम आगे बढकर कहता हूँ कि मै चाहे कितना ही गरीब क्यो न होऊँ, लेकिन उन्हे जो सुविधाएँ प्राप्त है उनमे से कुछ-एक तो धनवानोको भी प्राप्त नही होती। ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करनेका हमे तनिक भी अधिकार नही। लेकिन चूँकि वे हमे मिलती है, इसलिए हम नम्रभावसे उन्हे स्वीकार करते है।

तुमने अपना मन खोलकर मेरे आगे रख दिया, यह अच्छा किया। मेरा धर्म तो तुम्हे तुम्हारे कर्त्तव्यका भान कराना था, सो मैने किया। अब अधिक निश्चिन्त रहना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१४१. पत्र : देवीबाबूको

३ अक्टूबर, १९३४

भाई देवीबाबु,

सातकौरी बाबुके दोषका हाल तो आपने सुना ही है। दा० विधान कहते है उन्होने पैसेके बारेमे अपने सरपे किसी प्रकारकी जिम्मेदारी नही ली थी। इसलीये वे कोई नैतिक जुम्मेदारी नही समझते है। शायद यह ठीक भी हो। लेकिन आपकी और भागीरथजीकी जुम्मेदारी तो मेरी दृष्टिसे ही है। यदि आप लोग यह महसुस करते है तो जो कुछ गया है इतना ह० से० स० के[1] खजानेमें भरवा दीजिये। मै समझता हूँ कि सातकोरीबाबुके बारेमें किसीको वहम आ ही नही सकता था। लेकिन जब मेरे पास कुछ धन रहता था तब मैंने इसी प्रकारसे कीया है जैसा आज मै आप लोगोसे कहता हूँ। यदि आप लोग इस नीतिको स्वीकार न करे तो मुझे कुछ कहना नही है।

बापुके आशीर्वाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१. हरिजन सेवक संघ।

१४२. पत्र : जी० बी० प्रधानको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सर प्रधान,

भारतीय महिला विश्वविद्यालयके लिए चन्देके सिलसिलेमे आपकी समितिने जो अपील जारी की है, उसके सम्बन्धमे मुझे आपका पत्र मिला है। मैं जरूर यह आशा करता हूँ कि जनतापर इसका असर होगा और लोग मुक्त भावसे चन्दा देगे। प्रोफेसर कर्वेने महिलाओकी शिक्षाके उद्देश्यके लिए इतनी अच्छी और इतने निःस्वार्थ-भावसे जो बहुमूल्य सेवा की है, उससे सभी लोग परिचित हैं और मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नही है कि आज जब श्री कर्वे अपनी जीवनकी साध्य-वेलामें है तब जनताको ऐसी संस्थाके भविष्यके लिए उन्हे आश्वस्त कर देना चाहिए, जिसमे उन्होंने और उनके साथियोने अपना जीवन लगा दिया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० बी० प्रधान, बी० ए०, एल० एल० बी०
मीठाभाई मैन्शन,
फर्स्ट फ्लोर
चर्नी रोड, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१४३. पत्र : जी० एस० नरसिंहाचारीको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय नरसिंहाचारी,

यह रहा मेरा सन्देश

"विद्यार्थी लोग बिना किसी दिक्कतके दरिद्रनारायणके नाम और दरिद्रनारायणके लिए प्रतिदिन आधा घंटा चरखा कात सकते है। ऐसा वे अपनी पढाईमे बिना किसी व्यवधानके कर सकते है और राष्ट्रीय सम्पदामे वृद्धि कर सकते है, फिर चाहे वह वृद्धि कितनी ही अल्प क्यो न हो, इस तरह वे अपने उन लाखो देशवासियोके साथ जीवन्त

सम्पर्क स्थापित कर सकते है जिन्होने विद्याका प्रकाश नही देखा है और जिन्हे सालोंसाल एक जून भी पूरा भोजन नसीब नही होता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० एस० नरसिंहाचारी
मार्फत उप-कुलपति
आन्ध्र विश्वविद्यालय
वाल्टेयर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

१४४. पत्र : जी० रामचन्द्रनको

४ अक्टूबर, १९३४

महादेव आपको कान्तिके बारेमे लिखते रहे है[१]। यदि आप उसका पालन-पोषण और उसकी देखभाल करना ही चाहते है, तो यह स्थिति मुझे स्वीकार करनी ही होगी। कान्तिको कुछ जेब-खर्चकी जरूरत है। उसने ५ रुपये महीनेका सुझाव दिया है। आप मुझे यहाँ किसी मित्रसे इस सम्बन्धमे मालूम करनेका अवसर दे। इसलिए आप कृपया, जिस दिन वह आपके पास पहुँचे, उसी दिनसे उसे ५ रुपये महीना दे दे। मै आपको बादमे कुछ पैसे भेज दूंगा। कान्ति भी यह समझ ले कि पैसा कैसे आता है।

कांग्रेसके बारेमे जारी किये गये त्रावणकोर-परिपत्रके बारेमे आपने मुझे जो पत्र लिखा था, क्या मैने कभी उसकी पहुँच स्वीकार की थी? आपने जो कदम उठाया है, वह काफी अच्छा है। क्या उसका कुछ परिणाम निकला?

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१. कान्ति गांधी जी० रामचन्द्रनके साथ रह रहे थे; देखिए "पत्र : कान्ति गांधीको", २५-९-१९३४।

१४५. पत्र : कमला नेहरूको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० कमला,

मैंने एक खत तुमको लिखा था सो मिला होगा। दिल तो बहुत चाहता है कि तुमारे पास आ जाऊँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसे करना मुनासब नही होगा। तुमारी खबर तो कही न कहीसे निकाल लेता हूँ। और प्रभावतीके वहाँ आनेके बाद फिरोज[1] नित्य एक कार्ड भेजता है। हिम्मत रखो। जवाहरलाल तुमारे नजदीक नही है उसकी फिकर न की जाय। इन्दु[2] आ गई है सो अच्छा है। उसको कहो मुझे लिखे। रामनाम लेना।

बापुके आशीर्वाद

कमला नेहरू
इलाहाबाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१४६. पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजीको

४ अक्टूबर, १९३४

यह एक तसल्लीबख्श बात है कि तुम कमलाके करीब हो। तुम्हारे पत्रसे मुझे आशा होती है। मैं तुमसे डॉ० विधानके कमलाको देखने जाने का पूरा विवरण सुननेकी उम्मीद रखता हूँ। बेशक, वह हमेशा मेरे ध्यानमें बनी रहती है, जिसका अर्थ है मुझे प्रार्थनाके समय भी उसका ध्यान रहता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले उसे एक लम्बा पत्र भेजा था; उम्मीद है, वह उसे मिल गया होगा। प्रभा उसे समय-समय पर लिखती रहती है। कृपया उसे सलग्न [पत्र][3] दे देना। क्या वह पत्र पढती है? स्वाभाविक है कि मैं उससे पत्रकी अपेक्षा नही रखता। लेकिन यदि वह मुझे

१. फीरोज गांधी।
२. इन्दिरा, कमला नेहरूकी पुत्री।
३. देखिए पिछला शीर्षक।

कोई सन्देश भेजना चाहे तो तुम्हारी मार्फत भेज सकती है। क्या वहाँ फल नियमित रूपसे उपलब्ध होता है?

सलग्न : १

श्री खुर्शेदबहन नौरोजी
आनन्द भवन
इलाहाबाद

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१४७. पत्र : हरिलाल गांधीको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। मुझे बात पसन्द आई। राजकोट जाकर ठीक किया। यदि मेरी बात तेरे गले उतर जाये तो बड़ा कल्याण हो और मुझे परम सन्तोष हो जाये। भगवानने शक्ति तो तुझे बहुत दी है। अभी भी कुछ नही बिगड़ा है। हृदय निर्मल हो गया हो तो शरीर भी बादमे तेजस्वी हो जायेगा। अधिक फिर लिखूँगा।

मेरा खयाल है कि बली[1] का तूने जो पैसा खर्च कर दिया है, वह उसे चुकाया जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

१४८. पत्र : नारणदास गांधीको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास,

शकरनका पत्र पढा। उसका कहना ठीक नही है। हरिजन-यात्रामे मलावार भी शामिल था। मैं शंकरन और राघवन दोनोसे मिला भी था। शकरनकी पाठशालाके वारेमे भी जानता हूँ। वह दूसरोके साथ काम करता है। इस पाठशालाके चलानेकी जिम्मेदारी वहाँके हरिजन-सेवक सघकी है। फिलहाल तो वहाँ आश्रमके रामचन्द्रन हैं और श्यामजी भी। शंकरनके लिए मलावार छोड़नेका कोई सवव नही है। जव मैं उससे मिला था, तब यह निश्चित भी हो गया था। उसे उसकी जरूरतके मुताविक मिल रहा है। सच कहे तो उसे कुछ भी भेजना जरूरी नही था। मुझे शंकरनका लिखना

१. वलीवहन अडालजा, हरिलाल गांधीकी साली।

पसन्द नही आया। उसे पत्र लिख रहा हूँ। उसकी नकल इसी पत्रके साथ तुम्हारे पास भेजूँगा।

लगता है, कनुका काम ठीक चल रहा है। मैं प्रत्यक्ष देखरेख तो बहुत कम कर पाता हूँ। महादेव और प्यारेलाल देखरेख करते है।

गोशाला में इतना घाटा क्यो कर हुआ? कितने उत्पादनके बाद इतना घाटा आया है? अब क्या किया जाना चाहिए?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

शकरलाल यहाँ आये हुए है। तुम्हारा अहमदाबाद जाकर देख आना जरूरी है। यह घाटा लापरवाही या बेईमानीके कारण तो नही हुआ? अभी यह भले ही स्पष्ट न हो कि इसका सचालन स्वतन्त्र रूपसे होगा या यह आश्रमको सौंप दी जायेगी, तो भी उसका प्रवन्ध तो ठीक कर ही दिया जाना चाहिए।

हरिलाल वहाँ है। उसका काम निर्दोष तो लग रहा है। यदि वह वहाँ रुक जाये तो बहुत अच्छा हो। उसकी आँख और दाँतोके बारेमें विचार करना। उसके लिए एक पत्र सलग्न है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४१९ से भी; सौजन्य: नारणदास गाधी

१४९. पत्र: के० शंकरनको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय शंकरन,

नारणदासको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ा। वह मुझे अच्छा नही लगा। मेरा तो खयाल था कि जब हम मलाबारमें मिले थे तब हममे आपसमे यह तय हुआ था कि तुम मलाबारमे ही अपने लिए जगह बनाओगे और वही काममे रम जाओगे। इसलिए गुजरात जानेकी तुम्हारी यह इच्छा मेरी समझमे नही आती। तुम्हारा क्षेत्र मलाबार है, और अब चूंकि रामचन्द्रन ही वहाँके कार्यके एकमात्र कर्त्ताधर्त्ता हैं इसलिए तुम्हारा रास्ता सरल और सहल हो जाना चाहिए। तुम्हे जिस चीज की जरूरत हो, वह सब तुम्हे संघसे मिलनी चाहिए।

बापू

के० शंकरन
हरिजन विद्यालयम्
मयनूर (मलाबार)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से।

१५०. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

४ अक्टूबर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

इसके साथ सरनप्रसाद वर्माका पत्र है। इनसे तुम मिल लो, यह उचित होगा। जैसा यह लिखते है, वह सब यदि सच है तो हमे उन्हे उपयोगी जानकर स्वीकार कर लेना चाहिए तथा उन्हे और कही नही जाने देना चाहिए। हम वहाँ जो सस्था खोलनेवाले है, उन्हे उसमे रखा जा सकता है अथवा साबरमतीमे रखा जा सकता है।

'ऐबॉरिजिनीज'[1] के बारेमे तुम एक अथवा एकाधिक लेख 'हरिजन' के लिए लिखो तो अच्छा हो। तुम्हे इतनी फुरसत होगी अथवा नही, सो तो तुम ही जानो।

बापू

सलग्न . १

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४५) से।

१५१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

४ अक्टूबर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र कल मिला। उसपर से मैंने किशोरलालको तुम्हे लिखनेके लिए कह दिया था। कामका बोझ काफी रहता है। जैसे-तैसे निपटानेका प्रयत्न करता हूँ। अधूरा तो रोज ही रहता है। कल अणे आ गये। नेकीराम तो परसो ही आ गये थे। मैंने तो कह दिया है कि तुम और अणे मिलकर अब भी बात कर सकते हो, और मतभेद हो तो पंच नियुक्त कर सकते हो। पचके लिए मैंने बहादुरजी[2] अथवा तेजबहादुरके नाम सुझाये है। अणे को यह पसन्द नही आया। उन्होने कहा कि जबतक जाँच न हो जाये, तबतक नाम बदलते रहेगे। इसलिए जो कुछ हो सकता है, वह उसके बाद ही होगा। इतना तुम्हारी जानकारीके लिए है।

१. गांधीजीने अंग्रेजी शब्दका ही प्रयोग किया है जिसका अर्थ है आदिवासी।
२. बम्बईके पारसी वकील।

एक बात और। अणेने कहा कि अगर चुनाव नवम्बरमें हो तो कितना अच्छा होगा। मैंने कहा, "वल्लभभाईने केवल मालवीयजीकी खातिर ही इसे स्थगित नहीं किया है और यदि तुम वल्लभभाईको तार दोगे तो वे शायद मियाद बढ़ा देंगे"। मैं नहीं जानता कि यह सम्भव है या नहीं। मैंने तो मालवीयजीके दलकी सुविधाका खयाल करके ही चुनाव को स्थगित करनेके खिलाफ अपनी राय दी थी। यदि मालवीयजी खुद मियाद चाहें, तो इससे हमें दूसरी तरह फायदा ही है। लेकिन यह विषय ऐसा है जिसमें मेरी गति नहीं है।

साथमें डॉ० गोपीचन्दका पत्र भेज रहा हूँ। उन्होंने जो लिखा है, वह विचारणीय है। मैं तो उन्हें इतना ही लिख रहा हूँ कि उनका पत्र मैंने तुम्हारे पास भेजा है। इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना।

देवदासका पत्र भी भेज रहा हूँ। उसे पढ़कर फाड़ देना। देवदास नहीं चाहता कि उसकी कहीं चर्चा हो।

'फ्री प्रेस' में विद्यापीठके पुस्तकालयके बारेमें क्या छपा है?

उम्मीद है, मणि सुमित्राके पास जाती होगी। उससे कहना कि सुमित्राके बारेमें डॉक्टर क्या कहते हैं, सो लिखे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३७-८

१५२. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

आपका पत्र मिला। आप मुझे जो सारी जानकारी दे रहे हैं उसकी मैं कद्र करता हूँ। मैं व्यक्तिगत चुनावोंमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन लाला शामलालके मामलेमें मैं कुछ उलझ-सा गया हूँ। लाला आर० पी० सिंहने मेरे पास उनके विरुद्ध शिकायतोंकी एक फेहरिस्त भेजी है। सो मैंने अनुमति प्राप्त करनेके बाद उन्हें वह पत्र भेजा है।[1] मेरी दिलचस्पी यहींतक है। सरदारका मामला भिन्न है। वे जरूर इन मामलोंमें दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए मैंने आपका पत्र उन्हें भेज दिया है।[2] आपको भी उन्हें पत्र लिखना चाहिए। यदि सम्भव हो तो इस झगड़ेका निपटारा किया जाना चाहिए। आपके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि

१. देखिए "पत्र : शामलालको", ३-१०-१९३३।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

आपको इस झगड़ेसे बिलकुल अलग रहना चाहिए और तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब आपको लगे कि आपके ऐसा करनेसे झगडेको रोका जा सकता है।

आपने मेरे सम्मुख सदस्योका जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह दुखद है।

मैं कांग्रेसके अधिवेशनमे भाग लेने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उनको लेकर मैं वहाँ फूट नही डालूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१५३. पत्र : द्वारकानाथको

४ अक्टूबर, १९३४

चि० द्वारकानाथ,

तुम्हारा तीसरा पत्र मिला है। मेरा भी यह तीसरा जवाब है। मैंने दिनकरसे ऐसा नही कहा कि तुम आलसी हो। लेकिन उसको लिखे तुम्हारे पत्रके आधारपर उसने आर्थिक सहायता माँगी थी। मैंने इनकार कर दिया और मित्रोको भी सलाह दी कि वे लोग भी उसे एक कौडी न दे, क्योकि तुम्हारे पत्रमे निरुद्यमी रहकर देहको नष्ट करनेकी निन्दनीय बात थी। उसे मैंने आलस्यकी स्थिति बताया और कहा कि ऐसे आलस्यको प्रोत्साहन देना मित्र-द्रोह है। अब तो तुमने तीसरे युगमे प्रवेश किया है। दिनकरका पत्र पहला युग था, मुझे लिखा लम्बा पत्र दूसरा, और उसके बादका पत्र तीसरा। शर्माके लिए इस वर्षके अन्ततक स्वतन्त्र रूपसे कोई काम नही है। अभी वह . [1] खुर्जामे है। दो-चार दिनोमे वापस आयेगा। तुम्हे तो मै क्या लिखूँ? जो ईश्वर सुझाये सो करो।

बापूके आशीर्वाद

चिमोदेका वाडा
भाजी बाजार
अमरावती

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१. साधन-सूत्रमें स्पष्ट नहीं है।

१५४. यथार्थताकी आवश्यकता

एक पत्र-लेखकने मुझे अखबारमे छपी एक सूचनाकी एक कतरन भेजी है जिसमें खादीकी प्रशंसा की गई है। उसमे से मै प्रासंगिक अश नीचे दे रहा हूँ.

> विदेशी वस्त्रपर खर्च किये प्रत्येक रुपयेका अर्थ है भारतीयोंको डेढ़ आना मिलता है, जबकि साढ़े चौदह आने सीधे विदेशी व्यापारकी अभिवृद्धिमें चले जाते है।
>
> मिलमें बने कपड़ेपर खर्च किये एक रुपयेका अर्थ है कि आधी रकम मिल-मालिकके पास गई, छः आने मजदूरोके पास गये और दो आने विदेशीकी जेबमें गये।
>
> खादीपर खर्च किये गये एक रुपयेका मतलब है कि व्यवस्था-खर्चको छोड़कर — जोकि एक आना है — बाकी सब रकम उत्पादकोको मिलती है।

यह कतरन भेजनेवाले सज्जनने पूछा है कि क्या यह सच है कि खादीपर खर्च किये गये प्रत्येक रुपयेका यह मतलब है कि उत्पादकको १५ आने मिलते है और विक्रेताको केवल एक आना। मैं इसका जवाब केवल यही दे सकता हूँ कि अ० भा० चरखा संघके भण्डारोंके प्रवन्धकोंके सामने यह आदर्श रखा गया है कि खादीका मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि भण्डारोका खर्च निकालने के निमित्त खादीकी कुल विक्रीपर उत्पादन डिपो से प्राप्त होने वाली १५ आने की खादीपर एक आनेकी फालतू आमदनी दिखाई जा सके। अत. पन्द्रह आनेमें अन्य अनेक खर्च शामिल होंगे, जैसेकि ढोआई खर्च, आदि। इसलिए यह कहना बिलकुल गलत है कि खादीमें लगाये गये प्रत्येक रुपयेमें से पन्द्रह आने उत्पादकोको जाते है।

बुनकरोंके हाथसे निकलनेके बाद खादी कई प्रक्रियाओमे से गुजरती है, उसकी धुलाई होती है, रँगाई होती है, वर्गीकरण किया जाता है, उसे विक्री केन्द्रतक पहुँचनेसे पहले बीचमे पड़नेवाले डिपोओमे जाना पडता है, आदि आदि। यदि 'उत्पादक' शब्दका अर्थ हम कपास पैदा करनेवाले, रुई चुननेवाले, रुई साफ करनेवाले, रुई धुननेवाले, पूनियाँ बनानेवाले, सूत कातनेवाले, और बुनकर तक ही सीमित रखें, लेकिन बुनाईके बाद वाली प्रक्रियामे संलग्न कार्यकर्त्ताओको उसमे शामिल न करें तो उत्पादक रुपयेमे केवल आठ आने पाता है, उससे ज्यादा नही। अन्य प्रक्रियाओंको शामिल न करना सामान्य बात है और उचित है, क्योंकि वे खादीके उद्देश्यकी पूर्ति के लिए आवश्यक नही हैं, और यह आवश्यक नही है कि इन प्रक्रियाओका सम्पादन गाँववालोने या ऐसे लोगोने किया हो जिन्हें उचित रूपमे कार्यकर्त्ता कहा जा सके। धुलाई, रँगाई आदिका काम अक्सर संगठित अर्थात पूंजीवादी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब,

खादीके विक्रय-मूल्यको बढानेमे जिन लोगोंका हाथ होता है, वे भी उत्पादकोके वेतनमे बँटवारा नही करते; दूसरे शब्दोमे, वे उत्पादकके मुँहकी रोटी नही छीनते, बल्कि उसे अपने मालके लिए बाजार ढूँढनेमे मदद करते है और ऐसा वे पूँजीवादी सस्थाएँ होते हुए भी करते है। कारण, पूँजीवादी संस्थाएँ फिलहाल मुनाफेके लिए कार्य नही करती, बल्कि उत्पादक के हितार्थ काम करती है। भले ही इसमे उनका मशा कुछ भी हो। इसलिए जिस विज्ञापनकी बात हम कर रहे है उसमे नि सन्देह अतिशयोक्ति तो है ही, भले ही वह अनजानेमे या अज्ञानवश की गई हो, और इस अतिशयोक्तिसे खादीका जो लाभ हो सकता है, उसकी अपेक्षा मेरी रायमे बिल्कुल सही-सही तस्वीर यदि रखी जाये तो वह खादीके लिए ज्यादा उपयुक्त और प्रभावकारी प्रचार होगा। यदि इस विज्ञापनका मसविदा मै तैयार करता तो मै कहता ·

"*आपको जानना चाहिए कि जब आप एक रुपयेकी खादी खरीदते है तो* उत्पादकको अपने श्रमका पूरा फल प्राप्त होता है और इसके विपरीत जब आप देशी मिलो द्वारा तैयार कपड़ा खरीदते हैं तो आप उत्पादकको उसके लाभदायक श्रमसे वचित तो कर देते है, लेकिन बदलेमे उसे कोई विकल्प नही प्रदान करते। खादी बेचनेवाली एजेंसीको सिर्फ अपना खर्च निकालनेकी हदतक मुनाफा होता है और इसलिए उसको भी उतना ही प्राप्त होता है जितना उत्पादक को।"

इस प्रकार खादीके अर्थशास्त्रका विवेचनात्मक अध्ययन करनेसे सिद्ध हो जायेगा कि किसी भी भारतीयके लिए खादीको छोडकर कोई अन्य कपडा इस्तेमाल करना अधभूखी मानवताके प्रति घोर अपराध है। ऐसा करनेवाला व्यक्ति एक क्षुधापीड़ित ग्रामीणके मुँहका कौर छीनता है। खादीके पक्षका अहित यदि हो रहा है तो इसका कारण यह नही है कि उसमे कोई अन्दरूनी कमजोरी है, इसका कारण खादीके मित्र और शत्रु, दोनोका अज्ञान है।

लेकिन खरीदारोके दृष्टिकोणपर विचार करना भी जरूरी है। उसके दृष्टिकोणसे यह विज्ञापन भ्रम पैदा करनेवाला है। यदि खरीदार अपनी पसन्दमे परिवर्तन कर ले, अर्थात् यदि वह बिना ब्लीच की हुई खादी खरीदे और उसमे जो भी सजावट वह करना चाहे वह बादमे करे, तो खादी आजसे आधे दामपर बिकने लगेगी। यदि उसे मूल्यकी परवाह नही है तो इसके बारेमें उसे चिन्ता करनेकी जरूरत नही है। लेकिन जिस खरीदारके लिए मूल्यका महत्त्व है, उसे समझ लेना चाहिए कि वह धुली हुई और रँगी हुई खादीके मुकाबले बिना धुली हुई और सादी खादीके लिए कही कम दाम देता है। इसके सिवाय, ब्लीच की हुई खादीके मुकाबले बिना ब्लीच की हुई खादी ज्यादा टिकाऊ होती है। जनताको यह भी जान लेना चाहिए कि पिछले बारह वर्षोमे खादी अपेक्षतया कही ज्यादा सस्ती और नफीस हो गई है। उसने कतैयोके चरखोमें सुधार करके और उनके कौशलमें वृद्धि करके उनको ज्यादा धनका लाभ कराया है। यदि कुछ शिक्षित स्त्रियो और पुरुषोने अधभूखे किन्तु आशिक रूपसे रोजगारमें लगे हुए करोडो लोगोकी मदद करनेके निमित्त अपनेको जी-जानसे न लगा दिया होता, तो यह नही हो सकता था। यदि वर्ण या जातिकी गलत धारणावश स्वयको ऊँची जातिका माननेवालोने इन करोडो लोगोको

लगभग अस्पृश्य न माना होता और उनकी उपेक्षा न की होती तो खेतीके धन्धेमे लगे लोगोको पूरक धन्धा प्रदान करनेवाला भारतका यह प्रमुख उद्योग कभी खत्म न हुआ होता।

इसमे शक नही कि खादी-सगठनमे त्रुटियाँ है। कार्यकर्त्ताओमें इसके लिए पूरी लगन नही है, और समस्याओका आलोचनात्मक अध्ययन करनेकी जितनी कोशिश होनी चाहिए वह नही है। लेकिन इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही है। किसी पुरानी आदतको एक क्षणमे नही छोडा जा सकता। हम सहसा ही हस्तलाघव नही प्राप्त कर सकते। खादी-विज्ञानमे ऊँचे दर्जेके तकनीकी और मशीनी कौशलकी आवश्यकता है और इसमे भी उतना ही ध्यान लगानेकी जरूरत है, जितना ध्यान कि सर जगदीशचन्द्र बोस अपनी प्रयोगशाला मे पौधोकी छोटी-छोटी पत्तियोपर लगाते है। तभी जाकर वह हमारे इन सह-प्राणियोसे प्रकृतिके रहस्योका पता ले पाते है।

अत· जिस विज्ञापनकी शिकायत की गई है उसमे गलती यह नही है कि खादी का मूल्याकन वढाकर किया गया है, बल्कि यह है कि खादीके पक्षको उसमें बहुत भोडे और अपूर्ण ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। सत्यकी अपर्याप्त समझके कारण यथा-तथ्यताका अभाव ही इस गलतीका कारण है। इस अचूक कसौटीपर कसनेपर विज्ञापनके तीन अनुच्छेदोमें से प्रत्येक अनुच्छेद बुरी तरह खोटा सावित होता है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ५-१०-१९३४

१५५. पत्र : सिरिल जे० मोदकको

५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय कुमारी मोदक,

आपका पत्र मिला। इस समय मेरे लिए अपने कार्यक्षेत्रसे वाहरकी चीजोको पढनेके लिए चन्द मिनटका समय निकालना भी बहुत कठिन है। इसलिए आपकी अपील न पढ सकनेके लिए मुझे आप क्षमा करेगी। बहरहाल इसमें आपको मेरा समर्थन भी नही मिलता, क्योकि इस तरहकी अपीलोमे अपना नाम जोडना मेरे सिद्धान्तके विरुद्ध है।

मुझे याद है कि आपने मुझे 'सोशल रिफॉर्मर' की कतरनें भेजी थी, जिसमें आपके लेख थे। लेकिन मै उन्हे पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित नही कर सकता था।

हृदयसे आपका,

कुमारी सिरिल जे० मोदक, एम० ए०
मिशन हाई स्कूल, गंजीपुरा, जबलपुर

अग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१५६. पत्र : गणेशचन्द्र विश्वासको

५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्तने आपका २८ सितम्बर, १९३४ का पत्र मुझे भेजा है। वह मुझे कल यथावत मिल गया था।

मैं आपकी समितिकी बैठककी सफलताकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उपस्थित सदस्योको आत्मशुद्धिके, जिसका अर्थ अस्पृश्यता-निवारण है, आन्दोलनमे पूरी तरहसे भाग लेनेकी अहमियतको समझा सकेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री गणेशचन्द्र विश्वास
स्वागत समितिके अध्यक्ष
बंगीय राजवंशी क्षत्रिय समिति
३, गोलन शास्त्री लेन, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१५७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने बंगीय राजवंशी क्षत्रिय समितिकी स्वागत समितिके अध्यक्षको एक सन्देश भेजा है।

खान भाइयोको किसीकी निगरानीमें भेजनेका जिम्मा मेरा नही था। मुझे तो मौलाना अबुल कलाम आजादके आमन्त्रणके प्रत्युत्तरमे उन्हे भेजना था। मेरा उन्हे कही भी भेजनेका मन नही था, लेकिन मैं इस निमन्त्रणको अस्वीकार नही कर सकता था। तथापि, मैंने उनसे खादी प्रतिष्ठान जानेके लिए कहा और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हे भी लिखा था कि तुम्हे उनसे परिचय करना चाहिए।

मैं सतकौड़ी बाबूके बारेमे लिखे अपने पत्रोके परिणामकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य · प्यारेलाल

१५८. पत्र : जमनालाल बजाजको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे पत्र मिले। मिलकी झंझटसे अच्छे बचे। इस बाघके डरसे यहाँ जानकी-मैया और बालकोंके मनका सुन्दर अनुभव मिला। सब व्याकुल हो गये थे, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह प्रवृत्ति कायम रहे, ऐसी कामना हम सदा करें।

जबतक डॉक्टर वहाँसे बिलकुल मुक्त न करें तबतक वहाँसे हिलना ही नहीं है।

जितनी हो सकेंगी उतनी बातें हम यहाँ करेंगे। बाकी कांग्रेस [अधिवेशन] में और उसके बाद। कांग्रेसके अधिवेशनके तुरन्त बाद वर्धा ही लौटना होगा। कांग्रेस [अधिवेशन] के बाद तुरन्त नया कुछ करनेके बारेमें मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। इसका विचार तो यहीं होगा।

यहाँ सब ठीक-ठाक चल रहा है।

कमलाको पत्र लिखते रहते होगे? आजकल तो वहाँ खुर्शेदबहन है। उनको लिखो तो भी चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४४) से।

१५९. पत्र : परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

तुम्हारा १४ तारीखका पत्र हाथमें लेता हूँ। मैंने तुम्हें रु० ६३७०-८-३ दिये थे; उनके खर्च हो जानेपर अब रु० ८०-८-६ बचे हैं। अगर मैं तुम्हें यह रकम भेज दूँ तो क्या मैं यह मान सकता हूँ कि तुम्हें फिर मददकी जरूरत नहीं रहेगी?

क्या छात्रालयका खर्च वार्षिक बजटमें उसके लिए जो राशि निर्धारित की जाती है, उससे पूरा नहीं होता? वर्षके अन्तमें जो ८०० रुपयेका घाटा होता है उसके बारेमें तुम्हारा क्या कहना है? अब यदि सारा खर्च एक ही खातेमें से निकले तो अच्छा हो। मुझे जो-कुछ मिल रहा है उसमें से अधिकांश तो दिल्ली जाता है। इसलिए मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि गुजरात जिसकी पूर्ति न करे वह दिल्लीसे आना चाहिए। लेकिन गुजरातके बारेमें ऐसा नहीं है। हमारे पास तो गारन्टी है। इसका

विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए। नरहरिसे मिलकर इसका खुलासा कर लेना। आश्रममें हमें अधिकाधिक स्वावलम्बी होना चाहिए।

रामदास आदि वहाँ रहे, उनसे क्या तुमने भाडा लिया है? क्या भाडा मिला, सो बताना। हरिजनोंके अलावा और किसी भी व्यक्तिका एक भी कौडी खर्च आश्रम पर नही पडना चाहिए। यह बात तुम्हारे ऊपर, पुरातन और अन्य लोगोंपर जो वहाँ रहते है, नही लागू होती। लेकिन तुम्हारा खर्च तो गुजरात हरिजन-सेवक संघसे निकलता है न? वस्तुत. देखा जाये तो संघको भाडेके रूपमे भी कुछ देना ही चाहिए। हिसाब-किताब साफ रहे, इसके लिए यह जरूरी है। लेकिन इस विषयपर मतभेद हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४०४१) से।

१६०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरे पिछले पत्रका उत्तर मैंने नही दिया, ऐसा मेरा खयाल है।

तू मेरे वक्तव्यको पूरा समझ सकती है, इससे मुझे सन्तोष होता है। तेरा काम तो विकसित हो रहा मालूम होता है। इसका विस्तार न बढ़ाना। जो काम हाथमें लिया है उसकी जड़ें गहरी जमाना। अपने कगाल मुल्कमें हम घासके बीज बोकर उसपर गुजर करते है। गेहूँ आदि घासके बीज ही हैं। फल बोनेका हमें धीरज नही है, इसलिए गरीब उन्हे पाते ही नही। अमीरोंके लिए फल पोषक नही होते। उनके लिए वे भोजनके बाद मुख सुवासित करनेकी वस्तु है। इसी तरह हम सेवाके क्षेत्रमे कगाल होनेके कारण घाससे सन्तुष्ट रहते है। यदि हम थोडेसे लोग भी ऐसी भूल करनेसे बच जायेंगे तो जो फलवाले पेड उगेंगे, उनकी छाया मिलेगी और उनके फल पीढी-दर-पीढी खाये जायेंगे। आज तो इतना ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६१) से। सी० डब्ल्यू० ६८०० से भी, सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

१६१. पत्र : लीलावती मुन्शीको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० लीलावती,

यह तो तुम्हारे पत्रका उत्तर है, लेकिन लिख रहा हूँ मुन्शीके लिए।

जिसके बहुत सारे आदर्श होते हैं वह बहुत सारे देवताओकी उपासना करता है। उसका मन कैसे शान्त हो सकता है? देवता तो महाद्वेषी और झगडालू माने गये है। और जो व्यक्ति एक ही देवका उपासक है उसका तो आदर्श भी एक ही होता है। उसकी इच्छा तो एक ही सत्यनारायणका साक्षात्कार करनेकी होती है। वह सदा सन्तुष्ट रहता है, सदा सुखी रहता है। यदि वकालत व्यक्तिको उस स्थिति तक पहुँचाती है तो जगतकी निन्दा सहन करके भी वकालत करनी चाहिए। और यदि वकालत उस आदर्शसे विमुख करती है तो उसका त्याग करना चाहिए। वकालत, स्वैच्छिक -फकीरी, काग्रेसका सिंहासन, लोगोकी निन्दा और ऐसी अनेक वस्तुएँ तो अमानतके रूपमें सौपी गई है। और एक देवका ऐसा पुजारी जो समान भावसे स्तुति और निन्दाको ग्रहण करता है तथा जो मलाबार हिलमें विलास करता है, वह वर्लीकी अँधेरी चालमे भी सुखपूर्वक रह सकता है। मुन्शीको यही करना है। लेकिन यह तो मानसिक प्रयोग है। इसमे मुन्शीको किसलिए भय लगता है? कहाँ गई उसकी तीव्र बुद्धि और कहाँ गया उसका शास्त्र-अध्ययन? मन चगा तो घर गगा। बाकी तो मैने काशीकी गगामें स्नान करनेवाले अनेक धूर्त भी देखे है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५४) से; सौजन्य . लीलावती मुन्शी

१६२. पत्र : रामजीको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई रामजी,

मै तुम्हारा पत्र ध्यानपूर्वक पढ गया हूँ। पढाईके क्रममे परिवर्तन करनेकी मुझे तो कोई आवश्यकता नही दिखाई देती।

खादीकी समस्याओका समाधान खादी-शास्त्रके सम्पूर्ण अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। लोगोकी मनमानी इच्छाओको पूरा करके उन्हे खुश करनेका प्रयत्न इसका उपाय नही है। अकालमे खादीका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्रोंमें रहनेवाले लोगोको कमसे-कम मजदूरीमे सन्तोष मानना चाहिए। यदि उन्हे

अधिक मजदूरीवाला धन्धा मिल सके तो हमें उनके आगे चरखा अथवा तकली नहीं रखनी चाहिए।

वस्त्र-स्वावलम्बनके लिए मिली हुई रकम अकाल-पीड़ितोको नही दी जा सकती। अकाल-पीडित प्रदेशमे जो खादी तैयार हो वह या तो राज्यको खरीदनी चाहिए अथवा धनिक वर्गको। और जबतक धनिक वर्ग गरीबोके साथ एकात्म होना नही सीखता, तबतक अकालमे खादीको स्थान नही हो सकता। अकालमे तैयार की गई खादीका प्रयोग धनिकोके अलावा और कोई वर्ग नही कर सकता। गरीब तो खुद तैयार की हुई खादी पहनेगा, मध्यम वर्ग अपनी जरूरतकी खादी बाजारसे ले लेगा। इसलिए अकालकी खादीके लिए विशेष ग्राहक वर्ग होना ही चाहिए।

विशेष तो मैं अवकाश मिलनेपर 'हरिजन' में जो लिखनेवाला हूँ, उसे देख जाना।

बापूके आशीर्वाद

रामजी
अमरेली

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

१६३. पत्र : सरिताको

चरखा द्वादशी, ५ अक्टूबर, १९३४

चि० सरिता,

तुम्हारा लम्बा पत्र मुझे मिला और बहुत पसन्द आया। उसमे मुझे तुम्हारे हृदयकी शुद्धताके पूर्ण दर्शन होते है। तुम सच्ची बेटीका नाम रोशन करती हो, क्योकि सच्ची बेटी माता-पितासे अपने विचारोको कभी छिपाकर नही रखती। उसके मनमें जो विचार आते हैं, उन्हे वह उनको उसी रूपमे माता-पिताके आगे रख देती है और अपना बोझ हलका कर लेती है। जब ऐसा होता है तब माता-पिताको भी उसका उपाय ढूँढ़नेका अवसर मिलता है। इसलिए जैसे इस बार लिखा है, वैसे हमेशा लिखा करना।

तुम धीरज रखो। परिणाम हमारे हाथमे नही है, हमारे हाथमे तो कर्त्तव्य-पालन है। उसका फल ईश्वरके हाथमे है। इसलिए सुमित्रा अच्छी होगी अथवा नही, यह हम नही जानते। अपनी सामर्थ्यानुसार उसकी दवा करना हमारे हाथमे है। ऐसा करना हमारा धर्म है।

हम गरीब है। इसलिए जैसा अन्य गरीबोके साथ होता है वैसा भले ही, हमारे साथ भी हो। अस्पतालमे थोड़ी ढील हो तो उसे सहन करना। मै वहाँ व्यक्तिगत

रूपसे आँखके किसी भी डॉक्टरको नही जानता। सरदार जानते है। उन्होने ही सरदेसाईको पसन्द किया है, इसलिए मै उनसे यह काम करा रहा हूँ। स्वामीको भी लिख रहा हूँ। स्वामीकी मार्फत डॉक्टरकी रिपोर्ट मँगवा रहा हूँ।

सरदेसाई हम लोगोमें सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते है। एक यूरोपीय डॉक्टर भी है जोकि अच्छा कहा जाता है, लेकिन उसके पास सुमित्राको भेजनेका मन नही होता। उसे हममे से कोई भी नही जानता। इसलिए सरदेसाईका इलाज हम न छोड़ें। हाँ, अगर वह हार जाये तो अवश्य किसी और डॉक्टरकी तलाश करेंगे।

यदि तुम्हे समुद्रके किनारे जाते हुए संकोच होता है तो ऊपर छतपर क्यो नही घूमती? मै तो वही घूमता हूँ। छतपर घूमना बहुत अच्छा है।

नीमुके बारेमें तो क्या कहूँ? यदि वह मुझे सच्ची बात न बताये तो मै उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी तरह अपने मनकी बात मुझसे कहे तो मै कुछ उपाय अवश्य करूँ। यदि वह ऐसा कहती रहे कि "मै ठीक हूँ, चिन्ता मत करो" तो मै क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कल भी उसने यही कहा है। वह मुझसे नही कहना चाहती तो न सही, अमतुस्सलामसे कहे तो भी ठीक है। उसे चिन्ता करनेका कोई कारण नही। मैंने दुबारा तो हिसाब नही माँगा। हिसाब रखनेकी आदत डालनी चाहिए। हिसाब रखेगी तो अच्छा ही है। लखपती आदमी भी अगर हिसाब न रखे तो उसका दिवाला निकल जाये।

इतने स्पष्टीकरणसे भी यदि सन्तोष न हो तो फिर लिखना।

तुम्हारा वहाँ जो खर्च हो, उसका हिसाब रखना। तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि इसके बाद पैसा तुम्हें यहीसे भेजा जाये।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१६४. पत्र : सुरेन्द्रको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारे सन्तोषके लिए तुम्हारा १५ रुपया महीना मैं किसी और खातेसे निकालने लगूँगा। वैसे, बात मुझे महत्त्वपूर्ण नही लगी। जिसे जिस खातेसे आजीविका प्राप्त करनेका अधिकार है, उसे वह उसी खातेसे लेना चाहिए। ऐसा करनेमे नम्रता अधिक है। तुम्हारे-जैसे व्यक्तिके लिए यही शोभाजनक है कि वह आजीविकाके लिए भी हरिजनोपर आश्रित रहे। लेकिन यह हरिजन-सेवा यदि तुम्हारा महामन्त्र नही हो सकती, और यदि वह तुम्हारी आत्माको पूर्ण सन्तोष नही दे सकती, तो तुम्हारा दूसरे खातेसे अपना खर्च लेना उचित है।

किशोरलालभाईको लिखा तुम्हारा पत्र तुम्हारी मनोदशापर अच्छा प्रकाश डालता है। मैं तुम्हारे मनके भीतर अभी भी अव्यवस्था देखता हूँ। तुम अभी भी चुनाव करनेकी वृत्ति रखते हो। तुम्हारी यह स्थिति आत्मोन्नतिके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जिसने सब-कुछ कृष्णार्पण कर दिया है, उसने तो अन्तिम चुनाव कर ही लिया। फिर तो किसी चुनावका सवाल ही नही रह जाता। ऐसा व्यक्ति और स्वच्छन्दतावादी, दोनो एक स्वरमे गा सकते हैं.

"आज जो मिला है उसका उपभोग करो, कल किसने देखा है!"

यह पत्र नाथ[1]को दिखाकर उनके साथ इसपर बातचीत करना।

बापूके आशीर्वाद

सुरेन्द्र
साबरमती

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१. केदारनाथ कुलकर्णी, किशोरलाल मशरूवालाके गुरु।

१६५. पत्र : लीलावती मेहताको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० लीलावती[१],

तेरा पत्र मिला था। ऐसा लगता है कि तेरा वैवाहिक जीवन तेरे लिए दु:खमय सिद्ध हुआ है। जहाँ नीति-अनीतिका भेद न किया जाये वहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है? छगनलालसे मैंने बडी आशाएँ बाँध रखी थीं। मैं बहुत उमंगसे उसे विलायतमें एक अंग्रेजी स्कूलमें रख आया था। वहाँ उसे साथ भी अच्छा मिला था। यह दु:खकी बात है कि वह डॉक्टरका सच्चा उत्तराधिकारी नही बन सकता। तू बहुत कोशिश करे तो ही वह बच सकता है।

बापूके आशीर्वाद

लीलावती
रंगून

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१६६. पत्र : ककलभाई कोठारीको

५ अक्टूबर, १९३४

भाई ककलभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। देशी राज्योंके सम्बन्धमे जो घोटाला हुआ है, वह इस प्राचीन उक्तिको सिद्ध करता है कि 'मनुष्य स्वय अपना मित्र है अथवा शत्रु।' उसे कोई बाहरी शक्ति नुकसान पहुँचा ही नही सकती। सब-कुछ गलत हो रहा है। हम सब अपने-अपने भ्रममे पड़े हुए है। क्यो न हम सब मिलकर ईश्वरसे यह प्रार्थना करे कि "हे भगवान! हमारे मित्रोसे हमे बचाना, अरे, यदि तुम हमे स्वय हमसे भी बचाओगे तो भी हम तुम्हारा उपकार मानेंगे।"

बापूके आशीर्वाद

ककलभाई
सोनगढ

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

१. डॉ० प्राणजीवन दासके पुत्र छगनलाल मेहताकी पत्नी।

१६७. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

५ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा पत्र मिला। जो द्रव्य प्रतिमास मिलता है उसमे से जो बचे वह दूसरे मासके लिये रखा जाय तो कोई दोष नही है। वर्षके अतमे यदि कुछ बचा तो भाईओसे कहा जाय इतना कम करके भेजो। बात यह है कि जो अपरिग्रही है वह जो धन आजीविकाके ही लिये लेता है उसमे से किसीको दान नही दे सकता है। यदि भाई कोई खुराक इ. बेचनेवाले पर चिट्ठी भेजे कि जो माल ब्रजकृष्ण मागे सो उसको देना तो दान कहा से किया जा सकता है?

यदि तुमारा शरीर वहा अच्छा न रहे तो और दाक्तर लोग इजाजत देवे तो यहा आकर रह सकते हो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२६) से।

१६८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

६ अक्टूबर, १९३४

मेरे ६६ वें जन्मदिवसके उपलक्ष्यमे ससारके कई भागोसे अनेक लोगोने तार द्वारा तथा अन्य प्रकारसे मुझे सन्देश भेजे है और चूँकि इतने सारे लोगोको व्यक्तिगत रूपसे जवाब देना मेरे लिए सम्भव नही है इसलिए मैं सार्वजनिक रूपसे उन सब लोगोको शुभकामनाएँ भेजनेके लिए धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-१०-१९३४

१६९. पत्र : के० कृष्णमूर्ति अय्यरको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे कल आपका पत्र मिला था और आज श्री च० राजगोपालाचारीकी मार्फत आपका २,००० रुपयेका चेक भी मिल गया है। आपकी माँगके अनुसार यह रही उसकी रसीद। यह चेक ठक्करबापाको इस निर्देशके साथ भेजा जा रहा है कि वे यह चेक अथवा २,००० रुपयेका एक नया चेक च० राजगोपालाचारीको भेज दे, साथ ही उन्हे यह भी बता दें कि इस चेकका उपयोग आपके पत्रमे लिखी शर्तोंके अनुरूप किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

सलग्न . १

श्री के० कृष्णमूर्ति अय्यर
१०६, थम्बू चेट्टी स्ट्रीट
जॉर्ज टाउन, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

१७०. पत्र : एस० डी० राजगोपालनको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय राजगोपालन,

मुझे खुशी है कि आप अपनी मशीनपर प्रयोग कर रहे है। जिस तरहकी रुईका इस्तेमाल किया जाता है, उसे नोट कर लेना चाहिए। मशीनसे जितना भी सूत तैयार हो उसका बट, एकसारता और अंकके आधारपर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। जो सूत व्यर्थ जाये उसका वजन लिया जाना चाहिए। चरखा कातनेवालोंके नाम, वय और लिंग भेद दिये जाने चाहिए और प्रत्येक कतैयेके नामके आगे प्रतिदिन काम करनेके पूरे घटे और प्रत्येक कतैयेने प्रतिदिन लगातार कितने घंटे काता, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यदि ये सारे तथ्य दिये जाते है तो इससे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि काम करते समय कोई मशीन खराब हो जाती

है अथवा उसमे मरम्मतकी जरूरत महसूस होती है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एस० डी० राजगोपालन
बगलौर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१७१. पत्र : वी० श्रीरंगशायीको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय श्रीरंगशायी,

आपका पत्र मिला। यह जानकर सुख मिला कि आन्ध्रका समाजवादी दल मेरे द्वारा सुझाये गये सभी संशोधनोकी कद्र करता है। समाजवादी दल मैंने इसलिए कहा है क्योकि आपने दलके सेक्रेटरीकी हैसियतसे हस्ताक्षर किये हैं। इस कारण मैं मान लेता हूँ कि आपका पत्र दलके विचारोका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आप जानते है कि बनारसमे हुई सभामे इन संशोधनोकी बेहद निन्दा की गई है। जब मैंने श्रमकी गरिमाके प्रतीक-स्वरूप कताई-मताधिकारकी परिकल्पना की थी उस समय भी एक मित्रने मुझे एक पुस्तिका दिखाई थी जिसमे सोवियतका संविधान था और उसने मेरा ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया था कि रूसमे श्रम-मताधिकारको एक निश्चित स्थान प्राप्त है। लेकिन मुझे नही मालूम कि आप समाजवादियोके सामान्य विचारोका प्रतिनिधित्व करते है या नही। और फिर जिन लोगोने निन्दा-प्रस्ताव पास किये है उनके बारेमे आपका क्या कहना है?

आपको मेरी इस इच्छापर आपत्ति है कि धनाढ्य लोगोको अपने-आपको अपनी सम्पत्तिका स्वामी नही बल्कि समस्त समाजकी ओरसे नियुक्त उस सम्पत्तिका न्यासी समझना चाहिए। बेशक, यह एक कठिन कार्य है लेकिन असम्भव कदापि नही। और मुझे तो इस विचारके लोगोमे फैलने और उनके द्वारा इसे स्वीकार करनेके निश्चित लक्षण भी दिखाई देते है। आपका सुझाव है कि गरीबोको धनवानोका न्यासी समझा जाना चाहिए। लेकिन आप भूल जाते है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसमे यह बात शामिल है, क्योकि क्या मैंने बार-बार यह नही कहा है कि श्रम भी धनके समान पूंजी ही है? इसलिए श्रमिकोको स्वयको धनवानोका शत्रु अथवा धनवानोको अपना स्वाभाविक शत्रु न समझकर अपने श्रमको उन लोगोके लिए न्यास-रूपमे रखना चाहिए जिन्हे उसकी जरूरत है। वे ऐसा तभी कर सकते है जब वे अपने-आपको नितान्त

असहाय महसूस न करें, जैसाकि वे आज करते हैं, बल्कि मनुष्यकी अर्थ-व्यवस्थामें अपने महत्त्वको पहचानते हुए धनवानोंके प्रति अविश्वासकी भावना अथवा भयको अपने दिलोंसे निकाल बाहर करें। भय और अविश्वास जुड़वाँ बहनें हैं जिनकी जननी है दुर्बलता। जब श्रमिक अपनी शक्तिको पहचान लेंगे तब उन्हें धनवानोंके विरुद्ध किसी प्रकारका जोर आजमानेकी जरूरत न होगी। उनका ध्यान सहज ही इस ओर चला जायेगा और वे इस शक्तिका सम्मान करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-१०-१९३४

१७२. पत्र : डॉ० मुख्तार अहमद अंसारीको

६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉक्टर साहब,

आपके वापस स्वदेश लौटनेपर बापू आपको हार्दिक शुभकामनाएँ भेजते हैं। अखबारोंसे पता चलता है कि आप दो-एक दिनमें यहाँ आनेवाले हैं। बापू कहते हैं: 'हो सके तो आप और जल्दी आयें।' हमें आशा है कि परिवर्तनसे आपको लाभ हुआ है और अब आप ज्यादा शक्ति और चुस्ती महसूस कर रहे हैं। यहाँ खान-बन्धुओंसे आपकी मुलाकात हो जाती किन्तु वे बंगाल गये हुए हैं और हालांकि उनके ७ तारीखतक यहाँ लौटनेकी आशा थी, लेकिन वहाँ उनका कयाम लम्बा होता जा रहा है, और मुझे शक है कि वे १६ तारीखसे पहले लौट सकेंगे।

आपने अगाथा, होरेस अलेक्जेंडर और अन्य अंग्रेज मित्रोंका दिल चुरा लिया है। लगता है, वे चाहते हैं कि आप हमेशा वहीं रहें।

सलाम सहित,

आपका सस्नेह,
महादेव

मूल अंग्रेजीसे: अंसारी पेपर्स: २०/ए० एन० एस०/ए० पी० पी०-६०-१; सौजन्य: जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय

१७३. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० अम्बुजम,

तुम्हारी पुरानी शैलीमें लिखा तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इतनी सारी सूचनाएँ दी।

माता-पिता अनुमति दे दे तो तुम जब चाहे निश्चय ही वापस आ सकती हो। तुम जितनी जल्दी आ सको उतना ही अच्छा है।

यहाँ सब ठीक है। पानी बरसना तो लगता है बिलकुल बन्द हो गया है।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजीसे अम्बुजम्माल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१७४. पत्र : हरिलाल गांधीको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरे आखिरी पत्रका उत्तर[1] मैं सक्षेपमें दे चुका हूँ। उसीमें मैंने दूसरा पत्र लिखनेकी बात कही थी, वह यह रहा।

खादीके तूने जो नौ अर्थ किये हैं वे बिलकुल ठीक हैं। उनमें कुछ और वृद्धि की जा सकती है, लेकिन इतने काफी हैं। इनमें से जो तुझपर और मुझपर लागू होते हैं, उनपर हम अमल करें। इसीसे मैंने तुझे खादी-कार्य सीखनेका सुझाव दिया था। खादी-कार्य सीखनेका अर्थ है खेतमें कपास बोनेसे लेकर खादी तैयार करनेकी समस्त प्रक्रियापर अधिकार प्राप्त करना तथा खादीको कैसे खपाया जाये, उसके उपायोकी जानकारी प्राप्त करना। इन सबका वैज्ञानिक रीतिसे अध्ययन करना चाहिए।

किताबें भेजनेकी तजवीज कर रहा हूँ।

तेरा मन मुसाफिरी करनेका नही होता, यह बात मुझे अच्छी लगती है। यदि तू पोरबन्दरकी बजाए राजकोटमें रहे तो यह मुझे अच्छा लगेगा, क्योकि मैं समझता हूँ कि तू राजकोटमें अधिक सुरक्षित रहेगा। उसमे एक अच्छी बात यह है कि

१. देखिए "पत्र : हरिलाल गांधीको", ४-१०-१९३४।

नारणदास वहाँ है, और फिर बली, मनु[1] आदि तो है ही। अपनी जाग्रतावस्थामे तू बली, फूली, और मनुकी अधिक सेवा कर सकता है। लेकिन यह सब सार्थक तो तभी कहा जा सकता है जब तुझे उसमे शान्ति मिल सके।

हरिलाल
राजकोट

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१७५. पत्र : नारणदास गांधीको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला है।

हरिलालके नाम पत्र सलग्न कर रहा हूँ, पढकर उसे दे देना। वह खादी-सम्बन्धी साहित्य पढना चाहता है। ऐसा साहित्य वहाँ होगा ही, सो उसे दे देना। अग्रेजी और गुजराती दोनोमे वहाँ है।

तकलीसे सम्बन्धित लेख 'हरिजन'[2] मे पढ लेना। 'हरिजन' तुम्हे मिलने तो लगा है न? कन्हैया अपने काममे जुटा हुआ है। उसे लोगोसे घुलने-मिलनेमे तो देर ही नही लगती।

लगता है, राधा बहुत दुबली हो गई है। वह कुछ दिनोमे वहाँ पहुँचेगी। यदि वह वहाँ रहकर जितना विद्याभ्यास कर सके, उतना करे तो अच्छा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२० से भी, सौजन्य नारणदास गांधी

१. हरिलाल गांधीकी पुत्री।
२. ५ अक्टूबर, १९३४ का।

१७६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

६ अक्टूबर, १९३४

बा,

इस वर्ष कांग्रेस-अधिवेशनमे तेरा आना बिलकुल जरूरी नही है। मैं बिलकुल नही जाना चाहता, पर मुझे तो जाना पड़ेगा। इस बार प्रवेश निःशुल्क नही है। कम-से-कम टिकट २५ रुपयेका है। इतना कौन दे? और हम इतना किसीको क्यो देने दे? मैं सभीसे न जानेको कह रहा हूँ।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

१७७. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

६ अक्टूबर, १९३४

तेरा पत्र मिला। १०० के ११६ करनेके प्रयत्नमे हमे १०० से भी हाथ धोना पड़ेगा।[1] ईश्वर अत्यन्त लोभी व्यक्तिकी याचनाको न सिर्फ अनसुनी करता है बल्कि उसे सजा भी देता है।

मुझे कांग्रेससे निकालनेके लिए जितना तू उत्सुक हो रहा है, उसकी अपेक्षा मैं निकलनेको अधिक उत्सुक हूँ। बात सिर्फ इतनी ही है कि हमे ऐसे उपायोको खोज निकालना होगा जिससे यह काम सरलतासे हो सके।

मैं जब आऊँगा तब मेरे साथ कितने लोग होंगे, यह तो मैं नही जानता, लेकिन एकका भी टिकट मुफ्त नही होगा — यह विचार मुझे पसन्द है। बड़े लोग अपने बच्चोंको मुफ्त अन्दर घुसा देते है, इसका मैं सदासे विरोध करता आया हूँ। इसलिए मुझे यह नियम अच्छा लगा है। इसका पालन तो लोग खादीके नियमके पालन जितना ही करेंगे, लेकिन मुझे और तुझे तो — भले ही हम सिर्फ दो व्यक्ति हो — इस नियमका पालन करना ही होगा। तिसपर भी यदि प्रेस रिपोर्टरके रूपमे तू दिलीप[2] को

१ मथुरादास त्रिकमजीने छान्दोग्योपनिषद्‌के महीदासकी तरह गांधीजीकी ११६ वर्षकी आयुकी कामना की थी।

२. मथुरादास त्रिकमजीका पुत्र।

और सेविकाके रूपमें तारामती[1] को घुसायेगा तो इसकी जिम्मेदारी तुझपर होगी। भगवान तेरे रथका एक पहिया जमीनमे धँसा देगा। मेरा बस चले तो मै केवल महादेव, प्यारेलाल, देवराज और कनुको लेकर ही आऊँ। लेकिन मेरी चलेगी नही। पृथुराज मुझसे कहेगा कि इतने वर्षोकी मजदूरीके बदले कुछ मिलना ही चाहिए। लड़कियोका क्या होगा, सो तो भगवान ही जाने। काका तो रहेगे ही। लेकिन इनमे से कोई भी पंडालमें घुसने नही पायेगा। वहाँ तो तुझे केवल पानसे रँगा मुँह लिये और कत्था, चूना और चाँदीके वर्कवाले बीडे चबाते हुए लोग ही दिखाई देगे।

मथुरादास त्रिकमजी
बम्बई

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१७८. पत्र : नानाभाई इ० मशरूवालाको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० नानाभाई[2],

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। तुम्हारे बारेमे ज्यादातर तो मुझे किशोरलालसे समाचार मिलते रहते हैं। तुम्हारी गाडी तो भगवान चला रहा है। अब तुम शरीरसे अधिक सेवा नही कर सकते, इसका तनिक भी दुःख न मानना। तुम्हारी शुभेच्छाएँ भी सेवा ही है। सिर्फ शरीर तो जड है। जबतक तुम्हारी शुभेच्छाएँ है तबतक तुम अनेक शरीरोसे सेवा कर रहे हो। वहाँ तारा[3], नेटालमें सुशीला और यहाँ किशोरलाल तथा गोमतीके रूपमे भी तुम्ही तो हो न? यदि तुम उन्हे काम करनेसे रोकना चाहो तो क्या होगा?

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१. मथुरादास त्रिकमजीकी पत्नी।
२. सुशीला गांधीके पिता।
३. नानाभाई मशरूवालाकी पुत्री।

१७९. पत्र : रामदास गांधीको

६ अक्टूबर, १९३४

चि० रामदास,

तेरा कार्ड मिला। हरी सब्जियाँ, दूध, दही और फलपर यदि गुजारा हो सके तो शरीरमे अवश्य सुधार होगा। चिन्ता तो करनी ही नही चाहिए। कॉड-लिवर ऑयलके बारेमे मैने तुझे विस्तारसे लिखा है। यदि समझमे न आया हो तो फिर पूछना। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। जहाँ शरीरकी बाजी लगी हो वहाँ सगे माँ-बाप भी धर्म बतानेमे असमर्थ है। जोर-जबरदस्तीसे पुण्य नही होता। धर्म तो हृदयकी वस्तु है। इसमे किसीका अनुकरण नही किया जा सकता। इसलिए तुझे जो उचित लगे सो निश्चिन्त होकर करना।

हरिलाल अभी तो ठीक चल रहा जान पडता है। वह राजकोट पहुँच गया है। उसके सप्ताहमे दो-तीन पत्र आ जाते है।

शर्मा अभी वापस नही आया है। मैने उसे, जबतक जरूरत जान पडे, तबतक रुकनेके लिए कहा था।

मैने अभी-अभी तेरा पत्र नीमुको दिया है। मेरे जन्मदिवस पर तूने जो प्रार्थना की है, भगवान करे वह फलीभूत हो। मै जानता हूँ कि मैने तुम भाइयोको अपनी आत्मिक सम्पद् देनेमे कभी सकोच नही किया है। किसी औरकी खातिर न सही, लेकिन मैने तुम लोगोकी खातिर पवित्र रहनेका प्रयत्न किया। मात्र पवित्रताके लिए ही पवित्रताका विकास करना चाहिए, यह बात तो बादमे जानी। लेकिन जब इसे जाना तब भी यह ज्ञान मुझे शुद्ध रखनेके लिए पर्याप्त न था। लेकिन तुम्हारे प्रति और बा के प्रति अपने धर्मके बोधके कारण ही मै टिक सका। तथापि, तुम्हे उच्च शिक्षा देनेमे कमी रह गई। लेकिन वह अनिवार्य थी। मेरे नये प्रयोगोमे उसका गौण स्थान था, आज भी वैसा ही है। उस कमीके कारण तुमने विशेष कुछ नही खोया है। लेकिन तुम्हारे मनमे जिस हदतक उसका असन्तोष रहा, उस हदतक मुझे दुःख हुआ। यदि तुझे और अन्य भाइयोंको यह कमी महसूस न हो तो पिताके रूपमे मै अपने-आपको कृतार्थ मानूँगा।

रामदास गाधी
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१८०. पत्र : सीतारामको

६ अक्टूबर, १९३४

भाई सीताराम,

मुझे तो प्रार्थना प्रिय है परन्तु आजकल कांग्रेसवालोंमें प्रार्थनापर कोई श्रद्धा देखनेमें नहीं आती है और हर ऐसी बातोंको भी राज्यकारणके साथ जोड देते है। यूँ तो श्री कमलाकी[1] बीमारीका पता सबको है और जिनको श्रद्धा है वे नित्य प्रार्थना कर ही रहे है। यही मुझे तो अच्छा और पर्याप्त जँचता है।

[सीताराम]
इलाहाबाद

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

१८१. स्त्रियाँ और वर्ण[2]

एक आदरणीय मित्र लिखते है.[3]

'हरिजन' में हालमें वर्णके विषयमें आपका जो लेख[4] छपा है, उससे ऐसा मालूम होता है कि वर्णका जो सिद्धान्त आपने बनाया है वह केवल पुरुषोंपर ही लागू करनेके लिए है। तब स्त्रियोंका क्या होगा? स्त्रीका वर्ण कौन-सी वस्तु निर्धारित करेगी? शायद इसका उत्तर आप यह देंगे कि विवाहसे पूर्व किसी स्त्रीका वर्ण वही होगा जो उसके पिताका होगा, और विवाहके बाद पतिका वर्ण ही उसका वर्ण होगा। क्या हम यह समझें कि आप मनुके इस निन्दनीय आदेशका समर्थन करते हैं कि स्त्रीके लिए जीवनकी किसी भी स्थितिमें स्वतन्त्रता नहीं हो सकती; अर्थात् विवाहके पहले उसे अपने माता-पिताके आश्रयमें रहना चाहिए, विवाहके बाद अपने पतिके आश्रयमें रहना चाहिए और विधवा हो जानेपर अपने बच्चोंके आश्रयमें रहना चाहिए?

यह सामान्य बात हो गई है कि पति साहूकारीका धन्धा करता है और पत्नी शिक्षिका है। ऐसी स्थितिमें उस स्त्रीका वर्ण क्या होगा? . . . इन दोनोंके बीच उनके बालक किस वर्णके होंगे? . . .

१. कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरूकी पत्नी।
२. हरिजन में इसका अनुवाद १२-१०-१९३४ को प्रकाशित हुआ था।
३. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये हैं।
४. देखिए "प्रस्तावना: वर्ण-व्यवस्थाकी", २३-९-१९३४।

मेरी रायमे पत्रमे जो प्रश्न उठाया गया है, वह आजकी परिस्थितियोमे अप्रासगिक है। पत्रमे मेरे जिस लेखका उल्लेख है, उसमे मैंने बताया हे कि वर्णोका सकर हो जानेके कारण आज वास्तवमे वर्ण रहे ही नही है, वर्णका सिद्धान्त आज अपना काम नही करता। हिन्दू-समाजकी वर्तमान व्यवस्थाको अराजकताकी दशा कहा जा सकता है। आज तो चारो वर्ण केवल नामको ही है। यदि हमे वर्णकी वात करनी ही हो, तो आज स्त्री-पुरुष सवके लिए केवल एक ही वर्ण है; हम सव आज शूद्र है।

पुनर्जीवित वर्ण-धर्ममे, मेरी कल्पनाके अनुसार, विवाहके पूर्व किसी लडकीका वर्ण उसके भाईकी तरह ही उसके पिताका वर्ण होगा। विभिन्न वर्णोके बीच अन्तर्विवाह वहुत विरल होगे। इसलिए किसी लडकीका वर्ण विवाहके वाद भी वही रहेगा जो विवाहके पूर्व था। परन्तु यदि उसका पति किसी भिन्न वर्णका हो तो विवाहके वाद स्वभावत वह अपने पतिका वर्ण ग्रहण करेगी और अपने माता-पिताका वर्ण छोड देगी। वर्णका ऐसा परिवर्तन किसीके लिए कलककी बात नही मानी जानी चाहिए, और न उससे किसीकी भावनाओको आघात लगना चाहिए। क्योकि वर्णकी सस्था अपने पुनरुद्धारके युगमे चारो वर्णोके लिए सम्पूर्ण सामाजिक समानताकी सूचक होगी।

पत्नी अपने पतिसे भिन्न कोई स्वतन्त्र धन्धा करेगी ही, ऐसा मै अनिवार्य नही मानता। बच्चोकी सार-सँभाल और घर-गृहस्थीकी व्यवस्था ऐसे बडे काम है कि पत्नीकी सारी शक्ति उन्हीमे खर्च हो जायेगी। किसी सुसगठित और सुव्यवस्थित समाजमे परिवारके पालन-पोषणका अतिरिक्त भार पत्नीपर नही पडना चाहिए। पुरुषको परिवारके भरण-पोषणकी व्यवस्था करनी चाहिए, स्त्रीको गृहस्थीकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनो एक-दूसरेके परिश्रममे सहायक और पूरक होने चाहिए।

इस व्यवस्थामे स्त्रीके अधिकारोपर आक्रमण होता है या उसकी स्वतन्त्रताका दमन होता है, ऐसा मै नही मानता। मनुका कहा जानेवाला यह वचन कि "स्त्रीके लिए कोई स्वतन्त्रता नही हो सकती"[1] मेरे लिए पत्थरकी लकीर नही है। उससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि जिस समय इसकी घोषणा की गई थी, उस समय स्त्रियाँ गुलामीमे रखी जाती थी। पत्नीका वर्णन करनेके लिए हमारे साहित्यमे 'अर्धांगना' तथा 'सहधर्मिणी' शब्दोका उपयोग किया गया है। पतिका पत्नीको 'देवी' नामसे सम्बोधन करना किसी प्रकारका तिरस्कार प्रदर्शित नही करता। परन्तु दुर्भाग्यसे एक समय ऐसा आया जब स्त्रीके बहुत-से अधिकार और विशेष अधिकार छिन गये और उसका दर्जा नीचा हो गया। परन्तु उसके वर्णके घटनेका तो कोई प्रश्न ही नही उठ सकता। क्योकि वर्ण अधिकारो या विशेष अधिकारोके समूहका द्योतक नही है; वह तो केवल मनुष्यके कर्त्तव्योका ही प्रतिपादन करता है। और कोई भी मनुष्य हमे अपने कर्त्तव्यसे वचित नही कर सकता, जबतक हम स्वय उससे दूर भागना पसन्द न करे। जो स्त्री अपने कर्त्तव्यको जानती है और उसका पालन

१. न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति।

करती है, वह अपने प्रतिष्ठित पदको समझती है। वह अपनी गृहस्थीकी दासी नहीं परन्तु रानी है, जिसपर उसका शासन चलता है।

उसके बाद यह कहना शायद ही जरूरी हो कि समाजमें स्त्रीके कार्यके बारेमें मैंने जिस स्थितिका प्रतिपादन किया है उसे यदि स्वीकार कर लिया जाये, तो बालकोंके वर्णका प्रश्न कोई समस्या प्रस्तुत नहीं करेगा। क्योंकि पति और पत्नीके वर्णके बीच जैसे कोई भेद नहीं रहेगा वैसे बालकोंके वर्णके बीच भी कोई भेद नहीं रहेगा।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, ७-१०-१९३४

१८२. पत्र : डंकन ग्रीनलेसको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डंकन,

मुझे आज तुम्हारी छोटी टिप्पणीके साथ तुम्हारी पुस्तक मिली। मैं जितनी जल्दी सम्भव होगा, उतनी जल्दी इसे पढ़ जाऊँगा। मैं जानना चाहूँगा कि इसकी कितनी बिक्री होती है।

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१८३. पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो कहा है, खान साहबमें वे बातें मौजूद हैं। तुम खान भाइयोंको निश्चित समयसे ज्यादा रोक रहे हो। उन्हें यहाँ ८ तारीखको आ जाना चाहिए था। उन्हें १९ तारीखको हर हालतमें बम्बई पहुँचना है और वापस वर्धा आते हुए उन्हें दो स्थानोंपर जाना है। इसका परिणाम यह होगा कि उसके बाद वे मेरे पास केवल दो दिन ही रह सकेंगे। खान साहबसे अस्वास्थ्यकर वातावरणमें, जबकि उनकी सेहत काफी खराब है, काम करवाकर तुम बुद्धिमानी कर रहे हो या नहीं, सो मैं नहीं जानता। यदि उनके प्रवासको कम किया जा सके तो करना। स्वेच्छासे काम करनेवाले व्यक्तिपर जरूरतसे ज्यादा बोझ नहीं लादना चाहिए।

श्री प्रफुल्ल घोष
७९/१३ बी० लोअर सरक्युलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१८४. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

इस पत्रके साथ २,००० रुपयेका चेक तथा दान देनेवाले व्यक्ति[1] और राजाजी के मूल पत्र हैं। मेरा सुझाव है कि तुम इस चेकको अपने हिसावमे दर्ज कर लो और चेकको राजाजीके पास इस हिदायतके साथ भेज दो कि पत्रमे दिये गये सुझावो के अनुरूप चेकका उपयोग किया जाना चाहिए।

संलग्न : २,००० रुपयेका एक चेक और दो पत्र

श्री अ० वि० ठक्कर, दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१८५. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

७ अक्टूबर, १९३४

मुझे आपका पत्र मिला जिसके साथ कृष्णमूर्ति अय्यरका पत्र और २,००० रुपयेका चेक भी नत्थी है। मैं उन्हे सीधे रसीद भेज रहा हूँ, और ठक्कर बापाको इस हिदायतके साथ चेक भेज रहा हूँ कि इस राशिका उपयोग आपके पत्रमे दिये गये सुझावके अनुरूप किया जाये। श्री कृष्णमूर्तिके इरादेको पूरी तरहसे कार्यान्वित करनेका मुझे यही सबसे अच्छा तरीका जान पड़ता है।

श्री च० राजगोपालाचारी
मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे; प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र : के० कृष्णमूर्ति अय्यरको", ६-१०-१९३४।

१८६. पत्र : एफ० मेरी बारको

७ अक्टूबर, १९३४

चि० मेरी,

बच्चो द्वारा काते हुए सूतके पहले कुछ नमूने वाकई बहुत अच्छे हैं। खादी मजबूत और टिकाऊ है।

उम्मीद है, तुम 'हरिजन'को बहुत ध्यानपूर्वक पढती होगी, क्योंकि आजकल उसके स्तम्भ काफी विविधता लिये होते है।

जमनालालजी यहाँ १३ तारीखको आनेवाले हैं। डॉक्टरोने कहा है कि वे उनको १२ तारीखतक छुट्टी दे देंगे। अब तो घाव भरनेमें थोडी ही कसर बाकी है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३०) से। सी० डब्ल्यू० ३३५९ से भी, सौजन्य . एफ० मेरी बार

१८७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

७ अक्टूबर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

महाराज आयेंगे तो मै सावधान हूँ और रहूँगा।

यदि तुम मेरा मुँह बन्द रखोगे तो झगड़ा अवश्य होगा।

मैं तो तुम्हारे लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा हूँ। उस १००० वाले प्रस्ताव[1] में मेरी सूझ-बूझकी कडी परीक्षा हो रही है। काट-छाँट करता ही रहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३९

१. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंकी संख्या घटाकर १००० करनेका सुझाव था।

१८८. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

७ अक्टूबर, १९३४

चि० विद्या,

इस समय इतने काममे मैं पडा हू कोई खत लिखने चाहिये सो लिख नहि पाता। तुमारा खत मिला है। आनद आपरेशनके लिये जाता है सो अच्छा है। तुमने वही रहनेका निश्चय किया सो भी ठीक है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा आनन्द तो० हिंगोरानी

१८९. पत्र : रीज जोन्सको

८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय रीज,

तुम्हारा पत्र पाकर और यह जानकर कि तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम चल रहा है, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे रवाना होनेके दिनतक तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहेगा और तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त घर पहुँचोगी।

हाँ, यह अच्छा हुआ कि चार्ली ६ तारीखको रवाना हो सके। उनपर कामका वहुत ज्यादा दवाव था। तुम मुझे समय-समयपर अवश्य लिखती रहना।

खानवन्धु अभीतक नही पहुँचे है। लगता है कि बंगालमे उनकी अच्छी निभ रही है।

हम सवकी ओरसे सप्रेम,

बापू

रीज जोन्स
सी० एम० एस० हाउस
प्रॉक्टर रोड, गिरगाँव, वम्वई–४

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१९०. पत्र : बी० जे० देवरुखकरको[1]

८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय देवरुखकर,

जहाँतक साम्प्रदायिक निर्णयको बदलनेका सवाल है, इसके हरिजनवाले अंशको सभी सम्बद्ध लोगोंकी सर्वसम्मतिके बिना नहीं बदला जा सकता, और मैं तो निश्चय ही ऐसे किसी परिवर्तनमें शामिल नहीं होऊँगा जिससे हरिजनोंकी स्थिति और भी खराब होती हो अथवा जिसमें उनकी सहमति न हो। जहाँतक चुनावोंका प्रश्न है, मेरा स्पष्ट विचार है कि कांग्रेस सरकारके साथ जो संघर्ष कर रही है, उसमें किसी भी रूपसे हरिजनोंको लपेटना हरिजनोंके उद्देश्यके लिए हानिकर होगा। हरिजनोंके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करनेके लिए, बल्कि सहानुभूतिसे भी अधिक कुछ करनेके लिए सवर्ण हिन्दुओंके पास अन्य बहुत और ठोस तरीके हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री बी० जे० देवरुखकर
कृष्णा बिल्डिंग नं० ४
पोइबावाडी, परेल, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. बम्बईके एक राष्ट्रवादी हरिजन नेता देवरुखकरने अपने पत्रमें पूना-समझौतेमें हिन्दुओंके एक वर्ग द्वारा, विशेषकर बंगाल और पंजाबके हिन्दुओं द्वारा संशोधन करनेसे सम्बन्धित आन्दोलनको देखते हुए पूना-समझौतेके स्थायित्वके प्रति शंका व्यक्त की थी। उन्होंने गांधीजीसे विधानसभाके चुनावोंमें हरिजन उम्मीदवारोंको खड़ा करनेके सम्बन्धमें व्यक्त किये गये अपने विचारोंपर पुनर्विचार करनेकी प्रार्थना भी की थी।

१९१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

मै यहाँ गजभियेके बारेमे दो पत्र सलग्न कर रहा हूँ। जान पडता है, तुम्हे उसका केस मालूम है। यदि ऐसा है तो कृपया इस बारेमे मुझे पूरी जानकारी दो। उसके पहले पत्रके उत्तरमे मैंने लिखा था कि पत्रोको तुम्हारे पास भेजनेसे पहले वह मुझे अपनी जरूरतके बारेमे बताये जिसके फलस्वरूप उसने पोस्टकार्ड भेजा।

तुम्हारा,
बापू

सलग्न : २

[पुनश्च .][1]

मुझे अभी-अभी तुम्हारा पत्र मिला है। नवम्बरमे जितनी जल्दी हो सके, सभा बुलानेकी तारीख तय कर लो। काग्रेस-अधिवेशनके बाद मेरा कार्यक्रम अनिश्चित होगा। मै अधिवेशनके तुरन्त बाद वर्धा लौट आऊँगा। तब मुझे बजट दिखाना। मेरा विचार यह है कि श्रमिकोमे जो अपेक्षाकृत सम्पन्न लोग है, उन्हे सतकौड़ी बाबूसे सम्बन्धित रकम चुकानी चाहिए। जहाँतक सदस्योको छूट देनेका सवाल है, घनश्यामदाससे सलाह-मशविरा करो। किसी तरह नम्रतासे उन्हे सूचित किया जाना चाहिए। मै यकीनन यह मानता हूँ कि यदि सूरजबहनसे जगह खाली करनेको कहनेका हमारा फर्ज बनता है तो उसका पालन करनेमे दयाकी कोई गुजाइश नही।

मै ज्यादा-से-ज्यादा १ नवम्बरतक वर्धा लौट आना चाहता हूँ। लेकिन जैसा राम चाहेगे वैसा होगा।

यहाँकी सभाके बाद तुम काठियावाडका दौरा करना।

परीक्षितलालके ३१ रुपये राधाकृष्णने दस दिन पहले भेज दिये थे। उसे रकम क्यो नही मिली, इस बारेमे हम पूछताछ कर रहे है।

बापू

[पुनश्च :]

तुम्हारा पत्र मिला। हम चेक भेज देगे।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४६) से।

१. इसके बादका अंश गुजरातीसे अनूदित है।

१९२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

८ अक्टूबर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

महादेवके नाम लिखे तुम्हारे पत्र पढे। सम्भव हो तो डॉ० असारीके साथ आ जाना।

ईश्वर शरण[1] के बारेमें बहुतसे तार आये। वे सब तो मैंने तुम्हे नही भेजे। परन्तु बाबा राघवदासका भेज रहा हूँ।

ईश्वर शरणके विरुद्ध कृष्णकान्त[2] खडे हुए हैं। अणेका सुझाव है कि कृष्णकान्तको हटाकर वहाँ चिन्तामणि[3] जाये और ईश्वर शरणका नाम वापस ले लिया जाये तथा भगवानदासका विरोध न हो। मेरे खयालसे यदि यह सम्भव हो तो करने लायक है। ईश्वर शरणको तो चिन्तामणिके पक्षमे अपना नाम वापस ले ही लेना चाहिए। भगवानदासके विरुद्ध लड़ाई हो, यह तो बडी जहर फैलानेवाली बात होगी। इस बारेमें मैंने तुम्हें तार दिया है।[4]

दूसरा मामला अम्यकरका है। तुम्हे तार देनेके बाद बापूजी (अणे) का पत्र आया। यह पत्र मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। इसलिए तुम्हे तार देनेके पीछे मेरा क्या उद्देश्य था सो बताकर मैं व्यर्थ ही तुम्हारा समय खराब नही करना चाहता।

नरीमान और मथुरादासने बडे-बडे तार भेजे हैं जिनमे उन्होंने कांग्रेसको मुलतवी न करनेका अनुरोध किया है। इसे मैं बेकार खर्च मानता हूँ। मुझे इसपर जरा भी आग्रह नही है। मैंने तो डाकियेका काम किया है। तुम या मैं ऐसा कोई काम करने दे सकते हैं, जिससे कांग्रेस या पार्लियामेंटरी बोर्डको हानि पहुँचे ? और ऐसे कामोके बारेमे यहाँ बैठे हुए मुझे कुछ पता भी नही चल सकता।

खानबन्धु बंगालमें फँस गये। अब तो उन्हे १९ तारीखको वहाँ [बम्बई] भेजना मुश्किल हो गया है। क्या किया जाये ? मैंने पत्र तो लिखा है।[5]

तुम कही बीमार न पड़ जाना। मुझे विलियम, प्रिन्स ऑफ ऑरेंज याद आता है। ईश्वरको उससे काम लेना था, इसलिए चारो ओर गोलियाँ बरसती थी, तो भी उनके बीच वह सुरक्षित रहा

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १३९-४०

१. मुन्शी ईश्वर शरण, इलाहाबादके एक वयोवृद्ध हरिजन-सेवक।
२. पं० कृष्णकान्त मालवीय।
३. सी० वाई० चिन्तामणि; *लीडर* के सम्पादक।
४. तार उपलब्ध नहीं है।
५. देखिए "पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको", ९-१०-१९३४।

१९३. पत्र : एम० को

९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय एम०,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हे अभी भी अहकार है। तुम फिर वही काम करना चाहते हो जिसके कारण तुम तबाह हुए हो। क्या अहकार मनुष्यको इससे भी अधिक गिरा सकता है? नही, पश्चात्ताप करनेके लिए तुम्हे यहाँ वापस नही आना चाहिए। जब यह दिखने लगेगा कि तुम्हे अपने पापका ज्ञान हो गया है तब तुम्हारा यहाँ खुले दिलसे स्वागत किया जायेगा। तुम्हारे पत्रसे तो इससे उल्टी बात दिखती है। तुमने सचमुच जो किया है उसे ईमानदारीके साथ सम्बन्धित व्यक्तियोको बतानेका साहस भी तुम्हारे अन्दर नही है, जिससे कि वे भविष्यके लिए सबक सीख सके। तुम तिगुने पापकी गुरुताको तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम अह छोड दो। याद रखो कि यह बात कहनेवाला व्यक्ति भी पापी है। फर्क केवल इतना है कि मुझे पापका ज्ञान है और मै उससे दूर भागता हूँ [जबकि] तुम पापके निकट आना चाहते हो।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

१९४. पत्र : डॉ० डी० एस० सरदेसाईको

९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मेरी पौत्रीकी आँखें खराब होनेके बारेमे आपने जो रिपोर्ट लिखी है, वह स्वामी आनन्दने मेरे पास भेजी है। आप छोटी बच्चीकी जो देखभाल कर रहे हैं उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० डी० एस० सरदेसाई
एल० आर० सी० पी० ऐण्ड एस०
सैण्डहर्स्ट रोड
गिरगाँव, बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८८२७) से।

१९५. पत्र : मीठूबहन पेटिटको

९ अक्टूबर, १९३४

चि० मीठुबहन,

मैं देखता हूँ कि तुम अपना सेवा-क्षेत्र बढाती जा रही हो और अब तुम्हारी बुनाईशालाको सेवाश्रम नाम देनेका शुभ अवसर आया है। ईश्वर करे तुम्हारी और तुम्हारे साथी सेवक-सेविकाओंकी मेहनत बर आये।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम अपनी सेहतको बराबर सुधार लेना।

श्रीमती मीठुबहन पेटिट
पार्क हाउस
कोलाबा, बम्बई

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २६९९) से।

१९६. पत्र : कान्ति गांधीको

[९][1] अक्टूबर, १९३४

चि० कान्ति,

तेरा लम्बा पत्र मिला। इसे और कोई नहीं पढेगा। मैं तेरी भावनाओंको समझता हूँ। मैंने रामचन्द्रनसे तेरे लिए पैसेका प्रबन्ध कर लिया है। मेरे उनके साथ ऐसे सम्बन्ध हैं कि इसके बारेमें मुझे संकोच करनेकी जरूरत नहीं और ऐसा करना तेरे लिए और मेरे लिए भी ठीक बात है। रामचन्द्रनके वहाँ रहते हुए मेरा यहाँसे पैसा भेजना अच्छा नहीं लगता। मैं निश्चय ही वह पैसा रामचन्द्रनको वापस कर दूँगा जिससे कि तू निसंकोच उससे पैसा ले सके। यदि तुझे यह रकम पर्याप्त नहीं जान पड़े तो मुझे लिखना। यह एक अच्छी बात है कि तू पैसे-पैसेका हिसाब रखता है।

१. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

मैं तेरी मन स्थितिको, जिसका तूने विशद चित्रण किया है, अच्छी तरहसे समझता हूँ। किसी भी चीजके लिए तू अपने ऊपर जोर-जबरदस्ती न करना। तेरे आसपास जो-कुछ हो रहा है, उसे जानते हुए तू वही अपना पाँव रखना जहाँ तू उसे दृढतापूर्वक जमाये रख सकता हो। मेरा यह अनुभव रहा है कि जो चीज अस्वाभाविक ढगसेकी जाती है, वह कभी टिक नही सकती, बल्कि इससे दम्भमे ही वृद्धि होती है। यही कारण है कि मैं काग्रेससे निकल आनेके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। यदि किसी भी तरह तुम सव एक ही गुणका विकास कर सको तो उससे मुझे खुशी होगी और वह यह कि कोई भी सत्य-पथसे विचलित न हो। जो व्यक्ति सत्यकी साधना करता रहेगा वह समय आनेपर अपनी भूलोको पहचान सकेगा, उनमे सुधार करके आगे बढेगा।

आजकल मुझे हरिलालके पत्र नियमित रूपसे आते हैं। मैं उसकी सहायता करनेकी कोशिश करता हूँ। वह राजकोट आया है। उसने तेरा पत्र माँगा था जो मैंने उसे भेज दिया है। उसने मुझे अभी हाल ही मे जो पत्र लिखे है, यदि तू उन्हे पढना चाहे तो मैं भेज दूंगा। अपनी आदतके विपरीत आजकल मैं उसके पत्र सँभाल कर रख रहा हूँ। उसके व्यवहारमे इस समय जो सुधार नजर आता है यदि वह स्थायी सिद्ध हो तो यह सचमुच एक बहुत बड़ी बात होगी।

नियमपूर्वक चरखा कातनेका तेरा निर्णय ही अच्छा निर्णय है। तकलीके साथ सूत कातनेका नया तरीका वहुत अच्छा है। इस तरीकेसे प्रति घंटा ४०० तार सूत काता जा सकता है। प्रति घंटा २०० तार सूत कातना तो एक आम वात है; इसपर प्रयोग करके देखना। तूने इसपर लिखा लेख भी पढा होगा। तूने यहाँसे पूनियाँ भेजनेकी वात कही है जो तर्कसम्मत नही जान पडती, यह तो नौ की लकडी नब्बे का खर्चवाली बात हुई। तुझे पिंजाईका काम खुद करना चाहिए। सारे औजार नगरकोइलमे ही उपलब्ध है। कदाचित तुझे अपने यहाँ भी मिल जाये। रामचन्द्रनको अवश्य मालूम होगा, क्योकि वह खादीके कामसे सम्बन्धित था। नि सन्देह वहाँ अच्छी किस्मकी रुई मिलती है। तिन्नेवेलीमे सबसे बढ़िया किस्मकी रुई पैदा की जाती है और यह स्थान नगरकोइलसे ज्यादा दूर नही है।

तूने घी और दूध लेना शुरू कर दिया होगा। इनका तेरे स्वास्थ्यपर क्या असर हुआ, मुझे लिखना। मुझे यह भी वताना कि वहाँकी आवोहवा और भोजन तुझे कैसा लगा?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

रामदासकी हालत अब अच्छी है लेकिन वह अभी भी अस्पतालमे है।

गुजराती प्रतिसे. छगनलाल गांधी पेपर्स; सौजन्य: साबरमती संग्रहालय

१९७. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

९ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला।

तुमारे यही आ जाना ठीक होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२७) से।

१९८. सन्देश : मद्रासके मतदाताओंको[1]

[१० अक्टूबर, १९३४ से पूर्व]

[मैं] चाहूँगा कि मतदाता व्यक्तियोका विचार न करके उस संस्थाके सिद्धान्तोका विचार करे जिनका कि वे व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते है। यदि काग्रेसने देशका हित चाहा है तो लोग काग्रेसके प्रतिनिधिको चुननेमे नही हिचकिचायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १०-१०-१९३४

१९९. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१० अक्टूबर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

आपका पत्र मिला। जहाँतक दिल्लीमें आश्रम स्थापित किये जानेका प्रश्न है, इस बातपर ज्यादा जोर नही दिया जाना चाहिए कि एक अन्य केन्द्रीय आश्रम तो है ही। मुख्य केन्द्रमे एक आश्रम अथवा सस्था होनी ही चाहिए और उसके पीछे भाव यह है कि कार्यालयको वहाँ ले जाया जाये, उसमें सारे कर्मचारियोके रहनेका प्रबन्ध हो तथा एक तकनीकी सस्थाके खोले जानेकी भी व्यवस्था हो। यदि सारे प्रान्त अपने लिए पैसेकी व्यवस्था कर सकते हो तो हर प्रान्तमें निश्चय ही ऐसे प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा सकते है। कराचीमें ऐसी ही एक आदर्श संस्था है जहाँ अव्वल

१. यह सन्देश एस० सत्यमूर्तिकी मार्फत भेजा गया था।

दर्जेके अनुभवी व्यक्तियोकी देखरेखमे, चमडेसे हर तरहकी वस्तुएँ बनाई जाती है। वहाँ सिलाई भी होती है और भूमि की भी बहुत अच्छी तरहसे देखभाल की जाती है। इसका सारा श्रेय महाटा ब्रदर्सको है। अब यह सस्था इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि गैर-हरिजन लोग भी इसमे शामिल होनेके लिए आवेदन-पत्र भेज रहे है। इसलिए दिल्लीमे संस्था खोले जानेका जो विचार है, वह आपकी सस्थाका विरोधी नही है, बल्कि वह आपकी सस्थाके लिए सहायक होगा — दिक्कत सिर्फ यह है कि दिल्ली अन्य केन्द्रोके लिए चन्दा इकट्ठा नही कर सकती। बगलौरमे भी ऐसी चीजोका विकास किया जा रहा है। काठियावाडमे ऐसी तीन सस्थाएँ है। लेकिन ये सस्थाएँ हरिजन बोर्डकी स्थापना किये जानेसे पहले ही विद्यमान थी, अब ये केन्द्रीय बोर्डके प्रभावमे आ गई है। दिल्लीमे सस्था खोले जानेका विचार घनश्यामदासके मनमे साबरमती आश्रमके दिये जानेसे भी पहले उठा था। यह एक अखिल भारतीय स्तरकी संस्था है और रहेगी। वह अखिल भारतीय स्तरकी सस्था होगी अथवा नही, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवस्थापक इस सस्थाका कैसा उपयोग कर पाते है। मै नही समझता कि हमे निकट भविष्यमे १०० एकडसे ज्यादा जमीन और दो लाखसे ज्यादा की कीमतकी इमारते मिल सकेगी। जहाँतक एकडोका सवाल है, दिल्लीकी जमीन ज्यादा एकड़ की नही है, लेकिन वह बहुत अच्छी जगहपर है और घनश्यामदास अपने मनके मुताबिक इस योजनाका विस्तार करना चाहते है और इसके ऊपर अपना काफी धन खर्च करना चाहते है।

मुझे उम्मीद है, देवी बाबू और भगीरथजी मेरे प्रस्तावको[1] स्वीकार कर लेगे और हम उस रकमको नही खोयेगे जो सतकौडी बाबू ले गये है। यह एक दुर्भाग्य-पूर्ण मामला है और जहाँतक हो सके, इसकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

मेकेरिसनके जिस अनुच्छेदका आपने जिक्र किया है वह बहुत दिलचस्प है। मेकेरिसनको मैने भरोसेका लेखक पाया है, लेकिन वे थोडेसे प्रमाणोके आधारपर ही जल्दीसे कोई सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते है। हममे परस्पर काफी पत्र-व्यवहार हुआ है।

आप जो बिलकुल बेलाग होकर यह कहते है कि स्टार्च चीनीके समान ही है, तो क्या आप ठीक कहते है? बच्चोको निर्द्वन्द्व भावसे चीनी दी जा सकती है। लेकिन उतने ही निर्द्वन्द्व भावके साथ उन्हे स्टार्च दिये जानेकी बात मैने कभी नही सुनी है और फिर स्टार्चको बिना पकाये कभी नही खाया जा सकता, जबकि चीनीको पकानेकी कोई जरूरत नही। और यदि चावलको पकाया जाता है तो भी चावल और दाखमे कौनसी चीज हानिकर है, इस दृष्टिसे विचार करनेपर भी आप चावल और दाखको समकक्ष नही बिठा सकते।

मै आजकल थनसे निकले हुए ताजा तथा कच्चे दूधके प्रभावकी जाँच कर रहा हूँ। मैने कच्चे दूधकी इतनी तारीफ सुनी है कि मै स्वय उसे परखना चाहता हूँ। दिक्कत सिर्फ यह है कि आप जितना दूध पीना चाहे, उतना दूध एक बारमे पी

१. देखिए "पत्र: देवीबाबूको", ३-१०-१९३४।

नही सकते। उसे कई वारमे बाँटकर पीना पडता है और आप जब चाहे तब गाय अथवा बकरीसे दूध नही दुह सकते। सवाल यह है कि यदि कच्चे दूधको सारा दिन बर्फमे रखे अथवा कार्क लगी बोतलमे गीले कपडेसे लपेटकर रखें तो क्या उसके तत्त्व मौजूद रहेगे। मैंने खुद ऐसा करके देखा है। दूधका स्वाद वैसा ही बना रहता है, उसके सारे तत्त्व मौजूद रहते है अथवा नही, इसके बारेमें मुझे कुछ मालूम नही। यदि आप इसपर कुछ प्रकाश डाल सकते हो तो अवश्य बताइएगा।

पशुओके शवके प्रत्येक भागका सदुपयोग किये जानेके सम्बन्धमें आप जो खोज कर रहे है, उसकी प्रगतिकी ओर मैं बराबर ध्यान रखूँगा।

सप्रेम,

बापू

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १६२६ ए) से।

२००. पत्र : मोहनलाल सक्सेनाको

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मोहनलाल,

आपका तार मिला। अब मुझे आनन्दभवनसे कमलाके लिए फलके बारेमें पत्र मिला है।

आपने मुझे अपने हस्ताक्षरसे युक्त सन्देश भेजनेके लिए कहा है। मेरे सामने यह बात स्पष्ट नही है कि मुझे उपर्युक्त सन्देश किसे और क्यो भेजना है? कही आपके कहनेका मतलब यह तो नही कि बाबू भगवानदास अपने ही इलाकेसे चुने जानेके लिए मेरा यह सन्देश चाहते है? अगर उनके नामसे लोग प्रभावित नही हो सकते तो मुझे यकीन है कि मेरे सन्देशका भी उनपर कोई असर नही होगा।

श्री मोहनलाल सक्सेना
लखनऊ

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२०१. पत्र : हरिसिंह गौड़को

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सर हरिसिंह गौड,

आपका पत्र मिला। मेरी व्यक्तिगत राय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जबतक मैं कांग्रेसका सदस्य हूँ, तबतक कांग्रेसकी निश्चित नीति और कार्यक्रमके विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपके निर्वाचनके सिलसिलेमें अपनी व्यक्तिगत राय देनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। आशा है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

मेरा हाल-चाल पूछनेके लिए आपका धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है।

हृदयसे आपका,

सर हरिसिंह गौड़
नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

२०२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

दुबारा नहीं पढ़ा

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

मैं शास्त्रीकी राय जाननेके लिए तुम्हारा पत्र उन्हें भेज रहा हूँ। यदि यह तनिक भी सम्भव हो तो केन्द्रीय बोर्डसे उन्हें जो भत्ता मिलता है, उसका कुछ भार मैं निश्चय ही वहन करना चाहूँगा। मैं शास्त्रीका इतना ज्यादा भरोसा करता हूँ कि मैंने आर्थिक स्थितिकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि ऐसा न करना मेरी भूल है। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं ऐसी अनेक चीजें नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें भी यथानियम हिसाब माँगना चाहिए जिससे कि तुम अपनेको इस बातका यकीन दिला सको कि बोर्ड द्वारा दी जानेवाली सहायता आवश्यक है अथवा नहीं। तुम्हें ऐसा करनेका पूरा अधिकार है।

बापू

सलग्न : २

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४७) से।

२०३. पत्र : एस० श्रीनिवास अय्यंगारको

११ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैं आपके पत्रको बहुमूल्य मानता हूँ। पिछले कई दिनोंसे मैं आपको अम्बुजम्[१] के बारेमें लिखनेके लिए विकल रहा हूँ। लेकिन आपकी भावनाओंका लिहाज मुझे रोकता रहा। आपके पत्रसे मुझे उसका अवसर और राहत, दोनों मिले हैं।

अम्बुजम्के प्रति मेरी स्नेह-भावना आप जानते हैं। यदि इसे छूट लेना न माना जाये तो मैं कह सकता हूँ कि उसके प्रति मेरी भावना भी वैसी ही है जैसी आपकी है। बहुत-से परिवारोंमें मुझे स्वजन-जैसा विश्वास प्राप्त कर सकनेका दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अम्बुजम्के ऊपर मेरा जितना-कुछ भी प्रभाव है, उसका प्रयोग करते हुए मैंने उसे समझानेकी कोशिश की है कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे आपको या आपकी पत्नीको अप्रसन्नता हो। मेरा खयाल है कि उसने मेरी सलाह मान ली है।

मैं उस अवसरकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करूँगा जब हम मिलकर अपनी पुरानी मधुर स्मृतियोंको फिरसे ताजा करेंगे।

आप दोनोंको सादर अभिवादन सहित,

एस० श्रीनिवास अय्यंगार
मद्रास

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई

१. श्रीनिवास अय्यंगारकी पुत्री, एस० अम्बुजम्मल।

२०४. पत्र : पूना सार्वजनिक सभाके मन्त्रीको

११ अक्टूबर, १९३४

मन्त्री
पूना सार्वजनिक सभा
शुक्रवार पेठ

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए, जिसके साथ पूना सार्वजनिक सभाका प्रस्ताव भी संलग्न है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी आलोचना मेरे देखनेमे आती है, उसे मै बहुत सहेज कर रखता हूँ और मै आपको इस बातका आश्वासन देता हूँ कि इस सारी आलोचनापर बहुत सोच-विचार किये बिना मै कोई कदम नही उठाऊँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२०५. पत्र : नारणदास गांधीको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। हरिलालका पत्र उससे पहले अर्थात् कल मिल गया था। उसने लिखा है कि तुम्हे कुछ हानि हुई है और सम्भव है कि तुम्हे कुछ मदद लेनी पड़े। यदि यह सच हो तो मुझे कोई बडा आघात नही पहुँचेगा। मै तो कई अवसरो पर यह कह लेता हूँ, "भली भई मोरी मटकी फूटी, दधि बेचनसे छूटी।" यदि तुम्हे खर्चके लिए कुछ निकालना पडे तो निसंकोच निकाल लेना।

शेष दूसरे पत्रमें लिखूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२१ से भी, सौजन्य. नारणदास गाधी

२०६. पत्र : हरिलाल गांधीको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० हरिलाल,

मुझे तेरा पत्र बहुत पसन्द आया। तुझमें जो परिवर्तन हुए है, आशा है, वे स्थायी होगे। धीरज रखना। चूँकि तेरे मनमे मेरे प्रति विश्वास जगा है, इसलिए तुझे कोई परेशानी नही होगी।

नानालालभाईकी मदद लेनेसे पहले हम विचार करेगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

२०७. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

११ अक्टूबर, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा कार्ड मिला। तुमको मैंने लिखा है तुमारे यहा आ जाना। डा० अनेसारीकी भेट करके आ जाओ तो भी ठीक है। मैं यहासे ता १९ को चल दूगा। वापिस कम से कम नवेंबर १ ली तारीखको आ जाऊगा। तुमारे मेरे गेरहाजरीमे आनेमे कोई हरज नही है। प्रभावती यही होगी। तुमारे डेलीगेट होते हुए आनेकी कुछ आवश्यकता नही है।

बापूके आशीर्वाद

श्री ब्रजकृष्ण चाँदीवाला
गंगा आश्रम
हृषीकेश, बरास्ता हरिद्वार, यू० पी०

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२८) से।

२०८. पत्र : कृष्णकान्त मालवीयको

११ अक्टूबर, १९३४

भाई कृष्णकान्त,

तुमारा खत अभी मिला। सरदार यही बैठे है। उनको सुनाया। हम दोनोको आश्चर्य है कैसे बाबुजी[1] ने और अन्य मित्रोने तुमसे पूछा मैं तुमसे नाराज हूँ। बनारसमे[2] मेरे नजदीक बहुत सी बाते आई मैंने कोई राय कायम नही की थी। मुझे समय ही कहाँ था? किसीके पास मैंने तुमारे अथवा किसीके बारेमें कुछ भी कहा ऐसा मुझे स्मरण नही है। सरदारको तो कुछ पता ही न था।

यहाँ भी सरदार कहते है उन्होने किसीको कुछ कहा नही है। मित्रोने कुछ कहा है। हाँ, हम दोनोको दु:ख हुआ कि तुमने असेम्बलीमे जानेका निश्चय कर लिया। जवाहरलालका खत वापिस करता हूँ।

मो० क० गांधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई

२०९. एक महान हरिजन-सेवकका निधन[3]

पिछले हफ्ते राजासाहब कालाकांकरका असामयिक निधन हो गया। वे एक महान हरिजन-सेवक थे। लगभग एक बरससे वे बीमार थे। मैंने जब पिछली बार उन्हे कलकत्तामें देखा तो मुश्किलसे पहचान सका। वहाँ उनका इलाज हो रहा था। वे सयुक्त प्रान्तके बडे ही उदार जमीदार थे। वे सादगी पसन्द करते थे। जनतासे खुलकर मिलते थे। और उनके बारेमे यह कहना कि वे यथाशक्ति अपनी रैयतके लिए जीते थे, सच कहना ही है। उनका हरिजनोके प्रति भी वैसा ही प्रेम था। वे अपने उदाहरणके द्वारा अपनी जमीदारीके सवर्ण हिन्दुओके बीचसे छुआछूतकी भावना हटाने और उन्हे यह सिखानेका प्रयास करते रहते थे कि हरिजनोको भी उन्हीकी तरह सब सुविधाएँ भोगनेका अधिकार है। उनके यहाँके सारे कुएँ, मन्दिर और स्कूल हरिजनोके लिए खुले हुए थे। हमे आशा है कि शोकसंतप्त रानीसाहिबा और

१. डॉ० भगवानदास।

२. गांधीजी २७ जुलाईसे २ अगस्ततक बनारसमें थे।

३. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

कालाकाकर घरानेके सभी लोग उनके उदार दृष्टान्तको सामने रखेंगे और इस तरह उनकी स्मृतिको अमर बनायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १२-१०-१९३४

२१०. किसकी विजय?

अपनी परीक्षाकी इस घडीमे हरिजन-सेवकोको अत्यन्त धीरजसे काम लेनेकी जरूरत है। मन्दिर-प्रवेश विधेयक खत्म हो गया। सनातनी लोग बहुत प्रसन्न है। हमे उनके हर्षका बुरा नही मानना चाहिए। कलतक हम लोग भी उतने ही खुश थे जितने खुश वे आज है। हमें उनसे नफरत नही करनी चाहिए। हमे उनसे प्रेम करना चाहिए। एक बहनने ए० ई०[1] रचित 'इंटरप्रेटर्स' नामक पुस्तकसे, जिसमे उनकी उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि किसी सच्चे ईसाईको 'बाइबिल' मे होती है, निम्नलिखित पक्तियाँ मुझे भेजी है और मै चाहूँगा कि सुधारक लोग इन पक्तियोको मनमे सँजोकर रखे। वे सुन्दर पक्तियाँ ये है.

> प्रेम और घृणामें चमत्कारी परिवर्तन कर देनेकी शक्ति होती है। ये दोनों तत्त्व आत्मामें परिवर्तन करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं। हम जिस चीजका ध्यान करते है, इन दोनो शक्तियोके प्रयोगसे हम वैसे ही बन जाते है। घृणाकी तीव्रताके कारण राष्ट्र अपने अन्दर ठीक वैसा ही चरित्र पैदा कर लेते है जिसकी कल्पना वे अपने शत्रुओंमें करते है। यही कारण है कि उग्र और तीव्र संघर्षोंके परिणामस्वरूप उभय पक्षोमें विशिष्टताओंका आदान-प्रदान हो जाता है। हम यह बात सचाईके साथ कह सकते है कि जो लोग घृणा करते है, वे एक ऐसा दरवाजा खोल देते है जिसके रास्ते उनके शत्रु घुसकर हृदयके गुप्त गृहको अपने कब्जेमें ले लेते है।

प्रेम ही एकमात्र चीज है जो सनातनियोको बदल सकती है। हमे यह समझ लेना चाहिए कि वे जो-कुछ भी है उसके लिए वे उत्तरदायी नही है। हमे उनको गलत या सही माननेका या उनके प्रति असहिष्णु होनेका कोई अधिकार नही है। यदि हम अपने प्रति सच्चे है अर्थात्, यदि हम अपने विश्वासके अनुसार कार्य करते है और हरिजनोको उनका पूरा-पूरा हक प्रदान करते है तो बस, इतना काफी है।

फिर, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सनातनियोकी विजयमे उनकी पराजय निहित है। अब सनातनी लोग यह नही कह सकते कि हमारी समान सहमतिसे हमारे मन्दिरोमे हरिजनोके प्रवेशका विरोध वे मन्दिर-प्रवेश विधेयकके कारण कर रहे है। सुधारक लोग अब मन्दिर-प्रवेशके सवालको दूने उत्साहके साथ उठा सकते है।

१. जॉर्ज विलियम रसेल (१८६७-१९३५), एक आयरिश कवि, दार्शनिक और चित्रकारका उपनाम। इंटरप्रेटर्स प्लेटोके वार्तालापोंकी शैलीपर लिखा गया कई व्यक्तियोंके मतोंका एक संकलन है।

यदि सुधारक लोग ऐसा अनुभव करेंगे कि विधेयकके दफन हो जानेके मतलब है कि मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन ही दफन हो गया तो वे पाप करेंगे। ऐसी बात नही है। जहाँ कही भी हम बिना किसी कटुताके सनातनियोकी सहमतिसे मन्दिरोको खुलवा सकते हो, वहाँ अवश्य खुलवाये। सम्भव है कि वे लोग जो मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनसे इस कारण अलग थे कि मन्दिर-प्रवेश विधेयक तो पेश ही कर दिया गया है, अब, जबकि विधेयक खत्म हो गया है, बिना कानूनकी मददके मन्दिरोको खुलवानेके लिए आन्दोलनमे शामिल हो जायेंगे। कारण, यह याद रखना चाहिए कि विधेयक समाप्त नही हुआ है, केवल निलम्बित है। जिन शर्तोपर मन्दिर सवर्ण हिन्दुओके लिए खुले हुए है, ठीक उन्ही शर्तोपर हरिजनोके लिए मन्दिरोंको खोलनेके सवालपर यदि सनातनियोने सुधारकोके साथ पूरे दिलसे सहयोग नही किया तो कानून बनना निश्चित है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १२-१०-१९३४

२११. शिक्षाप्रद आँकड़े

मेरे अनुरोधपर अखिल भारतीय चरखा-सघकी महाराष्ट्र शाखाने, जिसका मुख्य कार्यालय वर्धामे है, मुझे कुछ अत्यन्त शिक्षाप्रद आँकडे भेजे है जिनसे पता चलता है कि खादीपर खर्च किये गये प्रत्येक रुपयेमे से खादीके उत्पादन और वितरणके काममे लगे विभिन्न लोगोको कितना प्राप्त होता है। १० से १४ अकके सूतसे तैयार होनेवाली सफेद खादीके बारेमे ऑकड़े नीचे लिखे अनुसार है.

	रु०	आ०	पा०
रुईके लिए किसानको	०	४	६
पिंजाई	०	०	६
धुनाई	०	१	०
कताई	०	३	६
बुनाई	०	४	०
ढोआई	०	०	८
ब्लीचिंग	०	०	८
प्रबन्ध-व्यवस्था	०	१	२
	१	०	०

यह खादी कुल स्टॉकका लगभग ५० प्रतिशत है। इसलिए इस मात्रापर प्रबन्धकोको एक रुपयेकी खादीपर एक आना दो पाई (रु० ०–१–२) मिलता है और बुनकरोतक के कार्यकर्त्ताओको एक रुपयेमे रु० ०–१३–६ मिलता है। यह देखकर सतोष होता है कि किसान, कतैया और बुनकर आपसमे मिलकर सबसे ज्यादा भाग पाते है।

ज्यादा ऊँचे अंकके सूतवाले कपड़ेमें किसानको इससे कहीं कम मिलता है और कतैयेको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन आनुषंगिक खर्च बढ़ जाते हैं। ये २५ प्रतिशत तक ऊँचे हो जाते हैं। फिर फैंसी वस्तुओंपर खादीके मूल्यमें शत-प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। वस्तुत एक रुपयेकी कीमतवाले एक रुमालमें से दरिद्रनारायणको मिलनेवाला हिस्सा शायद आधा आना या उससे भी कम होगा। हाथ-कते सूतसे छोटी-छोटी हाथसे चलनेवाली मशीनोंपर बने मोजे या जुर्राबपर सूतका खर्च अत्यन्त अल्प होगा। आन्ध्रमें बनी साड़ी, आन्ध्रसे जिस रूपमें आयेगी, उसका मूल्य शायद २५ रुपये होगा, लेकिन उसपर फैंसी काम होनेके बाद शायद वह १५० रुपयेमें बिकेगी। इससे मिलनेवाला पाठ स्पष्ट है: खादी जितनी ही सादी होगी उतना ही ज्यादा धन गरीबसे-गरीब कामगरोंके पास जायेगा। बेशक, फैंसी कामसे खादी उन घरोंमें लोकप्रिय बनती है जो अन्यथा खादीकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैं यहाँ यह भी कह दूं कि साड़ियों और धोतियोंकी कुछ लोकप्रिय किस्में हैं जो गरीब लोगोंके लिए तैयार की जाती हैं। इनपर कोई प्रबन्ध-खर्च नहीं लगाया जाता। और अ० भा० चरखा-संघ द्वारा चलाया जानेवाला ऐसा कोई भंडार नहीं है जिसमें कोरे मुनाफे-जैसी कोई चीज होती हो। प्रबन्ध-व्यय इसलिए जोड़ा जाता है ताकि खादी आत्मनिर्भर हो सके। अभीतक ऐसा हो नहीं सका है। अ० भा० चरखा-संघकी समिति इस बातकी पूरी कोशिश कर रही है कि खादीके मूल्यमें कमी हो और प्रबन्ध-व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाये कि खर्चको कम-से-कम किया जा सके।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १२-१०-१९३४

२१२. पत्र : मीराबहनको

१२ अक्टूबर, १९३४

दुबारा नहीं पढ़ा

चि० मीरा,

तुम्हारा पत्र मिला। परन्तु चूंकि तुम अमेरिका जा रही थी, मैं जानता था कि तुम्हे पत्र लिखना बेकार है। और मैं नही समझता कि तुमने अमेरिकामें मेरी या हममें से किसीकी तरफसे कोई समाचार मिलनेकी आशा रखी होगी। तुम्हे मेरे एक पत्रमें फटकारकी जो ध्वनि प्रतीत हुई, मेरा खयाल है कि उसके बारेमें मेरा कुछ न कहना ही ठीक है। मेरा तुम्हे डाँटनेका कोई इरादा नहीं था, मेरा इरादा तुम्हे सावधान करनेका जरूर था। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब यह एक भूली-बिसरी चीज है। और फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कुटुम्ब फिरसे एक सुखी कुटुम्ब बन गया है। विस्फोट हो जानेके बाद तो तुम और भी खुश होगी और मैं देखता हूँ कि अगाथा भारतीय समाचारपत्रोंमें तुम्हारे बारेमें अच्छी बातें लिखती रही है। तुम्हारे अमेरिकाके अनुभवो

का हाल जाननेकी मै प्रतीक्षा करता हूँ। यह तुमने अच्छा किया कि डॉ० होम्सको लिख दिया और अमेरिका चली गई। इस अनुभवकी तुम्हे वेशक जरूरत थी।

इंग्लैडकी चीजोके बारेमे तुम्हारी योजना मैने समझ ली। जब मिलेगे तब उस पर चर्चा करेगे। इसलिए मै अभी कोई राय नही देना चाहता।

यहाँ स्थितिमे विकास होता जा रहा है। पता नही क्या होनेवाला है। मेरा मन काग्रेससे निकल जानेपर तुला हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे काग्रेसका और मेरा, दोनोका भला होगा। बाहर रहकर मै काग्रेसपर अधिक अच्छा प्रभाव डाल सकूँगा। अभी मै जो भार बना हुआ हूँ सो नही रहूँगा और फिर भी जब-जब जरूरत होगी, अपने विचार काग्रेसको देता रहूँगा। ये बाते लिखनेमे मुझे अपना समय नही लगाना चाहिए। ये महादेव और प्यारेलालको निपटानी पडेगी। अभी तो एक-एक मिनटकी कीमत है।

सप्रेम,

बापू

श्रीमती मीराबहन
लन्दन

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३००) से, सौजन्य· मीराबहन। जी० एन० ९७६६ से भी।

२१३. पत्र : टाइटसको

१२ अक्टूबर, १९३४

प्रिय टाइटस,

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि तुमने विस्तारपूर्वक पत्र लिखा। डेरीके सिलसिलेमे मेरा नारणदास और अन्य लोगोके साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। नुकसान दिखानेवाले आँकडोका मै अध्ययन करना चाहूँगा। तुम्हारे मुझसे यह कहनेका, कि डेरीसे सम्बन्ध टूटनेकी सम्भावना होनेपर आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था करे, समय अभी नही आया है। डेरीको ऐसे ही बन्द नही किया जा सकता, और यदि इसे बन्द करना ही पडा तो इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चय ही व्यवस्थामे कही कोई गडबड़ी है। अतएव यदि तुम्हे अपनेपर विश्वास है तो तुम्हे कुछ ऐसा करना चाहिए कि डेरीको बन्द करना असम्भव हो जाये। तुमने व्यवस्थामे फेर-बदल करनेके जो सुझाव दिये है, वे विचारणीय है। मुझे इनके सम्बन्धमे नारणदास और शंकरलाल तथा कदाचित् नरहरिसे भी बात करनी होगी, तभी मै कुछ निर्णयात्मक निर्णय कर पाऊँगा। मै तुमसे इस बातपर सहमत हूँ कि तुम्हे उपयोगी मवेशियोको बेकार मवेशियोसे अलग कर देना चाहिए। जिस पल मेरे पास एक सुनिश्चित योजना

होगी, उसी पल मैं पिंजरापोलके लोगोंसे बात करूँगा। बेशक, यह काम नारणदास स्वयं कर सकते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी बादमें इसमें शामिल हो जाऊँगा। तथापि, सबसे गम्भीर समाचार यह है कि मुझे सुरेन्द्रजीका एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मवेशियोंकी हालत बहुत बुरी दिखाई देती है। उनमें से कुछ तो हड्डियोंका पिंजरमात्र रह गये हैं। मुझे यह बात विश्वास करने लायक नहीं लगती। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्धमें तुम मेरी परेशानीको कम करो और सुरेन्द्रजीसे बात करके मालूम करो कि इस कथनसे उनका क्या अभिप्राय है।

मुझे खुशी है कि तुम्हारी पत्नीको वहाँकी आबोहवा माफिक आ गई है और वह तुम्हारे काममें बहुत सहायक हो रही है।

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२१४. पत्र : एफी एरिस्टार्शीको

१२ अक्टूबर, १९३४

तुम मुझे उपहार भेजती ही रहती हो। और अब मुझे उपहार-स्वरूप तुम्हारा अपना बहुमूल्य क्रॉस, और इतनी सावधानीके साथ लिखी गई पुस्तक तथा तुम्हारा अपना अनुवाद मिले हैं। मैं पुस्तकपर एक नजर डालनेका अपना लोभ संवरण नहीं कर सका। काश! मेरे पास इतना समय होता कि मैं इस पुस्तककी प्रत्येक पंक्ति पढ़ जाता। यह हरदम मेरी नजरोंके सामने उस छोटे-से डेस्कमें रहती है जो जमनालालजीने मुझे दी है।

मैं अभी मनुसे[1] नहीं मिला हूँ, न मुझे उसका कोई पत्र ही मिला है. लेकिन मैं हर रोज उसके पत्रकी बाट जोहता हूँ।

फिलहाल मुझे प्रेमपत्र लिखनेमें ज्यादा समय नहीं गँवाना चाहिए। आजकल सारा समय यहाँ जो स्थिति बनती-बिगड़ती है, उसमें और बातचीत करनेमें जाता है।

प्रिन्सेस एफी एरिस्टार्शी
जर्मनी

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. मानशंकर जयशंकर त्रिवेदी।

२१५. पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको

१३ अक्टूबर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

मैंने महादेवको लिखा तुम्हारा लम्बा पत्र पढा। तुमने जैसी परिस्थितियाँ बताई हैं, उन परिस्थितियोमे तुमने जो किया ठीक ही किया, और खान बन्धुओके लिए यात्राका प्रबन्ध किया, यह भी अच्छा किया।[1] यह भी एक अच्छी बात है कि तुमने उनकी बाकीकी यात्रा रद कर दी है और वे १६ तारीखके आसपास मेरे पास होगे। तब भी केवल दो ही दिन बच रहेगे। उन्हे १९ तारीखको बम्बई पहुँचना होगा।

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२१६. पत्र : कुँवरसिंहको

१३ अक्टूबर, १९३४

प्यारे दोस्तो,

आप कृपया ट्रिनीडाडमे रहनेवाले भारतीयोसे कहे कि भारतमाता की यह इच्छा है कि उस सुदूर विदेशी भूमिमे आप लोग अपने व्यवहारसे श्रेष्ठतम भारतीय सभ्यताका परिचय दे। मैं चाहूँगा कि वे लोग पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ देकर कुछ लड़के और लड़कियोको भारतमे पढनेके लिए भेजे जिससे कि वे लोग ट्रिनीडाड लौटनेपर ज्यादा अच्छी सेवा करनेके योग्य बन सके। इसका अर्थ यह है कि इसके लिए जिन लडके और लडकियोको चुना जाता है, उन्हे सच्चरित्र होना चाहिए और उनमे सेवाकी भावना होनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री कुँवरसिंह और एक अन्य व्यक्ति
ट्रिनीडाड (वेस्ट इंडीज़)

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको", ७-१०-१९३४।

२१७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय ठक्कर बापा,

यदि तुम मुझे बिना अधिक परिश्रम किये विभिन्न प्रान्तीय और अधीनस्थ हरिजन-बोर्डोमें हरिजन-सदस्योकी सख्या बता सको तो मै जानना चाहूँगा।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४८) से।

२१८. पत्र : अमृत कौरको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। आपने मुझे लिखकर ठीक ही किया है। [आपके] कलाकार मित्रको दो घण्टेका समय देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मै देखूँगा कि इस सम्बन्धमे क्या किया जा सकता है। आपके द्वारा चार्ली एन्ड्रयूजके चेहरेकी फोटोकी एक प्रति भेजे जानेकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

आपने जो अफवाह सुनी है, वह सही है। मै काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नही कि अब मैं अपने सक्रिय जीवनसे सन्यास ले लूंगा। वास्तवमें मैं यह नही जानता कि काग्रेस-अधिवेशन खत्म होनेके बाद मेरा क्या होनेवाला है। लेकिन आप मुझे जो काम सौपना चाहेगी, उसे मैं शौकसे करूँगा। उस कामसे क्या उद्देश्य सिद्ध होनेवाला है, यह मुझे नही मालूम। जैसाकि आपको मालूम है कि मैंने जब सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया था तब बहुत-से दूसरे कार्योंके साथ-साथ मैंने स्त्रियोके आन्दोलनको भी अपने हाथमे लिया था। और इन ४५ वर्षोंके दौरान उसके प्रति मेरा स्नेहभाव बराबर बना रहा है। आप मुझसे क्या काम लेना चाहती है, मै चाहूँगा कि आप इसका एक खाका मुझे बनाकर भेजे और यदि उसे करनेमें मैं समर्थ हुआ तथा मुझे मौका मिला तो उस कार्यको हाथमे लेनेके लिए आप मुझपर भरोसा कर सकती हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

राजकुमारी अमृत कौर
शिमला

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१२) से; सौजन्य. अमृत कौर। जी० एन० ६३२१ से भी।

२१९. पत्र : चंचलदासको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपने महाराज नाथूरामकी हत्याके सिलसिलेमे मुझे एक तार भेजा था। हालाँकि इसने मेरे दिलको भेद दिया, फिर भी मैंने उपवासकी परिकल्पना नही की है। वहरहाल आपने अपने तारमे पूरा व्योरा लिख भेजनेका वादा किया था, मै उसकी राह देख रहा हूँ। तार इसी ७ तारीखका है। अभीतक आपकी ओरसे कोई पत्र नही आया है।

हृदयसे आपका,

श्री चचलदास
अध्यक्ष, आर्य समाज
हैदरावाद (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

२२०. पत्र : जे० एन० साहनीको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय साहनी[1],

यदि आप पत्थरमें से खून निकाल सकते है तो आप मुझसे सन्देश भी प्राप्त कर सकते है। और जहाँतक आपको प्रोत्साहित करनेका सवाल है, यदि मेरे जीवनसे आपको कोई प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन नही मिलता तो मेरी लेखनीसे निकली हुई कोई भी चीज बेकार होगी।

हृदयसे आपका,

श्री साहनी
"नेशनल कॉल"
दिल्ली

अग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

१. नेशनल कॉल के सम्पादक।

२२१. पत्र : एस० सुब्बारावको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय सुब्बाराव,

आपका पत्र मिला। मुझे भय है कि आपको अपने लिए वहाँ ही कुछ ढूंढना होगा। निश्चय ही आपको ऐसे परिवेशमें इसे प्राप्त करनेमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ आप ज्यादा अच्छी तरहसे जाने जाते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री एस० सुब्बाराव
मरुतेरु

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

२२२. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय जयरामदास,

उम्मीद है कि आनन्दके लिए सब-कुछ तय हो गया है।[1]

यदि तुम्हे कराचीके हत्याकाडके[2] बारेमें कुछ मालूम है तो मुझे लिखो।

बापू

श्री जयरामदास दौलतराम
मार्फत काग्रेस भवन
वार्डन रोड, बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य. राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० ३६७-८ और ४२०।
२. महाराज नाथूरामका।

२२३. पत्र : एस्थर मेननको

१४ अक्टूबर, १९३४

मेरे सामने तुम्हारे दो पत्र पडे है। तुम बहुत कष्टमे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नान[1] अब पहलेसे अच्छी है। डेनमार्क जानेके लिए उसके मनमे जो उत्कण्ठा है, उसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यह निश्चय ही एक कठिन कार्य है।

सबसे उत्तम मार्ग क्या है, इसको लेकर मनुष्य अक्सर धर्मसकट में पड जाता है। यह तो एक अनवरत आध्यात्मिक संघर्ष है और जो व्यक्ति धर्मभीरु है उसके सम्बन्धमे सत्य असत्यपर विजय प्राप्त करता है।

जब मारिया[2] वहाँ आये तब उससे मेरा प्यार कहना।

रामदास अच्छा है। वह अभी भी अहमदाबादके एक अस्पतालमे है। बा उसके साथ है।

श्रीमती एस्थर मेनन
विजन बँगलो
तजौर

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२२४. पत्र : पी० कोदण्डरमय्याको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खेद है कि इससे पहले मैं उत्तर नही दे पाया। ठक्कर बापाने आपको जो पत्र लिखा है, उसे देखते हुए मुझे और कुछ नही कहना है। यदि आदिवासी सम्मेलन किया ही जाना है तो यह अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमे किया जाना चाहिए और ऐसे लोगो द्वारा किया जाना चाहिए जो इसके बारेमे उत्सुक हो, जिन्हे इसके विषयमे कुछ मालूम हो और जिनके मनमे इसके लिए काम करनेकी इच्छा और पर्याप्त समय हो।

हृदयसे आपका,

श्री पी० कोदण्डरमय्या
स्वराज आश्रम
पोलावरम्, बरास्ता कोवय्यूर (एम० एस० एम० रेलवे)

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. एस्थर मेननकी पुत्री।
२. ऐन मारी पीटरसन।

२२५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

१४ अक्टूबर, १९३४

प्रिय अम्बुजम्,

तुमने मुझे गहरी चिन्तामें डाल दिया है और मेरी समझमें नहीं आता कि क्या करूँ। परेशान होकर मैंने हरिहर शर्माको एक लम्बा तार दिया है। पहले मैंने सोचा कि मैं [तुम्हारे] पिताको[1] तार दूँ। फिर मुझे डर लगा कि कहीं वह नाराज न हों और तुम्हारी स्थिति कहीं और ज्यादा अटपटी न हो जाये।

मैंने तुम्हारे उपवासमें हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मैं उसको लेकर खुश नहीं रहा। तथापि, मैं आशा करता हूँ कि वह शरीरको कोई हानि पहुँचाये बिना ही समाप्त हो गया। मैं यह भी आशा करता हूँ कि उपवासके दौरान तुम आन्तरिक आनन्द अनुभव कर रही थी। यदि उपवासके बावजूद भी तुम्हारे माता-पिता तुम्हें मेरे पास आने देनेको तैयार नहीं हुए हैं तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें बार-बार प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अब आगे उपवास बिल्कुल मत करना। सही आचरण करो और माता-पिताको धीरजके साथ अपनी बात समझाओ, और इस प्रकार उनकी अनुमति प्राप्त करनेके योग्य बनो। मुझे आशा है कि जब वे समझेंगे कि तुमने मेरे पास आनेकी इच्छा क्षणिक आवेशमें आकर नहीं की है बल्कि यह तुम्हारी आत्माकी इच्छा है जिसे तुम दबा नहीं सकती, तब वे तुम्हारे अनुरोधपर ध्यान देंगे।[2] आशा है, तुम मेरी सलाहपर ध्यान दोगी।

सप्रेम,

बापू

श्री एस० अम्बुजम्माल
अमजदबाग, लूज
मद्रास

मूल अंग्रेजीसे अम्बुजम्माल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. एस० श्रीनिवास अय्यंगार।

२. अम्बुजम्माल १९३४ में दिसम्बरके दूसरे सप्ताहमें गांधीजीसे मिलने गई थीं; देखिए "पत्र : एस० श्रीनिवास अय्यंगारको", ११-१२-१९३४।

२२६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

१५ अक्टूबर, १९३४

काग्रेससे मेरे अलग होनेके प्रस्तावित विचारके बारेमे अखबारोमे इतना ज्यादा लिखा गया है कि मुझे, जैसी स्थिति आज लगती है, उसे स्पष्ट करना जरूरी हो गया है। मेरे मनमे अब कोई शक नही रह गया है कि बहुतसे काग्रेसीजन नियमित रूपसे खादी पहननेसे सम्बन्धित धाराको और सख्त बनाने और कताई-मताधिकारकी ज्यादा व्यावहारिक योजना लागू करने और काग्रेसके सिद्धान्तोमे "शान्तिपूर्ण और वैध" की जगह "सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक अभिव्यक्ति" शब्द रखने के मेरे प्रस्तावोको[1] पसन्द नही करते।

अबतक जो रायें प्रकट की जा चुकी हैं, उनको देखते हुए मेरे लिए यह अनावश्यक हो गया है कि मैं अपने सह-प्रतिनिधियोकी भावनाओको जाननेके लिए इन प्रस्तावोको उनके सामने रखूँ। मेरी यह इच्छा कभी नही रही कि मैं महज साधारण बहुमतके बलपर इन प्रस्तावोको पास करा लूँ। मेरी कसौटीके अनुसार इन प्रस्तावो के उचित पालन के लिए भारी बहुमत द्वारा उनकी स्वीकृति आवश्यक है। मैं काग्रेस मे बना रहूँ, इसकी कीमत-स्वरूप मेरे प्रस्तावोको भले ही कितने ही निर्णायक बहुमत से पास किया जाये, लेकिन उससे मुझे सन्तोष नही होगा। इस प्रकारकी चीजसे मेरा अहं या मेरा दम्भ सन्तुष्ट नही होगा। इससे मैं केवल दीनताका अनुभव करूँगा। मैं काग्रेसका सरक्षक नही बनना चाहता। मैं अपने-आपको देशका एक तुच्छ सेवक और ऐसा साथी सेवक मानता हूँ जो केवल सेवा ही करना चाहता है।

काग्रेससे अलग होनेकी मेरी प्रस्तावित योजना न कोई धमकी है, और न कोई चेतावनी। यह तो सशोधनोके रद किये जानेका स्वाभाविक परिणाम है, क्योकि सशोधनोका पूरे दिलसे स्वीकार किया जाना इस बातके लिए जरूरी है कि मैं कारगर ढगसे सेवा कर सकूँ।

अब यह बात स्फटिककी भाँति स्पष्ट है कि मैं काग्रेससे ऐसी दिली सहमति नही प्राप्त कर सकता। इसलिए अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्योकी अनौपचारिक बैठक का जो-कुछ भी निर्णय हो, उसके अधीन रहते हुए फिलहाल मेरा विचार अधिवेशनके समाप्त होनेके तुरन्त बाद ही काग्रेससे अलग हो जानेका है। मेरे इस निर्णयमे मुझे सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ० अंसारीकी पूरी सहमति प्राप्त है। डॉ० असारीका कहना है कि पोर्टसईद मे उन्होने मेरा वक्तव्य देखा था, और वही वह इस नतीजेपर पहुँच गये थे कि काग्रेससे मेरा अलग होना हर दृष्टिसे राष्ट्रके हितमे था। मेरे अलग होनेका यह उपयुक्त समय है, इसके बारेमे भी उन्हे कोई सन्देह

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोको", १७-९-१९३४।

नही था। यह सोचना बिलकुल गलत है, जैसाकि कुछ लोगोने सोचा है, कि सरदार पटेल और बाबू राजेन्द्रप्रसाद मुझसे जो हालमें मिलने आये, उसका उद्देश्य मुझपर काग्रेसमे रहनेके लिए आग्रह करना था। उन्हे मेरे निर्णयके ठीक होनेमे कोई सन्देह कभी नही था। मै यह भी बता दूं कि कुछ अत्यन्त सम्मानित साथियोने, जिनमें खानबन्धु भी शामिल हैं, मेरे प्रस्तावित अवकाश-ग्रहणका हृदयसे समर्थन किया है। ये सभी लोग जानते है कि कांग्रेससे मेरे अलग होनेके मतलब यह नही है कि काग्रेसको मेरी सेवाएँ अब प्राप्त नही होगी। इसके विपरीत, मेरी सेवाएँ देशको सदैव प्राप्त है और मै काग्रेससे अलग हो गया हूँ, इस ख्यालसे किसी काग्रेसीको सकोच करनेकी जरूरत नही है, बल्कि काग्रेस मुझे सेवाका बराबर आदेश दे सकती है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमीका, जिसका कि बहुतसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालोपर बहुत-से सहयोगियोके साथ बुनियादी मतभेद है, काग्रेसमे बना रहना काग्रेसको मजबूत नही बल्कि कमजोर बनायेगा। इसलिए ही मैने यह निर्णय किया है।

काग्रेस इस समय जिस ससदीय सघर्षमे रत है, कही काग्रेससे अलग होनेके मेरे प्रस्तावित निर्णयका उसको क्षति पहुँचानेके ख्यालसे दुरुपयोग न किया जाये, इसलिए मै प्रत्येक काग्रेसीको यह बात बता देना चाहता हूँ कि पहले मैने चाहे जो-कुछ कहा हो, लेकिन मेरा यह विश्वास पहलेसे अधिक दृढ है कि मै विधानस-भामें काग्रेसके प्रतिनिधित्वको आवश्यक मानता हूँ। विधान-सभाओका बहिष्कार एक स्थायी कदम हो, ऐसा कभी नही माना गया था। जिन लोगोका विश्वास इसके विपरीत नही है, और जो अन्यथा स्वतन्त्र है, उन्हे काग्रेसके आदेशानुसार विधान-सभाओमें प्रवेश करके देशकी सेवा करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। वर्तमान चुनाव-अभियान व्यक्तियोके बीचका सघर्ष नही है बल्कि उन राजनीतिक सिद्धान्तोका सघर्ष है जिनका प्रतिनिधित्व वे स्त्री-पुरुष कर रहे है जो उन सिद्धान्तोका प्रतिनिधित्व करनेका दावा करते है। जो मतदाता ऐसा मानते है कि काग्रेस राष्ट्रके स्वाधीनताके लक्ष्यके लिए खडी है और उसने उस लक्ष्यकी प्राप्ति के लिए बडी-से-बडी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकायेगी, उन मतदाताओ का सर्वोपरि कर्त्तव्य यह है कि वे काग्रेसी उम्मीदवारोको अपना मत दें।

अपने अवकाश-ग्रहण करनेके लिए इस प्रकार रास्ता साफ कर लेनेके बाद अब मै काग्रेसजनोका ध्यान इस वक्तव्यके साथ संलग्न उन सशोधनोकी ओर खीचना चाहता हूँ जिसमे मैने प्रतिनिधियोकी संख्या ६,००० से घटाकर १,००० करनेका प्रस्ताव रखा है। ज्यादासे-ज्यादा कहूँ तो मै इस बातको काग्रेसके विकासके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। १९२० से पहले काग्रेस अत्यन्त भारी भरकम और आडम्बरपूर्ण संस्था बन गई थी, और वह धीरे-धीरे फिर अपभ्रष्ट होकर वैसी ही आडम्बरपूर्ण सस्था बनती गई है। मनोरजन और प्रदर्शन अपनी जगह हालाँकि अच्छी चीजे है, लेकिन वार्षिक अधिवेशनमे अब कामकाजकी बातोकी जगह उन्हीकी प्रधानता होती है।

मेरे सशोधनोसे यह बुराई दूर हो जाती है। इन सशोधनोको केवल मेरे वैयक्तिक विचार मानना चाहिए। इस ख्यालसे कि मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन राष्ट्रको

बिना उपयुक्त चेतावनीके न आये, मैंने सरदार वल्लभभाईकी सहमतिसे इन सशोधनोको जनताके सामने रखनेकी स्वतन्त्रता ली है। इन सशोधनोके पीछे कोई धमकी या अन्तिम चेतावनी-जैसी चीज होनेका कोई सवाल नही है। विषय-समिति और उसके बाद काग्रेस इन सशोधनोको अस्वीकार कर सकती है, लेकिन मै उन्हे चेतावनी दूँगा कि अत्यन्त सावधानीसे विचार किये बिना वे उन्हे अस्वीकार न करे। काग्रेस-जन समझ ले कि आज जो [काग्रेसका] सविधान है, उसका रचयिता मै हूँ।[1] वे इस बातको भी ध्यानमे रखेगे कि मुझे इस सविधानको व्यवहार रूपमे देखनेका असाधारण सुयोग प्राप्त हुआ है। अनुभवसे इस सविधानमे अनेक त्रुटियाँ प्रकट हुई है। मेरे प्रस्तावका उद्देश्य इन त्रुटियोको दूर करनेका है। यह बराबर सम्भव है कि अनुभवसे मेरे प्रस्तावमे अन्य त्रुटियाँ प्रकट हो। जब वे प्रकट होगी तब काग्रेस उनसे निपट लेगी, लेकिन जहाँतक मै समझ सकता हूँ, मेरा प्रस्ताव वर्तमान स्थितिकी आवश्यकताओको पूरा करता है और यदि इसे ईमानदारीसे कार्यान्वित किया जाये तो सम्पूर्ण काग्रेस-सगठन ज्यादा कारगर सस्था बन जायेगा और काग्रेसजनोका ऐसा सच्चा प्रतिनिधि बन जायेगा जैसाकि वह कभी नही रहा है।

सक्षेपमे कहे तो प्रस्ताव यह है। अब १,००० प्रतिनिधियोकी अधिकतम सख्याका वितरण प्रत्येक प्रान्तकी आबादीके हिसाबसे नही होगा बल्कि प्रत्येक प्रान्तमे काग्रेस-रजिस्टरमे दर्ज काग्रेसियोकी सख्याके अनुसार होगा, और प्रत्येक १,००० या इससे अधिक काग्रेसजनोके ऊपर एक प्रतिनिधि होगा। अत सारे भारतके लिए १,००० प्रतिनिधियोके कोटेके लिए हमारे रजिस्टरोपर १०,०००,०० काग्रेसजन के नाम दर्ज होगे। अपनी आबादीके स्तरको कायम रखनेके ख्यालसे प्रत्येक प्रान्तको कमसे-कम अपने सदस्योके रजिस्टरको एक स्तरपर कायम रखनेकी कोशिश तो करनी ही होगी। प्रति सदस्य एक चवन्नीके हिसाबसे केवल मतदान करनेके लिए मतदाताओको खरीदने की जो प्रवृत्ति दुर्भाग्यवश पैदा हो गई है, उसे रोकनेके लिए प्रस्तावित परिवर्तनमे यह चीज आवश्यक कर दी गई है कि चवन्नीका सदस्यता-शुल्क देनेके बाद छ महीने पूरे होनेसे पहले किसी व्यक्तिको मतदान करनेका अधिकार नही होगा। फिर, अभी तक ऐसा होता था कि भारतके किसी भी हिस्सेका कोई व्यक्ति किसी भी अन्य हिस्सेसे प्रतिनिधि चुन लिया जाता था। इसका नतीजा यह हुआ है कि सभी काग्रेस अधिवेशनोमे काफी सख्यामे जाली प्रतिनिधि हुआ करते थे। कुछ प्रान्तीय काग्रेस-कमेटियोके बारेमे यह ज्ञात है कि उन्होने प्रतिनिधि चुने जानेकी इच्छा रखनेवाले किसी भी व्यक्तिको चुने जानेकी पूरी छूट प्रदान की है। इस बुराईको प्रस्तावित सशोधनके अन्तर्गत पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, क्योकि उसमे यह व्यवस्था है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्रसे कोई प्रतिनिधि चुनावके लिए खडा हो, वह उसी निर्वाचन क्षेत्रमे काग्रेसके रजिस्टरमे सदस्य-रूपमे दर्ज हो। सारे भारतमे काग्रेसके रजिस्टरपर छ महीनेकी सदस्यता पूरी कर चुकनेवाले काग्रेसजनोकी कुल सख्यापर ही चुने जानेवाले प्रतिनिधियोकी संख्या वास्तवमे निर्भर करेगी। जो सच्चे प्रतिनिधि है, केवल उन्हीका

१. १९२० के नागपुर अधिवेशनमें पास किये गये संविधानके लिए देखिए खण्ड १९, पृ० १९४-२०२।

चुनाव सुनिश्चित करनेके विचारसे विभिन्न चुनाव-क्षेत्रोंके रजिस्टरमें दर्ज कांग्रेसियों की हदतक प्रतिनिधियोंका चुनाव सीमित रहेगा। इन विभिन्न चुनाव-क्षेत्रोंमें कांग्रेस-सदस्योंकी संख्या वर्ष-प्रतिवर्ष रजिस्टरमें दर्ज सदस्योंकी संख्याके हिसाबसे बदलती रहेगी। इस प्रस्तावके अन्तर्गत चुनावका खर्च घटकर कमसे-कम रह जायेगा। धोखेधड़ीकी सम्भावना भी वहाँ कम रह जायेगी, जहाँ मामूली ईमानदारीकी इच्छा होगी। मानव-बुद्धि ऐसा कोई संविधान नहीं रच सकती जो पूर्णतः त्रुटिरहित हो या जिसमें बेईमानीकी गुंजाइश न हो।

मैंने एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह सुझाया है कि प्रतिनिधि लोग स्वयं ही वर्ष-भरके लिए अ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य बन जायें और इस प्रकार अ० भा० कांग्रेस कमेटीके लिए चुनावकी आवश्यकता ही न रह जाये, और प्रान्तोंके प्रतिनिधि अपने-अपने प्रान्तोंमें कांग्रेस कमेटियोंके सदस्य बन जायें। इस प्रकार मैंने तीन चुनावोंको एकमें जोड़ दिया है और कार्यकी निरन्तरता सुनिश्चित कर दी है।

फिर, मेरा संशोधन है कि कलकत्ताको एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाये। जब मैं कलकत्तामें था, तब मुझसे कहा गया था कि मैं कार्य-समितिको यह प्रस्ताव रखनेके लिए राजी करूँ। यदि यह विचार कांग्रेसजनोंको ठीक लगे, तो यही सुविधा कुछ अन्य नगरोंको भी प्रदान की जाये। यह प्रयोग बम्बईमें अच्छी तरह सफल हुआ है।

ऐसा प्रस्ताव है कि नई अ० भा० कांग्रेस कमेटीके स्थानपर अधिवेशनमें भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए १,००० सदस्य हों। यदि यह सुझाव बहुत ही बेतुका लगता हो या जल्दबाजीमें सोचा गया लगता हो तो इसे वापस लेना होगा। लेकिन यह देखते हुए कि सम्भवतः हम कांग्रेसका अगला अधिवेशन १९३६ के आरम्भ से पहले नहीं कर पायेंगे, मुझे लगा कि यह बेहतर होगा कि यह परिवर्तन एक अपेक्षाकृत ज्यादा प्रातिनिधिक अ० भा० कांग्रेस कमेटीके द्वारा सम्पन्न हो जाये। एकत्र प्रतिनिधियोंको अलग-अलग प्रान्तीय गुटोंमें बँट जाना होगा, और प्रत्येक प्रान्तीय गुट, फिलहाल, वर्तमान अनुपातके हिसाबसे अपने सदस्योंका कोटा चुनेगा।

कांग्रेसजन इस बातका भी ध्यान रखेंगे कि संशोधनमें ताल्लुका या जिला-कमेटियोंके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात जान-बूझकर छोड़ी गई है। ताल्लुकों और जिलोंमें किसी प्रकारका संगठन खड़ा करनेकी जिम्मेदारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों पर है जो कमेटियों या एजेंसियोंको नियुक्त करेंगी अथवा संशोधनोंकी भावनाके अनुसार कमेटियोंको निर्वाचित करेंगी, अर्थात् जिलों और ताल्लुकोंको कमेटियाँ चुननेके ख्यालसे बाँटेंगी, और ये क्षेत्र अनिवार्यतः छोटे होंगे। इस समय प्रान्तीय संगठनोंमें बहुत ज्यादा संख्या रही है, जिसका बोझ सँभालना कठिन रहा है। नतीजा यह हुआ है कि शोर बहुत रहा, लेकिन नतीजा बहुत ही गौण रहा है।

मैं दो और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन बता दूँ। कांग्रेसने हमेशा अपने प्रस्तावोंमें इस बातका आग्रह किया कि उसका कार्य हिन्दीमें हो होगा, लेकिन सदस्योंने अपने ही अक्सर दिये वचनोंका बहुत ज्यादा आदर नहीं किया है। इसलिए मैंने संविधानमें एक मामूली शिक्षा-परीक्षा लागू करनेकी कोशिश की है, इस बातको आवश्यक करके कि

सदस्यताके लिए अर्जी देनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने नामके देवनागरी या उर्दू लिपिमें हस्ताक्षर करे। इतना तो एक घंटेमें सीखा जा सकता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नीको और अपने एक ६० वर्षीय मुवक्किलको अंग्रेजी लिपिमें अपना नाम लिखना सिखानेके लिए इससे ज्यादा समय नही दिया था। क्या कांग्रेसकी सदस्यताके लिए उत्सुक व्यक्तिसे देशके लिए एक घंटा देनेकी अपेक्षा करना वहुत ज्यादा है?

अन्य प्रस्तावित परिवर्तनका उद्देश्य अध्यक्षको इस वातका अधिकार देनेकी परम्पराको नियमित वनाना है कि वह अपनी कार्य-समितिके सदस्योको नियुक्त कर सके, जिसमे मन्त्री और कोषाध्यक्ष भी शामिल है। इसके पीछे यह विचार है कि समयकी वचत हो और कुछ हदतक रंजीदगीसे वचा जा सके। ऐसे मामलेमे अध्यक्षकी सिफारिशको न माननेके मतलव होगे उसमें अविश्वासका प्रस्ताव पास करना। यदि किसी भी अध्यक्षपर उसके सहयोगी लादे जायेंगे तो वह काम नही कर सकता।

अव मैं दो अन्य प्रस्तावोको लेता हूँ। एकका उद्देश्य यह है कि स्वागत-समितिको मनोरंजन और प्रदर्शनीका सुविस्तृत प्रवन्ध करनेके भारसे मुक्ति दी जाये। इनका आयोजन करनेकी जिम्मेदारी स्वागत-समितियोकी सनकके अनुसार कमोवेश अखिल भारतीय चरखा-संघको सौपी जाती रही है, जवकि इसका पूरा भार चरखा-संघके ऊपर ही छोड़ दिया जाना चाहिए था। प्रदर्शनियोके वारेमे मैंने हमेशा एक विशेष दृष्टि रखी है जिसे मैं इस वक्तव्यमे दोहराना नही चाहता। मैंने जो प्रस्ताव सुझाया है वह सामान्यतः मानी जानेवाली परम्पराको नियमित वनाना है। मेरे सुझावके पीछे यह भावना है कि स्वागत-समितिका प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह व्यावहारिक कामकी दृष्टिसे कांग्रेस अधिवेशनको सफल वनाये। वर्तमान तरीका किसी महत्त्वपूर्ण गाँव या जिला कमेटीके लिए कांग्रेस-अधिवेशन वुलानेकी वातको असम्भव वना देता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कांग्रेस अधिवेशनका शिक्षात्मक प्रभाव प्रमुख शहरोके अलावा कही नही पड पाया है। कोई कारण नही है कि कांग्रेसका अधिवेशन किसी गाँवमे क्यो न हो पाये। यदि गाँवमे व्यापारिक योग्यता है, तो निश्चित है कि कांग्रेस-अधिवेशन वुलानेवाले गाँवको आर्थिक दृष्टिसे हानि नही, वल्कि लाभ होगा। सारे भारतमें रेलवे लाइनोपर ऐसे कितने ही महत्त्वपूर्ण स्टेशन है जहाँ कांग्रेस अपने सदस्योको विना तनिक भी असुविधा पहुँचाये मिल सकती है। यह सव तभी हो सकता है जव हम जनताके साथ तादात्म्य स्थापित करें और उनकी आकांक्षाओंको जाननेकी कोशिश करें और ग्रामीण जीवनके उस सौन्दर्यको समझनेकी कोशिश करें जवकि वह उस गंदगी और गरीवीसे मुक्त हो जिसका वह आज भारतमें जीवन्त रूप है।

इसके साथ ही मैं अन्तिम प्रस्तावपर आता हूँ। इस प्रस्तावके अनुसार एक ऐसा संघ अस्तित्वमें आयेगा जो ग्रामीण उद्योगोंके हितमे कार्य करेगा। मैंने इस संघके पीछे जो भावना व्यक्त की है, उसे वता दिया है, अर्थात् शत-प्रतिशत स्वदेशीके नामसे चलनेवाली प्रत्येक चीज अच्छी है, लेकिन इस स्वदेशीको कांग्रेसकी सहायताके विना सफल होना है। विशेष प्रयत्न आरम्भिक अवस्थामें आवश्यक थे,

जबकि प्रयत्नपूर्वक इस बातका फैशन चल रहा था कि प्रत्येक स्वदेशी वस्तुका तिरस्कार किया जाये और जब विदेशी तौर-तरीको, रिवाजो और फैशनेबिल विदेशी वस्तुओको अपनाना राष्ट्रप्रेमका चिह्न भले न समझा जाता हो, सभ्यताका चिह्न जरूर समझा जाता था। मुझे अपने छात्रकालकी अच्छी तरह याद है जब हम छात्र लोग अपने अध्यापकोके विदेशी वस्त्रके बने फैशनेबिल लिबासको बडी सराहनाकी दृष्टिसे देखा करते थे और उस दिनकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा किया करते थे जब हमें भी उन्हीकी तरहका लिबास पहननेकी स्वतन्त्रता होगी। कांग्रेस निश्चय ही यह दावा कर सकती है कि उसने ये सारी चीजे बदल दी है और लोगोके अन्दर स्वदेशीकी भावना पैदा कर दी है। लेकिन कांग्रेसको अपनी इन उपलब्धियोसे ही सतुष्ट होकर एक ही लीकपर नही घूमते रहना चाहिए। अब कांग्रेसको केवल इस बातसे ही सतुष्ट नही हो जाना चाहिए कि भारतके शहरोमे विदेशी वस्तुओकी नकलपर दैनिक उपयोगकी और विलासकी वस्तुएँ बनाई जा सकती है, बल्कि उसे अब गाँवोके अन्दर पैठना चाहिए। अब कांग्रेसको यह समझना है कि कौन-कौनसे ग्रामीण उद्योग खत्म हो गये हैं, और क्यो खत्म हो गये हैं। गाँवोको कगाल बनाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शायद सरकारपर ही है, लेकिन गाँवोकी तबाहीके परिणामस्वरूप विकसित होनेवाले शहर करोडो मूक लोगोकी कगालीके लिए अपनी जिम्मेदारीसे बच नही सकते और अभी भी समय है कि ग्रामोद्योगोको यथासम्भव फिरसे सगठित करके गाँवोको फिरसे जीवित कर दिया जाये। ऐसा करनेमे यदि कुछ पूँजी लगानी भी पडेगी तो वह बहुत नही होगी, लेकिन यह निश्चित है कि हम ग्रामीण जनताकी जेबमे करोडो रुपये डाल सकते हैं।

मैं यहाँ कुछ आँकडे देना चाहूँगा जो आश्चर्यमे डाल देनेवाले है। अखिल भारतीय चरखा-सघ ५,००० से अधिक गाँवोकी सेवा कर रहा है और इनके जरिये २,२०,००० कतैयो और बुनकरो तथा २०,००० धुनियोको रोजी दे रहा है। सघके दस वर्षके अनुभवके दौरान इन गाँववालोमें सवा दो करोड रुपयेसे भी अधिक धन वितरित किया जा चुका है। दूसरे शब्दोमें कहे तो कम-से-कम इतना धन चरखा-सघके प्रयत्नोके फलस्वरूप देशमे पैदा किया गया और यह सारा-का-सारा धन गाँव वालोको और समृद्ध बनानेमे काम आया, और यह काम गाँव वालोके उद्योगोको नष्ट करके नही बल्कि उनके अवकाशके घटोका उपयोग करके किया गया। दो करोड पच्चीस लाखकी रकममे से तीन-चौथाई रकम अकेले कतैयोकी जेबमें गई और ९५ लाख रुपया उन किसानोकी जेबमे गया जिनसे चरखा सघने कतैयोके लिए रुई खरीदी। औसत निकाला जाये तो कतैयो, बुनकरो और धुनियोको इससे प्रतिवर्ष १२ रुपयेकी अतिरिक्त आय हुई।[1] कुछ मामलोमे देखा गया है कि इससे कतैयोकी आयमे ४३ प्रतिशततक की वृद्धि हुई है। यह कोई कपोल-कल्पनाकी बात नही है। ये आँकडे मेरे कहनेपर तैयार किये गये है और कोई भी अनुसधानकर्ता चाहे तो इनकी सत्यताकी जाँच कर सकता

१. १६-१०-१९३४ के बॉम्बे क्रॉनिकल में इसके बाद यह वाक्य और जुड़ा हुआ है: "मोटे तौरपर इसके मतलब हुए कि उनकी सालाना आमदनीमें २० प्रतिशतका इजाफा हुआ।"

है। जो आँकड़े मैंने दिये है वे कम ही करके बताये गये है, लेकिन अखिल भारतीय चरखा-संघ ग्रामीण जीवनके केन्द्र-स्थलका स्पर्श करता है। मै यह मानता हूँ कि जो लोग गाँवकी भावनासे ओतप्रोत नही है उनके लिए चरखा-संघ संगठन विशेष आकर्षण नही रखता, लेकिन अब मेरे सामने जिस संगठनकी तस्वीर है उसमे भारतीय प्रतिभाके लिए तरह-तरहकी गुंजाइश है। यदि गाँववालोको जीवित रहना है तो कुछ खत्म होते जा रहे उद्योगोंको फिरसे जीवित करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनमे से कुछ ग्रामोद्योग पुनरुज्जीवित किये जा सकते है और वे इस योग्य है कि उन्हे पुनरुज्जीवित किया जाये। थोड़े-से वैज्ञानिक अनुसन्धान और थोड़ी-सी संगठन-योग्यताकी मददसे प्रस्तावित नया संघ जबर्दस्त काम कर सकता है, बशर्ते कि इसे जनताका समर्थन प्राप्त हो। जनता का समर्थन ही वह मुख्य पूँजी होगा जिसके साथ यह नया सघ अपना कार्य आरम्भ करेगा। ऐसे किसी सघको यदि सफल होना है तो इसका संचालन और कार्यभार ऐसे लोगोंके हाथमें होना आवश्यक है जिन्हे अपने कामका कुछ ज्ञान हो, अपने अनुष्ठानमें प्रबल निष्ठा हो और जिनको गाँववालोसे प्यार हो। यह संघ अखिल भारतीय चरखा-संघकी भाँति ही स्वशासित होना चाहिए। काग्रेस-जैसा एक राजनीतिक, लोकतान्त्रिक संगठन यदि विशेषज्ञोके काममे दखलन्दाजी करेगा तो उससे उन विशेषज्ञोंके कामको भी नुकसान पहुँचेगा और काग्रेसकी प्रतिष्ठाको भी क्षति पहुँचेगी। इसलिए मैं एक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी स्थापना के प्रस्तावको स्वीकार करनेकी जोरदार सिफारिश करता हूँ।

स्वागत-समितिके सम्बन्धमें मैंने जिस प्रदर्शनीकी चर्चा की है, उसमे यह विचार निहित है कि वह प्रस्तावित अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके कार्यो के परिणामोकी प्रदर्शनी होगी। गाँववालोंके अपने घरेलू उद्योगो द्वारा कितना शानदार नतीजा निकल सकता है, इसे स्वागत-समिति और अ० भा० ग्रामोद्योग-संघ मिलकर जनताके सामने प्रदर्शित करेगे। यह मेरा निश्चित मत है कि यदि तथाकथित उच्च वर्गके लोग तथाकथित निम्न वर्गके लोगोंके साथ तादात्म्य स्थापित कर ले और उन्हे अपनी बुद्धि और योग्यताका सहारा प्रदान कर दें तो भारतमे दूध और शहदकी नदियाँ बह सकती है और साथ ही सरकार अथवा पूँजीपतियोंके साथ किसी भयंकर युद्धके बिना भी भारत अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना सविनय अवज्ञाकी मददके ही अपने-आप आ जायेगी।

मैंने संविधानमें जो महत्त्वपूर्ण संशोधन सुझाये हैं उनके, और मेरे दोनो प्रस्तावोंके पीछे केवल यही भावना है, अन्य कोई नही। मेरी दृष्टिमें भारतकी पूर्ण स्वतन्त्रता तबतक असम्भव है जब तक उच्च वर्गके लोग उन करोड़ो लोगोंके साथ घुलमिल नही जाते जिन्हें भ्रमवश निम्न वर्गका कहा जाता है, और मैं तीनों प्रस्तावोंकी समीक्षा केवल उसी भावनासे करना चाहूँगा।

परिशिष्ट

संविधानमे प्रस्तावित सशोधन इस प्रकार है :

१ कोई भी व्यक्ति जिसकी वय १८ वर्षसे अधिक है और जो इस सविधान की धारामें विश्वास करता है, वह लिखित घोषणा करने और बताये गये ढगसे अर्जी

देनेपर और चार आना देनेपर अपने जिलेमे किसी भी अधिकृत कार्यालयमे कांग्रेस-सदस्योके रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकारी होगा।

१. (क) अर्जीकी दो प्रतियाँ दी जायेगी और इन्हें उम्मीदवार निजी तौर पर खुद या डाकके जरिये या किसी संदेशवाहकके हाथ दे सकता है।

२. अर्जीमे उम्मीदवारका पूरा नाम, उम्र, लिंग, पेशा और पता (गाँव, ताल्लुका, जिला और प्रान्त स्पष्ट रूपसे सूचित किया जाये) दिया जायेगा और इसपर उम्मीदवार पुरुष या स्त्री देवनागरी या उर्दू लिपिमे अपने हाथसे हस्ताक्षर करेगे।

३. अर्जी मिलनेके बाद और उसे ठीक पानेपर पंजीकरण अधिकारी अर्जीपर तारीख, प्राप्ति, क्रम-संख्या और अन्य निर्धारित विशिष्ट सूचनाओको दर्ज करनेके बाद फाइलमे लगा लेगा और अर्जीकी दूसरी प्रति प्रान्तीय मुख्य कार्यालयको भेज देगा।

४. सदस्यके रूपमे नाम दर्ज होनेके बाद उम्मीदवार सदस्यताका एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जो कि यहाँ निर्धारित रूपमे टिकाऊ कागजपर छपा होगा। यह प्रमाणपत्र या तो उस प्रान्तकी भाषामें होगा जहाँ का वह निवासी है अथवा देवनागरी या उर्दू लिपिमें हिन्दी भाषामें होगा।

५. (क) कोई भी ऐसा सदस्य, जिसका नाम किसी कांग्रेस कमेटीके चुनावकी तिथिसे कम-से-कम ६ महीने पहलेसे कांग्रेस-रजिस्टरपर लगातार सदस्यके रूपमे दर्ज नही होगा, उसे चुनावमें मत देनेका अधिकार नही होगा।

(ख) किसी सदस्यके सदस्यता प्रमाणपत्रमें उल्लिखित क्षेत्रके अलावा वह सदस्य अन्य क्षेत्रमें मत देनेका या किसी पदके लिए चुने जानेका अधिकारी नही होगा।

६. मौजूदा प्रान्तोके अलावा, कलकत्ता नगरको एक स्वतन्त्र कांग्रेस-प्रान्तके रूपमें गठित किया जायेगा।

७. जिन कस्बो और गाँवोकी आबादी २,००० या इससे ज्यादाकी होगी, वहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी उन्हे उपयुक्त हलकोमे बाँट देगी, लेकिन किसी भी हलकेमें १,०००से कमकी आबादी नही होगी। ऐसा प्रत्येक हलका एक गाँव होगा।

८. कांग्रेस-अधिवेशनमे प्रतिनिधियोकी संख्या ६,००० से घटाकर ज्यादासे-ज्यादा १,००० कर दी जायेगी और विभिन्न प्रान्तोमें सदस्योंके रजिस्टरोके मुताबिक प्रति १,००० या इससे अधिक सदस्योके अनुपातमें एक प्रतिनिधि होगा।

९. (क) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी धारा ५(क) के अनुसार कम-से-कम ६ महीनेकी सदस्यतावाले कुल सदस्योकी संख्या पत्र या तार द्वारा कार्य-समितिको सूचित करेगी। कार्य-समिति इस सूचनाके लिए जो तिथि और समय निर्धारित करेगी, उस तिथि और समयपर या उससे पहले प्रत्येक विवरण पहुँच जाना चाहिए।

(ख) केवल इस प्रकार सूचित किये गये सदस्य ही उस प्रान्तमे प्रतिनिधियोके निर्वाचनमें मत देनेके अधिकारी होगें और समयसे सूचना न भेजनेकी स्थितिमे सम्बन्धित प्रान्तको अपने प्रतिनिधि चुननेके अधिकारसे वंचित किया जा सकता है।

१०. मत देनेके अधिकारी मतदाताओंकी कुल संख्याकी सूचना प्राप्त होनेपर कार्य-समिति प्रतिनिधियोके निर्वाचनकी तिथि और प्रत्येक प्रान्तके सदस्योके आधारपर उसके प्रतिनिधियोका अनुपात निर्धारित करेगी और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोसे अपने प्रान्तके लिए निर्धारित सख्यामे प्रतिनिधियोका निर्वाचन करानेके लिए कहेगी। सभी चुनाव एकल संक्रमणीय मतके अनुसार होगे।

११. इसके बाद प्रत्येक प्रान्त उतने निर्वाचन-क्षेत्रोमे विभाजित किया जायेगा जिसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रसे पाँच प्रतिनिधि चुने जा सके।

१२. जिस गाँव या हल्केमे कम-से-कम १० विधिवत् दर्ज सदस्य नही होगे, उस गाँव या हल्केमे कोई मतदान नही होगा।

१३. जो व्यक्ति अपने क्षेत्रमे किसी भी रजिस्टरमे विधिवत् मतदाता नही होगा, वह प्रतिनिधि-पदके लिए चुनावमे खडा नही होगा।

१४ प्रत्येक प्रान्त कार्य-समिति द्वारा निर्धारित समयपर या उससे पूर्व अपने चुनाव सम्पन्न कर लेगा।

१५. प्रमाणित प्रतिनिधियोकी पूरी सूची कार्य-समिति द्वारा निर्धारित तिथिके अन्दर हर हालतमे कार्य-समितिके कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिए।

१६ इस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि उस प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य होगे, साथ ही वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमे उस प्रान्तके प्रतिनिधियोका कोटा भी होगे और कांग्रेस-अधिवेशनके दिनसे लेकर अगले कांग्रेस-अधिवेशन तक अपने-अपने प्रान्तोकी कांग्रेसके प्रतिनिधि होगे। अ० भा० कांग्रेस कमेटीके सदस्य विभिन्न प्रान्तोसे चुने हुए ये प्रतिनिधि ही होगे।

१७. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशनके बाद अगले वार्षिक अधिवेशनसे पूर्व कम-से-कम एक और बैठक करेगी और यदि कार्य-समिति कहेगी अथवा कम-से-कम १०० प्रतिनिधि कार्य-समितिको लिखकर वैसी इच्छा प्रकट करेगे तो इससे अधिक बार अपनी बैठक करेगी।

अ० भा० कांग्रेस कमेटीके लिए चुनाव

१८ (क) कांग्रेसके चालू अधिवेशनके बादकी अवधिके लिए मौजूदा प्रतिनिधियो द्वारा एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनी जायेगी जिसमे १,००० सदस्य होगे और ये लोग मौजूदा अ० भा० कांग्रेस कमेटी और प्रान्तीय कमेटियोका स्थान ले लेगे। प्रत्येक प्रान्तके प्रतिनिधियोका कोटा उसके मौजूदा कोटेके अनुसार होगा। प्रतिनिधि इस प्रान्तके मौजूदा कोटेके हिसाबसे होगे। प्रतिनिधिगण केवल अपने प्रान्तके प्रतिनिधियोके लिए मत देगे।

(ख) कार्य-समिति तुरन्त नये कलकत्ता प्रान्तकी रचना करने और बगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीमे से इस नये प्रान्तके लिए एक नई प्रान्तीय कमेटीकी स्थापना करनेका काम हाथमे लेगी।

१९ जबतक किसी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी या किसी निम्नतर कमेटीने इस संविधानमे उल्लिखित शर्तोंको या सविधानके अतर्गत कार्य-समिति द्वारा निर्धारित शर्तोका पालन नही किया होगा तबतक किसी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी या किसी निम्नतर कमेटीपर कोई पुनर्विचार नही किया जायेगा।

२० यदि कोई प्रान्तीय काग्रेस सगठन सविधानकी व्यवस्थाके अनुसार कार्य नही करेगा तो कार्य-समिति उस प्रान्तमे काग्रेसका कार्य जारी रखनेके लिए एक समिति या सगठन स्थापित कर सकती है।

२१. कार्य-समिति सभी काग्रेस-संगठनोके रिकार्डो, कागजातो और हिसाब-किताब की जाँचके लिए एक अथवा एकसे ज्यादा निरीक्षकोको नियुक्त करेगी और सभी काग्रेस सगठन सभी सूचनाएँ प्रदान करेंगे और निरीक्षकोको अपने कार्यालयो और रिकार्डों की जाँच करनेकी सारी सुविधा प्रदान करेंगे।

२२. कार्य-समितिको उन मामलोमे नियम बनाने और निर्देश जारी करनेका अधिकार होगा जिनकी व्यवस्था सविधानमे नही की गई है और जो संविधानको सुचारु रूपसे चलानेके लिए आवश्यक होगे।

२३ काग्रेस-अध्यक्ष अपने वर्ष-भरके कार्यकालके लिए प्रतिनिधि सदस्योमे से मत्रियो और कोषाध्यक्ष सहित कार्य-समितिके सदस्य चुनेगा।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ

चूँकि देश-भरमे काग्रेसकी सहायतासे या बिना उसकी सहायताके स्वदेशी होनेका दावा करनेवाले अनेक संगठन पैदा हो गये है और चूँकि जनताके मनमें स्वदेशीके सही स्वरूपके बारेमें भ्रम पैदा हो गया है; और चूँकि काग्रेसका अपने आरम्भसे ही जन-साधारणके साथ तादात्म्य स्थापित करनेका उद्देश्य रहा है; चूँकि काग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमका यह एक अभिन्न अंग रहा है कि गाँवोका पुन. सगठन और उनकी पुनर्रचना की जाये, चूँकि इस प्रकारकी पुनर्रचनाका यह अभिहित ध्येय है कि केन्द्रीय उद्योग अर्थात् हाथ-कताईके अलावा मृत अथवा मृतप्राय ग्रामोद्योगोको पुनरुज्जीवित किया जाये और उन्हे प्रोत्साहन दिया जाये; और चूँकि यह काम तभी सम्भव है जब यह स्वतन्त्र रूपसे किया जाये और इसपर काग्रेसके किसी प्रकारके राजनीतिक कार्योका असर न पडने पाये, इसलिए श्री कुमारप्पाको इस बातका अधिकार दिया जाता है कि वे काग्रेसके तत्वावधानमे और काग्रेसकी एक गतिविधिके रूपमे गाधीजी की सलाह और उनके मार्गदर्शनमे एक स्वायत्तशासी सगठनकी स्थापना करे जिसका नाम अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ होगा और जिसे अपना संविधान बनाने, कोष इकट्ठा करने और अपने उद्देश्यको बढ़ावा देनेके लिए आवश्यक सभी कार्य करनेका पूरा अधिकार होगा।

स्वागत-समितिका कार्य

चूँकि संविधानमे किये गये महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोके अन्तर्गत [काग्रेसका] वार्षिक अधिवेशन अपने सामने उपस्थित गम्भीर समस्याओमें व्यस्त रहेगा, इसलिए केन्द्रीय

पंडालके अन्दर और बाहरी शिविरोमे कोई ध्यान बँटानेवाली चीज नही होगी, और चूँकि यह वाछनीय है कि स्वागत-समितिको मनोरजन तथा तड़क-भडकवाले प्रदर्शनोकी विस्तृत व्यवस्था करनेके भारसे मुक्त कर दिया जाये, इसलिए प्रदर्शनियो और शानदार प्रदर्शनोका भार अखिल भारतीय चरखा-सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघको सौप दिया जायेगा। ये दोनो संस्थाएँ गाँवोसे आनेवाली जनताके हितार्थ मनोरजन और प्रदर्शनीकी ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गाँववालोको शिक्षा भी प्राप्त हो और उनका मनोरजन भी हो।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, १६-१०-१९३४

२२७. पत्र : डॉ० डी० एस० सरदेसाईको

१५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉक्टर सरदेसाई,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरी जमनालालजीके साथ बातचीत हुई है और उन्होने मुझे बताया है कि रुइया दान-कोष न्यासने अभी काम करना शुरू नही किया है। लेकिन जमनालालजीका कहना है कि जब न्यास काम करना शुरू करेगा तब वे निश्चय ही आपके अस्पतालका ध्यान रखेगे। लेकिन उन्होने मुझे आपको आगाह करनेके लिए कहा है कि आप इस समय इसकी कोई आशा न रखे।

बच्ची सुमित्रा[1] दूध, फल और स्टार्च रहित सब्जियोपर यथा कद्दू और साग तथा इसी तरहकी अन्य चीजोपर रह रही है। क्या आप कृपा करके मुझे बतायेंगे कि इस आहारके साथ-साथ उसे कुछ और भी खिलाया जाना चाहिए अथवा नही? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योकि उसकी दादी ने लिखा है कि आपने सुमित्राको सामान्य भोजन दिये जानेकी सलाह दी है। वह पहले सामान्य भोजन ही लेती थी, लेकिन उसे हमेशा कब्जकी शिकायत रहती थी। इसके अतिरिक्त उसे अक्सर बुखार भी रहता था। तब मैंने उसे उपर्युक्त आहार देना शुरू किया और जान पडता है कि यह उसे माफिक आ गया है। केवल एक दिन यह आहार न दिया जा सका। उसने थोडी-सी चपाती ली थी जिसके फलस्वरूप उसे तेज बुखार हो आया। मैंने एकदम चपाती बन्द कर दी और बुखार भी उतर गया। तबसे अबतक उसे बुखार नही आया है। यदि आप उसका रोटी, दाल, चावल लेना बिलकुल आवश्यक न समझे तो मैं यह खतरा मोल नही लेना चाहूँगा और वह जितना दूध और फल ले सके, उतना देना चाहूँगा।

१. रामदास गांधीकी पुत्री।

आप उसका जो ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं एक वार फिरसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० डी० एस० सरदेसाई, एल० आर० सी० पी० ऐण्ड एस०
ऑप्थलमिक सर्जन
सैण्डहर्स्ट रोड
गिरगाँव, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

२२८. पत्र: शामलालको

१५ अक्टूबर, १९३४

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं जरूर यह उम्मीद करता हूँ कि आप इस संघर्षमें सफल रहेंगे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

२२९. पत्र: कस्तूरबा गांधीको

१५ अक्टूबर, १९३४

बा,

लगता है, तू पत्र लिखनेमें अनियमित हो गई है। लिखते रहना ही ठीक है। खान साहब आ गये हैं। आज चरखा-संघकी बैठक है, इसलिए और लोग भी आये हैं। राजेन्द्रबाबू आनेवाले थे, पर बीमार हो गये हैं। देखें क्या होता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना बाने पत्रो, पृ० २८

२३०. पत्र : वसुमती पण्डितको

[१५ अक्टूबर, १९३४ या उसके पश्चात्][1]

चि० वसुमती,

तू भी मेरी तरह बड़ी कामकाजी हो गई जान पड़ती है। थोड़े दिनतक तो तूने रोज पत्र भेजे और अब बिलकुल भी नही। यह क्या है? इस बार मैं अपने साथ किसी लड़कीको नही ला रहा। बा भी नही आ रही है। तू भी जहाँ है वही रहे, ऐसी मेरी सलाह है। अभी तो मेरे लिए कुछ नही राँधा जाता। मैं स्याही[2] का इस्तेमाल करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३८९) से। सी० डब्ल्यू० ६३४ से भी, सौजन्य. वसुमती पण्डित

२३१. पत्र : द्रौपदीदेवी शर्माको

१६ अक्टूबर, १९३४

द्रौपदीदेवी[3]
मार्फत नथमलदास बिहारीलाल
दानगज, खुर्जा

कृष्णाके[4] स्वास्थ्यके बारेमे तार दो।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १०३ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. यह पत्र गाधीजीने प्रभावती द्वारा वसुमति पण्डितको लिखे इसी तारीखके पत्रके नीचे लिखा था।
२. सम्भवत. वसुमती पण्डितने यह स्याही तैयार करके भेजी थी।
३. हीरालाल शर्माकी पत्नी।
४. द्रौपदीदेवीकी पुत्री।

२३२. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

१६ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

बापूको आपका पोस्टकार्ड मिला। फौरन ऑपरेशन करा डालनेके आपके निश्चयका उन्होंने समर्थन किया है। कांग्रेससे, या बापूके सान्निध्यसे अपनी अनुपस्थितिकी आप चिन्ता न करें। उनका प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा।

हृदयसे आपका,
कि० घ० मशरूवाला

[पुनश्च :]

ऑपरेशनके बाद परिणाम और स्वास्थ्यके बारेमें सूचना देते हुए एक पंक्ति लिखें। बापू १९ तारीखको बम्बईके लिए रवाना होंगे।

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

२३३. पत्र : वेणीलाल ए० गांधीको

१६ अक्टूबर, १९३४

चि० वेणीलाल,

तुम्हारे बारेमें माणेकलाल मुझे लिखते रहते हैं। हरिलालने भी लिखा है। तुम और हरिलाल यदि मिलकर काम कर सको तो मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हरिलालका अभी कुछ निश्चित नहीं हो सका है। उसके साथ मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है। इस बीच मैं चाहूँगा कि तुम मुझे लिखते रहो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९१८) से; सौजन्य : वेणीलाल ए० गांधी

२३४. पत्र : हरिलाल गांधीको

१७ अक्टूवर, १९३४

चि० हरिलाल,

तेरा ध्यान मुझे आजकल निरन्तर वना रहता है। मेरे पाम समय हो तो मैं तुझे हमेगा लम्वे पत्र ही लिखता रहूँ। तू जो लिखता है, यदि वह वात वरावर कायम रहे तो मेरे जीवनका दु खद प्रसंग ही समाप्त हो जाये और इस उत्तरावस्थामे मुझे वहुत सन्तोष हो।

तू अपनी सामर्थ्यसे वाहर कुछ भी करे, ऐसा मै नही चाहता। जितना तेरी वुद्धि और हृदय स्वीकार करे, उतना ही निभ पायेगा और उतना ही शोभा देगा। मेरा दृढ विश्वास है कि यदि तू खुराक आदिके नियमोका पालन करे तो सर्वथा रोगमुक्त हो सकता है। अपनेको वूढा न मान लेना।

तुझसे कुछ करते न वने तो इसका मुझे दु.ख नही होगा, लेकिन यदि तू अपने वचनका पालन नही करे अथवा ऐसा कुछ करे जो किसीके साथ विश्वासघात करनेके समान हो तो उससे अवश्य मुझे आघात पहुँचेगा।

इस समय तेरे ऊपर अधिकसे-अधिक विश्वास मुझे तो है। अन्य लोगोको अर्थात् वा, रामदास, देवदास, कान्ति आदिको आगा मुझसे कम है, क्योकि उन्हे [तेरे विषयमे] कडुवा अनुभव है। कडुवा अनुभव तो मुझे भी है, लेकिन मै कभी भी तेरे विषयमे निराश हुआ ही नही था, अर्थात् मुझे विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन तू शुद्ध वनेगा। मै ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि वह समय अव आ गया है। ईश्वर तेरी सहायता करे।

तुझपर ठीक-ठीक कितना कर्ज है और उसकी भरपाई किन-किनको की जानी है, यह सव व्योरेवार लिखना। धर्मको वीचमे रखकर मुझसे जितनी मदद वन सके, उतनी मदद मै करना चाहता हूँ। क्या कर्जपर व्याज भी देना होगा?

तू वीड़ीका त्याग नही कर पाया, सो मै समझा। जवतक पीना पड़े तवतक उसे दवा समझकर पीना। इसे छोड़नेमे तनिक भी दिक्कत नही होती। तू कदाचित् यह नही जानता होगा कि सादे भोजनसे यह आदत छूट सकती है। तेरी खुराक क्या है? क्या तू उसमे फेर-वदल करनेके लिए तैयार है?

माणेकलालका लम्वा पत्र आया है। उसने लिखा है कि तुझे राजकोटके प्रलोभनोका भय है। यदि ऐसी कोई वात हो तो मुझे लिखना। जो भी वात हो, मुझे लिखनेमें तनिक भी सकोच न करना। जैसे कोई व्यक्ति दिल खोलकर अपने परम मित्रको लिखता है, ठीक वैसे ही तू मुझे लिखना। आजतक तो तूने अनेक मित्र

बनाये। इससे जो-कुछ होना था सो हुआ। अब तू केवल मुझे ही अपना मित्र समझ। उसमे तुझे कुछ हानि तो कदापि नही होगी। और फिर तेरे और मेरे बीच एक और सर्वोच्च मित्र भी है। वह अन्तर्यामी है, इसलिए वह हमारे विचारोसे भी अवगत है।

मैं तुझे अपने पास बुलाना और अपने साथ रखना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी स्थिति भिन्न है। मुझे एक मिनटकी भी फुरसत नही मिल पाती। रोज सवेरे २.३० बजे उठता हूँ। आज तो पौने दो बजेका उठा हुआ हूँ। अब साढे तीन बज रहे हैं। यदि तुझे बुलाता हूँ तो समय देनेका मन होगा और वह मुझसे हो नही सकेगा। बाकी, मेरे प्राण तुझमे बसे हुए हैं। पिताका मोह तो गीतामाता के भक्तको भी नही छोड़ता, अथवा हो सकता है 'गीता'का धर्म यही कहता हो कि मैं तेरी इतनी चिन्ता करूँ। अस्तु। अभी यदि तुझे प्रलोभनोमे फँसनेका भय न हो तो वही पडे रहना और तकली आदि सब बराबर सीख लेना।

यदि डायरी न लिखता हो तो लिखना।

मनुके लिए पत्र इसके साथ है। रामदास ठीक है। अभी अस्पतालमे तो है ही। बुखार तो नही है, लेकिन अभी ताकत नही आई है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य . नारायण देसाई

२३५. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

१७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० विधान,

राजेन्द्रबाबूके सम्बन्धमे दिये गये दो तारोके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे यह जानकर बहुत राहत मिली कि राजेन्द्रबाबू ज्वरमुक्त हो गये है।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
३६, वेलिंग्टन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२३६. पत्र : कालीनाथ रायको

१७ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैं काग्रेसजनोंको यह सन्देश देनेके अलावा और कुछ नही कह सकता : आप अपने प्रति और राष्ट्रके प्रति सच्चे रहे।

हृदयसे आपका,

श्री कालीनाथ राय
'ट्रिब्यून'
लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२३७. पत्र : मनु गांधीको

१७ अक्टूबर, १९३४

चि० मनुडी,

तू तो अब भाईकी[1] शिक्षिका बन गई है न? तकली आदि अच्छी तरहसे सिखाना। यहाँ तकली चलानेका जो नया तरीका है, क्या तूने उसे सीखा था? मैं सीख रहा हूँ। अब मैं आधे घंटेमें ४० तार कातने लगा हूँ; इससे अधिककी आशा रखता हूँ। यदि तुझे नया तरीका आता हो तो भाईको वही सिखाना। इसके बारेमें मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३४) से, सौजन्य : मनुबहन एस० मशरूवाला

१. मनुबहन गांधीके पिता हरिलाल गांधी।

२२८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१७ अक्टूबर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

भाई दीनकर राव पड्या आज दिल्ली जाते है। दिल चाहे सो काम दे दीजीये। उनके तनख्वाके बारेमे मुझे लगता है कि प्रतिमास रू० २०० दिये जाय। उसका कारण तो उन्होने ही बता दिया है।

घेटे[1] के बारेमे खत आ गया है। लेखकने कुछ प्रश्न पूछे है। उनके उत्तर देकर मैं पत्र भेज दूगा।[2] दीनकर रावसे उनके अमेरिकाके अनुभव पूछ लीजीये।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९९८ से, सौजन्य. घनश्यामदास बिडला

२३९. पत्र : अर्जुनलालको

१७ अक्टूबर, १९३४

भाई अर्जुनलाल,

तुमारा खत मिला है। उसे समजनेमे कठनाइ है। जमनालालजीका तो इस बारेमे कोइ हिस्सा ही नहि है। मैं भी कुछ नही जानता हू। मैंने ऐसे झगड़ोमे कुछ भी दिलचस्पी नही ली है। सरदार किसीका पक्षपात नही करते है। मेरे साथ भी लड लेते है। हमारे बीचमे एक ही गाँठ है। जीस चीजको सत्य माने वही करना। तुमारे सेवा ही करनी है तो अधिकारसे क्या दरकार? जो अधिकारका भूखा है वह सेवा कभी नही कर पायेगा। मैंने सोचा था अब तुमारा अधिकारका मोह छूटा है। अब बताओ मैं क्या करू। मेरा निवेदन तो पढ़ लिया होगा। मेरा सबध दो दिनका ही समजो। बादमें ऐसे झगडोके बारेमे तो मुझे कोई पूछ भी नही सकेगा। हा, मेरेसे कुछ सेवा लेना चाहेगे तो अवश्य मिलेगी।

मोह छोडो, शुद्ध सेवक बनो, और सेवा ही मूक हो कर करो। इसी आशासे तुमारे पास आ गया था। इसी आशासे यह लिख रहा हू।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई

१. मेढ।
२. देखिए "पत्र: आर० ए० रिचर्डसनको", १४-११-१९३४।

२४०. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१७ अक्टूबर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

दीनकर पडचा पहूच गये होगे। जयप्रकाशके साथ मेरी वात हो गई है। आज तक वह थोडा वहुत कर्ज कर रहा है। प्रभावतीका खर्च यहीसे निकलेगा। जयप्रकाशका ३२५ माहवार रखा है। इस वखत तो रू० १५० का चेक भेजा जाय। उसमे से १०० तो जयप्रकाशको भेज दूगा, ५० प्रभावतीके लिये रखुगा। क्योकि आज तकका खर्च तो यहासे नही लिया है। दरम्यानम वह पटना एक वार गई थी। इसलिये रू० ५० उसके खर्चके मागा है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरा दूसरा निवेदन[1] कैसे लगा?

सी० डब्ल्यू० ७९९९ से, सौजन्य. घनश्यामदास बिडला

२४१. पत्र : मोरेश्वर विष्णु अभ्यंकरको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय अभ्यकर[2],

आपने मुझे १७ तारीखके 'महाराष्ट्र' मे से एक अनुच्छेद उद्धृत करके भेजा है, जिसका सार यह है कि हालांकि डॉ० मुजे गोलमेज सम्मेलनके सम्मुख जो साम्प्रदायिक प्रश्न था उसे निपटानेके लिए प्रधानमन्त्रीको भेजे जानेवाले निमन्त्रण-पत्र पर हस्ताक्षर नही करना चाहते थे, फिर भी उन्हे मेरी ओरसे यह सन्देश मिलनेपर कि उन्हे हस्ताक्षर कर देने चाहिए, उन्होने हस्ताक्षर कर दिये। आपने मुझसे कहा है कि 'महाराष्ट्र' मे डॉ० मुजेके नामसे जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसके बारेमे मैं अपनी राय दूं। लेकिन मुझे आपसे यह कहते हुए दु ख होता है कि इस मामलेमे मेरी स्मृति कोई मदद नही दे सकती। मुझे याद नही पडता कि मैने डॉ० मुजेको

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १५-१०-१९३४।

२. मध्य प्रान्त (मराठी) कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष।

ऐसा कोई सन्देश भेजा हो, लेकिन यदि डॉ० मुंजे कृपापूर्वक मुझे याद दिलाये और यदि उन्हें सन्देश भेजनेकी परिस्थितियोंका ब्योरा और सम्बद्ध व्यक्तियोंके नाम याद हो और वे मुझे लिख भेजें, तो बहुत सम्भव है कि मुझे सब-कुछ याद आ जाये।

मैं इस बातपर खेद व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि यदि डॉ० मुंजेने सचमुच ही 'महाराष्ट्र'को वह वक्तव्य दिया है तो अच्छा होता कि इतने महत्त्वपूर्ण सन्देशका, जिसके कारण उन्होंने अपना निश्चय बदल डाला, सार्वजनिक उपयोग करनेसे पहले उन्होंने मुझसे अपनी याददाश्तकी पुष्टि करवा ली होती।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २२-१०-१९३४

२४२. पत्र : बीरेन्द्रनाथ गुहाको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप जो कहते हैं, वह मैं सब समझता हूँ। आपने जिन कार्यकर्त्ताओंकी चर्चा की है उनके सम्बन्धमें मेरी सीतारामजीसे बातचीत हुई है और मैं चारुबाबूको लिख रहा हूँ।[1]

श्री बीरेन्द्रनाथ गुहा
विद्याश्रम
बी ७६, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए अगला शीर्षक।

२४३. पत्र : चारुचन्द्र भण्डारीको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय चारु बाबू,

मैंने अभी-अभी आपके बारेमें बीरेन्द्रनाथसे और सीतारामजीसे, जो इस समय यहाँ हैं, सुना। आपकी निस्वार्थ सेवाओंकी बात सुनकर मन प्रसन्नता और गर्वसे भर उठा। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन और जरूरियात तथा उन लोगोंके बारेमें और ज्यादा जानना चाहूँगा जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

श्री चारुचन्द्र भण्डारी
डायमण्ड हार्बर, २४ परगना

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२४४. पत्र : आर० पी० करण्दीकरको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय दादासाहब,

आपका पत्र पाकर मन अत्यन्त मुदित हुआ। यह सोचकर तो और भी खुशी होती है कि आप अपने जीवनके इस कालमें भारतीय समस्याकी ओर ध्यान दे रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्री आर० पी० करण्दीकर
सतारा

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२४५. पत्र : मेहरबाई एफ० एस० तलयारखाँको

१८ अक्टूबर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका मर्मस्पर्शी पत्र मिला। मैं आपके दुःखको बखूबी समझ सकता हूँ। लेकिन अब आपको बहादुरीके साथ अपने इस दुःखको देशसेवा करनेकी शक्तिमें परिवर्तित करना होगा। मैं जानता हूँ कि आपमें सेवा करनेकी भावना प्रचुर मात्रामें है। फिर भी इस मात्रामें और वृद्धि होनी चाहिए, तभी आप अपने दुःखको पीड़ित मानवताके बड़े दुःखमें तिरोहित कर सकेंगी। बेशक, दिवंगत आत्माके लिए मेरी प्रार्थनाएँ आपके साथ हैं।

श्रीमती मेहरबाई एफ० एस० तलयारखाँ
२९, न्यू मैरीन लाइन्स
बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२४६. यज्ञार्थ कताई वांछनीय है?

एक पत्र-लेखक पूछते हैं :

> आपका यज्ञार्थ कताई या खुद कातनेपर क्यों आग्रह है? यज्ञार्थ कताई तो दान देनेके लिए कातना है। खुद कातना अपने निजी उपयोगके लिए अपना काता हुआ सूत खादीमें बदल लेना है। दोनों ही हालतोंमें आप जिस गरीब कतैयेको सबसे कम वेतन पानेवाला मजदूर कहते हैं, उसके मुँहसे कुछ-न-कुछ छीन लेते हैं। यज्ञार्थ कताईमें आप बेशक खादीका भाव घटाकर गरीबोंकी थोड़ी-सी सेवा करते हैं। पर अपने लिए की जानेवाली कताईमें तो इसके सिवा और कुछ नहीं होता कि हम बेचारे कतैयेके मुँहकी रोटी छीन लेते हैं।

अगर कताई सार्वत्रिक हो जाती तो यह बात आंशिक रूपसे या पूरी सच होती। परन्तु आज कुछ हरिजन ऐसे हैं जिनकी कमानेकी शक्ति आधी रह गई है, क्योंकि वे बुनकर हैं और उनके पास बुननेको हाथ-कता सूत नहीं है। इस समय वे

किसी तरह बडी कठिनाईसे गुजारा करनेकी कोशिश कर रहे हैं। यदि देशमे बडे पैमानेपर यज्ञार्थ कताई हो रही हो तो इन बुनकरोकी यह दुर्दशा न हो। मैं इन स्तम्भोमे पहले ही कह चुका हूँ[1] कि किस प्रकार उड़ीसामे लगभग दस हजार बुनकरोके प्रतिनिधि, जो (किसी जातिमे परिगणित न होनेके कारण) हरिजनो-जैसे हैं, कामके अभावमे या यो कह लीजिए कि हाथकते सूतके अभावमे भूखो मर रहे हैं।

यह कहना व्यर्थ है कि वे मिलका सूत बुन सकते हैं। ये दस हजार जुलाहे यही कर रहे थे। मगर जापानी स्पर्धाके कारण मिलके सूतके हाथबुने कपडेकी माँग बहुत घट गई है। खादी बुननेवालोको अपनी खादीके लिए स्थानीय ग्राहक मिल सकते हैं, मगर मिलके सूतके हाथबुने कपडेके स्थानीय ग्राहक नही मिल सकते। एक समय था जब हाथकते सूतकी बहुतायत थी, क्योकि यज्ञार्थ कातनेवाले हजारो नही तो सैकडो थे और बुनकरोकी कमी थी। अब यज्ञार्थ कताईका रिवाज उठ गया है और बुनकरोकी सेना मौजूद है, जो हाथकते सूतको खुशीसे बुन देंगे। इसलिए आगे बहुत समयतक, और जबतक बाजारमे खादीकी माँग है तथा जबतक कताई इतनी सामान्य न बन जाये कि उससे माँग पूरी हो जाये, तबतक यज्ञार्थ कताई और अपने लिए कताई दोनोका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थामे निश्चित स्थान है। इससे गरीबोकी और उनमे भी खास तौरपर हरिजनोकी निश्चित और ठोस सेवा होगी।

इसके अलावा, चूंकि यह कताई बुद्धिमान और शिक्षित स्त्री-पुरुषोको करनी पड़ेगी, अत. वह कलायुक्त होगी और उसमे बडा विकास किया जा सकेगा। चरखेमे, रुई ओटनेवाली हाथकी मशीनमे और धुनकीमे जो अद्भुत सुधार हो गये है वे उस दिलचस्पीके कारण हुए है जो शिक्षित मध्यम वर्गकी स्त्रियो और पुरुषोने इस आन्दोलनमे ली है। 'हरिजन' के सब पाठकोको शायद मालूम न होगा कि चरखा-सघके मन्त्री[2] एम० ए० पास है और बम्बईके एक मशहूर और सफल बैंकरके पुत्रके हैं, उसके अध्यक्ष[3] देशके योग्यतम व्यापारियोमेंसे एक हैं, तमिलनाडुमे खादी-सगठनके सचालक[4] भी एक सुप्रसिद्ध भूतपूर्व वकील हैं, बगालके सगठनकर्त्ताओमे एक भूतपूर्व चिकित्सक[5] है और दूसरे सज्जन एक योग्य रसायनशास्त्री[6] हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेशमे यह कार्य एक राष्ट्रीय महाविद्यालयके भूतपूर्व आचार्य[7] द्वारा चलाया जा रहा है। ये थोड़े-से नाम हैं। ऐसे और भी बहुत-से लोगोके नाम मैं बता सकता हूँ, जिन्होने खादीके द्वारा दरिद्रनारायणकी सेवामे अपनेको समर्पित कर दिया है। यह भक्त-समूह

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० २७-८।
२. शंकरलाल बैंकर।
३. घनश्यामदास बिडला।
४. च० राजगोपालाचारी
५. डॉ० विधानचन्द्र राय।
६. सतीशचन्द्र दासगुप्त।
७. आचार्य जुगल किशोर।

न होता तो खादीकी जो ठोस प्रगति हुई है, वह असम्भव थी और जो आधा करोड़ रुपया लगभग ढाई लाख मजदूरोंमें दानके रूपमें नहीं बल्कि सच्चे श्रमकी मजदूरीके रूपमें खादी-आन्दोलनके इन वर्षोंमें बाँटा गया है, वह न बँटता। चरखेके सिवा और किसी तरह या बेहतर ढंगपर इतनी जल्दी ऐसा काम नहीं हो सकता था। उससे दीन-दुखियोंका देशके कुछ अत्यन्त सुसंस्कृत नर-नारियोंके साथ सजीव सम्पर्क हुआ है, अँधेरी झोंपड़ियोंमें प्रकाशकी एक किरण पहुँची है, जर्जर शरीरोंमें साहस आया है, हजारों दुग्धविहीन बालकोंको दूध मिला है। जिन देहातियोंने उसे अपनाया है, उन्हें अकालके खिलाफ अपनी रक्षा करनेका एक सहज साधन दे दिया है। उसने आलस्यको कम किया है और हजारोंका भिखारी-जीवनसे उद्धार किया है।

और अभी तो यह काम अपनी आरम्भिक अवस्थामें ही है। कार्यकर्त्ताओंकी संख्या बहुत कम है। जो हैं, उनमें और श्रद्धा तथा लगन पैदा होनेकी जरूरत है। इस राष्ट्रीय और लोकोपकारी कार्यमें कई सौ कार्यकर्त्ता और भी खपाये जा सकते हैं।

इसलिए यह कहना गलत है कि यज्ञार्थ कताई या अपने लिए कातना मजदूरी-हित कातनेवालोंके लिए हानिकारक है। जिन लोगोंके लिए सम्भव है, उन सबका निश्चित धर्म है कि भारतके हरिजनों — अछूतों — की खातिर वे कमसे-कम आध घंटा रोज सूत कातें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-१०-१९३४

२४७. टिप्पणियाँ

एक सुधारककी प्रार्थना

लायलपुरके एक पत्र-लेखकने कुछ उपयुक्त प्रश्न पूछे हैं। ये इस प्रकार हैं:

(१) कई चालोंमें, जहाँ हरिजन लोग रहते हैं, सिखों और मुसलमानोंकी आबादी भी है। लेकिन वहाँ हिन्दू लोग नहींके बराबर है और यदि इक्का-दुक्का हिन्दू दुकानदार हों भी तो वे पूर्णतः उन जमींदारोंके अँगूठे तले और दबावमें रहते हैं जिनकी वे अवज्ञा नहीं कर सकते अथवा जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। इस तरह ये हिन्दू लोग हरिजनोंको जल प्रदान करनेकी दिशामें कोई सहायता नहीं कर सकते। इस कठिनाईको कैसे सुलझाया जाये?

(२) 'आदिधर्मी' लोग हिन्दू-विरोधी प्रचार कर रहे हैं और इस तरह वे हरिजनोंको हिन्दू-समाजसे विलग कर रहे हैं। इस प्रचारका निवारण अथवा सामना कैसे किया जाये?

(३) अस्पृश्योंके अनेक वर्गोंके बीच भी अस्पृश्यता पाई जाती है।

जहाँतक पहले प्रश्नका ताल्लुक है, पहला स्पष्ट कदम तो यह है कि सिखो और मुसलमानोसे अनुरोध किया जाये कि वे हरिजनोको आम कुएँका उपयोग करने दे। समझाने-बुझानेके साथ-साथ या समझाने-बुझानेकी कोशिश असफल होनेके वाद दूसरा कदम यह होना चाहिए कि सवर्ण हिन्दू स्वयं हरिजनोको उनकी आवश्यकता-भरका पानी प्रदान करें। वेशक, हरिजन लोग इस मामलेमें अदालतोकी शरण ले सकते हैं। कानूनके अन्तर्गत हरिजन लोग आम कुओं, सड़को आदिका उसी तरह उपयोग करनेके अधिकारी हैं जिस तरह कि अन्य लोग हैं। लेकिन इस उपायका कमसे-कम उपयोग किया जाना चाहिए।

रहा दूसरा प्रश्न, तो जवतक सवर्ण हिन्दू हरिजनोके प्रति किये गये अपने दुर्व्यवहारके लिए पश्चात्ताप नही करते और उसके फल-स्वरूप उनका हृदय-परिवर्तन नही होता, तवतक हिन्दुओ और हरिजनोमे वढते हुए अलगावको रोका नही जा सकता। आदिधर्मी स्वयं हिन्दू हैं। सवर्ण हिन्दुओंने उनपर जो अत्याचार किये, उसके विरोध-स्वरूप वे उनसे अलग हो गये। लेकिन जब वे देखेंगे कि अस्पृश्यताका पूरी तरहसे निवारण हो गया है तव वे हिन्दू-समाजमें वापस आ जायेंगे।

जहाँतक तीसरे प्रश्नकी वात है, अस्पृश्योंके विभिन्न वर्गोंके वीच पाई जानेवाली अस्पृश्यता यदि पूरी तरहसे नही तो लगभग उसी अनुपातमें दूर होती जायेगी जिस अनुपातमे सवर्ण हिन्दुओंमे अस्पृश्यता दूर होगी। क्योकि, अस्पृश्योमे अस्पृश्यताकी भावना का होना सवर्ण हिन्दुओमे पाई जानेवाली अस्पृश्यताकी भावनाका सीधा परिणाम है।

दरिद्रनारायण और हरिजन

दरिद्रनारायण और हरिजनमे सघर्ष चल रहा है। किसमें किसका समावेश होता है? विना सोचे-समझे इसका उत्तर होगा "निस्सन्देह, हरिजन" में दरिद्रनारायण समाहित है। लेकिन एक क्षण विचार करनेपर हम देखेंगे कि हरिजनके मुकावले दरिद्रनारायणका स्वरूप ज्यादा विराट है। हरिजन निस्सन्देह दरिद्रनारायण है, लेकिन सम्भ्रान्त लोग उन्हे सवसे निम्न श्रेणीका मानते हैं। इसलिए वे हर या हरिके, ईश्वरके सवसे अधिक निकट है और सवसे अधिक प्रिय हैं। क्योकि, क्या स्वयं भगवानने अपने-आपको अपने सेवकोंका सेवक नही कहा है? और यदि वह संसार द्वारा उपेक्षित तथा तिरस्कृत लोगोकी सेवा नही करेगा तो और किसकी करेगा? तथापि, दरिद्रनारायणमे, हरिजनोके अलावा लाखों ऐसे लोग भी शामिल हैं जो जन्मसे अस्पृश्य नही है। अतएव हरिजनोंकी सेवा करना अनिवार्यतः दरिद्रनारायणकी सेवा करना है, जवकि दरिद्रनारायणकी सेवा करनेका अर्थ हमेशा हरिजनोंकी सेवा करना नही है। इसलिए वेहतर है कि 'हरिजन' मे लिखनेवाले लोग इस अन्तरको हमेशा याद रखे, क्योकि उन्हे याद रखना चाहिए कि 'हरिजन' ऐसा साप्ताहिक है जो पूरी तरहसे हरिजनोकी सेवाके उद्देश्यको लेकर चलता है और उसमे ऐसी किसी भी चीजके लिए गुंजाइश नही है जिसका प्रत्यक्ष रूपसे अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे हरिजनोसे कोई सम्वन्ध नही है। इस अन्तरको याद रखना जरूरी है, क्योकि मैं 'हरिजन' के स्तम्भोंमे अवतक जिन विपयोपर चर्चा करता दिखाई नही देता था, अव मैं उन विपयो

पर भी मुक्त भावसे लिखने लगा हूँ। सच तो यह है कि अपनी तूफानी यात्राके दौरान अनेक रचनात्मक प्रयत्नोके बारेमे लिखनेकी बात तो जाने दे, मुझे सोचनेतक का मौका नही मिला जो कि अब मै कर रहा हूँ। हरिजनोकी स्थितिमें चतुर्दिक् सुधारके लिए असीम गुंजाइश है। क्या वे [हरिजन] संख्याकी दृष्टिसे समाजका एक बहुत बड़ा अंग नही हैं? और जहाँतक उपयोगिताका सवाल है, क्या उनका स्थान समाजमें सम्भवतः सबसे ऊँचा नही है? वे लोग आज जो काम कर रहे हैं, उसके पुरस्कार-स्वरूप उनके माथेपर अछूतका पट्टा लगाया जाता है। यदि वे अचानक वह काम करना बन्द कर दे, तो भारतीय समाज शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो जायेगा।

एक सुधारककी प्रार्थना

एक पत्र-लेखकने [रवीन्द्रनाथ] ठाकुरकी 'गीतांजलि' मे से निम्नलिखित एक बड़ी सटीक प्रार्थना चुनकर भेजी है:[1]

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १९-१०-१९३४

२४८. पत्र: प्रभाशंकर पट्टणीको

१९ अक्टूबर, १९३४

सुज्ञ भाईश्री,

आपका ट्रेनमें बोलकर लिखवाया हुआ पत्र मिला।

कुमार साहबके बिलकुल ठीक होनेकी खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उनको ठीक करनेके प्रयत्नमें आपके बीमार पडनेकी खबर सुनकर बाबर और हुमायूँकी कहानी याद हो आई। हुमायूँको स्वस्थ करनेकी कोशिशमे बाबर स्वयं मृत्युको प्राप्त हो गया था न? आपने भी राजाके पिताका स्थान ग्रहण किया है और अपनी कायाको निचोड़ रहे हैं।

मेरे बारेमे आपकी चेतावनी उचित है। लेकिन इसपर आपका और मेरा कोई वश नही है। राम जहाँ ले जायेंगे वहाँ जाऊँगा। अभी तो रामने स्पष्ट रूपसे आदेश भी नही दिया है। बम्बईमें सब स्पष्ट हो जायेगा। क्या होगा, इसका तो विचार तक नही आता।

जिस समय जगद्गुरुको जो अच्छा लगे
उसका शोच करना व्यर्थ है।
हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता
उससे तो केवल उद्वेग ही हमारे हाथ आता है।

१. इसे यहाँ नहीं दिया गया है। अंग्रेजी पाठके लिए देखिए अंग्रेजी खण्ड ५९, पृ० १९८।

नरसैंया[1] के इस वचनको मैं १८९३ से रटता आया हूँ। मैंने इसके अनुसार चलनेका ठीक-ठीक प्रयत्न भी किया है। और मुझे यह वेद-वाक्य लगा है। वेदोंकी मेरी व्याख्यामें ऐसे वचनोंका समावेश है। मेरे वेद-भगवान सर्वभापी है।

आशा है, रमाबहन[2] मुझपर कृपा रखेगी। कांग्रेससे चरखा निकल जानेके बाद भी उनके जैसे लोग ही तो चरखेको बरकरार रखेंगे। आपसे तो कैसे कहा जा सकता है?

मोहनदास

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३९) से; सी० डब्ल्यू० ३२५५ से भी, सौजन्य: महेश पी० पट्टणी

२४९. पत्र : रामदास गांधीको

१९ अक्टूबर, १९३४

चि० रामदास,

तेरा पत्र मिला। आशा है, तुझे मेरे पत्र मिल गये होंगे। बम्बईमें भी तुझे पत्र लिखनेका ध्यान रखूंगा। कॉड-लिवर ऑयल और अण्डा खानेकी जब जरूरत महसूस हो तब खाना। यदि डॉक्टर इन दोनोंमें से किसी एक चीजको चुननेका अधिकार तुझे देता है तो अण्डा पसन्द करना बेहतर होगा। कॉड-लिवर ऑयल तैयार करनेमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। मछलियोंको मारनेमें कितनी क्रूरतासे काम लिया जाता है, इसकी मुझे खबर नहीं। मुझे तो यह राक्षसी दवा जान पड़ती है। आधुनिक पद्धतिके अनुसार प्राप्त किया जानेवाला अण्डा मुझे बिल्कुल निर्दोष लगता है और यह हम स्वयं प्रयोग करके देख सकते हैं। लेकिन कॉड-लिवर ऑयल हम तैयार नहीं कर सकते। तिसपर भी तू जानता है कि प्रभुदासको तेल लेनेके लिए प्रोत्साहित किया था। उसी तरह राधा और अन्य लोगोंको भी। जीनेका लोभ हममें से कोई नहीं छोड सकता। जीनेका लोभ रखनेमें पाप नहीं है, शर्म भी नहीं है। जीनेके साधनोंमें मछलीका तेल भी एक है। ज्ञानी माने जानेवाले लोग भी उसका उपयोग करते हैं। उसे पीनेसे तुम्हें रोकनेवाला भला मैं कौन? यह चीज ही ऐसी है कि इसमें किसीको किसीके बीचमें नहीं पड़ना चाहिए। किसी व्यक्तिका धर्म क्या है, इसका निश्चय अन्तमें तो स्वयं वह व्यक्ति ही कर सकता है। तू आत्म-निरीक्षण करता रहता है। सबसे ज्ञान प्राप्त करनेकी कामना करता है। इसलिए मैंने तुझे इन दोनों वस्तुओंके बारेमें मैं जितना जानता हूँ, उतना ज्ञान देनेका प्रयत्न किया

१. नरसिंह मेहता उर्फ नरसी भगत।

२. प्रभाशंकर पट्टणीकी पत्नी।

है। अब तू जिस वस्तुको जिस समय लेना उपयुक्त समझे उस, समय लेना। डॉक्टर जबतक तुझे अस्पतालमें रखें तबतक रहना। यह सारा अनुभव तेरे काम आयेगा।

अब नीमुके बारेमें। यह समझकर कि नीमु तो तुझे सब-कुछ लिखती ही है, मैं तुझे अधिक नही लिखता। भोजनके सम्बन्धमें मैं उसका अच्छी तरहसे मार्ग-दर्शन कर रहा हूँ और उसे अंग्रेजी सिखानेका बन्दोबस्त किया है। अन्य सब तो वह सीखती ही है। उसे दूध तथा फल आदि बराबर पहुँचाता रहता हूँ। प्रभावती और शर्मा उसकी देखभाल करते हैं; वह खुश रहती है। मेरी अनुपस्थितिमें ये दोनो सब-कुछ देखा करेंगे। तुझे मुझे कुछ लिखना हो तो लिखना। क्या तू यह मानता है कि कांग्रेस-अधिवेशन समाप्त होनेपर अर्थात् इस महीनेके आखिरमें मुझे वहाँ आना चाहिए? क्या बा भी यह चाहती है? जब तू चलने-फिरने लायक हो जाये तब तू वढवाण आदि जगहोंपर जाना। यह मुझे अच्छा लगेगा। माणेकलालकी बदली जहाँ हुई है अगर वहाँ तू जाये तब तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका आग्रह भी है। वहाँकी आबोहवाकी वह बहुत प्रशंसा करता है। किन्तु वहाँ फल नही मिलते। चोरवाड तो है ही। तू यदि चिन्ता करना छोड़ दे, अपने चित्तको हल्का करे तो कोई भी परेशानी नही होगी। यदि तू इस तरह घूमने-फिरने निकल जाये तो बा मेरे पास वर्धा आ जायेगी। यदि ऐसा हो तो मुझे अहमदाबाद आनेकी तनिक भी जरूरत नही होगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ मेरे लिए सार्वजनिक काम तो होता ही है, इसलिए मैं स्वयं वहाँ आनेकी बातको टालना चाहता हूँ। लेकिन यदि मेरे बिना काम न चले तो आ जाऊँगा। तू मुझे अपनी इच्छा ठीक-ठीक बताना।

बा को मैं बम्बई बुलाऊँ तेरा, यह जो आग्रह है, उसे मैं समझता हूँ। लेकिन उसे वही रहना अधिक शोभा देता है। तू जब बिलकुल ठीक हो जाये तभी उसका वहाँसे निकलना ठीक होगा। इस बार मैं अपने साथ एक भी लडकीको नही ले जा रहा हूँ। पुरुषोमे से भी मैं बहुत कम लोगोको साथ ले जा रहा हूँ। किशोरलालभाई और गोमतीबहन मेरे साथ होंगे। काकासाहब तथा प्रोफेसर अक्षयचन्द्र भी होंगे। अन्य लोगोके बारेमें मुझे याद नही। बम्बईमे क्या होता है, यह देखना है।

मेरे कांग्रेसमे रहनेका दुरुपयोग होनेका जो भय तू बताता है, वह बिलकुल ठीक है। इन्ही कारणोसे मैं उससे निकलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। तथा ऐसी महान संस्थाको हानि पहुँचाये बिना उससे निकलना आसान नही है। अनेक पवित्र व्यक्ति भी उसमे शामिल है।

जमनालालजी यही रहेंगे। उन्हें भी मैं साथ नही ले जा रहा हूँ। अन्य अनेक लोगोंको भी मैंने रोक दिया है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई

२५०. पत्र : अम्बालाल साराभाईको

१९ अक्टूबर, १९३४

सुज्ञ भाई,

आपके दोनों पत्र मिले। आप हरिजन आश्रमके ट्रस्टी नहीं बनेंगे सो मैं समझा। मैं बहुत ज्यादा आग्रह करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना तो मान लूँ न कि गुजरातमें हरिजन-सेवाके कार्यमें जो जरूरतें उठ खड़ी होंगी, उन्हें निपटानेमें तो आप मदद करेंगे?

गोशालाके सम्बन्धमें, आपका निर्णय मुझे मान्य है। गत वर्ष जो घाटा हुआ वह बहुत ज्यादा था। मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ। आप दिसम्बरतक का घाटा भर देंगे, मुझे इतनेसे ही सन्तोष है। लेकिन आपको मैं आपकी मूल बातपर दृढ़ रहते देखना चाहता हूँ। ४,००० रुपयेका भार भी मैं आपपर एकदम नहीं पड़ने दूँगा। यदि हमारी किसी असावधानीके बिना ही इतना घाटा हुआ है तो आपके आगे हाथ फैलानेमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन इस गोशालाको एक वर्षके लिए भी घाटेपर चलाते रहनेका मेरा कोई विचार नहीं है। नारणदास सारे हिसाब-किताबकी जाँच कर रहा है। आगामी वर्षका बजट तीन अथवा चार महीने पहले तैयार किया गया था। उसका उद्देश्य आय और व्ययको बराबर-बराबर रखना था। इस बीच ४,००० रुपयेके घाटेकी खबर मेरे पास आई। अब नारणदास साबरमती जायेगा और मेरा मार्ग-दर्शन करेगा। यह सब लिखनेका आशय केवल यह बताना है कि आपको इस काममें शामिल करके मैं ...[1] नुकसानके बारेमें निश्चिन्त होकर नहीं बैठ गया हूँ। चाहे कितना ही घाटा क्यों न हो, वह सबका-सब मैं आपके सिरपर डाल दूँ, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने अपने जीवनमें जितने भी सार्वजनिक काम किये हैं, उनमें आय-व्यय बराबर रखनेका मैंने निरन्तर प्रयत्न किया है। जहाँ नुकसान उठाना मैं जरूरी समझता हूँ वहाँ ऐसा करनेमें मैं हिचकता भी नहीं हूँ, लेकिन तब मैं जान-बूझकर नुकसान उठाता हूँ। चमड़ा कमाना सिखानेके प्रयोगमें और रामचन्द्रनके पम्पमें लाभकी आशा रखनेके बावजूद नुकसानकी सम्भावना मेरी दृष्टिसे ओझल नहीं थी। मैंने नुकसानकी सीमाका अनुमान भी कर लिया था। रामचन्द्रनके पम्पमें मैंने स्वर्गीय रेवाशंकर भाईको शामिल किया था। उन्हें ५,००० रुपये भरने पड़े थे। उसके बाद यह योजना वापस ले ली थी। चमड़ेके धन्धेमें अभी भी घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन हमें इस धन्धेको जारी रखना होगा। इसपर होनेवाले घाटेका अमुक भाग घनश्यामदास के हिस्से जायेगा। इस छोटे-से गोसेवा के कार्यमें मैंने आपको खींचा है। यदि इसमें

१. यहाँ कुछ अंश छूटा हुआ है।

से आप निकल जाते हैं तो इसमें मेरी साख जाती है। और चूँकि मैं आपके पास अपनी साख नहीं खोना चाहता इसलिए मैंने इतना सब लिखा है, और सो भी आपके निर्णयको स्वीकार करनेके बाद। मैं आपकी स्पष्टवादिताका कायल हूँ, यह आप जानते ही हैं। आपके निर्णयका मुझे तनिक भी दुःख नहीं है। मेरा सारा व्यापार केवल मेरी साखपर है। बैंकोंके नोटोंके टुकड़ोंके पीछे थोड़ा-बहुत सोना अवश्य होता है। मेरे टुकड़ोंके पीछे तो रामनाम के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए आप जैसे लोगोंसे विनती न करूँ तो किनसे करूँ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

२५१. एक पत्र[1]

बम्बई जाते हुए[2]
२० अक्टूबर, १९३४[3]

प्रिय मित्र,

इस पत्रको श्रीयुत कोदण्ड राव ला रहे हैं। श्री कोदण्ड राव भारत सेवक समाज के सदस्य हैं और भारत सेवक समाजकी ओरसे प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक 'द सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया' के प्रधान सम्पादक हैं।[4] कुछ अमेरिकी मित्रोंके निमन्त्रणपर वे अमेरिका गये हैं। श्रीयुत कोदण्ड राव हरिजनोंके मित्र और एक बहुत बड़े सुधारक हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनका परिचय भारतके उन मित्रोंसे करवा दें जिनका कि आप नेतृत्व करते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२८६) से।

१. सम्भवतः यह पत्र डॉ० जॉन हेन्स होम्सको लिखा गया था।

२ और ३. पत्रके अन्तमें तारीख गांधीजीके स्वाक्षरोंमें लिखी हुई है तथापि, पत्रके ऊपर महादेव देसाईके हाथोंसे यह लिखा हुआ है: "वर्धा, १९-१०-१९३४"।

४. यहाँतक पत्र महादेव देसाईकी लिखावटमें है। इसके बादका हिस्सा गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

२५२. पत्र : मीराबहनको

बम्बई जाते हुए रेलगाड़ीमे
२० अक्टूबर, १९३४

चि० मीरा,

तुम्हारे पश्चिममे रहते हुए तुम्हे मेरा यह अन्तिम पत्र मिलेगा। यह गाडी, जो मुझे बम्बई ले जा रही है, हिल रही है। तुम खानसाहबकी लड़कीसे सम्पर्क कर लेना और उसकी आनेकी कुछ भी इच्छा हो तो अपने साथ लेती आना। पता नही कमलानीका क्या होगा।[1] खानसाहबकी लड़कीका टिकट तुम खरीद लेना। उन्होने रुपया यहाँ दे दिया है और अम्बालालकी दूकानपर सूचना भेजी जा रही है कि रास्तेके लिए तुम्हे और रुपयोकी जरूरत हो तो दे दे।

यहाँकी घटनाओके कारण जरा भी अशान्त न होना। सब-कुछ ईश्वरके निमित्त होता है।

सप्रेम,

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ६३०१) से; सौजन्य: मीराबहन। जी० एन० ९७६७ से भी।

२५३. पत्र : वामन जी० जोशीको

२० अक्टूबर, १९३४

कांग्रेसको किसी भी हालतमे गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारको वोट नही देना चाहिए, बापूजी अणेके विरुद्ध तो और भी नही, साम्प्रदायिक निर्णयके बारेमे उनके दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस-विरोधी रवैयेके बावजूद कांग्रेसको उनके विरुद्ध वोट नही देना चाहिए। मै इसे कांग्रेस-विरोधी इसलिए कहता हूँ, क्योकि यह इस प्रश्नपर कांग्रेसकी घोषित नीतिके विरुद्ध है। इसलिए कांग्रेसियोको मेरा सुझाव है कि उन्हे निःसंकोच भावसे गैर-कांग्रेसी उम्मीदवारके विरुद्ध बापूजी अणेको अपना वोट देना चाहिए। लेकिन उन्हे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि श्रीयुत बापूजी अणेको वोट देकर वे किसी प्रकार भी अपनेको उनके साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी दृष्टिकोणसे सम्बद्ध नही कर रहे है।

[अंग्रेजीसे]
रेमिनिसेन्सेज ऑफ गांधीजी, पृ० २१२

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० ४७६।

२५४. पत्र: कस्तूरबा गांधीको

२० अक्टूबर, १९३४

बा,

तुझे बम्बई न बुलाकर मैंने ठीक ही किया है। ऐसा मानना कि जहाँ पेरिनबहन का अपमान हुआ हो वहाँ तू क्यो जाये? यह तो एक विशेष कारण हुआ। दूसरा कारण यह है कि जबतक रामदास वहाँ है तबतक तेरा वही रहना शोभा देता है। और तीसरा यह कि मेरा मन काग्रेससे हट गया है। मैंने जमनालालजीको भी रोक दिया है। काग्रेससे मेरे निकल जानेकी बातको तू निश्चित मानना। तो फिर तुझे किसलिए उसमे ले जाऊँ? नीमुकी तबीयत अच्छी रहती है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०८१) से।

२५५. खादी-कार्यकी नई नीति[1]

[२१ अक्टूबर, १९३४ से पूर्व]

यद्यपि खादी स्वराज्य-प्राप्तिका सबसे सबल साधन है तथापि, हमारी खादी-संस्थाएँ इसे मात्र आर्थिक प्रवृत्तिके रूपमें चला रही हैं। ऐसी संस्थाओमें लोकतन्त्रका तत्त्व अमुक अंशतक ही दाखिल किया जा सकता है। लोकतन्त्रमे सघर्ष और प्रतिस्पर्धाकी भी गुंजाइश रहती हैं, लेकिन आर्थिक उद्देश्यको लेकर स्थापित की गई सस्थामें ऐसा नही हो सकता। क्या किसी व्यावसायिक पेढीमें हम भिन्न-भिन्न दलोकी अथवा विरोधी दलकी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा हो तो पेढीकी सारी व्यवस्था ही अस्तव्यस्त हो जाये। और फिर खादीकी संस्थाएँ महज आर्थिक संस्थाएँ नही हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा वे पारमार्थिक संस्थाएँ हैं। उनका हेतु किसीका स्वार्थ सिद्ध करना नही बल्कि लोकहित करना है। लोकतन्त्रमें जनताको रिझाकर काम चलानेका नियम होता है। हमारी खादी-संस्थाओका उद्देश्य तो जनताका प्रेय नही उसका श्रेय साधना है। इसलिए कई बार तो उन्हे नित्य परिवर्तनशील लोकमतसे स्वतन्त्र रहकर भी अपना काम चलाना होगा। उन्हे व्यक्तियोकी महत्त्वाकाक्षाका पोषण करनेका साधन तो कदापि नही बनने दिया जा सकता।

१. यह गाधीजी और कुछ खादी-कार्यकर्ताओंमें खादी-कार्यके पुनर्गठनपर हुई बातचीतका सार है।

खादी-उत्पादनके पुनर्गठनपर विचार करते हुए आपको यह नही भूलना चाहिए कि कई वातोमें खादीके अर्थशास्त्रमे और प्रचलित अर्थशास्त्रमे उत्तर-दक्षिणका भेद होता है। इग्लैंडके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ऐडम स्मिथने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' मे एक वात कही है, जो मुझे हमेशा याद आती है। अपनी पुस्तकमे उसने अर्थशास्त्रके कुछ नियमोको सार्वभौमिक और अटल कहा है। वादमे उसने कुछ-एक ऐसी वातोका वर्णन किया है जो इन नियमोकी क्रियामे वाधा उत्पन्न करती है। ये है मनुष्य-स्वभाव, मानवीय प्रकृति अथवा उसमे निहित परमार्थ-वृत्ति। खादीके अर्थशास्त्रमे वात इससे ठीक उलटी है। मनुष्य-स्वभावमे निहित परमार्थकी भावना ही खादीके अर्थशास्त्रकी आधार-शिला है। ऐडम स्मिथने जिसे नफा और नुकसानका ही विचार करनेवाली शुद्ध आर्थिक वृत्ति कहा है, वह स्वार्थ-वृत्ति खादीकी प्रगतिमे विघ्नरूप है और उसका प्रतिकार करना खादी-शास्त्रका प्रमुख कार्य है। इसलिए धनोपार्जनके लिए किये जानेवाले व्यापारमे सामान्य रूपसे जिन युक्तियोसे काम लिया जाता है, उन युक्तियोके लिए खादी-प्रवृत्तिमे कोई स्थान नही है। उदाहरणके लिए, छलकपट, धोखाधड़ी, झूठ, अच्छे मालमे हलके मालकी मिलावट, जनताके व्यसनो अथवा वासनाओको उत्तेजन देकर व्यापारको बढाना — ये सव चीजे मिल-उद्योगमे और साधारण व्यापारमे चलती है, लेकिन खादी-प्रवृत्तिमे सर्वथा त्याज्य है। लाभमे वृद्धि करनेके लिए बुनकर अथवा कातनेवालेको कमसे-कम मजदूरी देनेकी नीतिको खादी-प्रवृत्तिमे कोई स्थान नही हो सकता। उसी तरह यदि अपनी अव्यावहारिकताके कारण हमे नुकसान होता रहता है तो इस तरह घाटा खाकर भी खादी-प्रवृत्तिको नही चलाया जा सकता। आज हमारी खादी-संस्थाओको जो घाटा उठाना पडता है उसका कारण हमारे कार्यकर्त्ताओमे कार्यक्षमताकी कमी है। खादीमे कातनेवालो आदिको उनकी मजदूरीका पूरा-पूरा लाभ मिलता है, जवकि वीचके व्यापारियोको तथा व्यवस्था करनेवालोको उनके परिश्रमकी अपेक्षा तनिक भी ज्यादा नही मिलता।

अव 'स्टैंडर्डाइजेशन' अर्थात् एक ही स्तरका सारा माल तैयार करनेकी वात ले। खादीमे ऐसी एकरूपताकी आशा नही की जा सकती। राजगोपालाचारीने एक वार कहा था कि सामान्य कातनेवाली गरीव स्त्रियोसे हमेशा मिल-जैसे समान सूतकी अपेक्षा नही की जा सकती। वे जड मशीन नही है, मनुष्य है। उनके सुख-दु ख है, भावनाएँ है, और वे वीमार भी हो सकती है। कभी-कभी उनकी तवीयत अच्छी नही रहती या कभी उनका वच्चा अथवा अन्य सम्वन्धी वीमार पड़ जाते है, तो उनका चित्त आकुल हो उठता है और उसका असर कताईपर हुए विना नही रहता। यदि आपका हृदय वज्रके समान कठोर नही है तो जवतक वे जान-वूझकर खराव सूत नही कातती तवतक वे जैसा सूत काते, वैसा आपको स्वीकार करना चाहिए। वह उनके शुद्ध परिश्रमसे पवित्र हुआ सूत है, इसलिए हमे वह प्रिय लगना चाहिए। यन्त्रके मालमे यह व्यक्तित्वका तत्व नही होता इसलिए इस तरहका आध्यात्मिक सन्तोष वह नही दे सकता। मशीनसे तैयार किया गया माल केवल हमारी आँखको लुभाता है, लेकिन खादीकी कला मनुष्यकी भावनाओको सन्तोष देती है। वह

हृदयस्पर्शी होती है। खादीमें बाह्य सौन्दर्यका स्थान दूसरा है। इसीसे मैंने साफ की हुई (ब्लीच की हुई) खादी बेचनेका विरोध किया है। खादीको ब्लीच करनेमें खादी-उत्पादनका खर्च बढता है, उसकी मजबूतीमें कमी आती है और खादीमें होनेवाली मिलावटका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगोकी अभिरुचिको बिना विचारे पोषित करनेका हमारा कर्त्तव्य नही है। हमारा कर्त्तव्य उसे उचित दिशा प्रदान करना है। दो-तीन बार धोनेपर खादीमें लगा माँड अपने-आप छूट जाता है और खादी बगुलेके पंखो-सी सफेद हो जाती है। इतना ही नही, उसमे एक प्रकारकी मुलायमियत आ जाती है जो ब्लीच करनेसे नष्ट हो जाती है। बुनाईके बादकी ऐसी छोटी-छोटी प्रक्रियाएँ यदि व्यक्ति स्वय कर ले तो खादी काफी सस्ती हो जाये। लोगोसे इन क्रियाओको करवानेका अच्छे-से-अच्छा रास्ता खोज निकालना खादी-विशेषज्ञोका काम है।

यदि खादी-प्रवृत्तिको केवल व्यापारके साधनके रूपमे नही बल्कि भुखमरी से पीडित जनताके उद्धारके साधनके रूपमें चलाना है तो हमे कातनेवालोके घरोमे प्रवेश करना चाहिए। उन्हे खुद तैयार की हुई खादीका कपडा पहननेके लिए समझाना होगा। ऐसा करनेसे न केवल खादीके उत्पादनमें होनेवाले खर्चमे भारी कमी होगी, बल्कि खादीकी बिक्रीके सम्बन्धमे होनेवाला खर्च भी पूरी तरह बच जायेगा। आजतक हमने शहरके लोगोको ध्यानमे रखकर खादी तैयार की है। थोडे ही वर्षोमे खादीका व्यापार छोटी-सी शुरुआतसे आज लाखो रुपयोतक पहुँच गया है। हम भाँति-भाँतिकी खादी तैयार करने लगे हैं। लेकिन अभी मुझे मात्र इतनेसे सन्तोष नही होता। खादी-सम्बन्धी मेरी महत्त्वाकाक्षा इससे कही अधिक बडी है। मेरी आकाक्षा यह है कि हमारे गाँवोसे भुखमरीको बिलकुल निकाल बाहर किया जाये। यह तभी सम्भव हो सकता है जब गांवोके लोग खुद खादी तैयार करके अपनी जरूरतकी खादी अपने पास रख ले और बाकी बची खादीको शहरोमे भेज दें। खादीकी शक्तिका रहस्य इस बातमे है कि जहाँ खादी तैयार होती है उसी स्थानपर उसके ग्राहक भी मिल जाते हैं, इसके लिए बाजार ढूँढने जानेकी कोई जरूरत ही नही होती।

खादीकी उत्पादन-सम्बन्धी व्यवस्थापर जो खर्च आता है, वह मुझे कचोटता है। यदि हम खादीके मुख्य उद्देश्यको ध्यानमें रखकर चले तो इस खर्चको काफी कम किया जा सकता है। जैसाकि मै पहले कह चुका हूँ, मुख्यत. लाभके लिए चलने-वाले उद्योगोमें जिस तरह मालके उत्पादनमे खर्चकी कमी की जाती है उस तरह तो खादीमे नही की जा सकती। खादीमे यन्त्रकी शक्तिको अमुक सीमातक ही बढाया जा सकता है। लेकिन कला, निपुणता, कार्यदक्षता और प्रामाणिकताको बढानेकी सीमा नही है अर्थात्, उन्हे चाहे जितना बढाया जा सकता है। और यदि इन गुणोमें हमे श्रद्धा नही है तो फिर हमे खादीसे हाथ धो बैठना होगा। यदि खादीके खर्चको कम करना हो तो खादी संस्थाको चलानेके लिए कमसे-कम और पारमार्थिक वृत्तिवाले लोगोको रखनेके बाद शेष सब मध्यवर्तियो अथवा दलालोको उसमें से निकाल देना चाहिए। और सच बात तो यह है कि जब खादीकी प्रवृत्ति पूरी तरह विकसित हो

जायेगी तव उसे बाह्य सस्थाकी आवश्यकता ही नही रह जायेगी। आत्म-निर्भरता और आत्म-प्रचार, ये खादी-प्रवृत्तिके स्वाभाविक लक्षण हैं।

खादीका शास्त्र अभी बाल्यावस्थामे है। उसका उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। जैसे-जैसे मैं उसमे गहरे उतरता जाता हूँ, जैसे-जैसे मैं उसके नियमोकी अधिकाधिक खोज करता जाता हूँ और समझता जाता हूँ, वैसे-वैसे मुझे खादीके सम्बन्धमें अपने अल्प ज्ञानका आभास होता जाता है। चीनके अलावा सारे ससारमे शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमे हमारे देशकी अपेक्षा समृद्धिके अधिक साधन हो। कारण, हमारे देशमे जितना मनुष्य-बल है, वह चीनके अतिरिक्त और कही नही है। लेकिन आज भी हमारी यह सम्पत्ति बेकार पडी-पडी क्षीण हो रही है। चरखा इसी अपरिमित सम्पत्तिके सदुपयोगका साधन है।

हमने आजतक जिस ढंगसे खादीका काम चलाया, वह उचित था। उसके परिणामस्वरूप हम यहाँतक पहुँचे है। वह अनिवार्य था; इतना ही नही, बल्कि अबतक की परिस्थितियोमे सगत और उचित भी था। कठिन कार्य तो हमारे सामने अब आया है। अब हमे जो रास्ता तय करना है उसके लिए उसीके अनुकूल पद्धतिसे काम करना होगा। हमे उसके अनुकूल उपाय खोज निकालने होगे। इसलिए यदि आन्ध्र प्रदेश खादीके मामलेमे प्रान्तीय स्वायत्तता चाहता हो तो वह उसे आसानीसे मिल सकती है। आपकी संस्थाको भी जो देय देना हो उसे देनेमे कोई दिक्कत न होगी। इसलिए मैंने आपको जो मार्ग सुझाया है, यदि आप उस तरह काम करना चाहेंगे तो आप निर्विघ्न कर सकेंगे, इस बारेमें मुझे तनिक भी सन्देह नही।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २१-१०-१९३४

२५६. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

काग्रेस कैम्प
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझसे विदा लिये बिना चले जाकर तुमने मेरा अपमान नही किया है। मैं ऐसे शिष्टाचारमे विश्वास नही करता। उम्मीद है, तुम अपना काम अच्छी तरहसे कर रही हो और तुम्हे ट्यूशनका काम भी खूब मिल रहा है। आशा है मैं नवम्बरसे पहले ही वापस आ जाऊँगा।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२५७. पत्र : प्रभावतीको

२२ अक्टूबर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र पढकर दु:ख हुआ। तेरा हित समझकर ही मैंने तुझे रोका था। वहाँ काममें लगनेके बाद यहाँ आनेकी वृत्ति रखना कितनी खराब बात है? यहाँ मेरे विचारसे तो कुछ नही है। इतना तो विचार कर कि तीस करोड़ लोगोंमें से एक लाख व्यक्ति भी इसमें भाग नही ले सकते। तुझे कोई नाटक देखनेके लिए थोड़े ही आना है? ओम और अन्य लडकियाँ आ गईं, इससे तो तुझे और भी अधिक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तू नही आ सकती। मैं कदाचित् मगलवारको वहाँ पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४४४) से।

२५८. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

बम्बई

२२ अक्टूबर, १९३४

भाई हरिभाऊ,

अजमेरकी आबोहवा देखते हुए[1] मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे और तुम्हारे दलके ऑफिसहोल्डरो आदिको निकल जाना चाहिए। इसमें तुम्हारेमे से किसी पर कोई इल्जाम की बात नही है—सिर्फ त्याग व सयमकी ही है।

उस वक्तकी आबोहवा देखकर यह काम हो सकता है। जो कानून अब बने हैं, उसमें योग्य वायु पैदा करनेकी बहुत बड़ी शक्ति है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०८०) से, सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० ३७६-७।

२५९. पत्र : द्रौपदीदेवी शर्माको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० द्रौपदी,

तुमारा तार आया। उसके बाद उत्तर नही है। कृष्णा अच्छी होगी। शर्म्मा कुछ अशात हो गया है। सुरेन्द्रजी के पास मेरी गेर हाजरीमे गया है। मेरे वर्धा पहोंचते वही आ जायगा। उसके तर्फ से पत्र मिलते रहते होगे। तुमने जो खत उसके बारेमे लिखा था बहूत अच्छा था।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

वर्धा ३० तारीखको पहोचनेकी संभावना है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १०९ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६०. पत्र : हीरालाल शर्माको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारे बारेमे चिंता रहती है। सुरेन्द्र वहां नही होगा ऐसा सुनकर चिंतामे वृद्धि हुई है। ज्यो २ विचार करता हूँ मैं हमारे मे दृष्टिभेद बहुत पाता हूं। लेकिन निराशा किसी प्रकारकी नही है। हम प्रयत्न करते रहे। सुरेन्द्रको बुला लिये होगे।

तुमारे पत्रकी प्रतीक्षा करता हूं।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११० के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६१. पत्र : अमतुस्सलामको

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुम्हारा पत्र मिला। हा, सच तो है कि मुझे तुम्हारे बरतावसे दु:ख हुआ है। मैंने जो माना था सो नहीं मिल सकता है। लेकिन उसमे तू क्या कर सकती है? जो तुम्हारेमे है वही तो दे सकती हो, यह समझकर मैं शान्त हो जाता हूँ। तुम्हारी सेहत अच्छी रहती होगी। शर्माके बारेमें तो क्या लिखूं? मेरेसे जो कुछ हो सकेगा सब करूँगा। मंगलको वहाँ पहुँचनेकी उम्मीद तो है।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११) से।

२६२. भाषण : विट्ठलभाई पटेलकी पुण्य-तिथिपर[1]

बम्बई
२२ अक्टूबर, १९३४

विट्ठलभाईके साथ मेरा परिचय जब १९१५ में मैं भारत आया, तब हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जब उनसे पहले-पहल मिला तब मुझे यह मालूम न था कि वे हिन्दू हैं। वे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदिके बीच भेद नही करते थे, यह बात मुझे बादमे मालूम हुई। उनका वेश भी वैसा ही था। उनके दाढ़ी थी और वे तुर्की टोपी तथा जाकट पहनते थे। उनके विषयमे मेरी यह धारणा बहुत दिनोतक रही। बादमें वे १९१७ मे मुझे गोधरामे मिले।[2] वहाँ मैंने उन्हे फकीरके वेशमे देखा। वहाँ मैंने हरिजन-आवासमे एक सभा बुलाई थी। उस समय उसमे मुठ्ठी-भर ही हिन्दू शामिल हुए थे। उनमे विट्ठलभाई भी थे। इसी बीच मुझे मालूम हुआ कि वे हिन्दू है और सरदारके बड़े भाई हैं। उस समय वे धोती, कुर्ता और टोपी पहनकर आये थे। इसलिए मैंने उन्हे पहचाना नही। वे तो खिलखिलाकर हँस पड़े।

१. यह सभा डॉ० मु० अ० अंसारीकी अध्यक्षतामें आजाद मैदानमें हुई थी।

२. देखिए खण्ड १४, पृ० ७२।

उसके बाद हमारा परिचय दिन-दिन बढ़ता गया। मैं देख सका कि वे हिन्दुस्तानके जागरूक सेवक हैं और यह कि उनके लिए पैसेकी कोई कीमत नहीं है। वे शौकके लिए पैसे नहीं इकट्ठे करते। बम्बईकी विधान-सभामें उन्होंने जिस जागरूकताका परिचय दिया, उसके बारेमें मैं सुना करता था। उसके बाद कांग्रेसमें भी मैंने उनकी कारगुजारी देखी और देखा कि विट्ठलभाईके साथ लड़ना आसान नहीं है। विट्ठलभाई कभी-कभी मेरा विरोध भी करते थे, लेकिन उनका यह विरोध मधुर होता था, उसमें कभी तिक्तता नहीं होती थी। इस तरह हमारी गाड़ी चलती रही।

विट्ठलभाई योद्धा थे। केन्द्रीय विधान-सभामें वे कैसे लड़ा करते थे, सो अध्यक्ष महोदयने आपको बताया ही है। केन्द्रीय विधान-सभासे उन्हें अध्यक्ष-पद के लिए जो वेतन मिलता था, उसमें से अपनी जरूरत-भरका पैसा रखकर शेष पैसा वे मुझे भेज देते थे। वे ४०,००० रुपये मेरे पास अभी वैसेके-वैसे ही पड़े हैं। उनका उपयोग मैं नहीं कर सका। बादमें तो कठिन संघर्ष चला। मैं उनके विचार जानता था। यह रकम मेरे पास सुरक्षित पड़ी है। विट्ठलभाईकी दानशीलतासे मैं अवगत था। आज सवेरे 'क्रॉनिकल' में मैंने पढ़ा कि उनके पास १२ लाखकी सम्पत्ति थी। उसमें से मृत्युके समय उन्होंने एक लाख रुपये दानमें दिये। मुझे लगा कि जिस विट्ठलभाईके पास १२ लाख रुपये थे, वह हमारे परिचित विट्ठलभाई नहीं हो सकते। उन्होंने यदि यह रुपया वल्लभभाईको दिया हो तो वल्लभभाईकी जेबमें तो मेरा हाथ जा सकता है। लेकिन विट्ठलभाई तो बुद्धिमान थे। इसलिए मुझे लगा कि यह 'क्रॉनिकल' की भूल होनी चाहिए। विट्ठलभाई १२ लाख रख गये हों और उसमें से केवल १ लाख रुपया दान देकर बाकी ११ लाख सगे-सम्बन्धियोंको दे गये हों, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इससे मुझे लगा कि कम्पोजिटरकी भूल होनी चाहिए। यदि 'क्रॉनिकल' की बात सच हो तो विट्ठलभाईने चोरी की होगी। तब तो विट्ठलभाईको सट्टेबाज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो केवल स्वराज्यका ही सट्टा किया था।

आज हम उनका स्मरण करनेके लिए उनकी पुण्य-तिथिपर इकट्ठे हुए हैं। और आज ही गाड़ीमें यहाँ आते समय मैंने सुना कि उनके स्मारकके लिए नियुक्त समितिके अध्यक्ष भूलाभाई हैं। उनके गुणोंको सुनकर आप चले जायें, यह काफी नहीं है। आप लोग निश्चय करें कि आपको जो मिलता हो, उसमेंसे आप विट्ठलभाई-स्मारकके लिए देंगे तो यह कहा जा सकेगा कि हमपर विट्ठलभाईका जो ऋण है, उसे चुकानेमें आपने कुछ अंशदान दिया है। विट्ठलभाईकी तीव्र बुद्धि और होशियारीकी मेरे पास अनेक स्मृतियाँ हैं, लेकिन वे सब कहने-सुनानेका इस समय मेरे पास समय नहीं है। उनका त्याग और उनकी सेवा किस प्रकारकी थी, और उनके देशप्रेमके दृष्टान्तसे आपको क्या सीखना चाहिए, यह सब मैंने आपको संक्षेपमें बताया है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २८-१०-१९३४

२६३. भाषण : अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें[1]

२३ अक्टूबर, १९३४

अपने वक्तव्यके दौरान महात्मा गांधीने कहा कि मुझे आशा है कि विषय-समितिके सदस्य इस बातपर मुझसे सहमत होंगे कि आजकी परिस्थितियोंको देखते हुए मेरा कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करना जरूरी है। मैं कांग्रेससे बाहर रहकर भी निःसन्देह कांग्रेसके लिए काम करूँगा और उसकी मदद करूँगा। मैं अपने इस निश्चय पर बहुत सोच-विचार करनेके बाद पहुँचा हूँ और इसे बदला नहीं जा सकता। जिन कारणोंसे मैंने कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका निश्चय किया है, उनके बारेमें मैं जनताको पहले ही बता चुका हूँ।[2] मैंने महसूस किया है कि मैं कांग्रेसके स्वाभाविक विकासमें एक बोझ, एक बाधा बन रहा हूँ। मेरा यह अनुभव रहा है कि पिछले कुछ वर्षोंसे कांग्रेसजन मेरे आदेशोंका पालन और उनका अनुकरण करने लगे हैं और मैंने जब भी, जो-कुछ कहा है, उसमें विश्वास न रखते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकार किया है। और मैं महसूस करता हूँ कि इन हालातमें मेरा कांग्रेसमें बना रहना न तो कांग्रेसके हितमें होगा और न देशके हितमें होगा। मैंने एक लम्बे समयतक कांग्रेसकी बागडोर संभाली है और जहाँतक ले जा सकता था, वहाँतक उसे आगे ले गया हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं उसका मार्ग-दर्शन नहीं कर सकता। महात्मा गांधीने आगे कहा कि अबतक कांग्रेसने जितनी प्रगति की है उसमें कांग्रेसियोंने मेरे साथ सहयोग नहीं किया, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन मेरे विचारसे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं और उनसे कांग्रेसको बल मिलेगा।

गांधीजीने कहा कि मैं कांग्रेसमें विद्यमान किसी बुराईके विरोध-स्वरूप कांग्रेससे अलग नहीं हो रहा हूँ। मैं तो इसलिए अलग हो रहा हूँ जिससे कि कांग्रेसी स्वयं सोच-विचार कर सकें और उसके अनुरूप कार्य कर सकें। आजतक उनका आचरण एक ही बिन्दुके इर्द-गिर्द घूमनेवाले अन्धे मनुष्योंका-सा रहा है। मेरा कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेका मतलब यह नहीं कि मेरी मददकी जरूरत होनेपर भी मैं कांग्रेसमें वापस नहीं आऊँगा। मैं किसी बुरे इरादेसे कांग्रेससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरा इरादा कांग्रेसको किसी किस्मका नुकसान पहुँचानेका नहीं है और न ही मैं कांग्रेससे बाहर कोई दूसरा शक्तिशाली दल बनानेवाला हूँ। इसके बाद बोलते हुए गांधीजीने

१. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अवसरपर हुई विषय-समितिकी बैठकमें गांधीजीने अपना यह भाषण हिन्दीमें दिया था। अधिवेशनकी अध्यक्षता डॉ० राजेन्द्रप्रसादने की थी।

२. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", १७-९-१९३४ और १५-१०-१९३४।

कहा कि यदि मैं अपने पैंसठवें वर्षमें कांग्रेससे बाहर जाकर एक नया दल बनाता हूँ तो इससे भला मेरा क्या उद्देश्य सिद्ध होगा, तथा आजतक मुझे कांग्रेसियोंने जो सहायता और सहयोग दिया है, बाहरके लोग मुझे उससे अधिक और क्या सहायता और सहयोग दे सकते हैं।

अपने भाषणको जारी रखते हुए गांधीजीने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि विषय-समितिके सदस्य मुझे कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेकी इजाजत देंगे। हालाँकि मैंने कांग्रेससे अवकाश लेनेका निर्णय कर लिया है, फिर भी इस बारेमें विषय-समितिके सदस्योसे सलाह-मशविरा करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। सम्भव है, कुछ लोग कहें कि मेरे इस अवकाश लेनेके विषयपर और संशोधनोके सम्बन्धमें वे पहले ही समाचारपत्रोंमें अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे कांग्रेसियोंसे विचार-विमर्श करना चाहिए।

कार्य-समितिके सदस्योंने इस प्रश्नपर मुझसे बातचीत की थी। उनमें से कुछ सदस्योंका विचार था कि मेरे कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेसे राष्ट्रके हितको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा, जबकि अन्य सदस्य मेरे साथ इस बातपर सहमत थे कि मुझे अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए और इससे देशको, कांग्रेसको और स्वयं मुझे मदद मिलेगी। इससे कांग्रेसको सारी चीजें साफ-साफ देख सकनेमें मदद मिलेगी।

मैंने अपने मूल वक्तव्यमें कांग्रेस-संविधानमें तीन संशोधनोका सुझाव दिया था। पहला संशोधन कांग्रेसके सिद्धान्तके बारेमें था और यह कई लोगोको अमान्य था। लेकिन लोग ऐसा मानकर न चले कि यदि कांग्रेस इन तीनो संशोधनोको, जो कार्य-समितिके कुछ सदस्यो द्वारा पेश किये जानेवाले हैं, स्वीकार कर लेती है तो मैं कांग्रेससे बाहर नहीं जाऊँगा। मैं बहुत सोच-विचार करनेके बाद इस निश्चयपर पहुँचा हूँ और मैं इसपर दृढ़ रहूँगा। विषय-समिति चाहे तो एक संशोधनको अथवा तीनो संशोधनोंको स्वीकार कर सकती है अथवा तीनोको ठुकरा सकती है, लेकिन इससे मेरे निश्चयमें कोई परिवर्तन नहीं होनेवाला है। क्योकि यदि सभी संशोधन पास हो जाते हैं तो भी अन्य कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण मुझे अवकाश ग्रहण करनेके अपने इस निश्चयपर पहुँचना पड़ा है।

हाँ, यदि कोई चमत्कार हो जाये अथवा आप लोग मुझे इस बातका यकीन दिला सकें कि देशके हितको देखते हुए मेरा कांग्रेसमें रहना जरूरी है तो मैं सम्भवतः किसी दिन आपके पास वापस आ सकता हूँ।

इस स्थानपर श्रीमती सरोजिनी नायडूने सुझाव दिया कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते, उनकी खातिर गांधीजी अपने भाषणका सार अंग्रेजीमें बता दें। मद्रास और बंगालके कई सदस्योंने इस बातका समर्थन किया। इसपर महात्मा गांधीने कहा कि

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिनको हिन्दुस्तानी नहीं आती।[1]

[गांधीजी]. यह अनुरोध ही एक ठोस कारण है कि मुझे कांग्रेसको क्यों छोड़ देना चाहिए। (हँसी)

जिस सदस्यको लेकर उपर्युक्त बात कही गई थी उसने बिना घबराये कहा, "हम चाहते हैं कि आप कांग्रेसमें बने रहें जिससे कि हम हिन्दी सीख सकें।" उत्तरमें गांधीजीने कहा:

यदि आप पिछले पन्द्रह वर्षोंमें भी हिन्दी नहीं सीख पाये हैं तो इससे मैं एक बेकार शिक्षक साबित होता हूँ और अब समय आ गया है कि आप अपने शिक्षकको बदल डालें। (हँसी)

इसके पश्चात् अंग्रेजीमें बोलते हुए गांधीजीने कहा:

मैंने हिन्दीमें जो कहा वह यह है कि यदि मैं कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि यदि सम्भव हो तो इसमें मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैं तैशमें आकर नहीं कर रहा हूँ और कांग्रेससे बाहर जानेकी मेरी तीव्र इच्छा इसलिए है ताकि कांग्रेस फूले-फले तथा वह अपनी पूरे और स्वाभाविक विकासकी चरम सीमाको प्राप्त करे। इस समय किसी-न-किसी प्रकारसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी उपस्थितिसे कांग्रेस दब-सी रही है, और यह भी कि कांग्रेस अपने विचारोंको स्वाभाविक रूपसे अभिव्यक्त नहीं कर रही है। अतएव यह एक कृत्रिम संस्था बन गई है। किसी भी संस्था अथवा राष्ट्रके लिए इससे बढ़कर नुकसानदेह चीज और कोई नहीं हो सकती कि वह अपना दमन होने दे, फिर चाहे ऐसा वह प्रेमकी खातिर ही क्यों न करे? तब यह प्रेम, प्रेम नहीं रह जाता और अगर यह प्रेम है भी तो यह दमनकारी प्रेम है। इसलिए प्रेमकी इस अतिशयताको निकाल बाहर करना चाहिए।

मेरी स्थितिको ही लें। मुझे कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करना चाहिए, यह बात मैं पिछले कई दिनोंसे नहीं बल्कि पिछले कई महीनोंसे अनुभव कर रहा था। कुछ हलकोंमें यह जो बात कही जाती है कि मेरे अवकाश ग्रहण करनेकी तीव्र इच्छाके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गये पत्रोंका हाथ है, मैं चाहता हूँ कि आप इस विचारको अपने मनसे निकाल दें। इन पत्रोंके कारण मैंने अपना यह निर्णय शायद जल्दी भले ही किया हो, लेकिन मेरे निर्णयमें उन पत्रोंकी इससे ज्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैंने अपनी इस भावनाको बंगालमें अपने मित्रोंके सम्मुख व्यक्त किया था। मैंने डॉ० राय और अन्य लोगोंको रेलवे स्टेशनपर बताया था कि यदि हम लोग कृत्रिमतासे, भ्रष्टाचारसे और आपसमें झगड़नेकी तीव्र इच्छासे छुटकारा नहीं पा सकते और यदि हम इन चीजोंसे अपने-आपको मुक्त नहीं कर पाते तो मुझे कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि मैंने इस आशयके

१. इसके आगेका अंश हिन्दू से लिया गया है।

विचार बगालसे पहले अन्यत्र भी व्यक्त किये है। यह विचार मेरे मनमे दिन-प्रतिदिन जोर पकडता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब मै उसे रोक नही सका। यह है मेरे काग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके निर्णयका इतिहास।

काग्रेसके कार्यको छोड देनेकी अथवा कर्मक्षेत्रसे भाग खड़े होनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नही है। मै काग्रेसका त्याग उसे उस बोझसे मुक्त करनेके लिए कर रहा हूँ जिसके नीचे वह दबी जा रही थी, और इसलिए भी कि काग्रेस अपना विकास कर सके और मै स्वय अपना विकास कर सकूँ। आखिरकार, मै आपसे यह बात नही छिपा सकता कि मै अहिंसाकी शक्ति का — मन, वचन, और कर्मसे अहिंसा, शुद्ध अहिंसाका — विकास करनेके लिए काग्रेसको छोड रहा हूँ। मैने 'सविनय अवज्ञा' शब्द दूसरोसे लिया, लेकिन उसके अर्थका विस्तार मैने 'सविनय प्रतिरोध' कहकर किया। मुझे तनिक भी सन्देह नही कि हम सविनय प्रतिरोधके बिना पूर्ण स्वराज्य नही प्राप्त कर सकते। जबतक मुझे इस बातका यकीन नही हो जाता कि सविनय प्रतिरोधकी यह भावना न केवल मुझ जैसे इक्का-दुक्का व्यक्तियोमे, अथवा हम जैसे हजार लोगोमे, बल्कि यह भावना सारे समाजमे व्याप्त है तबतक हम सविनय प्रतिरोध-आन्दोलन नही छेड सकते।

श्री गांधीने आगे कहा कि मनुष्य स्वभावसे ही अहिंसा-प्रेमी होता है और मेरे अनुसन्धानों और प्रयोगोंसे इस तथ्यकी पुष्टि हुई है।

मुझे स्पष्ट रूपसे आपके सामने यह स्वीकार करना होगा कि मै किन्ही लोगो को स्वतन्त्रता प्रदान करनेके तथाकथित सवैधानिक साधनोमे विश्वास नही करता। मै ऐसी किसी भी ऐतिहासिक घटनाके बारेमे नही जानता जिसमे शुद्ध सवैधानिक आन्दोलन द्वारा — जैसाकि उसके बारेमे हमे बताया गया है और जिस रूपमे उसका वर्णन हमे किताबोमे पढनेको मिलता है — किसी राष्ट्रने स्वाधीनता प्राप्त की हो। मै सब राष्ट्रोका इतिहास जाननेका दावा नही कर सकता। मुझमे इतिहास-बोध भी नही है। लेकिन मै जितना-कुछ जानता हूँ उसपर से मै कह सकता हूँ कि किसी भी राष्ट्रने खोई हुई स्वतन्त्रता कभी भी सवैधानिक आन्दोलन द्वारा प्राप्त नही की है। यह सर्वथा असम्भव है। यह कोई उपहार नही है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको अथवा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिको दे सकता हो।

श्री गांधीने कहा कि [कांग्रेस-संविधानमें] मन, वचन और कर्मसे अहिंसाकी जो बात कही गई वह मात्र संयोग नहीं है, बल्कि अहमदाबादमें हुए कांग्रेस-अधिवेशनमें[1] लम्बी-चौड़ी बहसके बाद, जिसकी शुरुआत हसरत मोहानीने की थी, इसे स्वीकार किया गया था। श्री गांधीने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा:

मैने सविनय प्रतिरोधको चरखे और अपने अन्य कार्योके साथ जोड दिया। मै इन सबको एक मानता हूँ। मैने कहा है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता आवश्यक है; राजनीतिज्ञ लोग जैसे-तैसे समझौता करके एकताका जो दिखावा करते है वैसी एकता नही, बल्कि एक वास्तविक और जीवन्त एकता आवश्यक है।

१. दिसम्बर, १९२१ में, देखिए खण्ड २२, पृ० १०२-३ तथा ११३-५।

श्री गांधीने कहा कि जैसे डूबते हुए मनुष्यको तिनकेका सहारा होता है वैसे ही मैं भी पहले सविनय अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए सहमत हो गया था। उन्होंने कहा :

मैंने सोचा कि यदि आन्दोलन गलत साबित हुआ तो मैं आप लोगोकी नाराजगीका खतरा उठाकर भी उसे वापस ले लूंगा। मै तो केवल प्रयोग करनेकी खातिर इन सब कार्योमे घुस पडा, लेकिन यदि हमे प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध करके दिखाना है तो हमें स्वीकार करना होगा कि हमारा सविनय प्रतिरोध मन, वचन और कर्मसे अहिंसक नही था। सविनय अवज्ञा-आन्दोलन तबतक शुरू नही किया जा सकता जबतक उसके लिए अनुकूल वातावरण न हो। और यदि मैं कांग्रेसमें बना रहता हूँ तो ऐसा करके मैं अपनेको आपके ऊपर थोप रहा होऊँगा। आप कह सकते हैं कि मैं अपनेको आपपर नही थोप रहा हूँ, लेकिन मेरा खयाल है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि मैं कांग्रेससे अवकाश ले लूं। लेकिन यदि आप यह सिद्ध कर दिखाते हैं कि आप अहिंसक हैं तब चाहे मैं हिमालयके शिखरपर होऊँ अथवा भूमिके गर्भमे पैठ गया होऊँ, मै आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊँगा और आपको आपके गन्तव्य की ओर ले जाऊँगा, और तब हम बिना किसी विघ्न-बाधाके आगे बढते जायेंगे। यदि हम मन, वचन और कर्मसे अहिंसक होते तो अध्यादेशके जरिये शासन चलाना असम्भव हो गया होता।

चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण, इन तीन बुनियादी सिद्धान्तोके सम्बन्धमे मैं अपने विचार नही बदल सकता, इन सिद्धान्तोके बिना न तो आप अहिंसाके सिद्धान्तको समझ सकते हैं और न कांग्रेसको लोभ और स्वार्थसे मुक्त ही कर सकते है। ये आधारभूत तथ्य जो हमारे धर्मके अग हैं, हमारे लिए सहज होने चाहिए। मुझसे कहा जा सकता है कि मैं मानव-स्वभावसे बहुत अधिककी अपेक्षा करता हूँ। ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि इस सस्थामे बने रहना यदि मै सम्भव पाता हूँ, तो यह भी गलत है।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने मुझसे कहा कि हजारीबागमे ही वे इस निश्चय पर पहुँच गये थे कि मुझे कांग्रेससे अवकाश ले लेना चाहिए और मेरे साथ उन्हें [अर्थात् अब्दुल गफ्फार खाँको] भी। मैंने उनसे कहा कि "यदि आप एक सिपाही हैं तो आपको अपने पदपर बने रहना चाहिए और इसके बावजूद कि एक ऐसे प्रदेश के रहनेवाले है जहाँ के लोग हिंसाके वातावरणमे ही पले हैं, आपको देशको उस बिन्दुतक ले जानेकी कोशिश करनी चाहिए जिस बिन्दुतक आप खुद पहुँच चुके है।" इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने आशीर्वादके साथ कांग्रेससे जाने दें और मुझसे इस तरहकी अपील न करे कि "यदि आप [कांग्रेसमें] बने रहेगे तो हम यह करेगे या वह करेंगे"। मै नही चाहता कि आप मुझे सौदेके रूपमें कुछ दें। मैं सौदेकी भावनासे नही आया हूँ। मैं कार्य-समितिसे संघर्ष करता रहा हूँ जिसके अधिकाश सदस्य इस पक्षमें हैं कि मुझे आशीर्वादके साथ कांग्रेससे बाहर जाने दिया जाये। कार्य-समितिमें ऐसा तगड़ा अल्पमत भी है जो यह जिद कर रहा

है कि मुझे काग्रेससे नही जाना चाहिए, हालाँकि वे लोग भी इस निश्चयपर पहुँच गये हैं कि उनके तर्कोको सुननेके बाद भी यदि मुझे लगे कि मैं अपने निश्चयको नही बदल सकता तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। मुझे मात्र बलसे, यहाँतक कि प्रेम-बलसे भी नही रोका जाना चाहिए। मेरी बुद्धि और मेरा विश्वास मुझसे जो करनेको कहे, मुझे वही करना होगा।

दूसरी बात तीन महत्त्वपूर्ण सशोधनोके सम्बन्धमे है। कार्य-समितिके सदस्य उन तीनो सशोधनोकी आवश्यकताके बारेमे इस हदतक कायल हो गये है कि थोड़ी ही देरमे वे उन्हे आपके सम्मुख रखनेवाले है, बावजूद इसके कि आपका आशीर्वाद मिलनेके तुरन्त बाद मैं अधिवेशनके अन्तमे काग्रेससे अवकाश ले लूँगा।

इसके बाद श्री गांधीने सदस्योसे प्रश्न पूछनेके लिए कहा।[1]

महात्माजीने सदस्योसे कहा कि वे किसी प्रकारके भाषण न दें। उन्होने कहा कि मैं आपको अपने विचार व्यक्त करनेके लिए केवल २० मिनट दूँगा।

आप मुझे २० मिनटके लिए तानाशाह बनने दे। (हँसी)

एक प्रश्नके उत्तरमें महात्माजीने कहा कि कोलम्बसकी तरह मैं भी एक ऐसे साधनकी खोजमें कांग्रेससे बाहर जाऊँगा जिसके द्वारा मैं आपको अहिंसक सविनय प्रतिरोधके महत्त्वके बारेमें यकीन दिला सकूँगा तथा अन्य खोजकर्त्ताओंकी तरह अपनी खोजको लेकर विजयपूर्वक आपके पास वापस चला आऊँगा।[2]

श्री श्रीप्रकाशने कहा कि आपने कहा है कि आपके इस निर्णयके लिए कांग्रेसमें होनेवाले झगड़े और कलह जिम्मेदार हैं।

श्री गाधी: नही, मैंने तो यह कहा है कि मैं काग्रेसके लिए बोझ बन गया हूँ।

श्री श्रीप्रकाशने गांधीजीसे अपील की कि आप कांग्रेस-संगठनको सुव्यवस्थित बनानेमें हमारी मदद करें।[3]

श्री श्रीप्रकाशने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया वैसे ही एक घंटेका समय भी खत्म हो गया और पण्डित मालवीय ने सभामें बोलनेकी इच्छा व्यक्त की। गांधीजीने कहा कि यद्यपि समय खत्म हो गया है, तथापि यदि पण्डितजी बोलना चाहें तो दुनियाकी कोई ताकत उन्हे ऐसा करनेसे रोक नहीं सकती।[4]

पण्डित मालवीय ने आवेगपूर्ण शब्दोंमें गांधीजीसे अपील की कि वे ऐसे समयमें कांग्रेसका त्याग न करें, जबकि वह देशकी स्वतन्त्रताकी लड़ाई लड़ रही है। . . . उन्होने कहा कि यदि गांधीजीको कांग्रेसजनोंमें दोष अथवा कमियाँ दिखाई देती हों तो गांधीजीको उन्हे बताना चाहिए और उनकी इन कमजोरियोंको दूर करना चाहिए। लेकिन उन्हे कांग्रेससे अलग होनेका कारण नहीं बनाना चाहिए। १३ अथवा १४

१. इसके बादके तीन अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकल से लिये गये है।
२. इसके बादके तीन अनुच्छेद हिन्दू से लिये गये हैं।
३. इसके बादका अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकल से लिया गया है।
४. इसके बादका अनुच्छेद हिन्दू से लिया गया है।

वर्षोंतक कांग्रेसका नेतृत्व करनेके बाद अब उन्हें उसका त्याग करनेका कोई अधिकार नहीं है। "आप कांग्रेससे बाहर रहकर जो करना चाहते हैं वह आप कांग्रेसमें रहकर भी कर सकते हैं।" इसके बाद आगे बोलते हुए पण्डित मालवीयने कहा, "आप कांग्रेससे जितनी दूर जायेंगे, देशके लिए यह उतने ही दुःखकी बात होगी"। उन्होंने गांधीजीसे अनुरोध किया कि वे जनतासे सत्य और अहिंसाका पालन करानेके मामलेमें वैसी सख्ती न बरतें जैसीकि वह अपने स्वयंके मामलेमें करते हैं। "आपके पास एक पूरा मंत्रिमंडल है। आपके सिपाही लड़ाईमें आपका साथ देनेको तैयार हैं। आप इन सबको इनके हालपर छोड़कर कांग्रेससे बाहर क्यों जाना चाहते हैं? आपके प्रति मेरे मनमें जो प्रेम और आदर है, उस सबकी शक्ति लगाकर मैं आपसे निजी तौरपर अपील करता हूँ कि आप ऐसे समयमें कांग्रेसको छोड़कर न जायें।"[1]

गांधीजीने, भाषणकर्त्ताओं द्वारा उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कहा कि मैं १९१५ से पण्डित मदनमोहन मालवीयको अपने बड़े भाईके समान मानता आया हूँ। यदि मैं पण्डितजीकी इच्छाका पालन कर सकता तो उनकी इच्छाको बड़े भाईका आदेश समझकर उसका पालन करनेमें मुझे निःसन्देह बहुत खुशी होती। लेकिन परिस्थितियोंको देखते हुए कांग्रेससे अलग होनेके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कांग्रेस-संगठनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे मजबूत बनाना चाहता हूँ।

गांधीजीने कहा कि मैं शान्ति पानेके लिए कांग्रेससे बाहर जा रहा हूँ। मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने अन्दर कांग्रेस और देशकी सेवा करनेकी शक्ति पैदा कर सकूँ। उन्होंने कहा:

आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं आपको अपना दृष्टिकोण समझानेकी शक्ति खो बैठा हूँ। मैं असहाय हो गया हूँ। और जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो बैठा हो उसे किसी संस्थाका प्रधान बनाये रखना बेकार है। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसके कारण मैं अपने निश्चयपर पुनर्विचार करूँ। मैं नहीं समझता कि ऐसा करके मैं जल्दबाजीसे काम ले रहा हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, यदि मैं कांग्रेससे बाहर चला भी जाऊँ तब भी मैं कांग्रेसका विनीत सेवक रहूँगा।

श्री गांधीने कहा कि मुझे कांग्रेससे अलग होनेकी इजाजत देकर आपको दोहरा लाभ होगा, क्योंकि इस तरह जब भी आपको जरूरत होगी तब आप मेरी सेवाएँ ले सकेंगे और इसके साथ ही आपको आजकी तरह उनका कोई मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ेगा।[2]

यदि किसी प्रश्नपर मुझसे अपनी राय देनेके लिए कहा जायेगा तो मैं निश्चय ही दूँगा। इस समय तो मेरे कांग्रेस छोड़नेके पीछे मुख्य विचार ही यह है कि मैं कांग्रेसका काम करूँ।

१. इसके बादका अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकल से लिया गया है।

२. अगला अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकल से लिया गया है।

बीचमें रोकते हुए पण्डित मालवीयने कहा कि पर्याप्त पूर्व-सूचना दिये बिना इस तरह महात्मा गांधीका कांग्रेससे अलग होना उचित नहीं है। प्रत्येक सेवकका, चाहे वह वैतनिक हो अथवा अवैतनिक, यह कर्त्तव्य है कि उसे जो काम सौंपा गया है उससे अवकाश लेनेसे पहले उसे पर्याप्त पूर्व-सूचना देनी चाहिए। उन्होंने कहा, "आप १४ वर्षतक कांग्रेसके प्रधान रहे हैं। आप उससे अवकाश ग्रहण करनेमें जल्दबाजी न करे। आप इन लोगोंको (कांग्रेसजनोंको) उनके सामने पुनर्संगठन करनेका जो महान कार्य है उसका उचित बन्दोबस्त करनेका समय दें। उन्हे आप यदि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम चार अथवा छः महीनेका समय अवश्य दें।"

गांधीजी पर जल्दबाजी करनेका जो आरोप लगाया गया, उसका उत्तर देते हुए उन्होने कहा कि मैं एक सिपाही हूँ और अपने कर्त्तव्यको भलीभाँति जानता हूँ। सत्याग्रहीका पहला कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी जगहपर डटा रहे। मैं समझता हूँ कि मैं अपने कर्त्तव्य-स्थलसे हट नहीं रहा हूँ। और अगर कभी मैंने यह महसूस किया कि कांग्रेसका त्याग करनेमें मैंने भूल की है तो मैं बुलावेकी प्रतीक्षा किये बिना वापस चला आऊँगा।

लेकिन वर्त्तमान स्थिति यह है कि मैं पूरी तरहसे असहाय हूँ। मेरा दिमाग काम नही करता। मैं ऐसा मूर्ख सेनापति नही हूँ कि यह महसूस करनेके बावजूद कि मेरे प्रधान-पदपर बने रहनेसे कोई लाभ नही होगा, उस पदपर बना रहूँ।

एक ऐसे व्यक्तिसे, जिसने बारडोलीके बारेमें[1] भारतके गवर्नर-जनरल लॉर्ड रीडिंगको अल्टीमेटम दिया था, रणक्षेत्रसे भाग खडे होनेकी अपेक्षा नही की जा सकती।[2]

उन्होंने कहा कि जबतक कि कोई चमत्कार ही न हो, तबतक मेरे लिए कांग्रेसका नेतृत्व-भार सँभाले रहनेकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर मुझे और कांग्रेसियोको शक्ति प्रदान करेगा जिससे हम जल्दी ही एक दूसरेसे फिर मिल सके।

इसके बाद श्री गांधीने कहा कि जहाँतक मेरे अवकाश लेनेसे कांग्रेस ससदीय बोर्डमें कठिनाइयाँ उठ खड़ी होनेका सवाल है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी।

मुझे पूरा यकीन है कि आगामी चुनावोमें आप एक भी वोट नही खोयेंगे। यदि मुझे इस बातकी आशका होती कि मेरे अवकाश लेनेसे काग्रेसके कामको नुकसान पहुँचेगा तो मैं अवकाश नही लेता। मैं अन्तमें आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझे जानेकी इजाजत दे और मुझे उसी प्रकार सहन करे जिस प्रकार कोई कुटुम्ब खुशी-खुशी अपने किसी असहाय सदस्यको सहन करता है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २४-१०-१९३४, और हिन्दू, २४-१०-१९३४

१. १९२२ में, देखिए खण्ड २२, पृ० ३१७-२०।
२. यह और इससे अगला अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकल से लिये गये हैं।

२६४. पत्र : हीरालाल शर्माको

बम्बई
२४ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा लवा खत पढा दु:ख हुआ और सुख भी हुआ। दु:ख हुआ क्योकी खत तुमारी अशातिका अच्छा प्रदर्शन है। सुख हुआ क्योकि तुमारा हृदयमे मै स्वच्छता पाता हूं। लेकिन मुझे शक है कि तुम अपनेको दवा रहे हो। शक्ति वाहर जाकर काम कर रहे हो यह अच्छा नही लगता है। तुमारा दिल मेरे पास पाता हू। तुमारा दीमाग लडाई कर रहा है। मेरी वुद्धिमत्ता के वारेमे तुमको शक है। मेरे साथीओकी ओर तुम शककी नजरसे देख रहे हो। ऐसी हालतमे मै तुमको कैसे शाति दे सकता हूं। मै यह भी महसूस करता हू कि द्रौपदीका वियोग तुमारे लिये दु:खद है। अगर तुमारे खुर्जा जानेकी कोई जरूरत है तो अवश्य जाओ। नरहरि भाईसे पैसे लेना। अगर नहि जाना हो तो वही रहो। सुरेद्रकी प्रतीक्षा करो। उसको मिलनेके बाद आ जाओ।

किसी हालतमे शात रहो।

मुझे दूसरा खत लिखो। यहा सोमवार तक तो हू।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११०-१ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

२६५. भाषण : अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें[1]

२४ अक्टूबर, १९३४

चूंकि आज सारे देशमे काग्रेसियोकी मददसे और उनकी मददके बिना भी स्वदेशीका काम आगे बढानेका दावा करनेवाले अनेक सगठन उठ खडे हुए है इसलिए, और चूंकि स्वदेशीके स्वरूप को लेकर जनताके मनमे अनेक शकाएँ उठ खडी हुई है इसलिए, और चूंकि काग्रेसका उद्देश्य, उसके स्थापनाके समयसे ही, आम वर्गके साथ आत्मीयता बढानेका रहा है और चूंकि ग्राम-पुनर्गठन तथा नवनिर्माण काग्रेसके रचनात्मक

१. अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्रप्रसादके अनुरोधपर गांधीजीने समितिके सम्मुख अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके बारेमें प्रस्ताव पेश किया था।

कार्यक्रमका एक अंग है, और चूंकि ऐसे नवनिर्माणमें मुख्य उद्योग हाथ-कताईके अतिरिक्त नष्ट अथवा नष्टप्राय ग्रामोद्योगोको पुनरुज्जीवित करने और उन्हे उत्तेजन प्रदान करनेकी बात भी शामिल है तथा चूंकि हाथ-कताईके पुनर्गठनकी तरह यह काम भी तभी किया जा सकता है जब वह कांग्रेसकी राजनैतिक प्रवृत्तियोसे अलिप्त और स्वतन्त्र रहे और उसके लिए एकाग्रतापूर्वक विशेष प्रयत्न किया जाये, इसलिए इस प्रस्तावके द्वारा श्री जे० सी० कुमारप्पाको कांग्रेसकी प्रवृत्तियोके एक अंगके रूपमे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग नामक एक सघकी स्थापना करनेकी सत्ता दी जाती है। श्री कुमारप्पा अपना यह कार्य गाधीजीकी सलाहसे और उनकी देखरेखमे करेंगे।[1]

यह सघ उपरिलिखित उद्योगोके पुनरुद्धार और उन्हे उत्तेजन प्रदान करनेके लिए तथा गाँवोकी नैतिक और भौतिक प्रगतिके लिए प्रयास करेगा तथा उसे अपना संविधान गढनेकी, चन्दा इकट्ठा करनेकी, तथा अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जो भी करना जरूरी हो वह सब करनेकी सत्ता होगी।

समितिकी बैठकमें प्रस्ताव पर बोलते हुए गांधीजीने कहा :[2]

इस वर्ष जब मैं हरिजन-यात्रा कर रहा था उस समय अनेक लोगोने मेरे पास आकर अपनी मुसीबतोका वर्णन किया। इस यात्रामे मैंने जितना भ्रमण किया उतना कभी नही किया, और उत्कलमें तो मैंने पद-यात्रा की थी, इसलिए असाधारण अनुभव मिला। हमारे सात लाख गाँवोमे बेकारीका पार नही है, लोग खेतीपर जीते है, लाखो लोगोको खेतीमे नुकसान होता है और आज जो स्थिति है उसके बारेमे तो कहा ही क्या जाये? आज तो किसान जितना बोते है उतना भी पैदा नही करते। आज हमारे यहाँ जैसी गरीबी है वैसी अन्यत्र कही नही है। लोगोने जो लाखो रुपयेका सोना निकाल डाला है उसका एक कारण यह भी है। इसके राजनैतिक कारण तो हैं ही, लेकिन लोगोकी लाचारी भी एक कारण था। इस बेकारीमे से ही चरखेकी उत्पत्ति हुई है। हिन्दुस्तानके अलावा ससारमे एक भी ऐसा देश नही है जहाँ लोग केवल खेतीपर ही निर्भर करते है। मधुसूदन दासने कहा है कि गाँववालोको अतिरिक्त धन्धा मिलना ही चाहिए। उन्होने जर्मनी जाकर चमडेका धन्धा सीख लिया था। उनका एक वाक्य मुझे याद रह गया है कि हमेशा बैलोके साथ काम करनेवाले की बुद्धि भी बैल-जैसी होती है। हमारे किसानोके पास ऐसा कोई धन्धा नही रह गया, इसीलिए उनमे जडता आ गई।

एक भाई मुझे सोशलिस्टोका एक समाचारपत्र दे गये थे। उसमे एक सुन्दर लेख है। उसमे लिखा है कि हिन्दुस्तानके लोग पशुवत् हो गये हैं। दस वर्ष पूर्व देशमे अनेक उद्योग थे, लेकिन उसके बदले आज लोग केवल खेतीपर ही निर्भर रहने लगे हैं और इससे बेकारी अनेक गुना बढ गई है। मैंने तो उस लेखसे यह सार निकाला कि इस बेकारीका कोई उपाय होना चाहिए। और वह उपाय क्या हो सकता है, इसका विचार करते हुए मेरे सामने स्वदेशीका शुद्ध स्वरूप उभर आया।

१. देखिए पृ० १९४।

२. इसके बादका अंश गुजरातीके *हरिजनबन्धु* से लिया गया है।

केवल खादी से हम २,२०,००० कातनेवालोको काम देते हैं। हम इन्हे दस वर्षोमे पौन करोड रुपया दे चुके हैं। इस कामकी देखरेखके लिए मध्यमवर्गके १,१०० लोग है, जिन्हे इसमे से रोटी मिलती है। हमने उपर्युक्त रकम इन लोगोकी मार्फत वितरित की है। यह काम ५-६ हजार गाँवोमे चल रहा है और इसमें २० लाखसे ज्यादा पूँजी नही लगी हुई है।

लेकिन इतनेसे ही हिन्दुस्तानकी सारी बेकारी दूर नही हो सकती। मै बढईकी बात करता हूँ। हमारे यहाँके बढई किसी समय अच्छे कारीगर हुआ करते थे। आज उन्हे यह कारीगरी नही आती। आज तो गाँवोके बढई चरखातक भी नही बना सकते। बिहारकी ही बात करूँ— वहाँ खेतोमे रेतके ढेर जम गये है और खेती करना असम्भव हो गया है। वहाँके भूखसे मर रहे लोगोकें लिए मैंने भिक्षान्न न देकर काम करानेके लिए चरखा देना तय किया। लेकिन चरखे कहाँसे लाये जाये? वहाँके बढई तो शायद ही बना पाते।

हमारे देशमे शहरोमे तो केवल तीन करोडकी ही आबादी है। बाकीके बत्तीस करोड तो दस हजारसे कम आबादीवाले गाँवोमे रहते है। उनका हमने कभी खयाल ही नही किया। वे लोग क्या खाते है, क्या पीते है, क्या धन्धा करते है, इसका कुछ विचार न कर हम उनके कन्धोपर चढ बैठे है। मै आपसे इन लोगोके लिए चरखा चलानेके लिए कहता हूँ, लेकिन वह भी आपको अच्छा नही लगता। अभी तो चरखा-सघ इन लोगोको चरखा पहुँचाता है, लेकिन तदुपरान्त जो काम बाकी रह जायेगा सो यह नया संघ करेगा। चरखेके अलावा घर बैठे अन्य जो धन्धे लोग कर सकते है उनकी खोज यह सघ करेगा। और जिन उद्योगोका पुनरुद्धार हो सकता हो उनका पुनरुद्धार करेगा। जो वस्तुएँ बन सकती होगी वे और अधिक अच्छी कैसे बन सकती है, उसके उपाय करेगा और अन्य नई चीजोकी खोज करेगा। इस कार्यके द्वारा वह गरीब लोगोकी जेबमे कुछ अधिक रुपया पहुँचायेगा। चरखेके सम्बन्धमे मुझे जितनी अपेक्षा थी उतनी दिलचस्पी आपने नही दिखाई। विदेशी कपडेके कारण जो साठ करोड रुपया विदेश जाता है उसे चरखे और खादीके द्वारा बचा लेनेकी मेरी जो कल्पना थी, वह फलीभूत न हो सकी।[1]

[श्री गाधीने कहा कि] मेरे सुझावका यह अर्थ नहीं कि आप लोग अपना धन गाँववालोको उपहारमें दे दें। मेरे कहनेका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अन्य चीजोंपर पैसा खर्च करनेकी बजाय आप लोगोको ग्रामीणो द्वारा तैयार की हुई चीजें ही खरीदनी चाहिए। इस तरह आपका पैसा हिन्दुस्तानमें ही रहेगा और गाँव-वालोंमें करोड़ों रुपया बँट जायेगा। आप लोग प्रस्तावके गुण-दोषके आधारपर वोट दें, यह सोचकर नहीं कि प्रस्तावके पक्षमें आपके वोट देनेसे कदाचित् मै कांग्रेससे बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे कांग्रेससे अवकाश लेनेके विषयपर यदि अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति देंगे, तो श्री सिधवाको और क्या कहना है, मै वह सुनना चाहूँगा।

१. आगेके दो अनुच्छेद *हिन्दू* से लिये गये है।

श्री गांधीने आगे बोलते हुए यह बात भी स्पष्ट कर दी कि संघकी स्थापनाका उद्देश्य यह नहीं है कि मैं इसके द्वारा जनतामें राजनैतिक जागृति लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने चरखा-संघके सदस्योंसे कांग्रेसमें शामिल होनेके लिए नहीं कहा है उसी तरह मैं इस कामके दौरान कांग्रेसके नामका जिक्रतक भी नहीं करना चाहता। तथापि, मेरी दृष्टिमें राजनैतिक जागृतिका एक भिन्न अर्थ है। यदि संघ गाँवोंमें उद्योगोंका पुनरुद्धार करनेके कार्यमें और काम करनेके वर्त्तमान तरीकोंमें सुधार करनेमें सफल होता है तो इससे लोगोंमें पर्याप्त राजनीतिक चेतना आ जायेगी।[1]

इस सघका काग्रेसके साथ वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा चरखा-सघका है। चरखा संघको, शकरलाल, जमनालालजी आदि चलाते है, तथापि काग्रेस उसके कामकी जाँच कर सकती है। कुमारप्पा तो काग्रेसके ही व्यक्ति है। वे इस समय बिहारमे हमारे लाखो रुपयोका हिसाब-किताब रखते है। सरकारने हिन्दुस्तानपर जो देयता थोप रखी है उसकी जाँच करनेके लिए काग्रेसने जो समिति नियुक्त की थी, कुमारप्पा उस समितिके मन्त्री थे। कुमारप्पा 'चार्टर्ड एकाउटेट' है। उन्होने भारी त्याग किया है। उनके मनमे पैसेकी कोई लालसा नही है। उन्हे ऐसे कार्योमे दिलचस्पी है। मैंने उनके साथ बातचीत की है और उन्होने मेरी देखरेखमें इस कामको करना मजूर किया है।

मै इस कार्यको राजनीतिक दृष्टिसे नही करना चाहता, बल्कि इसलिए करना चाहता हूँ ताकि गरीब गाँववालोको दो पैसे मिल सके। इसीसे मै इसे राजनीतिसे दूर रखना चाहता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन दो लाख बीस हजार कातनेवालो, बीस हजार पीजनेवालो और बीस हजार बुनकरोको चरखा-सघ काम देता है उनमे से एक भी काग्रेसका सदस्य नही है। काग्रेसके सविधानमे सूत-मताधिकार भी है, इसलिए यदि वे चाहे तो सदस्य बन सकते है, लेकिन हमने इसके लिए प्रयत्न ही नही किया। वे सदस्य न हो तब भी वे कोई हमारी राजनीतिक गतिविधियोसे अपरिचित नही रहनेवाले है। लेकिन उन्हे जानना चाहिए कि हम तो उनके पास सेवार्थ गये है, राजनीतिमे उनका उपयोग कर लेनेके विचारसे उनके पास नही गये है। इस प्रस्तावसे काग्रेसके सिरपर पैसेकी जवाबदेही नही आती, इसमे तो काग्रेसका केवल नाम चाहिए। यह बात यदि आपको पसन्द हो तो आप इस प्रस्तावके पक्षमे अपना मत दे।[2]

प्रस्तावपर चर्चाके दौरान उठाये गये प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि प्रथम संशोधनमें 'नष्ट अथवा नष्टप्राय' शब्दोंको निकाल दिये जानेकी बात कही गई है और दूसरे संशोधनमें कुछ अन्य शब्द रखे जानेकी बात कही गई

१. इसके बादका अंश गुजरातीके हरिजनबन्धु से लिया गया है।

२. खान अब्दुल गफ्फार खां ने प्रस्तावका अनुमोदन किया। इसके बादका अंश बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्टसे लिया गया है।

है।[1] संघका कार्य उन उद्योगोंका पुनरुद्धार करना है जो नष्ट हो चुके हैं। और यह निश्चय करना संघका काम है कि किन उद्योगोंका पुनरुद्धार किया जाना चाहिए, और किन उद्योगोंको नष्ट होने दिया जाना चाहिए। इस प्रस्तावका उद्देश्य ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धारके द्वारा गाँवोंको केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि भौतिक और नैतिक दृष्टिसे भी उनका विकास करना है। इस प्रस्तावको पेश करनेवालोंकासे उद्देश्य गाँववालों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है; वे लोग तो उनकी मदद करना चाहते है।

कांग्रेस किसीकी एजेंट बनकर गाँववालोंके पास नहीं जायेगी। कांग्रेसका मंशा तो यह पता लगाना है कि लोग, यदि वे काम करते हैं तो, अठारह घंटे क्यों काम करते हैं। मेरी इच्छा तो यह है कि किसी व्यक्तिको नौ घंटेसे अधिक काम नहीं करना चाहिए और यह गाँववालोंकी कमानेकी क्षमताको बढ़ाकर किया जा सकता है। इसके लिए मुझे उन लोगोंकी मददकी जरूरत है जो अपेक्षाकृत सम्पन्न हैं और जो गाँववालों द्वारा तैयार किये गये मालको खरीदकर उनके लिए थोड़ा अधिक त्याग कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर वे अठारह घंटे काम करे तो भी वे गुजारे लायक नहीं कमा सकते। यह सब तभी सम्भव है जब मैं तथा संघके अन्य सदस्य गाँववालोंके पास जायेंगे, उनसे मिलेंगे-जुलेंगे और उनका विश्वास प्राप्त करेंगे।

अपने भाषणको जारी रखते हुए गांधीजीने कहा कि मेरी रिपोर्टमें, जो भविष्यमें कांग्रेसके सम्मुख रखी जायेगी, यह बताया जायेगा कि जब मैंने इस कार्यको हाथमें लिया था उस समय ग्रामोद्योगोंकी क्या स्थिति थी और इतने दिनोंमें उनमें कितनी प्रगति हुई है। हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंमें ऐसे कार्यके लिए जरूरी है कि आचार्य कृपालानी और डॉ० रायके जैसे लोग और उनके हिमायती परस्पर मिलकर काम करें।

श्री मजूमदारके संशोधन[2] की चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि मैं यह देखकर किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गया कि श्री टी० प्रकाशम्-जैसे व्यक्तिने संशोधनका समर्थन किया और कहा कि चूँकि कांग्रेसी लोग विधान-सभामें जा रहे हैं, इसलिए यह काम विधान-सभामें रहकर ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है।

गांधीजीने विषय-समितिको आश्वासन दिया कि विधान-सभाके सदस्योंका कर्त्तव्य उनके विधान-सभामें प्रविष्ट होनेपर ही समाप्त नहीं हो जाता। उनसे निश्चय ही उद्योग-संघके लिए भी कार्य करनेकी अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि संगठनका राजनीतिसे कोई ताल्लुक नहीं होगा।[3]

१. डॉ० सान्याल अपने दूसरे संशोधनके द्वारा "उपर्युक्त उद्योग और गाँववालोंके नैतिक और भौतिक विकास" के स्थानपर "ऐसे ग्रामोद्योग जो उचित जाँचके बाद आर्थिक दृष्टिसे प्राणवान दिखाई दें और जिनके द्वारा लोगोंको स्थायी रूपसे आर्थिक सहायता मिल सकती है", ये शब्द रखना चाहते थे।

२. वसन्तकुमार मजूमदार यह चाहते थे कि समिति इस बातका निर्णय करे कि क्या सबकी प्रवृत्तियाँ कांग्रेसके क्षेत्रसे बाहर होनी चाहिए।

३. आगेका अनुच्छेद हिन्दू से लिया गया है।

यह बताते हुए कि वह संगठनको राजनीतिसे मुक्त क्यो रखना चाहते है, गांधीजीने कहा कि यदि मैंने एक ही बारमें दोनो चीजोको करनेकी कोशिश की तो मै दोनोमें से एक भी नहीं कर पाऊँगा।[1]

इस सस्थाको कांग्रेसकी राजनीतिसे दूर रखनेके पीछे एक खास उद्देश्य निहित है। राजनैतिक स्थिति चाहे कैसी भी क्यो न हो, लेकिन यह काम तो चलता ही रहना चाहिए। हम इन लोगोके पास जाते है सो इनकी सेवा करनेके भावसे ही जाते है। इनके कानोमे हम राजनीतिकी बात नही करेगे। हम तो इनके शरीरोको स्वस्थ बनानेके लिए, इन्हे रोग-मुक्त करनेके लिए, गन्दगीसे मुक्ति दिलानेके लिए, उन्हे उद्योग-धन्धेमे लगाकर उनकी बेकारीको दूर करनेके लिए जाते हैं। यदि यही हमारा उद्देश्य है तो इसमे हम राजनीतिको नही घुसा सकते। जिस समय काग्रेसपर प्रतिबन्ध लगाया गया था उस समय भी चरखा-सघपर प्रतिबन्ध नही था और उसका काम चलता रहा। तथापि, यह काग्रेसकी ही संस्था है, लेकिन यह सस्था काग्रेसकी राजनीतिक प्रवृत्तिसे दूर रही है। वैसी ही स्थिति इस नये सघकी भी होगी।

कराचीमे मैंने ऐसी ही बात की थी।[2] उस दिन मेरा विरोध करनेवालोने बादमे मुझसे कहा था कि आपकी बात सच थी। मैंने उस समय अस्पृश्यता-निवारण-समिति और मद्य-निषेध-समितिको काग्रेसकी राजनीतिसे अलग रखनेकी सलाह दी थी। वह सच्ची सलाह थी। एक भाईने कहा कि कुमारप्पा और उनके साथी यह काम करेगे तो फिर काग्रेसियोके लिए क्या काम रह जायेगा? ऐसा तो कुछ भी नही है। इसमे तो हर उस काग्रेसीके लिए अवकाश रहेगा जिसे इसमे आस्था है। आज चरखा-संघमे १,१०० सेवक काम करते हैं, वे सब काग्रेसी ही है।[3]

गांधीजीके कांग्रेससे बाहर इन संगठनोकी स्थापना करनेके विचारको लेकर कुछ हलकोंमें जो शंकाएँ व्यक्त की गई थीं, उनकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि आपको यह बात नही भूलनी चाहिए कि यदि कांग्रेसी लोग स्वयं इस पूरी योजनाको कार्यरूपमें परिणत नहीं करते तो एक महात्मा और एक अर्थशास्त्री[4], दोनों मिलकर भी इस दिशामें बहुत कम काम कर पायेंगे। हालाँकि बाहरी सहायता भी ली जायेगी, तथापि मुख्य सहायता तो कांग्रेसके अनुभवी कार्यकर्त्ताओंसे ही ली जायेगी।[5]

भाई गोविन्द सहायने कहा है कि मै पुराने युगकी बात करता हूँ। मै मशीनका कट्टर दुश्मन हूँ। मेरे लेखोको उन्होने विकृत दृष्टिकोणसे पढा है।[6] मेरे सामने यह

१. उसके बादका अंश *हरिजनबन्धु* से लिया गया है।
२. मार्च १९३१ में।
३. इससे अगला अनुच्छेद *बॉम्बे क्रॉनिकल* से लिया गया है।
४. अर्थात् श्री जे० सी० कुमारप्पा।
५. अगला अनुच्छेद गुजराती *हरिजनबन्धु* से लिया गया है।
६ गोविन्द सहायका कहना था कि भारतकी आम जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब उसे यह बताया और समझाया जाये कि उसका शोषण किन कारणोंसे किया जाता है। उन्होंने अनुरोध किया कि गांधीजी अपने तरीके और अपना कार्यक्रम बदल दें।

जो चरखा है क्या वह यन्त्र नही है? हमें यन्त्रोकी तो जरूरत है। लेकिन हमें इनका गुलाम नही बनना चाहिए, बल्कि उन्हे हमारा गुलाम होना चाहिए। 'हमारा' अर्थात् गरीबोका, धनिकोका नही। अमीरोसे पैसेकी मदद मै गरीबोके लिए लेता हूँ। लेकिन यदि कोई मिल-मालिक अथवा कोई लोहेके कारखानेका मालिक मुझे पाँच हजार रुपया देता है तो भी क्या मै उनकी मदद करनेवाला हूँ? जो पैसा दे वह यह समझकर दे कि हमने गरीबोसे बहुत धन लिया है, इसलिए हमे थोडा उनके लाभके लिए भी देना चाहिए। इस तरह मैं तो धनवानोको लूटता हूँ। कुछ लोगोका कहना है कि मै तो अमीरोका दलाल हूँ। मै तो मजदूर हूँ। मैंने मजदूरोके साथ मजदूरी की है। मै उनके साथ रहा हूँ। मैंने उनके साथ खाया-पिया है। मै मजदूरोका प्रतिनिधि होनेका दावा करता हूँ, और उनके लिए धनवानोसे सहायता लेता हूँ। मै ३५ करोड़ लोगोको यन्त्रोका गुलाम नही बनाना चाहता। मै इसमे समाजवाद नही देखता। समाजवादका मै तो यह अर्थ करता हूँ कि लोग स्वावलम्बी बनें। ऐसा होनेपर ही उनका लूटा जाना बन्द हो सकेगा। मै तो मजदूरोको यह समझा रहा हूँ कि यदि पूंजीपतिके पास सोना-चाँदी है तो उनके पास हाथ-पाँव है और ये भी पूंजी ही है। पूंजीपतिका काम मजदूरके बिना चलनेवाला नही है। कोई यह न समझे कि इस सघके द्वारा हम पूंजीपतियोका काम करेंगे और मजदूरोको गुलाम बनायेंगे। उसके विपरीत, इस सघके द्वारा हम तो उन्हे इस गुलामीसे बाहर निकालना चाहते है, उन्हे स्वावलम्बी बनाना चाहते है। उसमे गुलाम बनानेकी बात कैसे हो सकती है? इस समूची योजनापर मैंने बहुत अच्छी तरह विचार किया है, और उसके बाद ही आपके सामने रखा है। ग्रामोद्योगोका पुनरुद्धार करनेका यही एकमात्र तरीका है और इसमे मै आपकी मदद माँगता हूँ।[1]

[गांधीजीने कहा कि] सरकारकी आर्थिक नीति चाहे जो हो, लेकिन ग्रामोद्योगोंका विकास करके गाँववालोंको आर्थिक रूपसे स्वतन्त्र होनेसे कोई नहीं रोक सकता। मथुराप्रसादकी तरह अन्य कई कांग्रेसी यह पूछ रहे हैं कि चुनाव हो जानेपर उन्हें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय चरखा संघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ है जिनमें डॉ० सान्याल और श्री मुथे दोनों काम कर सकते हैं।[2]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-१०-१९३४; बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-१०-१९३४, और हरिजनबन्धु, २८-१०-१९३४

१. इसके बादका अनुच्छेद बॉम्बे क्रॉनिकलसे लिया गया है।

२. सब संशोधन अस्वीकृत हो गये और प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया।

२६६. कुटा हुआ चावल बनाम बिना कुटा चावल

शत-प्रतिशत स्वदेशीके बारेमे लिखे अपने लेखमे[1] मैंने दिखाया है कि लाखो भूखे लोगोको आर्थिक रूपसे और आरोग्यकी दृष्टिसे लाभ पहुँचाने लिए इसके कुछ पहलुओको तुरन्त ही कैसे सुलझाया जा सकता है। और अमीरसे-अमीर लोग भी इस लाभके साझीदार हो सकते हैं। इस तरह यदि गाँवोमें पुराने ढगसे धान कूटा जा सकता हो तो चावल कूटनेवाली बहनोकी आँचल पैसोसे भर जाये, और चावल खानेवाले लाखो लोगोको मिलके पालिश किये हुए चावलसे मिलनेवाले निरे स्टार्चके वजाय विना कुटे चावलोसे पौष्टिक आहार मिलेगा। मानव स्वभावसे वहुत लोभी है और एक बार इस लोभमे फँस जानेपर वह असख्य लोगोके स्वास्थ्य अथवा धनकी परवाह नही करता। धानका उत्पादन करनेवाले सभी क्षेत्रोमे आज जो हमे धानकी घिनौनी मिले दिखाई देती है उनके लिए मनुष्यका यही लोभी स्वभाव जिम्मेदार है। यदि लोकमत प्रबल हो तो सामान्य जन बिना कुटा हुआ चावल खानेका आग्रह करेगे और धानकी मिलोके मालिकोसे अपील करेगे कि वे इस तरहके व्यापारको बन्द कर दे जिससे समस्त राष्ट्रके स्वास्थ्यपर बुरा असर पडता है और गरीवोको ईमानदारीके साथ अपनी आजीविकाके साधनसे वचित होना पड़ता है, और प्रबल लोकमत धानकी इन मिलोको बन्द करवा सकता है।

लेकिन आहारके गुणोके प्रश्नको लेकर मुझ-जैसे आम आदमीके प्रमाणको कौन मानेगा? इसलिए इस प्रश्नपर मैंने अपने एक डॉक्टर (चिकित्सक) मित्रसे सहायताका अनुरोध किया था और उन्होने मुझे श्री कोलम और साइमण्ड्स द्वारा लिखित 'द न्यूअर नॉलेज ऑफ न्यूट्रीशन' नामक पुस्तक अपनी अनुकूल सिफारिशके साथ भेजी है जिसका एक अश मै यहाँ नीचे उद्धृत कर रहा हूँ।[2]

[अग्रेजीसे]
हरिजन, २६-१०-१९३४

१. देखिए खण्ड ५८, पृ० ३०८-१०।
२ यहाँ नहीं दिया गया है।

२६७. 'दबो नहीं बल्कि उपेक्षा करो'

एक नौजवान अंग्रेज, जो दो वर्ष मद्रासमें रह चुके है, अपने घर एसेक्स [इंग्लैंड] से लिखते है :[1]

> . . . मैं समझता हूँ कि हिन्दुओंकी आबादीमें अस्पृश्योंका बहुमत है। बेशक, मेरी यह धारणा गलत हो सकती है लेकिन यदि यह ठीक है तो मेरा खयाल है कि इस बहुसंख्यक जनताके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उसे रोकनेका और उसके साथ न्याय करनेका सबसे ज्यादा कारगर तरीका यह नही है कि हम अपराधियोंसे (उच्च वर्णके लोगोंसे) अनुनय-विनय करें बल्कि स्वयं अस्पृश्योंके बीचसे एक 'सुरक्षा पंक्ति' तैयार करें।
>
> यदि अस्पृश्य लोग परस्पर एक भ्रातृत्व संघकी स्थापना करेंगे तो उससे वे धीरे-धीरे एक स्वतन्त्र अस्तित्वका विकास कर सकेंगे जो उन लोगोंसे सर्वथा अलग होगा जो आजतक उन्हे आपत्तिजनक मानते रहे है, और इस संगठनसे उनमें [अस्पृश्योंमें] ऐसी शक्तिका विकास होगा जिसके परिणामस्वरूप ये दीन लोग [तथाकथित सवर्णोंसे] नहीं दबेंगे तथा अपने प्रति होनेवाले अवज्ञाजनक और अपमानजनक व्यवहारको वे तिरस्कार और उपेक्षाकी दृष्टिसे देख सकेंगे। . . .

स्पष्ट है कि पत्र-लेखकको यह बात नही मालूम कि हरिजनोंमें एक ऐसा सम्प्रदाय है जो ठीक वही करनेकी कोशिश कर रहा है जिसकी उन्होंने मुझे सलाह दी है। लेकिन इससे हरिजनोंको मुक्ति नही मिलनेवाली है और सवर्ण हिन्दुओंको तो निश्चय ही नही। पत्र-लेखकने जो सुझाव दिया है, उसका तर्कसगत परिणाम यही होगा कि हमारे सामने हिन्दू-मुस्लिम समस्यासे मिलती-जुलती समस्या, बल्कि हिन्दू-मुस्लिम समस्यासे भी अधिक गम्भीर एक दूसरी समस्या उठ खड़ी होगी। यह रास्ता घृणाका रास्ता है, जोकि हिंसा है। और मैं जिस रास्तेपर चलनेकी कोशिश कर रहा हूँ वह प्रेमका रास्ता है, जो कि अहिंसा है। दमनकर्त्ता वर्गका होनेके नाते और स्वेच्छासे दलितोंके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करनेके अपने प्रयत्नमें मैंने यह सबक सीखा है कि न्याय प्राप्त करनेका सच्चा तरीका यह है कि हमें परस्पर एक-दूसरेका सम्मान करना चाहिए; दूसरे शब्दोंमें हमें चाहिए कि हम ऊँच-नीचकी भावनाके स्थानपर

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

समता और भाईचारेकी भावनाका विकास करें। और इसका सवसे अच्छा उपाय यह है कि 'उच्च' वर्गको अपनी काल्पनिक ऊँचाइयोसे नीचे उतर आनेके लिए राजी किया जाये। और तथाकथित 'निम्न' वर्गको यह सिखाना होगा कि वे [सवर्णो] की उपेक्षा अथवा अवहेलना न करे, वल्कि उस भयका परित्याग कर दे जो कि हीनभावना-जनित है।

इसलिए हरिजन-सेवक संघ दोहरा काम कर रहा है। एक ओर वह सवर्ण हिन्दुओसे कहता है कि वे लोग हरिजनोंके प्रति किये गये अपने अन्यायका पश्चात्ताप करें तथा दूसरी ओर वह हरिजनोमे शिक्षाका प्रसार करके उनका ध्यान दमनके परिणामस्वरूप दलितोमे उत्पन्न होनेवाली बुराइयोकी ओर आकर्षित कर रहा है। किसी व्यक्तिको उसकी जन्मसिद्ध स्वतन्त्रतासे वंचित करना और उसे जीवनकी सामान्य सुविधाएँ देनेसे इनकार करना शरीरको भूखो मारनेसे भी वदतर है। यह तो आत्माको —जो शरीरमें वास करती है—भूखों मारने-जैसा है। आत्माको भूखो मारनेकी इस प्रक्रियाका हरिजन लोग जोरदार उदाहरण हैं। हरिजन लोग मनुष्यके रूपमे जिस प्रतिष्ठाको खो चुके हैं, उसे केवल किताबी शिक्षा अथवा आर्थिक रूपसे उनकी स्थितिमें उत्थान द्वारा वापस नही किया जा सकता। यह तो उनके अन्दर केवल आत्मानुभूतिके जरिये ही आ सकती है और जवतक सवर्ण लोग पश्चात्ताप नही करते तवतक उनको यह अनुभूति नही हो सकती। ऊँच और नीचकी भावना एक ही सिक्केके दो पहलू हैं, और दोनो ही समान रूपसे वुरे हैं। दोनोका उपचार किया जाना चाहिए। निम्न वर्गके हिन्दुओंके वजाय यदि हम 'उच्च' वर्गके हिन्दुओकी उपेक्षा तथा अवहेलना करने लगे तो इससे रोगका उपचार नही होगा, वल्कि वह और भी ज्यादा उग्र रूप ग्रहण कर लेगा। "दवो नही" यह एक ठोस सलाह है। लेकिन 'उपेक्षा' की भावना तो उतनी ही वुरी है जितनी कि किसीसे भयभीत होनेकी भावना। इसलिए एक तटस्थ प्रेक्षक यही सलाह दे सकता है कि "एक-दूसरेसे प्रेम करो।" और मैं आशा करता हूँ कि पत्र-लेखक अपने सुझावकी कमजोरीको समझ जायेगा।

[अंग्रेजीसे.]
हरिजन, २६-१०-१९३४

२६८. भाषण : अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें

२६ अक्टूबर, १९३४

आपने मेरे प्रति अपने प्रेमके कारण मेरी सारी स्थितिको गलत समझा है।[1] यदि आपने मुझे सेनाका सचालन करनेवाले एक जनरलका दरजा दिया है तो आपको उस जनरलको यह निर्णय करनेका अधिकार भी देना चाहिए कि वह सेनाके शीर्षस्थ स्थानपर रहकर उसकी सेवा कर सकता है, अथवा सेनासे अवकाश ग्रहण कर तथा अपने योग्य साथियोको अपने स्थानपर बिठाकर सेनाकी अच्छी सेवा कर सकता है।

जनरलके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण चीज हमेशा यही रही है कि उसमें इस बातका निश्चय करनेकी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसे जिस पदपर बिठाया गया है अथवा उसे जो सत्ता सौंपी गई है उस सत्ताका वह कब प्रयोग करे अथवा कब न करे, क्योकि ऐसे भी अवसर आते है जब जनरल सत्ताकी बागडोरको पकड़े रखनेमे अपने-आपको असमर्थ पाते है अथवा जब सेनाके हितोको देखते हुए और सेना तथा जनरल जिस उद्देश्यके लिए लडते है उसके हितको देखते हुए, जनरलका अपने पदको छोड़ देना ही बेहतर होता है। यदि आप समझते है कि मै काफी बुद्धिमान जनरल रहा हूँ तो इस वक्त भी जब मै आपको आपकी पराजयकी घड़ीमे छोड़कर जा रहा प्रतीत होता हूँ, आपको मेरे इस निर्णयमे विश्वास करना होगा।

मैंने अनगिनत बार कहा है कि मै अपने-आपको पराजित महसूस नही करता। मै उस उद्देश्यका त्याग नही कर रहा हूँ जिसके लिए मै जीता हूँ, और जो कार्य मुझे प्रिय है। जैसाकि मैंने कहा भी है, मै इस बातका पता लगानेके लिए कांग्रेससे बाहर जा रहा हूँ कि हम जो प्रयोग करते रहे है, और जिनका आपने हमेशा उदार हृदयसे समर्थन किया है, उनमें अभी और अधिक सम्भावनाएँ है अथवा नही। मुझे आपको जतला देना चाहिए कि मेरी उपायकुशलता अब खत्म हो गई है। मुझे आपके आगे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने कांग्रेसके सम्मुख जो साधन रखे है उनकी प्रभावकारितामे मेरा विश्वास बराबर बना हुआ है। लेकिन मै महसूस करता हूँ कि देशमे इस समय ऐसे लोग भी है जो इस साधनकी प्रभावकारितामें सन्देह करने लगे है, और चूंकि उन्हे इस साधनकी प्रभावकारितामे सन्देह है इसलिए वे पराजयका अनुभव करते है।

१. इससे पूर्व समितिमें सर्व-सम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें गांधीजीके प्रति विश्वास व्यक्त किया गया था और उनसे कांग्रेससे अवकाश लेनेके निश्चयपर पुनर्विचार करनेका अनुरोध किया गया था।

सत्याग्रहीके शब्दकोषमे पराजय नामका कोई शब्द नही है। उसके लिए तो जिस उद्देश्यको लेकर वह काम करता है, वही उसका पुरस्कार है।[1] लेकिन जब मैं यह देखता हूँ कि मेरे कुछ अत्यन्त अच्छे साथी, जिन्हे अबतक सत्य और अहिंसा और उनके फलितार्थोमे विश्वास था, वे भी उनमे शका करने लगे है और अपने-आपको असहाय महसूस करते है, और जब मै देखता हूँ कि मै उन्हे अपने विश्वाससे प्रभावित नही कर सकता तब मुझे अपने चारो ओर गहन अन्धकार दिखाई देता है। मुझे प्रकाशकी कोई किरण दिखाई नही देती। मै देखता हूँ कि मै उन्हे अपने विश्वाससे अनुप्राणित नही कर सकता।[2]

इसलिए जब मै आपसे यह कहता हूँ कि यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिल सके तो मै जाना चाहूँगा, तो उसका आप शाब्दिक अर्थ न करे। मै आपके आशीर्वादके साथ ऐसे साधनोका पता लगानेके लिए अधिक बड़ी शक्तिकी तलाशमे जा रहा हूँ जिससे कि मेरे अन्दर जो विश्वास है वह विश्वास मै आपको दे सकूं। सम्भव है कि मेरी यह तलाश निरर्थक सिद्ध हो। हो सकता है कि मेरा अकेले घूमना बेकार हो। लेकिन आप यकीन माने कि जब मुझे जरूरत जान पडी तो मै आपके बुलावेकी प्रतीक्षा किये बिना वापस चला आऊँगा। मै आपके पास आ जाऊँगा और एक वार फिर प्रारम्भिक सदस्यके रूपमे काग्रेसमे भर्ती होऊँगा तथा काग्रेसके हितमे मुझसे जो बन सकेगा सो करूँगा।

इसलिए मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हतोत्साह न हो, बल्कि आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप अपने कर्त्तव्यका अच्छी तरह पालन कर सकेगे, और आपको ऐसे पर्याप्त नेता मिलेगे जो आपको विजय दिलायेगे। जब मेरे लिए इस सदनमे वापस आना लाजिमी हो जायेगा तब मै पूर्णतया आपकी सेवा करूँगा। इसलिए मै आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप इस प्रस्तावपर और अधिक जोर न दे। आपने इस प्रस्तावको सर्व-सम्मतिसे पास किया है, इतना ही काफी है। किसी प्रकार मै यह महसूस करता हूँ कि मेरे इस निर्णयका परिणाम अच्छा, केवल अच्छा ही होगा। आप भी उसी सिद्धान्तके लिए खडे है जिसका कि मै पक्षधर हूँ और जिसे आपने स्वीकार किया है। मै यह मानता हूँ कि इसे आपमे से कुछ लोगोने उदारतावश स्वीकार किया है, कुछ लोगोने आँख मूँदकर इसपर अपनी स्वीकृति दी है तथा कुछ लोगोने समझ-बूझकर इसका समर्थन किया है, और मैंने विनम्रतापूर्वक इन सबको स्वीकार किया है। इसलिए अब आप मुझे, यदि सम्भव हो तो, यह सिद्ध करनेका मौका दे कि मै इसके योग्य हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी स्वयं यह सिद्ध कर दिखाये कि मै चाहे कांग्रेसका सदस्य रहूँ अथवा

१. २७-१०-१९३४ के बॉम्बे क्रॉनिकलकी रिपोर्टमें यहाँ यह वाक्य मिलता है: "सत्यका अन्वेषण ही उसकी विजय है।"

२. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्टमें यहाँ निम्नलिखित वाक्य है: "मुझे अपने कार्यक्रममें बहुत ज्यादा विश्वास है। हमारे चारों ओर जो घोर अन्धकार प्रतीत होता है, उसमें मुझे प्रकाशकी लाखों किरणें दिखाई देती हैं, लेकिन मैं आपको वह प्रकाश नहीं दिखा सकता।"

न रहूँ, आपने इन १४-१५ वर्षोंके दौरान जिस सिद्धान्तका कमोबेश अनुकरण किया है सो इसलिए किया है कि आपको उसमें विश्वास था।

मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं और आप दुनियाको यह बता सकें कि यद्यपि मैं कांग्रेससे अलग हो गया हूँ, तथापि आप अब भी उसी सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं जिस सिद्धान्तको लेकर आप इतने वर्षोंतक लड़ते रहे हैं और जिसके लिए आप जिये हैं, और यह भी कि आप उस सिद्धान्तका शिथिलतासे नहीं वरन् पहलेसे भी ज्यादा सच्चे ढंगसे और पूर्णतया पालन करनेवाले हैं, तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी।

कांग्रेससे अवकाश ग्रहण करनेके प्रश्नपर अपना भाषण देनेके तुरन्त बाद गांधीजीने संविधान उप-समिति और कार्य-समितिकी सभी सिफारिशोंको समाहित करता हुआ एक सुविस्तृत प्रस्ताव पेश किया। गांधीजीने सदनसे सारे-के-सारे प्रस्तावको ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेनेकी सिफारिश करते हुए प्रस्तावके आरम्भमें ही सदनके पिछले दिनके निर्णयकी चर्चा की जिसमें कांग्रेसके सिद्धान्तमें परिवर्तनसे सम्बन्धित कार्य-समितिकी सभी सिफारिशोंको सदनने अस्वीकार कर दिया था।[1]

महात्मा गांधी ९० मिनट बोले और उनका यह भाषण दिलोंको छू लेनेवाला था। इसमें उन्होंने विषय-समितिसे अपील की कि वह संशोधित संविधानपर अपनी स्वीकृति दे दे।

इसके बाद महात्मा गांधीने बृहस्पतिवारके वोटकी चर्चा की और सिद्धान्तके परिवर्तनके प्रश्नको प्रान्तीय समितियोंके पास रायके लिए भेजनेके सवालपर सदनने जिस स्पष्टवादिताके साथ वोट दिये, उसके लिए उन्होंने उसे बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने प्रस्तावोंके बारेमें जनताकी और अखबारोंकी आलोचना पढ़ी तब मैंने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि मैं उन संशोधनोंको सदनके सम्मुख नहीं रखूँगा। लेकिन कार्य-समितिके सदस्योंने अपनी इच्छासे, सर्व-सम्मतिसे यह प्रस्ताव पास किया कि समिति उन प्रस्तावोंको पेश करेगी। गांधीजीने आगे कहा:

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि समितिके सदस्योंने आज सवेरे दो घंटे इस बातपर विचार किया कि संशोधनोंके सम्बन्धमें उनका क्या कर्त्तव्य है। मैंने कार्य-समितिसे कहा कि वह आपके प्रस्तावको कार्यान्वित करे, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि श्री सिधवाका संशोधन बिलकुल बेकार था। आप चाहते तो कार्य-समितिके प्रस्तावको अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन उसे सदस्योंमें घुमाना व्यर्थ था।

१. यहाँ बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्ट यह है: कांग्रेस-संविधानमें संशोधनोंको पेश करते हुए गांधीजीने सदनको इस बातके लिए बधाई दी कि उसने कार्य-समितिके उस प्रस्तावको बड़ी स्पष्टवादिताके साथ नामंजूर कर दिया था जिसमें "शान्तिपूर्ण और वैध" के स्थानपर "सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक" शब्द रखनेको कहा गया था। लेकिन उन्होंने आगे यह भी कहा: "मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा करके आपने बुद्धिमानी की।"

मैंने श्री पटवर्धनका भाषण ध्यानसे सुना है। उन्होंने बहुत तर्कपूर्ण भाषण किया, लेकिन या तो वे अपने-आपको धोखा दे रहे थे अथवा वे एक वकीलकी हैसियतसे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आदर्शसे यथार्थपर उतर आये है। लेकिन क्या समाजवादके अपने आदर्श नही है, और यदि मैं श्री पटवर्धनसे समाजवादियोके आदर्शोमे एक अर्धविराम तक हटानेकी बात कहूँगा तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। क्या आप यह समझते है कि पचास पुश्तोके बाद भी आप किसी समय पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे? समाजवादका सिद्धान्त तो इससे भी आगे जाता है। मेरा सुझाव है कि हमारा एक मापदण्ड होना चाहिए। जिस दिन मानव-समाज आदर्शोमे विश्वास करना छोड देगा उस दिन वह पशुओके स्तरपर उतर आयेगा। आज यदि आप सत्य और अहिंसामे विश्वास करते है तो वैसा स्पष्ट कहिए। इसका मतलब यह नही कि आप शत-प्रतिशत सत्यनिष्ठ होगे। मै स्वय शत-प्रतिशत सत्यनिष्ठ नही हूँ।[1]

यदि मै शत-प्रतिशत सत्यनिष्ठ होता तो मेरे शब्द आपके हृदयको भेदकर निकल जाते। लेकिन मुझे अपने आदर्शोको प्राप्त करनेका बराबर प्रयत्न करना होगा।[2] क्या मार्क्स अपने आदर्शोको पूर्ण होते देख सका? क्या मार्क्सवादमे परिवर्तन नही हो रहा और क्या उसके ऐसे अर्थ नही लगाये जा रहे जिनकी स्वय मार्क्सने कभी कल्पना भी न की थी? यदि आप "उचित और शान्तिपूर्ण" साधनोका अर्थ यह नही करते कि वे साधन "सच्चे और अहिंसात्मक" होगे तो फिर आपको सिर्फ यही कहना चाहिए कि आपका सिद्धान्त यह है कि जिन साधनोको आप वैध समझते है उन साधनो द्वारा लक्ष्यको प्राप्त करे। फिर यही आपका मापदण्ड होगा। लेकिन आपके पास मापदण्ड अवश्य होना चाहिए। आपके सम्मुख अपने साधन और साध्य स्पष्ट होने चाहिए। ये दोनो पर्यायवाची शब्द है।

आप जानते है कि स्वराज्य आपका लक्ष्य है। इसका अर्थ है "पूर्ण स्वराज्य"। लेकिन किसीने कहा कि इसका अर्थ पूर्ण स्वाधीनता नही है, इसलिए हम इसका अर्थ "पूर्ण स्वराज्य" करते है। जिस तरह आपने स्वराज्यका अर्थ किया है उसी तरह आपको अपने सिद्धान्तका निरूपण भी करना चाहिए, ताकि उसका दोहरा अर्थ न लगाया जा सके। कोई भी व्यक्ति समकोण नही बना सकता, लेकिन यूक्लिडने एक काल्पनिक समकोण बनाया और इजीनियरोको एक ऐसा मापदण्ड दिया जिससे दुनिया इतनी तरक्की कर सकी है। एक समकोण टावर ऑफ लडनके सग्रहालयमें बडी हिफाजतके साथ रखा है।

१. बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्टके अनुसार गांधीजीने कहा था : मैंने ऐसा दावा करनेका कभी साहस नहीं किया है।

२. यहां बॉम्बे क्रॉनिकल की रिपोर्टमें यह छपा है : यदि मैं शत-प्रतिशत सत्यनिष्ठ होता तो मेरे शब्द तीरकी तरह आपको भेदकर बेदाग निकल जाते और आपको सत्यसे भर देते, लेकिन मैं शतप्रतिशत सत्यनिष्ठ होनेकी कामना करता हूँ। यदि मानव-समाजको अपने आदर्श छोड़ने पड़े तो वह पशुओंके स्तरपर उतर आयेगा। आदर्श तो होने ही चाहिए, और आदर्श कभी प्राप्त नहीं किये जा सकते।

कार्य-समितिने शुक्रवारको आपसे आपके मापदण्डकी परिभाषाके बारेमे पूछा था। आपने उसे सदस्योंमें प्रसारित करनेके लिए भेज दिया। ऐसा करना ठीक नही था। हमें दुनियाको यह नही बताना चाहिए कि हमारे मुँहमे कुछ और है तथा दिलमे कुछ और।

इसके बाद महात्मा गांधीने संविधानमें प्रस्तावित संशोधनोके मुख्य उद्देश्यके बारेमें बताया। उन्होंने कहा :

आप इस आशाके साथ इन सशोधनोपर अपनी स्वीकृति न दे कि मै अपने निश्चयपर फिरसे विचार करूँगा। अगर मैंने उस सविधानके माध्यमसे, जिसके लिए मुख्यतः मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अनौपचारिक रूपसे काग्रेसका नेतृत्व करना आरम्भ किया तो इस संशोधित सविधानके रूपमे मै ही आपको एक छोटी-सी भेंट भी दे रहा हूँ, ताकि आप उस व्यक्तिके निर्णय और अनुभवका लाभ उठा सके जिसने आपके साथ निकटसे-निकटका सम्पर्क और सम्बन्ध रखते हुए उस सविधानके अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है और इस दौरान उसके दोष भी देखे है। मै चाहता हूँ कि इन सशोधनोका परिमार्जन करनेके बाद आप उन्हे पास कर दे।

मेरा भाषण सुननेके बाद यदि आप चाहे तो इसपर एक दिन विचार कर सकते है और मताग्रह कर सकते है तथा अपना अन्तिम निर्णय दे सकते है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिनिधियोकी ६,००० की सख्याको घटाकर १,००० करनेका निश्चय करना होगा। यदि आप इसे माननेसे इनकार करते है तो सारी योजना ही टाँय-टाँय फिस हो जायेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि प्रतिनिधियोको जनताका सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। हम अप्रत्यक्ष ढगसे राष्ट्रके लाखो बेजबान लोगोके प्रतिनिधि है। हम उनकी ओरसे बोलते है, हम उनकी आवाज है, उनके विचार है। १८८५ से लेकर अबतक काग्रेसका यही उद्देश्य रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूपसे हम केवल अपने मतदाताओके ही प्रतिनिधि है।

क्या हममे से कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या वह अपने मतदाताओसे जीवन्त सम्पर्क बनाये हुए है और क्या वह उनकी भावनाओसे अवगत है? हममे से बड़ेसे-बड़ा व्यक्ति भी यह दावा नही कर सकता। सरदार वल्लभभाई गुजरातके बेताज बादशाह है, लेकिन वह किस निर्वाचन-क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करते है, मैं किसका करता हूँ, सो मै नही जानता। मै चुनौती देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे कांग्रेसका मतदाता-रजिस्टर दिखाये। हमारे यहाँ निर्वाचन-केन्द्र और मतदाता होने चाहिए तथा प्रत्येक सदस्यको अपने क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करना चाहिए और उसके साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। तभी आपके पास आपका मापदण्ड होगा।

मैंने जो तीसरा सिद्धान्त रखा है वह यह कि एक चुनावमे तीन चीजे शामिल होनी चाहिए। इससे न केवल अपेक्षाकृत अधिक सुविधा होगी और पैसेकी बचत होगी वरन् यदि आप इसे स्वीकार कर लेते है तो इसके और भी सुखद परिणाम होगे। तब प्रतिनिधि लोग अपने मतदाताओ द्वारा चुने जायेगे। तब वे लोग आजकी

तरह सालमे केवल तीन बार मिलनेके बाद लुप्त नही हो जायेंगे। तब वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सक्रिय सदस्य होगे और सारा साल काम करते रहेगे।

आज १,५३० लोगोमे से केवल ३५० लोग ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य है। और फिर १,००० सदस्योको सरदार वल्लभभाईके रास अथवा बारडोली क्षेत्रमे ठहराया जा सकता है। उस तरहके गाँवमे एक सफल अधिवेशन बुलानेके लिए मेरे पास एक पूरी योजना तैयार है। वे गाँव आपकी सेवा तो कर सकते है, लेकिन वे आपकी स्वागत-समितिके लिए पैसा नही दे सकते। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हे कांग्रेसकी सभा आयोजित करनेका और उसके लिए सामग्री उपलब्ध करनेका भी ढग आता हो। तब स्वागत-समितिको इसके प्रबन्धपर लाखो रुपये खर्च नही करने होगे।

स्वागत-समिति 'तमाशो' और विजय-सूचक तोरणद्वार बनानेमे जो लाखो रुपये खर्च करती है, मैं पूछता हूँ कि इसमे क्या बुद्धिमानी है। हमारी विजय कहाँ है? हम तो गुलाम है और स्वागत-समितिसे हम तो केवल यही चाहते है कि वह पकवान और आइसक्रीमसे नही, बल्कि साधारण भोजनसे हमारी आवभगत करे। हमारी योजना स्वागत-समितिको उसकी भारी जिम्मेदारीसे मुक्त करनेकी है। यदि मै नरीमनकी जगहपर होता तो मै पागल हो गया होता।

महात्मा गांधीने अपने इस अनुरोधको एक बार फिर दोहराया कि उपर्युक्त विषयको प्रान्तीय समितियोंके सम्मुख न रखा जाये और कहा:

आप इसे प्रान्तोके सम्मुख क्यो रखना चाहते है? आप अपने कर्त्तव्यसे पीछे क्यो हटते है? आप तो महा-प्रतिनिधि है, क्योकि आप विषय-समितिके सदस्य है। अन्य लोग तो मात्र प्रतिनिधि है, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि है जो ३५ करोड लोगोका प्रतिनिधित्व करते है। इसीलिए मै कहता हूँ कि इन प्रतिनिधियोको सविधान तैयार करनेके अपने कर्त्तव्यसे पीछे नही हटना चाहिए। मै आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो भी आलोचना की है उसपर पूरी तरहसे सोच-विचार किया जायेगा। मै आपको फौलादी सविधान दे रहा हूँ जिसकी मर्यादाओका कोई उल्लंघन नही कर सकता। यदि कांग्रेसमे कोई भ्रष्टाचार हो तो आप उसे पकड सकते है, बशर्ते कि हर आदमी ही धोखेबाज न हो गया हो। किसी भी संविधानमे चोरो और डाकुओके लिए गुंजाइश रहती है। मुझे अपने देशभाइयोपर पूरा विश्वास है कि वे अपने देशके साथ कभी विश्वासघात नही करेगे।

श्रीप्रकाशका कहना है कि हमारा वर्तमान संविधान सडा-गला है। तब क्या हमे इस बातकी प्रतीक्षामे एक और साल बरबाद करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए? मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि आज जो स्थिति है वह वैसी ही रहेगी और हमे अगले १२ महीनोमे एक भी रिपोर्ट नही मिलनेवाली है। दुनिया मुझे बेवकूफ कहती है, लेकिन आपका कहना है कि मै बुद्धिमान हूँ। तो आप मेरी बुद्धिमानीका जो भी लाभ उठा सकते है, उठाये। लेकिन कभी-कभी मूर्खोंके मुँहसे भी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुननेको मिलती है। मै चाहूँगा कि आप मेरे सुझावोको स्वीकार

कर ले और मैं आपसे समझौता करनेके लिए तैयार रहूँगा। पहले ही, जब श्री मसानी मेरे पास आये थे, तब मैंने उन्हे आश्वासन दिया था कि मैं चाहता हूँ कि समाजवादियोको भी प्रतिनिधित्व मिले। वह प्रगतिशील पक्ष है। समाजवादियोकी गतिविधियोसे डरनेका कोई कारण नही है। वे अपने-आपको काग्रेसी कहते है और जबतक वे काग्रेसी है तबतक उन्हें काग्रेसके सिद्धान्तमे विश्वास करना होगा और काग्रेसके अनुशासनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। यदि वे कांग्रेसके अनुशासनका पालन करनेमे असफल सिद्ध होते है तो वे अपने सिद्धान्तमे भी असफल होगे। मैं उनके एकल संक्रमणीय मतके सुझावके बारेमें उनसे सहमत हो गया हूँ। इस सविधानका श्री भूलाभाई और श्री क० मा० मुन्शी जैसे योग्य वकीलोने संशोधन किया है और इसपर अन्य अनेक लोगोकी राय भी ली गई है। मैं आपको यह भी बता दूँ कि शहरी क्षेत्रोमें बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगे, लेकिन उनकी सख्या अभी तय नही की गई है। इन मामलोके बारेमे कार्य-समिति पूरी तरहसे आपके हाथमे है, लेकिन आप इन मामलोको आगेके लिए न टाले।

आपका एक संसदीय बोर्ड होगा। वे लोग विधान-सभाके कार्यकी देखभाल करेंगे। विधान-सभामे यह सघर्ष व्यक्तियोका न होकर सिद्धान्तोका होगा, हमारे प्रतिनिधि उन सिद्धान्तोका प्रतिनिधित्व करेंगे जिसके लिए वाक्पटुताकी जरूरत न होगी वरन् वे उन्हे अत्यन्त साफ-साफ शब्दोमें रखेंगे।

आगेसे आपके पास मतदाताओका रजिस्टर होगा और आपका उनसे जीवन्त सम्पर्क होगा। श्री नागेश्वर रावका कहना है कि एक सीटके लिए ७,००० मतदाता है। मेरी योजना सरल है। मैं तो एक सीटके लिए केवल १,००० मतदाता चाहता हूँ। यदि आप लोग दस लाख लोगोके प्रतिनिधि है तो मुझे इतनेसे ही सन्तोष होगा और उसके बाद हम और ज्यादा लोगोको ले सकते है। लेकिन मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि इन मामलोको प्रान्तीय समितियोके सम्मुख रखनेमे हम राष्ट्रका एक अमूल्य वर्ष खो देंगे।

महात्मा गांधीने आगे उस संशोधनका उल्लेख किया जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्य-समितिके सदस्योंका चयन करनेकी प्रथाको संविधानमें शामिल करनेका सुझाव दिया गया हो। गांधीजीने कहा कि भूतकालमें एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस मामलेमें अध्यक्षकी इच्छाको दबाया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधानमें इस प्रथाको शामिल करना बेहतर होगा जिससे उम्मीदवारके चुनावमें आनेवाली दिक्कतोंको टाला जा सके। यह संशोधन कर देनेसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें अध्यक्षको सदस्योंकी आलोचनाका शिकार नहीं होना पड़ेगा।

कार्य-समितिके कार्यकालमें ऐसे अवसर भी आयेंगे जब उसके सदस्योंको कहना पड़ेगा कि "यदि आप चाहते है कि हम काम करते रहे तो आपको हमें कुछ निश्चित अधिकार देने पड़ेंगे और यदि आप हमारा विश्वास नहीं कर सकते तो आप हमारे

स्थानपर बेहतर व्यक्तियोंकी तलाश करे।" यही कारण है कि मैंने प्रस्ताव किया है कि मन्त्री और कोषाध्यक्ष भी अध्यक्षकी पसन्दके होने चाहिए।[1]

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल न० ४/२७/३६; सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार

२६९. भाषण : अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें

२७ अक्टूबर, १९३४

२७ तारीखकी सुबह विषय-समितिकी बैठक शुरू हुई। श्री गांधीने कांग्रेस-संविधानमें अपने संशोधनके बारेमें पिछले दिनका भाषण जारी रखते हुए कहा कि जब हमें अपने घरकी दीवारोंमें इतनी दरारें नजर आ रही हैं तो हमें चाहिए कि हम इन दरारोंको फौरन भर डालें। नये संविधानमें ऐसी कोई चीज नही है जिसके लिए हमें विशेष अध्ययन करने या किसी बाहरी प्रमाणका सहारा लेनेकी आवश्यकता हो। यदि आप लोग ऐसा चाहते हों कि इसे लोगोंकी राय जाननेके लिए घुमाया जाये, तो मैं समझूंगा कि आप इसे नहीं चाहते। यदि आप इस संविधानको पास करनेकी परम आवश्यकताको अनुभव नहीं करते तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको अस्वीकार कर दें। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंकी सदस्य-संख्यामें कमी करनेके प्रस्तावकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि मुझे इस बातका बहुत कटु अनुभव है कि बहुत भारी-भरकम कमेटियोंके सामने जो काम है, उसे वे नजरअन्दाज करने लगती हैं। यही कारण है कि मैं इस प्रस्तावको अत्यन्त आग्रहपूर्वक पेश कर रहा हूँ। लोकतन्त्रका सार संख्या-बलमें नहीं है। एक भी व्यक्तिमें यदि लोकतन्त्रकी भावना है तो वही असली चीज है। एक व्यक्ति हो तो भी वह सारे लोकतन्त्रका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इंग्लैंडमें मन्त्री लोग नीतियोंका निर्धारण हाउस ऑफ कॉमन्सकी इच्छासे नहीं, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंडकी इच्छासे करते हैं। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंडने अपना विचार-विमर्शका काम १३½ मिनटके अन्दर पूरा कर लिया था, जो कि एक रिकार्ड है। यदि बैंक ऑफ इंग्लैंड इतने बड़े-बड़े मसलोका निपटारा १३½ मिनटमें पूरा कर सकता है तो कांग्रेसको अपना काम पाँच मिनटमें कर सकना चाहिए। इसके बाद श्री गांधीने प्रस्ताव किया कि विषय-समिति नये संविधानके आधारभूत सिद्धान्तको स्वीकार करे और संविधानपर विचार करनेके लिए

१. यह बॉम्बे सेंटिनल के २७-१०-१९३४ के अंकमें छपा था, और इसके कुछ अंश राष्ट्रीय अभिलेखागारमें उपलब्ध हैं।

एक उप-समिति नियुक्त करे। यह उप-समिति २८ तारीखको सुबह ८ बजेतक अपनी सिफारिश विषय-समितिके सामने रख दे।

प्रस्तावपर हुई बहसका जवाब देते हुए श्री गांधीने कहा कि मुझसे पूछा गया है कि यदि विषय-समिति मेरे संशोधनोको एक कॉमा बदले बिना स्वीकार कर ले तो क्या मैं अपने निर्णयपर पुनर्विचार करूँगा। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी हालतमें इस बातका कोई 'खतरा' नहीं है कि मैं कांग्रेसमें बना रहूँ। मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको नये संविधानमें विश्वास हो तभी आप उसे स्वीकार करें।[1]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स: होम डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच।

२७०. भाषण: स्वदेशी बाजारमें[2]

बम्बई
२८ अक्टूबर, १९३४

श्रीयुत शूरजी वल्लभदासने जब यह स्वदेशी बाजार खोला था तबसे ही इसने मेरा ध्यान अपनी ओर खीचा है और मैंने वादा किया था कि मैं अवसर मिलते ही इसकी दुकानें देखने आऊँगा। यह खुशीका मौका कई कारणसे अबतक टलता रहा, और आज भी मुझे अपना वादा पूरा करनेके लिए दूसरे कार्यक्रमोंमें से किसी प्रकार थोडा-सा समय निकालना पडा है। चूंकि मुझे जल्दी ही वापस लौट जाना है, इसलिए मुझे दुःख है कि मैं आपको ज्यादा समय नही दे सकूंगा। मैंने यह बात बार-बार कही है कि जबतक प्रत्येक गाँवमें चरखेका संगीत नही गूँजने लगेगा तबतक हम न तो स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे और न धर्मकी ही रक्षा कर सकेंगे। एक तरफ जहाँ हम दोनो वक्त भरपेट भोजन करते हैं, वहाँ हमारी आँखोके सामने हमारे अपने ही भाई हैं जिन्हे दिनमें एक बार भी भरपेट भोजन नसीब नही होता। ये करोडो लोग यदि भूखसे पीड़ित हैं तो इसका कारण यह नही है कि वे काम नही करना चाहते, बल्कि इसका कारण यह है कि उन्हे कोई काम ही नही मिलता। यदि

१. इसके बाद गांधीजीने श्री अणे द्वारा प्रस्तुत किया गया वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था: "विषय-समिति संविधानमें प्रस्तावित संशोधनोंके आधारभूत सिद्धान्तोंको स्वीकार करती है और उन संशोधनोंपर विस्तारसे विचार करनेके लिए निम्न १५ सदस्योंकी एक उप-समिति नियुक्त करती है। यह उप-समिति अपनी सिफारिशें स्वीकृतिके लिए २८ तारीखकी सुबहतक विषय-समितिके सामने रख देगी।" उप-समितिकी रिपोर्टके लिए देखिए "भाषण: अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २८-१०-१९३४।

२. गांधीजीने सुबहके समय शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजारके तृतीय वार्षिकोत्सव समारोहकी अध्यक्षता की थी।

आप उनके हाथोमे चरखा दे दे, या आप उन्हे कोई ऐसा काम दे सकें जो चरखा चलानेसे बेहतर हो तो आप उनको वह काम पहले दे और चरखा बादमे। लेकिन इन भूखसे पीडित लोगोको कुछ काम अवश्य दीजिए, और काम देकर ही आप उनके दुर्बल शरीरके लिए खाना उपलब्ध कर सकेंगे।

मान लीजिए कि आप चरखे चलवाने लगे, तो तैयार होनेवाली खादीका क्या होगा? आप सभी लोग खद्दरके बजाय सस्ते और सुन्दर दिखनेवाले कपडे पहनना चाहते है। तब फिर आप इन भूखसे पीड़ित लोगोकी मदद किस प्रकार कर सकते है? खद्दर महँगा हो, तो भी उसे पहनना आपका और मेरा कर्त्तव्य है। हमारे देशमे करोडो लोग ऐसे है जिनके पास अपनी लज्जा ढँकनेके लिए लगोटीतक नही है। आप उनसे खद्दर पहननेकी अपेक्षा किस प्रकार कर सकते है? आपको यह जानकारी दिलचस्प लगेगी कि पिछले दस वर्षोंमे सवा-दो करोड रुपये कतैयोके बीच पारिश्रमिकके रूपमे वितरित किये जा चुके है। यह रकम सीधे गरीब लोगोके हाथोमे पहुँची है। खद्दर पहनकर आप इन लोगोकी मदद कर सकते है। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत दु:ख है कि आपमे से बहुत-से लोग — स्त्री और पुरुष, दोनो ही — खद्दर नही पहनते। यदि आप खद्दर नही पहनना चाहते तो फिर ऐसी सभाओमे आपके आनेकी तुक ही क्या है जिनमे मै बोलता हूँ? मै यहाँ यह आशा लेकर आया हूँ कि आप लोग मिलोके बने कपडेका त्याग कर देंगे और खद्दरका अधिकाधिक उपयोग करने लगेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस बाजारमे बिकनेवाली अन्य वस्तुएँ भी पूर्णत स्वदेशी है और भारतमे ही बनी हुई है।

यहाँ जो चीजे प्रदर्शित की गई है, आज मै उन सबको सविस्तर रूपसे देख नही पाया हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि यहाँ भी प्रत्येक वस्तुका मै गहराईसे अध्ययन करूँगा। आपने जान ही लिया है कि यह बाजार मुनाफा नही कमा रहा है। फिर भी, जब बाजारको मुनाफा होगा तो वह मुनाफा हमारा होगा। इसलिए मै आपसे अनुरोध करूँगा कि जब भी आप कोई चीज खरीदना चाहे तो कृपया इस बाजारमे आये।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २-११-१९३४

२७१. भाषण: अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें

२८ अक्टूबर, १९३४

रिपोर्टको स्वीकार करनेका प्रस्ताव औपचारिक रूपसे पेश करते हुए महात्मा गांधीने कहा कि शनिवारको उप-समितिने दिनमें २ बजेसे रात ९ बजेतक अपनी बैठक की थी और इस रिपोर्टको तैयार किया था। मैं स्वयं रात १ बजेतक काम करता रहा था और श्री किशोरलाल सारी रात जागकर रिपोर्टका मसविदा तैयार करते रहे। किशोरलाल जब मसविदा तैयार कर चुके तब सर्वश्री मुन्शी और भूलाभाई देसाईने बैठकर कानूनकी दृष्टिसे उसमें सुधार किये। गांधीजीने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि किसी प्रकारकी जल्दबाजी की जाये, ताकि आप बादमें रिपोर्टमें कोई और परिवर्तन करनेकी बात न सोचें। उप-समितिके सदस्य इस निश्चयके साथ बैठे थे कि वे सर्वस्वीकृत रिपोर्ट तैयार कर सकें और उन्होंने कार्य-समितिकी सभी सिफारिशोंपर विचार किया था।[1]

संविधानमें जो परिवर्तन किये गये थे, उनको महात्मा गांधीने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, यह सुझाव कई बार दिया गया है कि संयुक्त प्रान्तका नाम बदलकर हिन्द, और मध्य प्रान्त (हिन्दी)का नाम बदलकर महाकौशल कर दिया जाये। स्वयं मुझमें इस परिवर्तनका सुझाव देनेका साहस नहीं था, लेकिन चूंकि उप-समितिके कुछ सदस्योंने इस परिवर्तनका सुझाव दिया था, इसलिए इसे मैंने स्वीकार कर लिया।

समितिने संविधानकी धारा ५ में एक मामूली शाब्दिक परिवर्तन भी किया है। इस धारामें शब्द 'अफसर' फिरसे रख दिया गया है। कुछ सदस्योंके सुझावपर एक अन्य महत्त्वपूर्ण धारा जोड़ी गई है। इन सदस्योंके दृष्टिकोणकी मैं बहुत कद्र करता हूँ। इस धाराके अनुसार कांग्रेसका कोई सदस्य किसी साम्प्रदायिक अथवा राष्ट्र-विरोधी संगठनका सदस्य नहीं हो सकता। कुछ सदस्य इस धाराको जोड़नेके पक्षमें नहीं थे, लेकिन अन्ततः उनका विरोध खत्म हो गया और इस धाराको स्वीकार कर लिया गया।

कांग्रेस प्रतिनिधियोंकी संख्यामें कमी करनेके विषयमें मूल प्रस्तावमें यह कहा गया था कि प्रतिनिधियोंकी संख्या कुल १,००० होनी चाहिए और ये प्रतिनिधि ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य हों, लेकिन कुछ सदस्योंका सुझाव था कि प्रतिनिधियोंकी संख्या २,००० हो और प्रत्येक प्रतिनिधि मूल प्रस्तावमें कहे गये १,०००

१. इस जगह बिजली फेल होनेके कारण लाउडस्पीकर बेकाम हो गये। बिजली आ जानेके बाद गांधीजीने अपना भाषण जारी रखा।

कांग्रेसजनोंके बजाय ५०० कांग्रेसजनोंका प्रतिनिधित्व करे। शहरी निर्वाचन-क्षेत्रोंसे आनेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्या किसी भी हालतमें ५११ से अधिक नहीं होगी और ग्रामीण क्षेत्रोंसे निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी संख्या १,४८९ से अधिक नहीं होगी।

बहुत-सी अल्प-संख्यक जातियोंके लाभके लिए यह सुझाव दिया गया है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र हों और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रसे एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीके अन्तर्गत कम-से-कम पाँच सदस्योंका चुनाव किया जाना चाहिए। गांधीजीने कहा कि यह एक ऐसा जटिल विषय है जिसे समझना कठिन है, लेकिन इस प्रणालीके अन्तर्गत ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र बन सकना असम्भव हो जायेगा जिसमें कम-से-कम पाँच सदस्य न हों।

गांधीजीने एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली और बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रके क्या अर्थ है, इसे खूब विस्तारसे समझाया। इसके पीछे विचार यह था कि अल्प-संख्यकोंकी स्थिति सुरक्षित बना दी जाये।

भाषण जारी रखते हुए गांधीजीने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सदन इस रिपोर्ट पर अविलम्ब विचार करे और इसे कुल मिलाकर स्वीकार कर ले, भले ही यह स्वीकृति बे-मनसे दी गई हो। समितिने संशोधनोंमें भी संशोधन किये है, और अब उसे रिपोर्टको स्वीकार करनेमें कोई अनिच्छा या कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विभिन्न प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंका जो कोटा निर्धारित किया गया है, वह पढ़नेमें तो खराब नहीं लगता, लेकिन दिखता खराब है। बम्बईको २१ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था। ऐसा उस शहरके महत्त्व और राजनीतिक संघर्षमें उसने जो भाग लिया था, उसको देखते हुए किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके आज जो सदस्य हैं, उनको मिलाकर बम्बई अभीतक ३० प्रतिनिधि भेजता रहा था। यह संख्या घटाकर २१ कर दी गई थी। यह जनसंख्यापर आधारित प्रणालीके अनुसार नहीं था। देशकी राजनीतिक चेतनाका विकास करनेमें बम्बईका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। केवल बम्बईको ही यह दुर्लभ सम्मान प्रदान किया गया था। संविधानमें निर्धारित प्रणालीके अन्तर्गत बम्बईको केवल ६ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा।

गांधीजीने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें इस समय ३५० सदस्य हैं, लेकिन समितिके सुझावके अनुसार अब आगेसे उसमें १६६ सदस्य ही होंगे। प्रत्येक १२ प्रतिनिधियोंके ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका एक सदस्य होगा। यह मौजूदा संख्याका लगभग आधा होगा। मेरी रायमें यह परिवर्तन बुरा नहीं है। इससे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक ज्यादा कामकाजी और जिम्मेदार संगठन बन जायेगी। १,००० सदस्योंवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका जो सुझाव दिया गया था, उसकी जगह अब उसमें १६६ सदस्य ही होंगे।

ऐसा समितिके उन अनेक सदस्य मित्रोके सुझावपर किया गया है जो यह चाहते थे कि कांग्रेस और कार्य-समितिके बीचका एक सगठन होना चाहिए। यह भी निश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रान्तको छोडकर अन्य किसी प्रान्तसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें नही आ सकता। यदि कोई प्रान्त निर्धारित संख्यामे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य या प्रतिनिधि नही भेज सकता तो वह जितने भी भेजता है, उतनेसे ही उसको काम चलाना होगा। प्रत्येक प्रान्त कांग्रेसमें कम-से-कम दस प्रतिनिधि भेजेगा।

गांधीजीने कहा कि यह नया परिवर्तन मेरे ऊपर थोपा नहीं गया है।

इसके बाद गांधीजीने कांग्रेस-अध्यक्षके चुनावका उल्लेख किया। उन्होने कहा कि नागपुर-अधिवेशनके समयसे ही चुनावका तरीका मुझे पसन्द नहीं रहा है और उप-समितिने यह निश्चय किया है कि अध्यक्षका चुनाव प्रान्तोके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, जो अपनी सिफारिशें कार्य-समितिको भेजेंगे और कार्य-समिति सभी सिफारिशें प्राप्त हो जानेके बाद नये वर्षके लिए निर्वाचित अध्यक्षका नाम घोषित करेगी। स्वागत-समिति द्वारा अध्यक्षको चुननेका मौजूदा तरीका कुछ समझमें नहीं आता। स्वागत-समितिको कांग्रेस-अध्यक्षसे क्या लेना-देना है? जिन प्रतिनिधियोके साथ अध्यक्षको परामर्श करना और कांग्रेसके भावी कार्यका निर्धारण करना है, उन्हीं प्रतिनिधियोंके ऊपर अभीतक एक ऐसा अध्यक्ष थोपा जाता रहा है जिसके चुनावमें उनका कोई हाथ नहीं होता।

इस कालदोषको खत्म होना चाहिए और यही कारण है कि उप-समितिने यह निश्चय किया है कि प्रान्तोके प्रतिनिधियोको अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी वही बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए अपने सदस्योका चुनाव करेगी। किसी भी प्रान्तसे जितने प्रतिनिधि चुने जाते है, उसमे से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए निर्वाचित सदस्योकी सख्याको छोड़कर शेषका चुनाव भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी करेगी। किसी प्रान्तसे निर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य स्वत. प्रतिनिधि भी होंगे। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीका कार्य कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और नीतियोंको कार्यान्वित करना होगा।

गांधीजीने कार्य-समितिकी शक्तियोंकी भी चर्चा की, और कहा कि कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रमको लागू करना कार्य-समितिका काम है। लेकिन कार्य-समितिका काम कांग्रेसके निर्णयोंकी व्याख्या करना भी है। 'कम्यूनल अवार्ड'-सम्बन्धी प्रस्ताव और कांग्रेसका उसके प्रति रवैया[1] उन आत्यंतिक दृष्टान्तोंमें से है, जबकि कार्य-समितिने कांग्रेसके दृष्टिकोणको व्यक्त किया था। कार्य-समितिकी भूमिका देशमें कांग्रेसके जागरूक प्रहरीकी होगी, जिसे कभी भी अवसर आनेपर कांग्रेसके निर्णयोंकी व्याख्या करनेका अधिकार होगा। कार्य-समिति कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसके सदस्य

१. बम्बईमें १७ और १८ जूनको पास किये गये प्रस्ताव; देखिए खण्ड ५८।

महज कठपुतले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका काम है कि वह कार्य-समिति पर पूरी तरह भरोसा करे और उसे जो विवेकाधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारोंको वह कार्य-समितिको प्रदान करे। कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित की जानेवाली नीति क्या हो, इसमें मार्गदर्शन करनेका काम कार्य-समितिका है। गांधीजीने कहा:

ऐसे अवसर आयेंगे जब कार्य-समितिको जोखिमके निश्चय भी करने होंगे। पिछले कितने ही वर्षोंसे कार्य-समितियाँ जोखिमके कदम उठाती रही हैं और एक भी ऐसा अवसर नही आया है जबकि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने कार्य-समितिके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पास किया हो। जो कार्य-समिति जोखिम उठानेको तैयार नही हो, ऐसी कार्य-समिति सर्वथा बेकार है।

उप-समितिने सिफारिश की है कि किसी भी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीमे १०० से अधिक सदस्य नही होंगे और जिन प्रान्तोंमें इससे ज्यादा सदस्य हैं वे अपनी सदस्य-संख्यामे कमी कर देंगे, और जिन प्रान्तोमे यह संख्या १०० से कम है वे अगले चुनावों तक उतनी ही संख्या रखेंगे। प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनोंके अन्तर्गत यह आवश्यक है कि यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलवानी हो तो कम-से-कम १५ सदस्योंके हस्ताक्षर इस आशयकी माँगपर होने चाहिए। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे कोरम पूरा करनेके लिए २५ सदस्योंका होना आवश्यक होगा।

संविधानमें प्रस्तावित बुनियादी परिवर्तनोंको समझानेके बाद गांधीजीने सदनसे रिपोर्टपर विचार आरम्भ करनेका अनुरोध किया।

महात्मा गांधीने निम्नलिखित रिपोर्ट विषय-समितिके सामने प्रस्तुत की:

आपके कलके प्रस्तावके अनुसार हमने काग्रेस-संविधानमे कार्य-समिति द्वारा सुझाये गये संशोधनोंपर विचार किया है और हम अपनी रिपोर्टका मसौदा प्रस्तुत करते हैं जोकि इसके साथ संलग्न है। हमें यह कहते हुए खुशी होती है कि हम यह रिपोर्ट सर्वसम्मतिसे तैयार कर सके हैं।

कार्य-समितिके मसौदेमे हमने जो मुख्य परिवर्तन किये हैं उन्हे सक्षेपमे इस प्रकार बताया जा सकता है:

१. अनुच्छेद २ में "कार्य-समितिकी पूर्व-स्वीकृति" के बजाय हमने ये शब्द रखे हैं: "(प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके रूपमें) उसके द्वारा और उसकी ओरसे बनाये गये तथा कार्य-समिति द्वारा स्वीकृत नियमोंके अनुसार"।

२. अनुच्छेद ३ में हमने मामूली परिवर्तन किये हैं जैसे, संयुक्त प्रान्त और मध्य-प्रान्त (हिन्दुस्तानी)के नाम क्रमश. बदलकर हिन्द और महाकौशल कर दिये गये हैं और धारा (ग)की अन्तिम धाराको, जोकि अनावश्यक है, हमने निकाल दिया है।

३. अनुच्छेद ४ में हमने मजदूर-मताधिकारको जोड दिया है और खादी-सम्बन्धी धाराके साथ उसकी सगति बैठानेके खयालमे हमने उसमें कुछ मामूली शाब्दिक परिवर्तन कर दिये हैं।

हमने इस अनुच्छेदमे एक नई और महत्त्वपूर्ण धारा भी जोडी है जो इस प्रकार है :

> किसी भी चुनी जानेवाली काग्रेस कमेटीका कोई सदस्य किसी ऐसे साम्प्रदायिक सगठनकी किसी कमेटीका सदस्य नही होगा जिसके उद्देश्य या कार्यक्रममे ऐसे कार्य सम्मिलित हों जो कार्य-समितिकी दृष्टिमे राष्ट्रविरोधी हो अथवा काग्रेसके उद्देश्य या कार्योंके विरुद्ध हो।

४. अनुच्छेद ५ मे हमने प्रतिनिधियोंकी मूल योजनाको इस प्रकार परिवर्तित कर दिया है :

(१) प्रतिनिधियोकी सख्या १,००० से बढाकर २,००० कर दी गई है। प्रत्येक प्रतिनिधि १,००० के बजाय कम-से-कम ५०० प्रारम्भिक सदस्योवाले निर्वाचन-क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करेगा।

(२) शहरी क्षेत्रोको कुल मिलाकर ५११ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा और ग्रामीण क्षेत्रोको ज्यादा-से-ज्यादा १,४८९ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा। जिन प्रान्तोको अभीतक आवादीके अनुसार निश्चित की गई सख्यामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार था, वे प्रान्त अब उससे ज्यादा सख्यामें प्रतिनिधि नही भेज सकेंगे और प्रत्येक प्रान्तको कम-से-कम दस प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा, भले ही उस प्रान्तके प्रारम्भिक सदस्योकी सख्या इतने प्रतिनिधि भेज सकनेकी दृष्टिसे कम ही क्यो न हो।

(३) वम्बई नगरको २१ प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार देकर, उसके दावोको मान्यता दी गई है, इस अधि-प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था करनेके कारण हमें ग्रामीण क्षेत्रोको ११ प्रतिनिधियोसे वंचित करना पडा है।

(४) जिस प्रान्तके प्रतिनिधियोकी संख्या १०० से ऊपर होगी, वहाँ प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्योमे उस प्रान्तके अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे तथा १०० सदस्योकी सख्या पूरी करनेके लिए प्रतिनिधियो द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल होगे। जिन प्रान्तोमे प्रतिनिधियोकी कुल सख्या १०० से कम होगी, वहाँ वे ही प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके भी सदस्य होगे।

(५) काग्रेस-अध्यक्षका अगले वर्षके लिए चुनाव प्रतिनिधियो द्वारा निम्नलिखित ढंगसे होगा।

प्रतिनिधि चुने जानेके शीघ्र बाद ही प्रतिनिधियोंकी बैठक प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सभापतिकी अध्यक्षतामे होगी। ये प्रतिनिधि अध्यक्षका चुनाव करेगे। यदि एकसे ज्यादा उम्मीदवार होगे तो सभापति प्रत्येक उम्मीदवारको प्राप्त हुए वोटोकी सख्या लिख लेगा। लेकिन एक ही उम्मीदवार होनेकी स्थितिमे उस उम्मीदवारको उतने मत मिले माने जायेंगे जितनी कि बैठकमे उपस्थित प्रतिनिधियोकी सख्या होगी। ये चुनाव कार्य-समिति द्वारा निर्धारित तिथिको एकसाथ सभी जगह होगे। प्रान्तीय काग्रेस कमेटी परिणामोको डाकके जरिये कार्य-समितिको भेज देगी और जिस उम्मीदवारको सबसे ज्यादा वोट मिले होगे उसे अगले वर्षके लिए अध्यक्ष घोषित कर दिया जायेगा।

प्रतिनिधियोकी बैठक अपने कोटेके अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योको भी चुनेगी।

(६) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी अधिकतम संख्या १६६ नियत की गई है। प्रत्येक प्रान्तके प्रति १२ प्रतिनिधियोके पीछे एक सदस्य होगा और प्रत्येक प्रान्तसे कम-से-कम एक सदस्य होगा, भले ही उस प्रान्तसे १२ प्रतिनिधि न हो। ये सदस्य प्रतिनिधियोकी पूर्वोक्त बैठकमे एकल सक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार चुने जायेंगे। जहाँ आवश्यक होगा, उन प्रान्तोंमे प्रतिनिधियोकी यही बैठक प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य भी चुनेगी।

इस बातको ध्यानमे रखते हुए कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी सदस्य-संख्या बहुत कम कर दी गई है, सदस्योकी यह इच्छा है कि सविधानमें इस बातको जोरदार शब्दोमे स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्य-समितिको कोई नई नीति नही निर्धारित करनी चाहिए। कार्य-समिति एक कार्यकारी सस्था होगी और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी समय-समयपर जो नीतियाँ निर्धारित करेगी, कार्य-समितिका काम उन्हीको कार्यान्वित करना मात्र होगा।

५. उप-समिति यह सिफारिश करती है कि निजी सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावोपर विचार करनेके लिए एक दिनका समय निरपवाद रूपसे दिया जाना चाहिए।

६. उप-समिति यह सिफारिश करती है कि साम्प्रदायिक मामलोसे सम्बन्धित अनुच्छेदको निकाल दिया जाना चाहिए।

७. संक्रमण-कालके दौरान प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके घटे हुए कोटेके सदस्योको चुनेगी, और सक्रमण-कालके लिए पूरी सदस्य-संख्या भी १६६ होगी जो वर्तमान अनुपातोके हिसाबसे विभिन्न प्रान्तोमें वितरित की जायेगी।

८. जिन प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोमे सदस्यो की संख्या १०० से ज्यादा है वे उसे घटाकर १०० कर लेंगी। ये चुनाव १५ जनवरीतक हो जायेंगे।

बंगालके सदस्य श्री मजूमदारने पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि प्रस्तावित संविधानके अन्तर्गत सदस्योंका सीधा निर्वाचन होगा जबकि पहलेवाले संविधानमें अप्रत्यक्ष चुनावकी व्यवस्था थी।

गांधीजीने स्वीकार किया कि हाँ, अभी ऐसा ही है, लेकिन नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोई अधीनस्थ संस्था नहीं है, और मैंने मूलतः जो प्रस्ताव किया था उसके मुकाबले इस संस्थामें कम सदस्य होंगे।

गांधीजीने सदनसे अनुरोध किया कि सदस्यगण संशोधन न पेश करें, लेकिन सुझाव दें और कहा कि यदि मुझे ये सुझाव व्यावहारिक लगे तो मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यदि सदन रिपोर्टके ऊपर वाद-विवाद चाहता है, तो संशोधन पेश किये जाने चाहिए और अध्यक्ष महोदय वाद-विवादका नियमन करेंगे।

बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनने सदनकी स्वीकृतिके लिए इस प्रस्तावका अनुमोदन किया।

श्री सम्पूर्णानन्दने गांधीजीसे पूछा कि क्या उप-समितिके सदस्योंको खुले अधिवेशनमें अनुच्छेद १ के प्रश्नपर मतदानकी स्वतन्त्रता होगी, और जवाबमें गांधीजीने कहा कि हाँ, होगी।

नये संविधानके लागू होनेके बाद बंगालमें चुनावोंके सम्बन्धमें प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि अगले चुनाव होनेतक वर्तमान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी घटी हुई सदस्य-संख्याके साथ काम करती रहेगी।

डॉ० चोइथराम गिडवानीने उस संशोधनका विरोध किया जिसके अनुसार यू० पी० (संयुक्त प्रान्त)का नाम 'हिन्द' रखनेका सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि 'हिन्द' के मतलब हैं सारा भारतवर्ष।

सरदार शार्दूलसिंहने संशोधनका अनुमोदन किया।

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने डॉ० चोइथरामका समर्थन किया और कहा कि यदि यू० पी० (संयुक्त प्रान्त) के लिए 'हिन्द' नाम स्वीकार किया जाता है तो गीतों और राष्ट्रीय नारोंमें कई परिवर्तन करने पड़ेंगे . . .।

इस जगह महात्माजीने कहा कि मैंने यह सुझाव इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि कई लोगोंने शिकायत की थी कि उनके पास यू० पी० के लिए कोई नाम नहीं है। लेकिन यह देखकर कि बहुतसे सदस्य इसके विरुद्ध हैं मैं इसे वापस लेता हूँ। ऐसा मैं उप-समितिके सदस्योंसे सलाह किये बगैर कर रहा हूँ।

जब कुछ सदस्योंने कहा कि उन्हें इस बातपर एतराज नहीं है कि मध्य प्रान्त (हिन्दी)को महाकौशल कहा जाये, तब महात्माजीने हँसीके बीच कहा :

ऐसा लगता है कि आप बेचारे जवाहरलालसे द्वेष रखते हैं जोकि नैनी जेलके भीतर हैं। यह उनका ही सुझाव था कि यू० पी० (संयुक्त प्रान्त) को 'हिन्द' नाम दिया जाये।

तब सरदार शार्दूलसिंहने इस आशयका एक संशोधन पेश किया कि चूँकि बम्बईको अधि-प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है इसलिए सीमा-प्रान्तको भी अधि-प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँके लोग इसके और ज्यादा अधिकारी हैं।

महात्माजीने कहा कि मैं अधि-प्रतिनिधित्व दिये जानेके विरुद्ध हूँ और बम्बईको दिये गये अधि-प्रतिनिधित्वको खत्म करनेके लिए तैयार हूँ।

बहसके दौरान उठाये गये कई मुद्दोंका जवाब देते हुए गांधीजीने कहा कि यह दुखकी बात है कि रिपोर्टमें कई संशोधन पेश किये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन रिपोर्टको या तो ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे, क्योंकि यह रिपोर्ट एक सम्पूर्ण संयुक्त योजना है और इसे जहाँ-तहाँ बदला नहीं जा सकता।

गांधीजीने कहा, यह सुझाव कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सदस्य संख्या ३५० रहे, उसे एक अत्यन्त ढीली-ढाली संस्था बना देता है। मेरा उद्देश्य संख्या नहीं बल्कि गुणकी प्राप्ति है।

श्री कालेश्वररावके संशोधनकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि अगले चुनावोंके लिए १५ जनवरी इसलिए नियत की गई है क्योंकि उस समयतक बहुत-से कांग्रेसजनोंको चुनावका बुखार चढ़ा होगा और भले-चंगे हो जानेके बाद ही वे इकट्ठा होकर चुनाव करा सकेंगे।

समाजवादियोंके सम्बन्धमें गांधीजीने कहा कि व्याकुल होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गुट संविधानको सुचारु रूपसे कार्यान्वित नहीं कर सकता तो यह गुटके ऊपर है कि सम्बन्धित क्षेत्रमें वह गुट उपद्रव पैदा करनेवाले अपने तत्त्वोंके हाथोंमें यह कहकर कांग्रेसको चलानेका भार सौंप दे कि हम हर चीज तुम्हारे हाथोंमें सौंप देंगे। गांधीजीने कहा कि समाजवादी गुटके प्रति शंका करनेकी कोई बात नहीं है। समाजवादी गुटवाले भी भूखो मर रही मानवताकी सहायता करना चाहते हैं, इसलिए वे भी हमारी सहायता करेंगे। यदि समाजवादी लोग कांग्रेसमें प्रधानता प्राप्त कर लें और उसपर अधिकार कर लें तो इसका उनको पूरा अधिकार है।

एकल संक्रमणीय मतोकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा कि ऐसे कई मौके आये हैं जब मुझे टेढ़ी स्थितियोंसे बचकर निकलना पड़ा है, और अनेक कांग्रेसजनोंको उस स्थितिसे गुजरना होगा। जहांतक ग्रामीण कार्यकर्ताओका सवाल है, यह बात कठिन होगी। लेकिन जहाँतक मेरा सवाल है, मैं समाजवादियोंसे कहूँगा कि वे या तो मेरे काममें हाथ बँटायें और कन्धेसे-कन्धा मिला कर काम करे अथवा उस गाँवको छोड़कर किसी और गाँवमें जाकर काम करें।

कांग्रेसका अधिवेशन वर्षमें कब किया जाये, इस प्रश्नपर थोड़ी बहस हुई और यह तय किया गया कि अधिवेशन फरवरी या मार्चमें किसी समय किया जाये। गांधीजीने कहा कि अधिवेशन विशेष रूपसे फरवरी या मार्चमें इसलिए किया जा रहा है ताकि लँगोटी पहननेवाले गाँववाले उसमें आ सकें और विषय-समितिके सदस्य उन्हें गलेसे लगा सकें। (हर्ष-ध्वनि)

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीने प्रस्ताव किया कि एकल संक्रमणीय मतदानको स्वीकार करने या न करनेके बारेमें प्रान्तोंको स्वतन्त्रता दी जाये। लेकिन महात्माजीने इस संशोधनको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया और इस संशोधनके विरुद्ध मत दिया।

गांधीजीने हँसते हुए कहा कि यदि मत मेरे खिलाफ पड़ता तो मैं मतदान करानेवाला ही था। (हँसी)

उप-समितिकी रिपोर्ट सर्वसम्मतिसे स्वीकार कर ली गई।

महात्माजीने रिपोर्टको सर्वसम्मतिसे स्वीकार करनेके लिए विषय-समितिको धन्यवाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि कराचीने एक पृथक् प्रान्त बननेका निश्चय किया

है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि यदि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंसे प्रति सदस्य १० रुपये देनेको कहा जाये तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधियोंका शुल्क ५ रुपये होगा, न कि १० रुपये, जैसाकि इस समय है।

भारतीय रियासतोंके विषयमें प्रस्ताव पेश किया जानेवाला ही था कि महात्माजीने कहा कि भारतीय रियासतोंका मामला बहुत नाजुक मामला है।

भारतीय रियासतोंकी जनताके बारेमें कार्य-समितिके विचारोंको ध्यानमें रखते हुए गांधीजीने निम्नलिखित प्रस्तावका मसौदा पेश किया है। तथापि, गांधीजीने सलाह दी कि यह मसविदा कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया जाये, लेकिन रियासतोंकी प्रजाके प्रतिनिधियोंकी सलाहसे विषय-समिति एक फार्मूला तैयार करे। इस उप-समितिकी *रिपोर्टको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अगली बैठकमें पेश किया जायेगा।* गांधीजीका फार्मूला इस प्रकार था:

चूंकि बहुत-से गुटो द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृतिके लिए कांग्रेसको प्राप्त हुए है जिनमे कांग्रेससे भारतीय रियासतोके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्ट करनेको भी कहा गया है, इसलिए यहाँ निश्चित किया जाता है कि:

कांग्रेस विभिन्न राज्योंके आन्तरिक प्रशासनकी नीतिपर दृढ़ रहेगी। तथापि, कांग्रेस सम्पूर्ण भारतवर्षको एक अविभाज्य इकाईके रूपमें मान्यता देती है — इस बातका लिहाज किये विना कि इस समय वह विभिन्न प्रणालियोंके अन्तर्गत विभाजित और शासित है — और इसीलिए कुछ राज्योंकी इस प्रवृत्तिपर खेद प्रकट करती है कि वे अपनी रियासतोसे अलग क्षेत्रोंके निवासी भारतीयोंको विदेशी मानते है और कांग्रेसके पिछले अधिवेशनोमे की गई अपनी यह अपील दोहराती है कि भारतीय नरेश अपनी रियासतोंमें उत्तरदायी सरकार स्थापित करे और अपने राज्यमे रहनेवाले लोगोके नागरिक और राजनीतिक अधिकारोको स्वीकार करे। यह कांग्रेस विभिन्न रियासतोमे रहनेवाली जनताकी उचित आकाक्षाओ तथा उनकी और अधिक आत्माभिव्यक्तिकी इच्छाके साथ अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करती है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-१०-१९३४

२७२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका संविधान

[२८ अक्टूबर, १९३४][1]

उद्देश्य

अनुच्छेद १

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका उद्देश्य सभी प्रकारके वैध और शान्तिपूर्ण तरीकोंसे पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

अनुच्छेद २

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमे निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :

(१) अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत प्राथमिक समितियोंके सदस्य,
(२) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ,
(३) वार्षिक अधिवेशन,
(४) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
(५) कार्य-समिति,

और इसमे ये भी समाविष्ट हो सकते हैं : (क) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अथवा कार्य-समिति द्वारा सीधे संगठित की गई समितियाँ या सघ, आदि, अथवा (ख) कार्य-समितिकी ओरसे और उसके द्वारा स्वीकृत नियमोंके अन्तर्गत प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सगठित समितियाँ।

सदस्यता

अनुच्छेद ३

(क) १८ वर्षसे अधिक वयवाला कोई भी व्यक्ति जिसको अनुच्छेद १ मे विश्वास है, अपने इस विश्वासकी लिखित घोषणा करेगा और साथमे सलग्न फॉर्म 'क' को भरकर सदस्यताके लिए अर्जी और चार आने देगा। ऐसा करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका नाम सामान्यतः वह जिस जिलेमें रहता है अथवा अपना कारोबार करता है उस जिलेके किसी भी अधिकृत कार्यालयमे रखे कांग्रेस-सदस्योंके रजिस्टरमे दर्ज कर लिया जायेगा।

इसमे यह शर्त है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समयमे एकसे ज्यादा प्राथमिक कमेटियोंका सदस्य नही हो सकता।

१. गांधीजीने संशोधित संविधानसे युक्त प्रस्तावको कांग्रेस-अधिवेशनमें इसी तारीखको रखा था, देखिए अगला शीर्षक।

(ख) अर्जीकी दो प्रतियाँ दी जायेंगी। कोई व्यक्ति अपनी अर्जी स्वयं आकर दे सकता है, अथवा डाकके जरिये या किसी अन्य व्यक्तिके हाथों भिजवा सकता है।

(ग) अर्जीमें उम्मीदवार अपना पूरा नाम, वय, स्त्री/पुरुष, अपना धन्धा और जिस जगह वह सामान्यतः रहता है या अपना कारोबार करता है, उस गाँवका, ताल्लुकेका, जिलेका, और प्रान्तका नाम देगा।

(घ) अर्जी प्राप्त करनेवाला अधिकारी अर्जीपर अर्जी प्राप्त करनेकी तारीख, क्रम-संख्या और अन्य निर्धारित विवरण दर्ज करनेके बाद अर्जीकी एक प्रति सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको भेज देगा।

(ङ) सदस्य बना लिये जानेके बाद अर्जी देनेवालेको सदस्यताका प्रमाणपत्र दिया जायेगा। इस प्रमाणपत्रका स्वरूप संलग्न फार्म 'ख' के अनुसार होगा। प्रमाण-पत्र टिकाऊ कागजपर छपा और सदस्य जिस प्रान्तका निवासी है उस प्रान्तकी भाषामें होगा अथवा देवनागरी या उर्दू लिपिमें हिन्दुस्तानी भाषामें होगा।

(च) जबतक कार्य-समिति कोई विपरीत आदेश न दे तबतक सदस्यताका वर्ष १ अप्रैलसे ३१ मार्चतक माना जायेगा, और वर्षके बीचमें सदस्य बननेवालोंके चन्देमें कोई कमी नहीं होगी।

प्रान्त

अनुच्छेद ४

(क) प्रान्तोंके नाम निम्नलिखित रूपमें होंगे और मुख्य कार्यालयका नाम उनके सामने दिया गया है:

प्रान्त	भाषा	मुख्य कार्यालय
१. अजमेर-मेरवाड़ा	हिन्दुस्तानी	अजमेर
२ आन्ध्र	तेलुगु	बैजवाड़ा
३. असम	असमिया	गौहाटी
४. बिहार	हिन्दुस्तानी	पटना
५ बंगाल	बंगला	कलकत्ता
६. बरार	मराठी	अमरावती
७. बम्बई (नगर)	मराठी और गुजराती	बम्बई
८ बर्मा	बर्मी	रंगून
९ मध्य प्रान्त (मराठी)	[मराठी]	[नागपुर]
१० दिल्ली	हिन्दुस्तानी	दिल्ली
११. गुजरात	गुजराती	अहमदाबाद
१२. कर्नाटक	कन्नड़	धारवाड़
१३. केरल	मलयालम	कालीकट
१४. महाकोशल (मध्यप्रान्त हिन्दुस्तानी)	हिन्दुस्तानी	जबलपुर
१५ महाराष्ट्र	मराठी	पूना
१६. उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त	हिन्दुस्तानी	पेशावर

१७. पंजाब	पंजाबी	लाहौर
१८. सिंध	सिंधी	कराची
१९. तमिलनाडु	तमिल	मद्रास
२० सयुक्त प्रान्त	हिन्दुस्तानी	लखनऊ
२१. उत्कल	उडिया	कटक

(ख) किसी भी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीको कार्य-समितिकी पूर्वानुमतिसे अपने मुख्य-कार्यालयको समय-समयपर वदलनेका अधिकार होगा।

(ग) कार्य-समिति, किसी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी या कमेटियोकी इच्छाको जाननेके वाद एक नये प्रान्तकी रचना कर सकती है, या एक प्रान्तके अमुक जिलोको दूसरे प्रान्तके अधीन कर सकती है। वह किसी देशी रियासतको भी किसी प्रान्तके जिम्मे कर सकती है।

योग्यता

अनुच्छेद ५

(क) जो सदस्य किसी चुनावकी तारीखसे पहले लगातार ६ महीनेसे काग्रेसका सदस्य होगा वही चुनावमे मतदान करनेका अधिकारी होगा।

(ख) इस अनुच्छेदकी धारा (क) के अन्तर्गत योग्यता-प्राप्त होनेपर भी कोई सदस्य किसी पदके लिए अथवा किसी काग्रेस कमेटीकी सदस्यताके लिए तवतक चुनाव लडनेका अधिकारी नही होगा जबतक कि :

(१) वह पूर्णत. हाथ-कती और हाथ-बुनी खादीका नियमित प्रयोग न करता हो,

(२) जवतक कि उसने चुनावके लिए नामाकनकी तारीखसे पहले छ. महीनो तक काग्रेसकी ओरसे या काग्रेसकी खातिर लगातार कोई ऐसा शारीरिक श्रम न किया हो जिसका मूल्य प्रतिमाह काते गये १० अकसे ऊपरके अच्छे ५०० गज सूतके वरावर हो और समयके लिहाजसे जो एक माहम ८ घटेके श्रमके वरावर हो। कताईके विकल्पके रूपमें स्वीकार्य श्रम-कार्य क्या-क्या हो सकते है उन्हे सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ अथवा अखिल भारतीय चरखा-संघसे परामर्श करके कार्य-समिति समय-समयपर निर्धारित करेगी।

(३) यदि उम्मीदवारीके समय वह किसी अन्य समानान्तर समितिका पहले ही से सदस्य होगा तो वह चुनावमे खड़ा नही हो सकेगा।

(ग) जो व्यक्ति किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटीका सदस्य हो वह किसी ऐसे साम्प्रदायिक संगठनकी वैसी ही किसी निर्वाचित समितिका सदस्य नही वनेगा जिसके उद्देश्य और कार्यक्रममे ऐसी राजनीतिक प्रवृत्तियोका समावेश हो जो कार्य-समितिकी दृष्टिमे राष्ट्र-विरोधी है और काग्रेसके उद्देश्य और कार्यक्रमके विरुद्ध है।

प्रतिनिधियोंका चुनाव

अनुच्छेद ६

(क) कांग्रेसके हर वार्षिक अधिवेशनके बाद कार्य-समिति एक तिथि और समय निर्धारित करेगी; यह तिथि, जिस दिन उस तिथिका निर्धारण किया गया हो, उससे कमसे-कम ८ महीने बादकी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इस तिथि और समयतक अपनी प्राथमिक समितियोंके उन सदस्योंके नामोंकी एक प्रमाणित सूची कार्य-समितिको भेज देगी जिन्हें कि मत देनेका अधिकार है। यह सूची कार्य-समितिके दफ्तरमें उस तिथिको या उससे पहले पहुँच जानी चाहिए अथवा यदि तिथि बढ़ा दी गई हो तो उस बढ़ी हुई तिथि (अथवा) समयतक पहुँच जानी चाहिए।

(ख) जो सदस्य इस सूचीमें शामिल होंगे, केवल उन्हें ही अपने प्रान्तमें प्रतिनिधियोंके चुनावमें मत देनेका अधिकार होगा।

(ग) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी समयके अन्दर सूची नहीं भेजती तो उस प्रान्तको अपने प्रतिनिधि चुननेके अधिकारसे वंचित किया जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त सूचियाँ मिलनेके बाद कार्य-समिति एक तिथि निर्धारित करेगी, इस तिथितक प्रतिनिधियोंका चुनाव हो जाना चाहिए। कार्य-समिति प्रत्येक प्रान्तसे भेजे जानेवाले प्रतिनिधियोंका कोटा भी तय करेगी, और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे अपने-अपने कोटेके अनुसार प्रतिनिधियोंका चुनाव करानेको कहेगी।

(ङ) चुनावके खयालसे इस संविधानके अनुच्छेद ४ में उल्लिखित प्रान्तोंको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोंमें बाँट दिया जायेगा।

टिप्पणी: 'शहरी क्षेत्र' का मतलब उन शहरोंसे है जिनकी आबादी दस हजार व्यक्तियोंसे ज्यादा है। 'ग्रामीण क्षेत्र' का अर्थ है वह क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र नहीं है।

(च) किसी जिलेके ग्रामीण क्षेत्रको, और १०,००० से अधिक आबादीवाले प्रत्येक शहरको अपनी प्राथमिक समितियोंमें दर्ज प्रति ५०० सदस्योंके पीछे या कार्य-समिति द्वारा इस अनुच्छेदकी धारा (ज) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तोंके अधीन निर्धारित सदस्य-संख्याके पीछे एक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा.

(१) प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या दो हजारसे अधिक नहीं होगी। इस संख्यामेंसे शहरी क्षेत्रों से चुने जानेवाले प्रतिनिधियोंकी अधिकतम संख्या ५११ होगी और ग्रामीण क्षेत्रोंके लिए यह अधिकतम संख्या १४८९ होगी।

(२) कोई भी प्रान्त, जिसमें उसके अन्तर्गत आनेवाली देशी रियासतें या एजेन्सियाँ भी शामिल होंगी, १९२१ की जन-गणनाके अनुसार अपनी आबादीमें से प्रत्येक १,५०,००० निवासियों अथवा उसके किसी अंशके पीछे एकसे अधिक प्रतिनिधि नहीं भेज सकेगा।

शर्त १: किसी प्रान्तमें शहरी क्षेत्रोंसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्या उस प्रान्तसे चुने जानेवाले प्रतिनिधियोंकी कुल संख्याके २५ प्रतिशतसे ज्यादा नहीं होगी।

शर्त २: बम्बई (शहर)का प्रतिनिधियोंका अधिकतम कोटा २१ होगा।

शर्त ३ : प्रत्येक प्रान्त, उसके प्राथमिक सदस्योकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, कमसे-कम १० प्रतिनिधि भेजनेका अधिकारी होगा।

(छ) (१) जिस जिलेके ग्रामीण क्षेत्रमें प्राथमिक समितियोके योग्यता-प्राप्त सदस्य पर्याप्त सख्यामे होगे, वहाँ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी उस ग्रामीण क्षेत्रको उपयुक्त हलकोमे इस प्रकार बाँट देगी कि प्रत्येक हलकेमें कमसेकम ५०० योग्यता-प्राप्त सदस्य होगे, और प्रत्येक हलकेको एक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार होगा।

(२) किसी जिलेके किसी हलके या आपसमे लगे हुए एकसे अधिक हलकोकी प्राथमिक समितियोंके ५०० योग्य सदस्योकी माँगपर उक्त हलकोको मिलाकर बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बना दिया जायेगा, लेकिन किसी भी बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रमे पाँचसे अधिक सीटे नही होंगी।

(३) जहाँ भी सम्भव होगा, वहाँ १०,००० से अधिक आबादीवाले हर शहरको कमसे-कम पाँच और ज्यादासे-ज्यादा दस सीटोवाले बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोमें बाँट दिया जायेगा। शर्त यही होगी कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्रमे प्रति सीटके पीछे ५०० योग्य सदस्य हो। लेकिन जिस शहरमें योग्यता-प्राप्त सदस्योकी सख्या २,५०० से कम है, वहाँ कमसे-कम सदस्योंके पीछे एक प्रतिनिधिके अनुसार उस शहरको बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोमे बाँट दिया जायेगा। शर्त यह होगी कि प्रति सीटके पीछे कमसे-कम ५०० योग्य सदस्य होने चाहिए। लेकिन जहाँ योग्य सदस्योंकी सख्या २,५०० से कम होगी वहाँ शहरको कमसे-कम ५०० सदस्योके पीछे एक सीटके हिसाबसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र बना दिया जायेगा।

(४) बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोमे चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधारपर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीके अनुसार होगा।

(ज) जब भी आवश्यक होगा तब कार्य-समिति प्रति ५०० योग्य सदस्योके पीछे एक प्रतिनिधिके अनुपातमें परिवर्तन कर सकती है और किसी शहरी या ग्रामीण क्षेत्रके लिए एक अधिक ऊँची संख्या निर्धारित कर सकती है, ताकि प्रत्येक प्रान्तमें शहरी और ग्रामीण प्रतिनिधियोकी कुल सख्याका अनुपात क्रमश १ और ३ हो जाये और कुल प्रतिनिधि-संख्या च (२) के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम संख्यासे ज्यादा न बढ़ने पाये।

(झ) जो प्रान्त कार्य-समिति द्वारा निर्धारित तारीखतक या उससे पहले चुनाव सम्पन्न नही करा लेगा उसे कार्य-समिति वार्षिक अधिवेशनमें प्रतिनिधि भेजनेसे रोक सकती है।

(ञ) प्रान्तीय काग्रेस कमेटी प्रतिनिधियोकी एक प्रमाणित सूची कार्य-समिति द्वारा निर्धारित तारीखतक या उससे पहले कार्य-समितिके पास भेज देगी।

(ट) प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रान्तकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके कार्यालयमें ५ रुपये जमा करने पर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जोकि यहाँ सलग्न फार्म 'ग'के अनुसार होगा। इस प्रमाणपत्रपर मन्त्रियोके हस्ताक्षर होगे। इस प्रमाणपत्रके न होनेपर कोई प्रतिनिधि अपने पद या अधिकारका प्रयोग नही कर सकेगा।

प्रतिनिधियो द्वारा निर्वाचन

अनुच्छेद ७

(क) प्रतिनिधियोकी सूचियाँ प्राप्त हो जानेपर कार्य-समिति एक तारीख निश्चित करेगी। इस तारीखको प्रत्येक प्रान्तमे प्रतिनिधि लोग एक बैठकके रूपमे एकत्र होगे और निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करेगे

(१) वे आगामी वर्षके लिए कांग्रेसके अध्यक्षपदके उम्मीदवार या उम्मीदवारोके नाम प्रस्तावित करेगे, और प्रत्येक उम्मीदवारके लिए बैठकमें उपस्थित प्रत्येक प्रतिनिधिका मत लेगें।

(२) वे अपने बीचसे अपनी सख्याके १/१२ सदस्योको चुनकर अपने प्रान्तकी ओरसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्यके रूपमें भेजेंगे।

(३) यदि किसी प्रान्तके प्रतिनिधियोकी संख्या १०० से ज्यादा है, तो वे धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए चुने गये सदस्योके अलावा अपने बीचसे कुछ सदस्य और चुनेगे। अ० भा० का० कमेटीके लिए चुने गये सदस्यो सहित इन अन्य चुने गये सदस्योकी सख्या १०० होनी होगी, और ये १०० सदस्य प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगें।

(ख) धारा (क)की उप-धारा (२) और (३) मे बताये गये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्वके आधारपर एकल संक्रमणीय मत प्रणालीके अनुसार किये जायेंगे।

(ग) विभिन्न प्रान्तोसे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए चुने गये सदस्योंको उन प्रान्तोकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके मन्त्री सदस्यताका प्रमाणपत्र जारी करेगें।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ

अनुच्छेद ८

(क) किसी प्रान्तसे अनुच्छेद ६ के अधीन चुने गये प्रतिनिधि, अथवा यदि किसी प्रान्तमे प्रतिनिधियोकी सख्या १०० से अधिक है, तो वहाँ अनुच्छेद ७ (क) (३)के अन्तर्गत चुने गये १०० प्रतिनिधि, तथा अध्यक्ष तथा सभी भूतपूर्व अध्यक्ष, बशर्ते कि वे अनुच्छेद ३ और ५ के अन्तर्गत योग्यता-प्राप्त है, उस प्रान्तकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे।

(ख) प्रत्येक प्रान्तीय काग्रेस कमेटी :

(१) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके नियन्त्रण और निरीक्षणमें कार्य करेगी, लेकिन अपने प्रान्तमें काग्रेस-सम्बन्धी सभी कार्योका भार

उसपर होगा। वह प्रान्तमें कांग्रेस-कार्यके संचालनके लिए नियम बनायेगी, किन्तु ये नियम संविधानके विपरीत नहीं होने चाहिए। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाये गये नियम कार्य-समितिकी पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करनेके बाद ही क्रियात्मक रूप ग्रहण करेंगे।

(२) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशन आरम्भ होनेसे कमसे-कम एक महीना पहले अपने प्रान्तमें किये गये कार्यका वार्षिक विवरण कार्य-समितिको भेज देगी।

(३) नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुच्छेद ९ (छ) के अन्तर्गत विषय-समितिके रूपमें अपनी बैठक करे, इससे पहले ही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ प्रतिनिधियोंसे प्राप्त शुल्ककी रकम, और किसी प्रान्तकी आबादी, सदस्यता, और आर्थिक क्षमताको ध्यानमें रखते हुए, कार्य-समिति द्वारा निर्धारित की गई चन्दे की रकम कार्य-समितिके पास जमा कर देगी। प्रान्तोंके जिन प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंपर लेनदारी रहेगी उन्हें कांग्रेस या कांग्रेसकी किसी समितिकी कार्रवाइयोंमें भाग लेनेकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

वार्षिक अधिवेशन

अनुच्छेद ९

(क) वार्षिक अधिवेशन सामान्यतः फरवरी या मार्च महीनेमें किया जायेगा। अगला वार्षिक अधिवेशन किस स्थानपर होगा इसका निर्णय पिछले अधिवेशनमें कर लिया जायेगा, अथवा उस स्थानपर किया जायेगा जिसका निर्णय कार्य-समिति करेगी।

(ख) वार्षिक अधिवेशनमें निम्नलिखित लोग शामिल होंगे

(१) कांग्रेस-अध्यक्ष,

(२) कांग्रेसके वे सभी भूतपूर्व अध्यक्ष जो अनुच्छेद ३ और ५ के अन्तर्गत योग्यता-प्राप्त हैं,

(३) अनुच्छेद ६ के अन्तर्गत चुने हुए प्रतिनिधिगण।

(ग) जिस प्रान्तमें अधिवेशन होगा वहाँकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी वार्षिक अधिवेशनके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगी, और इस उद्देश्यके लिए एक स्वागत-समिति बनायेगी जिसमें ऐसे लोगोंको भी शामिल किया जा सकता है जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य नहीं हैं।

(घ) स्वागत-समिति अधिवेशनके खर्चके लिए धन-संग्रह करेगी, प्रतिनिधियों और अभ्यागतोंका स्वागत करने और उनको ठहराने तथा अधिवेशनकी कार्यवाहीकी रिपोर्टको छपवानेके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगी।

(ङ) स्वागत-समितिके सदस्य अपने ही बीचसे अपने अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियोंका चुनाव करेंगे।

(च) (१) जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी, विभिन्न प्रान्तोके प्रतिनिधियो द्वारा अध्यक्ष-पदके लिए प्रस्तावित नामो, और प्रत्येक उम्मीदवारको प्राप्त होनेवाले मतोकी सूचना प्राप्त होनेके बाद कार्य-समिति सबसे ज्यादा मत पानेवाले उम्मीदवारको मनोनीत अध्यक्ष घोषित कर देगी।

(२) किसी भी कारणवश कोई आकस्मिक सकट उपस्थित हो जानेकी स्थितिमे, जैसेकि उपर्युक्त तरीकेसे निर्वाचित घोषित किये गये मनोनीत अध्यक्षकी मृत्यु हो जाने अथवा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दे देनेकी स्थितिमे, कार्य-समिति यह आकस्मिक संकट पैदा होनेके पन्द्रह दिनके अन्दर उस व्यक्तिको अध्यक्ष चुन लेगी जिसका स्थान अध्यक्ष-पदके चुनावमे प्राप्त मत-सख्याकी दृष्टिसे दूसरा था।

(छ) वार्षिक अधिवेशन आरम्भ होनेसे कमसे-कम दो दिन पहले अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी मनोनीत अध्यक्षकी अध्यक्षतामे विषय-समितिके रूपमें अपनी बैठक करेगी। पदमुक्त कार्य-समिति इस विषय-समितिके सामने अधिवेशनके कार्यक्रमका मसविदा प्रस्तुत करेगी जिसमे विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोकी सिफारिशके साथ भेजे गये प्रस्ताव भी शामिल होगे।

(ज) विषय-समिति अधिवेशनके कार्यक्रमपर विचार करेगी और खुले अधिवेशनमे पेश किये जानेवाले प्रस्तावोको तैयार करेगी। प्रान्तीय काग्रेस कमेटियो या कार्य-समितिके सदस्योके सिवा अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके किन्ही अन्य सदस्यो द्वारा पेश किये गये उन प्रस्तावोपर, जिनकी निर्धारित नियमानुसार उचित सूचना दे दी गई होगी, विचार करनेके लिए कमसे-कम एक दिनका समय दिया जायेगा।

(झ) काग्रेसकी प्रत्येक बैठकमे विविध विषयोको निम्नलिखित क्रमसे लिया जायेगा .

(१) वे प्रस्ताव जिन्हे विषय-समिति स्वीकार करनेकी सिफारिशके साथ पेश करेगी।

(२) कोई भी ऐसा तात्विक प्रस्ताव जो कि (१)मे शामिल नही है और जिसे दिनकी कार्यवाही आरम्भ होनेसे पहले २५ प्रतिनिधि लिखित रूपमे अध्यक्षसे पेश करनेकी अनुमति मांगे; शर्त यह है कि इस प्रकारका कोई प्रस्ताव पेश करनेकी अनुमति तबतक नही दी जायेगी जबतक कि उस प्रस्तावपर विषय-समितिकी बैठकमे पहले ही विचार न किया जा चुका हो और उस बैठकमें उपस्थित कमसे-कम एक तिहाई सदस्योका उस प्रस्तावको समर्थन न प्राप्त हुआ हो।

(ञ) स्वागत-समिति द्वारा इकट्ठी की गई कुल रकम और खर्चके ब्योरेकी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त एक या एकाधिक लेखा-परीक्षको द्वारा जांच की जायेगी, और प्रान्तीय काग्रेस कमेटी हिसाब-किताबका ब्योरा और लेखा-परीक्षककी

रिपोर्ट वार्षिक अधिवेशनकी समाप्तिके तीन महीनेके अन्दर-अन्दर कार्य-समितिको भेज देगी।

विशेष अधिवेशन

अनुच्छेद १०

(क) कार्य-समिति स्वय एक प्रस्ताव पास करके अथवा, जैसीकि अनुच्छेद ११ (ङ)मे व्यवस्था है, सदस्योकी ओरसे सयुक्त माँग-पत्र प्राप्त करने पर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी एक वैठक वुलायेगी जिसमे काग्रेसका एक विशेष अधिवेशन वुलानेके प्रस्तावपर विचार किया जायेगा। यह प्रस्ताव उपस्थित सदस्यो द्वारा दो-तिहाई वहुमतसे स्वीकृत होनेपर ही प्रभावकारी होगा। प्रस्ताव पास हो जानेके वाद कार्य-समिति काग्रेसका विशेष अधिवेशन वुलायेगी। अधिवेशनके समय और स्थान का निर्धारण भी कार्य-समिति ही करेगी। इस अधिवेशनके वारेमें संविधानके तत्सम्वन्धी अनुच्छेदोको उन परिवर्तनोके साथ लागू माना जायेगा जिन्हें कार्य-समिति जरूरी समझनेपर कर सकती है, लेकिन शर्त यही है कि ऐसे किसी विशेष अधिवेशनमे वे ही लोग प्रतिनिधि हो जो कि पिछले अधिवेशनमे भी प्रतिनिधि थे।

(ख) किसी विशेष अधिवेशनका अध्यक्ष प्रतिनिधियो द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

अनुच्छेद ११

(क) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष, अनुच्छेद ७ (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके लिए निर्वाचित सदस्य, और अनुच्छेद ९ (ख) (२) मे उल्लिखित सभी भूतपूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य होगे।

(ख) काग्रेसके अधिवेशनोमें निर्धारित कार्यक्रमको अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कार्यान्वित करेगी, और अपने पदकी अवधिके दौरान उठनेवाले सभी नये मसलोसे निपटेगी।

(ग) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको काग्रेससे सम्वन्धित सभी मामलोके सुचारु संचालनके लिए संविधानकी मर्यादामें रहते हुए नियम वनानेका अधिकार होगा।

(घ) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका सभापति होगा।

(ङ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी वैठक कार्य-समिति जव भी जरूरी समझेगी, वुला सकेगी। यदि कमसे-कम पन्द्रह सदस्य संयुक्त रूपसे कार्य-समितिसे माँग करेंगे तव भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी वैठक वुलाई जायेगी। वैठककी माँग करनेवाले सदस्य अपने माँगपत्रमें वैठक वुलानेका उद्देश्य स्पष्ट रूपसे सूचित करेंगे। ऐसी किसी वैठकमे अतिरिक्त मामलोपर भी विचार किया जा सकता है, वशर्ते कि उनकी पर्याप्त सूचना सदस्योको दे दी गई हो।

(च) बैठकका कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्योंका एक-तिहाई, या पच्चीस, दो में से जो भी कम हो, होगा।

(छ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका कार्य-काल अगले वार्षिक अधिवेशनके तुरन्त पहले नई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विषय-समितिके रूपमें अपनी बैठक करनेतक जारी रहेगा।

(ज) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रत्येक वर्ष अपने सामने आनेवाले चुनाव सम्बन्धी विवादोंकी जाँचके लिए अपनी पहली बैठकमें बारह सदस्योंका एक पैनेल (नाम-सूची) बनायेगी। विवादग्रस्त दोनों पक्ष इस नाम-सूचीमें से एक-एक व्यक्तिको अपने प्रतिनिधिके रूपमें चुनेंगे, और अध्यक्ष उस नाम-सूचीमें से एक सदस्यको निर्णायक नियुक्त करेगा।

(झ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समय-समयपर जिन संगठनोंको आवश्यक समझे उन्हें कांग्रेससे सम्बद्ध कर सकती है, बशर्ते कि इन संगठनोंके उद्देश्य ऐसे हैं जिनसे कांग्रेसके उद्देश्यको आगे बढ़ानेमें मदद मिले।

(ञ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीका प्रत्येक पदेन या निर्वाचित सदस्य १० रु० का वार्षिक चन्दा देगा, और यह चन्दा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पहली बैठकमें या उससे पहले चुका दिया जाना चाहिए। बाकीदार सदस्योंको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, विषय-समिति या किसी भी अधिवेशनमें भाग लेनेकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

कार्य-समिति

अनुच्छेद १२

(क) वार्षिक अधिवेशनका अध्यक्ष अपने कार्य-कालके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंमें से चौदह सदस्य चुनेगा जोकि उसकी कार्य-समितिके सदस्य होंगे। इन चौदह सदस्योंमें से ज्यादासे-ज्यादा तीन कांग्रेसके महामन्त्री और ज्यादासे-ज्यादा दो कोषाध्यक्ष होंगे।

(ख) कार्य-समिति कांग्रेसकी कार्यकारिणी शाखा होगी, और इस नाते उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस द्वारा निर्धारित नीति और कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका अधिकार होगा, और वह उनके प्रति उत्तरदायी होगी।

(ग) कार्य-समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी प्रत्येक बैठकमें उसकी कार्यवाहीकी रिपोर्ट और बैठकका एजेंडा (विचारणीय कार्यावली) रखेगी। कार्य-समिति द्वारा रखे गये प्रस्तावोंके अलावा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य जिन प्रस्तावों की नियमानुसार सूचना देंगे, उन प्रस्तावोंपर विचार करनेके लिए कार्य-समिति कमसे-कम पूरे एक दिनका समय देगी।

(घ) कार्य-समिति सभी कांग्रेस संगठनोंके रिकार्डों, कागज-पत्रों और हिसाब-किताबकी पुस्तकोंकी जाँच करनेके लिए एक या एकाधिक निरीक्षक नियुक्त करेगी। सभी कांग्रेस-संगठन निरीक्षकोंको सभी जानकारी उपलब्ध करेंगे और अपने कार्यालयों और कागज-पत्रोंकी जाँच करनेकी सुविधा प्रदान करेंगे।

(ङ) कार्य-समितिको

(१) सविधानको सुचारु रूपसे कार्यान्वित करनेके लिए तथा जिन मामलो के लिए सविधानमे व्यवस्था नही की गई है, ऐसे सभी मामलोके सम्बन्धमे नियम बनाने और निर्देश जारी करनेका अधिकार होगा;

(२) उसे सभी काग्रेस कमेटियोपर निरीक्षण रखनेका, उन्हे निर्देश देने का, और उनपर नियन्त्रण रखनेका अधिकार होगा, लेकिन इस मामलेमे कार्य-समितिके कार्योपर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को विचार करनेका अधिकार होगा;

(३) यदि कोई व्यक्ति या समिति अनुचित आचरण करे, जान-बूझकर कर्त्तव्यकी अवहेलना करे या कोई व्यतिक्रम करे तो कार्य-समितिको उसके विरुद्ध जो अनुशासनकी कारंवाई ठीक लगे, उसे वह कारं-वाई करनेका अधिकार होगा।

(च) जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटी अपने यहाँ कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनका आयोजन करेगी, उस कमेटीको कार्य-समिति अधिवेशनकी समाप्तिके पन्द्रह दिनके भीतर प्रतिनिधियोसे वसूल हुए शुल्कका पचमाश दे देगी;

(छ) कार्य-समिति प्रान्तीय काग्रेस कमेटियोके हिसाब-किताबकी नियमित लेखा-परीक्षा करानेके लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

कोष

अनुच्छेद १३

काग्रेसके कोषका जिम्मा कोषाध्यक्षोके हाथोमे होगा, और वे सभी धन-विनियोगो, और आय तथा व्ययका समुचित हिसाब रखेगे।

महामन्त्री

अनुच्छेद १४

(क) महामन्त्रीगण पर अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी और कार्य-समितिके कार्यालयकी जिम्मेदारी होगी।

(ख) महामन्त्रियो पर सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके सहयोगसे काग्रेसके वार्षिक अथवा विशेष अधिवेशनकी कार्यवाहीकी रिपोर्ट प्रकाशित करनेकी जिम्मेदारी होगी। यह रिपोर्ट जल्दीसे-जल्दी, और अधिवेशन होनेके चार महीनेके अन्दर-अन्दर प्रकाशित कर दी जायेगी।

(ग) महामन्त्रीगण अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी और कार्य-समिति द्वारा अपने कार्य-कालमे किये गये कार्योकी रिपोर्ट तैयार करेगे, और उनके हाथमे जो-कुछ धन आया होगा, उसको पूरे-पूरे हिसाबके साथ काग्रेसका वार्षिक अधिवेशन होनेसे पहले होनेवाली अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकमे पेश करेगे।

रिक्त स्थान

अनुच्छेद १५

किसी प्रतिनिधि या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या किसी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्यकी जगह उसके त्यागपत्र देने, उसकी मृत्यु हो जाने या उसके भारतसे दीर्घकाल तक बाहर रहनेके कारण रिक्त हो जायेगी, और इस जगहकी पूर्ति सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उसी ढंगसे की जायेगी जिस ढंगसे उस सदस्यको चुना गया था। कार्य-समितिमें कोई स्थान रिक्त होनेपर उस स्थानकी पूर्ति अध्यक्ष करेगा।

अपूर्णांक

अनुच्छेद १६

जहाँ अपूर्णांकोका मूल्यपर आँकनेका सवाल हो, वहाँ १/२ या इससे अधिक अंशको एक माना जायेगा और १/२ से कमको शून्य माना जायेगा।

भाषा

अनुच्छेद १७

(क) कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्य-समितिकी कार्रवाई सामान्यत. हिन्दुस्तानीमें होगी; यदि कोई वक्ता हिन्दुस्तानीमें बोलनेमें असमर्थ है, अथवा यदि अध्यक्ष अनुमति देगा, तो अंग्रेजी भाषा या अन्य किसी प्रान्तीय भाषाका प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोकी कार्रवाइयाँ सामान्यतः सम्बन्धित प्रान्तकी भाषामें होगी। हिन्दुस्तानीका भी उपयोग किया जा सकता है।

अस्थायी व्यवस्था

अनुच्छेद १८

(क) संविधानमें इन संशोधनोंके प्रभावकारी होनेपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सदस्य-संख्या अधिकसे-अधिक १६६ होगी और इनका बँटवारा परिशिष्टमें बताये अनुसार होगा।

(ख) जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ कार्य कर रही हैं या कार्य आरम्भ करने-वाली हैं, उनके सदस्य अपने बीचमें से धारा (क)में उल्लिखित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंको एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार चुनेंगे।

(ग) जहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी वर्तमान सदस्य-संख्या १०० से अधिक है, वहाँ ऐसी प्रान्तीय कमेटीके मौजूदा सदस्य अपने बीचमें से एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीके अनुसार १०० सदस्य चुन लेंगे, जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य भी शामिल होंगे, और संविधानके अन्तर्गत ये १०० सदस्य ही नई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य होंगे।

(घ) धारा (ग)के अन्तर्गत पुनर्गठित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अपने पदाधिकारियो का निर्वाचन करेगी।

(ङ) धारा (ख) और (ग)के अन्तर्गत होनेवाले चुनावोके लिए या तो बैठक बुलाई जायेगी और उसमे मतोंको अंकित किया जायेगा, अथवा डाकसे भेजे गये मतपत्रो परसे मतोकी संख्या अंकित की जायेगी।

(च) ये सभी चुनाव १५ जनवरी, १९३५ से पहले सम्पन्न हो जाने चाहिए और उनकी रिपोर्ट भी उपर्युक्त तारीखको या उससे पहले कार्य-समितिके पास भेज देनी चाहिए।

(छ) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी २८ फरवरी, १९३५ से पहले कार्य-समितिकी स्वीकृतिके लिए अपने प्रान्तकी स्थिति और प्रवृत्तियोका विवरण, तथा अपने प्रान्तीय संगठनके संविधानका मसौदा कार्य-समितिके पास भेज देगी। प्रान्तीय सविधानका यह मसौदा सविधान तथा संविधानके अन्तर्गत बनाये गये नियमोके विपरीत नही होना चाहिए।

(ज) कार्य-समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होनेपर प्रान्तीय सविधान प्रभावकारी हो जायेंगे।

(झ) कार्य-समिति किसी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको अथवा किसी अधीनस्थ कमेटीको तबतक मान्यता नही देगी जबतक कि उसने सविधानमे निर्धारित शर्तो अथवा सविधानके अन्तर्गत कार्य-समिति द्वारा बनाये गये नियमोका पालन नही किया होगा।

(ञ) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सविधानके अनुसार कार्य करनेमे चूक करेगी, तो कार्य-समिति उस प्रान्तमे कांग्रेसका कार्य चलानेके लिए एक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी गठित कर सकती है।

(ट) अनुच्छेद ३ और ५ (क) और (ख) (२)मे जो-कुछ कहा गया है, उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति उचित योग्यता-प्राप्त है तो वह १ जुलाई, १९३५से पहले किसी पद अथवा किसी कमेटीकी सदस्यताका चुनाव लड सकेगा।

(ठ) इस सविधानके अन्तर्गत प्रतिनिधियो द्वारा अध्यक्षके निर्वाचनसे सम्बन्धित व्यवस्थाओके बावजूद, कांग्रेसके '४८ वे अधिवेशनके अध्यक्ष, श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद अपने पदपर बने रहेंगे और यह माना जायेगा कि वे आगे चलकर चुने गये है।

(ड) कांग्रेसके ४८ वे अधिवेशनके अध्यक्ष वर्तमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योमे से कार्य-समितिके चौदह सदस्योको चुनेंगे जिनमे तीन महामन्त्री और ज्यादासे-ज्यादा दो कोषाध्यक्ष होंगे।

(ढ) पहले जो-कुछ कहा जा चुका है, उसकी मर्यादामे रहते हुए कार्य-समिति संक्रमण-कालमे उपस्थित होनेवाली किसी भी स्थितिसे निपटनेके लिए आवश्यक अस्थायी नियम बना सकती है।

[अंग्रेजीसे]

रिपोर्ट ऑफ द फॉर्टी-एट्थ ऐनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, १९३४

२७३. भाषण : कांग्रेस-अधिवेशन, बम्बईमें[1]

२८ अक्तूबर, १९३४

सभापतिजी, बहनो और भाइयो,

सबसे पहले तो सब बहनो और भाइयोंसे क्षमा माँगता हूँ कि इस संविधानमे परिवर्तनका जो प्रस्ताव मै रख रहा हूँ, उसकी कापी आपतक नही पहुँच सकी, अगरचे बहुत ही परिश्रम उठाया, काम भी स्वागत-समितिको बहुत ही करना था। काम इतना अधिक था कि यह देख पडता था कि किस प्रकार तीन दिनमें समाप्त होगा, लेकिन उन्होने यही निश्चय किया कि तीन दिनमे ही सब कार्रवाई समाप्त कर दी जाये। आज विषय-समिति भी देरसे बैठी रही, इसलिए इस प्रस्तावकी कापियाँ आपतक छपकर न आ सकीं। सुधारना तो बहुत-सा है, लेकिन यह तो वकीलोंकी चीज है। जो सुधार किये गये है उसका तात्पर्य मै आप लोगोको चन्द मिनटोमे समझाये देता हूँ। यह हो सकता था कि आप लोगोको इसी बातके लिए कल फिर शामको बुलाया जाता, इससे स्वागत करनेवालोका इतना खर्च व्यर्थ बढ जाता और आप लोगोका समय व धन भी व्यर्थ ही खर्च होता। मेरा यह मतलब कभी भी नही है कि आपको अपना प्रस्ताव न देकर आपसे धोखेमें पास करा लूँ।

जिस संविधानके अनुसार हम काम करते है उसे तो आप जानते है। अनुभवसे हमे ज्ञात हुआ है कि प्रतिनिधियोकी संख्या ६,००० होनेके कारण ही काम ठीक नही हो पाता। नागपुर-कांग्रेसमे तो प्रतिनिधियोकी संख्या १४,००० थी परन्तु उन्हे किसीने भी चुना नही था और वे केवल अपने ही प्रतिनिधि थे। किन्तु अब प्रतिनिधियोकी संख्या घटाकर २,००० कर देनेका प्रस्ताव है।[2] मै तो यही चाहता था कि प्रतिनिधियोकी सख्या १,००० हो। परन्तु लोगोके कहनेसे यहाँ उस सख्याको २,००० तक करना स्वीकार कर लिया था। मै चाहता हूँ कि प्रतिनिधिगण स्वतन्त्रता-प्राप्तिका विचार रखकर इस कमीको स्वीकार कर ले।

इस समय तो कांग्रेसके सदस्यो तथा उनके प्रतिनिधियोंमें कोई भी सम्बन्ध नही रहता है। इस संवैधानिक परिवर्तनसे स्वराज्य तो मिल जायेगा परन्तु कांग्रेस असेम्बलीसे प्रतिद्वन्द्विता करनेवाली एक ऐसी संस्थाके रूपमे खड़ी हो सकेगी जिसके प्रतिनिधि भी अपने वोटरोकी राय प्रकट करनेका अधिकार रखते होगे। इस प्रस्तावके पास होनेके बादसे कांग्रेसकी ओरसे नियुक्त इन्स्पेक्टर कांग्रेस-रजिस्टरोकी जाँच करेगे और केवल ऐसे कांग्रेसजनोको वोट देनेका अधिकार होगा जो कमसे-कम छः मास कांग्रेसके सदस्य बन चुके होंगे। जबतक किसी स्थानपर ५०० कांग्रेसजन न होगे तबतक उन्हे प्रतिनिधि

१. डॉ० राजेन्द्रप्रसादकी अध्यक्षतामें होनेवाले कांग्रेसके ४८ वें अधिवेशनमें गांधीजी द्वारा हिन्दीमें दिये गये भाषणकी यह रिपोर्ट मामूली फेर-बदलके साथ ज्योंकी-त्यों यहाँ दी जा रही है।

२. यह वाक्य अंग्रेजी रिपोर्ट से लिया गया है।

चुननेका अधिकार न होगा। असेम्बलीके चुनावको देखते हुए तो यह बहुत ही कम है, क्योकि वहाँ ८,००० वोटरोको एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार रहता है, परन्तु गरीबोका प्रतिनिधित्व करनेवाली सस्थाके लिए इतने ही से काम आरम्भ करना मै सन्तोषजनक समझता हूँ। जबतक गाँववाले कांग्रेसके प्रतिनिधि न चुना करें, आयोजनामे कोई सम्मिलित न होगे, तबतक स्वराज्य-प्राप्ति नही की जा सकती और इसीलिए यह नियत किया गया है कि देहाती क्षेत्रोके लिए कांग्रेसमें तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस सम्बन्धमे १०,००० तककी आबादीवाले स्थान देहात माने जायेगे।

कांग्रेसमे प्रतिनिधि एकल सक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा चुने जायेगे और एक निर्वाचन-क्षेत्रसे कई प्रतिनिधि हो सकेगे। अ०भा० कां० कमेटीके सम्बन्धमे यह कठिन होता है कि ३५० सदस्योकी बैठक बुलाई जाये, क्योकि बार-बार एकत्रित होनेके खर्चोको वे बर्दाश्त नही कर सकते। अतः अ० भा० कांग्रेस कमेटीमे अधिकसे-अधिक १६६ सदस्य होगे। फिर प्रजासत्तात्मक विचारोवाला कोई भी व्यक्ति इस बातपर राजी न होगा कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोकी राय लेकर स्वागत-समिति कांग्रेसके अध्यक्षका चनाव करे। अध्यक्षका चुनाव आगेसे स्वय प्रतिनिधियो द्वारा हुआ करेगा।

इसके बाद गांधीजीने खादी और सूतके मताधिकार-सम्बन्धी धाराओंको समझाया और कहा :

यदि ये अस्वीकृत कर दी जायेगी तो मै बुरा न मानूंगा। पर मै यही चाहता हूँ कि यदि ये स्वीकार की जाये तो इनमे पूर्ण विश्वास रखते हुए ही इनके पक्षमे वोट दिये जाये। आप लोग इन मामलोपर मेरे व्यक्तित्वका विचार करके नही किन्तु मातृभूमिके हितका ध्यान रखकर वोट दीजिए।

जब मैंने अपने प्रस्तावोपर समाचारपत्रो और जनता द्वारा की गई टीकाओको पढा तब मैंने उन्हे विचारार्थ पेश करनेका विचार छोड़ दिया था। मगर कार्य-समितिके सदस्योने स्वत अपनी ओरसे उनको आपके सामने पेश करना उचित समझा। मैंने परिवर्तनकी स्कीमपर दूसरोके विचार सुने है। उन्होंने अपने पक्षको बखूबी रखा है। मगर या तो वे अपनेको धोखा दे रहे थे या वे केवल एक वकीलका काम कर रहे थे। और उन्होने कहा कि हम आदर्शवादसे व्यवहारवाद पर उतर आये है। पर क्या समाजवादका कोई आदर्श नही है? अगर मै उनसे अपने आदर्शमे से एक भी कम करनेको कहूँ तो वे मेरा प्रस्ताव फेल कर देगे। क्या आप इस बातका अनुभव करते है कि कभी आप अगली पीढीके बाद भी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर सकेगे? समाजवादका आदर्श इससे भी कुछ ऊँचा है। मेरा कहना है कि हमें एक मानदण्डकी जरूरत है।

आप इस आशासे इसपर विचार न करिए कि मै इस प्रस्तावके पास हो जाने पर अपने रिटायर होनेके निश्चयपर पुन. विचार करूँगा। अगर मैंने कांग्रेसका नेतृत्व एक ऐसे सविधानसे आरम्भ किया था, जिसके लिए मुख्य रूपसे मै ही जिम्मेदार हूँ तो आज विदा होते हुए मै आपको यह संशोधित सविधान भेट करना चाहता हूँ

जिससे कि आप उस व्यक्तिके अनुभवसे लाभ उठा सके, जिसने कि इस सविधानको आपके साथ रहकर कार्यमें परिणत करनेका यत्न किया और उसमे कुछ दोष पाये है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप इन सशोधनोको पास कर दें।

एक बात यह भी है कि प्रतिनिधि जनताके सच्चे और वास्तविक प्रतिनिधि होने चाहिए। हम अप्रत्यक्ष रूपसे करोडो मूक जनताके प्रतिनिधि हैं। हम उनकी वाणी है और विचार है। १८८६ ई० से काग्रेसकी यही स्थिति रही है। परन्तु हम अप्रत्यक्ष रूपसे आपके निर्वाचकोके प्रतिनिधि है। क्या हममें से कोई कह सकता है कि वे किसका प्रतिनिधित्व करते है? क्या वे अपने निर्वाचन क्षेत्रोके सम्पर्कमे है, और क्या वे उनके भावोको जानते है? क्या हममें से बडेसे-बडा आदमी इस बातको कह सकता है कि वह किस क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करता है? वल्लभभाई गुजरातके बेताजके बादशाह हैं, मगर वे किस निर्वाचक मण्डलका प्रतिनिधित्व करते है? मै किसका प्रतिनिधित्व करता हूँ? इसे मै नही जानता। मै हर-एक व्यक्तिको निर्वाचकोका काग्रेस-रजिस्टर पेश करनेके लिए चुनौती देता हूँ। हमे अपने निर्वाचन-क्षेत्रो और मतदाताओके सजीव सम्पर्कमे रहना चाहिए तभी आप अपना मानदण्ड पा सकते है।

वह सिद्धान्त जो मै आपके सामने रख रहा हूँ, वह यह है, कि तीन चुनाव एक साथ हो जाये। इससे न केवल आर्थिक सुविधा ही मिलेगी, बल्कि रुपयेकी भी बचत होगी। यदि इसको आप स्वीकार कर लेगे तो इसका भविष्य अचल है। तब प्रतिनिधि अपने निर्वाचको द्वारा चुने जायेंगे। वे फिर आजके समान केवल तीन दिनके लिए जमा न होगे और फिर अदृश्य हो जायेंगे। वे काग्रेसके सक्रिय सदस्य होगे और सारे साल-भर काग्रेसका कार्य करेगे। आज ६,३५० में से केवल ३५० ही अ० भा० काग्रेस कमेटीके सदस्य हैं।

तब मद्रास तथा बारडोलीमें १०० सदस्योकी काग्रेसका अधिवेशन बुला सकते है। इस तरहके गाँवका अधिवेशन किस तरह किया जा सकता है, इसकी मैंने तफसीलमे योजना बना रखी है। वे गाँववाले आपके दास होगे मगर वे आपको स्वागत-समितिके लिए पैसा न दे सकेगे। स्वागत-समिति द्वारा तमाशो और विजय-तोरणोपर लाखो रुपया खर्च करनेपर मुझे आपत्ति है। हमने विजय कहाँ प्राप्त की है? कुछ भाइयोने यह भी कहा था कि इस विषयको प्रान्तोके पास भेज दिया जाये। आप इसे प्रान्तोको क्यो भेजना चाहते है? आप अपने कर्त्तव्यसे क्यो बचते है? आप अपने कर्त्तव्य-पथसे विचलित न हो। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हरएक आलोचनापर उचित विचार कर लिया गया है। मै आपको एक जटिल और कडा सविधान दे रहा हूँ, जिससे कि कोई बाहर नही जा सकता। अगर इसमें कही खराबी है तो आप उसे अलग कर सकते हैं। मै चाहता हूँ कि आप मेरे परामर्शको स्वीकार कर लीजिए। मै यह बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस विषयको सूबोपर छोड़ देगे तो आप राष्ट्रके जीवनका एक बहुमूल्य साल खो देगे।

कार्य-समितिके सदस्योके चुनावमे अब जिस रिवाजका अवलम्बन किया जाता है, उसको अब काग्रेसके संविधानका अंग बना दिया [गया] है। ऐसा सविधान बना

दिया है, ताकि अध्यक्षके चुनावमे कोई दिक्कत न हो। अगर आप चाहते है कि हम काम चलाये, तो हमें अपने माँगे हुए अधिकार दीजिए।

अन्तमें गांधीजीने प्रतिनिधियोसे इस बातकी अपील की कि वे इस नये संविधानको इस इरादेके साथ स्वीकार करें कि उसे अपूर्व सफलता प्राप्त हो। (हर्ष-ध्वनि।)[1]

अब मै अग्रेजीमे भाषण कर रहा हूँ और यह प्रयास कर रहा हूँ कि उन्ही भावनाओको व्यक्त करूँ जिन्हे मैंने राष्ट्र-भाषामे व्यक्त किया है। यह कठिन बात है, क्योकि दो भिन्न भाषाओमे अपना दिल निकालकर नही रखा जा सकता। दिलकी बातें बहुत गहरी भावनाओके साथ निकलती है और उसकी आवाज हृदयके गहनतम अन्तरालसे निकलती है। आप वक्ताके रूपमे मेरी परख वाग्मिताके गुणसे तो नही करना चाहेगे। आप मेरे साथ राष्ट्रीय कार्य करना चाहते है। मै आपसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि संविधानका पूरा विवरण जितना देना चाहिए, उतना न देनेके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। यह प्रस्ताव बहुत ही दूरगामी महत्त्वका है। यह काग्रेससे आत्मत्यागके इतिहासकी पुनरावृत्ति चाहता है और प्रतिनिधियो और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योकी सख्यामे और कमी करना चाहता है।

अन्तमे मै प्रतिनिधियोसे निवेदन करता हूँ कि वे इस इच्छाके साथ नये संविधानको पारित करे कि उसे सफल बनाना है।[2] (हर्ष-ध्वनि)।

रिपोर्ट ऑफ द फॉर्टी-एट्थ ऐनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, १९३४, पृ० ११८-२५

२७४. सन्देश : राष्ट्रके नाम[3]

२८ अक्टूबर, १९३४

मै अधिवेशनके परिणामसे पूर्णत. सन्तुष्ट हूँ।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-१०-१९३४

१. इसके बाद गाधीजीने अपना भाषण अंग्रेजीमें दिया जिसका अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है।
२. क० मा० मुन्शीने प्रस्तावका अनुमोदन किया और यह भारी बहुमतसे पास कर दिया गया।
३. यह सन्देश रविवारकी रातको गाधीजीने एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको दिया था।

२७५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

बम्बई
२९ अक्टूबर, १९३४

कांग्रेससे मेरे अवकाश ग्रहण करनेके पीछे जो भावना है, यदि उसको कांग्रेसजनोंने समझ लिया है तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि विधान-सभाके लिए कांग्रेसी उम्मीदवारोंको विजयी बनानेके लिए वे दूने जोरसे, और पूरी ईमानदारी तथा मेहनतके साथ प्रयत्न करें। मैंने इस राष्ट्रीय संगठनको कमजोर बनानेके लिए नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत बनानेके लिए अवकाश ग्रहण किया है। मैंने विरोधी पार्टियों द्वारा प्रकाशित सूचनाएँ देखी हैं जिनमें मेरी प्रशंसाकी आड़में यह संकेत किया गया है कि मैंने कांग्रेसको विरक्त होकर छोड़ दिया है। यह बात बिलकुल मिथ्या है। मेरे मनमें कांग्रेसके लिए अत्यन्त आदरका भाव है। जब हम अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेंगे और यह लक्ष्य हम निश्चय ही प्राप्त करेंगे, तो यह देखा जा सकेगा कि इस उपलब्धिके पीछे कांग्रेसका योगदान सबसे ज्यादा है। अतः इस समय जो चुनाव-संघर्ष है उसमें व्यक्तियोंका नहीं, नीतियोंका संघर्ष है। कांग्रेसी उम्मीदवारको दिया गया प्रत्येक वोट हमें हमारे लक्ष्यके और निकट ले जायेगा। जिस संगठनने अभी-अभी एक नये संविधानके रूपमें आत्मत्यागका एक अध्यादेश जारी किया है, वह संगठन मेरी रायमें सार्वत्रिक समर्थन प्राप्त करनेके योग्य है। इस समय इस समर्थनको व्यक्त करनेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि यथासम्भव ज्यादा-से-ज्यादा कांग्रेसजनोंको विधान-सभामें चुनकर भेजा जाये।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २९-१०-१९३४

२७६. वक्तव्य: रेशमी धागेके बारेमें

२९ अक्टूबर, १९३४

मैंने अखबारमें एक खबर पढ़ी है जिसमें मुझे ऐसी राय प्रकट करते हुए बताया गया है कि रेशमका धागा किसी ऐसी चीजसे निकाला जाता है जो बाहरसे मँगाई जाती है और इसलिए मेरी रायमें वह उपयोगके योग्य नहीं है। मैंने ऐसी कोई राय कभी व्यक्त नहीं की है। अखिल भारतीय चरखा-संघ काफी लम्बे समयसे देशमें बने रेशमी वस्त्रोंको प्रमाणित करता रहा है। अब इस नीतिको सूतसे बनी खादीके हितमें परिवर्तित किया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-१०-१९३४

२७७. पत्र: आनन्द तो० हिंगोरानीको

२९ अक्टूबर, १९३४

प्रिय आनन्द,

मैं जानता हूँ कि तुम ठीक चल रहे हो। अस्पतालसे मुक्त होनेके बाद वर्धा आनेका तुम्हारा विचार अच्छा है।[1]

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

१. देखिए "पत्र: आनन्द तो० हिंगोरानीको", १६-१०-१९३४।

२७८. पत्र : हीरालाल शर्माको

२९ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारे खतका उत्तर इसके पहले भेज नही सका।

चक्कीका आटा पीसवाकर खानेमे मै कोई दोष नही पाता।

किसीके पाससे ओढनेका ले लेना धर्म है।[1]

तुमारे घी लेना ही चाहीये। बटर आवश्यक हो तो बटर।

रोगीका सबध होते हूए तुमारे मेरे दोषोको बताना ही चाहीये।

रामदासकी परमिट[2] अब तक नही मिली है।

दिल चाहे तब आ जाओ। शरीर कभी मत बिगाडो। पैसे चाहीये सो ले लो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १११ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

२७९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

३० अक्टूबर, १९३४

बम्बईमे अपने मौनव्रतके दौरान मुझे अखबारवालोके कई प्रश्न प्राप्त हुए, लेकिन उनके लिखित उत्तर देनेका उस समय मेरे पास बिलकुल समय नही था। मिलनेवालोंका ताँता बँधा रहा और शिविर छोडनेके समयतक मुझे उनके प्रश्नोके उत्तर पर्चियोपर लिखने पडे। अब मै इन प्रश्नोके तथा उसके बाद किये गये प्रश्नोके उत्तर दे रहा हूँ।

पहला प्रश्न है कि क्या मै अपना इस्तीफा पहले ही दे चुका हूँ। औपचारिक रूपसे मैंने २८ अक्टूबर तक वैसा नही किया था, लेकिन अब वह राजेन्द्रबाबू तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियोके नाम लिखित एक पत्रके रूपमे भेजा जा रहा है।[3]

१. हीरालाल शर्माकी शाल गुम हो गई थी और वह इसके बिना ही काम चला रहे थे।

२. दक्षिण आफ्रिका जानेके लिए।

३. देखिए "पत्र : गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको", पृ० २८७ तथा "पत्र : राजेन्द्र प्रसादको", पृ० २८८।

इसका यह मतलब नही है कि इसके साथ ही मै देशकी राजनीतिमे या देशके राजनीतिक भविष्यमे दिलचस्पी लेना भी बन्द कर रहा हूँ। इसका यह मतलब तो हर्गिज नही है कि जिस सगठनकी भलाईकी खातिर मैने उसे छोडा है, उसकी भलाईमे मै दिलचस्पी लेना बन्द कर दूंगा। यह जरूर है कि मै काग्रेस-कार्यकी तफसीलमे दिलचस्पी लेना बन्द कर दूंगा। यह निश्चित है कि मै काग्रेसकी नीतिका निर्धारण नही करूँगा, जिसका सौभाग्य मुझे अधिवेशनके अन्तिम क्षणतक प्राप्त रहा था।

मै एक या दो दृष्टान्त देना चाहूँगा। कल जब मै मौनव्रतका पालन कर रहा था, तब राजेन्द्रबाबू और कार्य-समितिके कई सदस्य मेरे पास नई कार्य-समितिके गठनके बारेमे चर्चा करने आये। हमने एक या दो नामोपर ही विचार किया था कि मुझे अपने कार्यकी असंगतताका ध्यान आया। तत्काल मैने अपनी स्लेटपर लिखा, "निश्चय ही मुझे अब इन चीजोपर चर्चा नही करनी चाहिए।" उपस्थित सदस्योने फौरन मेरे इस कथनका महत्त्व समझ लिया, और बडी उदारतापूर्वक उन्होने मुझसे कुछ दूर हटकर फुसफुसाहटके स्वरमे बातचीत आरम्भ कर दी। मै यह कह सकता हूँ कि वर्धामे यह वक्तव्य बोलकर लिखाते समयतक मै नई कार्य-समितिके सदस्योके बारेमे कुछ नही जानता। अवकाश ग्रहण करनेके समयतक मै अजमेरके दुर्भाग्यपूर्ण विवादमे दिलचस्पी लेता रहा था।[1] लेकिन काग्रेसजनोको इन दो दृष्टान्तोसे समझ लेना चाहिए कि इस प्रकारके मामलोमे अब वे मुझसे किसी प्रकारके मार्गदर्शनकी आशा नही कर सकते। यदि मै सगठनके दिन-प्रतिदिनके कार्योमे दिलचस्पी लूंगा या आन्तरिक विवादोमे दिलचस्पी लूँगा तो न केवल मेरे अवकाश ग्रहण करनेका श्लाघनीय प्रभाव ही व्यर्थ हो जायेगा, बल्कि मै झगड़ेका एक शक्तिशाली कारण बन जाऊँगा, क्योकि तब मुझे उन तफसीलोकी पूरी जानकारी नही होगी जिनके आधारपर मै अबतक अधिकाश मामलोमे सही निर्णयपर पहुँच सका था।

काग्रेस-सगठनमे मेरी दिलचस्पी अब दूरसे यह देखनेमे ही होगी कि उन सिद्धान्तो को लागू किया जाता है जिनके लिए काग्रेस खडी है। इसलिए काग्रेसजनोको समझ लेना चाहिए कि काग्रेस संगठन या व्यक्तिगत रूपसे उसके सदस्योके कार्य करनेके तरीकोकी जब मै चाहूँगा तब आलोचना करूँगा। लेकिन इसका भी यह मतलब नही है कि काग्रेसके दिन-प्रतिदिनके कार्योके सिलसिलेमे मुझसे मार्गदर्शनका अनुरोध करते हुए लोग मुझे आगे भी उसी प्रकार पत्र लिखते रहे जिस प्रकार अबतक लिखते रहे हैं। आगेसे उन्हे यह मार्गदर्शन काग्रेसके अध्यक्षसे माँगना चाहिए, और मै जानता हूँ कि उनकी सलाह मूल्यवान होगी। या फिर उन्हे उन लोगोसे सलाह माँगनी चाहिए जिनमें उनका विश्वास हो। मुझे मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि जो काम मेरे दिमागमे है, मै उसे कर सकूँ।

यह बात ध्यानमे रहे कि मै राजनीतिको अन्य राष्ट्रीय प्रवृत्तियोसे कुछ अलग ढंगकी चीज नही मानता। राजनीतिका बुनियादी मतलब है नागरिक-शास्त्र, और इसका सम्बन्ध शिष्टाचारसे भी है, और चूंकि नागरिकताकी सीमाओंको इतना व्यापक कर

१. देखिए खण्ड ५८।

दिया गया है कि उसके अन्तर्गत सारे ससारके देश आ जाते हैं, इसलिए राजनीति-शास्त्रमे मानवताकी सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति भी शामिल है; यहाँ 'राजनीति' का उस सकीर्ण अर्थमें प्रयोग किया गया है जिसमें हम उसका उपयोग करनेके आदी हैं। १९१५ में भारत वापस लौटनेके बादसे मेरी दिली कोशिश यह रही है कि राजनीतिको उसके बुनियादी अर्थमे फिरसे प्रतिष्ठित किया जाये, और अगर हम बिलकुल सच्चे है तो हमे यह स्वीकार करना होगा कि कांग्रेसका कार्यक्रम प्रधान रूपसे उत्तरोत्तर सामाजिक, नैतिक और आर्थिक पहलूपर जोर देता चला गया है। काग्रेसका कार्यक्रम एक शक्तिशाली कार्यक्रम इसलिए बन गया है क्योकि इसका राजनीतिसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। काग्रेसका राजनीतिक उद्देश्य विदेशी शासनके जुएको उतार फेंकना और स्वतन्त्रता प्राप्त करना है। उसका उद्देश्य अन्य देशोके साथ मैत्रीके सम्बन्ध तोडना नही है, बल्कि अन्य देशोके साथ बिलकुल बराबरीके स्तरपर स्वेच्छासे सम्बन्ध बनाये रखनेका है। यदि काग्रेसजन रचनात्मक-कार्यक्रमको भूल गये और विधान-सभा तथा विधान-परिषदोके चुनाव जीतने तथा विधान-सभा और विधान-परिषदोमें होनेवाली निष्फल बहसोपर ही सारा ध्यान लगायेंगे तो जल्दी ही वे देखेंगे कि राजनीति-रूपी दानेका असली तत्व तो मै अपने साथ ले गया हूँ और उन्होने अपने लिए केवल ऊपरका भूसा-भूसा रख लिया है, जिसमे विटामिन भी नही है। लेकिन मुझे ऐसा कोई भय नही है। विधान-मण्डलोमे जानेवाले काग्रेसजन काग्रेस-कार्यक्रमको आगे बढायेंगे और अपने वोटोके जरिये राष्ट्रकी इच्छाको व्यक्त करेंगे।

काग्रेसका यह अधिवेशन मेरे लिए आँख खोलनेवाला सिद्ध हुआ है। मैंने सोचा था कि जो महत्त्वपूर्ण सुझाव मैंने दिये थे लेकिन बादमें वापस ले लिये थे, और संविधानमे जो उतने ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मैंने सुझाये थे और जिनपर मैं अडा हुआ था, लेकिन जिनका मेरे अवकाश ग्रहण करनेसे कोई सम्बन्ध नही था, उनको लेकर कार्य-समितिके सदस्योके साथ मेरी घनघोर छिडेगी। लेकिन मैंने पाया कि कार्य-समितिके सदस्य 'अपने-अपने ढगसे उन संशोधनोके पक्षमें' थे। यह तो उन्होंने अच्छी तरह समझ ही लिया था कि मेरा अवकाश ग्रहण करना नैतिक दृष्टिसे निश्चित ही है। प्रत्येक सदस्य इस निष्कर्षपर पहुँचा कि 'वैध और शान्तिपूर्ण' को बदल कर उसकी जगह 'सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक' शब्दोको रखना जरूरी है, क्योकि उन दोनो शब्दोके अर्थ बहुत अस्पष्ट थे। मै उन्हे उनके स्वतन्त्र निर्णयको कार्यान्वित करनेसे नही रोक सकता था।

आँख खोलनेवाला यही अनुभव मुझे विषय-समितिमे भी हुआ। काग्रेस-सिद्धान्तमे परिवर्तनका प्रस्ताव स्वीकृत नही हुआ, लेकिन उसे बिना विचारे रद्द भी नही किया गया। उसे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोकी रायके लिए उनके पास भेज दिया गया। और अब चूँकि मै रास्तेसे हट गया हूँ और प्रान्त इस स्थितिमें है कि वे बिना किसी बाधाके मुक्त रूपसे उसपर अपना निर्णय दे सके, इसलिए मेरी हार्दिक कामना है कि स्वयं अपने प्रति और काग्रेसके प्रति ईमानदार रहनेकी गरजसे उनका पहला काम यह होगा कि वे प्रस्तावित सशोधनोपर अपना सुनिश्चित और सुस्पष्ट मत

व्यक्त करे। अस्पष्टता तो स्पष्ट है। बहुत-से लोगोंने मेरे इस सुझावसे असहमति प्रकट की है कि 'सत्यपूर्ण और अहिंसात्मक' तथा 'वैध और शान्तिपूर्ण', ये दोनो चीजे समानार्थी है। यदि काग्रेस इन दो शब्दोका वह अर्थ नही लगाती तो उसे इन शब्दोको बिलकुल हटा देनेकी सिफारिश करनी चाहिए। इन सशोधनोको स्वीकार करके वे विचारार्थ विषयकी सीमाका उल्लघन नही कर रहे होगे। हम चाहते है कि मानवजाति हमारे सिद्धान्तोके आधारपर ही हमारे बारेमे निर्णय करे। इस सिद्धान्त-रूपी मापदण्डके बारेमें कोई अनिश्चितता नही होनी चाहिए। जिस चीज पर हम जीवनके साधारण मामलोमे आग्रह करते है, वह राष्ट्रके मामलोमे तो निश्चय ही अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार हम किसी ऐसे राजकी कल्पना नही कर सकते जिसके पास समकोण नापनेका औजार न हो या दर्जीकी कल्पना नही कर सकते जिसके पास गज न हो, उसी प्रकार हम काग्रेस-जैसे एक बडे सगठनकी बिना उसके मापदण्डके कल्पना नही कर सकते। यदि हमे पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए पूर्ण सत्यवादिता और पूर्ण अहिंसाकी आवश्यकतामे सन्देह है तो हमे वैसा कह देना चाहिए। इसमे कुछ गलत नही होगा। उसका यह अर्थ नही होगा कि हमने सत्य या अहिंसाको छोड दिया है। इसका अर्थ होगा कि हमने सत्यवादिता और अहिंसाको स्वतन्त्रताके साथ जोडना बन्द कर दिया है, एकको कारण और दूसरेको उसके अवश्यम्भावी परिणामके रूपमे देखना बन्द कर दिया है, यह मानना बन्द कर दिया है कि साधन और साध्यके बीच अभगनीय सम्बन्ध है।

जहाँ एक ओर काग्रेसके सिद्धान्तमे सशोधन-सम्बन्धी प्रस्तावको पास करानेमे कठिनाई थी, वही अन्य सशोधन विषय-समिति और खुले अधिवेशन, दोनो जगह सरलतासे पास हो गये। मुझे जो चीज देखकर खुशी हुई, वह यह थी कि जो लोग किसी सशोधनका विरोध भी करना चाहते थे उन्होने बिना झिझक विरोध किया, लेकिन शिष्ट ढगसे। पूरे समय लोगोने खुशीसे सभापतिकी आज्ञाका पालन किया, जबकि मैं तो हुडदगकी सम्भावना मान रहा था। और हालाँकि सदस्यगण जानते थे कि मैं काग्रेसमे नही रहनेवाला हूँ, तो भी सारे सशोधन पास कर दिये गये।

प्रतिनिधियोको सशोधित संविधानकी प्रतियाँ प्राप्त करनेका अधिकार था, लेकिन जिस प्रकार अधिवेशनमे उपस्थित १५०० प्रतिनिधियोने अपने इस अधिकारको छोड दिया, वह ऐसी उदारता और विश्वासका परिचायक है जिसपर किसी भी देशको गर्व हो सकता है। और इसके बावजूद प्रतिनिधियोने यह समझ लेनेके बाद कि सशोधन क्या है और उनके फलितार्थ क्या है, बहुत भारी बहुमतसे उन्हे पास कर दिया। कारण, उन्होने एक घटेसे ऊपर सशोधनोके बारेमे मेरा यथातथ्य स्पष्टीकरण सुना। कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सशोधनोके सम्बन्धमे मेरी उक्तियोके बीच उन्होने जो हर्षध्वनि की, उससे पता चलता था कि वे मेरे स्पष्टीकरणको बहुत ध्यानपूर्वक सुन और समझ रहे थे। यह सब इसलिए सम्भव हो सका क्योकि विषय-समितिकी बैठक और खुले अधिवेशन, दोनोके लिए लाउडस्पीकरोका बहुत अच्छा इन्तजाम था।

अब चूँकि नया सविधान एक ठोस तथ्यका रूप ग्रहण कर चुका है, अत प्रान्तीय काग्रस कमेटियोको उसे ईमानदारीसे लागू करनेकी आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए।

हालाँकि उन्हे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए चुनाव करने और अपनी संख्या घटाकर १०० करनेके लिए १५ जनवरीतक का समय दिया गया है यानी, जहाँ उनकी संख्या १०० से ऊपर थी तथापि, उन्हे ये दो चीजे फौरन कर डालनी चाहिए।

मै एक चेतावनी भी देना चाहूँगा। मै आशा करता हूँ कि कोई ऐसा नही समझेगा कि खद्दर-सम्बन्धी धारा और श्रम-मताधिकार-सम्बन्धी धारा फौरन लागू नही होतीं। जिनको इनमे विश्वास नही है, जो हर कपडा छोडकर केवल खद्दर ही नही पहनना चाहते या देशकी खातिर कोई शारीरिक श्रम नही करना चाहते, वे लोग यदि किसी निर्वाचित सस्थाके सदस्य हैं तो फौरन इस्तीफा दे दें। और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ ऐसे लोगोको समितियो या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका सदस्य नही चुनेंगी जो आदतन खादी नही पहनते या जो शारीरिक श्रम नही करना चाहते। कताई नि सन्देह श्रमका सबसे ज्यादा स्वाभाविक और सरल रूप है और खद्दर-सम्बन्धी धारासे जुडा हुआ है। लेकिन जो लोग कताईमें विश्वास नही करते वे किसी प्रकारका शारीरिक श्रमका कार्य हाथमे ले सकते हैं। सिलाईका काम काफी आसान है, चाहे सुईसे किया जाये या मशीनसे। चार टोपियाँ सीना, ५०० गजसे अधिक एकसार सूत कातनेके बराबर होगा। पडोसके किसी गाँवमे सफाईका काम तो बेशक उसके बराबर होगा। जिन क्षेत्रोमे मलेरियाका प्रकोप होता है वहाँ घर-घर जाकर कुनैनका चूर्ण या टिकिया बाँटना भी उसके बराबरका श्रम माना जायेगा। इस धाराके जरिये जो चीज प्रतीकात्मक मानी जाती है उसीके चलते कई कांग्रेसजन अपने कार्योमें विशेषज्ञ भी बन जा सकते है और परिणामस्वरूप वे देशकी आर्थिक प्रगतिमे जबर्दस्त योगदान दे सकते हैं। यह सब विशुद्धतम ढगका सत्याग्रह है। मै इस अर्थमें अपनी लापरवाही स्वीकार करता हूँ कि अतीतमें मैंने इन चीजोंपर इस भावसे आग्रह नही किया कि ये सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेकी पूर्व-शर्त हैं। मै इस दलीलसे अभिभूत हो गया था कि राष्ट्र इन चीजोको सविनय अवज्ञाके दौरान अपने-आप ग्रहण कर लेगा।

यह आशा पूरी नही हुई है। [कांग्रेसजनोकी] यह उपेक्षा हालाँकि अनजाने रही है तथापि, मेरे अवकाश-ग्रहणको उसका प्रायश्चित्त जरूर माना जा सकता है। लेकिन चूँकि मै अपने-आपको सत्याग्रहका विशेषज्ञ मानता हूँ, अत मै अज्ञानको कोई बहाना नही मानता। इसलिए मै आशा करता हूँ कि सविधानकी महत्त्वपूर्ण धाराओको तुरन्त कार्यान्वित किया जायेगा। मेरा उद्देश्य यह है कि लोगोमें सविनय अवज्ञाकी क्षमताका विकास हो, ताकि सविनय अवज्ञा करनेकी कभी जरूरत ही न पडे। अवज्ञा यदि पूर्णतः सविनय हो तो उसका प्रतिरोध करनेकी इच्छा भी किसीके मनमें नही होगी।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३१-१०-१९३४

२८०. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

३० अक्टूबर, १९३४

प्रिय डॉ० विधान,

मुझे जुकाम हो गया था। इसलिए हाथसे लिखनेके बजाय मैं मजबूरन इसे बोलकर लिखवा रहा हूँ। आपने मुझे ऐसा अनुभव कराया है कि मैं आपको अपना एक घनिष्ठ सह-कार्यकर्त्ता समझूँ जिसको मैं बिना किसी बाधाके निःसकोच लिख सकता हूँ। जहाँ आपने मेरा सकोच देखा है वहाँ आपको उसपर रोष भी हुआ है। मैं यह पत्र निःसंकोच होकर लिखनेकी स्वतन्त्रता ले रहा हूँ।

मैंने नई कार्य-समितिके सदस्योके नामोपर होनेवाली बहसमे भाग लिया। राजेन्द्रबाबू और अन्य लोग मेरे मौनके दौरान आये और उन्होने बहस छेड दी। हम लोग दो नामोपर पहुँचे थे। जवाहरलाल जबतक जेलमे थे तबतकके लिए उनके स्थान पर मैंने एक नाम सुझाया था, और जब हमने बंगालके प्रतिनिधिके बारेमे विचार किया तब मैंने अपनी राय दे दी। लेकिन मैंने देखा कि मैं अपनी इस शपथका भग कर रहा हूँ कि अधिवेशनके बाद मैं काग्रेसका सदस्य नही रह जाऊँगा। इसीलिए मैंने उस दिन अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी या कार्य-समितिकी बैठकमे भाग नही लिया। यही कारण है कि मैंने एकदम बहस रोक दी और स्लेटपर लिखा: "निश्चय ही मुझे अब इन चीजोपर चर्चा नही करनी चाहिए।" बेशक, सदस्योने कुछ दूर हटकर अपना विचार-विमर्श जारी रखा और इस बातका ध्यान रखा कि मैं उसे सुन न सकूँ।

उनके सामने जो कठिनाई थी, वह यह कि बंगालके प्रतिनिधिके रूपमे आपको चुने या प्रफुल्ल घोषको। मैंने लिखा कि मौलाना साहब[1] को ही बगालका प्रतिनिधि-पद दिया जाये और प्रफुल्ल घोष अथवा आप इस कमेटीमे न रहे। मैंने आगे यह भी लिखा कि मौलानाके अलावा यदि किसीको चुनना हो, तो वह आप ही होने चाहिए। आप ही अलग हट जाये, तो दूसरी बात है, लेकिन यह सम्भव नही था कि वर्तमान प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी इच्छाकी अवमानना किये बिना आपकी उपेक्षा की जा सकती। इसी चरणपर मैंने अपनी गलती अनुभव की और सहसा बहसमे भाग लेना बन्द कर दिया। लेकिन जिस हदतक मैं जा चुका हूँ उसके लिए बिना कोई अफसोस किये मैं आपको लिख सकता हूँ कि मैंने जिस आत्म-निरोधकी बात लिखी है वह बंगालकी राजनीतिके लिए सबसे अच्छी चीज होगी। आप जानते हैं कि मैंने किस प्रकार राजगोपालाचारीको दबाया है, अथवा कहे कि राजगोपालाचारीने दबाया

१. अबुल कलाम आजाद।

जाना स्वीकार किया है। मैं नहीं समझता कि हमारे आत्मदमनसे देशको कोई नुकसान हुआ है। इससे राजगोपालाचारीको निश्चय ही लाभ हुआ है, और यदि दक्षिण भारतमें वह संसदीय संघर्षमें अत्यन्त उपयोगी है तो अपने आत्मत्यागके कारण ही हैं, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

लेकिन यह तो सम्भव ही है कि मैं इस मामलेमें गलतीपर होऊँ। मुझे लगा कि जो राय मैंने कल कायम की थी, लेकिन जिसे कल मैं उतने विस्तारसे व्यक्त नहीं कर सका था जितने विस्तारसे आज कर रहा हूँ, उसे यदि मैं दूसरोंके आगे नहीं रखूँगा तो मैं आपके प्रति सच्चा नहीं होऊँगा। अगर इस पत्रसे आपको कोई मदद न मिलती हो तो इसे आप ध्यानसे निकाल दें। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी हालतमें इसे धृष्टतापूर्ण हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। सही बात यह है कि जहाँतक मेरा सवाल है, आप और मैं दिनों-दिन एक दूसरेके निकट आते गये हैं। कलकत्तेकी मेरी हालकी यात्रामें[1] आपके साथ जो सम्पर्क हुआ, उसने आपको मेरे और करीब ला दिया। पिछले एक हफ्तेकी थकानेवाली व्यस्ततामें आपसे जो सहायता मिली, उसकी मैं हृदयसे कद्र करता हूँ, और यह बात मैंने बहुत-से मित्रोंको बतानेमें कोई संकोच नहीं किया है। अगर यह पत्र उस पारस्परिक सहयोगके विकासमें बाधक न सिद्ध हो तो आप जो भी फैसला करें, मैं पूरी तरह सन्तुष्ट रहूँगा। मैं इस बातके लिए बहुत चिन्तित हूँ कि बंगालमें एक समांगी और सुसंगठित कांग्रेस पार्टी हो और उसमें कोई आन्तरिक भेद न हो।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ६२८, १९३६; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. जुलाई, १९३४ में।
२. इस पत्रकी एक प्रति डॉ० राजेन्द्रप्रसादको भेजी गई थी; देखिए अगला शीर्षक।

२८१. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

[३० अक्टूबर, १९३४][1]

दा० विधानका खत मुझे आया है। तुमारे पर गया है उसकी नकल भी भेजी है। इसलिए यह कोपी मेरे पत्रकी भेजता हूं।

बापु

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० जी०-३०, १९३३, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

२८२. पत्र : गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको

३० अक्टूबर, १९३४

मन्त्री महोदय
[प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
अहमदाबाद]

महोदय,

काग्रेसकी सदस्यताके लिए मेरा जो सूत जमा होता है उसे अवसे बन्द कर दीजिएगा। अखिल भारतीय चरखा-सघके काग्रेस-सदस्योके रजिस्टरमे से मेरा नाम काट दीजिएगा।

आपका,
मोहनदास करमचन्द गांधी

मैने सार्वजनिक रूपसे [काग्रेससे बाहर रहनेका] अपना जो निश्चय व्यक्त किया है, उसके अनुसार मै आपसे इस पोस्टकार्डके द्वारा विनती करता हूँ कि आप काग्रेस-रजिस्टरसे मेरा नाम काट डाले।

आपका,
मोहनदास करमचन्द गांधी

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य : नारायण देसाई

१. यह डॉ० विधानचन्द्र रायके नाम ३० अक्टूबर, १९३४ के पत्रकी प्रतिपर लिखा था; देखिए पिछला शीर्षक।

२८३. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

३० अक्टूबर, १९३४

भाई राजेन्द्र बाबू,

मेरे निश्चयके अनुसार मै ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीमे से अब हट जाता हूँ, मेरा नाम कमेटीके दफ्तरमे से निकाल दिया जाए।

आपका,
मो० क० गांधी

श्री राजेन्द्र प्रसाद
प्रेसिडेंट, [इंडियन] नेशनल कांग्रेस
द्वारा बिरला मिल्स, दिल्ली

ए० आई० सी० सी० फाइल न० ४६३, १९३४; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

२८४. पत्र : पी० कोदण्डरमय्याको

३१ अक्टूबर, १९३४

प्रिय कोदण्डरमय्या,

आपका पत्र मिला। मैंने अपना समय पहलेसे उन चीजोके लिए गिरवी रख दिया है- जिन्हे मुल्तवी नही किया जा सकता। इसलिए मै आपसे कोई वादा नही कर सकता और न कोई आशा बँधा सकता हूँ। मै नही जानता कि मेरी किस्मतमे क्या बदा है। यदि मै अगले कुछ महीनोके लिए अपना मार्ग साफ-साफ देख सकूं तो आपने जिस यात्राका सुझाव दिया है, वह मै अवश्य करना चाहूँगा। इस बीच यदि आपने उत्कट अन्वेषकके रूपमे इस विषयका अध्ययन किया है तो मै चाहूँगा कि आप मुझे छ: पिछडी हुई जातियोका विशद विवरण लिख भेजें। यह सुपाठ्य, सक्षिप्त और 'हरिजन' के स्तम्भोमे प्रकाशित करने योग्य होना चाहिए। आपको मुझे अपना थोडा-सा और परिचय देना होगा। आप कौन है? आप क्या

कर रहे है? स्वराज्य आश्रमका स्वरूप क्या है? आदिवासियोके इस कार्यमे आपका क्या योगदान है?

हृदयसे आपका,

श्री पी० कोदण्डरमय्या
स्वराज्य आश्रम
पोल्लावरम
वरास्ता कोव्वयूर, एम० एस० एम० रेलवे

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२८५. पत्र : क० मा० मुन्शीको

३१ अक्टूबर, १९३४

भाईश्री मुन्शी,

संविधान [का मसविदा] तुम्हे जमनालालजी देगे। मैने उसे बारीकीसे देख लिया है। मैने जो संशोधन किये है उन्हे समझनेमे दिक्कत तो नही होनी चाहिए। लेकिन यदि मेरे समझनेमे कही भूल हुई हो तो भले एक-दो दिनकी देर हो जाये। यदि तुम मुझे विस्तारपूर्वक लिखोगे तो मै अपनी भूलको समझनेकी चेष्टा करूँगा। तुमने जो प्रति भेजी है उसमे फॉर्म नही है। परिशिष्टमे जिस प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योकी नामावली दी गई है उसी प्रकार प्रत्येक प्रान्त अधिक-से-अधिक कितने सदस्य भेज सकता है, इसका ब्योरा भी दिया जाये तो अच्छा हो। लेकिन यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रकाशनको मुल्तवी नही किया जाना चाहिए। यह ब्योरा तो मंत्री भी दे सकता है।

जयरामदास और किशोरलाल यदि स्वस्थ हो गये हो तो इन संशोधनोको पढ ले। उम्मीद है, मेरी लिखावट पढनेमे दिक्कत नही होगी। जयरामदाससे कहना कि कुछ नोटिस जो तत्काल जारी किये जाने चाहिए, जारी कर दे। यथा क, च (अ) तथा अन्य।

तुम्हारे अथक प्रयत्नके बारेमे तो मैं क्या लिखूं!

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५८) से; सौजन्य : क० मा० मुन्शी

२८६. पत्र : सुरेन्द्रको

३१ अक्टूबर, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

शर्माका मामला कठिन है। जबतक वह तुम्हारी बातको मानता है तबतक उसे रोकना। वह भूख और ठण्डसे न मरे, इस बातका ध्यान रखना। वह लोगोको, वे जैसे हैं, उससे उलटा ही देखता है। जिन मनुष्योंके प्रति हमारे मनमें शका हो वे उसे साधु प्रतीत होते है; जिन्हे हम साधु मानने है उन्हें वह कुटिल मानता है। ऐसी बीमारीका इलाज करना मुश्किल होता है। जब लोगोके दिलोमें एक-दूसरेके प्रति शकाका भाव हो, वहाँ क्या किया जा सकता है! फिर भी, मै निराश नही होने वाला हूँ। मेरा निदान तो यह है कि वह जगतको नही खुद अपनेको ही धोखा दे रहा है। मुझे उसमे दुष्टता नही दिखाई देती, अपितु सरलता दिखाई देती है। लेकिन वह स्वभाव से ही अभिमानी है और उसे अपनी परीक्षा-शक्तिके बारेमें अत्यधिक विश्वास है। जिन लोगोके प्रति उसके मनमे श्रद्धाभाव है, यदि वे लोग उसकी आँखें खोल सकें तो वह बहुत सेवा कर सकता है। . . .[1]

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य नारायण देसाई

२८७. पत्र : हीरालाल शर्माको

३१ अक्टूबर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारा खत मिला है। मुझे थकान नहिं होगा न मुझे किसी प्रकारकी निराशा है। जब आओगे तब आश्रममें ही रहना है। विनोबा भी राजी है। तुमने मुझे निश्चित रहनेका लिखा है इसलिए निश्चित रहुंगा। स्वभावके आगे नही जाओगे तो मैं निश्चित ही हूं ऐसा समजो।

द्रौपदीको भी मैं तो खीचना चाहता ही हू। लेकिन तुमारे स्थिर होने पर ही यह बात हो सकती है। तुमारी लोई नही मिलती है। संभव है जो लडका यहां

१. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

रहता था वह ले गया हो। वह अब यहा नही है। लेकिन लोईके अभावमे सरदी बरदास्त करना कोई अच्छी बात नही है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११२ और ११३ के बीचमे प्रकाशित अनुकृतिसे।

२८८. पत्र : डीट्रिख बॉनहॉफरको

१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि आपके और आपके मित्रके पास वापसी टिकटके लिए पर्याप्त पैसा है और आप दोनो यहाँ अलग-अलगसे १०० रुपये प्रति मासके हिसाबसे खर्च दे सकते है तो आप जब चाहे तब आ सकते है। आप जितनी जल्दी आ सके, उतना ही अच्छा होगा जिससे कि आप हमारी तरह यहाँके सर्दीके मौसमका लाभ उठा सके। १०० रुपये प्रतिमासका अधिकतम अनुमान मैंने उन लोगोके लिए लगाया है जो सादगीसे रह सकते है। हो सकता है कि आपका इससे आधेमे ही गुजारा चल जाये। सब-कुछ इस बातपर निर्भर करता है कि आपको यहांका मौसम किस हदतक माफिक आता है।

जहाँतक आपके मेरे साथ रहनेकी, मेरी रोजमर्राकी जिन्दगीमे मेरा साथ देनेकी बात है, मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं आपके आनेके समयतक जेलसे बाहर और किसी एक निश्चित स्थानपर हुआ तो आप मेरे साथ ही रहेगे। लेकिन यदि मैं उस समय जेलमे अथवा यात्रापर हुआ तो आपको मेरी देखरेखमे चलनेवाली संस्थाओमे से किसी सस्थामे अथवा उसके समीप रहनेमें ही सन्तोष मानना होगा। मेरे ध्यानमे जो सस्थाएँ है, यदि आप उनमे से किसी सस्थामे रह सकते हैं और वहाँके सीधे-सादे शाकाहारी भोजनपर निर्वाह कर सकते है तो आपको रहने और खाने-पीनेका कोई खर्च नही देना पडेगा।

हृदयसे आपका,

श्री पास्टर लिक डीट्रिख बॉनहॉफर
२३, मैनर माउण्ट, एस० ई० २३, लन्दन

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

२८९. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

१ नवम्बर, १९३४

भाईश्री डाह्याभाई,

पूज्य बापूजीको आपका २९ तारीखका पत्र मिला। वे कहते हैं कि मैं आपको जवाब दे दूं। उनका कहना है कि वे आपके लिए कोई खास बात नहीं सोच पा रहे हैं। इतना ही सूझता है कि आप जहाँ हैं, वहीं रहकर यथाशक्ति काम करें। यदि आप रचनात्मक कार्योंमें से जो कर सकते हैं, उसे करते हुए सन्तोष मानकर जुटे रहेंगे तो उसीमें से किसी दिन कोई ऐसा सहयोगी मिल जायेगा जिसके आदर्श आपके समान ही हों।

सेवक
स्वामी आनन्द[1]

श्री डाह्याभाई मनोरभाई पटेल
धोलका

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७०५) से; सौजन्य : डाह्याभाई मनोरभाई पटेल

२९०. तार : रामदास गांधीको[2]

२ नवम्बर, १९३४

रामदास गांधी
आश्रम
साबरमती

तुम आ सकते हो। शर्माको साथ लेते आओ या भेज दो।

बापू

[अंग्रेजीसे]
बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११२

१. स्वामी आनन्दने यहाँ "बापूजीकी आज्ञासे" शब्द और जोड़ दिये थे।

२. रामदास गांधी, जो अहमदाबादके एक अस्पतालमें एलोपैथिक चिकित्सा करा रहे थे, वापस साबरमती आश्रम लौट गये थे और गांधीजीसे वर्धा आनेकी अनुमति माँगी थी।

२९१. पत्र : अगाथा हैरिसनको

३१ अक्टूबर/२ नवम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

मैं तुम्हें हर सप्ताह चिट्ठी लिखना चाहता था, लेकिन वैसा करना बिलकुल असम्भव था। अब तुम स्थिति जान गई हो। मैं मुक्त हूँ और यह सब-कुछ भलेके लिए ही है। साथमें मैं एक वक्तव्य संलग्न कर रहा हूँ जो मौनभंग करनेके फौरन बाद अर्थात् ३० तारीखको दिया गया था। मैं कम-से-कम अगला महीना हरिजन-कार्यके लिए और प्रस्तावित ग्रामोद्योग-संघकी शुरुआत करनेमें लगाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सीमा-प्रान्तके लिए अभीसे ही रास्ता निकालना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि एक या दो दिनमें अपना पत्र सरकारको भेज दूँगा। अगर भेजता हूँ तो उसकी एक प्रति तुम्हें इसके साथ संलग्न मिलेगी। यह पत्र मैं ३१ तारीखको बोलकर लिखवा रहा हूँ। शायद यह पत्र २ नवम्बरको वर्धासे डाकमें छोड़ा जायेगा।

मेरी इच्छा बराबर इस प्रकार कार्य करनेकी है कि सविनय अवज्ञाके स्वरूपके प्रति लोगोंके मनमें जो शंकाएँ हैं वे खत्म हो जायें। फिलहाल अन्य लोगों द्वारा उसमें भाग लेनेका सवाल ही नहीं पैदा होता। भविष्यको जहाँतक मैं देख सकता हूँ, अभी कुछ वर्षोंतक इस बातकी सम्भावना नहीं लगती कि मैं सविनय अवज्ञा आरम्भ करूँ या उतावलीमें सामूहिक सविनय अवज्ञा-आन्दोलन छेड़ूँ। मैं कांग्रेससे अलग रहकर दूरसे यह देखना चाहता हूँ कि सामान्य रूपसे कांग्रेसजन रचनात्मक-कार्यक्रममें कैसी दिलचस्पी ले रहे हैं, और इस प्रकार मैं जन-भावनाकी सचाईको परखना चाहता हूँ। सविनय प्रतिरोध तभी उचित रूपसे सविनय अवज्ञाका रूप धारण कर सकता है जब लोग सविनय प्रतिरोधकी कलाको सीख लें। सविनय प्रतिरोधके मतलब है ऐसा कोई काम करनेसे इनकार करना जिससे उस प्रणालीको बने रहनेमें मदद मिलती हो जिसे कि हम नष्ट करना चाहते हैं, न इससे कम, न इससे ज्यादा।

मैं देखता हूँ कि गाँववाले अपने उद्योगोंको पुनरुज्जीवित करके अपनी आर्थिक दशामें सुधार कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें एक भी कानून तोड़नेकी जरूरत नहीं है। ग्रामोद्योग-संघ बनानेका यही उद्देश्य है। शासन-प्रणालीको कायम रखनेमें हिन्दू-मुस्लिम तनावसे भी मदद मिलती है। इसी तरह अस्पृश्यतामें मदद मिलती है। शराबखोरीकी बुराईसे मदद मिलती है। लोगोंको इस प्रकारके प्रशिक्षणमें अब काफी अनुभव हो गया है। इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दोलन करनेके लिए जनताका आह्वान करनेका मुझे बहुत लोभ होता है, फिर भी मैं उसक संवरण कर रहा हूँ। आन्दोलन छेड़नेके लिए पर्याप्त प्रलोभन हैं। यहाँ तक कि बम्बईमें जिन कैदियोंके

बारेमे समझा गया था कि वे रिहा हो गये है, वे भी बम्बई-अहातेके विभिन्न जेलोमे बन्द है। जिन इमारतोपर सरकारने कब्जा कर लिया था वे वापस नही की जा रही है। मै इसी प्रकारके उदाहरण अन्य प्रान्तोसे भी दे सकता ,हूँ। तथापि, मै जानता हूँ कि मुझे इस प्रकारके उत्तेजनोको सहन करना होगा और साथी कार्यकर्त्ताओको भी इन्हे सहन करना होगा। यदि कहा जा सके तो मुझे यह इस समय सविनय प्रतिरोधका सबसे अच्छा तरीका मालूम पड़ता है। लेकिन यदि मै सीमा-प्रान्त नही जा सका, और यदि मुझे वहाँ जानेसे रोकनेका कोई उचित कारण नही हुआ, तो सम्भव है मेरा धीरज खत्म हो जाये और मै एक बार फिर कोई रचनात्मक-कार्य कर सकनेमे अपने-आपको बिलकुल असमर्थ पाऊँगा। मेरे लिए आत्माका यह बुनियादी सन्तोष पाना अत्यन्त आवश्यक है। मुझे पहलेसे ही कुछ नही मान लेना चाहिए। मै सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मै एकदम जेल नही भागूँगा। तुम्हें पर्याप्त पूर्व-सूचना मिल जायेगी।

आशा है, मीराकी अमेरिका-यात्रा सफल रही। तुम यह पत्र सी० एफ० एन्ड्रयूज तथा और जिसे चाहो, दिखा देना।

यहाँ तुमने जो खर्च किया था, उसकी बकाया रकम तुम्हे दे दी गई थी या नही ?

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च :]

सीमा-प्रान्तके बारेमें मैंने अभीतक चिट्ठीका मसौदा नही तैयार किया है।

सलग्न . १

कुमारी अगाथा हैरिसन
लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८०) से।

२९२. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय शंकरलाल,

इसके साथ मैं हीरालाल एम० गढवालका पत्र भेज रहा हूँ। इसमे अहमदाबादमे हिन्दी बोलनेवाले लोगोके जो आँकडे बताये गये हैं, यदि वे आँकड़े सही हैं तो स्पष्टत हिन्दी जाननेवाले बच्चोके पढनेकी व्यवस्था अपर्याप्त है। यदि हीरालालका कहना सच है तो मैं यह माने लेता हूँ कि अहमदाबाद-जिलेके हिन्दी जाननेवाले लोग शहरमें ही रहते हैं और वे अधिकाशत. मिलोंमे काम करते हैं। इसलिए यदि आपको इसके बारेमे कुछ मालूम है तो आप मुझे लिखिएगा, साथ ही यह भी बताइयेगा कि नगरपालिका इस सिलसिलेमे क्या कर रही है।

मैं यहाँ एक और पत्र भी नत्थी कर रहा हूँ। यह अन्नदाबाबूके यहाँसे आया है। वे यहाँ मेरे पास थे और बातचीतके दौरान अनायास ही विषय-समितिमें डॉ० सान्यालके व्यवहारका जिक्र आया। उनके व्यवहारके अलावा यदि अन्नदा-बाबूका कहना ठीक है तो मेरा खयाल है कि प्रति दुकान २५ रुपये देनेकी बात तय होनेके बाद जिस किसीने भी उनका ज्यादा किराया लिया है उसने गलत काम किया है। और यदि प्रमाणपत्र वापस ले लिये जानेकी धमकी दी गई थी तब तो यह और भी गलत बात है। क्या आपको इसके बारेमे कुछ मालूम है? मुझे याद पडता है कि आपने मुझसे किरायेमें फेरबदल किये जानेकी कुछ बात की तो जरूर थी। लेकिन अन्नदाबाबू जो-कुछ हुआ बताते हैं, उसकी मुझे कोई याद नही है।

सलग्न . २

श्री शकरलाल बैंकर
अहमदाबाद

अग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२९३. पत्र : हीरालाल एम० गढ़वालको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय हीरालाल,

आपके ३० तारीखके पत्रके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें आपने अहमदाबाद-जिलेमें रहनेवाले हिन्दी-भाषी लोगोंके आँकड़े दिये हैं।

हृदयसे आपका,

श्री हीरालाल एम० गढ़वाल
कोश्ती समाज मण्डल
बम्बई–११

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२९४. पत्र : एस० गणेशनको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

मैं तुमसे जितनी बातचीत करना चाहता था, उतनी बातचीत न कर सकनेका मुझे बहुत ज्यादा दुःख है। ठक्करबापाके बारेमें अपनी राय बनानेमें तुमने जल्दबाजीसे काम लिया है। वह बहुत उदार-हृदय व्यक्ति हैं। तुम्हें उन्हें अपनी विनम्रता, सौम्यता और कार्यमें सुव्यवस्था द्वारा जीतना होगा। मुझे मालूम है कि तुम सुव्यवस्थित नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे सिर्फ इसलिए चिपके हुए हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परिश्रमी, ईमानदार और आत्मत्यागी व्यक्ति मानता हूँ। पहले तो तुम अपनी सामर्थ्यसे बाहर जाकर जिम्मेदारी ले लेते हो और फिर हमेशा अभाव और कष्टमें रहते हो। इसलिए मैं तो कहूँगा कि तुम उतना ही काम लो, जितना तुम कर सको और एक बार काम हाथमें लेनेके बाद उसे अच्छी तरहसे पूरा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम अपनी घरेलू समस्याको भी अपेक्षाकृत अधिक सफलतापूर्वक निपटा सकोगे।

तुमने मुझसे पूछा है कि क्या मैं तुम्हें 'यंग इंडिया'-जैसा साप्ताहिक प्रकाशित करनेकी अनुमति दूंगा या नहीं? मैंने तुम्हें जो कारण दिये हैं, उनको देखते हुए मैं

ऐसी कोई वात सोच भी नही सकता। काश ! मैं तुमपर इस वातका भरोसा कर सकता कि तुम इस कार्यको योग्यतापूर्वक सम्पादित कर सकोगे। और फिर 'यंग इंडिया'-जैसी निर्भीक पत्रिकाको चलानेके लिए हमे पर्याप्त स्वाधीनता प्राप्त नही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस समय तुम्हारे पास जो काम है उसीमे अपना ध्यान केन्द्रित करो। उसके वाद तुम और कुछ भी सोच सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी।

श्री एस० गणेशन
मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

२९५. पत्र : जी० बी० गजभियेको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय गजभिये,

अब मुझे ठक्कर बापाका पत्र मिला है। उन्होने लिखा है कि इस समय वह आपकी कोई मदद नही कर सकते। सभी छात्रवृत्तियो पर विचार किया गया था और मध्य प्रान्तको जितनी छात्रवृत्तियाँ दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी थी। आपसे भी अधिक मजबूत मामलेको अस्वीकार करना पडा। इसलिए आपको कुछ समयके लिए प्रतीक्षा करनी होगी और फिरसे कोशिश करनी होगी।

हृदयसे आपका,

श्री जी० वी० गजभिये
मॉरिस कॉलेज
नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

२९६. पत्र : डॉरोथी हॉगको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉरोथी,

तुम्हारा पत्र और लेखोंकी प्रतियाँ मिली। वे काफी उपयोगी थे। मेरा खयाल है कि तुम अगाथासे[1] मिलती-जुलती रहती हो। इसलिए मुझे तुम्हें ज्यादा कहनेकी कोई जरूरत नही।

श्रीमती हॉग
डवमाउण्ट, डवडेल, एशबोर्न
डर्बीशायर, इंग्लैंड

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

२९७. पत्र : डॉ० के० ए० हमीदको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० हमीद,

मुझे आपका २२ तारीखका पत्र मिला। खानसाहब अब्दुल गफ्फार खाँ भाषण देनेके उद्देश्यसे मुसाफिरी करना पसन्द नही करते हैं। इसलिए मैं उनकी इच्छाके विरुद्ध काम नही करना चाहता। इसलिए आपसे जो बन सके वह आपको करना होगा। इसके अतिरिक्त चूँकि मैंने कांग्रेससे अवकाश ग्रहण कर लिया है, अतएव मुझे ऐसे कार्य नही सौंपे जाने चाहिए।

हृदयसे आपका,

डॉ० के० ए० हमीद
जलगाँव
पूर्वी खानदेश

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. अगाथा हैरिसन।

२९८. पत्र : हरदयाल नागको

२ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरदयालबाबू,

मुझे आपका १८ अक्टूबरका पत्र मिला। आप जानते है कि मैंने क्या किया है। हमे आशा करनी चाहिए कि कांग्रेससे पाखण्ड दूर हो जायेगा, जिसकी कि आपको आशंका है।

हृदयसे आपका,

श्री हरदयाल नाग
चाँदपुर (बंगाल)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

२९९. पत्र : शाहको

२ नवम्बर, १९३४

भाई शाह,

आपका पत्र और लेख मिले थे। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ रहना और घूमना-फिरना अच्छा नही लगेगा। इसलिए यदि आपको इस समय फुर्सत नहीं है तो यह ठीक ही है। यदि मैं इसमे कोई भूल कर रहा हूँ तो मुझे यह जानकर खुशी होगी।

आपके पुत्रको भी यह अच्छा लगेगा, इसके बारेमें भी मुझे सन्देह है। मेरे पाससे भला उसे क्या अनुभव मिलेगा? इस मासके अन्तमें तो न मालूम मैं क्या कर रहा होऊँगा। ग्रामोद्योगोंको अच्छी तरह प्रतिष्ठित करनेका अर्थ इनके लिए एक संस्थाकी स्थापना करना है। इस कार्यमें मैं अधिक योगदान दे सकूँगा अथवा नही, यह बात तो मेरे जेल जाने अथवा न जानेपर निर्भर है। मैं इससे बचना तो जरूर चाहता हूँ। यदि मैं आवश्यक स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर पाता तो जेलसे बाहर रहनेका कोई फायदा नही।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३००. पत्र : सुरेन्द्रको

२ नवम्बर, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं स्थिति समझ गया हूँ। शर्माको फिलहाल बिहार नहीं भेजा जा सकता और व्यवस्थित होनेके बाद ही वह जा सकता है। इसलिए अभी तो उसे यहीं रहना होगा। यदि वह परिवारमें रहकर कुछ कामधन्धा करे तो बेहतर होगा। लेकिन यह बात न तो उसके परिवारको पसन्द है और न द्रौपदीकी ही ऐसी इच्छा है। सब यही चाहते हैं कि वह मेरे पास रहे। उसके गुणोंसे तो मैं परिचित हो गया हूँ। उसके दोषोंके सम्बन्धमें यदि मेरा विश्लेषण ठीक है तो मैं उनका निराकरण कर सकूँगा। लेकिन अन्ततः जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। हमारा काम तो हमपर जो कर्त्तव्य आ पड़े उसे पूरा करना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३०१. पत्र : हीरालाल शर्माको

२ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा,

तुमारा खत मिला। सुरेंद्रका भी पढ़ा। तुमारे यहां आना है। बादमें देखा जाय क्या करना उचित है। तुमारे बहार रहनेसे तो लोग निर्भय नहीं होंगे। निर्भय बनानेके लिये भी तुमारे आना है। विनोबा तो तुमारे आनेसे बिलकुल राजी है। बाबाजीके[1] मीजबान बने तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। और मैं तो हूं ही। मैं जब बरदाश्त न करूं तब देखा जायगा। एक वर्षकी मर्यादा तो तुमारे लिये रखी है भले अमर्यादित कैद में रहो।[2] द्रौपदीके पास रहना, कुटुंब सेवामें ग्रस्त होना, यह सब तो सोचनेकी बात है। हमारे बीचमें इतना समझौता है न कि तुम कोई भी

१. मोघे, आश्रमके व्यवस्थापक।

२. हीरालाल शर्मा आश्रममें रहनेको अनिच्छुक थे और उन्होंने गांधीजीको लिखा था कि व्यवस्थापकोंके साथ उनके बुरे सम्बन्धोंको देखते हुए उनको आश्रममें रखना कैद करनेके बराबर है।

चीज जवरदस्तीसे नही करोगे, शक्तिके वाहर जाकर भी नही करोगे। इतना अभय-दान मुझे चाहीये, दूसरा मैं देख लूगा। योगानन्दको[1] भूल जाओ। वाहर क्या वाते कर रहा है सो तो वही जाने। यहा उसका कोई असर नही है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नही डाला जिससे मेरे दिलमे तुमारे बारेमें किसी प्रकारका सशय हो। मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हू — वहम, अभिमान और परदोपदर्शन। वहमका औषध काल ही है, अभिमानका औपध शून्यवत् वनना है, परदोपदर्शनका औषध स्वदोषदर्शन है। हम अपनेको सवसे बूरी माने तो किसीका दोष नही देखेगे औरदोप मात्र रोगका रुप लेगा। वातें करनेका थोडा २ समय तो मैं दूगा, लेकिन वातसे हमारा काम नही बनेगा। तुमारे लिये मेरे पास मजदूरीका वहूत काम पडा है और इसीके साथ मैं थोडा और भी काम ले लूगा।

आज तार दिया है[2] आ जानेका।

वापुके आशीर्वाद

वापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११४ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

३०२. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

३ नवम्वर, १९३४

प्रिय कुमारप्पा,

तुमने ग्रामोद्योग-संघका प्रस्ताव[3] पढ़ा होगा और तुमने यह भी पढा होगा कि उसका भार तुम्हारे विशाल कन्धोपर आ पड़ा है। प्रश्न यह है कि तुम कव आ सकते हो? मैं नही चाहता कि वहाँ तुम्हारे कामका हर्जा हो और साथ ही मेरी यह भी इच्छा है कि जवतक तुम वहाँके कामसे फारिग नही हो जाते तवतक इस कामको हाथमे न लो। इससे पहले कि तुम अथवा मैं राजेन्द्रवावूसे तुम्हे मुक्त करनेके लिए कहें, तुम्हे खुद इस वातका निर्णय करना होगा कि तुम कवतक अपनेको वहाँसे मुक्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नही कर सकते, तो तुम्हे वता देना होगा। फिर तुम मेरे सम्मुख अपने विचार व्यक्त करना और मैं देखूंगा कि इस सम्वन्धमें क्या किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिए। यदि तुम्हारे पास ऐसे व्यक्तियोके नाम है जो वोर्डकी स्थापना कर सकते है, तो तुम मुझे उनके नाम और यदि कोई सुझाव हो तो लिख भेजना। मैं उसके सविधानपर विचार करूँगा। मुझे

१. खुर्जाके एक साधु, जिन्हें कुछ आश्रमवासियोंने हीरालाल शर्माके बारेमें जानकारी हासिल करनेके लिए बुलाया था।

२. देखिए "तार : रामदास गांधीको", २-११-१९३४।

३. देखिए "भाषण : अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २४-१०-१९३४।

इस बातका पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास प्रस्तावका पूरा पाठ मौजूद है। इस समयके लिए इतना ही काफी है।

श्री जे० सी० कुमारप्पा
बिहार केन्द्रीय-राहत समिति
एक्जिबिशन रोड
पटना

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

३०३. पत्र : बी० शिवरावको

३ नवम्बर, १९३४

प्रिय शिवराव,

आपका पत्र पाकर मुझे बडी खुशी हुई और आपने विभिन्न देशोके सविधानसे सम्बन्धित जो उपयोगी पुस्तक मुझे भेजी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूंकि आप यहाँ आनेवाले हैं[1] इसलिए आपने अपने पत्रमे जो विभिन्न मुद्दे उठाये है और प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर मैं इस पत्रमे नही दे रहा हूँ। यदि आप इस महीनेकी १० और १५ तारीखके बीचमें आ सके तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। मैं आपके पत्र तैयार रखूंगा और तब हम आपके द्वारा उठाये गये मुद्दोपर विचार करेंगे।

बेशक, ग्रामोद्योग-सघ सरकारी कर्मचारियो सहित सबके लिए खुला रहेगा, बशर्ते कि वे सघके नियमोका पालन करे। यह विशुद्धत· गैर-राजनीतिक सगठन है और ग्रामोद्योगोको बढावा देने तथा ग्रामीणोकी हालतमें आम सुधार करनेके अलावा इसका और कोई लक्ष्य नही है।

हृदयसे आपका,

श्री बी० शिवराव
५, अलनदुर रोड
सैदापेट, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. गांधीजीने शिवरावको अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघको किस प्रकार एक प्रभावकारी संस्था बनाया जाये, इस सम्बन्धमें बातचीत करनेके लिए बुलाया था।

३०४. पत्र : क० मा० मुन्शीको[1]

३ नवम्बर, १९३४

टिप्पणी ३ : (क) और (ख) दोनोंमें 'सदस्य' (मेम्बर)[2] शब्द प्रारम्भिक सदस्यका सूचक है, किन्तु जहाँ कहीं 'सदस्यता' (मेम्बरशिप) शब्द आया है वहाँ आशय चुने हुए सदस्यसे है। इसलिए आप दोनो जगह या तो 'सदस्य' (मेम्बर) शब्द रखें या 'व्यक्ति' (पर्सन) रखें। एक जगह 'सदस्य' कहें और दूसरी जगह 'व्यक्ति' तो ठीक नहीं होगा। 'सदस्य' शब्दका अर्थ चुनकर आया हुआ कोई पदाधिकारी समझनेकी सम्भावना नहीं है। आप जो शब्द चुनें, उसीका प्रयोग दोनों जगहोंपर करें।

टिप्पणी ५ : बापूको लगता है कि 'प्रत्येक जिला' (एवरी डिस्ट्रिक्ट) शब्दसे सब स्थानोपर हमारा काम पूरी तरह चल जायेगा, नहीं तो फिर जो परिवर्तन उन्होंने सुझाये हैं, उन्हे स्वीकार कर लिया जाये। आपने सिर्फ 'नगर' (टाउन) शब्द रखा है। इसे इसी तरह रखें तो उस जिलेके एक नगरके अतिरिक्त सदस्योंको अन्य किसी नगरके अतिरिक्त सदस्योके साथ 'अमैलगमेट' नहीं किया जा सकेगा। और इससे कमसे-कम पाँच सदस्योंवाले निर्वाचन-क्षेत्र (कॉन्स्टिट्यूएन्सीज) बनानेमें कठिनाई होगी।

टिप्पणी ६ : धारा (ज)में आपके द्वारा सुझाये गये सुधारके बजाय बापू यह संशोधन सुझाते हैं :[3] "जब नियमके अनुसार बने प्रारम्भिक सदस्योंकी संख्या चुने जानेवाले २,००० प्रतिनिधियोकी न्यूनतम संख्यासे बढ़ जाये तब कार्य-समिति ऐसे प्रारम्भिक सदस्योकी ५०० की उस संख्यामें जो एक प्रतिनिधि चुननेके लिए आवश्यक होती है फेरफार करेगी, जिससे समूचे भारतका ध्यान रखते हुए अधिकतम संख्या कायम रखी जा सके और धारा च (१) के अनुरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोंके बीच सन्तुलन रखा जा सके।"

टिप्पणी ८ : बापूका यह कहना नहीं है कि जब विशेष बैठक बुलानी हो तब अ० भा० कां० क० (ए० आई० सी० सी०) भंग कर दी जाये और नये सिरेसे चुनाव हों। आजकी व्यवस्थाके अनुसार तो एक बार चुने गये प्रतिनिधि पूरे

१. यह पत्र स्वामी आनन्दने लिखा था और प्रारम्भमें कहा था कि "बापूके पास संविधानके दोनों मसौदे और आपकी टिप्पणियाँ हैं। आपने जो परिवर्तन सुझाये हैं, उन्हें वे देख चुके हैं। वे सामग्री निम्नलिखित सुझावोंके साथ वापस कर रहे हैं।"

२. कोष्ठकमें दिये गये अंग्रेजी शब्द साधन-सूत्रमें अंग्रेजीमें दिये गये हैं।

३. इस अनुच्छेदका शेषांश अंग्रेजीसे अनूदित है।

बरस-भर बने रहेंगे। और उसी प्रकार अ० भा० कां० क० भी वही बनी रहेगी। और अगर सारे प्रतिनिधि सर्वसामान्य सभाके रूपमें अ० भा० कां० क० को भंग करके उसकी जगह नई कमेटी न चुनना चाहें तो विशेष अधिवेशनमें भी वे ही व्यक्ति आयेंगे। किसी भी 'विशालतर सभा' (बिगर बॉडी) को यह अधिकार होता ही है। अन्यथा केवल इसलिए कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाना है, अ० भा० कां० क० या कार्य-समितिको (डब्ल्यू० सी०) नये सिरेसे चुनना आवश्यक कदापि नहीं है।

टिप्पणी ११: अगर अ० भा० कां० क० ने सोमवारको यह घोषित किया था कि अनुच्छेद '३' में उल्लिखित शर्त हालमें चुने गये सदस्योंपर पहली जुलाईतक लागू नहीं होगी तो फिर ठीक है। यों बापूको स्वयं तो सदस्योंको तबतक बेकार बैठे रहने देनेकी छूट देना पसन्द नहीं है। जब प्रस्ताव पास हुआ तब उसका मंशा ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी, यदि किन्हीं विशेष कठिनाइयोंके विचारसे अ० भा० कां० क० (ए० आई० सी० सी०) ने यह छूट दे दी है तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५५९) से; सौजन्य . क० मा० मुन्शी

३०५. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय आनन्द,

मुझे तुम्हारा छोटा पत्र पाकर और यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी तबीयतमें धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार हो रहा है। अस्पतालसे छूटनेके बाद तुम्हारे जयरामदासके साथ आनेकी मैं उत्कटतासे बाट जोह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए तुम डॉक्टरोको हैरान न करना। पहले तबीयतको पूरी तरह सुधरने दो। मुझे अभी अपने-आपको विद्याको पत्र लिखनेसे रोकना होगा, क्योंकि मैं अपने समयका प्रत्येक पल बचाना चाहता हूँ।

बापू

श्री आनन्द तो० हिंगोरानी
के० ई० एम० अस्पताल
परेल, बम्बई

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३०६. पत्र : वी० आर० कुलकर्णीको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय कुलकर्णी,

आपका पत्र मिला। इसके साथ मैं आपकी कतरनें वापस भेज रहा हूँ। प्रमाण-पत्र दिलचस्प हैं। इससे पहले कि मैं आपकी कहीं सिफारिश करूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे विस्तारसे अपनी योजना दें जिसे किसी भी डेरीका व्यवस्थापक समझ सके।

हृदयसे आपका,

श्री वी० आर० कुलकर्णी
हनुमानगढ़
वर्धा

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३०७. पत्र : नीलरंजन पटनायकको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय नीलरंजन,

आपका पत्र पाकर खुशी हुई। आप जो कहते हैं उसमें से अधिकांश सत्य है। संविधानका संशोधित रूप ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा कार्यकर्त्ता कांग्रेसको सही दिशाकी ओर प्रवृत्त करनेके कार्यमें ठोस प्रगति कर सके। ग्रामोद्योग संघके बारेमें, जिसका कि गठन किया जा रहा है, यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य दें।

आशा है कि आप अच्छी तरह होंगे।

हृदयसे आपका,

श्री नीलरंजन पटनायक
अस्का (जिला गंजाम)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३०८. पत्र : मॉरिस फ्रीडमैनको

४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने अभीतक आपकी पुस्तिका नही देखी है। यदि वह आपके पत्रके साथ सलग्न हो तो मै अब उसके लिए माँग कर रहा हूँ। मै इस हालतमे आपको वर्धा आनेका कष्ट नही दूंगा। जब मै सघके नियम आदिका मसौदा तैयार कर लूंगा तब आपको उसकी एक प्रति मिलेगी। नियमोको देखनेके बाद यदि आप कुछ रचनात्मक आलोचना लिख भेजे तो बेहतर होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् मॉरिस फ्रीडमैन
रेस व्यू
रेसकोर्स रोड, बगलौर

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३०९. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

५ नवम्बर, १९३४

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। भाषाकी गलतियाँ बहुत कम है। मै तुम्हे यह पत्र अंग्रेजीमे लिख रहा हूँ वरना कही तुम्हे अक्षर पहचाननेमें या समझनेमे कठिनाई न हो।[१] मुझे खुशी है कि तुम वहाँ प्रसन्न हो। तुम्हारा ट्रेन परसे लिखा गया पत्र यथासमय प्राप्त हो गया था। तुमने अपना चरखा माँगा है। क्या तुम सचमुच उसे चाहती हो? आशा है, तुम अपने-आपको और अपने आसपासकी चीजोको सुव्यवस्थित रख रही हो। बेशक, जितनी ही मेहनत की जाये, उतना ही अच्छा मालूम होता है। मुझे आशा है कि तुम अपने स्वास्थ्यको बनाये रखोगी। हाँ, अगर तुम्हे सार्थक लगे तो तुम बड़े दिनके मौकेपर आ सकती हो। तुम अपनी माँ को उनका रुपया नियमित रूपसे भेजती रहना। महादेवको अपने लड़केके कारण बम्बईमे रुकना पड़ा। लड़केका ऑपरेशन शायद कल हुआ होगा।

१. यहाँतक पत्र गुजरातीमें है।

चिट्ठी नियमित रूपसे जरूर लिखो। क्या तुम्हे अखबार पढनेको मिलते है? तुम्हारा कमरा कैसा है, लिखना। जिन लोगोसे तुम्हारी मुलाकात हो उनके बारेमे भी लिखना।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च]

बा अभी भी रामदासके पास साबरमतीमे ही है।

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३१०. पत्र : टाइटसको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय टाइटस,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तुम्हारी इस बातसे पूर्णतया सहमत हूँ कि गायोके बारेमे मुझे लिखनेसे पहले सुरेन्द्रको तुमसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हे कोई चिन्ता नही करनी चाहिए, क्योकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पशुओकी हालत वैसी नही है और उनकी देखभालके लिए तुम्हे दोषी नही ठहराया जा सकता।

डेरीको बीड़ज ले जानेकी तुम्हारी योजना मुझे पसन्द है। मै निजी तौरपर तुम्हे यह प्रयोग करने देना चाहूँगा। लेकिन क्या तुमने इस योजनाके विषयमे नारणदाससे बातचीत नही की? मुझे नारणदासका पत्र मिला है, लेकिन उसमे उसने योजनाके बारेमें कुछ नही लिखा है। तुम उसकी राय जानकर मुझे लिखना।

जो घाटा हुआ है उसकी तुरन्त अदायगीके लिए मै प्रबन्ध कर रहा हूँ। मैंने नारणदाससे पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए और यह रकम कहाँ भेजी जानी चाहिए। उसका उत्तर मिलनेके बाद इस कार्यमे कोई देर नही की जायेगी।

मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी पत्नी, दोनों पूर्णतया ठीक हो गये होगे।

तुम दोनोको प्यार,

बापू

श्री टाइटस
साबरमती

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

३११. पत्र : एस० गणेशनको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

मेरा खयाल है कि तुम्हारे और मेरे बीच यह बात तय हो गई थी कि खान साहब नही आ सकते और यह कि तुम काका साहबसे एक हफ्तेका समय देनेके लिए कहोगे। मै नही जानता कि तुमने उनसे कहा अथवा नही। मेरे लिए किसी औरको भेजना सम्भव नही है।

'यग इण्डिया' के खण्ड ३ की प्रस्तावनाके सम्बन्धमे, मै नही जानता कि तुम्हारे द्वारा निश्चित अवधिमे मुझे समय मिल पायेगा अथवा नही। महादेव यहाँ नही है और कुछ समयतक नही होगा। जब वह वापस लौटेगा तब उसे बहुत-सा बकाया काम पूरा करना होगा।

तुम्हारे अर्द्ध-साप्ताहिक पत्रको ग्रामोद्योग-सघके मुखपत्रके रूपमे परिवर्तित करनेके बारेमे मै तुम्हे पहले ही लिख चुका हूँ। जबतक तुम घरेलू कर्जके कगारपर खडे हो तबतक मै तुमपर अतिरिक्त बोझ डालनेकी बात नही सोच सकता, और न इस बातका भरोसा कर सकता हूँ कि मै तुम्हारे हाथोमे सुरक्षित रहूँगा। अपनी गतिविधियोका विस्तार करनेकी तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पत्रके द्वितीय अनुच्छेदके प्रारम्भिक वाक्यसे बिलकुल मेल नही खाती, जहाँ कि तुमने लिखा है: "मेरी दशा अब लगभग सुधर गई है। और विलम्ब करनेसे बात बिलकुल बिगड जायेगी।" जिस मित्रने सारा खर्च उठानेका वादा किया उसे मै नही जानता। यदि मेरे सम्मुख व्यावहारिक, भरोसे लायक और सुदृढ योजना होगी तो मै अपने निर्णयपर फिरसे विचार करूँगा।

ग्रामोद्योग-सघके सम्पादकके रूपमें शास्त्री[1] क्या करेगे? इसके लिए विशेष जानकारीकी जरूरत होती है, और जहाँतक मुझे मालूम है, शास्त्रीको ऐसी कोई जानकारी नही है। मै नही जानता कि वी० एस० वी० चारी क्या कर सकते है? जो व्यक्ति 'स्टेट्समैन' के लिए लिखता है, वह व्यक्ति कदाचित् ही ग्रामोद्योग-सघके कार्यको प्रभावकारी ढगसे कर सकता है।

लेकिन तुम्हारे अर्द्ध-साप्ताहिक पत्रके साथ मेरा कोई सम्बन्ध जोडे बिना भी अगर तुम अपने अर्द्ध-सप्ताहिकके शीर्षकका औचित्य सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हे उसके स्तम्भोमे काग्रेसके रचनात्मक-कार्यक्रमके बारेमें लिखना चाहिए।

१. आर० वी० शास्त्री।

ठक्कर बापाके साथ हुआ तुम्हारा पत्र-व्यवहार मैंने पढ़ा है। मैं उनके साथ केवल 'हरिजन' के अतिरिक्त अकके बिलके बारेमें बातचीत करूँगा। मुझे प्रसगवश अन्य चीजोंसे भी निपटना पड़ सकता है। मैं देखूँगा।

सलग्न पत्र शायद तुम्हारे कामका हो।

संलग्न: १

अंग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य · प्यारेलाल

३१२. पत्र: सर रॉबर्ट मैकेरिसनको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेजर-जनरल

आपके पत्र और खाद्य-सम्बन्धी पुस्तकोंके लिए आपका धन्यवाद।

हृदयसे आपका,

मेजर-जनरल सर रॉबर्ट मैकेरिसन
केटी० सी० आई० ई०, के० एच० पी०, आई० एम० एस०
डायरेक्टर, न्यूट्रिशन रिसर्च
इंडियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन
कून्नूर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

३१३. पत्र: मरजोर एम० मानाको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इसमें सन्देह नही कि जमशेद मेहताके लिए जो भी प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये वह उनकी असाधारण सेवाओंको देखते हुए अधिक नही होगा। लेकिन आप अकेले ही इस दिशामें काम कर रहे हैं, भला ऐसा क्यों? मैं यह कदापि नही चाहूँगा कि आप इसमें पहल करें। इस सम्बन्धमें कराचीके नागरिकोंकी ओरसे सार्वजनिक अपील की जानी चाहिए; अन्यथा कुछ भी नही होना चाहिए। और

यदि कराचीके नागरिक अपन-आप इस दिशामे कोई कदम नही उठाते तो मैं उन्हे वैसा करनेके लिए कहूँगा नही।

हृदयसे आपका,

श्री मरजोर एम० माना, बी० ई० (सिविल) आदि
बन्दर रोड, कराची

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३१४. पत्र: एन० सुन्दरम् अय्यरको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नही कर सकता। बेशक, आपके पुत्रको आपका भरण-पोषण कर सकना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एन० सुन्दरम् अय्यर
मार्फत एन० आर० स्वामी
खिदरपुर, कलकत्ता

अग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

३१५. पत्र: रामदास गांधीको

५ नवम्बर, १९३४

चि० रामदास,

तुझे वहाँसे बुला लेनेकी मेरी हिम्मत नही होती। मेरे उपचारसे लाभ अवश्यमेव होगा, यह तो मै भला कैसे कह सकता हूँ? और फिर यहाँ तू और भी कष्ट मे पड जायेगा। घरको घर ही समझना चाहिए। आँखें जो देखती है और कान जो सुनते है, उनका असर हुए बिना नही रह सकता। इसलिए मैंने सारी बात तुझ पर छोड दी है। तेरी इच्छाका विरोध न करनेका अपना धर्म इस समय मुझे बहुत सहल लगता है। उसमें मैं बहुत कम दोष देखता हूँ। लेकिन तू किसी निर्णयपर पहुँच सके, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत सोच-विचार करनेके बाद मेरी दृष्टि पूना

पर जाती है। वहाँकी हवा उत्तम है और पानी अच्छा है। लेडी विट्ठलदासने[1] तो बहुत आग्रह किया है। उनका उपचार कर, और चूंकि वा तेरे साथ होगी इसलिए आसानी होगी। यदि तू वहाँ जानेका निश्चय करता है तो सुमित्राको यहाँ भेज देना। नीमु भी आना चाहेगी, लेकिन यदि तू साथ ले जाना चाहे तो ले जाना। इस परसे तू देखेगा कि मेरी वृत्ति तुझे अपनेसे दूर रखनेकी है। इस वृत्तिको जितना महत्त्व दिया जाना हो उतना देकर अपना निर्णय करना। मुझपर न छोड़ना। तुझे वहाँसे निकल आना चाहिए, यह तो मैं अवश्य महसूस करता हूँ। बम्बईमें डॉ० जीवराजको फुर्सत हो तो उनसे मशविरा करना। और यदि ऐसा न करना चाहे तो कोई हर्ज नही। तेरा बाल भी बाँका नही होगा। शक्ति आनेमे देर लगे तो कोई बात नही। तू बिलकुल हिम्मत न हारना। यहाँ आनेका मन हो तो मुझे कोई आपत्ति नही, यह बात निश्चित जानना। यहाँ आयेगा तो मैं अपनी शक्ति-भर तेरा मार्गदर्शन करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे मेहताका इलाज पसन्द है। तेरे लिए उचित आहारके अलावा और किसी चीजकी जरूरत नही। अण्डेका उपचार जल्दी आरम्भ करनेसे कदाचित लाभ हो। जुगतरामका इस आशयका पत्र आया है कि अण्डेके विकल्पके रूपमे उसे किसी सब्जीकी जानकारी नही है। दूध अण्डेसे कम गुणकारी है, और उसकी बराबरी नही कर सकता। मनुके मामलेमें यह बात सच सिद्ध हुई। मनुको केवल कच्चा अण्डा ही दिया गया था।

उम्मीद है, बा का जुकाम ठीक हो गया होगा।

गुजराती प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३१६. पत्र : श्रीकृष्ण चाँदीवालाको

५ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्रीकृष्ण[2],

तुम्हारा पत्र मिला। तुम तो ब्रजकृष्णके लिए फरिश्ता बन गये हो। मै तुम्हारी इस बातसे सर्वथा सहमत हूँ कि उन्हे अपनी सेहतके साथ इस तरह खिलवाड़ नही करना चाहिए। मैं तो यह चाहूँगा कि वे वापस दिल्ली चले जायें और तबतक वहाँ रहे जबतक उनका स्वास्थ्य पूरी तरहसे सुधर नही जाता। उनकी अस्थिरता ही उन्हे खराब कर रही है। तुम मुझे बताओ कि वे क्या कर रहे है।

मै देखता हूँ कि डॉ० अंसारी हैदराबादमें बीमार चल रहे है और इसलिए कुछ समयतक दिल्ली नही आ सकते।

१. प्रेमलीला, सर विट्ठलदास दामोदर ठाकरसीकी पत्नी।

२. ब्रजकृष्ण चाँदीवालाके भाई।

मैं देखता हूँ कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। मैं तुम्हारी सफलताकी कामना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुममें आत्मविश्वास की कमी नहीं है।

व्रजकृष्णसे कहना कि वह मुझे पत्र लिखे। यदि मुझे समय मिला तो मैं इस पत्रमें उनके लिए भी एक छोटा पत्र रख दूंगा।

बापू

संलग्न : १

श्री श्रीकृष्ण
कटरा खुशाल राय
दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

३१७. पत्र : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको

५ नवम्बर, १९३४

चि० व्रजकृष्ण,

तुमारा खत क्यों नहीं है? मैंने तो तुमको उत्तर दे ही दिया है[1] यहां आनेका भी लिखा है। हरद्वारके ठिकाने पर भेजा था। श्रीकृष्ण लिखता है उससे तो पता चलता है कि तुमारा शरीर अच्छा नहीं है। यदि ऐसे ही है तो तुमारे न्यु देल्हीमें जाना मुनासब होगा। अच्छा तो यह है कि जैसा दाक्तर कहे ऐसे करना।

दामोदरदास मिले थे। बातें तो बहुत हुई। मुझको संतोष नहीं हुआ। अगर वह जो कहते हैं सो सत्य है तो तुमारे समजनेमें कुछ गलती हुई है अथवा उन्होंने अपनी बात बदल दी है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च]

इस महीनेतक तो मैं यहीं हूं।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४२९) से।

१. ११ अक्टूबरको।

३१८. पत्र : एफ० मेरी बारको

६ नवम्बर, १९३४

चि० मेरी,

तुम्हारा पत्र मिला। पिछला वाला पत्र मैंने छोटालालको भेज दिया था। तुम मेजपर जो पत्र छोड़ गई थीं, वह मुझे मिल गया था। तुम्हें खेद प्रकट करनेकी कोई जरूरत नहीं थी। तुमने मेरे एकान्तमें कोई बाधा नहीं डाली थी। मैं तो कई लोगोंके बीच एकान्त सेवन करता हूँ। रंगरावजीके वापस लौटनेतक क्या तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा? क्या तुम नई प्रणालीके अनुसार अपनी तकली चलाती हो? 'जो कुछ भी करो, ईश्वरके नामपर करो और इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका सम्भव हो, उस तरीकेसे करो'—यह एक अच्छा सिद्धान्त है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३२) से। सी० डब्ल्यू० ३३६१ से भी; सौजन्य : एफ० मेरी बार

३१९. पत्र : क० मा० मुन्शीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मुन्शी,

मेरा ध्यान अब संविधानसे हट चुका है। इसलिए अभी मिले तुम्हारे पत्रपर कोई निश्चित राय दे सकना मेरे लिए कठिन है। इसलिए तुमने जितने मुद्दे उठाये हैं, उन सबके बारेमें तुम उन्हीं निर्णयोंको पूरी तरह कार्यान्वित करो जिनको उप-समिति की बैठक में अच्छी तरह समझ लिया गया था। उप-समितिका दृष्टिकोण जैसा मैंने समझा, उसको व्यक्त करनेके लिए मैंने अपनी वाक्य-रचना[1] तुम्हें भेज दी थी। जैसाकि तुम जानते हो, मैं बैठकमें पूरे समयतक रहा था, लेकिन किशोरलाल भी रहे थे। मैं अपने मुकाबले उनकी याददाश्तपर ज्यादा भरोसा करूँगा, और इसमें मुझे खुशी होगी। अब तफसीलकी बातोंको लें :

१. देखिए "पत्र : क० मा० मुन्शीको", ३-११-१९३४।

१. उप-समितिमे जो-कुछ समझा गया था, वह यह था कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा शहरी क्षेत्र हो, जहाँ कही भी एक-दूसरेसे लगे हुए स्थानोको बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता हो, वहाँ उन्हे मिला दिया जायेगा। शहरी क्षेत्रमे और ग्रामीण क्षेत्रमें सिवा इसके कोई फर्क नही किया गया था कि शहरी क्षेत्रमे जहाँ कही भी सम्भव हो, अधिकतम सख्या दस और न्यूनतम सख्या पाँच निर्धारित की गई थी; ग्रामीण क्षेत्रके लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम सख्या निश्चित नही की गई थी, लेकिन जहाँ कही भी सम्भव हो वहाँ ऊपर बताये गये एकीकरणके तरीकेसे बहु-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रोंकी रचना करनेका निश्चय किया गया था। मेरी कल्पनामे अहमदावाद, वढुका और प्रान्तिजको मिलानेका सवाल पैदा ही नही होता। तुमने उक्त दो प्रकारके क्षेत्रोमे जो अन्तर किया था, उसके कारण मेरी कठिनाई पैदा हुई थी। शहरकी हमारी परिभाषाके अनुसार उसकी आवादी १०,००० से ऊपर होनी आवश्यक है। जिस स्थानकी आवादी १०,००० या इससे कम है, वह शहर नही है और वह ग्रामीण क्षेत्रका हिस्सा है। पता नही मै अपना अर्थ स्वय स्पष्ट कर पाया हूँ या नही। यदि वह स्पष्ट न हो, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसके साथ तुम इसे समझनेके लिए सलाह कर सको तो तुम कृपया अपने विचारको ही कार्यान्वित करो। आखिरकार, यदि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्योके बीच कोई कठिनाई पैदा होती है या मतभेद है तो उसे काग्रेसके अगले अधिवेशनमे दूर किया जा सकता है।

२ प्रति ५०० सदस्योके पीछे एक प्रतिनिधिकी व्यवस्थाके मामलेमे मेरे सामने वम्वईको लेकर कोई कठिनाई नही थी, क्योकि उसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा २१ सदस्योका कोटा निश्चित है। अन्य प्रान्तोके लिए मै मानता हूँ कि स्थिति यह है। हमने उनके लिए अधिकतम सख्या निश्चित कर दी है और हमने शहरी क्षेत्रो और ग्रामीण क्षेत्रोके लिए भी अधिकतम संख्या निश्चित कर दी है। इसलिए वितरण या समायोजन प्रान्तोके अनुसार होगा और इसके आगेका समायोजन प्रत्येक प्रान्तके क्षेत्रोके अनुसार होगा। मेरे मसौदेकी खुद मेरी व्याख्या यह है कि उसमे इन दोनोकी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन यदि तुम्हारा विचार भिन्न हो, तो तुम्हारा मसौदा ही ठीक माना जाये या इस अर्थको कार्यान्वित करनेके लिए यदि तुम कोई दूसरा मसौदा बनाओ तो वह ठीक माना जाये। मुझे इसमे कोई सन्देह नही है कि जो अर्थ मैने यहाँ दिया है, वह ठीक है।

३ जहाँतक विशेष अधिवेशनका सवाल है, उसमे मुझे कोई कठिनाई नही है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी, कार्य-समिति और अध्यक्ष प्रतिनिधियोकी इच्छा पर निर्भर करेगे। प्रतिनिधि लोग इनके साथ जो चाहेगे करेगे, और मेरा खयाल था कि हमारे मसौदेमे ऐसी ही व्यवस्था की गई थी।

तुम अगर चाहो तो मुझे अन्तिम प्रूफ भेज सकते हो, लेकिन मै इस अधिकार को छोडता हूँ क्योकि सविधानके प्रकाशनमे पहले ही काफी देर हो चुकी है। उप-समितिके विचारोको विषय-समितिने जिस रूपमे स्वीकार किया है, यदि हमने उनको

ईमानदारीसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न किया है तो हमने अपना कर्त्तव्य कर दिया, और हमें आलोचनाकी अग्नि-परीक्षा सहन करनी चाहिए।

आशा है, तुम अपनी शक्तिसे ज्यादा काम नहीं कर रहे हो। तुमने जो मसौदा भेजा था उसे मैं वापस कर रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद[1]

श्री क० मा० मुन्शी
बम्बई

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७५६०) से, सौजन्य : क० मा० मुन्शी

३२०. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

आपका पत्र मिला। आपने लाहौरकी घटनाओंका जो वर्णन किया उसे सुनकर दुःख हुआ। लेकिन मेरा खयाल है कि ऐसी घटनाएँ तो अनिवार्यतः होंगी। मैं तो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप कांग्रेसमें वैसा ही भाग लेंगे जैसाकि आपको पसन्द है और जो आपको कांग्रेसको स्वच्छ रखनेमें सहायक होगा।

मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़े ही समयमें ग्रामोद्योग संघ के बारेमें एक वक्तव्य[2] जारी कर सकूँगा। मैंने पहले ही इसे जारी कर दिया होता, लेकिन सवेरे ढाई बजे उठनेके बावजूद मैं अभीतक अपना पहलेका काम पूरा नहीं कर सका हूँ। लेकिन मैं अब और भी तेजीके साथ काम करूँगा। बेशक, मैं आपका और उन सभी ठोस कार्यकर्त्ताओंका सहयोग प्राप्त करना चाहूँगा जो आगे बढ़कर मुझे अपना सहयोग देंगे। प्रस्तावका उद्देश्य तो लोगोंका नैतिक उत्थान करना है। और इसलिए इसमें उस हदतक समाज सेवा भी शामिल है जिस हदतक वह ग्रामोद्योगोंके माध्यमसे की जा सकती हो। यदि जगन्नाथ अपनी सेवाएँ देनेके लिए कहते हैं और यदि उन्हें ऐसा करनेकी अनुमति दी जाती है तो उन्हें इस कार्यमें अपना पूरा समय देना होगा। क्या सोसायटी उन्हें मुक्त कर सकती है और क्या स्वयं उनकी इस ओर अभिरुचि है।

इस महीनेके अन्ततक मेरा कार्यक्रम यह है कि मैं यहाँ हूँ। भविष्यकी बात मैं नहीं जानता, सिवाय इसके कि उटमनजई मेरा मक्का, यरुशलम अथवा काशी है।

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. यह गुजराती लिपिमें है।
२. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

३२१. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मैथ्यू,

तुम्हारा निर्णय जानकर बड़ी खुशी हुई। स्वामी आनन्द ९ तारीखको वहाँ पहुँचेंगे और तुम्हें अपनी निगरानीमें ले लेंगे। वह तुम्हें कार्यकर्त्ताओंके एक दलमें रखेंगे। तुम्हारा अन्तिम गन्तव्य स्थान बम्बईसे कुछ मील दूर थाना होगा। इस बीच तुम बम्बईके कार्यकर्त्ताओंके बीच रहोगे। तुम उन्हींके साथ रहोगे और तुम्हारे खाने की व्यवस्था भी वहीं होगी। लेकिन यदि तुम अलगसे खानेकी व्यवस्था करना चाहोगे तो तुम एकदम, अर्थात् जबसे स्वामी आनन्द तुम्हें अपनी देखरेखमें लेते हैं तबसे, १५ रुपये प्रतिमास ले सकते हो। इसमें तुम्हारा खाना-पीना, कपड़ा, दवा और अन्य सब खर्च आ जाते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारे आवासका खर्च शामिल नहीं है और जबतक तुम थाना अथवा बम्बईमें रहोगे तबतक तुम्हारे आवासपर कोई खर्च नहीं करना होगा। यदि तुम्हारी बदली किसी गाँवमें होती है, जिसमें अभी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसमें १५ रुपयेमें किराये समेत सभी खर्च आ जाते हैं। तुम सम्मिलित रूपसे आठ घण्टे शारीरिक श्रम करोगे और मनोयोगपूर्वक हिन्दी सीखोगे। यदि तुम यह सब प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हो तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इससे तुम्हारी समस्या हल हो जायेगी और ईश्वरकी कृपासे तुम अपना अतीत भी भूल जाओगे।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

३२२. पत्र : टी० के० राय चौधरीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ भी नही है। ग्रामोद्योग-सघके बारेमे मेरी महत्त्वाकांक्षा, आपकी जैसी कल्पना है, उससे कही छोटी है।

हृदयसे आपका,

श्री टी० के० रायचौधरी, ए० एम० एस० ई०
इजीनियर
११९ लूकरगज
इलाहाबाद

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३२३. पत्र : बी० सत्यनारायणको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय सत्यनारायण,

आपका पत्र मिला। मैं ग्रामोद्योग-सघकी गतिविधियोके बारेमें, जिसकी अभी स्थापना की जानेवाली है, जो-कुछ लिखूंगा आप उसे पढते रहिएगा।

हृदयसे आपका,

श्री बी० सत्यनारायण
हनुमानपेट, बैजवाड़ा

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य · प्यारेलाल

३२४. पत्र : अमाली सईद अब्दुल हादीको

६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। भारत एक बहुत बड़ा देश है और जबतक आप मुझे अपने पिताका पूरा ब्योरा नही देते तबतक उनका पता लगाना असम्भव है।

हृदयसे आपका,

श्री अमाली सईद अब्दुल हादी
मार्फत हज वाहा अब्दुल हादी
नेबलस, फिलिस्तीन

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३२५. पत्र : बसराके गवर्नरको

६ नवम्बर, १९३४

बसरा प्रान्त (ईराक राज्य) के गवर्नर और
बसरा खजूर सलाहकार मंडलके अध्यक्ष
बसरा

प्रिय गवर्नर,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद, जिसमे आपने खजूर भेजे जानेकी सूचना दी है। बसराके प्रसिद्ध खजूरोंका मुझे अच्छा अनुभव है। मैं उत्सुकतासे उनकी राह देख रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३२६. पत्र : द्रौपदी शर्माको

६ नवम्वर, १९३४

चि० द्रौपदी,

तुमारा खत मिला है। अमतुल सलाम यही है। अच्छी है। आश्रमका कार्य करती है। तुमको लिखनेवाली थी। रामदास सावरमती है। कनु और सुमित्रा उसके साथ है। शायद रामदास यहा आ जायगा। नीमु यहा है। शर्म्मा ८ तारीखको यहा पहोच जायगा ऐसा लिखता है। कृष्णा अवतक क्यो अच्छी नही होती है? दवा कौन करते है? चाहती है कि शर्म्मा वहा आवे? दिल खोल कर लिखो जैसे पुत्री माताको लिख सकती है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११५ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

३२७. पत्र : रफी अहमद किदवईको

७ नवम्वर, १९३४

प्रिय रफी,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढा है। खान-वन्धुओको भाषण देनेके इरादेसे कही जाना पसन्द नही है। उन्हे गाँववालोके पास जाना और उनसे वातचीत करना वहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिलहाल तो वे यह भी नही कर रहे है। खुद खान साहवकी तवीयत भी कोई वहुत अच्छी नही है। इसलिए तुमको खान-वन्धुओकी यात्राके विचारको छोड देना चाहिए। इस समय सरदार तुम लोगोके वीचमे है और तुमको इसीमे सन्तोष मानना चाहिए। लेकिन यदि तुम किसी मुसलमानको चाहते हो तो मौलाना साहवसे आनेके लिए क्यो नही कहते?

तुम्हारा तार मिला। प्रदर्शनीका क्या होगा? क्या वह मेरी कसौटीपर खरी उतरेगी?

हृदयसे तुम्हारा,

श्री रफी अहमद किदवई
मसौली, वारावंकी

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३२८. पत्र : आसफ अलीको

७ नवम्बर, १९३४

प्रिय आसफ अली,

आपका तार मिला। खान-बन्धु मुझे एकान्तप्रिय स्वभावके व्यक्ति जान पड़ते हैं। वे भाषण देनेके लिए कहीं भी नहीं जाना चाहते। तो फिर उनको कहीं जानेके लिए मेरे कहनेसे क्या लाभ? इसलिए आप उनके बिना जो कर सकते हो, वह करनेका प्रयत्न करें। लेकिन डॉ० अंसारी कुछ ही दिनोंमें आपके बीच होंगे, हालांकि उनकी तबीयतको देखते हुए मैं नहीं चाहता कि वे बहुत ज्यादा परिश्रम करें। आप मौलाना अबुल कलाम आजादसे क्यों नहीं कहते? उन्हें इस भारको सँभाल सकना चाहिए और वे प्रभावकारी वक्ता भी हैं। मुझे खुशी है कि वातावरण आपके लिए साफ हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सफल होंगे।

हृदयसे आपका,

श्री आसफ अली, बार-एट-लॉ
फैज बाजार, दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३२९. पत्र : 'मंजी' के सम्पादकको

७ नवम्बर, १९३४

सम्पादक 'मंजी'
अमृतसर

प्रिय महोदय,

मुझे आपकी पत्रिकाके बारेमें कोई जानकारी नहीं है। मैं समाचारपत्रोंको बहुत कम सन्देश देता हूँ और जिनसे मैं अपरिचित हूँ उन्हें तो कदापि नहीं देता।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३३०. पत्र : जानम्मालको

७ नवम्बर, १९३४

प्रिय जानम्माल,

मद्रास पहुँचनेके बाद इतनी जल्दी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। यदि तुम जल्दी आ सकती हो तो यह अच्छी बात होगी। लेकिन यदि तुम्हे पन्द्रह दिन लगें तो तुम ऐसे समयमे आओगी जब मेरी गतिविधियाँ अनिश्चित होगी और कदाचित् मैं वर्धामें नही रहूँगा। इसलिए यदि तुम तुरन्त ही नही आ सकती तो तुम्हे तबतक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबतक तुम्हे मेरे भावी कार्यक्रमके बारेमे मालूम नही हो जाता। और यदि मै भूल जाऊँ तो भी कार्यक्रम निश्चित होनेके बाद अम्बुजम् तुम्हे लिख भेजेगी।

क्या मेरी बातोसे तुम्हें ऐसा लगा कि मै तुम्हे दुर्बल-बुद्धि मानता हूँ? मैंने कदाचित् विनोदमे ऐसा कहा होगा, लेकिन तुमने मुझे ऐसा सोचनेका कभी कोई मौका नही दिया है। तुम उस परिवारकी हो जिसके सदस्य मनकी कमजोरीके लिए नही बल्कि मनकी दृढताके लिए प्रसिद्ध है।

अम्बुजम् ठीक चल रही है और मेरा खयाल है कि वह यहाँ पूरी तरहसे खुश है।

श्री जानम्माल
मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३३१. पत्र : उमादेवी बजाजको

७ नवम्बर, १९३४

चि० ओम,

तेरे पत्रकी आशा व्यर्थ है। मैंने तुझे लिखा नही पर तेरी याद मुझे बराबर रहती ही है। इस बारका तेरा आचरण मुझे जरा भी अच्छा नही लगा। तेरा पत्र भी अच्छा नही लगा। उसम दी गई सफाई गलत थी। मेरे साथ इतने महीने घूमनेके बाद तूने क्या सीखा? क्या तू इसका हिसाब लगाकर मुझे लिखेगी? कांग्रेस-अधिवेशनके समय मैंने तुझे एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जाते हुए देखा। उस दिनका तेरा वह पहनावा! मेरे दुःख और क्रोधका पार न था। अपने दिये हुए वचनका तू पालन करना। कृत्रिम कभी मत बनना। जैसी है वैसी ही दिखना। तेरी सगाईकी बातें

चल रही है। उस बारेमे स्वतन्त्रतासे अपने विचार बताना। सच्ची रहना, सच्चा विचारना, सच्चा बोलना। यदि यह तेरी शक्तिके बाहर हो तो मुझे छोड देना।

साफ अक्षरोमे लिखे हुए तेरे सविस्तर पत्रकी मै राह देखूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३४०

३३२. पत्र : जमनालाल बजाजको

७ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारी चिट्ठियाँ आती रहती है। कानकी ओरसे निश्चिन्त हो गये, ऐसा नही समझना चाहिए। मुझे और अधिक विवरण भेजना। अच्छा ही हुआ कि तुम वहाँ समयपर पहुँच गये।

दिमागपर कामका बोझ न पडने देना। कामकी दृष्टिसे तुम्हारा बम्बई रहना मुझे अच्छा नही लगता। सैकडो लोग वहाँ आते-जाते रहते होगे। किसी भी तरहकी चिन्तामें घिरना ही नही।

महिलाश्रमके विचारमे न पडना। उसके बारेमे मै विचार कर रहा हूँ। राधाकृष्ण तो उसमें पूरी तरह जुट ही गया है। मैंने भागीरथीके साथ बातें की है। फिर करूँगा। उस (सस्था)की गिरावटका तो सवाल ही नही है।

ओमके बारेमें मुझे कुछ चिन्ता रहती है। जो करो वह उससे पूछकर करना। इसके साथ उसके लिए एक पत्र है।

२७वी तारीखको गाधी सेवा-सघकी सभाकी बात अबतक तो तय ही है न? तिथिमे फेरफार करना हो तो करना। अगर वहाँ ज्यादा रुकना पडे और डॉक्टर एक सप्ताहकी छुट्टी दे, तो यहाँ आकर वह बैठक कर लेना।

टहलने जाते हो क्या? क्या खानेमे सावधानी रखते हो? यदि गडबड चीजे खाते हो तो छोड देना। उन्हे हजम करनेमें दिमागकी शक्ति काफी परिमाणमे क्षय हो जाती है। खुली हवा और कसरत करना बहुत आवश्यक समझना। नीद तो बराबर आती होगी।

खानसाहबके लडके गनीको शुगर फैक्टरीमे काम करनेकी इच्छा हुई है। अभी तनख्वाहकी बात नही है। उसे तो प्रशिक्षित करनेकी ही बात है। उसे यदि कही अनुभव दिलाया जा सके तो दिला देना चाहिए। इसपर विचार करके मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४५) से।

३३३. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

दीवाली, ७ नवम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तू मुझे मिली भी और नही भी मिली। तेरे अन्तिम पत्रका उत्तर तो वही देना था, परन्तु ऐसा हुआ ही नही। अब देनेकी जरूरत है या नही, मैं यह नही जानता। तेरे पत्रकी मैंने आशा रखी थी। अब तुझे वही प्रश्न अथवा अन्य प्रश्न पूछने हो तो पूछना। इस महीने तो मैं यही हूँ। बादका मुझे कुछ पता नही। सुशीला[1] के साथ भी मेरी बात नही हुई। किसन[2] अन्तिम दिन मुझसे मिलने आ गई, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ भी बात तो हुई ही नही।

लीलावती अभी यही है। कल राजकोट जायेगी। उसकी विह्वलता काफी बढ़ी हुई है। शायद पहलेसे अधिक होगी। वह किसी भी विचारपर स्थिर नही रह सकती।

बा शनिवारके दिन रामदासको लेकर वापस आ रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६२) से। सी० डब्ल्यू० ६८०१ से भी, सौजन्य · प्रेमाबहन कंटक

३३४. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

८ नवम्बर, १९३४

मैंने अखबारोमे इस आशयकी रिपोर्ट देखी है कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके लिए, जिसकी कि स्थापना की जा रही है, दिल्लीके एक लखपती सज्जनने २० लाखकी रकम मुझे सौपी है। बादकी एक दूसरी अखबारी रिपोर्टमे कहा गया है कि मैंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके मुख्य कार्यालयके लिए अहमदाबादको चुना है। ये दोनों अफवाहे निराधार है।

मै चाहता हूँ कि मेरे आन्दोलन अथवा मेरे इरादोंके बारेमे किसी खबरपर जनता तबतक विश्वास न करे जबतक कि वे मेरे द्वारा प्रमाणित न हो। सचाई यह

१. सुशीला पई।

२. किसन घुमतकर।

है कि मुझे प्रति माह २,५०० रुपयेके वादे मिले है और अभीतक मुझे ५०० से ऊपर की रकम प्राप्त हो चुकी है। संघको रुपयोकी जरूरत बेशक होगी, लेकिन उसे रुपयोसे भी ज्यादा कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता है। यदि कार्यकर्त्ता मिल जायें तो धन अपने-आप आ जायेगा। इसलिए मै सघके लिए काम करनेके इच्छुक लोगोको अपने नाम भेजनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ।

मदद केवल ऐसे ही लोगोसे हो सकती है जो कुछ समय गाँवोमें लगायेंगे या जो ग्राम-कार्यमें रुचि रखते है — ऐसा ग्राम-कार्य जो आरम्भमें मुमकिन है, दिलचस्प या आकर्षक प्रतीत न हो। काम चार तरहका होगा: (१) उन सात उद्योगो को प्रोत्साहन देना और उनमे सुधार करना जिनके कि सहायताके अभावमे खत्म हो जानेकी सम्भावना है; (२) इन उद्योगो द्वारा तैयार किये जानेवाले मालको अपनी देख-रेखमें लेकर उन्हें बेचना; (३) जिन ग्रामोद्योगोको पुनर्जीवित करने और सहारा देनेकी जरूरत है उनका सर्वेक्षण करना; और (४) गाँवमे सफाई और स्वच्छताकी देख-भाल करना।

सघको सगठित किया जा रहा है और कार्य-योजना तैयार की जा रही है। लेकिन इस बीच मै चाहूँगा कि कार्यकर्त्ता लोग धानकी हाथ-कुटाई, और गाँवकी चक्कियोमें गेहूँके आटेकी पिसाईके कामको प्रोत्साहन देने और गुड़को लोकप्रिय बनानेका काम हाथमें लें। इन उत्पादनोकी शुद्धता सुनिश्चित करनेके लिए वे इन प्रक्रियाओका अध्ययन भी करे।

कार्यकर्त्ता लोग इन तीन चीजोके बारेमे तथा अन्य जो कोई ग्रामोद्योग उनके ध्यानमे आये उनके बारेमे यथातथ्य सूचनाएँ एकत्र करें, और जो आँकड़े वे एकत्र कर सकें, उन्हें मेरे पास भेजें।

मै इस तथ्यपर भी जोर देना चाहूँगा कि यह सघ सर्वथा गैर-राजनीतिक होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य भारतके गाँवोका आर्थिक, नैतिक और स्वच्छता-सफाईकी दृष्टिसे उत्थान करना होगा और इसमें सभी पार्टियोके लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी एक ही कसौटी होगी: संघके कार्यक्रमके प्रति पूरी सहानुभूति और जहाँ भी सम्भव हो वहाँ धन और कार्यसे सहायता करनेकी तत्परता।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-११-१९३४

३३५. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

८ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० विधान,

मैंने जिन कुछ मुद्दोंका जिक्र किया था, उनके बारेमें आपने मुझे जानकारी देनेके वादा किया था। मैं उन्हें नीचे संक्षेपमें दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इनका जल्द-से-जल्द उत्तर दें।

(१) क्या आप समझते हैं कि पौष्टिकताके विचारसे बिना पालिश किया हुआ चावल पालिश किये चावलसे बेहतर है?

(२) और यदि बिना पालिश किया हुआ चावल पालिश किये हुए चावलसे बेहतर है तो मिलोंमें तैयार किये गये बिना पालिशके चावलमें और हाथ-कुटे बिना पालिशवाले चावलमें क्या भेद है?

(३) पौष्टिकताके विचारसे क्या चक्कीमें पिसे आटेमें और मिलके पिसे आटे में कोई अन्तर है?

(४) क्या गाँवके कोल्हूसे तैयार किया गया गुड़ चीनीकी मिलोंमें तैयार की जानेवाली चीनीसे श्रेष्ठ है। और यदि है तो गुड़में ऐसे कौनसे तत्त्व हैं जो खाद्यतत्त्वके रूपमें मिलोंकी चीनीसे अधिक वांछनीय और पौष्टिक हैं ?

(५) गाँवके कोल्हू द्वारा पेरा गया तेल क्या तेलकी मिलोंमें पेरे गये तेलसे अधिक अच्छा है?

डॉ० विधानचन्द्र राय
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३३६. पत्र : छगनलाल जोशीको

८ नवम्बर, १९३४

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम दोनोंको और बच्चोंको नये वर्षका[1] आशीर्वाद।

तुम अधीर न होना। सब कुछ ठीक हो जायेगा। गाँवोंका काम वहीं रहते हुए करना। काम ऐसा है कि सब काम कर सकते हैं और किसी भी जगह कर सकते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५२६) से।

३३७. पत्र : नारणदास गांधीको

८ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। गोशालाके लिए रुपये अम्बालालभाईसे लेने हैं।[2] [फिलहाल] रकम मैं भेज दूंगा। नरहरि यहीं है। जमनाके लिए धूप सेकनेके लायक एक खाट खरीद लेना या मँगना लेना।

हरिलालके बारेमें तुमने जो कहा वह मैं समझ गया।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) सी० डब्ल्यू० ८४२२ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी

१. गुजराती पचांगकी कार्तिक सुदी १।

२. देखिए "पत्र : अम्बालाल साराभाईको", १९-१०-१९३४।

३३८. पत्र : कुसुमबहन देसाईको

८ नवम्बर, १९३४

चि० कुसुम,

तेरा पत्र मिला। तू तो अब राजकोटमें कुछ जिम्मेदारी ले बैठी है न? तेरा स्वास्थ्य यदि अच्छा हो और तू काम करे तो मैं जरूर तुझे यहाँ बुला लूँ तथा तुझसे शिक्षाका काम लूँ। लेकिन मुझे तेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता है।

राजकोट

गुजराती प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३३९. हरिजन-बोर्ड

प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि हरिजन-बोर्डोंके सदस्योकी सख्या कितनी होनी चाहिए और उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बनारसमे हुई सयुक्त प्रान्त प्रान्तीय बोर्डकी बैठकमे मैंने काफी विस्तारसे इन प्रश्नोका उत्तर देनेकी कोशिश की थी।[1] तथापि यह आवश्यक है कि इन प्रश्नोपर समय-समयपर अथवा तबतक चर्चा की जाये जबतक कि एक निश्चित नीति तय नही हो जाती।

यदि हम यह याद रखें कि इन बोर्डोंके सदस्य सेवक है, संरक्षक नही, और आभूषण तो कदापि नही, तो ज्यादातर दिक्कते अपने-आप दूर हो जायेंगी। तब किसीको खुश करने अथवा नाराज करनेका प्रश्न ही नही रह जायेगा। केवल उन स्त्री अथवा पुरुषोको इन बोर्डोंमें लिया जायेगा जो सेवा करनेके लिए उत्सुक है और जिनकी उपस्थितिसे, जिस बोर्डमें वे है, उसकी उपयोगिता बढेगी तथा सदस्य होनेकी वजहसे उक्त बोर्डकी सेवा करनेकी उनकी क्षमता भी बढेगी।

किसी भी व्यक्तिको चाहिए कि वह इन स्थितियो में ही हरिजन-बोर्डका सदस्य बने :

(१) वह सम्पूर्ण रूपसे अस्पृश्यता-निवारणमे पूर्ण विश्वास करता है।

(२) अपनी सामर्थ्यानुसार बोर्डको कुछ देता है।

(३) निश्चित रूपसे कोई हरिजन-सेवा करता है, उदाहरणके तौरपर किसी हरिजन लडके अथवा लडकीको परिवारके सदस्यके रूपमे अथवा घरेलू नौकरके रूपमे, अपने घरमें रखता है, अथवा किसी हरिजनको अथवा हरिजनोको पढाता है, अथवा

१. २९ जुलाईको ; देखिए खण्ड ५८, पृ० २७०-१।

नियमित रूपसे हरिजनोके घरोमें जाकर उनसे सफाई रखनेके लिए कहता है, अथवा यदि वह डॉक्टर है तो हरिजन रोगियोका मुफ्त इलाज करता है, आदि।

(४) बोर्डको अपनी डायरी भेजता है जिसमे उसके महीने-भरकी सेवाका ब्योरा दिया रहता है।

अगर इस प्रकारकी शर्तोका पालन किया जाता है तो सदस्य-संख्यापर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध होनेकी कोई जरूरत नही है। जितने ज्यादा सदस्य होगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे बोर्डोके सदस्य परस्पर विचार-विनिमय करनेके लिए, अपने-अपने अनुभव सुनानेके लिए और परस्पर एक-दूसरेकी कठिनाइयोको सुलझानेके लिए मिलेगे। वे व्यर्थके वाद-विवादमे अपना समय बरबाद नही करेगे।

इन बोर्डोसे सम्बद्ध सलाहकार समितियाँ भी बनाई जा सकती है। इन समितियोके सदस्य अपने लिए कमसे-कम योग्यता निर्धारित कर लेगे। स्वाभाविक है कि इन सदस्योकी योग्यताकी शर्ते बोर्डके सदस्योकी शर्तोकी अपेक्षा कम कठोर होगी।

मैने जिन योग्यताओकी चर्चा की है, उनकी चर्चा-भरसे ही स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि अगर वैसे सदस्य न मिल पाये तो क्या होगा। आजसे पहले मै इसका जो उत्तर अक्सर देता आया हूँ, यहाँ भी मुझे वही उत्तर देना होगा। आवश्यक योग्यतावाले सदस्योके अभावमे केन्द्रीय बोर्डने जिन लोगोको अपने-अपने प्रान्तोमें सघ स्थापित करनेके लिए कहा है वे लोग अपने एजेंटोकी मार्फत यह सेवाकार्य करेगे। "सचाईके साथ काम करो", यह प्रत्येक बोर्डका आदर्श होना चाहिए और उसके सदस्योको कभी भी इस हितावह नीतिवचनको आँखसे ओझल नही करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ९-११-१९३४

३४०. मेरी तथाकथित असंगतता

'हरिजन' के सम्पादकको एक पत्र मिला है जिसमे निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये है:[1]

> ९ मार्चके 'हरिजन' में महात्मा गांधीने यह कहा बताते है कि शास्त्रोंमें अस्पृश्यताके लिए कोई प्रमाण नहीं है[2] . . . [यह कथन] उनके पिछले वक्तव्यसे मेल नहीं खाता जिसमें उन्होंने कहा था कि शास्त्रोंमें अस्पृश्यताका विधान तो है लेकिन वे ऐसे अनुच्छेदोंकी प्रामाणिकताको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे अनैतिक है।
>
> उनके वक्तव्योंमें जो स्पष्ट असंगतता दिखाई देती है, उसके बारेमें क्या आप 'हरिजन' के स्तम्भोंमें कुछ प्रकाश डालेंगे?

१. यहाँ कुछ अंश ही दिये गये हैं।
२. देखिए खण्ड ५७, पृ० २२७-८।

मैं सगतताको कोई हौआ नही बनाता। यदि मैं हर पल अपने प्रति सच्चा हूँ तो मुझपर असंगतताके चाहे कितने ही आरोप लगाये जाये, मुझे उनकी चिन्ता नही है। लेकिन पत्रमे जो अश उद्धृत किया गया है, उसमे कोई असगतता नही है। यदि मैं शास्त्रोके कुछ अवतरणोको क्षेपक समझकर अथवा उन अवतरणोको शास्त्रोमे निहित मूलभूत सिद्धान्तोके अथवा सार्वत्रिक नैतिकताके विपरीत जानकर उन्हे अस्वीकार कर देता हूँ तो निश्चय ही मुझे ऐसा कहनेका अधिकार है कि आपत्तिजनक अवतरणोमे जिस विश्वासका अथवा व्यवहारका उल्लेख किया गया है, शास्त्रोमे उनका कोई प्रमाण नही मिलता। मैंने इस धारणाके समर्थनमे एक नही वल्कि कई विद्वानोके मतोको उद्धृत किया है कि अस्पृश्यता आज जिस रूपमे प्रचलित है उसका शास्त्रोमे कही विधान नही किया गया है। वेशक, शास्त्रोमें अस्पृश्यता मिलती है लेकिन उनमे ही वर्णित सरल तरीको द्वारा उसका इलाज भी किया जा सकता है। हम सव हर रोज शौचादि क्रिया करते समय अस्पृश्य वन जाते है और स्नानादि करनेके वाद शुद्ध हो जाते है। नि सन्देह दुष्ट विचार भी हमे अस्पृश्य वनाते है, लेकिन उनका प्रतिरोध करके और राम अथवा वासुदेव अथवा नारायण अथवा शिवके रूपमे ईश्वरका नाम लेकर उसकी शरणमे जाकर हम शुद्ध हो जाते है, अस्पृश्यतासे मुक्त हो जाते है। इस तरह हरिजन भी, जिसका धन्धा उसे अस्पृश्य वना देता है, शुद्धीकरणकी क्रिया द्वारा शुद्ध हो सकता है। कुछ सनातनियोका दावा है कि अस्पृश्यता लाइलाज है और शताब्दियोसे यह पीढी-दर-पीढी चली आती है तथा अनन्त कालतक रहेगी। और सबसे ज्यादा दु खकी वात तो यह है कि सनातनी लोग दावा करते है कि ऐसे अस्पृश्य लाखोकी सख्यामे है। उनके इस विश्वासका आधार शास्त्र नही वल्कि जनगणना-सम्वन्धी रिपोर्टें है जो समय-समयपर वदलती रहती है, तथा इन रिपोर्टोको ऐसे लोग तैयार करते है जिन्हे हिन्दू-शास्त्रोका कोई ज्ञान नही होता और वहुत-से मामलोमे तो वे हिन्दू होते ही नही। इसलिए यह एक ऐसा अन्धविश्वास है जिसका हिन्दू-धर्मसे प्रेम करनेवाले हर व्यक्तिको प्रतिकार करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ९-११-१९३४

३४१. अल्पसंख्यकका अधिकार

एक सनातनी भाई पूछते हैं

सनातनी होनेके नाते हरिजनों द्वारा मन्दिर-प्रवेश करनेके सम्बन्धमें मेरी एक कठिनाई है। मान लीजिए कि किसी मन्दिर विशेषमें जानेवाले लोगोंमें १ के विरुद्ध ९९ लोग हरिजनोंको उक्त मन्दिरमें प्रवेश देनेके पक्षमें हैं और मन्दिर खोल दिया जाता है। तब उस एक व्यक्तिका क्या होगा जिसे उस मन्दिरमें जाकर पूजा करनेपर आपत्ति है जिसमें हरिजन जाते हैं? यदि सुधारक लोग अपने उद्देश्यमें सफल हो जाते हैं तो क्या यह सनातनियोंके पूजा करनेके उस अधिकारमें अनुचित हस्तक्षेप न होगा जो अनादिकालसे उन्हें प्राप्त है?

इंग्लैंडके किसी नगरमें रोमन कैथोलिकोंका सार्वजनिक चर्च भी हो सकता है और प्रोटेस्टेंट लोगोंका भी हो सकता है। और यदि वहाँ प्रोटेस्टेंट लोगोंका बहुमत हो तो भी वे लोग रोमन कैथोलिक चर्चके क्रिया-कलापोंमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब फिर सुधारकोंको (भले ही उनका बहुमत हो) सनातनियोंके सार्वजनिक मन्दिरके क्रिया-कलापोंमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?

मुझे इन प्रश्नोंका उत्तर एक अन्य प्रश्नके द्वारा देना चाहिए। यदि एक अकेले सनातनीको मन्दिरमें पूजा करनेका अधिकार है, जो कि निश्चय ही उसे है, तो बहुमतका क्या होगा? क्या उन्हें कोई अधिकार नहीं है? उक्त सनातनी मित्रने जो तुलना की है वह यहाँ लागू नहीं होती। उन्होंने दो भिन्न सम्प्रदायोंके चर्च साथ-साथ होनेकी कल्पना की है। यदि प्रोटेस्टेंट लोग रोमन कैथोलिकोंके अथवा रोमन कैथोलिक लोग प्रोटेस्टेंट लोगोंके अधिकारोंमें हस्तक्षेप करते हैं तो यह घोर अशिष्टता होगी। लेकिन मान लें कि एकको छोड़कर शेष सारे प्रोटेस्टेंट लोग उन लोगोंको, जिनको उन्होंने सदियोंसे धर्म-बहिष्कृत किया हुआ था, मन्दिरमें आने देनेका निश्चय करते हैं। वैसी स्थितिमें निश्चय ही उन्हें इस प्रतिबन्धको हटानेका पूरा-पूरा अधिकार होगा। प्रश्नकर्त्ताने जो उदाहरण दिया है उसमें तो धर्म-परिवर्तनकी बात निहित है, लेकिन यहाँ किसीके धर्म-परिवर्तनका प्रश्न ही नहीं उठता। मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनमें सुधारक लोग सनातनियोंका धर्म-परिवर्तन नहीं करना चाहते। यदि वे ऐसा करना चाहते हों तो सिद्धान्तकी दृष्टिसे मन्दिर जानेवाले भक्तजन यदि सर्वसम्मतिसे चाहें तो भी सुधारकोंको मन्दिरका उस उद्देश्यके लिए उपयोग करनेका अधिकार नहीं दे सकते जिसका कि मन्दिरके संस्थापकोंका कदापि मंशा नहीं था। यहाँ तो सुधारकोंका यह दावा है कि सनातनियोंके साथ-साथ वे जिस धर्ममें विश्वास रखते

हैं वह धर्म ही हरिजनोको उनके मन्दिरोका उपयोग करनेकी अनुमति देता है। इसलिए यह तो अपनी अपनी समझकी बात है और ऐसे मामलोमें तो बहुमतको ही स्वीकार करना होगा। यदि ऐसा नही होता तो यह अल्पमत द्वारा बहुमतका उत्पीडन करनेके समान होगा और इससे सारी प्रगति रुक जायेगी। बेशक, उक्त सनातनी भाईने जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है, उसका अर्थ है उस समाजका नाश और मृत्यु जो इस सिद्धान्तमें विश्वास रखता है। यह याद रखना चाहिए कि अल्पमत भी अपने लिए मन्दिर बनानेको स्वतन्त्र है। और जहाँतक मेरा सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक अकेले व्यक्तिके पूर्वग्रहोकी इस हदतक रक्षा की जानी चाहिए कि उसके लिए अलगसे समय निर्धारित कर दिया जाये ताकि वह उस अवधिमें हरिजनो अथवा सुधारकोके हस्तक्षेपसे मुक्त रहकर अपनी पूजा सम्पन्न कर सके।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ९-११-१९३४

३४२. पत्र : केदारनाथ साहाको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

श्रीयुत कुमारप्पाको लिखा आपका पत्र मैंने देखा है जो अभीतक पद-भार ग्रहण नही कर सके हैं। यदि आप मुझे अपने चाकू और चप्पलोका नमूना भेजेंगे और यदि वे सचमुच उपयोगी हुए तो मैं उनके लिए ग्राहक ढूंढनेकी कोशिश करूँगा। ये चप्पले मारे हुए पशुके चमडेकी बनी हुई हैं अथवा मरे हुए पशुके चमडेकी है? आप मुझे कच्चे शहतूतका नमूना भी भेज सकते हैं। उसपर प्रयोग किये जायेंगे और तब वहाँ किसीको निर्देशकके रूपमें भेजना अथवा वहाँसे निर्देशनके लिए किसी व्यक्तिको यहाँ बुलाना सम्भव हो सकेगा।

हृदयसे आपका,

श्री केदारनाथ साहा
वकील
हजारीबाग

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

३४३. पत्र : मारियाको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय लार्क,

आपका इटालियन और अंग्रेजी भाषामे सावधानीपूर्वक लिखा पोस्टकार्ड मिला। मै आपकी प्रार्थनाकी निश्चय ही बहुत कद्र करता हूँ जिसकी कि इस समय मुझे जरूरत है। मै लार्क-परिवारके सदस्योको कभी भुला नही सकता और मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ है, उस हदतक जिस हदतक मै आशीर्वाद देनेके योग्य हूँ।

सिस्टर मारिया
लार्क ऑफ सेट फ्रासिस
ऐरेमो फ्रांसिस्कानो, अेवी (अम्ब्रिया)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३४४. पत्र : ई० ई० स्पेटको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

अपनी पुस्तक 'इण्डियन मास्टर्स ऑफ इंग्लिश' की छ. प्रतियाँ भेजनेके लिए आपका धन्यवाद। काश कि मेरे पास इतना समय होता कि मैं इसे सावधानीपूर्वक पढ जाता और इसपर अपनी सुविचारित राय दे सकता। फिर भी, मैं इस पुस्तकके पन्ने पलटनेका अपना लोभ संवरण नही कर पाया और आपने प्रत्येक रचनाके अन्तमें जो सुविचारित टिप्पणियाँ दी है, उन्हे देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् ई० ई० स्पेट
उस्मानिया यूनिवर्सिटी
हैदराबाद (दक्षिण)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३४५. पत्र : एन० ए० द्राविड़को

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय द्राविड,

आपका पत्र और कतरन पाकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। जब आपको सुविधा हो तब आप अवश्य आयें और मेरे साथ आधा घण्टा बितायें।

गाँवके पुनर्निर्माणके लिए मेरे पास ,निश्चय ही बहुत-सी योजनाएँ हैं और वे योजनाएँ मैं आपको लम्बा पत्र लिखकर बतानेकी बजाय बातचीतके दौरान ज्यादा आसानीसे बता सकूँगा। आपको मालूम होगा कि जब मैं चम्पारनमें था और जब स्वर्गीय डॉ० देव मेरे साथ थे तब मैंने कुछ गाँवोंमें काम किया था। उस समय हमारा उद्देश्य गाँवोंके बच्चों और वयस्कोंके लिए स्कूलकी व्यवस्था करना तथा गाँवकी सफाई और स्वास्थ्यका ध्यान रखना था। तबसे ग्राम्य जीवन-सम्बन्धी मेरी जानकारीमें काफी वृद्धि हुई है। मैंने कल जो प्रेस-वक्तव्य[1] भेजा है, उसे आप पढ़ेंगे। इससे आपको मालूम होगा कि इस समय मेरा मन किस दिशामें काम कर रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री एन० ए० द्राविड़, एम० ए०
वरिष्ठ सदस्य
सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी
नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३४६. पत्र : बिहारीलाल मेत्राको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिन संलग्न पत्रोंकी माँग की है, उन्हें मैं वापस भेज रहा हूँ। मैं आपको यहाँ आने और अनेक विषयोंपर बातचीत करनेका कष्ट नहीं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप समाचारपत्रोंके जरियेसे संघकी गतिविधियोंपर नजर रखें और यदि आप ऐसा महसूस करें कि आप उपयोगी ढंगसे अपनी सेवाएँ पेश कर सकते हैं तो आप कृपया मुझे लिखिएगा और साथ ही अपनी

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

जरूरत भी बताइएगा। साथी कार्यकर्त्ताओंको प्रारम्भिक निर्देशके रूपमें मैंने कल जो प्रेस-वक्तव्य जारी किया है[1], उसे आप पढ़ लीजिएगा। आपको प्रेस-वक्तव्यसे मालूम हो सकेगा कि संघ क्या स्वरूप धारण करेगा।

हृदयसे आपका,

श्री बिहारीलाल भेत्रा
मार्फत डी० एण्ड डी० कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
अनारकली बाजार, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३४७. पत्र: रामदासको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय रामदास,

मैं यह सोच ही रहा था कि आपका क्या हाल-चाल है कि मुझे आपका पोस्टकार्ड मिला। खानसाहब बहुत सही कार्यकर्त्ता हैं। वह किसी कामको करनेमें तनिक-सा समय भी नष्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वह जाँचके लिए सब जगह आपके वक्तव्य भेजते रहे हैं। यह रहा उनके पत्रके उत्तरमें लिखा एक पत्र। आप कृपया अपने उत्तर सहित इस पत्रको वापस भेज दें।

यदि आपका पुराना रोग अभी भी बाकी है तो क्या आप [सीमान्त प्रदेशके] उस इलाकेमें ठीक रह पायेंगे? आपको याद रखना चाहिए कि खादी-कार्य सीखनेके लिए आपको सावली जाना था। मैं नहीं चाहता कि आप फिर बीमार पड़ें, क्योंकि हर बीमारी आपको और भी कमजोर बना जायेगी।

हृदयसे आपका,

श्री रामदास
मार्फत डॉ० एम० एल० गुलाटी
कोहाट (पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त)

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

३४८. पत्र : एस० गणेशनको

९ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

ठक्कर बापाके लिए तुमने जो ८४ रुपये १२ आनेका बिल भेजा है उसके सम्बन्धमें मैंने ठक्कर बापासे बातचीत की है और मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि वे बिलको ऐसे ही पड़ा रहने दें। इस समय हमारे पास एक बिल बाकी बचा है। जब हमारा स्थितिका अध्ययन करनेका समय आयेगा और यदि 'हरिजन' को जीवित रखना होगा तथा यदि उसे जीवित रखनेमें ८४ रुपये १२ आनेके बिलके भुगतान से कुछ सहायता मिलती हो तो हम उतनी रकम उनसे ले सकते हैं। अन्यथा इस रकमको इस तरहसे काट दिया जाना चाहिए मानो अतिरिक्त अंकका प्रकाशन सामान्य ढंगसे किया गया हो। मैं जानता हूँ कि किसी समय मेरे विचार इससे भिन्न थे, लेकिन अब मैं यह सोचता हूँ कि हम जबतक अपना काम चला सकते हैं, इस बिल समेत, तबतक हमें केन्द्रीय कोषसे पैसा नहीं लेना चाहिए। आखिरकार हम इस कोषमें से शास्त्रीके वेतनके अंशके रूपमें पैसा ले रहे हैं।

ठक्कर बापाने तुम्हें जो पत्र लिखे हैं तुमने उन्हें लौटानेके लिए कहा है। मैं वे सब पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ।

मैं प्रसंगवश उनके साथ तुम्हारे बारेमें आम चर्चा कर रहा था और मैं तुम्हें यह यकीन दिला सकता हूँ कि उन्हें तुमसे कोई रंजिश नहीं है। उनका कहना है कि तुममें काम करनेकी जितनी क्षमता है, तुम उससे ज्यादा क्षमता मानते हो और न्यासके पैसेपर दरियादिलीके साथ खर्च करते हो। उदाहरणके तौरपर मुझे उन्होंने बहिरंग विभागके लड़कोंकी बात बताई जिन्हें तुम प्रशिक्षण दे रहे हो और जिनको तुम दोपहरके समय चाय-पानी आदि देते हो, हालाँकि यह तुम्हारा काम नहीं है तथा जो लड़के वहाँ आते हैं, वे इतने ज्यादा गरीब नहीं होते कि वे चाय-पानी पर दो-एक पैसे खर्च नहीं कर सकते हों। यह बात उन्हें एक ऐसे व्यक्तिने बताई है जिसे तुमसे और तुम्हारे कार्यसे सहानुभूति है और जो तुम्हारे आत्मत्यागकी कद्र करता है। ठक्कर बापाने यह बात मुझे तुम्हारे प्रति अन्यायकी भावनासे नहीं बताई है, उन्होंने तो केवल तुम्हारी दरियादिलीका एक उदाहरण-भर दिया है। जब हम अपनी जेबसे पैसा खर्च करते हैं तब उदारता एक गुण है, लेकिन जब हम न्यासके पैसे उदारतासे खर्च करते हैं तो यह एक अवगुण है। एक न्यासीको अपने न्यासके मामलेमें कंजूसीसे काम लेना चाहिए।

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३४९. पत्र : कान्ति गांधीको

९ नवम्बर, १९३४

चि० कान्ति,

तेरा पत्र मिला है। नया वर्ष तेरे मन, शरीर और आत्माके लिए शुभ हो।

तकलीपर चार सौ तार कातना सामान्य गति कदापि नही है। भाऊ[1] इत्यादि यहाँ तक पहुँच गये हैं। वे अभी भी इससे आगे बढनेके प्रयत्नमें लगे हैं। दो सौ तारकी गति सामान्य है। एक सौ साठ कमसे-कम गिनी जाती है।

अभीतक तो ऐसा ही लग रहा है कि हरिलालमे जो सुधार हुआ है, वह स्थायी रहेगा। नारणदासको सन्तोष जान पड़ता है।

दूध और घी का सेवन जारी रखना।

मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी हो गई है। इन दिनो तो मैं कच्चा दूध, फल और हरी साग-सब्जी खा रहा हूँ; बिना उबाली हरी सब्जियाँ ढाई तोलेसे अधिक नही होती। इसमे ककड़ी, मूली पत्ता सहित, कुलफाकी भाजी, टमाटर आदि आ जाते हैं। आज मेरा वजन एक सौ सात पौं० निकला।

रामदास और बा के कलतक वापस आनेकी सम्भावना है। किशोरलालभाई और गोमतीबहन कल आये थे। यो तो आना-जाना चलता ही रहता है।

तुझे अबतक पैसा तो मिल गया है न?

क्या तुझे यह मालूम हो गया है कि कनु यहाँ है और पृथुराज कोई धन्धा शुरू करनेवाला है? जीवनदासने भी व्यापार शुरू कर दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

महादेव आज बम्बईसे आयेगा। बाबलाका टॉन्सिलका ऑपरेशन कराया गया है। जमनालालजी को अभी बम्बई कुछ और दिन रहना पड़ेगा। उनके ठीक होनेमें थोडी कसर रह गई है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२८९)से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी

१. भाऊ पानसे।

३५०. भेंट: निर्मलकुमार बोसको[1]

९/१० नवम्बर, १९३४[2]

प्रश्न: . . . हमारा प्रश्न है कि क्या खादी-कार्य मात्र एक लोकोपकारी कार्य रहे अथवा हमें उसका उपयोग राजनीतिक शिक्षा देनेके एक साधनके रूपमें करना चाहिए? हमारा अनुभव रहा है कि यदि अन्तिम लक्ष्य ध्यानमें नहीं रखा जाता तो यह कार्य धीरे-धीरे अपना महत्त्व खो बैठता है।

उत्तर खादी और राजनीतिक सगठन, ये दो भिन्न चीजें है और इनको बिलकुल अलग रखना चाहिए। इसमे कोई भ्रम नही होना चाहिए। खादीका उद्देश्य लोकोपकारी है, लेकिन जहाँतक भारतका सवाल है, उसका जबर्दस्त राजनीतिक प्रभाव होना अनिवार्य है।

साल्वेशन आर्मी [मुक्ति सेना] लोगोको ईश्वरके बारेमे शिक्षित करना चाहती है। लेकिन इस सेनाके लोग रोटी लेकर आते है। गरीबोके लिए रोटी ही उनका ईश्वर है। इसी प्रकार हमे खादीके जरिये लोगोके पेटमे भोजन पहुँचाना चाहिए। यदि हम खादीके जरिये लोगोके आलस्यको समाप्त कर सकें तो वे हमारी बात सुनने लगेंगे। सरकार और चाहे जो-कुछ करती हो, लेकिन वह गाँववालोके लिए खानेको थोडा-कुछ छोड देती है। अगर हम गाँववालोको खाना नही दे सकते तो फिर वे हमारी बात क्यो सुनेंगे? जब हम उन्हे सिखा देंगे कि वे अपने ही प्रयत्नोसे क्या-कुछ कर सकते हैं, तब वे हमारी बातें सुनना चाहेंगे।

यह विश्वास उत्पन्न करनेका सबसे अच्छा तरीका खादीके जरिये है। खादी-कार्यक्रमको कार्यान्वित करते समय हमारा उद्देश्य शुद्ध लोकोपकारी अर्थात् आर्थिक होना चाहिए। हमें सब प्रकारके राजनीतिक विचारोको छोड देना चाहिए। लेकिन इस कार्यक्रमके महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने अनिवार्य है जिन्हे कोई रोक नही सकता, और जिनकी किसीको निन्दा करनेकी जरूरत नही है।

प्रश्न: क्या हम खादीके तरीकेके बजाय गाँवोमें पूँजीवादके विरुद्ध स्थानीय और विशिष्ट प्रश्नोंपर छोटे-छोटे संघर्ष नहीं आरम्भ कर सकते और इनका उपयोग लोगोको मजबूत बनानेके लिए अथवा लोगोके अन्दर सहयोगकी भावना पैदा करनेके लिए नहीं कर सकते? जब हमारे सामने इन दो विकल्पोमें से एक चुननेकी सुविधा हो तब हमें किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? जब हमें ब्याजकी दर कम करानेके

१ और २. साधन-सूत्रके अनुसार निर्मलकुमार बोस, गांधीजीसे ९ और १० नवम्बरको मिले थे। भेंट की यह रिपोर्ट गाधीजी द्वारा सुधार किये जानेके बाद प्रकाशित हुई थी।

लिए या कृषि-उत्पादनमें जमींदारका हिस्सा बढ़ाये जानेके विरुद्ध साहूकार या जमींदारके खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा हो, और उस सिलसिलेमें यदि हमें गाँवोंमें खादीके लिए किये गये सारे संगठन और कार्यकी बलि देनेकी आवश्यकता पड़े तो वैसी स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए — बशर्ते कि खादी-कार्यके आधारपर होनेवाले संगठनकी अपेक्षा साहूकारों और जमींदारोंके विरुद्ध किये जानेवाले संघर्षसे लोगोंके अन्दर ज्यादा आत्म-विश्वास पैदा होनेकी सम्भावना हो?

उत्तर: आपने प्रश्नके अन्तमें जो शर्त लगाई है वह एक बड़ी शर्त है। मैं कह नहीं सकता कि पूंजीपतियोंके खिलाफ स्थानीय और विशिष्ट प्रश्नोंपर संघर्ष छेड़नेसे लोगोंके अन्दर वैसा संकल्प और साहस पैदा होनेकी सम्भावना है जिनकी कि एक अहिंसात्मक आन्दोलनमें आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं आपकी यह बात मान लूं तो जिन परिस्थितियोंकी आपने चर्चा की है, उनमें खादीका बलिदान करना ही होगा। मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति हूँ और मैं अहिंसात्मक तरीकोंका विशेषज्ञ होनेका दावा करता हूँ। उस नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि लोगोंको आत्मचेतना और शक्ति प्राप्त करनेकी शिक्षा देनेके लिए आप उस प्रकारका कार्य न करें।

हम स्वराज्यके लिए अहिंसात्मक ढंगसे लड रहे हैं। आप जिस ढंगकी लड़ाईका जिक्र करते हैं, यदि भारतके विभिन्न भागोंमें बहुत-से कार्यकर्ता उस ढंगकी स्थानीय लड़ाई लड़ने लगें, तो आवश्यकता पड़नेपर भारत-भरमें लोग स्वराज्यके लिए समान संकल्पके साथ नहीं लड़ सकेंगे। बडे पैमानेपर सविनय अवज्ञाको व्यवहार-रूप दिया जा सके, इससे पहले लोगोंको स्वैच्छिक या सविनय आज्ञापालनकी कला सीखनी होगी। सरकारकी आज्ञाका पालन हम भयवश करते हैं, और इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है वह या तो खुद हिंसा है अथवा हिंसाका वह रूप है जिसे कायरता कहा जा सकता है। लेकिन खादीके जरिये हम लोगोंको उस संस्थाके खिलाफ सविनय अवज्ञाकी कला सिखलाते हैं जिसे उन्होंने अपने लिए स्वयं खड़ा किया है। यह कला सीख लेनेके बाद ही वे सफलतापूर्वक उस चीजकी अवज्ञा कर सकते हैं जिसको कि वे अहिंसात्मक तरीकेसे नष्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं सब कार्यकर्त्ताओंको सलाह देना चाहूंगा कि वे बहुमुखी संघर्षोंमें अपनी लड़नेकी ताकत नष्ट न करें, बल्कि खादी-कार्य पर अपना सारा ध्यान केन्द्रित करें ताकि जन-समूहको वे एक ऐसी स्थितिके लिए प्रशिक्षित कर सकें जो कि अहिंसक असहयोगके सफल प्रयोगके लिए आवश्यक है। जनताका स्वयं शोषण होता रहा तो विदेशी वस्त्रका धरनेके जरिये बहिष्कार करनेका आन्दोलन आसानीसे हिंसक हो सकता है, खादीके इस्तेमालके जरिये यह आन्दोलन अत्यन्त स्वाभाविक और बिलकुल अहिंसक होगा।

प्रश्न: क्या प्रेम या अहिंसाकी किसी भी रूपमें स्वामित्व अथवा शोषणके साथ संगति है? यदि स्वामित्व और अहिंसा एकसाथ सम्भव नहीं है, तो क्या आप भूमि या कारखानोंके निजी स्वामित्वको बरकरार रखनेका इस आधारपर समर्थन करते हैं कि यह एक आवश्यक बुराई है जो तबतक कायम रहेगी जबतक कि व्यक्ति उसके बगैर काम चला सकनेके योग्य अथवा उसके लिए पर्याप्त शिक्षित

नहीं हो जाते? यदि यह एक ऐसा ही कदम हो, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि राज्यके जरिये सारी भूमिपर स्वामित्व स्थापित कर लिया जाये और राज्यको जन-साधारणके नियन्त्रणमें रख दिया जाये?

उत्तर. प्रेम और अनन्य अधिकार साथ-साथ नही चल सकते। सिद्धान्तत जब पूर्ण प्रेम होता है तब पूर्ण त्याग भी होता है। शरीर हमारी अन्तिम सम्पत्ति होता है। अत. कोई पूर्ण प्रेम तभी जता सकता है और साथ ही पूर्णत· त्यागी तभी हो सकता है जब वह मृत्युका आलिंगन करनेको और मानव-सेवाकी खातिर अपने शरीरका त्याग करनेको तैयार हो।

लेकिन यह बात केवल सिद्धान्त रूपमे ही सच है। वास्तविक जीवनमे हम पूर्ण प्रेम शायद ही कर सकें, क्योकि शरीरका स्वामित्व हमेशा हमारे साथ रहेगा। मनुष्य हमेशा अपूर्ण रहेगा और पूर्ण होनेकी चेष्टा करना भी उसके भाग्यमे सदा ही रहेगा। इस प्रकार प्रेम अथवा पूर्ण त्याग जबतक हम जीवित है तबतक हमारा अप्राप्य आदर्श रहेगा, लेकिन ऐसा आदर्श, जिसके लिए हमे अनवरत प्रयत्न करते रहना चाहिए।

जिनके पास आज धन है, उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपने धनको गरीबोके वास्ते न्यासियोकी तरह रखे। आप कह सकते हैं कि न्यासी-पद एक कानूनी कल्पना है। लेकिन यदि लोग उसपर बराबर विचार करे और उसके अनुरूप आचरण करनेकी कोशिश करे तो धरतीपर जीवनका नियमन आज प्रेमके द्वारा जितना-कुछ होता है, उससे कही ज्यादा अंशमे होगा। पूर्ण न्यासीवाद यूक्लिडकी एक बिन्दुकी परिभाषाकी भाँति एक काल्पनिक वस्तु है और उतनी ही अप्राप्य है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उसके जरिये पृथ्वीपर किसी अन्य तरीकेकी अपेक्षा इस तरीकेसे समानता स्थापित करनेकी दिशामे ज्यादा दूर जा सकेंगे।

प्रश्न: यदि आप यह मानते हैं कि निजी सम्पत्ति अहिंसाके विरुद्ध है, तो फिर आप उसे सहन क्यों करते हैं?

उत्तर· यह एक रियायत है जो उनके लिए करनी ही पडती है जो धन अर्जित करते हैं, लेकिन स्वेच्छया अपनी कमाईका उपयोग मानव-जातिके लाभके लिए नही करते।

प्रश्न: तब निजी सम्पत्तिकी जगह राज्यका स्वामित्व क्यों न हो और इस प्रकार हिंसाको कम-से-कम क्यों न किया जाये?

उत्तर. यह निजी स्वामित्वसे बेहतर है। लेकिन वह भी हिंसाके आधारपर आपत्तिजनक है। यह मेरा दृढ विश्वास है कि यदि राज्य पूंजीवादको हिंसात्मक तरीके से दबाता है तो वह स्वयं हिंसाके चंगुलमे फँस जायेगा और अहिंसाका विकास करने में सर्वथा विफल रहेगा। राज्य हिंसाका सघन और सगठित रूपमे प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिके पास आत्मा होती है, लेकिन चूंकि राज्य एक आत्माहीन यन्त्र है, इसलिए उस हिंसासे उसे कभी मुक्त नही किया जा सकता जिसपर कि उसका अस्तित्व ही निर्भर करता है। इसीलिए मै न्यासीवादके सिद्धान्तको ज्यादा पसन्द करता हूँ।

प्रश्न: हम एक विशिष्ट दृष्टान्तको लें। मान लें कि कोई चित्रकार अपने लड़केके लिए कुछ ऐसे चित्र छोड़ जाता है जिनकी कि वह लड़का राष्ट्रके लिए कीमत नहीं समझता और उन्हे बेच देता है या उन्हें नष्ट कर देता है और इस कारण राष्ट्रको एक व्यक्तिकी गलतीके कारण कुछ अमूल्य वस्तुका नुकसान सहना पड़ता है। यदि आपको विश्वास हो कि वह पुत्र, जिस अर्थमें आप चाहते हैं, उस अर्थमें कभी न्यासी नहीं होगा, तो क्या आप नहीं समझते कि राज्य द्वारा न्यूनतम हिंसा करके उन वस्तुओंको उससे लेकर अपने अधिकारमें कर लेना उचित होगा?

उत्तर: हाँ, राज्य वस्तुत उन चीजोको अपने हाथमे ले लेगा और मै समझता हूँ कि यदि वह न्यूनतम हिंसा इस्तेमाल करता है तो उसे ठीक समझा जायेगा। लेकिन यह भय तो बराबर ही है कि राज्य अपनेसे भिन्न मत रखनेवालोके विरुद्ध बहुत अधिक हिंसाका प्रयोग करे। यदि सम्बन्धित व्यक्ति न्यासियोकी भाँति व्यवहार करे तो मै वस्तुत बहुत प्रसन्न होऊँगा; लेकिन यदि वे इसमे विफल हो तो वैसी दशामे मेरा विश्वास है कि हमें राज्यकी सहायतासे न्यूनतम हिंसाके जरिये उन्हे उनकी सम्पत्तिसे वचित करना होगा। यही कारण है कि मैंने गोलमेज सम्मेलनमे कहा था[1] कि प्रत्येक निहित स्वार्थकी जाँच होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार मुआवजे या बिना मुआवजेके सम्पत्तिको जब्त करनेका आदेश दिया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत रूपसे मैं जो पसन्द करूँगा, वह राज्यके हाथमें सत्ताका केन्द्रीकरण नही, बल्कि न्यासीवादका व्यापकीकरण होगा। कारण यह कि मेरी रायमे, राज्यकी हिंसाके मुकाबले निजी स्वामित्वकी हिंसा कम हानिप्रद है। तथापि, यदि टाली न जा सकती हो तो मैं न्यूनतम राज्य-स्वामित्वका समर्थन करूँगा।

प्रश्न: तब, महोदय, क्या हम यह मानें कि आपके और समाजवादियोके बीच जो बुनियादी अन्तर है वह यह कि आप यह मानते हैं कि मनुष्य आदतकी अपेक्षा आत्म-निर्देश अथवा इच्छाके बलपर रहते हैं और वे विश्वास करते हैं कि मनुष्य इच्छाके मुकाबले आदतके भरोसे रहते हैं? और यही कारण है कि आप स्वयं सुधारके पक्षमें हैं जबकि वे लोग एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनेकी कोशिश करते हैं जिसके अन्तर्गत मनुष्यके लिए दूसरोका शोषण करनेकी अपनी इच्छाको पूरा कर सकना असम्भव हो जाये।

उत्तर. मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मनुष्य अपनी आदतके अनुसार रहता है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि उसके लिए अपनी इच्छाके अनुसार रहना बेहतर है। मैं यह भी मानता हूँ कि मनुष्य अपनी इच्छा-शक्तिको इस हदतक विकसित करनेमें समर्थ है कि शोषण कम-से-कम हो सके। मैं राज्यकी बढती हुई शक्तिको भयके साथ देखता हूँ, क्योंकि वह प्रत्यक्षतः शोषणको कम करते हुए भी व्यक्तिगत प्रयत्नको नष्ट करके मानवजातिको ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह व्यक्तिगत

१. देखिए खण्ड ४८, पृ० २४८-५९।

प्रयत्न ही मानव-जातिके प्रयत्नोंकी प्रगतिकी जड़ या बुनियाद है। हम ऐसे कई मामलोंसे परिचित हैं जबकि मनुष्यने न्यासीवादको स्वीकार किया है, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण हमारे सामने नही है जिसमे राज्य वस्तुत. गरीबोंके लिए जिया हो।

प्रश्न : लेकिन क्या आप न्यासीवादके जो दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं, वे आपके निजी प्रभावके परिणामस्वरूप हैं, किसी अन्य कारणसे नहीं? आप-जैसे शिक्षक कभी-कभी ही आते हैं। इसलिए अपने-जैसे मनुष्यका मात्र संयोगवश अवतरण होनेके विरुद्ध क्या आपका आवश्यक परिवर्तनोंके लिए किसी व्यक्तिकी अपेक्षा किसी संगठनपर इन परिवर्तनोंके लानेका भार डालना बेहतर नहीं होगा?

उत्तर मुझे छोड दीजिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ससारके सभी शिक्षकोंके उपदेश उनके जीवनके वाद भी जीवित रहे हैं। बुद्ध, मुहम्मद या ईसा, इन तीनोंके उपदेशोंमे कुछ स्थायी तत्त्व था, और कुछ तत्त्व ऐसा भी था जो समयकी आवश्यकताके अनुसार था। उनकी स्थायी शिक्षाओंके साथ उनकी अस्थायी शिक्षाओंको कायम रखनेकी हमारी कोशिशके कारण ही धार्मिक प्रवृत्तियोंमें इतना विभेद पैदा हो गया है। लेकिन इनको छोड दे, तो हम देख सकते हैं कि इन महापुरुषोंका प्रभाव उनकी मृत्युके बाद भी कायम रहा है। इसके सिवा, मैं जिस चीजको अमान्य करता हूँ वह शक्तिपर आधारित एक सगठन है और राज्य ऐसा ही एक सगठन है। स्वैच्छिक सगठन होना अवश्य चाहिए।

प्रश्न : तब, महोदय, आपकी दृष्टिमें आदर्श सामाजिक व्यवस्था क्या है?

उत्तर मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियोंके साथ इस ससारमे पैदा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसी सीमाओंके साथ पैदा हुआ है जिनसे ऊपर उठ सकना उसके लिए सम्भव नही है। इन सीमाओंका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद 'वर्ण' का नियम निर्धारित किया गया है। यह अमुक प्रवृत्तियोंवाले व्यक्तियोंके अमुक कार्यक्षेत्रोंका निर्धारण करता है। सीमाओंको स्वीकार करते हुए भी वर्ण-नियममे ऊँच-नीचका कोई भेद नही किया गया है। यह एक ओर तो हरएकको उसके परिश्रमका फल मिले, यह सुनिश्चित करता है, और दूसरी ओर यह नियम किसी व्यक्तिको अपने पडोसीपर किसी प्रकारका दवाव डालनेसे रोकता है।

इस महान नियमको पतित किया गया है और इसे बदनाम किया गया है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब इस नियमके फलितार्थोंको समझा और कार्यान्वित किया जायेगा तभी एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था कायम हो सकेगी।

प्रश्न : क्या आप ऐसा नहीं समझते कि प्राचीन भारतमें चार वर्णोंके बीच आर्थिक दर्जे और सामाजिक अधिकारोंके मामलेमें भेद था?

उत्तर. ऐतिहासिक दृष्टिसे यह सच हो सकता है। लेकिन नियमका गलत प्रयोग किया गया या उसकी लोगोंको अधकचरी समझ है, महज इस कारण स्वयं नियमकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए। हमे जो विरासत मिली है, उसे हमें अनवरत प्रयत्नपूर्वक समृद्ध करना चाहिए। यह नियम मनुष्यके कर्त्तव्योंका निर्धारण करता है।

कर्त्तव्योके समुचित पालनसे अधिकारोका उदय होता है। आजकलका यह फैशन है कि कर्त्तव्योकी उपेक्षा करो और अधिकारोपर जोर दो, बल्कि अधिकार छीन लो।

प्रश्न: अगर आप वर्णाश्रमको पुनरुज्जीवित करनेके लिए इतने ही उत्सुक है तो आप सबसे शीघ्रगामी उपायके रूपमें हिंसाको पसन्द क्यों नहीं करते?

उत्तर: निश्चय ही यह प्रश्न नही उठता। कर्त्तव्यकी व्याख्या और उसका पालन हिंसाको नकारते है। हिंसा तब आवश्यक हो जाती है जब कर्त्तव्योका ध्यान किये बगैर केवल अधिकारोपर जोर दिया जाता है।

प्रश्न: संसार अन्ततः स्वभावसे ही सीमित है, इसलिए सत्यके पालनको संसार पर थोपनेके बजाय क्या हमें उसके पालनको अपनेतक ही सीमित नहीं रखना चाहिए?

उत्तर अगर आप कोशिश करे तो भी सत्यको सीमाबद्ध नही कर सकते। सत्यकी प्रत्येक अभिव्यक्तिमे प्रसारके बीज होते है, उसी तरह जिस प्रकार सूर्यमे उसका प्रकाश।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १७-१०-१९३५

३५१. पत्र: अमृतलाल चटर्जीको[2]

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

'गीता' तथा अन्य जिन शास्त्रोका आपने हवाला दिया है, वे बेशक अज्ञानपूर्वक शरीरका दमन करनेके विरुद्ध है। लेकिन ये सभी धर्म-ग्रन्थ आत्म-सयम और त्यागपर आग्रह करते है। इनमे सोच-विचारकर और विवेकपूर्वक किया गया उपवास भी अनिवार्यत: शामिल है।

अब आपके दूसरे पत्रको ले। अधिकृत राय पानेके लिए आपको कार्य-समितिके मन्त्रीको लिखना होगा। मेरी रायमे आपको जिस कठिनाईका सामना करना पड रहा है वह आम है। लेकिन मै आपकी कठिनाईको बिलकुल ही नही समझ पा रहा हूँ। प्राथमिक सदस्योके लिए नियमित खद्दरधारी होना जरूरी नही है। लेकिन जो प्राथमिक सदस्य कमेटीके सदस्य होना चाहते है उनके लिए नियमित रूपसे खद्दर पहनना जरूरी है। वे यदि योग्यता प्राप्त करना चाहते है तो नियमित रूपसे

१. साधन-सूत्रमें यह मॉडर्न रिव्यू से लेकर प्रकाशित किया गया था।

२. इस पत्रपर चटर्जीने लिखा है: "'उपवास' और कांग्रेस-संविधानमें 'खादी-सम्बन्धी धारा' की मैंने जो आलोचना की थी, यह पत्र उसका जवाब है।"

खद्दर पहनना शुरू कर सकते है, और छः महीनेमें वे पूरी तरह योग्यताप्राप्त उम्मीदवार बन जायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री अमृतलाल चटर्जी
शोलक (बगाल)

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १४४८) से, सौजन्य : ए० के० सेन

३५२. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला। म जरूर यह चाहता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चलता रहे। मैंने तुम्हे प्रफुल्लकी मार्फत सन्देश भेजे हैं। एक बात है जिसपर मैं जोर देना चाहूँगा। जिस तरह किसी कैदीको जेलकी दीवारोसे बाहरकी दुनियाके बारेमें सोचनेका कोई अधिकार नही है, और अपनी जेलकी छोटी-सी दुनियाके बाहर होनेवाली घटनाओके बारेमे कोई राय बनानेका तो और भी अधिकार नही है, उसी तरह बिस्तरपर पडा एक बीमार व्यक्ति बाहरी दुनियाकी समस्याओसे अपने मनको परेशान नही करता। वह उन घटनाओमे कोई सक्रिय भाग नही लेता, वह ईमानदारीके साथ कोई सच्चे निर्णयके अयोग्य बन जाता है। यही आदर्श सन्यासीके सम्मुख भी होता है। जब कोई मनुष्य सन्यास लेता है तब वह बाहरी दुनियाके नित्य क्रिया-कलापोसे अपनेको असम्पृक्त कर लेता है। यदि हम जीवनके इन सीधे सरल तथ्योको ध्यानमे रखें तो हम इतने ज्यादा दु खोसे, गलतफहमियोसे और भूलोसे बच जाये, और कैदी, रोगी तथा सन्यासी लोग शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करे और अपने-अपने कार्य-क्षेत्रोके प्रति न्याय कर सके। यदि तुम कष्टमे नही हो तो मैं तुमसे एक काम करनेके लिए कहूँगा। वह यह कि सतीश बाबूकी किताबके लिए चिकित्सा-सम्बन्धी अध्याय लिखो। मैं ग्राम-कार्यकर्त्ताओके लिए एक अच्छी मार्गदर्शिका चाहता हूँ। इसके पीछे मेरा विचार मूरकी 'फैमिली मेडिसिन' अथवा 'एवरीबोडी हिज ओन डॉक्टर' पुस्तक-जैसी पुस्तक तैयार करना है।

सुरेशचन्द्र बनर्जी
डो-हिल (बिशोका)
जिला दार्जिलिग

अग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

३५३. पत्र : एस० आर० सुन्दरराजनको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय सुन्दरराजन,

आपका पत्र मिला। मेरे खयाल मे आप मेरे साथ नही ठहर सकते। मेरी गतिविधियाँ अनिश्चित हैं। खान साहब किसीको अपने साथ नही रखते। इसलिए आपको अपने इर्द-गिर्द पवित्र वातावरण तैयार करना चाहिए और ऐसा आप अत्यन्त पवित्र लेखकोकी शुचितापूर्ण रचनाओका, उदाहरणके तौरपर 'गीता', तुलसीदासकी 'रामायण', 'महाभारत' के कुछ अंश आदिका अध्ययन करके कर सकते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता कि हुई आप ही वह कार्यकर्त्ता हैं जिन्हे मेरे स्नानागारकी देखरेखका काम सौपा गया था और जिन्होने सफाईका काम किया था।

हृदयसे आपका,

श्री एस० आर० सुन्दरराजन
'स्वतन्त्र सघ'
८-सी, क्रॉफ्टस रोड
ट्रिप्लीकेन, मद्रास

अग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य . प्यारेलाल

३५४. पत्र : चारुचन्द्र भण्डारीको

१० नवम्बर, १९३४

प्रिय चारु बाबू,

आपका विशद पत्र पाकर मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ। मैं इस समय आपका कोई मार्गदर्शन नही कर सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपनी गतिविधियोके बारेमे जानकारी देते रहे। आप संघकी, जिसकी अभी स्थापना की जा रही है, गतिविधियोका अनुसरण करते रहे, और मैं यह भी चाहूँगा कि आप सतीश बाबूसे सलाह-मशविरा करे तथा उन्हे, उनके हरिजन-कार्यमे जितनी सम्भव हो, उतनी मदद दे। चूँकि सारे बगालका कार्य सतीश बाबूकी देख-रेखमे है इसलिए उन्हे इसका विकास

करना है। इस तरह आप अपने साथी कार्यकर्त्ताओंका अंशतः अथवा पूर्णतया समर्थन कर सकेंगे। इसके साथ ही वे लोग अत्यन्त उपयोगी सेवा करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री चारुचन्द्र भण्डारी
डायमण्ड हार्बर, (२४ परगना)

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५५. पत्र : जी० एस० नरसिंहाचारीको

११ नवम्बर, १९३४

प्रिय नरसिंहाचारी,

आपका पत्र मिला। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ, जिसकी अभी स्थापना की जा रही है, के सिलसिलेमें यात्रा करनेका मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसकी झलक आप समाचारपत्रोंसे देखेंगे। अबतक आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मैं कांग्रेसका प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ।

मैं यह बात कदापि नहीं जानता था कि हिन्दी-प्रचारके विरुद्ध आन्ध्रदेशमें एक आन्दोलन चल रहा है। लेकिन मैं स्वयं विभिन्न प्रान्तोंकी समृद्ध भाषाओंको स्थानच्युत करनेके किसी भी प्रयत्नका विरोध करूँगा। हिन्दीका उद्देश्य उनका स्थान ग्रहण करनेका नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य हिन्दीको अन्तर्प्रान्तीय संलापके माध्यमके रूपमें प्रस्तुत करना है। इसलिए हिन्दी-प्रचारको प्रान्तीय भाषाओंकी प्रगतिको अवरुद्ध नहीं करना है बल्कि उन्हें और भी समृद्ध करना है।

हृदयसे आपका,

श्री जी० एस० नरसिंहाचारी
मार्फत उपकुलपति
वाल्टेयर

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

३५६. पत्र : सैम हिगिनबॉटमको

११ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मुझे आपका ८ तारीखका पत्र अभी-अभी मिला है, इसकी मै निश्चय ही कद्र करता हूँ। आप मुझे अपने सारे सुझाव अवश्य लिख भेजे। मैंने जो सक्षिप्त वक्तव्य जारी किया है, वह आपने देखा होगा। तथापि, सन्दर्भावलोकनके लिए मै एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मेरा दिमाग किस दिशामे काम कर रहा है, इसकी रूपरेखा आपको देखनेको मिलेगी। मेरा कार्यके सिलसिलेमे दौरा करनेका कम-से-कम इस समय तो कोई इरादा नही है। मै उन मित्रोसे अनौपचारिक रूपसे वार्ता कर रहा हूँ जिन्हे इस योजनामे दिलचस्पी है और इस समय मेरे पास प्रोफेसर कुमारप्पा हैं। पत्र-व्यवहारके जरिये विचारोके पारस्परिक आदान-प्रदानके बाद इस महीनेमे मै आपसे मिलना चाहूँगा। ऐसा करनेसे बातचीतके दौरान हमारा समय बच सकेगा।

मुझे यकीन है कि आप एक मूलभूत तथ्यको अच्छी तरह समझते है। जो बात अमेरिका अथवा इग्लैंड पर लागू होती है, जरूरी नही है कि वह भारत पर भी लागू होती है। भारतके पास उसके करोडो लोगोके रूपमे बहुत अधिक अतिरिक्त श्रम अप्रयुक्त ही पडा हुआ है और उसे अधिक विकसित मशीनरीके द्वारा श्रेष्ठ अथवा लाभकारी कार्यके लिए अपने पुत्रोकी शक्तिको मुक्त करनेकी जरूरत नही है। अपने ३६ करोड बच्चोके रूपमे उसके पास जीती-जागती पहले ही से तैयार मशीने है और यदि वह उनके श्रमका उपयोग कर सके — आधा श्रम यो ही बेकार जा रहा है — तो उसके मन और शरीरकी यह दोहरी भुखमरी खत्म हो जाये। १९१५ मे जब मै भारत लौटा तब मुझे इस समस्याका सामना करना पडा और तबसे यह निरन्तर मेरे दिलोदिमाग पर छाई हुई है।

हृदयसे आपका,

प्रोफेसर सैम हिगिनबॉटम
इलाहाबाद क्रिश्चियन कॉलेज
कृषि सस्थान, इलाहाबाद

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य . प्यारेलाल

३५७. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

११ नवम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र नियमित रूपसे मिलते हैं। रामदासके लिए परमिट नहीं ही आयेगा न? रामदासकी इच्छा तो यही है कि वह यहीं ठीक हो जाये और उसे वहाँ जाना न पड़े। लेकिन यदि परमिट मिलता हो तो भेज देना। यदि नहीं मिल सकता तो साफ-साफ कह देना। खुशामद करके नहीं लेना है। उचित ढंगसे मिले तो लेना चाहते हैं। रामदास और बा कल आये हैं। रामदास अभी तो मेरा ही उपचार करेगा। उम्मीद है कि वह अच्छा हो जायेगा।

एजेंटके बारेमें समझ गया। तुझे जो उचित जान पड़े सो करना। मुझे जैसा लगा वैसा मैंने तुझे बता दिया है, लेकिन अन्तमें कलम तो तेरे ही हाथमें है। दूर बैठा मैं तेरा काजी नहीं बनूंगा। मैं तुझे कृत्रिम ढंगसे व्यवहार करना नहीं सिखाना चाहता। तू वही करना जिसकी प्रतिध्वनि तू अपने हृदयमें सुने। भूल होगी तो तू उसे सुधार लेगा। सुनना सबकी, उसपर विचार भी करना, लेकिन अन्ततः वही करना जो तुझे उचित जान पड़े।

मीराबहन इस मासके अन्तमें आयेगी। उसने अच्छा काम किया जान पड़ता है।

देवदास, लक्ष्मी, नीमु आनन्दपूर्वक हैं। नारणदासका कनु मेरे साथ है। पृथुराज व्यापार करने लगा है। किशोरलाल यहीं हैं। जमनालालजीके कानमें अभी भी खराबी है, इसलिए वे बम्बईमें हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरे बारेमें तो तूने सब-कुछ समाचारपत्रोंमें पढ़ लिया होगा इसलिए कुछ नहीं लिखता। उमर सेठके बारेमें पढ़कर दुःख हुआ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२७) से।

३५८. पत्र : जमनालाल बजाजको

११ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। कान . . .[1] रहता है। अब कोई शिकायत बाकी नहीं रहनी चाहिए।

वहाँ जो लोग तुमसे मिलनेके लिए आते हैं, उनका आना बन्द होना चाहिए। तुम्हें अपने दिमागको थकाना नहीं चाहिए। उसके लिए यदि मौन लेना पड़े तो तुम्हें मौन लेना चाहिए। बात तुम्हें केवल डॉक्टरके विषयमें करनी चाहिए, सेवकोंसे उतनी ही, जितनी अपनी आवश्यकताओंके सिलसिलेमें जरूरी हो। जबतक तुम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करोगे तबतक बम्बईमें तुम्हारे लिए शान्तिपूर्वक रहना कठिन है और इलाज तो केवल वहीं हो सकता है। यदि तुम यह बात न भूलो तो अच्छा हो। . . .[2]मदालसा ठीक है।

मैं गनीको अच्छी तरह समझानेके बाद ही भेजूंगा। मैंने खानसाहबको तुम्हारा पत्र पढ़वाया था। वे तुमसे सहमत हैं। इसलिए यदि गनी असफल हुआ तो इसमें वे तुम्हें दोष नहीं देंगे। गनीके साथ बात करके . .[3] ली है। अभी वेतन देनेकी बात नहीं है।

मीराबहन वहाँ २१ तारीखको इतालवी जहाजसे पहुँचेगी। २२ को यहाँ आयेगी। खान साहबकी लड़की उसके साथ आ रही है। रामदास और बा जाजूजी[4] वाले मकानमें हैं। आशा तो है कि रामदास ठीक हो जायेगा। उसे आजसे अण्डा देना शुरू किया है। वह काफी कमजोर हो गया है।

कुमारप्पा और शिवराव आये हुए हैं।[5] हमने आज बातचीत शुरू की है। अभी तो मैं मेरीको नहीं बुलानेवाला हूँ। तुम्हारी उसके बारेमें क्या योजना है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४०-१

१, २ और ३. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूटा हुआ है।

४. श्रीकृष्णदास जाजू।

५. देखिए "पत्र: बी० शिवरावको", ३-११-१९३४।

३५९. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

११ नवम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

तुमारा खत मिला है। डा० रोयको जो खत भेजा उसकी नकल नही मिली है।

मुझको अभिप्राय देनेका दिल तो नही होता है। लेकिन न देना भी अब योग्य नही लगता है। मेरा अभिप्राय है कि इस वखत कुछ भी न किया जाय। बी० पी० सी० सी०[1] का नया इलेक्शन होने दो। वह हो जानेके बाद देखा जाय। यदि जो निर्णय किया है वह न्याय्य है तो बंगालके आंदोलनके कारण ही परिवर्तन करना उचित नही लगता है। फिर तो जैसे योग्य लगे वही करो। मेरा अभिप्राय की कोई किम्मत तब न रखी जाय।

सुरेशके बारेमे जो दिया गया है उसमे परिवर्तन करनेकी कोई जीम्मेवारी मैं नही महसुस करता।

शरीर अच्छा बनाओ। यहा शीघ्र आ जाओ।

बापुके आशीर्वाद

ए० आई० सी० सी० फाइल न० जी०– ३०/१९३३; सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

३६०. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

[१२ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][2]

भाई घनश्यामदास,

तुमारे दो खत मेरे सामने पड़े हैं।

चावलके बारेमें मैंने तो प्रत्यक्ष देखा कि यहा पोलिश्ड चावल होते हैं। एक चावल वाले ने ही बताया कि लोग पोलिश्ड ज्यादा पसंद करते हैं तो भी कलकत्तेमें तलाश करके मुझे लिखो। तुमने लिखा है कि आर्थिक दृष्टिसे ऊखल मूसलके ही पक्षमे मत दिया जा सकता है वह कैसे? इतना ही न कि ग्रामवासीके घरमे पैसे रह जायेंगे? इससे अधिक है तो मुझे बताइये।

१. बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी।

२. घनश्यामदास बिड़लाको यह पत्र १२ नवम्बर, १९३४को मिला था।

शकरके और गुडके बारेमे भी दोनो दृष्टिसे देख लो और मुझे लिखो। इस नयी सस्था[1] में कितनी दिलचस्पी लोगे, कुछ सहाय देनेका इरादा किया है? इस दृष्टिसे अपने जीवनमे यथाशक्ति परिवर्तन करोगे? रामेश्वरदासने इस विषयमें जो निश्चय किया है सो तो मालुम होगा ही। गजाननके क्या हाल है?

तुमारे ऑपरेशनका क्या हुआ, कुछ एक निश्चय कर लिया जाय।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मैं इस मासतक तो यही हूं। उतमझाईके बारेमे अब लिखनेका इरादा कर रहा हू।

सी० डब्ल्यू० ८००० से, सौजन्य . घनश्यामदास बिडला

३६१. पत्र : मोतीलाल रायको

१२ नवम्बर, १९३४

प्रिय मोती बाबू,

आपका लम्बा पत्र और उसके साथ भेजे गये कागजात मिले। अखिल भारतीय चरखा-सघके पत्रके बारेमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस बारेमे आप आगे भी मुझे लिखे। शरत बाबूके पत्रके बारेमे कहूँगा कि मेरी राय हमेशा यही रही है कि वास्तविक सौन्दर्य और सत्यमे कोई विरोधाभास नही है। अत. सत्य सदैव सुन्दर होता है।

इसीलिए मेरी रायमे सत्य सम्पूर्ण कला है। सत्यसे रहित कला कोई कला नही है, और सत्य-रहित सौन्दर्य शुद्ध कुरूपता है। यह बिलकुल सही है कि इस ससारमे अनेक कुरूप चीजे सुन्दर मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योकि हम लोग हमेशा सत्यकी कद्र नही करते।

आशा है, आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। आप अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी प्रगतिपर निगाह रखे और उसमे जो योग दे सके, दे। आप जो सुझाव चाहे, अवश्य भेजें।

हृदयसे आपका,

श्री मोतीलाल राय
प्रवर्तक सघ
चन्द्रनगर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०४८) से।

१. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ।

३६२. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको[1]

१२ नवम्बर, १९३४[2]

रास्तेमे तुम्हे जो-कुछ मुझे बताना हो, बताना। बेशक, कल सुबह हम बात करेंगे।

*　　　*　　　*

क्या अब तुम ठीक हो? विद्या और उसका भाई कैसे है?

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य· राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

३६३. पत्र : जमनालाल बजाजको

१२ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारा कान ठीक होनेमे काफी समय लग गया, यह बात मुझे अच्छी नही लगती। मैंने डॉक्टरोको पत्र भेजे है।

जयप्रकाश अस्वस्थ जान पड़ता है। वह प्रभावतीको अहमदनगर ले जाना चाहता है। यदि प्रभावतीको जाना ही हो तो आश्रमकी दृष्टिसे यही उचित है कि वह अभी चली जाये। इसलिए यदि जयप्रकाशकी इच्छा हो और तुम अनुमति दो तो विनोबाकी स्वीकृति लेकर मैं उसे वहाँ भेज दूं। आज भी वह काममे अत्यन्त व्यस्त है। . . .[3]

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४१

१. यह कागजकी दो पर्चियोंपर लिखा है।

२. तारीख हिंगोरानीने सूचित की है।

३. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है। इस पत्रको स्पष्ट करते हुए प्यारेलालने उसी दिन जमनालाल बजाजको एक और पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था: “बापूजीने आज आपको प्रभावतीके बारेमें पत्र लिखा है। उनके कहनेका तात्पर्य यह था कि यदि जयप्रकाश प्रभावतीको बम्बई बुलाना चाहें और यदि आप इस बात पर सहमत हों तो आपका उत्तर पानेके बाद विनोबाकी अनुमति लेकर वह बम्बईके लिए रवाना हो सकती है। लेकिन अहमदनगर जानेके बारेमें यह बात नहीं है। यदि उनके पत्रसे कुछ और अर्थ निकलता हो तो उसमें सुधार कर लें। बापूजीके कहनेका तात्पर्य ठीक वही है जो मैंने आपको लिखा है।”

३६४. पत्र : हीरालाल शर्माको

१२ नवम्बर, १९३४[1]

चि० शर्म्मा,

तुमारा खत मैं समज सका हूं। सरल है स्पष्ट है। लेकिन उसमें बहूत अज्ञान भरा हैं। विलायत जाकर कोई डिग्री तो लेना ही होगा। इसमें कमसे कम सात वर्ष चाहीये यदि सच्ची डिग्री लेना है तो। ऐसे भी पाच तो अवश्य चाहिये। और लाओगे जो यहा मिल सकता है वही। विलायतसे आये हूए और यहांके दाक्तरोपर तुमने वडा इलजाम लगाया है। आज दोनो प्रकारके मौजूद हैं जो भंगीका काम करते हैं और उसमे उनको कोई लज्जा नही है। सात वर्षके लिये आज रु० ३००० काफी नही है कमसे कम ३०००० चाहीये। द्रौपदीको ले जाने पर ६०००० चाहीये। यह सव सात वर्षका हिसाव है कमसे कम। मुझे सादगीसे रहते हुए तीन वर्षमें रु० १३००० हो गये थे। आज तो सव चीजका दाम दो गुना हो गया है। लेकिन पैसेकी वात गौण समजी जाय। मेरा तो इंग्लाड जानेसे ही सखत विरोध हैं। मौलिक ज्ञान प्राप्त करके ही इग्लाड जाना उचित हो सकता हैं। मौलिक ज्ञान आसानीसे यहा मिल सकता हैं उसमे मुझे तनिक भी सदेह नही है। इंग्लाड जानेका भ्रम ही है। उस भ्रमको मिटना ही चाहीये। यदि भ्रम नही है तो तुमारे स्वतंत्र रूपमें वगैर मेरे आशीर्वादके, वड करके जाना है। वंड करनेका तुम्हे अधिकार है जैसा प्रह्लादको था। वंडकी नीति उसकी सफलतासे ही सिद्ध हो सकती है। मैंने भी तो मेरे पिता जैसे भाईके सामने १३ वर्ष तक वड किया था। वह सफल हूआ क्योंकि उसकी नीति सिद्ध हुई। ऐसे ही तुमारे करना है तो वड करो।

मेरी मानो तो मैंने कहा है सो करो। हाल यही रहो। एनटेमी, फिजीओलोजीका अभ्यास करो। यहाके दाक्तरकी मदद दिला सकता हू। मैं जो वताता रहूं सो काम करो। चाहे तो द्रौपदीको वुला लो। घरका प्रवध हो सकता है। द्रौपदी तुमसे दूर है वह मुझे खटकता है ही। शरीर शास्त्रका तुमारा ज्ञान वहूत ही कच्चा—नहीवत्—समझो। यह कामके लिये तुमारेमें अध्ययन का प्रेम होना चाहीये। सो मैं नही पाता हू। यदि मेरी भूल हो तो मुझे वताओ।

मेरी निकटता अच्छी न लगे तो दिल चाहे वहा रहो और पत्रव्यवहार से काम लो। यदि ऐसा करना पड़ेगा तो इसमें तुमारी सहनशीलताकी कमी पाउंगा। मेरे सानिध्यमे नही रह सकनेवालोको मैं जानता हू। उसमे तुम नही हो, न होने चाहीये।

यह सब स्पष्ट नही है तो मुझे पूछ लो। इसे अच्छी तरह समझनेकी कोशीश करो।

१. साधन-सूत्रमें "१२-१२-३४" तारीख दी हुई है।

तुमारा पत्र वापिस करता हूं ताकि और नकल न करनी पड़े।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १३२ और १३३ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

३६५. तार : आसफ अलीको

[१३ नवम्बर, १९३४ से पूर्व]

मैं आशा करता हूँ कि दिल्लीका एक-एक वोट आपके पक्षमें गिरेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १३-११-१९३४

३६६. पत्र : सर जेम्स ग्रिगको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सर जेम्स ग्रिग,

आपके पूर्ववर्ती अधिकारी, सर जॉर्ज शुस्टरसे मुझे पता चला था कि इर्विन-गांधी-समझौतेमें, जोकि अब खत्म हो चुका है, एक लोकोपकारी धारा है जिसे सरकारने वापस नहीं लिया था। मेरा इरादा था कि मैं सर जॉर्ज और अपने बीच हुए इस पत्र-व्यवहार[2] को प्रकाशित करूँगा। लेकिन अन्य कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण मैं इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाया और वह अप्रकाशित ही पड़ा है। सर जॉर्जके पत्रमें जैसा कहा गया है, यदि सरकारी नीति वैसी ही बनी हुई है तो मैं इस पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करना चाहूँगा। यदि आप उत्तरमें दो पंक्तियाँ लिख सकें तो मैं आभार मानूंगा।[3] बहुत-से गरीब लोग नहीं जानते कि नमक-सम्बन्धी रियायत वापस नहीं ली गई है।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

सर जेम्स ग्रिग
नई दिल्ली

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ८९/३४, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. श्री आसफ अली दिल्लीसे विधान-सभाका चुनाव लड़ रहे थे।

२. देखिए खण्ड ५७, "पत्र : सर जॉर्ज शुस्टरको", पृ० ३४५ और ४२३।

३. सर जेम्स ग्रिगने २२ नवम्बरको उत्तर देते हुए लिखा था : "पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करनेपर कोई आपत्ति नहीं है। . . ." इस पत्र-व्यवहारको ३०-११-१९३४ के हरिजन में "धरतीका निश्शुल्क नमक" शीर्षकसे प्रकाशित किया गया था।

३६७. पत्र : अमृत कौरको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मैं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके कार्यकारी मण्डलका गठन करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। यह एक सुसम्बद्ध मण्डल होगा जिसमें बहुत थोड़े-से सदस्य होंगे। यदि आपको इसमें पर्याप्त दिलचस्पी हो और इसमें काम करना स्वीकार हो तो मैं मण्डलमें आपका नाम रखना चाहूँगा। कृपया अपने निर्णयकी तारसे सूचना दें। यदि आपको कोई बहुत बड़ी आपत्ति न हो तो मैं चाहूँगा कि आप हाँ कह दें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

राजकुमारी अमृत कौर
जालन्धर
पंजाब

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१३) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३२२ से भी।

३६८. पत्र : सी० जी० रामनको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं आपको वर्धा आनेकी तकलीफ नहीं दूँगा, क्योंकि श्रीयुत मेहताने अपने पत्रमें जिस आविष्कारका जिक्र किया है, उसमें मुझे खास दिलचस्पी नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० जी० रामन
लिनोटाइप ऐंड मशीनरी लिमिटेड
२१, ग्राहम रोड
बैलर्ड एस्टेट, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

३६९. पत्र : एन० एस० बंगालीको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप मुझसे मिलें, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके विचार मेरे विचारोंसे बिलकुल भिन्न हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ग्राम-आन्दोलनको पर्याप्त तटस्थताके साथ देखें, और तब यदि आपको लगे कि आप गलत नतीजोंपर पहुँचे हैं तो आप जरूर ही मुझे लिखें। उस समय आप जो सेवा करनेको तैयार होंगे, उसे मैं खुशीसे लूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एन० एस० बंगाली, बी० एस-सी०, एल० टी०
करदीकरका बंगला
घन्तोली, नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३७०. पत्र : भाऊ पी० पाटिलको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय भाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जो कहते हो वह सब अच्छा है। तुम्हें ठक्कर बापाको लिखना चाहिए। अन्ततः कोषके रक्षक तो वही हैं।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री भाऊ पी० पाटिल
श्री छत्रपति शाहू बोर्डिंग हाउस
सतारा सिटी

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३७१. पत्र : डॉ० साठेको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० साठे,

आपका तार मिला। कांग्रेससे अवकाश-ग्रहणके बाद मैंने विशेष सन्देश भेजना बन्द कर रखा है। इस नियममें मैं कोई अपवाद नही कर सकता था। अत. सन्देश न भेजनेके लिए आशा हैं आप मुझे क्षमा कर देंगे।

हृदयसे आपका,

डॉ० साठे
गिरगाँव, बम्बई–४

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३७२. पत्र : जे० मैक विलियम्सको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका गत माहकी १५ तारीखका पत्र मिला था। मैं और मेरे साथी कार्यकर्त्ता जिन नियमोंका पालन करनेका प्रयत्न करते हैं उनकी सख्या दस नही, ग्यारह है। वे इस प्रकार हैं .

सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अस्पृश्यता-निवारण, स्वदेशी, दैनिक श्रम, संसारके प्रमुख धर्मोंकी समानता, आहार-सयम अर्थात् जीवनके लिए खाना — खानेके लिए जीना नही — और निर्भीकता।

हृदयसे आपका,

श्री जे० मैक विलियम्स
वास, नॉर्थ कैरोलिना
यू० एस० ए०

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३७३. पत्र : डॉ० मुख्तार अहमद अंसारीको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० अंसारी,

अपने तारका जैसा जवाब आप मुझसे चाहते, वैसा जवाब देनेके लोभका मैं बड़ी मुश्किलसे सवरण कर पाया। लेकिन मुझे लगा कि मुझे वैसा जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी जगह भी मैंने लोभको रोका। इसलिए आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे।

साथमें कुछ प्रश्न हैं। क्या आप इनके उत्तर मुझे भेज सकते हैं?

संलग्न १

डॉ० मु० अ० अंसारी
दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३७४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सतीशबाबू,

पुरस्कार-सम्बन्धी कागजात मुझे मिल गये।[1] पहली ही शर्त यह है: "चरखेका आकार इतना होना चाहिए कि आसानीसे बरता जा सके और साधारण भारतीय गाँवकी कुटियामें हाथ या पैरसे चलाया जाये।" दो अन्य शर्तें भी विचारणीय हैं जो ये हैं. "यन्त्र ऐसा होना चाहिए जो भारतमें अधिकतम मूल्य १५० रु० में उपलब्ध हो सके।"

"यन्त्रकी बनावट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह घिसे-पिटे पुर्जे बदलते हुए करीब २० सालतक इस्तेमालमें आ सके। पुर्जोंके बदलनेका खर्च उचित होना चाहिए, और उनका वार्षिक खर्च यंत्रकी कीमतके ५ प्रतिशतसे अधिक नहीं होना चाहिए।"

इन दो शर्तोंके अलावा, किर्लोस्करका यन्त्र पहली शर्तको पूरा नहीं करता। क्या आपको इससे कुछ भिन्न बात कहनी है?

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य · प्यारेलाल

१. देखिए खण्ड ४१, पृ० २८०-१।

३७५. पत्र : प्रफुल्लचन्द्र घोषको

१३ नवम्बर, १९३४

प्रिय प्रफुल्ल,

तुम्हारा पत्र मिला। खान साहबने उसे देखा। उन्हें कार्यक्रम पसन्द है। पहले हिस्सेको जब आजमा लिया जाये और वह सफल हो जाये तभी दूसरे हिस्सेकी बात सोची जानी चाहिए, उससे पहले नही। लेकिन वह २५ तारीखतक कलकत्ता नही पहुँच सकते। उन्हे १ दिसम्बरको लखनऊमें एक कार्यक्रममें भाग लेना है। उनकी लडकी २२ तारीखको इंग्लैंडसे यहाँ आ रही है। उनका लडका जो देहरादूनमें पढ रहा है और जो उनसे माहके अन्तमे मिलेगा, उसके बारेमे भी उन्हे कुछ प्रबन्ध करना है। इसलिए वह यहाँसे ७ या ८ दिसम्बरसे पहले रवाना होनेके लिए तैयार नही होगें। आशा है, इससे फर्क नही पड़ेगा।

जिन विटामिन-तालिकाओंका तुमने जिक्र किया है, यदि वे आसानीसे मिल सकें तो एक प्रति मुझे भेज देना। जिस मसौदेका तुमसे वादा था, आशा है, वह तुम्हें मिल गया होगा।

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३७६. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। अवश्य, मैं तुम्हारे प्रस्तावका पूरा लाभ उठाऊँगा। इस बीच मैं तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाके पास भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३७१) से।

३७७. पत्र : जी० एन० कानिटकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय बालुकाका,

तुमने जो सूची भेजी है वह दिलचस्प है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कभी न छोडनेके दृढ सकल्पके साथ अविरत और मौन रूपसे कामको हाथमे लोगे।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री जी० एन० (उर्फ बालुकाका) कानिटकर
स्वावलम्बन राष्ट्रीय पाठशाला
चिंचवाड, पूना जिला

अग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६५) से, सौजन्य . जी० एन० कानिटकर। प्यारेलाल पेपर्ससे भी, सौजन्य : प्यारेलाल

३७८. पत्र : आर० ए० रिचर्डसनको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पिछले २५ सितम्बरके पत्रके लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपको लिख सकूँ कि आप किसीको यहाँ भेजें, मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस पत्रमे आपने जो वादा किया है, उसके अनुसार आप मुझे एक पत्र और लिखेंगे। हमारे यहाँ एक कृषि-विभाग भी है, और इस विभागके जरिये हम सुधारकी सम्भावनाओका पता चलानेकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने उद्देश्य यह है कि बेहतर मास, और ज्यादा मात्रामे लगभग उतना ही पुष्टिदायक दूध प्राप्त करे।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री आर० ए० रिचर्डसन
फोल्सहिल
फ्रैंकलिन पी० ओ०
ईस्ट ग्रिक्वालैंड

अग्रेजीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ७७७८-बी) से, सौजन्य . घनश्यामदास बिड़ला

१. भारतमें भेड़-पालनके बारेमें गांधीजीके आग्रहपर रीज जोन्सने आर० ए० रिचर्डसनको एक पत्र लिखा था। उसीके सिलसिलेमें रिचर्डसनने गाधीजीसे पूछा था कि आपका उद्देश्य ज्यादा मात्रामें दूध और मांस प्राप्त करना है अथवा बेहतर किस्मका ऊन प्राप्त करना है।

३७९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय घनश्यामदास,

मेरा खयाल था कि दक्षिण आफ्रिकासे जो पत्र मुझे मिला था, उसे मैं पहले ही तुम्हे भेज चुका हूँ। मुझे दु:ख है कि वह रह गया। फाइलको निपटाते समय कल रात वह मुझे मिला। वह यह रहा। अपने जवावकी[1] एक नकल भी मैं तुम्हे भेजता हूँ।

महादेवको लिखे तुम्हारे पत्रसे मैं देखता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं दिल्ली-वाली नई जमीनपर कुछ समय गुजारूँ। मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम चाहोगे, उस समय अगर मैं मुक्त रहा तो मैं जरूर वैसा करना चाहूँगा। ठक्करबापाके पत्रसे मैं यही समझा हूँ कि अभी तुम मुझे वहाँ बुलानेके लिए तैयार नही हो। और तुम्हारी अनुपस्थितिमे मेरा दिल्ली आना व्यर्थ होगा। अगले महीने मेरे भाग्यमें क्या है, मैं नही जानता।

मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन खतम हो जानेके बाद तुम मुझे तार दे देना।

बापूके आशीर्वाद[2]

संलग्न : २

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७७७८) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

३८०. पत्र : एस्थर मेननको

दुबारा नहीं पढ़ा

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय बिटिया,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खुशी है कि नान ठीक है और अब डेनमार्क नही जाना चाहती। बेशक, किसी बच्चेके लिए माँ की गोदसे अच्छी जगह और कोई नही है। लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है, जिसे बार-बार विफल होनेके बाद भी प्राप्त करनेकी कोशिश हमे करते रहना चाहिए।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. यह देवनागरी लिपिमें है।

मारियाके[1] बारेमे जानकर दुःख हुआ। उसके स्कूलमे सिवा तुम्हारे उसकी जगह और कौन ले सकता है? और फिलहाल तो तुम्हारा सवाल ही नही उठता। कितना अच्छा हो कि कोई ऐसा रास्ता निकल सके जिससे कि वह डेनमार्क जा सके और परिवर्तनका सुख ले सके जिसकी उसको बहुत आवश्यकता है।

मन्दिर-प्रवेश विधेयकके बारेमें तुम्हारा पत्र मिलनेकी मुझे कोई याद नही है। क्या वह मेरे वर्धा लौटनेके बाद भेजा गया था? अगर उसमे जो बातें तुमने लिखी थी, उनको यादसे फिर लिखकर भेज सको तो मैं जवाब देनेकी कोशिश करूँगा।

मैंने जैक हॉयलैंडके बेटेकी मृत्युके बारेमे सुना था। तब एन्ड्रयूज यहाँ थे। हम दोनोने मिलकर सवेदनाका तार[2] भेजा था और हॉयलैंडने मृत्युका पूरा विवरण मुझे भेजा था। वह एक अत्यन्त दुखद घटना थी।

मीरा २२ तारीखको लौटेंगी। उसके साथ खान साहबकी लडकी भी होगी जो लन्दनमे पढाई कर रही थी। मेरी बार अपने गाँववाले घरसे आजकल यहाँ आई हुई है और वह अपने साथ एक मित्रको लाई है जो अभी-अभी इंलैंडसे आई हैं। मेरीने आश्रम जीवनको बडी खूबीसे अपना लिया है। आजकल फिलहाल यहाँका मौसम अत्यन्त सुहावना है। रामदास चार-पाँच दिन पहले बा के साथ लौट आया है। वह बहुत कमजोर है किन्तु मेरा खयाल है कि यहाँ वह शक्ति प्राप्त कर लेगा। एन्ड्रयूज दिसम्बरमे लगभग पन्द्रह दिनोके लिए शायद यहाँ आयेंगे। मेननके क्या हालचाल हैं?

तुम सबको प्यार।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
तंजौर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (न० १३२)से, सौजन्य · राष्ट्रीय अभिलेखागार। माई डियर चाइल्ड, पृ० १०८-९ से भी।

१. ऐन मारी पीटर्सन।
२. यह उपलब्ध नहीं है।

३८१. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय शंकरलाल,

पुरस्कार-प्रतियोगिता-सम्बन्धी कागजात मैंने देख लिये है। निर्धारित शर्तें पूरी कर लेने पर पुरस्कार प्राप्त करनेके उसके अधिकारको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि यह यन्त्र अन्यथा भी उपयोगी है। हमे किर्लोस्कर-बन्धुओसे कहना चाहिए कि वे हमें कुछ यन्त्र खरीदने दे ताकि हम उनपर प्रयोग कर सकें और अनुभवसे उनकी कार्य-क्षमता, और यदि उनमें कुछ नुक्स हो तो वे नुक्स हम जान सके, और अन्तिम रूपसे यह तय कर सके कि हम उस यन्त्रको पुरस्कार-विजेता घोषित कर सकते है या नही, अथवा पुरस्कार दिये विना हम उस यन्त्रके लिए ग्राहक-बाजार उपलब्ध कर सकते है या नही। यन्त्रके बारेमे जो-कुछ सूचना मुझे मिली है, उसपर से मुझे लगता है कि यन्त्र इतना जटिल और असाध्य है कि उसे पुरस्कार नही मिल सकता। लेकिन अपने भण्डारोको, और दूसरे जो लोग हाथ-कता सूत लेना चाहें उन्हे हाथ-कता सूत सप्लाई करनेके लिए हम इस यन्त्रका शायद उपयोग कर सके। व्यापक प्रयोग करके हम यह भी पता चला सकते है कि इसका सूत बुनकरोंके दृष्टिकोणसे मिलके सूतकी बराबरीका है या नही। अगर तुम समझो कि ऐसा किया जा सकता है, तो मैं किर्लोस्कर-बन्धुओके किसी प्रतिनिधिको बुलवाकर उससे बात करूँगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि अभी ऐसी बातचीतका उपयुक्त समय नही आया है, अथवा तुम्हे लगे कि बातचीत की ही जाये तो वह तुम्हे ही करनी चाहिए, तो अलग बात है। किर्लोस्कर-बन्धुओने वस्तुत श्रीयुत कालेके साथ एक यन्त्र भेजनेका प्रस्ताव किया था ताकि मै यन्त्रकी कार्य-विधिको देख सकूँ। उनको भेजे गये अपने जवाबकी एक प्रति[1] मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे भेजे कागजातको देखनेके बाद मुझे लगता है कि मुझे उन्हे यन्त्र और श्रीयुत कालेको भेजनेके लिए लिख देना चाहिए[2], और यन्त्रका काम देखनेके लिए स्वय भी समय निकालना चाहिए, साथ ही किसी और को भी यन्त्रपर काम करनेको कहना चाहिए।

संलग्न : १

अंग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

१. उपलब्ध नहीं है।

२. देखिए "पत्र : किर्लोस्कर-बन्धुओंको", २४-११-१९३३।

३८२. पत्र : जी० सीताराम शास्त्रीको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय सीताराम शास्त्री,

हाथ-कुटे चावलके बारेमे तुम्हारी रिपोर्ट मैंने पढ ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस चावलका नमूना, और मिलमे कुटे चावलकी उसी किस्मका नमूना भेजो। मिलमे कुटे बिना पालिशके चावलमे और हाथ-कुटे बिना पालिशके चावलमे पोषक-तत्त्वोके अन्तरके बारेमे क्या तुमने कोई जाँच की है? चावलसे धानका छिलका अलग करनेके लिए गाँववाले जो चीज काममे लाते है क्या तुम उसका वर्णन भी करोगे? तुम भूसेका क्या उपयोग करते हो? भूसा साफ करनेके आठ घटेके कामके बदले कितनी दैनिक मजदूरी मिलती है? उसी क्षेत्रमे उतने ही घंटे सूत कातनेकी मजदूरी प्रतिदिन कितनी होती है? मशीनसे छिलका साफ किये चावल और हाथसे छिलका साफ किये चावलके मूल्योमे क्या फर्क है? मिलके छिलका साफ किये चावल खानेवालो और हाथसे छिलका साफ किये चावल खानेवालोके चावल खानेकी मात्रामे क्या कोई अन्तर है? क्या यह धन्धा स्वावलम्बी है?

श्री सीताराम शास्त्री
चन्दोल (जिला गुटूर)

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३८३. पत्र : फ्रांसिस्का स्टैंडेनथको

१४ नवम्बर, १९३४

मैं तुम्हारे २३ सितम्बरके पत्रका अभीतक उत्तर नही दे सका, हालाँकि मैं तुम दोनोकी[1] अक्सर याद करता हूँ। हाँ, हमेशाकी तरह, अंग्रेजी कैलेंडरके हिसाबसे २ अक्टूबरको [मेरा] जन्म-दिवस था। तुम दोनो कैसे हो? आशा है, तुम्हे 'हरिजन' की अपनी प्रति नियमित रूपसे मिल रही है। मीरा यहाँ २२ तारीखको पहुँचेगी। तुम्हे मालूम ही है कि वह एक पखवाड़ेके लिए अमेरिका गई थी और वहाँ तथा इंग्लैंडमे भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया।

श्रीमती फ्रांसिस्का स्टैंडेनथ
ट्राटमासडार्फगास न० १
ग्राज स्टीरिया, आस्ट्रिया
यूरोप

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. यहाँ संकेत फ्रांसिस्काके पति फ्रेडरिककी ओर है।

३८४. पत्र : हरिदास टी० मजूमदार

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हरिदास,

मुझसे कोई सन्देश देनेकी अपेक्षा मत करो। मेरा मन इस समय बिलकुल सूख गया है, और मुझे कही भी कोई सन्देश भजनेकी जरा भी इच्छा नही है।

हृदयसे तुम्हारा,

हरिदास टी० मजूमदार, पी-एच० डी०
"इंडिया टुडे ऐंड टुमारो"
२० वेसी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, एन० वाई०

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३८५. पत्र : केशवको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय केशव,

मैंने अभी-अभी "द सर्वेन्ट ऑफ क्राइस्ट" का २१ वाँ अक देखा। ऐसा लगता है कि ख्रीष्ट सेवा-संघने अपना कार्य बदल दिया है और अब वह धर्म-परिवर्तन करनेवाली सस्था बन गई है। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है।

हृदयसे तुम्हारा,

ब्रदर केशव
ख्रीष्ट सेवा-संघ, औध, किरकी

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३८६. पत्र : हरेकृष्ण मेहताबको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेहताव,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे लगता है कि तुम्हे अपनी पत्नीको वर्दाश्त करना ही होगा। तुमको उसे अपने साथ ले चलना है।

तुम्हारे प्रस्तावित दानके वारेमे मैं चाहूँगा कि उसे देनेसे पहले तुम भली प्रकार सोच लो। किन्तु यदि तुमने और तुम्हारी पत्नीने दान देनेका निश्चय कर ही लिया है, तो मैं उसे सधन्यवाद स्वीकार करूँगा, वशर्ते कि तुम एक समितिके साथ मिलकर उस स्थानपर कार्य करोगे।

हृदयसे आपका,

श्री हरेकृष्ण मेहताव
कर्म-मन्दिर, अगरपारा
वारहाट-तिरलोचनपुर पी० ओ०
वाया भद्रक (उड़ीसा)

अंग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३८७. पत्र : डॉ० एस० सी० आनन्दको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० आनन्द,

जिस अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी स्थापना की जा रही है, उसकी मदद करनेके आपके प्रस्तावकी मैं कद्र करता हूँ। मैं यह भी चाहूँगा कि आप मुझे वताये कि आप और जिन दो मित्रोका जिक्र आपने किया है, वे क्या काम करेंगे। क्या श्री गोयल मुझे गुड़ और चीनीके तुलनात्मक पोपक तत्त्वोका ब्योरा दे सकते है? आपका पत्र मैं श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० एस० सी० आनन्द, एम० वी० वी० एस०
लेफ्टि०, आई० एम० एस० (रिटायर्ड)
दासन स्ट्रीट, दिल्ली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३८८. पत्र : विश्वमोहन सान्यालको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। जो संघ स्थापित किया जा रहा है, उसमें आप जो भी सेवा दे सकते हों, वह बेशक स्वीकार की जायेगी। लेकिन मैं आपको यह सलाह देनेकी बात सोच भी नहीं सकता कि आप अपना वर्तमान व्यवसाय छोड़कर संघके पूरे समयके कार्यकर्त्ता बन जायें। मुझे पता नहीं कि कितने वेतनभोगी कार्यकर्त्ता नियुक्त होंगे और उनका वेतन-मान क्या होगा।

हृदयसे आपका,

श्री विश्वमोहन सान्याल (कविराज)
५/२ ए, मधु गुप्त लेन
बहू बाजार, कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

३८९. पत्र : जी० मुकर्जीको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र और आपके प्रॉस्पेक्टसकी प्रतियाँ मिलीं। प्रॉस्पेक्टस मुझे बिलकुल नहीं जँचा। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप क्या काम कर सकते हैं। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री जी० मुकर्जी, एम० एस-सी०
(कैलिफोर्निया, यू० एस० ए०)
बाँसबेरिया पी० ओ०, जिला हुगली

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३९०. पत्र : सी० हनुमन्तरावको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय हनुमन्तराव,

तुम्हारा पत्र मिला। पट्टियाँ बनानेके लिए भी तुम मिलके सूतका इस्तेमाल नही कर सकते। जो लोग पट्टियाँ बनाना चाहते है, उन्हे चाहिए कि पट्टियोके लिए जरूरी सूत कातनेमे थोडा समय लगाये।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सी० हनुमन्तराव
गौतमी सत्याग्रह आश्रम
सीतानगरम्, वाया कोव्वूर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३९१. पत्र : पूर्णचन्द्र शर्माको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय पूर्णचन्द्र शर्मा,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। यह पत्र मुझे लिखकर अच्छा किया। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे अपना अबतकका पूरा हिसाब लिखकर भेजो।

आशा है, कताईमे तुम्हारा मार्गदर्शन करनेके लिए अन्नदाबाबू तुम्हारे पास गये होगे।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पूर्णचन्द्र शर्मा
मन्त्री
कांग्रेस सहायता समिति
नवगाँव (असम)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३९२. पत्र : वी० भाष्यम अय्यंगारको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। बेशक, आपके उदार प्रस्तावका मैं पूरा उपयोग करूँगा। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

दीवान बहादुर वी० भाष्यम अय्यगार
"वर्धनी"
किलपॉक, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३९३. पत्र : तेजरामको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय रायबहादुर,

गाँव-सुधारकी आपकी योजनाको मैं देख गया हूँ। आप मुझे यह कहनेके लिए क्षमा करेंगे कि मुझे यह योजना व्यावहारिक नहीं लगती। वे उन्नत औजार कौन-से हैं जिन्हें आपने बनाया है? जो संघ स्थापित किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि आप उसकी प्रगतिका अध्ययन करें और बतायें कि आप उसमें कोई योगदान कर सकते हैं या नहीं। मैं आपका पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

रायबहादुर तेजराम
रिटायर्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर
संडा रोड, लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३९४. पत्र : एम० डी० शाहानेको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय शाहाने,

सोसायटीकी मध्य-प्रान्त शाखाकी ओरसे किया गया तुम्हारा प्रस्ताव पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें शायद पता हो कि मैं द्राविडके साथ पहले ही पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ।[1] अपनी सुविधा देखते हुए जो समय उसे सबसे उपयुक्त लगे उस समय वह मुझसे मिल ले। और जहाँतक मेरा सवाल है, मेरी तरफसे तो जब वह आये तब सभी सदस्य उसके साथ आ सकते हैं। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इस बीच मैं तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री एम० डी० शाहाने, बी० ए०,
सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी,
क्रैडक टाउन, नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

३९५. पत्र : एन० आर० कोलारकरको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपका कार्यक्रम बहुत महत्त्वाकांक्षी है। वह पढ़नेमें अच्छा है। उसकी सम्भावनाओंके बारेमें, एक साधारण आदमीके नाते मैं कुछ नहीं कह सकता।

हृदयसे आपका,

श्री एन० आर० कोलारकर
कुरला

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

१ देखिए "पत्र: एन० ए० द्राविड़को", ९-११-१९३४।

३९६. पत्र : डंकन ग्रीनलेसको

१४ नवम्बर, १९३४

प्रिय डंकन,

तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। ग्रामीण स्कूलकी तुम्हारी योजनाकी प्रगतिको मैं बहुत दिलचस्पीके साथ देखूंगा। बेशक, भारतके प्रति तुम्हारे प्रेमको मैं जानता हूँ। विश्वास करो कि इस प्रेमका जो लाभ मैं उठा सकता हूँ, पूरा-पूरा उठाऊँगा। इस समय सभीका सारा ध्यान सीमा-प्रान्तकी ओर लगा हुआ है। जब सामूहिक उपवासका समय आयेगा तब तुम अपना नाम भ्रातृमण्डलीमें निश्चय ही देखोगे। दोनो ही मेरी[1] मर्जेमें हैं।

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

३९७. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

मैंने जो काम हाथमें ले रखे हैं, उन्हें ध्यानमें रखते हुए यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी सीमा-प्रान्त जानेके अपने इरादेके सम्बन्धमें मैंने जो वक्तव्य[2] दिया है उसे वाइसराय महोदयने शायद देखा होगा। मैं सम्भवत. दिसम्बरके मध्यतक [इन कार्योसे] मुक्त हो जाऊँगा। सीमा-प्रान्त जानेके पीछे मेरा जो उद्देश्य है वह यह है कि मैं वहाँके लोगोंमें जाकर रहना चाहता हूँ, उनका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँके अहिंसाके सिद्धान्तको उनके अनुयायियोंने किस हदतक ग्रहण किया है। मेरा इरादा उनके ग्रामोद्योगोंके विकास-कार्यमें उनकी सहायता करनेका भी है। कहनेकी जरूरत नहीं कि सीमा-प्रान्तके लोगोंमें सरकारके विरुद्ध (सविनय अथवा अन्य प्रकारके) प्रतिरोधकी भावना जगानेकी मेरी कतई कोई इच्छा नहीं है।

हालाँकि मैं जानता हूँ कि मेरे सीमा-प्रान्तमें प्रवेश करनेपर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे सरकार और मेरे बीच संघर्ष हो। और जहाँतक हो सके, मैं ऐसे किसी संघर्षको टालना चाहता हूँ।

१. एफ० मेरी बार तथा मेरी चैस्ले।

२. देखिए पृ० ९।

क्या आप इस मामलेमे वाइसराय महोदयकी इच्छाका पता लगाकर मुझे बतानेकी कृपा करेंगे?[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल न० ४/८/३५, पृ० ५७-९, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार। बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१२-१९३४ भी।

३९८. पत्र : अगाथा हैरिसनको

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला और साथमे डॉ० असारीको लिखे तुम्हारे पत्रकी प्रति भी। तुम जो-कुछ कहती हो उसे मैं समझता हूं। सयुक्त समितिकी रिपोर्ट[2] प्रकाशित होनेके बाद जो-कुछ भी सम्भव और उचित होगा वह किया जायेगा।

उटमजईके[3] बारेमे मैंने अपना पत्र अभीतक नही भेजा है। मनमे लिखनेका विचार बना हुआ है, लेकिन अधिक कार्य-व्यस्तताके कारण उसे टालता जा रहा हूँ।

यदि मैं सी० एफ० एन्ड्रयूजको अलगसे पत्र नही लिखता तो तुम कृपया उनसे मेरा प्यार कहना और कह देना कि मुझे उनका पत्र मिल गया है। उडते हुए दौरे पर यहाँ आनेकी उनकी योजनाका मैं समर्थन करता हूँ। आजकल जब वाकई लोग विमानोमे उडने लगे है, तब यह उडता हुआ दौरा तेज-से-तेज रफ्तारवाले स्टीमरसे भी किया जाये तो उस रफ्तारको कुछ नही माना जायेगा, हालांकि मेरे लिए तो यह धीमी रफ्तार भी बहुत है।

वाइसरायको लिखे मेरे पत्रकी[4] एक प्रति यह रही।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८२) से।

१. २५ नवम्बरको वाइसरायके निजी सचिव ई० सी० मेविलने उत्तर दिया : "वाइसराय महोदयको इस बातकी खुशी है कि आपने इस मामलेमें उनसे परामर्श किया और उन्होंने यह समझ लिया है कि आपका ऐसा कोई कार्य करनेका इरादा नही है जिससे आपका सरकारके साथ सघर्ष हो। वाइसराय महोदयने इस बारेमें पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तकी सरकार और अपनी परिषदके साथ बातचीत की है। उन्हें इस बातका दुख है कि स्वयं उनकी और अन्य सब लोगोंकी यही राय है कि इस समय आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। उन्हें विश्वास है कि आप उनकी इच्छाके अनुरूप कार्य करेंगे।"

२. सवैधानिक सुधारोंके बारेमें संसदकी संयुक्त समितिकी रिपोर्ट।

३. खान अब्दुल गफ्फार खाँका गाँव।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

३९९. पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको[1]

१५ नवम्बर, १९३४

प्रिय गुरुदेव,

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके तत्त्वावधानमें गठित होनेवाले अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघको विविध प्रवृत्तियोकी ओर ध्यान देना होगा, और इसके लिए उसे विशेष योग्यता-प्राप्त सलाहकारोकी आवश्यकता होगी। इन विशेषज्ञोको आपसमे एक-दूसरेसे मिलने या सघके सदस्योतक से मिलनेकी जरूरत नही है, बल्कि हमारा विचार केवल यह है कि जिन विषयोमे उनको विशेष ज्ञान प्राप्त है, यथा रासायनिक विश्लेषण, किसी खाद्य वस्तुकी पोषण-शक्ति, स्वच्छता-सफाई, गाँवके उत्पादकोके मालका वितरण, ग्रामोद्योगोको विकसित करनेके सुधरे हुए तरीके, गाँवके कूड़े-कचरे आदिका खादके रूपमें उपयोग, सहकारिता, आवागमनके ग्रामीण-साधन, शिक्षा (वयस्क तथा अन्य), शिशुओकी देखभाल और अन्य बहुत-सी चीजोके बारेमे, जिनका यहाँ उल्लेख करना सम्भव नही है, पूछ-ताछ करनेपर वे अपनी सलाह हमे दें।

क्या आप कृपापूर्वक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघके ऐसे सलाहकारोमे आपका नाम रखनेकी अनुमति देंगे? स्वभावत· यह पत्र मैं इस विश्वासके आधारपर लिख रहा हूँ कि संघके उद्देश्य और सघकी कार्य-पद्धतिको आपका समर्थन प्राप्त है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी फोटो-नकल (जी० एन० ४६४३)से।

१. इसी प्रकारके पत्र एम० विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, घनश्यामदास बिड़ला तथा अन्य लोगोंको भेजे गये थे।

४००. पत्र : हीरालाल शर्माको

१५ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा,

मै तो तुमारे आनेकी आशा रखता था। आज नरहरिने पैगाम दिया। मैंने तुमारे पत्रका उत्तर तो दे ही दिया है। सब निर्भय हो गये ऐसा तो कैसे कहू? लेकिन विनोबा निर्भय है। चाहते है यहा आ जाओ। लोगोको निर्भय तो तुमारे करना है। सुरेंद्रका किस्सा पढ लिया। थोडा दुःखद है। यह गलती कैसे हुई मैं समझ सकता हू। लेकिन उसमे बडी बात नही है। तुमने यदि खत पढा भी होता तो उसका यह अर्थ मैं कभी नही करता कि उसका निदान तुम्हे स्वीकार्य था। यहाँ आओगे तब उनका निदान देखोगे। किसीका निदान तुम्हारे क्या कामका? तुमारे दिल पर जो चीजका असर हो सके वही ठीक। यहा आ जाओ। आ ही जाओ। विलब न किया जाय।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११६ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४०१. भेंट : 'मैंनचेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिको

[१५ नवम्बर, १९३४][१]

[गांधीजी] मैं आपके प्रश्नोके लिए तैयार हूँ।

[संवाददाता :] क्या कांग्रेससे आपके अवकाश-ग्रहणका यह अर्थ है कि आपको राजनीतिमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है?

[गांधीजी :] नही।

गांधीजीने कहा कि मेरा राजनीतिमें फौरन लौटनेका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब निश्चित ही नहीं है कि मैं ग्रामोद्योग-संगठनका मार्ग निर्देशन करने, हिन्दू-मुस्लिम समस्याको हल करने और अस्पृश्यताके विरुद्ध अभियान जारी रखनेसे फिलहाल हट रहा हूँ। उन्होने कहा :

ये सब आन्दोलन सीमित अर्थमे गैर-राजनीतिक आन्दोलन रहेगे।

१. रिपोर्टके आरम्भमें पत्रके प्रतिनिधिने लिखा है कि यह भेंट गांधीजी द्वारा 'विशेषज्ञोंको' लिखाये गये अपने पत्रोंपर हस्ताक्षर करनेके बाद आरम्भ हुई थी जिसमें उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि वे अ० भा० ग्रामोद्योग-संघ सलाहकार बन जायेंगे। देखिए "पत्र : रवीन्द्रनाथ ठाकुरको", १५-११-१९३४।

यह पूछे जानेपर कि मान लीजिए, संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टमें श्वेतपत्रसे भी कुछ कम दिया जाता है, वैसी स्थितिमें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, गांधीजीने कहा कि मैं यह माननेको बिलकुल तैयार हूँ कि भविष्यवाणी सही थी। लेकिन इसके आगे वह कुछ कहनेको तैयार नहीं थे। उन्होने सुधारोंके बारेमें ब्रिटिश सरकार द्वारा वास्तवमें अपनाई गई नीतिकी तुलना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन[1] के फौरन बाद श्री मैकडॉनल्ड द्वारा बताई गई सुधारोकी योजनासे की। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्रीने भारतके प्रतिनिधियोके साथ एक समझौतेकी बात की थी। (श्री गांधीने हालांकि जोरके साथ यह बात कही कि गोलमेज सम्मेलनमें केवल ब्रिटिश सरकारके द्वारा मनोनीत सदस्य थे।) प्रधानमन्त्रीकी योजनाके अन्तर्गत इस समझौतेपर दोनो पक्षोंकी स्वीकृति और हस्ताक्षर होने थे। तत्पश्चात् इस समझौतेके आधारपर ही संसदमें कानून बनाया जाता।

[संवाददाता :] यही चीज आयरलैंडमें हुई थी।

[गांधीजी .] हाँ, आयरलैंडकी मिसाल ठीक है — लेकिन अभी तो नही।

इस जगह मैंने गांधीजीका ध्यान जनरल स्मट्स द्वारा ब्रिटेनमें दिये गये हालके एक वक्तव्यकी ओर दिलाया। जनरल स्मट्सने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकाको स्वशासन प्रदान करके ब्रिटेनने उसके प्रति अपना विश्वास प्रकट किया था, और भारतके प्रति भी यदि वह उसी प्रकारका विश्वास प्रकट करेगा तो मेरी रायमें उसका यह विश्वास उचित सिद्ध होगा।

[गाधीजी] उस समय मैं दक्षिण आफ्रिकामे ही था और इन दो मामलोंमें मुझे कोई समानता नही दिखाई पडती। बोअरोंके मामलेमें यह विश्वास-अभिव्यक्तिका कार्य नही था, बल्कि इसमे तो 'फिसल पडे तो हर गगा' वाली उक्ति लागू होती है।

[संवाददाता :] कैसे ?

[गाधीजी.] बोअर युद्ध तो वस्तुत अग्रेजोकी पराजय ही था। वे लड़ाईसे तग आ चुके थे, थक गये थे और उनके साधन समाप्त हो रहे थे। यह अवश्य है कि एक साम्राज्यवादी शक्ति होनेके कारण वे युद्ध जारी रख सकते थे, लेकिन परिस्थितियाँ तेजीसे कैम्बेल-बैनरमैनके पक्षमे होती चली जा रही थी। लॉर्ड मिलनरको सम्राट एडवर्डके निर्देश थे कि वह बोअर लोगोको सन्तुष्ट करे। यह मैं स्वीकार करूँगा कि जो-कुछ किया गया, वह अनिच्छासे नही, बल्कि बहुत खूबसूरतीके साथ किया गया।

[संवाददाता :] और इसलिए ?

[गाधीजी] और इसलिए मैं उस वक्तव्यको फिरसे दोहराता हूँ जो कुछ हफ्ते पहले मैंने बम्बईमे कांग्रेसके सामने दिया था[2] — अर्थात् किसी देशको सवैधानिक आन्दोलनोसे आजादी नही प्राप्त हो सकती।

१. १९३१ में आयोजित; देखिए खण्ड ४८।
२. देखिए पृ० २२९-३०।

गांधीजीने कहा कि फ्रान्स या ब्रिटेनके इतिहासके मेरे अध्ययनके अनुसार संवैधानिक संघर्षोंसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया है और तीन साल पहले ऑक्सफोर्डमें भारतकी समस्याके बारेमें चर्चा करते हुए मैंने लॉर्ड लोथियन और अन्य लोगोंसे भी यही बात कही थी।

श्री गांधीने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज दक्षिण आफ्रिकाको जिस प्रकारका स्वशासन प्राप्त है, वैसा स्वशासन ब्रिटेन भारतको तबतक प्रदान नहीं करेगा जबतक कि उसे "कुछ करनेके लिए कोई आधार नहीं मिलेगा।" उन्होंने कहा:

ब्रिटेनको ऐसा नही लगता कि सविनय प्रतिरोध सफल हुआ है, बल्कि यह आन्दोलन ठप हो गया है, इस बातपर ब्रिटेनके मनमे विजयोल्लासका भाव है।

इसी बातको आगे बढाते हुए मैंने गांधीजीसे पूछा कि अगर इस बातको छोड़ भी दें कि दक्षिण आफ्रिकाको किन परिस्थितियोंके अन्तर्गत स्वशासन प्रदान किया गया था (और ये परिस्थितियाँ उनके अनुसार भारतमें मौजूद नहीं हैं) तो क्या उस प्रकारके स्वशासनसे वे संतुष्ट हो जायेंगे — दूसरे शब्दोंमें, वह किस प्रकारकी स्वाधीनता चाहते हैं?

गांधीजीने इस विषयपर विस्तारसे चर्चा करनेमें अनिच्छा जाहिर की। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी हदतक यह लक्ष्य दूसरे गोलमेज सम्मेलनमें दिये गये मेरे वक्तव्यके[1] अन्तिम अंशमें स्पष्ट कर दिया गया है; यदि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलकी सदस्यता भारतके ऊपर थोपी गई तो मैं उसका विरोध करूँगा; लेकिन यदि वह स्वैच्छिक भागीदारी होगी जिसे जब चाहे तब खत्म किया जा सके तो मुझे ऐसे संघमें शामिल होनेपर कोई आपत्ति नहीं होगी। जहाँतक मेरा सवाल है, यह एक 'स्थायी स्थिति' है।

गांधीजीने कहा कि इस समय मैं ग्रामोद्योग-संगठनको खड़ा करनेमें लगा हुआ हूँ। अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनके सिलसिलेमें हालमें मैंने जो पद-यात्रा की थी, उसने मेरी आँखें खोल दी हैं। गाँवके लोग मुझे निष्क्रिय और निराशामें डूबे हुए लगे। उनकी गरीबीकी दशाका मेरे ऊपर "बराबर जोरदार प्रभाव पड़ता रहा है।" ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित करनेसे उन धन्धोंमें नये जीवनका संचार होगा जो इस समय मृतप्राय है। गांधीजीने कहा:

कुछ लोगोंको यह गैर-दिलचस्प काम लग सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा ठोस काम होगा।

उनकी आँखोंके सामने भारतके ७,००,००० गाँव हैं, और उनकी अभिलाषा है कि वह ज्यादासे-ज्यादा गाँवोंमें अपने कार्यकर्त्ताओंको फैला दें।

१. देखिए खण्ड ४८, पृ० २३९।

गांधीजीने कहा कि मुझे कई वर्षोंसे कताईकी धुन लगी हुई है, और मैं स्वीकार करता हूँ कि ग्रामीण धन्धोंमें कताईका धन्धा ऐसा है जिसमें सबसे कम पैसा मिलता है। लेकिन कताईका धन्धा नये संगठनके अधीन नहीं होगा, क्योंकि उसका संचालन अखिल भारतीय चरखा-संघ कर रहा है। गाँववालोंको और अधिक खाना मिले, और सही ढंगका खाना मिले, यह मेरा प्रमुख लक्ष्य है। मैं मिलके पालिश किये चावल और चक्कियोंमें पिसे आटेके विरुद्ध आन्दोलन चलानेका इरादा रखता हूँ। आहार-सम्बन्धी समस्याओंपर शोध करनेवाले कुछ सुविख्यात लोग इस प्रश्नपर मुझसे सहमत हैं। मैं मिलोंमें बनी चीनीके मुकाबले गुड़के प्रयोगको भी प्रोत्साहित करूँगा। मैं अपने कार्यक्रममें गाँवोंकी स्वच्छता और सफाईके कामको भी प्रमुख स्थान दूँगा।

[गांधीजी :] फिर, इस आन्दोलनका राजनीतिज्ञों अथवा अन्य लोगों द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए — परोक्ष रूपमें भी नहीं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २५-११-१९३४

४०२. पत्र : एस० सत्यमूर्तिको

[१६ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][1]

आपका तार मिला। मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेसकी इन शानदार जीतोंसे[2] मैं बहुत खुश हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-११-१९३४

४०३. लालाजीकी पुण्य-तिथि[3]

जब लोग तथाकथित राजनीतिको भूल चुके होंगे, जब लोगोंका ध्यान खींचनेवाले अन्य बहुत-से अल्पजीवी आकर्षणोंको भी वे भूल चुके होंगे, उस समय भी हरिजनोंके लिए लालाजीके महान प्रेमको, और उस प्रेमसे प्रेरित उनकी महान सेवाओंको न केवल लाखों हरिजन बल्कि करोड़ों सवर्ण हिन्दू भी, वस्तुतः सारे भारतके लोग, याद करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर पिछली पुण्य-तिथिके मुकाबले आनेवाले वर्षमें लालाजीकी स्मृति हमारे आचरणमें उत्तरोत्तर सजीव होती जाये।

१. यह रिपोर्ट दिनांक 'मद्रास, १६ नवम्बर' के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।
२. विधान-सभाके चुनावोंमें।
३. लाला लाजपतरायकी मृत्यु १७ नवम्बर, १९२८ को हुई थी; देखिए खण्ड ३८।

लाला लाजपतराय-जैसे सुधारकोके लिए मृत्यु तो केवल शरीर-क्षय होनेके समान है। उनकी शक्ति समयके साथ-साथ बढ़ती जाती है। तब उसकी प्रतीति हमे ज्यादा होती है, क्योकि समय बीतनेके साथ-साथ शरीरकी दुर्बलताओकी स्मृति समाप्त होती जाती है और उसमें छिपी शक्ति ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। मनुष्यमे जो अस्थायी तत्त्व है वे मनुष्यकी मृत्युके साथ ही समाप्त हो जाते है। मनुष्यका स्थायी तत्त्व मात्र शरीरके ऊपर विजय प्राप्त करता है और शरीरके समाप्त होनेपर ज्यादा साफ दिखाई पड़ता है। हमे इसी प्रकाशमे लालाजीकी स्मृतिको सँजोकर रखना चाहिए और लालाजीकी यादमे हरिजन हिन्दू और सवर्ण हिन्दुओको चाहिए कि वे अस्पृश्यताके अभिशापसे समाजको मुक्त करनेका नया संकल्प करे। हरिजन हिन्दू अपने-आपको उन बुराइयोसे मुक्त करे जो उनमे दमनका शिकार रहनेके फलस्वरूप आ गई है, और सवर्ण हिन्दू अपनेको ऊँचा माननेका पाप करना बन्द कर दे। जन्मके आधारपर किसीको अस्पृश्य मानना पाप है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-११-१९३४

४०४. ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योगोके सम्बन्धमें कांग्रेसने जो प्रस्ताव[1] पास किया है उसका रचयिता मैं हूँ और इन उद्योगोकी उन्नतिके लिए जो संघ स्थापित होनेवाला है, उसका एकमात्र सलाहकार भी मैं ही हूँ। इसलिए यह उचित ही है कि इन उद्योगोके सम्बन्धमें और इनसे जनताके चरित्र तथा स्वास्थ्यको जिस लाभके होनेकी आशा है, उसके विषयमे मेरे मनमे जो विचार चक्कर लगा रहे है, उन विचारोको मैं जनताके आगे रख दूं।

हरिजन-यात्राके सिलसिलेमे जब इस वर्षके आरम्भमे मैं मलाबार गया था, तभी मेरे मनमें यह ग्रामोद्योग-संघ स्थापित करनेका विचार एक प्रकारसे निश्चित हो गया था। एक खादी-सेवकके साथ बात करते हुए मैंने देखा कि शहरके लोगोने गाँववालोसे जिस चीजको क्रूरता और अविचारपूर्वक छीन लिया है, उस चीजको ईमानदारीके साथ उन्हे लौटा देनेके लिए सच्चा प्रयत्न करनेवाले एक संगठनकी कितनी जबर्दस्त आवश्यकता है। सबसे ज्यादा हानि जिन्हें हुई है वे हरिजन लोग है। सामान्यतः गाँववालोके सामने जो उद्योग अपनानेकी सुविधा है, उसमें से केवल कुछ उद्योग ही है जिन्हे वे अपना सकते है। इसलिए जब उनके हाथसे उनके उद्योग निकलते जाते है तो वे अन्य भारवाही पशुओ-जैसा जीवन जीते है। पाठक जब इसी अंकमे अन्यत्र छपे प्रोफेसर मलकानीके लेखको[2] पढेगा तब वह मेरे इस कथनकी सत्यताको समझ सकेगा।

१. देखिए "भाषण: अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २४-१०-१९३४।

२. यह इस अंकमें न छपकर वस्तुतः *हरिजन* के २३-११-१९३४ के अंकमें 'सिंधके रेगिस्तानकी कहानी' के शीर्षकसे छपा था।

आज हिन्दुस्तानके किसानोकी हालत सामान्यत बहुत अच्छी नही है। धीरे-धीरे वे इस हालतमें पहुँचते जा रहे हैं कि किसी तरह अपने खाने-भरका अनाज निकाल ले। कम लोगोंको मालूम होगा कि छोटे-छोटे और अलग-अलग खेतोमे खेती करना लाभदायक व्यवसाय नही है। गाँववालोके जीवनमे न आशा रही है, न उमग। भूख धीरे-धीरे उनके प्राणोको चूस रही है। वे कर्जोसे दबे हुए है। साहूकार उन्हे कर्ज देता है, क्योकि न दे तो जाये कहाँ? न देनेसे तो उसका सारा पैसा डूब जाये। गाँवकी अर्थ-प्रणाली हैरानीमे डालनेवाली चीज है। जाँच तो हमने इसकी काफी बारीकीसे की है, फिर भी इस विषयकी हमारी जानकारी सतही ही है।

ग्रामोद्योगोका यदि लोप हो गया, तो भारतके सात लाख गाँवोका सर्वनाश ही समझिए।

ग्रामोद्योग-सम्बन्धी मेरी प्रस्तावित योजनापर इधर दैनिक पत्रोमे जो टीकाएँ हुई है उन्हें मैंने पढा है। कई पत्रोने तो मुझे यह सलाह दी है कि मनुष्यकी अन्वेषण-बुद्धिने प्रकृतिकी जिन शक्तियोको अपने वशमे कर लिया है, उनका उपयोग करनेसे ही गाँवोकी मुक्ति होगी। उन आलोचकोका यह कहना है कि प्रगतिशील पश्चिममें जिस तरह पानी, हवा, तेल और बिजलीका पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है, उसी तरह हमें भी इन चीजोको काममें लाना चाहिए। वे कहते है कि इन निगूढ प्राकृतिक शक्तियोपर कब्जा कर लेनेसे प्रत्येक अमेरिकावासी इनकी सहायतासे ३३ गुलामोको रखनेपर जो काम होता उतना काम ले सकता है।

इस रास्ते अगर हम हिन्दुस्तानमे चले, तो मै यह बेधड़क कह सकता हूँ कि प्रत्येक मनुष्यको ३३ गुलाम मिलनेके बजाय इस मुल्कके एक-एक मनुष्यकी गुलामी ३३ गुनी बढ जायेगी।

यन्त्रोंसे काम लेना उसी अवस्थामे अच्छा होता है, जब किसी निर्धारित कामको पूरा करनेके लिए आदमी बहुत ही कम हो। पर यह बात हिन्दुस्तानमे तो है नही। यहाँ कामके लिए जितने आदमी चाहिए, उनसे कही अधिक बेकार पडे हुए हैं। कुछ वर्ग गज जमीन खोदनेके लिए मै हल का उपयोग नही करूँगा। हमारे यहाँ सवाल यह नही है कि हमारे गाँवोमे जो लाखो-करोडो आदमी पडे है, उन्हे परिश्रमकी चक्कीसे निकालकर कुछ अवकाशका समय किस तरह दिलाया जाये, बल्कि यह है कि उन्हे सालमें जो लगभग छ महीनेका समय यो ही बैठे-बैठे आलसमें बिताना पडता है, उसका उपयोग कैसे किया जाये। कुछ लोगोको मेरी यह बात शायद विचित्र लगेगी, पर सच बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यत आज गाँवोकी जनताके लिए त्रासरूप हो रही है। मैंने बारीकीसे आँकडे एकत्र नही किये, पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि गाँवोमे बैठकर कमसे-कम दस मजदूर जितना काम करते हैं उतना ही काम मिलका एक मजदूर करता है। इसे यो भी कह सकते है कि दस आदमियोकी रोजी छीनकर यह एक आदमी गाँवोमें जितना कमाता था उससे कही अधिक कमा रहा है। इस तरह कताई और बुनाईकी मिलोने गाँवोके लोगोकी जीविकाका एक बडा भारी साधन छीन लिया है। यह कहना कोई ज़वाब नही है कि ये मिले जो कपड़ा तैयार करती है वह अधिक अच्छा और काफी सस्ता

होता है। कारण यह है कि इन मिलोने अगर हजारो मजदूरोका धन्धा छीनकर उन्हे बेकार बना दिया है, तो सस्तेसे-सस्ता मिलका कपडा गाँवोकी बनी हुई महँगीसे-महँगी खादीसे भी महँगा है। कोयलेकी खानमे काम करनेवाले मजदूर जहाँ रहते है वही वे कोयलेका उपयोग कर सकते है, इसलिए उन्हे कोयला महँगा नही पडता। इसी तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत-भरके लिए खुद खादी बना लेता है, उसे वह महँगी नही पडती। पर मिलोका बना कपडा अगर गाँवोके लोगोको बेकार बना रहा है, तो चावल कूटने और आटा पीसनेकी मिले हजारो स्त्रियोकी न केवल रोजी ही छीन रही है, बल्कि साथ ही तमाम जनताके स्वास्थ्यको हानि भी पहुँचा रही है। जहाँ लोगोको मास खानेमे कोई आपत्ति न हो और जहाँ मासाहार पुसाता हो, वहाँ मैदा और पालिशदार चावलसे शायद हानि न होती हो, लेकिन हमारे देशमे, जहाँ करोडो आदमी ऐसे है जो मास मिले तो खानेमे आपत्ति नही करेगे, पर जिन्हे मास मिलता ही नही, उन्हे हाथकी चक्कीसे पिसे हुए गेहूँके आटे और हाथ-कुटे चावलके पौष्टिक तथा जीवनप्रद तत्त्वोसे वचित रखना एक प्रकारका पाप है। इस-लिए डॉक्टरो तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञोको चाहिए कि मैदे और मिलके कुटे पालिशदार चावलसे लोगोके स्वास्थ्यको जो हानि हो रही है उससे वे जनताको आगाह कर दें।

मैंने सहज ही नजरमे आनेवाली जो कुछ मोटी-मोटी बातोकी तरफ यहाँ लोगोका ध्यान खीचा है, उसका उद्देश्य यही है कि अगर ग्रामवासियोको कुछ काम देना है, तो वह यन्त्रोके द्वारा सम्भव नही है। उनके उद्धारका सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन उद्योग-धन्धोको वे अबतक किसी कदर करते चले आ रहे है, उन्हीको भली-भाँति जीवित किया जाये।

इसलिए मेरे विचारके अनुसार अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघका काम यह होगा कि जो उद्योग-धन्धे आज चल रहे है उन्हे प्रोत्साहन दिया जाये, और जहा हो सके और वाछनीय हो वहाँ नष्ट हो चुके या नष्ट हो रहे ग्रामोद्योगोको गाँवोकी पद्धतिसे—अर्थात् उस रीतिसे जिससे अनादि कालसे गाँववाले अपनी झोपडियोम काम करते आ रहे है—पुनरुज्जीवित किया जाये। जिस प्रकार हाथकी ओटाई, धुनाई, कताई और बुनाईकी क्रियाओ और औजारो मे बहुत उन्नति हुई है, उसी प्रकार ग्रामोद्योगोकी पद्धतिमे भी काफी सुधार किया जा सकता है।

एक आलोचकने यह आपत्ति उठाई है कि प्राचीन पद्धति पूर्णत. व्यक्तिपरक है, परन्तु इस रीतिसे सामूहिक कार्य कभी नही हो सकता। यह दृष्टि मुझे बडी थोथी मालूम होती है। ग्रामवासी भले ही वस्तुओको अपने झोपडोमे बैठकर बनायें, पर यह बात नही कि वे सब चीजे इकट्ठी न की जा सके और उनसे होनेवाला मुनाफा लोगोमे न बँट सके। ग्रामवासी किसीकी देख-रेखमे किसी खास योजनाके अनुसार काम करे। कच्चा माल सार्वजनिक भडारसे दिया जाये। अगर सामूहिक कार्य करनेकी इच्छा ग्रामवासियोके अन्दर पैदा कर दी जाये, तो सहयोग, श्रम-विभाजन, समयके बचाव और कार्य-कुशलताके लिए तो निश्चय ही काफी अवकाश है। आज ये सारी चीजे अखिल भारतीय चरखा-सघ ५,००० से अधिक गाँवोमे कर रहा है।

किन्तु खद्दर गाँवोके सौरमंडलका सूर्य है, और अन्यान्य विविध उद्योग इस मंडलके ग्रह है। इन उद्योगरूप ग्रहोको खद्दररूपी सूर्यसे जो गर्मी और प्राणशक्ति मिल रही है, उसके बदलेमे वे खद्दरको कायम रख सकते है। बिना खादीके अन्य उद्योगोका विकास होना असम्भव है। किन्तु मैने अपने पिछले दौरेमें देखा कि अगर दूसरे उद्योग-धन्धे फिरसे जिन्दा न किये गये, तो खादीकी अधिक उन्नति नही हो सकती। ग्रामवासियोमे अगर उनके फुरसतके समयका लाभप्रद ढगसे उपयोग करनेकी क्रियाशीलता और क्षमता उत्पन्न करनी है, तो ग्रामजीवनके सभी पहलुओका स्पर्श करना और उनमें नव-चेतनाका सचार करना होगा। इन दो सघोसे इसी बातकी अपेक्षा की जाती है।

स्वाभाविक है कि इन दोनो सघोका राजनीतिसे या राजनीतिक पार्टियोसे कोई मतलब नही हो सकता। काग्रेसने इन दोनो सघोको स्वशासी और पूरी तरह गैरराजनीतिक संस्थाएँ बनाकर मेरी रायमें अच्छा ही किया है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ और सभी समुदायोके लोग गाँवोको आर्थिक, नैतिक और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे ऊपर उठानेमे मिल जुलकर प्रयत्न कर सकते है।

मुझे मालूम है कि एक वर्ग ऐसा है, जो खादीको आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक मानता ही नही। मुझे आशा है कि इस वर्गके लोग मेरे इस कथनसे भड़क नही जायेंगे कि खादी ग्रामसेवाकी प्रवृत्तियोंका केन्द्र है। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगोका पारस्परिक सम्बन्ध बताये बिना मै अपने मनका कल्पना-चित्र ठीक-ठीक अंकित नही कर सकता था। जो लोग खादी और अन्य ग्रामोद्योगोके इस सम्बन्धको न देख पाते हो, वे दूसरे उद्योगोमें भले अपनी शक्ति लगायें। लेकिन यह काम भी वे नये संघके जरिये कर सकेगे, बशर्ते कि इस लेखमे मैने जो पृष्ठभूमि प्रस्तुत करनेकी कोशिश की है, उसको वे समझ सके।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १६-११-१९३४

४०५. पत्र : डॉ० एम० एस० केलकरको

१६ नवम्बर, १९३४

तुम्हारा पत्र मिला। मै तुम्हे पहले ही बता चुका हूँ कि सातवलेकरकी[1] चिट्ठियाँ मैने नष्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नही थी। तुम सातवलेकरसे बेकार ही नाराज हो। व्यक्तिगत रूपसे तुम्हारे विरुद्ध उन्हे कोई शिकायत नही है। अन्तत. तुममें उनकी दिलचस्पी थी इसीलिए तुम औंध गये थे। कोई आदमी अगर ईमानदारीसे कोई राय बनाये तो इसमे तुम कर ही क्या सकते हो, फिर भले ही वह राय निराधार हो। इसलिए मेरी जोरदार सलाह है कि तुम इस मामलेको मनसे

१. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर।

निकाल दो और जो काम तुमने हाथमें लिया है, उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनेमें ध्यान लगाओ।

रामदासका वजन बहुत कम हो गया है। मैंने उसे कोयम्बटूरमें प्राप्त होनेवाले निर्जीव अण्डे देना शुरू किया है। क्या तुम्हें पता है कि मैं निर्जीव अण्डे बिना कठिनाई कहाँसे प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे अहमदाबाद और पूनाके कुछ पते दिये गये हैं। अगर तुम्हें और पासकी किसी जगहका पता हो तो मैं अण्डे वहाँसे मँगाना चाहूँगा।

आँधके चीफके साथ हुआ पत्र-व्यवहार मैं वापस कर रहा हूँ।

डॉ० एम० एस० केलकर
मार्फत श्री जे० जी० गद्रे
भाटवाडी, बम्बई–४

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

४०६. पत्र: दामोदर एम० दामलेको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

'भारतमें फसलको जंगली जानवरोंसे होनेवाली हानि' विषयपर आपके प्रबन्धका मुझे कोई स्मरण नहीं है। आपका प्रबन्ध जब मिला उस समय या तो मैं यात्रामें था अथवा उपवास पर था, और इस कारण वह मेरे ध्यानसे छूट गया। मैं आपके विभिन्न प्रयोगोंको समझता हूँ। इस समय मेरा उद्देश्य इतना ऊँचा नहीं है जितना कि आपका। बढ़िया फसल उगानेके तरीकोंका मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है, और यह उस संघके कार्य-क्षेत्रसे बाहरकी चीज़ होगी जो अभी बनाया ही जा रहा है। जहाँतक जंगली जानवरों द्वारा फसलें नष्ट करनेकी बात है, यह मामला मूलत सरकार और विधायकोंके विचार करनेका है। यह मामला भी संघके कार्य-क्षेत्रसे बाहर है।

हृदयसे आपका,

श्री दामोदर एम० दामले
बी० ए०, एल-एल० बी०
बुन (बरार)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य. प्यारेलाल

४०७. पत्र : एस० एस० पाण्डेको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। योजना हो या न हो, यदि आपने प्रस्तावकी[1] गम्भीरता समझ ली है, और काम जिस ढंगसे होना है उसे ठीक समझते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उन चार चीजोंकी तरफ ध्यान दें जो पहले ही जनताके सामने हैं, यथा धानकी हाथ-कुटाई, गाँवकी चक्कियोंमें आटा-पिसाई, गुडको शुद्ध और लोकप्रिय बनानेका काम और गाँवोंमें चमडे कमानेके बेहतर तरीकोंको फिरसे लागू करनेका काम।

हृदयसे आपका,

श्री एस० एस० पाण्डे
बी० ए०, एल-एल० बी०
वकील, खण्डवा (म० प्रा०)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

४०८. पत्र : सुधीरचन्द्र घोषको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

जब मैं उडीसामें था, उस समय मुझे आपके आश्रमके बारेमें क्या कुछ पता था? कितने दिनोंसे आप काम कर रहे हैं? क्या आपका गोपबन्धु बाबूके साथ सम्पर्क है? आपके कार्यकर्त्ता कौन हैं?

हृदयसे आपका,

श्री सुधीरचन्द्र घोष
अरिलो सेवाश्रम, गाँव उसूमा
फुलनाखारा पी० ओ०
जिला कटक

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. देखिए "भाषण: अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २४-१०-१९३४।

४०९. पत्र : डॉ० वी० सुब्रह्मण्यम्‌को

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉक्टर,

मुझे आपके पत्रकी प्रतीक्षा थी, और वह आ गया है। निश्चय ही मैं ग्रामसेवाके क्षेत्रमे आपसे बहुत-कुछ करनेकी आशा करता हूँ। क्या आपने गाँवोंमें चक्की, धानकी हाथ-कुटाई, तेल निकालनेका कोल्हू और अन्य ऐसी ही सीधी-सादी चीजें फिरसे शुरू करवानेका काम आरम्भ कर दिया है? जिन गाँवोंपर आप ध्यान दे रहे हैं, उनके उद्योगोंकी आपको गणना करनी चाहिए और आज जिस गिरी हुई अवस्थामें ये गाँव पहुँच गये हैं, उससे उबारकर उन्हें छोटे-छोटे उद्योगोंवाले व्यस्त छत्ते बना दीजिए।

हृदयसे आपका,

डॉ० वी० सुब्रह्मण्यम्
हरिजन सेवाश्रम
सीतानगरम्, वाया कोव्वूर
पश्चिमी गोदावरी जिला

अंग्रेजी प्रतिसे प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य. प्यारेलाल

४१०. पत्र : हिल्डा कैशमोरको

१६ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

तुम्हारा बिना तारीखका पत्र मिला। मैं तुमसे और कुमारी डोरोथी हरसीसे अगले ४ दिसम्बरको तीसरे पहर ३.३० बजे मिलकर बहुत प्रसन्न होऊँगा। आशा है, समय तुम्हें अनुकूल रहेगा।

हृदयसे तुम्हारा,

कुमारी हिल्डा कैशमोर
फ्रेंड्स सेंटर
इटारसी (म० प्रा०)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४११. पत्र : प्रिस पीपुल ऐंड कं० के प्रबन्ध निदेशकको

१६ नवम्बर, १९३४

महोदय,

आपके इसी ११ तारीखके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि क्या काम आप पहले ही कर चुके हैं, और चक्की-पिसे आटे, हाथ-कुटे चावल और गाँवमें बने गुड़को अपने निजी इस्तेमालमें लाने, और जो गाँव आपकी देखभालमें हैं, उनमें उनका इस्तेमाल शुरू करवानेकी दिशामें आप क्या-कुछ कर सकते हैं। मैं आपकी कम्पनीका संविधान भी देखना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

प्रबन्ध निदेशक
प्रिंस पीपुल ऐंड कं०
दरभंगा

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४१२. पत्र : माणेकलाल और राधा कोठारीको

१६ नवम्बर, १९३४

चि० माणेकलाल और राधा,

तुम दोनोंके पत्र मिले हैं। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए सुखमय हो। रामदास यहाँ आ गया है। कह सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य पहलेसे बेहतर है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत माणेकलाल
खीरसरा
राजकोटके रास्ते
काठियावाड़

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

४१३. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय भाई,

यद्यपि हमारे हृदय एक है, फिर भी हम विचार और कार्यकी अलग-अलग दुनियामे रहते जान पड़ते है। इस बातको सोचकर इधर कुछ दिनोसे मेरा मन बहुत परेशान रहा है। अभी-अभी नागपुरमे मुझे भारत सेवक समाजकी शाखाकी ओरसे एक पत्र मिला है जिसमें मुझे ग्रामोद्योग-कार्यमे पूरा-पूरा सहयोग देनेका आश्वासन दिया गया है। मै नही जानता कि यह कहाँतक सम्भव हो सकेगा। लेकिन सहयोगका प्रस्ताव पूरे दिलके साथ रखा गया है और ग्रामोद्योग-कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका अवसर आनेपर यदि हममे सहमति हुई तो मै इस प्रस्तावका पूरा-पूरा लाभ उठाऊँगा। लेकिन मै निश्चित रूपसे यह नही जानता कि आप इस तरहके सहयोगका समर्थन करेंगे अथवा नही। मै यह भी नही जानता कि गाँवकी आटा पीसनेकी चक्की और धान कूटनेकी ओखलीको फिरसे अपनानेका हमारा जो आन्दोलन है, वह आपको किस हदतक पसन्द आयेगा।

मै यह पत्र केवल अपने विचारोसे आपको अवगत करानेके लिए और यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मै जो अनेक प्रवृत्तियाँ चलाता हूँ, उनमे कही-न-कही मै आपका सहयोग भी चाहता हूँ। लेकिन मै आपसे ऐसा कुछ नही करवाना चाहता जिसे आपकी विवेक-बुद्धि पूरी तरह स्वीकार न करती हो। आप इतने सच्चे है कि आप अपनी विवेक-बुद्धिके विपरीत कुछ नही करेगें और मेरे लिए आपके सहयोगकी उतनी कीमत नही है जितनी आपकी सचाई की।

सप्रेम[1],

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री, पृ० २७२

१. गांधीजीको भेजे गये २३ नवम्बरके अपने उत्तरमें श्रीनिवास शास्त्रीने लिखा : "मैंने आपके पत्रकी प्रतियाँ अपने चन्द निकटतम सहयोगियोंके पास भेजी हैं। इस समय सहयोगकी जो सम्भावना दिखाई देती है यदि उनके पत्रोंसे मुझे उससे अधिक आशा दिखाई दी तो मैं आपको फिर पत्र लिखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप आधुनिक सभ्यताके विरुद्ध कभी न खत्म होनेवाला और अव्यावहारिक युद्ध चला रहे हैं। बहुत समय पहले आपने अपने-आपको इसका घोर शत्रु सिद्ध किया था और अब भी यदि सम्भव हो तो आप सदियोंसे चली आ रही इस आधुनिक सभ्यताका रुख मोड़ देना चाहेंगे। इसके विचारमात्रसे ही मेरा सिर चकरा जाता है।

हम दोनोंके दिलोंमें एक-दूसरेके प्रति जो गहरा प्रेमभाव है, वह हमें कभी-कभी एक-दूसरेके निकट लाता है, लेकिन यह जीवन तो लापरवाह है और वह हमें निर्दयतापूर्वक एक-दूसरेसे जुदा कर देता है।"

४१४. पत्र : मंजर अली सोख्ताको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मंजर अली[1],

इधर मेरा पोस्टकार्ड गया और उधर तुम्हारा पत्र आया। बड़ी अजीब बात है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुमने सुन्दरलालको प्रेरित किया था। क्या मैं उसकी असयतताको नहीं जानता हूँ। उसके पत्रसे मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उसने तुम्हारी सेवाओंके साथ-साथ अपनी सेवाएँ भी अर्पित की है। अत. मैंने उससे कहा कि मुझे तुम दोनोंपर यकीन नहीं है कि तुम नीरस शारीरिक श्रम कर सकोगे, लेकिन मेरी शका यदि गलत सिद्ध हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। जवाबमें उसने लिखा कि अपनी सेवाएँ अर्पित करनेका उसका कभी कोई इरादा नहीं था। हाँ, तुम्हारे जानेमें अगर सहूलियत होती हो तो वैसी सूरतमें वह जरूरी होनेपर आनेको तैयार था। अतः मैंने तुम्हें वह पोस्टकार्ड लिखा जो आशा है, तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हारा उन्नावका पता न जाननेके कारण मैंने उसे उमा नेहरूकी मार्फत भेजा है। अगर तुम नीरस शारीरिक श्रम बिना थकानके कर सको तो मैं तुम्हें जुएमें जोतनेको तैयार हूँ, और अगर तुम यह समझनेके लिए यहाँ आना जरूरी समझते हो कि तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम आ सकते हो। किन्तु यदि तुम चीजको समझ गये हो तो तुरन्त काम शुरू कर दो, जैसाकि मेरे वक्तव्यको[2] पढ़नेके बाद बहुतोंने किया है। मैंने जिन चार चीजोंका सुझाव दिया है, उनके रूपमें मैंने पर्याप्त आरंभिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है। यदि इसे उत्साहपूर्वक अमलमें लाया जाये तो किसी विशेष प्रयत्नके या कौतुकपूर्ण प्रदर्शनके बिना ही गाँववालोंकी जेबोंमें कुछ करोड़ रुपये पहुँच जायेंगे।

श्री मंजर अली
"दूधकी कोठी"
गंगाघाट (जिला उन्नाव)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध समाजसेवी, और गांधीजीके निकट सहयोगी, जिन्होंने जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेशमें एक आश्रमकी स्थापना की थी।

२. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४

४१५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय जयरामदास,

तुम्हारा पत्र मिला। सेठ शिवरत्नको लिखनेसे पहले मैं तुम्हारे पत्रकी या तुम्हारे आनेकी प्रतीक्षा करूँगा।

तुम्हारे पत्रसे मैं यह मान रहा हूँ कि सन्तराम कमलानीसे बिलकुल मिला ही नहीं और कमलानीसे मिलनेसे पहले ही वह मीराबहनके साथ जहाजपर रवाना हो गया है। मुझे खुशी है कि आनन्द मुक्त है।

गिडवानीके[1] बारेमें मुझे बुरी खबर मिली है। गंगाबहनने एक करुण पत्र लिखा था। जवाबमें मैंने एक तार भेजा था, और अब मुझे गिडवानीने पूरी बात लिख भेजी है। कोई खतरेकी बात नहीं लगती, लेकिन वह बिस्तरपर पड़ा है।

आशा है, संघके प्रस्तावित बोर्डके बारेमें कुमारप्पाने तुम्हें सारी सूचना दे दी है।

मैं पूरी आशा करता हूँ कि संविधानका प्रकाशन अब शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री जयरामदास दौलतराम
बम्बई–६

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

४१६. पत्र : जे० सी० पण्डितको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। खेद है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता।

हृदयसे आपका,

जे० सी० पण्डित, बी० एस-सी०, सी० ई०
भूतपूर्व इंजीनियर, बरेली जिला-बोर्ड
डब्बी बाजार, मोहल्ला सरीन, कूचा जरग़ान
लाहौर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. चोइथराम गिडवानी।

४१७. पत्र : तारासिंहको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय मास्टर तारासिंह,

आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करता हूँ कि मैं यहाँ १५ दिसम्बरतक रहूँगा। आप जितनी जल्दी आ जाये उतना ही अच्छा है। खान साहब, उनके भाई और उनके पुत्र संयुक्त प्रान्तके संक्षिप्त दौरेके लिए यहाँसे इसी २४ तारीखको रवाना होंगे। वे ४ दिसम्बरके करीब लौटेंगे। खान साहब मेरे साथ लगभग चार दिन ठहरकर शायद बंगाल जायेंगे।

हृदयसे आपका,

मास्टर तारासिंह
२२, एलफिंस्टन सर्किल
बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य. प्यारेलाल

४१८. पत्र : पंचानन बसुको

१७ नवम्बर, १९३४

प्रिय पंचानन,

तुम्हारा १३ नवम्बरका पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। मैं तुमसे और आगेकी बात सुननेकी अपेक्षा करता हूँ। बेशक, तुम जो भी काम कर सकते हो, वह सब मैं तुमसे लूँगा। मैं तुम्हारा पत्र श्रीयुत कुमारप्पाको भेज रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पंचानन बसु
खादी मण्डल
ई० ७५, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

४१९. पत्र : क० मा० मुन्शीको

१७ नवम्बर, १९३४

भाई मुन्शी,

तुमने मेहनत करनेमें कोई कोर-कसर नही की है। देखना, बीमार न पड़ जाना। उम्मीद है, तुम्हे ज्यादा खर्च नही करना पड़ा होगा। यदि तुम दोनो जीतो तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तुम्हारी विजय[1] तो निश्चित ही जान पड़ती है।

मैं लीलावतीकी प्रतीक्षा करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

सविधानको जितनी जल्दी अन्तिम रूप दिया जाये, उतना अच्छा है।

श्री क० मा० मुन्शी, एडवोकेट
वसन्तविलास
रिज रोड, बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६१) से; सौजन्य: क० मा० मुन्शी

४२०. पत्र : हीरालाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारे लिये यह चीजें हैं

(१) नीमुके साथ रहना
(२) जानकीबहनके साथ रहना
(३) जमनालालजीके बगीचेकी कोई कोटडीमे रहना
(४) इर्द गिर्दकी किसी देहातमें रहना
(५) सुरेन्द्रके पास रहना यदि वह राजी होगा तो
(६) नारणदासके पास रहना
(७) खुर्जा भाईओंके साथ रहना

१. केन्द्रीय विधान-सभाके चुनावमें।

इतनी चीजोंमें से कुछ भी पसंद करो। संभव है कि सातवी चीज सबसे अच्छी हो। कुदरती तो है ही। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुमारा श्रेय कुटुंबके वियोगमें ही है। साथका खत[1] भाईको भेज दो।

बापुके आशीर्वाद

बापुकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११६-७के बीच प्राकशित अनुकृतिसे।

४२१. पत्र : बिहारीलाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

भाई बिहारीलाल,

आप [रु] १०० तारसे शर्माको भेजे है।[2] मुझे बिलकुल अच्छा नही लगा है। शर्माका सब खर्च यहीसे निकालनेमे कोई दुस्वारी न थी। और न है। लेकिन आप वगैर कष्टके शर्माका खर्च उठा सकें तो मै इतने पैसे फेंक देना भी नहो चाहता हूँ। मुझ तो औरभी पैसे चाहीयें — जो दे सकते है उनके तर्फसे। शर्म्माकी कोई चिता न करें। यद्यपि उसका केस कठिन तो है ही। लेकिन वह सच्चा है इसलिए सब खेर है। बताओ तारस पैसे क्यो भेजने पडे। द्रौपदी और लडकोंके हाल भेजो।

बापुके आशीर्वाद

बापुकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८–९के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. साबरमतीसे वर्धाके लिए रवाना होनेसे पूर्व हीरालाल शर्माने खुर्जा जानेके लिए अपने भाईसे कुछ रुपये भेजनेका अनुरोध किया था।

४२२. पत्र : हीरालाल शर्माको

१७ नवम्बर, १९३४

चि० शर्म्मा,

खुशीसे कल शामको उत्तर दो।[1] भले उससे भी बाद।

कौनसे ८ के ११ माह बना दूं? जो हो सो बनाया समजो।[2]

भाईजीके पत्रमे वृद्धि कर दी है। और तुम कर लो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४२३. पत्र : एच० पी० मोदीको

१८ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

यह रही सहायताके लिए एक और अपील, जो केवल मिलें ही दे सकती हैं। इस बार यह पुकार संकटग्रस्त असमसे आई है। संलग्न पत्र सारा हाल खुद ही कह देगा। असमसे प्राप्त पूर्ण वक्तव्यके साथ ही आपको उसका एक सार-संक्षेप भी लगा हुआ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि एसोसिएशनकी ओरसे कम्बल भेज दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० पी० मोदी
मिल-मालिक एसोसिएशन
बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए पत्र : हीरालाल शर्माको", १७-११-१९३४।

२. देखिए पिछला शीर्षक जिसमें महीनेका अंक '८' के स्थान पर '११' कर दिया गया है।

४२४. पत्र : जे० एल० गोहीनको

१८ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। अब मुझे अण्डोका पार्सल मिल गया है, धन्यवाद। हालाँकि आपने अण्डोके लिए कोई बिल नही भेजा है, फिर भी मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे यह सूचित करे कि अण्डे किस मूल्यपर बेचे जाते है। अण्डोका डिब्बा मैं यथाशीघ्र वापस भेज दूंगा।

मुझे आपका दूसरा पत्र मिला है। कृपया आप अपने शिष्योको मेरा अभिवादन कहे। मुझे आशा है कि वे कुशल कार्यकर्ता बनकर निकलेगे। अगर आप मुझे बाकायदा बिल भेजें तो मै चाहूँगा कि जबतक मैं और कोई सूचना न दूं तबतक आप मुझे प्रति सप्ताह अट्ठारह अण्डे भेजते रहे। इस पत्रको पानेके बादसे ही आप उन्हे भेजना शुरू कर सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एल० गोहीन
सांगली इंडस्ट्रियल ऐंड एग्रिकल्चरल स्कूल
अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन
सांगली (एम० एस० एम० रेलवे)

अग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४२५. पत्र : नारणदास गांधीको

१८ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

साथके पत्र पढकर हरिलालको दे देना। तुम उसे जो देना उचित समझो, वह समय-समयपर उसे देते रहना।

ग्रामोद्योगकी नई योजनाके विषयमें, तुम्हे कुछ कहना हो तो कहना। वहाँका काम कैसा चल रहा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२३ से भी; सौजन्य: नारणदास गाधी

४२६. पत्र : जमनालाल बजाजको

१८ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे कानके बारेमे चिन्ता है। . .[1] उसके बारेमे विचार करना पड़ता है, इतना ही है। क्या हुआ है सो समझ नही आता। मै दुखी नही हूँ, न ही मुझे चिन्ता है। अँधेरा-सा दिखाई देता है। यह बिखर जाये तो मुझे सन्तोष हो जाये। बाकी तो जो होना होगा सो होगा। मैंने दोनो डॉक्टरोको पत्र भेजे थे। उनका जवाबतक नही आया। ऐसा क्यो?

अब रही बात उद्योग-संघकी . . .[2]। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मगनलाल-स्मारकके लिए तुमने जो मकान बनवानेकी बात सोची थी, उसके सम्बन्धमे फिलहाल तुम्हारी क्या इच्छा है सो मै नही जानता। . . .[3] वह स्मारक इस कल्पनाके साथ सगत . . .[4] ऐसा मुझे लगता है। हर गाँवमे . . .[5] क्योंकि वर्धामें . . .[6] प्रदेशमे गाँव, बहुत . . .[7]। हवा भी अच्छी है। भौगोलिक दृष्टिसे यह हिन्दुस्तानके मध्यमे स्थित है। रेलकी सुविधा है। इस दृष्टिसे मुझे वर्धा अच्छा लगता है। तुम यहाँ हो, इसका भी मुझे लोभ होता है। लेकिन मै तुम्हे बीचमे नही डालना चाहता। तथापि, मै ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि तुम सब तो हो ही। इस दृष्टिसे विचार करके तुम जिस निश्चयपर पहुँचो, सो लिखना।

गनीके बारेमें रामेश्वरका तार मिला है। . . .[8]

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे पत्र . . .[9]

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४२

१ से ९. साधन-सूत्रमें यहाँ शब्द छूटे हुए हैं।

४२७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१८ नवम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारे तीनो पत्र पढ़कर देखता हूँ कि तुम्हारे सामने ग्रामोद्योग-संघका स्वरूप खडा नही हुआ है। इसके पीछे आशय यह है कि जो चीजे गाँव पैदा कर सकते हो, हमे गाँवोसे ही खरीदनी चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो कुछ अशोमें हम गाँवोका कर्ज चुका सकते है। यह अलग सवाल है कि हम ऐसा कर सकेगे या नही। हमें यह मानकर नही चलना है कि नही कर सकेंगे। हम छ या सात जनोने जिस चीजको शुरू किया, वह व्यापक वस्तु बन गई है। मै जो कह रहा हूँ, यदि वैसा करना हमारा धर्म हो, तो हम सबको देहाती कागज इस्तेमाल करना चाहिए। देहाती कलम, देहाती स्याही, देहाती चाकू, देहाती साबुन, देहाती गुड-शक्कर, देहाती आटा, और देहाती चावल वगैरह ही उदाहरणस्वरूप है। ऐसा हो सकता है कि इनमे से बहुत-सी बाते हम न करे। परन्तु यदि हम यह मान ले कि ऐसा करना हमारा धर्म है तो करोडो रुपये ग्रामवासियोके घरोमे आयेगे और गाँवोका मूल्य बढ़ेगा। तभी हमारे सपनोका ग्राम-स्वराज्य प्राप्त होगा और वही अहिंसक स्वराज्य माना जायेगा। इतनेसे सब-कुछ समझा जा सकता है।

इस संघमे यदि चौबीसो घटे काम करनेवाले पाँच-सात व्यक्ति हो तो ही यह संघ चल सकता है। इसमें मै ऐसे व्यक्तियोको खीचनेका प्रयत्न कर रहा हूँ जो दिल-दिमागसे काग्रेसी हो, परन्तु कांग्रेसी कहलाते न हो। वैसे कुछ-एक काग्रेसियोकी जरूरत तो पडेगी ही। जयरामदासको इसी आशासे खीचता हूँ कि राजेन्द्र बाबू और तुम उन्हे मुक्त कर सकोगे और वे मुक्त होनेके लिए राजी होगे। अगर वे यह काम न कर सकें तो वे हमारे कामके नही होगे। खानसाहबके साथ भी मै इस सम्बन्धमे बातचीत कर रहा हूँ। पता नही जालभाई क्या कहेगे। वे न आयें तो खुर्शेदको बुलानेकी इच्छा है। मै तो ऐसे सपने देखता हूँ। अब चाहे वे सच्चे हो या न हो। उनमे मै मनकी शान्ति प्राप्त करता हूँ। अब तुम्हारे पास अवकाश हो तो आ जाओ। नाकका इलाज पहले करानेकी आवश्यकता है। गुजरातके कार्यकर्ताओमे से कितनोको इस काममे लगाऊँ? रावजीभाईने अर्जी भेजी है। मैंने लिखा है कि वह मुक्त हो जाये तो भी तुम्हारी मजूरी मिलनेपर ही वह आ सकते है। केन्द्रके बारेमे भी हमे विचार करना होगा।

चुनावके परिणाम तो सचमुच आश्चर्यजनक रहे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २; सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४१-२

४२८. हीरालाल शर्माको लिखी पर्ची

[१८ नवम्बर, १९३४][1]

चि० शर्मा,

आज जानेका मोकूफ किया जाये।[2]

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२० के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

४२९. हीरालाल शर्माको लिखी पर्ची

[१८ नवम्बर, १९३४ के पश्चात्][3]

मुझे गुस्सा नहीं है।[4] जबतक म तुमको पुत्र मानूं तबतक तुमारे पर गुस्सा करना पाप है। हा रंज हुआ और अपनी जिम्मेदारीका ख्याल हुआ।

मेरा स्वभाव ऐसा है कि तुमारा 'केस'[5] मेरे लिए स्वराज्यके मसले जितना ही वजन रखता है।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० ११८-९ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. हीरालाल शर्माने यही तारीख दी है।

२. हीरालाल शर्माने उसी दिन खुर्जा जानेके लिए गांधीजी की इजाजत माँगी थी।

३. साधन-सूत्रके यह पिछले शीर्षकके पश्चात् लिखा गया था।

४. हीरालाल शर्माने अपने भाईसे रुपये मँगवाये थे जिसके कारण गांधीजी गुस्सा हो गये थे: देखिए "पत्र: विहारीलाल शर्माको", १७-११-१९३४।

५. हीरालाल शर्माने गांधीजीसे पूछा था कि भाईको लिखे पत्रमें 'केस' शब्दसे उनका क्या अर्थ था। देखिए "पत्र. विहारीलाल शर्माको", १७-११-१९३४।

४३०. पत्र : पी० एन० राजभोजको

१९ नवम्बर, १९३४

प्रिय राजभोज,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हे पहले ही जो-कुछ लिख चुका हूँ, उसके आगे मुझे और कुछ नही कहना है। मैं तुम्हे पूना-नगरपालिकामें प्रवेश करनेकी सलाह नही दे सकता। मै फिर कहूँगा कि तुम्हे कोई रचनात्मक-कार्य स्वय करना चाहिए, और इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए किसी धन्धेमे निपुणता प्राप्त करनी चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पी० एन० राजभोज
२०७ घोरपड़े पेठ
पूना-२

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४३१. पत्र : के० एस० वेंकटरमणिको

१९ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। अवश्य, मुझे आपकी पुस्तक 'कांडार – द पैट्रियट' यरवडामे मिली थी। लेकिन यहाँ उसकी कोई प्रति नही थी। यरवडामें प्राप्त सारी पुस्तकें अहमदाबाद-म्युनिसिपैलिटीको चली गईं। उस पुस्तकके कई अध्याय पढनेकी मुझे याद है। क्या आपके लिए उचित चीज यह नही होगी कि आप अपने कायल कर देनेवाले तर्कोंको कार्य-रूपमे परिवर्तित करें?

हृदयसे आपका,

श्री के० एस० वेंकटरमणि, एम० ए०, बी० एल०
एडवोकेट, शंकरपुरम्
मैलापुर, मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४३२. पत्र : जमनालाल बजाजको

१९ नवम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारी वर्षगाँठका पत्र मिला। तुम्हारा कल्याण ही है। तुम्हें बहुत दिन जीना है और बहुत सेवा करनी है। वर्धाके बगीचेकी जगह राधाकिसनने एक सस्ती जमीनकी खबर दी है।[1] मुझे लगता है, उससे काम चल जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत जमनालाल बजाज
बिड़ला भवन
माउण्ट प्लेजेंट रोड
मलाबार हिल
बम्बई–६

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १४२

४३३. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१९ नवम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

तुमारा खत मिला।

मैं कैसे कहूं मुझे क्या चाहीये? जब सो दो सो, हजार दो हजारकी बात रहती है तब तो माग लेता हू। यह ग्राम उद्योगका बहुत बड़ा काम लेकर मैंने निजी हाजत बड़ा दी है। इसलिये मैं तो यह कह सकता हूं दूसरा जो आवश्यक दान हो उसे बाद कर बाकी जो रहे सो मुझे दे दिया जाय।

ग्राम उद्योगका बोर्ड बननेमें कुछ मुसीबत पैदा हो रही है। मैं बोर्ड बहुत छोटा कम से कम तीनका, ज्यादासे ज्यादा दसका, ऐसे ही आदमी चाहता हूं। जो उद्देश्यमे पूर्ण विश्वास रखते हैं, जो करीब २ अपना पूर्ण समय देवे, यह काम थोड़ी तकलीफ दे रहा है। इसमें कुछ ख्याल रखते हो?

१. मगनवाड़ी।

राजकुमारी अमृत कुंवरको पहचानते हो?

उतमनझाई खान साहबकी देहात है। वहां जाकर बैठनेका इरादा कबसे रहा है। गुरुवारके रोज दिल्ली खत भेज दिया है।[1] जानेका कारण बताया है और पूछा है क्या कुछ हरज है मेरे सरहदी सुबेमें जानेमें। देखें क्या उत्तर आता है।

ऑपरेशनका समय क्या निश्चित हुआ?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००१ से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

४३४. पत्र: राजेन्द्रप्रसादको

१९ नवम्बर, १९३४

भाई राजेन्द्र बाबू,

तुमारा पत्र मिला। यदि वहां से निकल सकते हैं तो यहीं आ जाओ। हवा सुंदर है। आराम मिलेगा। शांति तो है ही।

एगथा हेरीसन कहती है कि उसमें सत्य है या नहीं उसका पता रिपोर्ट[2] आनेसे चलेगा। सत्यमूर्तिने तार दिया है कहीं वर्किंग कमीटीको इसी कामके लिये मिलना चाहीये। यदि अबसे ऐसी बैठकका एलान किया जाय तो शायद अच्छा हो. हमारे कुछ कहना तो अवश्य होगा ही। उसमें मुझे तो हिस्सा लेनेका नहीं रहता है। मैं जाहरमें तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा।

यहां आनेके बारेमें अभी तार भेजता हूं।

बापुके आशीर्वाद

ए० आई० सी० सी० फाइल नं० ३-ए १९३१; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

---

१. देखिए "पत्र: वाइसरायके निजी सचिवको", १५-११-१९३४।

२. संयुक्त संसदीय समिति की।

४३५. पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको

२० नवम्बर, १९३४

भाई मावलकर,

तुम सिर्फ रुपये बनानेमें लगे रहो, यह नही हो सकता। हरिजन आश्रम और गोशाला का बोझ नही उठाओगे? हरिजन आश्रम और गुजरातके हरिजन-कार्यका खर्च हमे गुजरातमे से ही निकाल लेना चाहिए। यह बात पक्की है कि इसके लिए चन्दा माँगनेके कामका बोझा सरदार पर नही डाला जा सकता। वह अपनी इच्छानुसार मदद करेगे, लेकिन इसके कारण किसी झझटमे पड़नेसे इनकार करते है। तुम्हे रणछोडलालको और शकरलालको, मै जो निमन्त्रण दे रहा हूँ, उसका अर्थ इतना ही है कि या तो तुम चन्दा इकट्ठा करो या खुद उठाओ। तुम यह नही चाहोगे कि मै इसके लिए बाहरसे भीख माँगूं। फिर मेरा भरोसा भी क्या है? बहुत जल्दी तुम और मै समझ जायेगे कि मै कहाँ रहूँगा। इसलिए थोड़ी देरके लिए पैसा कमाना बन्द करके हरिजन-कार्य और गोसेवामें समय लगाओ। फिर भी यदि मेरा अनुमान सही न हो, तुम किसी कर्जमे पड़े हो और पारमार्थिक काममें फिलहाल अपना एक क्षण भी न दे सकते हो तो मुझसे साफ-साफ कहो। फिर मै तुम्हे तग नही करूँगा। लोगोसे शक्तिके बाहर काम लेते-लेते अब मै छियासठ वर्षका हो गया हूँ। इतनी पुरानी आदत एकदम तो कैसे जा सकती है, फिर भी कुछ तटस्थता आ गयी है। सब अपनी-अपनी शक्तिके बाहर काम करें, यही सोचकर काग्रेसके बाहर आ गया हूँ। किन्तु व्यक्तिगत मित्रोसे दूर तो अभी नही हुआ हूँ। यह तो तभी हो सकता है, जब मै लिखना-बोलना बन्द कर दूं, अथवा केवल अपने समाचारपत्रोकी मार्फत काम करूँ। अभी ऐसी शक्ति नही आई है। मेरा मोह अभी शेष है, इसलिए इतने पत्र लिखता रहता हूँ। फिर भी चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे लिहाजसे कुछ न करना। यदि धर्म समझकर करोगे तो मुझे सन्तोष होगा। ऐसा ही कुछ मने रणछोड़लाल और शंकरलालको भी लिखा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४०) से।

३६. पत्र : एस० सत्यमूर्तिको

[२१ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][1]

आपका सुझाव[2] मुझे ठीक लगता है, लेकिन क्या अब मैं इन मामलोंमें एक अच्छा सलाहकार रह गया हूँ? मेरा दिमाग इन चीजोंकी तरफसे हट गया है। श्रीयुत राजगोपालाचारी वहाँ आपके निकट ही हैं। फिर अध्यक्ष महोदय हैं और सरदार वल्लभभाई पटेल हैं जो उतने ही योग्य सलाहकार हैं। फिर, डॉ० असारी भी वहींपर हैं। गलत मत समझें। मैं इनको बहुत महत्त्व देता हूँ। लेकिन फिलहाल इस समय मैं मनुष्य नहीं रह गया हूँ। ऐसे राजनीतिक मामलोंके बारेमें मुझे अपने दिमागपर जोर डालनेकी जरूरतसे मुझे बचानेकी कृपा करें।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-११-१९३४

४३७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[२१ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][3]

भाई वल्लभभाई,

मीराबहन बुधवारको वहाँ पहुँचेगी। उसका स्वागत करनेके लिए जो उचित हो करना। उसे रवाना तो उसी दिन कर देना। तुम आ सको तो साथ ही आ जाना। बोर्ड बनानेमें हमारी समस्या उलझ गई है। अध्यक्ष किसे बनाया जाये, यह बड़ा सवाल बन गया है। मेरा मन तो वर्धामें ही कार्यालय बनानेका करता है। यह प्रधान कार्यालयकी बात है। वैसे केन्द्र तो बहुत-से चाहिए। अलग-अलग जिलोंके लिए और अलग-अलग प्रान्तोंके लिए; कदाचित् अलग-अलग तहसीलोंके लिए भी। इसका दारमदार इस बातपर रहेगा कि काम किस तरह होता है। गुजरातके लिए

१. रिपोर्टपर दिनांक-रेखा "मद्रास, २१ नवम्बर" पड़ी हुई है।

२. रिपोर्टके अनुसार श्री सत्यमूर्तिने गांधीजीको तार देकर यह सुझाव दिया था कि विधान-सभाके सदस्योंकी एक बैठक शीघ्र बुलाई जाये जिसमें संसदकी संयुक्त समितिकी रिपोर्टपर तत्काल कार्रवाई करनेकी योजना बनाई जाये। देखिए "पत्र : राजेन्द्रप्रसादको", १९-११-१९३४ भी।

३. साधन-सूत्रमें २९ नवम्बर, १९३४ तारीख दी हुई है, जबकि मीराबहन बम्बई २१ नवम्बर, १९३४ को पहुँची थीं।

यह बात इसपर निर्भर करेगी कि तुम इसे कहाँतक आत्मसात् कर सकते हो। परन्तु यह तो मिलेगे तब।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४२

४३८. पत्र: अमृत कौरको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मुझे आपका अत्यन्त स्पष्ट और यथातथ्य पत्र मिला। मुझे जानकर दुख हुआ कि आपका स्वास्थ्य कमजोर है। मै ऐसे लोगोका एक दल चाहता हूँ जो अपने-आपको और अपने समयको पूरी तरह काममे लगा दे, जो बाहर निकले और गाँवोमे जाये, और जैसा हम आज करते है, उसके विपरीत अपनी आवश्यकताओको गाँवोके जरिये ही पूरा करनेका उत्तरोत्तर प्रयत्न करे। मै देखता हूँ कि मुझे आपसे इन चीजोकी अपेक्षा नही करनी चाहिए, और इसलिए मुझे आपके निकट-सम्पर्कका सौभाग्य नही मिल सकेगा। तथापि, मै आपके इस प्रस्तावका लाभ उठाऊँगा कि पंजाबमे जो आप कर सकती है, करेगी। 'हरिजन' के पृष्ठोमे जो-कुछ लिखा जाता है क्या आप उसे बराबर देखती है? अगर नही, तो मुझे लिखे। मै इन्तजाम कर दूँगा और आपको प्रतियाँ मिलने लगेंगी।

मुझे भय है कि आपके सम्मेलनके[1] समय मै कराचीमे नही होऊँगा। तथापि, मै आशा करूँगा कि लन्दनसे इतनी दूर यहाँ आनेके बाद डॉ० मॉड रॉयडेन मुझसे मिले बिना वापस नही जायेगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप भी उनके साथ आ सके तो अच्छा हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१४) से, सौजन्य. अमृत कौर। जी० एन० ६३२३ से भी।

१. अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन।

४३९. पत्र : जी० नरसिंहाचारीको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय नरसिंहाचारी,

आपका पत्र मिला। विद्यार्थी लोग पड़ोसके गाँवोमे जाकर उन गाँवोके उद्योगोका अध्ययन करे, अपने हाथो सफाई-कार्य करे, ऐसे उद्योगोकी स्थापना करे जिन्हे वे स्वयं चला सकते हो, और शहरोमें बनी चीजोके स्थानपर गाँवोमे निर्मित चीजोका उपयोग करे और इस तरह हमारी मदद करे।

कांग्रेसमे भ्रष्टाचार होनेके बारेमे मै कल्पना भी नही कर सकता और यदि कभी ऐसा हुआ भी तो मै नही समझता कि मै उसका निराकरण कर सकूँगा।

टाइपके लिए नॉर्वेके कागजका उपयोग किये जानेके बारेमे आपने जो कहा है उसके लिए मेरा इतना ही कहना है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नही हैं। किसी चीजकी अनेक प्रतियाँ निकालनी हो तो उसके लिए उपयुक्त स्वदेशी कागज हम तैयार नही कर सके है। इसलिए जहाँतक टाइपका सवाल है मै निःसंकोच भावसे उसी कागजका उपयोग करता हूँ जिसे सामान्यतया उपयोगमे लाया जाता है। लिखनेके लिए और अन्य बातोके लिए केवल स्वदेशी कागजका ही उपयोग किया जाता है और अब मै हाथका बना कागज प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४४०. पत्र : जी० मुकर्जीको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

समाचारपत्रोमे समय-समयपर जो-कुछ प्रकाशित होता रहता है, आपको उसका अनुकरण करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। मै आपको यहाँ आनेके लिए, कमसे-कम अभी कुछ समयके लिए, नही कहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री जी० मुकर्जी, एम० एस-सी०
बाँसबेरिया पोस्ट ऑफिस
हुगली जिला

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४४१. पत्र : विनोद पालको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

ग्राम-कार्यकर्त्ताओका काम यह होगा कि वे जिन गाँवोमे जायेंगे, उन गाँवोंके उद्योगोका अध्ययन करेंगे और ऐसे उद्योगोंके पुनरुद्धार-कार्यमे गाँव वालोकी मदद करेंगे जिनके द्वारा वे अपने खाली समयका सदुपयोग कर सकेंगे और एवजमें उन्हे कुछ पैसा भी मिलेगा। बेशक, जो लोग थोड़े समयके लिए काम करना चाहेंगे, उन्हे भी काम करनेका अवसर दिया जायेगा और जो लोग कार्य करके अपना योगदान नही दे सकते वे इसमे, जितना उनसे बन पड़ेगा, उतना धन देंगे।

हृदयसे आपका,

श्री विनोद पाल
१५, ब्रजनाथ मित्र लेन
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४४२. पत्र : सतीश मित्तरको

२१ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके स्नेहपूर्ण पत्र और आपकी पुस्तककी प्रतिके लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मैं यह पुस्तक अत्यन्त दिलचस्पीके साथ पढूँगा और यह मेरे लिए उपयोगी होगी। यदि आपकी पुस्तकके परिशिष्टमें कुछ नई चीजें है तो आप कृपया उसे मेरे पास भेज दे। मैं देखता हूँ कि आप बंगालकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शखकी चूड़ियोंका उल्लेख करना भूल गये है।

हृदयसे आपका,

श्री सतीश मित्तर
२, लाउडन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४४३. पत्र : नारणदास गांधीको

२१ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

आशा है, तुम गोगाला देखकर वापस आ चुके होगे। हरिलालके लिए पत्र इसीके साथ है।[1] पढ़कर उसे दे देना। यदि पाठशालामे एक कोठरी दे सको तो उसे दे देना। उसके खर्चके योग्य उसे देते रहना। फिलहाल हम पचास रुपये महीनेसे अधिक न दे। धीरे-धीरे हम इससे भी कमकी आदत डलवाना चाहेगे। उसे इसमें से कर्ज चुकानेके लिए बचाना जरूरी नही है। यदि वह दृढ हो जाये और उसपर विश्वास किया जा सके, तो सोच-समझकर उसका कर्ज चुकाना। किन्तु अभी इसमे देरी है। उसकी आँखो और दाँतोके बारेमे मे क्या किया?

. . .[2] बिलकुल कडवा बादाम निकल गई। बम्बईमें चाहे जिससे भीख माँगती फिर रही थी। सेविका बनी बैठी थी। मुझे उसके तौर-तरीके बिलकुल पसन्द नही आये। . . . ने[3] भी ऐसा ही किया। सेविका कहलाना उसका आडम्बर-भर था। . . . की[4] बडी-बडी महत्त्वाकाक्षाएँ है, किन्तु वह बहुत अस्थिर है और मनमें अभिमान भी काफी रखती है। वचनका पालन करने योग्य शक्ति कम है। कल्पनाएँ बड़ी-बड़ी करती रहती है। फिलहाल एकाध महीने यहाँ रहनेका आग्रह कर रही थी। मैंने साफ इनकार कर दिया है। यहाँसे अधिकसे-अधिक ७ ता०को रवाना होकर वह बम्बई चली जायेगी। मै इस महीने-भर तो यही हूँ। बादमें क्या होता है, कौन जाने।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१) से। सी० डब्ल्यू० ८४२४ से भी; सौजन्य· नारणदास गाधी

१. उपलब्ध नहीं है।

२, ३ तथा ४. साधन-सूत्रमें नाम छोड दिये गये हैं।

४४४. पत्र : आसफ अलीको

[२२ नवम्बर, १९३४ से पूर्व][1]

प्रिय आसफ अली,

ईश्वर महान है। इन सब विजयोके पीछे मै ईश्वरके हाथके सिवा कुछ नही देख सकता।[2] ईश्वर करे, हम इन विजयोके योग्य बने। मेरी हार्दिक कामना है कि तुम्हारी सफलताके फलस्वरूप हिन्दू और मुसलमान, इन दो भाइयोके बीच हार्दिक एकता कायम होगी।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-११-१९३४

४४५. पत्र : एम० बी० अभ्यंकरको

[२२ नवम्बर, १९३४ से पूर्व]

प्रिय अभ्यंकर,

तुम्हारा मूल्यवान तार मिला। कांग्रेस मरी नही है। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है।[3] तुम्हे अपने-आपको चुस्त हालतमे रखना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २२-११-१९३४

१. यह पत्र दिल्लीमें बृहस्पतिवार अर्थात् २२ नवम्बर, १९३४ को अखबारोंमें प्रकाशनार्थ दिया गया था।

२. आसफ अली कांग्रेसके टिकटपर दिल्ली संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रसे विधान-सभाके लिए निर्वाचित हुए थे।

३. श्री अभ्यंकर विधान-सभाके लिए निर्वाचित हो गये थे।

मैं अमृत कौरके निकट आ रहा हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८१) से।

४४९. पत्र : एस० राधाकृष्णन्‌को

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय सर राधाकृष्णन,

आपके पत्र और इलाहाबाद विश्वविद्यालयके दीक्षान्त-समारोहमें दिये गये आपके भाषणकी प्रतिके लिए आपका धन्यवाद। अपने दीक्षान्त-भाषणमें आपने मेरी जो चर्चा की है, उसके बारेमें मैंने समाचारपत्रोंमें पढ़ा है।

मुझे आपका पिछला पत्र और 'कॉन्टैम्परेरी ब्रिटिश फिलॉसफी' की एक प्रति भी मिले। मेरा खयाल था कि मैं आपको पत्रके उत्तरमें कुछ भेज सकूँगा और आपकी पुस्तक भी लौटा सकूँगा। लेकिन मुझे एक मिनटके लिए भी फुर्सत नहीं मिली। सौभाग्यसे आपने मुझे काफी समय दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं उस तारीखतक आपको अवश्य कुछ भेज सकूँगा।

प्रोफेसर सर एस० राधाकृष्णन
आन्ध्र यूनिवर्सिटी
वाल्टेयर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४५०. पत्र : सादुल्ला खानको

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय सादुल्ला खान,

आपका पत्र मिला। आपका गुड़ प्राप्त करने और उसे चखनेकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

डॉ० खान साहबके चुनावके सिलसिलेमें तो आप सबने कमाल कर दिखाया है।

श्री सादुल्ला खान
डॉ० खान साहब चुनाव बोर्ड-कार्यालय
किस्साकहानी बाजार, पेशावर शहर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४५१. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

२२ नवम्बर, १९३४

मैंने संयुक्त ससदीय समितिकी रिपोर्ट[1] नही पढ़ी है। आशा है कि मैं जल्दी ही उसे पढ सकूँगा, लेकिन मैं सार्वजनिक रूपसे उसके बारेमे कोई विचार व्यक्त करनेका इरादा नही करता।

कांग्रेससे अवकाश ग्रहण कर लेनेके बाद मेरे लिए इस समय उसके बारेमे कोई राय जाहिर करना शोभनीय नही होगा। श्वेत-पत्रके बारेमे मेरी राय सर्वज्ञात है, और उस रायको बदलनेकी मुझे जरूरत नही लगी है। इससे अधिक मैं कुछ नही कह सकता।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-११-१९३४

४५२. प्रसव-पीड़ा

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके पैदा होनेमें वहुत समय लग रहा है। मैं जनताको केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जे० सी० कुमारप्पा और मेरे पास जितना कुछ समय है वह सब हम इस काममे लगा रहे हैं। हमारे सम्मुख तीन प्रश्न हैं. केन्द्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित हो, केन्द्रीय बोर्डका गठन, और एजेंसियोका गठन।

हालाँकि ये तीनो समस्याएँ उलझानेवाली हैं, लेकिन बोर्डके गठनका प्रश्न सबसे ज्यादा परेशान करनेवाला है। कार्य बहुत बडा है। उद्देश्य महान है। आजकल केन्द्रीकरण और अत्यन्त विकसित ढगका मशीनीकरण करनेकी जो हवा चल रही है उसके सम्मुख गाँवोके पुनरुद्धारका काम कोई आसान काम नही है। इसलिए हम इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि वोर्डमे केवल कुछ थोड़े-से ऐसे उत्साही व्यक्ति होने चाहिए जिन्हे संघके कार्यक्रममे जीवन्त विश्वास हो, जिनकी इस कार्यमे रुचि हो, और जो वोर्डको यदि अपना सारा समय नही तो अधिकाश समय देंगे। हम ऐसे लोगोको खोजनेका प्रयत्न कर रहे हैं जो इस भारको वहन करनेको तैयार हो, फिर चाहे वे किसी भी दलके क्यो न हों।

जहाँतक शाखाओका सवाल है हम अस्थायी रूपसे इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि जिलोको इकाई माना जाये, जो सीधे केन्द्रीय बोर्डके प्रति उत्तरदायी होंगे। और

१. संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्ट २२ नवम्बर, १९३४ को अखवारोंमें प्रकाशनार्थ जारी की गई थी।

चूँकि सरकारी जिले क्षेत्रफल अथवा आबादीके लिहाजसे एक समान नही है इसलिए हम जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उनका उप-विभाजन करनेमे सकोच नही करेंगे। इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य तो विकेन्द्रीकरण करना और गाँववालोके साथ जीवन्त सम्पर्क स्थापित करना है। जहाँ रियासते हमे इजाजत देंगी वहाँ हमारा उनके साथ सीधा सम्बन्ध होगा। हम भौगोलिक भारतके सभी गाँवोकी सेवा करना चाहते हैं।

केन्द्रीय कार्यालयकी स्थापना कहाँ की जाये, इस प्रश्नको लेकर भी कठिनाई है। यदि सम्भव हो तो हम केन्द्रीय कार्यालयकी स्थापना प्रसन्नतापूर्वक किसी गाँवमे करना चाहेंगे। लेकिन दो विचारोने हमारे चुनावको सीमित कर दिया है। हमे जो स्वल्प धन-राशि प्राप्त हुई है अथवा जिसे देनेका हमे वचन दिया गया है, उसे हम जमीन, ईंट और गारेमें नही लगाना चाहते। इसलिए हमें अपनी पसन्द केवल उन्ही क्षेत्रोंतक सीमित रखनी होगी जहाँ माँगने-भरसे हमें हमारी जरूरतकी जगह मिल जाये। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय कार्यालय रेलवेकी मुख्य लाइनके निकट होना चाहिए ताकि वह भारतके सब भागोके लोगोकी पहुँचमे हो। लेकिन मुझे घटनाओंकी पहलेसे ही कल्पना नही करनी चाहिए। मैंने जनताको इस विषयपर बहुत-कुछ बता दिया है। जो लोग चाहे, हमें सलाह देकर हमारा मार्गदर्शन करें। हम उन सभी लोगोसे हमारे लिए ईश्वरसे प्रार्थना करनेका अनुरोध करते हैं जिन्हे हमारे इस कठिन अनुष्ठानसे सहानुभूति है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-११-१९३४

४५३. गुण्टूरमें ग्रामोद्योग

विनय आश्रम, रेपल्ले, जिला गुण्टूर, आन्ध्रदेश, के श्रीयुत सीताराम शास्त्रीने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके लिए अपने आश्रमकी समस्त सेवाएँ अर्पित करनेका प्रस्ताव किया है और लिखा है

> निम्नलिखित धन्धे मेरे ध्यानमें आये है और इनकी मैं आपसे सिफारिश करता हूँ। (१) जूता बनाना, (२) कच्ची रूईकी पिंजाई, (३) पनई ताड़के रससे गुड़ बनाना, (४) उन्नत ढंगके मिट्टीके बर्तन बनाना, (५) हाथसे कागज बनाना, (६) पत्थर तराशना, (७) हाथसे मूँगफलीके दाने निकालना, (८) सन्तरेके छिलकेसे तेल निकालना और उसकी अन्य चीजें तैयार करना, (९) पंखिया पनई ताड़के फलका संरक्षण।
>
> इनमें से दूसरे धन्धेसे खादी उद्योगको मदद मिलेगी; तीसरे धन्धेसे नशाखोरीकी समस्याको हल करनेमें मदद मिलेगी। इस जिलेमें पनई ताड़ बहुत बड़ी संख्यामें उगाये जाते है और इनके पके हुए फलोंका विश्लेषण करके पता चलाया गया है कि उसमें बहुमूल्य खाद्य-तत्त्व होते हैं। सन्तरे भी इस जिलेमें

बड़े पैमानेपर उगाये जाते हैं और सस्ते हैं। संतरेका छिलका बेकार समझ कर फेंक दिया जाता है, लेकिन वह वास्तवमें व्यावसायिक दृष्टिसे उपयोगी है। इसमें जलनेवाला एक प्रकारका तेल होता है और यह सन्तरेके छिलकेके रूपमें भी बाजारमें बिकता है। इस जिलेमें कोंडावीडु नामका एक गाँव है जो बहुत समयसे हाथ-बने कागजके लिए प्रसिद्ध है। जिला कांग्रेस-कमेटीने इस उद्योगको १९२१में पुनरुज्जीवित करनेकी कोशिश की थी, किन्तु कारीगरोंकी उदासीनताके कारण यह प्रयत्न छोड़ दिया गया। पालनाडमें एक विशिष्ट प्रकारका पत्थर मिलता है जिसे स्थानीय तौरपर ही तराशा जाता है और पेपर-वेट बनाने, फर्शपर और दीवारोंमें लगाने तथा मेजका फलक बनानेके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे साधारणतः पालनाड स्फटिक कहा जाता है। हाथसे निकाले हुए मूँगफलीके दाने दक्षिण भारतमें बिकते हैं और मशीनसे निकाले गये दानोंकी अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। जिलेके कई भागोंमें मूँगफलीकी फसल लगाई जाती है। श्री टी० रामस्वामी गुप्ता बेजवाड़ाके एक वकील हैं जिन्होंने आध्यात्मिक साधनाके लिए अपनी वकालत छोड़ दी है। मिट्टीके बर्तनोंकी किस्मको उन्नत बनानेमें उनका मुख्य हाथ रहा है, और उनके निर्देशनमें बनाये जानेवाले मिट्टीके बर्तन गाँवके कुम्हार द्वारा बनाये जानेवाले बर्तनोंसे कहीं श्रेष्ठ होते हैं।

यह प्रस्ताव कोई अकेला या अपने ढगका पहला प्रस्ताव नही है। मेरे लिए यह अत्यन्त हर्षकी बात है कि भारतके लगभग सभी भागोसे मुझे ऐसे ही बहुत-से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह प्रस्ताव सबसे ताजा है और इसमे ऐसी बहुत-से जानकारी दी गई है जो अन्य कार्यकर्त्ता मूल्यवान मानेगे। मै उन सब कार्यकर्त्ताओसे जो अपनी सेवाएँ अर्पित करना चाहते है, कहूँगा कि वे निर्देशोकी प्रतीक्षा किये बिना काम शुरू कर दें। ग्रामोद्योग-योजनाके पीछे जो विचार है, वह यह कि हमे अपनी दैनिक आवश्यकताओकी पूर्तिकी अपेक्षा गाँवोसे करनी चाहिए और जब हम देखे कि हमारी कुछ आवश्यकताओकी पूर्ति नही हो रही है तो कोशिश करके देखे कि क्या थोडी मेहनत और सगठनके जरिये गाँववाले हमारी उन आवश्यकताओकी पूर्ति कर सकते है या नही। मुनाफेका अनुमान लगाते समय हमे अपना नही, गाँववालोका ध्यान रखना चाहिए। सम्भव है कि आरम्भिक अवस्थामे हमे सामान्यसे कुछ अधिक मूल्य चुकाना पडे और बदलेमे घटिया किस्मका माल ही हमे मिले। यदि हम अपनी आवश्यकताओकी वस्तुएँ तैयार करनेवाले गाँववालोमे दिलचस्पी लेगे और इसपर आग्रह करेगे कि वे अपने उत्पादनमे सुधार करे, और बेहतर चीजे तैयार करनेमें हम उनकी मदद करनेकी तकलीफ गवारा करेगे तो सब चीजे सुधर जायेगी।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २३-११-१९३४

४५४. पत्र : एम० विश्वेश्वरैयाको[1]

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके तत्परतापूर्वक दिये गये उत्तरके लिए धन्यवाद। मै देखता हूँ कि शायद हम लोगोके विचार एक-दूसरेसे बिलकुल भिन्न है। ग्राम्य-जीवनके व्यापक अनुभवपर आधारित मेरा यह दृढ विश्वास है कि कमसे-कम अगली कई पीढियोतक हम जनताकी बढ़ती हुई गरीबीकी समस्याको हल करनेके लिए यन्त्र-शक्तिका बहुत उपयोग नही कर सकेगे। हमारी जन-संख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पास अवकाशका समय भी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थितिमे मानवशक्तिको व्यर्थ गँवाते हुए यन्त्र-शक्तिका उपयोग करना हमारे लिए आत्म-घातक सिद्ध होगा। मेहनतके बाद अवकाशका प्रश्न तब पैदा होता है जब लोग अपने व्यर्थ समयका प्रभावकारी ढगसे उपयोग करनेकी कला सीख लेते है। मेरा चूँकि यह दृष्टिकोण है अत स्टालिनके जो उद्धरण आपने मुझे भेजे हैं, उनमे मेरी कोई दिलचस्पी नही है। लेनिनका तत्सम्बन्धी ज्यादा अर्थपूर्ण उद्धरण तो मेरी दृष्टिमें और भी व्यर्थ है। इसमें आडम्बर बहुत और तत्त्व बहुत थोड़ा है। मै किसी भी ऐसी योजनाका समर्थन नही कर सकता जिसमें गाँववालोको सेनाके लिए मशीनें और अन्य सैन्य-सामग्रियाँ तैयार करनेके काममे लगानेकी बात हो। यदि भारतकी इच्छा संसारके उन क्षेत्रोका रक्तरंजित शोषण करनेकी नही है जहाँ यत्रीकरण नही हुआ है, तो वैसी दशामें भारतको अन्य देशोके आक्रमणका भय करनेकी जरूरत भी नही है। सम्भव है कि मेरा सपना कभी साकार न हो और भारत इच्छा अथवा अनिच्छासे शोपणके पापमें भागीदार बन जाये। तथापि, हिंसाकी प्रबल धाराको आगे बढनेसे रोकनेके लिए मै अपनी वह तमाम शक्ति लगा दूंगा जो मुझे ईश्वरने दी है। इस कोशिशमें यदि मै मर जाऊँ तो उसमे भी मुझे आनन्द होगा।

अपने इस दृढ विश्वास-बलके बावजूद मैं आपकी उत्कृष्ट योग्यताओ और आपके देश-प्रेमका बहुत आदर करता हूँ और चाहे मुझे आपका सहयोग प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त हो, अथवा मुझे आपके सच्चे विरोधका सामना करना पडे, मेरा यह आदर कभी कम नही होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर एम० विश्वेश्वरैया, के० सी० आई० ई०
४६ एफ० वार्डन रोड, बम्बई

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७२६) से; सौजन्य: मैसूर सरकार

१. यह पत्र १९६९-७० में नई दिल्लीमें आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनीके मैसूर-कक्षमें प्रदर्शित किया गया था।

४५५. पत्र : अमृत कौरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। समाज-सेवाका काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओके प्रशिक्षण-सम्वन्वी आपके प्रस्तावका मसौदा मैंने पढ लिया है। आपने जिस प्रकारके केन्द्रोकी कल्पना की है वैसे केन्द्र मेरे विचारसे जिला बोर्ड बिना सरकारकी अनुमतिके नही खोल सकते। लेकिन यह एक कानूनी मुद्दा है और मैं इसके बारेमे विश्वासके साथ कुछ नही कह सकता। मुझे तो आपकी योजनाके बारेमे एक ज्यादा गहरी आपत्ति है। भारतमे जिला बोर्डोका गठन कुछ इस प्रकारका है कि उन्हे ऐसी स्थायी महत्त्वकी चीजोमे कोई दिलचस्पी नही है जिनका आपने प्रस्ताव किया है। आपके ध्यानमे जो काम है, वह रास्ता तैयार करनेका काम है। यह काम मूलत सुधारकोके लिए है। इसलिए इसे गैर-सरकारी सगठनोको ही हाथमे लेना होगा। और जब वे इन प्रशिक्षण-केन्द्रोको सफलतापूर्वक चलाकर दिखा देगे तव जिला-बोर्डो आदि सरकारी संगठनोंके लिए इसे हाथमे ले लेना सरल होगा। अगर मैं आपका उद्देश्य सही समझा हूँ तो आप चाहती है कि गाँवोंको नवशक्ति प्रदान की जाये। सामान्य प्रवृत्ति इससे ठीक उल्टी है। इसलिए आप और मैं जिस ढगसे चाहते है उस ढगसे न तो जिला-बोर्ड और न सरकार ही इस चीजको चलायेगे। अच्छा हो कि हम लोग शीघ्र मिल सके।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१५) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३२४ से भी।

४५६. पत्र : सी० एस० मसेकरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मसेकर,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। ग्रामोद्योगका कार्य केवल दलित वर्गोंके उद्योगोको बढावा देना नही होगा, बल्कि उसका कार्य गाँवोके सभी उद्योगोको बढावा देना होगा। स्वाभाविक है, कि इस योजनामें दलित वर्गोंको सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया जायेगा; लेकिन यह उन गाँववालोको दिया जायेगा जिनका शहरके लोगो द्वारा शोषण किया गया है। योजना अभी तैयार की जा रही है। यदि आप कोई राय देना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति किसी राजनैतिक आन्दोलनसे सम्बन्धित अथवा उससे वचनवद्ध नही होगा। विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओसे प्रभावित लोगोका इसमे सहायकों अथवा परामर्शदाताओ अथवा सहयोगियोके रूपमें स्वागत किया जायेगा, बशर्ते कि वे इस योजनाका जो मुख्य उद्देश्य है उसके अनुरूप कार्य करनेको तैयार हो। इस योजनाका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यो द्वारा ग्रामोद्योगोको प्रोत्साहन देना और भारत तथा भारतसे बाहर मशीनी उद्योगोके विरुद्ध प्रचार करना है।

आशा है कि इसमें आपके सभी प्रश्नोके उत्तर आ जाते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री सी० एस० मसेकर
अवैतनिक मन्त्री
गुजरात दलित वर्ग-संघ
३१, लेमिंग्टन रोड, बम्बई–७

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४५७. पत्र : दुर्गाबाई जोशीको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय दुर्गाबाई,

मै देखता हूँ कि मै बहुत बडी गलती कर बैठा हूँ। मुझे सीधे आपको पत्र लिखना चाहिए था। तब कोई गलतफहमी पैदा न होती। लेकिन चूँकि मुझे जमनालालजीके साथ आपके घनिष्ठ सम्बन्ध होनेकी बात मालूम थी और चूँकि मै बहुत ज्यादा कामके बोझसे लदा हुआ था और अभी भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि राधाकिशनको आपको पत्र लिखनेके लिए कहनेमे कोई हर्ज नही है, और वह भी औपचारिक रूपसे नही बल्कि एक सहयोगी कार्यकर्त्ताके रूपमे। लेकिन इस मामलेमे उचित कार्य-पद्धति न अपनानेके लिए मै क्षमाप्रार्थी हूँ। इससे पता चलता है कि जिसे हम छोटा रास्ता समझते है वह अन्ततः सबसे लम्बा रास्ता सिद्ध होता है। अब आप मुझे क्षमा करे। सफाईमें आपने जो-कुछ कहा वह मै समझता हूँ और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी होती है कि जिस नौजवानके एक साल व्यर्थ जानेकी बात कही गई थी उसे अन्तत एक साल नही खोना पड़ा। सौभाग्यसे जिस समय मैंने राधाकिशनको आपको लिखनेके लिए कहा, उसी समय मैंने विले पार्लेके स्थानीय संघके मन्त्रीसे भी पूछताछ की। मन्त्रीने उस नौजवानसे भेट की और उन्हे पता चला कि खुशकिस्मतीसे उसका साल बरबाद होनेसे बच गया है। खैर, अन्त भला तो सब भला। इसलिए मै चाहूँगा कि आप अपने हृदयसे मेरी अशिष्टताको भुला दे।

हृदयसे आपका,

श्रीमती दुर्गाबाई जोशी
बरार प्रान्तीय हरिजन सेवक-संघ
अकोला (बरार)

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४५८. पत्र : डॉ० एम० एस० केलकरको

२३ नवम्बर, १९३४

आपका पत्र मिला। यदि आपको दूध और अण्डेके बीच क्या फर्क है, यह बात मालूम है तो मैं चाहूँगा कि आप वह मुझे बताये। जब आप किसीको अण्डा खिलाते है तो किस तरहसे खिलाते है? अगर मैं भूल नही कर रहा हूँ तो मनुके मामलेमे आप कच्चे अण्डोमें पानी मिलाकर देते थे। शरीरपर अण्डोका क्या असर होता है? क्या वे बहुत गर्म होते है? और वे कितनी मात्रामें लेने चाहिए?

मुझे भय है कि हरिजन सेवक-सघ आपको ५०० रुपये दानमे नही देगा।

सातवलेकरके बारेमे जो अनुच्छेद है उसमे कोई वजन नही है। उनके पास आपका अहित करनेका कोई कारण है?

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य. प्यारेलाल

४५९. पत्र : कोण्डा वेंकटपय्याको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय वेकटपय्या,

श्री जगैया द्वारा भेजे संतरे मिल गये हैं। सन्तरोके लिए कृपया उन्हे धन्यवाद कहना। वे जब भी अपने बागके सतरे भेजना चाहे उन्हे पाकर मुझे खुशी होगी। जैसाकि तुम जानते ही हो, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, और जब कभी हमें फल मिलते हैं तब हम उनके साथ पूरा-पूरा न्याय करते हैं।

हाँ, विधान-मण्डलोके चुनाव तो निश्चय ही आश्चर्यमे डाल देनेवाले थे। दक्षिणमे [काग्रेसको] १०० प्रतिशत सफलता मिली है और उसका बहुमत रहा है, इस तरह दक्षिणका स्थान प्रथम रहा है। साथ ही यह सत्य और बलिदानकी अचूक सफलताका परिचायक है।

आशा है, तुम और तुम्हारे परिवारके लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं।

यह पत्र लिखाते समय मुझे पता चला है कि जिसे तुम सतरे कहते हो वे खट्टे नीबू हैं और ये मीठे संतरो-जैसे अच्छे नही होते।

तुम्हारा,
बापू

श्री कोण्डा वेंकटपय्या
गुण्टूर (एम० एस० एम० रेलवे)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

४६०. पत्र : जी० डी० कुलकर्णीको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इसमे जो बाते कही गई है वे एक-दूसरेके विपरीत जान पड़ती है। सबसे पहले तो आप यह चाहते है कि मै अपने आत्म-निग्रहके कार्यक्रमको आगे बढाऊँ तथा दूसरी ओर आपकी यह इच्छा है कि मै इन्द्रियोका आनन्द लूँ। अबतक मुझे ऐसी कोई चीज नजर नही आई है जो मेरे इस विचारको बदल सके कि सन्तति-नियमनके जो वर्तमान साधन है उससे अन्तत जनता अधोगतिको प्राप्त होगी और उसमे जडता आयेगी। यद्यपि मुझे उप्टन सिक्लेयर और उनके जीवन-दर्शनमे बहुत विश्वास है तथापि मुझे उनके निर्लज्ज भावसे सन्तति-नियमनके साधनोको प्रोत्साहन देनेकी बात बहुत भयानक लगती है।

हृदयसे आपका,

श्री जी० डी० कुलकर्णी
अवैतनिक व्यवस्थापक
सन्तति-नियमन लीग, पूना

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४६१. पत्र : ईस्टर्न स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेडको

२३ नवम्बर, १९३४

महोदय,

अब मै आपको सूचित कर सकता हूँ कि मालगाडी द्वारा भेजे गये खजूरोके ४२ पार्सल कल हमे मिल गये।

हृदयसे आपका,

दि ईस्टर्न स्टीम नेविगेशन क० लि०
२४, मंगलौर स्ट्रीट
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य प्यारेलाल

४६२. पत्र : एम० जी० दातारको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय दातारजी,

जमनालालजी उम्मीदसे पहले ही आ गये हैं। २६ नवम्बरसे पहली दिसम्बर तक उनके यहाँ असंख्य मेहमान आनेवाले हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि इन दिनो उन्हे कतई परेशान न किया जाये। उनकी यह भी इच्छा है कि मैं इन दिनो किसीका अतिथ्य-सत्कार अथवा किसीसे बातचीत न करूँ। इसलिए आप या तो २६ से पहले आयें अथवा पहली दिसम्बरके बाद आयें।

हृदयसे आपका,

एम० जी० दातार
तिलक विद्यालय, नागपुर

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४६३. पत्र : डी० एन० शर्माको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय शर्मा,

आपका पत्र मिला। यदि आप भंगी-परिवारोकी कर्जदारीको दूर कर सके तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

आपने एक भंगी प्रतिवादीके मामलेमें मुझे जो निर्णय लिख भेजा है वह अत्यन्त दिलचस्प है।

हृदयसे आपका,

श्री डी० एन० शर्मा
मन्त्री, एच० एस० एस०
जोरहाट, असम

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४६४. पत्र : सर रॉबर्ट मैकैरिसनको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय मेजर-जनरल,

आपके २० तारीखके पत्रके लिए आपका धन्यवाद। संघकी योजनाके पूरा होते ही आपको उसकी एक प्रति भेज दी जायेगी।

संघके सलाहकारके रूपमें अपने नामका उपयोग करने देनेके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४६५. पत्र : पियरे सेरेसोलको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय सेरेसोल,

इसके साथ श्रीमती एमा हारकरका पत्र है। वह एक बड़ी उम्रकी विधवा महिला है। वह कुछ काम करना चाहती हैं। उनके पास अपने साधन हैं। इसलिए वह अपना राह-खर्च स्वयं देंगी। क्या आप उन्हें एक कार्यकर्ताके रूपमें ले सकते हैं? बेशक, जहाँतक मैं उन्हें समझ सका हूँ वह मामूली मजदूरकी तरह कड़ा काम नहीं कर पायेंगी।[1] लेकिन इसका निर्णय आप ही करेंगे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री पियरे सेरेसोल
पटना

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र : एमा हारकरको", १९-९-१९३४।

४६६. पत्र : एमा हारकरको

२३ नवम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। मैं यह पत्र पियरे सेरेसोलको भेज रहा हूँ। मैं आपको, वे जो उत्तर देंगे, वह भेज दूंगा। उनको लिखे अपने पत्रकी एक प्रति[1] मैं इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न . १

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

४६७. पत्र : एक अंग्रेजको

२३ नवम्बर, १९३४

कांग्रेससे मेरे अवकाश-ग्रहणका आपने गलत अर्थ लगाया है। मैंने जुगुप्साके कारण उसे नहीं छोड़ा है। व्यक्तिके रूपमें कांग्रेसी लोग अच्छे और बुरे दोनों हैं। लेकिन कांग्रेस-संगठन बराबर अच्छा है। ईश्वरके बन्दे अच्छे और बुरे दोनों हैं। इसीलिए क्या ईश्वर कुछ कम अच्छा है? मैं तो उसे और शक्ति देनेके लिए हटा हूँ। मैं बेकारका एक बोझ बनकर रह गया था। इसके कारण कमसे-कम खर्चके साथ चुनावोंमें जो चमत्कार हुआ है वह क्या आपने और कहीं देखा है? नहीं, इस मामलेमें आपका पूर्वग्रह आपकी बुद्धिपर हावी हो गया है। याद रखिए कि राजेन्द्रप्रसाद, वल्लभभाई, राजगोपालाचारी, अन्सारी, महादेव और अन्य बहुत-से लोग जिनपर मनुष्य जातिको गर्व हो सकता है, उसमें शरीक हैं, उसीके हैं और उसके लिए जान न्योछावर कर देंगे।

[अंग्रेजीसे]
इंसिडेन्ट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ, पृ० ३२४-५

१. देखिए पिछला शीर्षक।

४६८. पत्र : बलीबहन एम० अडालजाको

२३ नवम्बर, १९३४

चि० बली[1],

बहुत दिनो बाद तेरा पत्र मिला। जिस समय हरिलाल मुश्किलसे ठिकाने आया जान पड़ रहा था उस समय मैंने तुझे लिखना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि किसी भी वजहसे कटुता नही आनी चाहिए। इसमे तू यह कैसे मान बैठी है कि तू मेरी बेटी नही है। हरिलाल मेरा अपना लड़का है, इसके बावजूद मैंने वर्षोंतक उसपर ध्यान नही दिया, क्या इस बातको तू भूल गई? लेकिन बहुत लोगोंने तेरा दिल दुखाया है इसलिए किसीकी छोटी-सी बातपर भी तेरे दु:खी हो उठनेकी बातको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हरिलाल भले अलग रहकर अनुभव प्राप्त करे।

कमु[2] के बारेमें तो मैं क्या कहूँ? वह तो बहुत दु:खी हुई। तुम दोनोके नसीबमे सुख नही है। इसलिए दु:खको सुख माननेकी कला तुम्हे सीखनी होगी। वह तो भगवत्-स्मरणसे ही आती है।

मनु[3] के लिए तुम्हारे मनमे कोई सुझाव है? मुझे कोई उतावली नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३५) से; सौजन्य: मनुबहन एस० मशरूवाला

४६९. पत्र : क० मा० मुन्शीको

२३ नवम्बर, १९३४

भाईश्री मुन्शी,

दु:ख नही मानना।

तुम विजयी होते तो तुम्हे मुबारकबाद देता। अब हार गये हो तो भी बधाई दे रहा हूँ। "भला हुआ जो जंजाल छूट गया, सहज ही श्री गोपाल मिल गये।"

१. हरिलाल गांधीकी साली।

२. कुमीबहन तुलसीदास मनिआर, बलीबहनकी बहन।

३. हरिलाल गांधीकी पुत्री, बादमें सुरेन्द्र मशरूवालाकी पत्नी।

तुम जंजालसे मुक्तहो गये। अव निश्चिंत होकर शुद्ध कौडी कमाओ। स्वास्थ्य सुधारो। तुम ठीक अवसरपर वाहर आये, इसीमें तुम्हारी विजय निहित थी।[1]

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६२) से; सौजन्य: क० मा० मुन्शी

४७०. पत्र : लीलावती मुन्शीको

२३ नवम्वर, १९३४

चि० लीलावती,

खवरदार! परिश्रमका फल स्वयं परिश्रम ही है। हार-जीत तो खेल है। और अनेक वार जो पराजित होता है वह जीतता है और जो विजयी होता है वह हार जाता है। गोसीवहनको लिखना तो रह ही गया। अव लिखता हूँ।[2]

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६२) से; सौजन्य: क० मा० मुन्शी

४७१. पत्र : गोसीवहन कैप्टेन[3] को

२४ नवम्वर, १९३४

लीलावती दो-तीन दिनके लिए यहाँ थी। उसने ग्राम-कार्यके वारेमें [मेरे साथ] वहुत विस्तारके साथ वातचीत की। वह इसमें गहरी दिलचस्पी लेती जान पडती है। उसने मेरे मनपर यह प्रभाव छोड़ा कि वह तुम्हारे और अन्य वहनोंके साथ काम करना पसन्द करेगी। वहुत करके वह तुमसे वात करेगी और उन सव लोगोंको इकट्ठा करनेकी कोशिश करेगी जो ग्राम-कार्यमें दिलचस्पी रखते हो। यदि ऐसा सम्भव हो तो मैं चाहूँगा कि तुम सव वहनें ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करनेकी कोशिश करो। तुम अच्छी तरहसे जानती हो कि यह कैसे किया जाना चाहिए।

१. क० मा० मुन्शीने चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया था, किन्तु के० एफ० नरीमनने आखिरी क्षण उनका नाम वापस ले लिया।

२. देखिए अगला शीर्षक।

३. दादाभाई नौरोजीकी पौत्री।

जमनालालजी मुझसे कह रहे थे कि पेरीन[1] सर्दी और जुकामसे पीड़ित थी। उसे अपने शरीरको आराम देना चाहिए और सर्दी-जुकामसे छुटकारा पाना चाहिए, फिर भले ही इसके लिए उसे पंचगनी क्यों न जाना पड़े।

श्री गोसीबहन कैप्टेन
बम्बई

अंग्रेजी प्रतिसे; प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

४७२. पत्र : किर्लोस्कर-बन्धुओंको

२४ नवम्बर, १९३४

महोदय,

आपने श्रीयुत कालेके साथ अपनी मशीन भेजनेकी पेशकश की थी। तब मैंने आपको मशीन और श्रीयुत कालेको भेजनेसे मना किया था। लेकिन मेरे मित्रोंने मुझपर इस बातके लिए दबाव डाला है कि मैं श्रीयुत कालेकी निगरानीमें स्वयं इस मशीनकी जाँच करूँ। इसलिए यदि आपकी पेशकश अभी भी कायम है तो मैं चाहूँगा कि आप जाँचके लिए मुझे एक मशीन भेज दें। और यदि श्रीयुत कालेको गाँवके औजारोंका इस्तेमाल करना नहीं आता तो मैं चाहूँगा कि आप उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति भी भेजें जो इस काममें सिद्धहस्त हो। मैं उसमें कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। यदि आप मशीन और मशीन-चालक दोनों ही भेजनेको तैयार हों तो पहली दिसम्बरके बाद जितनी जल्दी भेज सकें, भेज दें। २ दिसम्बर मेरे लिए सबसे अनुकूल रहेगा।

हृदयसे आपका,

सर्वश्री किर्लोस्कर-बन्धु
किर्लोस्करवाड़ी (सतारा जिला)

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

१. गोसीबहनकी बहन।

४७३. पत्र : देवदास गांधीको

२५ नवम्बर, १९३४

चि० देवदास,

तेरे पत्र दुर्लभ, और मेरे तो लगभग न के बराबर है।

मालूम नही मलकानीके लेख मैं कब पढ पाऊँगा। तुझे ऐसा काम मुझे नही सौपना चाहिए। काम करनेकी मेरी शक्ति कम हो गई है या फिर काम ही वढ गया है। चाहे जो हो, यह पत्र सवेरे २ १५ वजे उठकर लिख रहा हूँ। रोज इतने बजे उठता हूँ और काममे जुट जाता हूँ। सोता शायद नौ बजे हूँ।

मेरा वहाँ आनेका मन तो है, लेकिन उत्तमभाईके बारेमे क्या होता है, मेरा आना बहुत-कुछ इसपर निर्भर करता है। यहाँ अभी तो बहुत लोग इकट्ठे होगे। एसोसिएशनके सम्बन्धमे मेरा काम बहुत धीरे चल रहा है। वर्धाको केन्द्र बनवानेकी ९९ प्रतिशत सम्भावना है। वल्लभभाई आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं। मामला उनके आनेके बाद तय होगा।

रामदासका स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधर रहा है। आशा है कि उसका स्वास्थ्य पूर्णतया सुधर जायेगा। बा उसके साथ है और उसके पास ही रहती है। वह जमनालालजीके बँगलेपर रहता है। कहनेको इलाज मैं करता लेकिन वस्तुतः इलाज रामदास ही करता है। उसने अण्डा लेना शुरू किया है। वे निर्जीव होते है, अर्थात् ऐसे होते है जिनसे बच्चे कभी नही हो सकते।

हरिलालके पत्र आते रहते है। इस समय तो उसका खर्च मैं देता हूँ। वह तो बहुत उम्मीद बँधाता है और मैं आशा रखता हूँ। कान्ति तुझे पत्र लिखता होगा। तुझे हरिलाल और रामदासको [लिखना चाहिए] . . .।[1]

गुजराती प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

१. पत्र अधूरा है।

४७४. पत्र तुलसी मेहरको

२५ नवम्बर, १९३४

चि० तुलसी मेहर,

तुमारे दोनों खत बा के लिये और मेरे लिये मिले है। इस बार भी बहुत देर हुई? प्रतिमास तो लिखा करो। नैपाली कागदका दाम क्या है? हम सब अच्छे हैं। हरिजन बंद मिलता है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६५४६) से।

४७५. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको[1]

२६ नवम्बर, १९३४

हरिजन-प्रवासमें मुझे मालूम हुआ कि इर्विन-गांधी-समझौतेके अनुसार नमक-सम्बन्धी जो रियायतें दी गई थीं उनसे लोग काफी मात्रामें लाभ नहीं उठाते। मैंने देखा कि नमककी कमीके कारण गरीब लोग कितना कष्ट सहन करते हैं, यद्यपि समुद्रके किनारे कितना ही नमक उनकी आँखोंके आगे पड़ा रहता है। मंगलौरमें मल्लाहोंने इस बातकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद गत मार्चमें मैंने सरकारसे पत्र-व्यवहार किया। तत्कालीन वित्त-सदस्य सर जॉर्ज शुस्टरने तुरन्त ही मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिया और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नमक-सम्बन्धी वह धारा अभी रद नहीं हुई। अपने और सर जॉर्ज शुस्टरके बीचके पत्र-व्यवहारको मुझे बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना था, परन्तु अब मुझे देरीका कारण बतलानेकी आवश्यकता नहीं। अब मैं समझौतेकी उक्त धारा, उसके आधारपर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति[2], उसकी शर्तें तथा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ। जब इर्विन-गांधी-समझौता प्रकाशित हुआ था तो मैंने उसके नमक-सम्बन्धी अंशकी टीका करते

१. यह "गरीबोंके लिए नमक" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. यहाँ नहीं दी गई है। सर जॉर्ज शुस्टरको २८ मार्च और १४ अप्रैल, १९३४ को लिखे गये पत्रोंके लिए देखिए खण्ड ५७। विज्ञप्ति और धारा २० के पाठके लिए देखिए खण्ड ४५, पृ० ४६५ तथा खण्ड ४६, पृ० २५७-८।

हुए उसे मानवताके प्रति दयाभावसे भरा बतलाया था। लॉर्ड इर्विनने मानवताके लिए की गई अपीलका अच्छा उत्तर दिया था। जो लोग रियायतोसे लाभ उठाते है, वे इस बातका ध्यान रखे कि इससे व्यापारिक लाभ उठानेका प्रयत्न न किया जाये, चाहे वह प्रयत्न प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, और इस धाराका उपयोग केवल उन्ही हलकोंमें करें, जिनका कि सरकारी विज्ञप्तिमें उल्लेख है। काग्रेसजनो तथा उन अन्य सभी लोगोंको जो गाँववालोमें दिलचस्पी लेते है, इस बातको भलीभाँति याद रखना चाहिए कि मुफ्त नमक बनाने और इकट्ठा करनेकी रियायत किन क्षेत्रोसे हटा ली गई है। कार्यकर्त्ताओंको चाहिए कि ये रियायते फिरसे हासिल करनेके लिए वे स्थानीय अधिकारियोसे लिखा-पढ़ी करे। किन्तु अनुमति प्राप्त किये बिना इन रियायतोसे लाभ किसी हालतमें नही उठाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३०-११-१९३४

४७६. पत्र : नारणदास गांधीको

२६ नवम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। गोसेवा-सघका जो पैसा खर्च हो गया उसे गया समझो। अब उसे माँगना योग्य नही लगता। अम्बालालभाई का मन बदल गया है। कही से भी निकाले, गोसेवा-सघका घाटा तो पूरा करना पड़ेगा न? देखना, अब मावलंकर[1] और रणछोडभाई क्या मदद कर सकते है। यदि वे चन्दा इकट्ठा करें तो संघकी रकममें से बहुत नही देना पड़ेगा।

बाल-मन्दिर और कुमार-मन्दिर शालाके ही अंग है न? क्या इन दोनोका उपयोग नही है?

हरिलालके विषयमें जो-कुछ तुमने बताया वह समझ गया। मै यहाँ स्वतन्त्र रूपसे नही रहता। जमनालालजीके घरमे भी उसे नही रखा जा सकता। इसलिए यदि वह तैयार हो जाये और नियमोका पालन करने लगे तो उसका वही रहना ठीक जान पडता है।

मेरा खयाल है कि चरखा-संघ और ग्रामोद्योग-सघके दफ्तर एकसाथ नही रह सकते। ग्रामोद्योग-सघमें तो बहुत-सी तफसीले आ जायेगी, इसलिए फिलहाल तो इन दोनोंका अलग रहना ही ठीक लगता है। काम तो एक-दूसरेकी पूर्ति स्वरूप ही होगा ग्रामोद्योगका केन्द्र वर्धा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुमने जब मुझे पत्र लिखा तब तुम्हे कदाचित् मेरा वह पत्र नही मिला होगा जिसमे मैंने पूछा है कि क्या तुम्हे वहाँसे छुट्टी मिल सकती है?

१. देखिए "पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको", २०-११-१९३४।

माताजी और पिताजीको प्रणाम कहना। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, जानकर बहुत अच्छा लगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने, खण्ड २, पृ० ११७। सी डब्ल्यू० ८४२५ से भी, सौजन्य : नारणदास गांधी

४७७. पत्र : हरिदास टी० मजूमदारको

२६ नवम्बर, १९३४

भाई हरिदास,

अपने दस मुद्दोंके लिए तुमने २० पृष्ठोंकी प्रस्तावना भेजी है, यह कैसी हिंसा है? और फिर तुमने मीराबहनकी प्रशंसा की है; सो क्या तुम जो उसकी निन्दा करते हो उसे चमकानेके लिए की है? यह भी कैसी हिंसा है? और इन दोनोंको तुमने अपने हिंसासे परिपूर्ण अभिमानका मुकुट पहनाया है।

तुम्हारी कल्पनाके अनुसार मेरे जो विचार हैं उनका खण्डन तुमने अपने मुद्दो द्वारा किया है। लेकिन जब मेरे विचारोंमें और तुम्हारी कल्पनाके मेरे विचारोंमें गधे-घोड़े जैसा अन्तर हो, तब मैं तुम्हें कैसे सन्तुष्ट कर सकता हूँ?

हे ईश्वर! मित्रोंसे, अनुयायियोंसे और प्रशंसकोंसे मुझे बचाना। तुम्हारा २६ पृष्ठोंका पत्र पढ़कर यह प्रार्थना बरबस मेरे मुँहसे निकल पड़ी है। मेरा खयाल था कि इंग्लैंडमें हुई हमारी मुलाकातके बाद तुम्हारा अभिमान हलका पड़ गया होगा; किन्तु मेरी धारणा गलत सिद्ध हुई। लेकिन मनुष्य ऐसी भूलें तो करता ही रहता है।

गुजराती प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

४७८. पत्र : वी० वी० गिरिको

२७ नवम्बर, १९३४

प्रिय गिरि,

आपका तार मिला। जब करीब सभी दलोकी विजय[1] हो तब किसे बधाई स्वीकार करनी चाहिए? इससे तो कांग्रेसकी नीतिकी पुष्टि हुई है। हमपर जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हमें उसके योग्य बनना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

वी० वी० गिरि
विशाखापट्टम

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य प्यारेलाल

४७९. पत्र : के० नागेश्वर रावको

२७ नवम्बर, १९३४

प्रिय नागेश्वर राव,

वोट प्राप्त करनेकी दौड़में आपने सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको भी रुपया खर्च करना पड़ा? कितने दुःखकी बात है। आपकी जेब कितनी खाली हुई? उनके विरोधके बिना कांग्रेस लोगोंपर अपने प्रभावको नहीं दिखा सकती थी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

के० नागेश्वर राव
मद्रास

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

१. १९३४ के विधान-सभाके चुनावोंमें। इसमें कांग्रेसको ४४, मदनमोहन मालवीयके राष्ट्रवादी दल को ११, स्वतन्त्र दलवालोंको २२ और यूरोपीय गुटको ११ स्थान प्राप्त हुए थे।

४८०. पत्र : कामकोटि नटराजनको

२७ नवम्बर, १९३४

प्रिय कामकोटि,

सिंगर मशीन सिलाई करनेवाली स्त्रीका स्थान नही लेती, बल्कि उसे सीनेके लिए ज्यादा बेहतर सुई देती है। हमारे पास चावल कूटने और आटा पीसने की देहाती चक्की है। यदि कोई मुझे उससे बेहतर मशीन दे तो मै उसे आज ही ले लूंगा। मुझे आपत्ति तो आटा और चावल पीसनेकी मिलोपर है जो हजारो स्त्रियोको बेरोजगार बनाती है और उनके स्वास्थ्यका हनन करती है। आपकी दिल्ली वाली बहनको मेरा नमस्कार।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कामकोटि नटराजन
बाद्रा

अग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य · प्यारेलाल

४८१. पत्र : हीरालाल शर्माको

दुबारा नहीं पढा

२७ नवम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। तुमने फिर भी जल्दबाजी की है। कैसे जाना कि मोघेजी तुमारे हमेशाके लिये जानेको मानते थे अथवा ऐसे जानेसे खुश थे। यह भी वहम है। तुमसे लोग डरते है तो उसका कारण ही यह है कि तुम लोगो पर जल्दीसे दोषारोपण करते हैं और अपने मनमे कई प्रकारकी कल्पना करते हो। मैं यदि कमलनयनको पूछु तो अवश्य वह दूसरी बात करेगा। तुमारी सेवा भावनाके बारेमे जहा तक मै जानता हू किसीको शक नही है। तुमारे साथ गैरसमझुती हो जाती है। यह तो मै खुद देख रहा हूं। तुमने जो प्रण किया उसी पर डटे रहो। आश्रमके हो, आश्रममे

आना है, उस लिये तैयार होना है। स्टेशनकी बातको भूल जाओ।[1] और जो कुछ मुझको लिखा है सो भी भूल जाओ।

दा० शिरलेकरने कुछ भेजा नहीं है। मैं मगवाउगा। दा० अनसारीको लिखुंगा। तुमको नकल भेजुगा। किताबे भेजनेकी कोशीश कर रहा हूं।

कृष्णाकी तबीयतके हाल पढकर दुःख होता है। अब उसीका घ्यान करो और अच्छी बनाओ। अवश्य अलग मकान लेकर रहो। भाईयोको तुमारा खर्च उठानेमे कुछ भी तकलीफ हो तो मुझको लिखो।

रामदासका अच्छा है ऐसे नही कह सकता हू। तीन अडे तक पहोचा है। उसके बारेमें तुमारे कुछ कहना है तो कहो।

मेरा वजन १०८ रतल है यह अच्छा वजन है। शायद अब न बढे। कच्चे दूध और कच्ची भाजीसे लाभ यह है कि शक्ति कुछ बढी हुई लगती हे। कम खानेसे इतनी ही पुष्टी मिलती है जैसी ज्यादा दूध और भाजी खानेमे मिलती थी। जाहर है खर्च तो बहूत कम हो गया, वखत बचा और कहनेके लिये ज्यादा अनुभव होना चाहीये।

अमतुल सलाम ठीक चल रही सी लगती है। वह दूध हजम नही करती है।

तुमको मीराबहनने खत लिखा है। मेरे अति उपयोगी कागज और ऐनक ई० के दफतरकी एक गठरी उसी कोठरीमें रखी गई थी जिसमे तुमारा सामान था। उसमेंसे कुछ सामान पहले वहा भेजा गया था। उसके साथ यह बडल आया था क्या? उसका पता मिल सकता है? वह बडल सफेद खादीकी चद्दरमे बाधा गया था। तलाश करके यदि हाथ आवे तो मुझे तार दो। कागजकी चिंता रहती है।

द्रौपदीका वजन बड़ना चाहीये।

तुमने मुझे अभयदान दिया है इसलिये तुमारी चिता नही करुंगा।

[पुनश्च :]

तुमारी नोटीस आगामी हरिजनमें[2] नही आ सकती। तुमारा खत देरसे मिला।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२२-३ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. इस सम्बन्धमें हीरालाल शर्मा लिखते हैं: वर्धा स्टेशनपर विदाई देते हुए आश्रमके मैनेजरने कहा था, 'तुम रूठे हम छूटे'।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-१२-१९३४ का उप-शीर्षक "एक महत्त्वाकांक्षी प्राकृतिक-चिकित्सक"।

४८२. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको

, २८ नवम्बर, १९३४

प्रिय श्री मेविल,

मेरे इसी १५ तारीखके पत्रका तत्परतासे जवाब देनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यह कहे बिना नही रह सकता कि सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमें किया गया निर्णय मेरे लिए कष्टजनक है और उससे मेरी स्थिति बहुत अटपटी हो गई है। इस खयालसे शायद उस निर्णयको दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है।

आपके पत्रमे मुझे आशाकी एक ही किरण दिखाई देती है जिसमे मेरी यात्राको "फिलहाल इस समय" अवाछनीय बताया गया है।[१] क्या आप कृपया इसकी व्याख्या कर सकेंगे? यदि आप मेरी प्रेक्षाको अनुचित न समझे तो क्या आप कृपापूर्वक मुझे यह भी बतायेंगे कि मेरे लिए सीमा-प्रान्तकी यात्रा करना अवाछनीय क्यो माना गया है?

वाइसराय महोदयकी इच्छाका पालन करनेकी मेरी सच्ची इच्छा है, लेकिन मैंने अपने १५ तारीखके पत्रमे जो बात कही थी, उसे फिरसे दोहरानेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे — वह यह कि मैं उनकी इच्छाका पालन उसी हदतक कर सकता हूँ जिस हदतक कि एक मनुष्यके नाते मेरे लिए सम्भव होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे लगता है कि आपके पत्रमे नजरअन्दाज कर दिया गया है।[२]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ४/८/३५; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१२-१९३४ से भी।

१. देखिए पृ० ३७३ की पाद-टिप्पणी १।

२. वाइसरायके निजी सचिवने २ दिसम्बरको उत्तर दिया : "... 'फिलहाल इस समय' के मतलब है कि वाइसराय महोदयका निर्णय तबतक लागू माना जायेगा जबतक कि वह सन्तुष्ट नहीं हो जाते कि परिस्थितियाँ अब ऐसी हो गई हैं कि आपके वहाँ जानेमें कोई आपत्तिका कारण नही रह गया है। वाइसराय महोदयने हालके वर्षोंकी घटनाओं और वर्तमान परिस्थितियोंपर पूरी तरह विचार करनेके बाद यह निर्णय लिया है।"

४८३. पत्र : एस० गणेशनको

२९ नवम्बर, १९३४

प्रिय गणेशन,

हरिहर शर्माकी मार्फत मुझे आपका छोटा-सा पत्र मिलनेसे पहले ही, आपका 'कांग्रेसमैन' पढनेके तुरन्त बाद मैं आपको बताना चाहता था कि यह निरर्थक है। आपने जो लिखा है वह असन्तुलित है और अज्ञान तथा द्वेषसे भरा हुआ है। आपने राजाजी पर जो आक्षेप किया है वह अशोभनीय है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रस्तावोंका मसविदा तैयार करनेमें उनका कोई हाथ नहीं था। वह तो मैंने तैयार किया था और उन्होंने उस प्रस्तावमें कोई सुझाव नहीं दिये थे जिसकी आपने अज्ञानमें चर्चा की है। आप उन्हें केवल अपने दुःखद अनुभवोंके आधारपर ही तोलते हैं। लेकिन वैसे भी व्यक्तियों और कार्रवाइयोंके प्रति आपकी आलोचना सही किस्मकी नहीं है। अधिकांश पत्रकार चीजों और व्यक्तियोंका मूल्यांकन करके स्थितिको और भी बिगाड़ देते हैं। यदि वे घटनाओंका यथातथ्य वर्णन करें तो वे अपना काम अच्छी तरह कर सकेंगे। जब वे आलोचना करते हैं तब उनकी यह आलोचना पूरी तरहसे उन तथ्योंपर आधारित होनी चाहिए जो उन्हें मालूम हो। यदि आप एक अच्छे रचनात्मक कार्यकर्त्ता बनना चाहते हैं तो आपको अपना समय समाचारपत्रके प्रकाशनमें बरबाद नहीं करना चाहिए। आपको दोनोंमें से एक धन्धा चुनना होगा। हरिहर शर्मा मेरे सुझावोंके बारेमें आपको विस्तारसे बतायेंगे और काका साहब भी बतायेंगे जो कदाचित् मद्रास जा रहे हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४८४. पत्र : डॉ० मुख्तार अहमद अंसारीको

२९ नवम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० असारी,

यह पत्र शर्मा[1] नामक एक प्राकृतिक चिकित्सकके बारेमे है। वह खुर्जाके रहनेवाले है। उनका दिल्लीमे एक अस्पताल हुआ करता था जहाँ सूर्य-चिकित्सा की जाती थी। अमतुस्सलामकी मार्फत, जिससे आप यहाँ मिले थे, मेरी आजसे तीन वर्ष पहले उनसे मुलाकात हुई थी। उनके अस्पतालमे और उनकी लिखी किताबोमे बहुत ज्यादा आडम्बर था। अब वे बहुत विनम्र बन गये है। उन्होने अस्पताल छोड दिया है और अपनी किताबोंकी होली जला डाली है। वे मेरे कहनेपर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते है और इसलिए शरीरके सम्बन्धमे वे सभी बाते जानना चाहते है जो सभीको जाननी चाहिए, फिर भले ही वह एलोपैथीका चिकित्सक हो अथवा प्राकृतिक चिकित्सक अथवा कुछ अन्य। लेकिन वे किसी मेडिकल कॉलेजमे जाकर वहाँ पढाई शुरू नही कर सकते। यदि उन्हे मार्ग-दर्शन मिल सके तो निजी रूपसे पढाई कर सकनेके लिए उनके पास पर्याप्त ज्ञान है। उन्हे क्या पढना चाहिए और इसके लिए उन्हे किन चीजोकी जरूरत होगी, मै चाहूँगा कि आप इसके बारेमे मुझे बताये। और क्या आप एक-एक करके उन्हे अपनी किताबे दे सकते है? यदि आपको उनमे पर्याप्त दिलचस्पी है तो वे आपसे आकर मिल लेगे। मै नही चाहता और न ही यह अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना ज्यादा समय इसके लिए दे। यदि आप केवल यह बता दे कि उन्हे क्रमसे कौन-कौनसी पुस्तके पढनी चाहिए तो मै आपका आभारी होऊँगा। यदि आपके पास कोई किताब नही है तो मै उन्हे प्राप्त करूँगा अथवा खरीद लूँगा। मै निश्चय ही श्री शर्माकी मदद करना चाहूँगा, क्योकि मै समझता हूँ कि वे एक ऐसे उत्कट शिक्षार्थी है जो अपना ज्ञान और सब-कुछ मानवताके कष्टोके निवारणार्थ समर्पित करना चाहते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रतिसे . प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. हीरालाल शर्मा।

४८५. भाषण : गांधी सेवा-संघकी बैठकमें[1]

[३० नवम्बर, १९३४ या उससे पूर्व][2]

आपमे से कुछको शायद मालूम होगा कि ग्रामोद्योग-संघकी स्थापना किस प्रकार हुई। पिछले वर्ष हरिजन-कार्यके सिलसिलेमे अपनी देश-व्यापी यात्राके दौरान यह बात मेरी समझमें भली प्रकार आ गई कि हम अपना खादी-कार्य जिस प्रकार चला रहे है वह खादीका सार्वत्रिक प्रचार करने या गाँवोमें नवजीवनका संचार करनेकी दृष्टिसे बिलकुल नाकाफी है। मैंने देखा कि खादीका उपयोग बहुत थोड़े-से लोग करते है, और जो लोग एकान्तिक रूपसे खादीका प्रयोग करते भी है वे ऐसा मानते है कि उन्हे इसके सिवा और कुछ करनेकी जरूरत नही है और वे अन्य कोई भी चीज, चाहे जहाँ कहीकी भी बनी हुई हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार खादी एक निर्जीव प्रतीक मात्र बनती जा रही थी और मैंने देखा कि यदि यह हालत चलने दी गई तो खादी उदासीनता और उपेक्षाका शिकार हो जायेगी। ऐसा नही है कि केवल खादी-प्रचारके लिए अनन्य रूपसे सघन प्रयत्न किया जाये तो वह सफल नही होगा, लेकिन न तो कार्यकर्त्ताओमे खादीकी तरफ वैसी लगन थी और न वैसी कोशिश ही। सभी लोगोने अपना सारा फालतू समय चरखे या तकलीपर नही लगाया और सभी लोगोंने खादीका एकान्तिक उपयोग करना नही शुरू किया — हालाँकि उनकी संख्या कतैयोमे ज्यादा थी। लेकिन शेष सभी लोग बेकार रहे। लाखो-लाख ऐसे लोग भी थे जो मजबूरन बेकार बैठे थे। मैंने देखा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसका परिणाम हमारी तबाहीके सिवा और कुछ नही हो सकता था। 'ये लोग' मैंने मनमे सोचा, 'कभी स्वराज्य नही प्राप्त कर सकते। कारण, अपने ऐच्छिक और अनैच्छिक आलस्यके कारण ये लोग विदेशी और देशी शोषणकर्त्ताओके सदा शिकार बने रहेगे। शोषणकर्त्ता चाहे विदेशी हो और चाहे शहरोके लोग हों, इन लोगोकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, इन्हे कोई स्वराज्य नही मिलेगा।' इसलिए मैंने मनमे कहा, 'इन लोगोसे कोई और काम करनेको कहना चाहिए, अगर ये लोग खादीमे दिलचस्पी नही लेते, तो ये कोई ऐसा धन्धा करें जिसे इनके बाप-दादा किया करते थे, लेकिन जो अब खत्म हो गया है।' दैनिक उपयोगकी ऐसी बहुत-सी चीजे थी जो ये लोग कुछ समय पहलेतक तैयार किया करते थे, लेकिन अब उन्ही चीजोके लिए ये लोग विदेशोपर निर्भर करते हैं। कस्बोमे रहनेवालोके दैनिक उपयोगकी

१. यह गांधीजी द्वारा दिये गये 'तीसरे भाषण' का संक्षिप्त विवरण है जो *हरिजन* में "अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ — इसका अर्थ और सम्भावनाएँ" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. *बॉम्बे क्रॉनिकल*, ६-१२-१९३४ की एक रिपोर्टके अनुसार गाधी सेवा-संघका वार्षिक अधिवेशन नवम्बर, १९३४ के अन्तिम सप्ताहमें हुआ था।

ऐसी बहुत-सी चीजे है जिनके लिए वे पहले गाँववालोपर निर्भर करते थे, लेकिन वे ही चीजे अब वे शहरोसे मँगाने लगे है। गाँववाले जब अपना सारा फालतू समय कोई उपयोगी काम करनेमे लगानेका निश्चय कर लेगे और कस्बोमे रहनेवाले लोग गाँवोमे तैयार होनेवाले मालका इस्तेमाल करनेका निश्चय कर लेगे, तब गाँववालो और कस्बोमे रहनेवालोके बीच टूटी हुई कडी फिरसे जुड़ जायेगी। कौन-कौनसे मृत या मृतप्राय ग्रामीण उद्योग पुनरुज्जीवित किये जा सकते है, इसका निश्चय तबतक नही किया जा सकता जबतक हम गाँववालोके बीच जाकर ऐसे उद्योगोकी जाँच न करे, उनकी तालिका न बनाये और उनका वर्गीकरण न करे। लेकिन मैंने दो सबसे महत्त्वपूर्ण चीजोको चुन लिया . खाद्य-वस्तुएँ और पहननेवाली वस्तुएँ। खादी तो है ही। खाद्य-वस्तुओके मामलेमे हम अपनी आत्म-निर्भरता तेजीसे खोते जा रहे थे। अभी कुछ साल पहलेतक हम अपना धान खुद कूटते थे और अपना आटा खुद पीसते थे। स्वास्थ्यके सवालको हम फिलहाल एक तरफ रख दे। यह निर्विवाद सत्य है कि आटा-चक्कियो और धान कूटनेकी मिलोने लाखो औरतोको बेरोजगार कर दिया है और उन्हे कमाईके साधनसे वचित कर दिया है। चीनी बहुत तेजीसे गुडका स्थान लेती चली जा रही है, और गाँवोमे बिस्कुट तथा मिठाइयो जैसी खानेकी तैयार चीजे खुलकर बाहरसे मँगाई जा रही है। इसका मतलब है कि गाँववालेके हाथसे सभी ग्रामीण उद्योग धीरे-धीरे निकले जा रहे है और गाँववाला अब शोषणकर्त्ताओके लिए कच्चे मालका उत्पादन करनेवाला बन गया है। वह बराबर देता ही है, और बदलेमे कुछ नही पाता। जो कच्चा माल वह पैदा करता है उसके बदलेमे उसे जो थोड़ा-बहुत मिलता भी है उसे भी वह चीनी और कपडेके सौदागरोको वापस दे देता है। उसकी बुद्धि और उसका शरीर दोनो उन पशुओ जैसे हो गये है जो उसके चौबीस घटेके साथी है। अगर हम सोचे तो देखेंगे कि आजसे पचास साल पहले देहातका रहनेवाला जितना बुद्धिमान और चतुर होता था, आजका देहाती उसके मुकाबले आधा भी नही है। कारण, आजका देहाती दु खजनक निर्भरता और आलस्यकी स्थितिको पहुँच गया है, जबकि पचास साल पहलेका देहाती अपनी सारी आवश्यकताओको पूरा करनेके लिए अपनी बुद्धि और शरीरका उपयोग करता था और उन वस्तुओको घरपर ही तैयार कर लेता था। गाँवके अन्य लोगोके साथ ही गाँवका कारीगर भी अपनी चतुरता और उपाय-कुशलता भूल चुका है। गाँवके बढईसे एक चरखा बना देनेको कहकर देखिए, गाँवके लोहारसे एक तकुआ बनानेको कहिए और आपको निराश होना पडेगा। यह एक शोचनीय स्थिति है। इस स्थितिको सुधारनेके उपायके रूपमे ग्रामोद्योग-सघकी कल्पना की गई है।

कुछ आलोचकोका कहना है कि 'गाँवोकी तरफ लौटो' का नारा प्रगतिकी धाराको उल्टी दिशामे बहानेकी कोशिश करना है। लेकिन क्या वास्तवमे ऐसा है? यह वापस गाँवकी तरफ उन्मुख होना है, या जो कुछ गाँवका है उसे वापस गाँवको लौटाना है? मै शहरवालोसे गाँवोमे जाकर रहनेको नही कह रहा हूँ। लेकिन मै यह जरूर कह रहा हूँ कि गाँवोका जो देय है उसे वे गाँवोको दे। क्या एक भी

कच्चा सामान ऐसा है जिसे शहरवाले गाँवोके सिवा और कहीसे प्राप्त कर सकते है? यदि नही, तो गाँववालोको कच्चे मालसे उपयोगकी वस्तुएँ तैयार करना क्यो न सिखाया जाये, जैसाकि वे पहले किया करते थे, और अगर हमारी शोषक-प्रवृत्तिका अतिक्रमण न हो तो वे अब भी करेगे?

लेकिन गाँववालेको उसकी पहलेकी स्थितिमें पुनः प्रतिष्ठित करना कोई आसान काम नही है। मैंने सोचा था कि मै एक संविधान बनाकर श्रीयुत कुमारप्पाकी सहायतासे संघको थोडे ही समयमे चालू कर सकूँगा। लेकिन मैं इसमें जितना ही पैठता जाता हूँ, मुझे लगता है कि इसकी थाह मिल ही नही रही है। एक अर्थमे यह कार्य खादी-कार्यसे कही ज्यादा कठिन है। खादी-कार्यमें कोई जटिल समस्याएँ नही है। आपको बस सभी विदेशी और यन्त्र-निर्मित वस्त्रोका वर्जन कर देना है और समझ लीजिए कि खादीको आपने एक सुरक्षित नीवपर खडा कर दिया। लेकिन यहाँ तो क्षेत्र इतना व्यापक है, इतनी तरहके उद्योग है जिनका सगठन करना है, जिनको चलाना, है कि हमे अपने पूरे व्यापारिक कौशलका, विशेष ज्ञानका और वैज्ञानिक प्रशिक्षणका उपयोग करना होगा। इस सर्वोच्च उद्देश्यको तबतक प्राप्त नही किया जा सकता जबतक हम कठिन परिश्रम नही करेंगे, अनवरत प्रयत्न नही करेगे और अपनी सारी व्यापारिक और वैज्ञानिक योग्यताओंका प्रयोग नही करेगें। इसीलिए मैंने सुविख्यात डॉक्टरो और रसायनशास्त्रियोंको एक प्रश्नावलि[1] भेजी और उनसे कहा कि मुझे पालिश किये हुए और बिना पालिश किये चावल, गुड़ और चीनी तथा अन्य चीजोंके रासायनिक विश्लेषण और पोपक-तत्त्वोके बारेमे जानकारी दें। मै सधन्यवाद यह कहता हूँ कि बहुत-से मित्रोंने फौरन उत्तर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगोंने यह स्वीकार किया है कि जिन चीजोके बारेमें मैंने पूछा था उनमे से कुछ चीजोके बारेमे कोई शोध-कार्य नही किया गया है। क्या यह दुःखकी बात नही है कि कोई वैज्ञानिक मुझे गुड-जैसी मामूली चीजका रासायनिक विश्लेषण नही दे सका है? कारण यह है कि हमने गाँववालेके बारेमे सोचा ही नही है। शहदको ही लीजिए। मुझे बताया गया है कि विदेशोमें शहदका इतना सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है कि एक विशेष परीक्षणमे जो शहद विफल हो जाता है उसे बाजारके लिए बोतलोंमें भरा ही नही जाता। भारतमे हमारे पास अच्छेसे-अच्छे शहदको तैयार करनके साधन मौजूद है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञ-ज्ञान ही नही है। एक आदरणीय डॉक्टर मित्रने लिखा है कि उनके अस्पतालमे पालिश किये हुए चावलका पूर्ण निषेध है और चूहों तथा अन्य प्राणियोपर परीक्षणोके बाद यह सिद्ध हो गया है कि पालिश किया हुआ चावल हानिप्रद होता है। लेकिन सभी डॉक्टरोने अपनी जाँच-पड़ताल और प्रयोगका परिणाम क्यो नही घोषित किया है और पालिश किये चावलके इस्तेमालको नुकसानदेह क्यो नही घोषित किया है?

मैंने एक या दो दृष्टान्त देकर अपनी कठिनाईका अनुमान दिया है। मुझे किस प्रकारका संगठन करना चाहिए? किस प्रकारके प्रयोगशाला-शोध हमें करने

१. देखिए "पत्र: डॉ० विधानचन्द्र रायको," ८-११-१९३४।

होंगे? हमें कितने ही ऐसे वैज्ञानिकों और रसायनशास्त्रियोंकी आवश्यकता होगी जो न केवल अपने विशिष्ट ज्ञानका लाभ हमें देंगे, बल्कि जो हमारी प्रयोगशालाओंमें मुफ्त बैठकर मेरी बताई हुई दिशाओंमें प्रयोग करेंगे। हमें न केवल समय-समयपर परिणामोंको प्रकाशित करना होगा, बल्कि हमें विभिन्न उत्पादनोंकी जाँच करनी होगी और उन्हें प्रमाणित करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ग्रामवासी जो कोई वस्तु या खाद्य-सामग्री पैदा करता है, बाहर भेजता है, तो क्या वह उसके बदले कोई सस्ती चीजका आयात करके सन्तुष्ट हो जाता है। हमें देखना होगा कि सबसे पहले ग्रामवासी आत्म-निर्भर हो जाये और उसके बाद शहरवालोंकी आवश्यकताकी कमी पूरी करे।

इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हमें जिला-संगठन बनाने होंगे और अगर जिले बहुत बड़े सिद्ध हों तो हमें जिलोंको उप-जिलोंमें बाँटना होगा। इनमें से प्रत्येक — लगभग २५० — में एक एजेंट होना चाहिए जो सर्वेक्षण करके मुख्य कार्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देशोंके मुताबिक एक रिपोर्ट दाखिल करेगा। ये एजेंट पूरा समय काम करनेवाले कार्यकर्त्ता होंगे जिनको कार्यक्रममें पूरा विश्वास होगा और जो अपने जीवनमें तुरन्त आवश्यक परिवर्तन करनेको तैयार होंगे। इस काममें निश्चय ही धनकी आवश्यकता होगी, लेकिन धनसे ज्यादा इसमें सशक्त विश्वास और काम करनेके इच्छुक लोगोंकी आवश्यकता होगी।

प्रश्न : क्या यह कार्यक्रम खादी-कार्यको डुबो कर नहीं रख देगा, जिसे कि अभी भी पूरा होना है?

उत्तर : नहीं। खादीको उसके केन्द्रीय स्थानसे हटाया नहीं जा सकता। खादी तमाम औद्योगिक सौर्यमण्डलका सूर्य होगी। शेष सभी उद्योग खादी उद्योगसे गर्मी और शक्ति प्राप्त करेंगे।

प्रश्न : वे उद्योग कौन-से हैं जिन्हें हमें पुनरुज्जीवित करना या आगे बढ़ाना है?

उत्तर : मैंने इसका उल्लेख पहले ही कर दिया है। हमें प्रत्येक ऐसे उद्योगको बढ़ावा देना चाहिए जो कुछ समय पहलेतक जिन्दा था और जिसके नष्ट होनेके कारण अब बेरोजगारी पैदा हुई है।

प्रश्न : क्या हमें चावल और आटा-मिलोंके विरुद्ध बहिष्कारका आन्दोलन छेड़नेकी जरूरत है?

उत्तर : हमें किसी प्रकारका बहिष्कार करनेकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगोंको अपना चावल खुद तैयार करनेको और अपना आटा स्वयं पीसनेको कहेंगे। और हमें स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हाथ-कुटे चावल और हाथ-पिसे आटेको ज्यादा बेहतर मानना होगा। इसलिए अच्छा है कि हम आलस्यके खिलाफ युद्ध छेड़ दें।

प्रश्न : क्या हम कांग्रेसकी कमेटियोंका इस उद्देश्यके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?

उत्तर : बेशक, हम किसी भी सूत्रसे मिली सहायताका लाभ लेंगे और उसका उपयोग करेंगे।

प्रश्न: क्या केन्द्रीय बोर्डकी स्थापनाका अर्थ केन्द्रीयकरण है?

उत्तर ठीक ऐसा नहीं है। इसके जिले कार्य-केन्द्र जैसे होंगे। इसका केन्द्रीय कार्यालय सारे भारतके लिए आदेश जारी करनेवाला और देख-रेख करनेवाला केन्द्र होगा। यह एक विचार-पाठशाला जैसा होगा, जिसके जरिये विभिन्न एजेंट लोग विचारोंका आदान-प्रदान करेंगे और परस्पर उपलब्धियोंकी चर्चा करेंगे। हम प्रशासनका केन्द्रीयकरण नहीं चाहते, हम विचार, कल्पना और वैज्ञानिक ज्ञानका केन्द्रीयकरण चाहते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१२-१९३४

४८६. "श्रम बचानेवाले उपकरण क्यों नहीं"

एक महिला मित्रने, जो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघका संगठन किये जानेके विचार पर बहुत उत्साहित थी, प्रारम्भिक कार्यक्रमके सम्बन्धमें अखबारोंको दिये गये मेरे सन्देश[1] को पढनेके बाद मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा है:

> गाँवोंके लिए ही क्यों न हो, लेकिन हाथसे चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके धन्धेका पुनरुद्धार करने अथवा उसे प्रोत्साहित करनेके विचार मात्रने गाँवोंमें जाकर काम करनेके मेरे उत्साहको भंग कर दिया है और मेरे मनमें उसके प्रति भय उत्पन्न हो गया है। गाँवोंको उन्नत बनानेकी योजनामें श्रम बचानेके उपकरणोंकी सहायता न लेना मेरे विचारसे समय और शक्तिका बहुत भारी अपव्यय करना है। यदि गाँवके लोगों और उनके साथ गाँवोंको उन्नत बनानेके कार्यमें लगे कार्यकर्त्ताओंको चावलकी कुटाई और चक्की-पिसाई करनी पड़ेगी तो उन्हें कोई आराम नहीं मिलेगा और उनको गाँववालोंके विकासके किसी अन्य कामको करनेका समय ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि प्राचीन तरीकोंका पुनरुद्धार किया जायेगा तो पुरुष लोग पहले तो उत्साहके आवेगमें इस कार्यको करने लगेंगे, लेकिन अन्ततः सारा बोझ — मेरा मतलब चावल कूटने और चक्की पीसनेसे है — हम महिलाओंपर आ पड़ेगा और हमने जो थोड़ी बहुत तरक्की की है उसको धक्का पहुँचेगा।

यह तर्क भ्रामक है। श्रम बचानेके उपकरणोंका उपयोग करनेसे इनकार करनेका प्रश्न ही नहीं उठता। यदि गाँववालोंके पास पर्याप्त खाने और पहननेको होता तो चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेकी जरूरत न रह जाती, बशर्ते कि हम मानलें कि स्वास्थ्यके प्रश्नका कोई महत्त्व नहीं है, अथवा यदि है भी तो फिर घरके पिसे आटेमें अथवा मशीनके पिसे आटेमें तथा हाथकुटे चावलोंमें और मशीनसे साफ किये गये

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", ८-११-१९३४।

चावलोमे कोई अन्तर नही है। लेकिन समस्या यह है कि गाँववालोने जब अपने उपयोगके लिए भी चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके कामको छोड दिया तब वे आलसी वन गये और उन्होंने अपने इस फुर्सतके समयका गाँवोके उत्थानके लिए अथवा किसी अन्य कार्यमे सदुपयोग नही किया। एक भूखे पुरुष अथवा स्त्रीको, जिसके पास फालतू समय हो, निश्चय ही उस समयमे काम करके ईमानदारीसे एक आना कमानेमे खुशी महसूस होगी, क्योकि अगर दोनो ही फुर्सतके समय काम करके अपनी भूखको दूर करनेके लिए कुछ पैसे कमा सकते है तो उस समय अगर उन्हे कोई श्रम वचानेकी सलाह देता है तो उसे वे नापसन्द करेगे। मेरी पत्र-लेखिकाका यह विचार कि गाँवोको समुन्नत वनानेके कार्यमे लगे कार्यकर्त्ताको या तो चक्की पीसनी पडेगी अथवा चावल कूटने पडेगे, गलत है। उसे निश्चय ही इस कलाको सीखना होगा और पुर्जोके वारेमे जानकारी हासिल करनी होगी ताकि वह सुधार सुझा सके और उपकरणोकी सीमाओंको समझ सके। उसका यह विचार भी गलत है कि पुरुषोसे उत्साहके आवेगमे चावल कूटने अथवा चक्की पीसनेके लिए कहा जायेगा अथवा वे अपनी खुशीसे ये काम करने लगेगे, और अन्तत. यह वोझ महिलाओके कन्धोपर आ पड़ेगा। तथ्य तो यह है कि चावल कूटना और चक्की पीसना तो स्त्रियोका जन्मसिद्ध अधिकार है और हजारो-लाखो स्त्रियोने इस सम्मानपूर्ण और वलदायक कामसे अपनी आजीविका कमाई है। अव तो उन्हें मजवूरन खाली वैठे रहना पडता है, क्योकि उनमें से अधिकाश स्त्रियाँ इन दो धन्धोके स्थानपर, जिन्हे हमने उनसे छीन लिया है, अन्य कोई धन्धा नही ढूँढ पाई है।

स्त्रियों द्वारा की गई "थोडी प्रगति" की बात लिखते समय पत्र-लेखिकाके मनमे नि सन्देह शहरोमे रहनेवाली स्त्रियोका ही विचार है क्योकि उत्थान-कार्य करनेवाले कार्यकर्त्ताओने गाँवोका तो स्पर्श भी नही किया है। उनमे से अधिकाश तो यह भी नही जानते कि इस विशाल देशके सात लाख गाँवोमे स्त्री-पुरुष कैसे रहते है। पौष्टिक भोजन और सुरक्षा प्रदान करनेवाले कपडोके अभावमे उनका कितना ह्रास हुआ है, इसके वारेमे भी हमे कोई ज्ञान ही नही है। और हमे यह भी नही पता है कि अपौष्टिक चावल और आटा, जो उनके मुख्य आहार है, खानेकी वजहसे उनमे और उनके वच्चोमें जो-कुछ थोडी-वहुत शक्ति और शारीरिक वल होता है उसे भी वे खो वैठते है।

मै उनकी खातिर चावल कूटने और चक्की पीसनेके पुराने तरीकोको अपनानेके पक्षमे नही हूँ। मै उन्हे अपनाये जानेका सुझाव इसलिए देता हूँ क्योकि हमारे पास उन लाखो गाँववालोको, जो सारा दिन खाली वैठे रहते है, अन्य धन्धा देनेका कोई दूसरा साधन नही है। मेरी रायमे, जवतक हम इस तात्कालिक आर्थिक समस्याका कोई समाधान नही ढूँढ निकालते, तवतक गाँवोका उद्धार होना असम्भव है। इसलिए गाँववालोको उनके खाली समयमे काम करनेके लिए प्रेरित और उत्साहित करना अपने-आपमे एक ठोस उत्थान-कार्य है। मै उक्त पत्र-लेखिकासे और उनके जैसे विचार रखनेवाले लोगोसे अनुरोध करता हूँ कि वे गाँवोमे जाये, कुछ समयके लिए

गाँववालोके साथ रहे और उन्हींकी तरह रहनेका प्रयत्न करे। तब वे बहुत जल्दी मेरे तर्ककी गम्भीरताको देख सकेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ३०-११-१९३४

४८७. यह क्या है?

एक आदरणीय मित्रने अभी उस दिन एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अन्य चीजोंके अलावा यह भी कहा कि ग्रामोद्योग-कार्यसे मेरा जो अभिप्राय है, उसकी पूरी तस्वीर उनके दिमागमें नहीं है। यह एक अच्छा सवाल था। यही बात बहुत लोगोंको लगी होगी। मैंने उन्हें जो जवाब दिया, उसका आशय इस प्रकार था:

> संक्षेपमें इतना ही कहूँगा कि हमें अपने नित्यके उपयोगके लिए सिर्फ वे ही चीजें खरीदनी चाहिए जोकि गाँवोंमें बनती हों। हो सकता है कि गाँवकी बनी चीजोंमें अभी सफाई न हो। तब हमें चाहिए कि हम गाँवोंकी कारीगरीको प्रोत्साहन देनेका प्रयत्न करें ताकि उनमें सफाई आये, न कि यह दलील सामने रखकर उन चीजोंको लेनेसे इनकार कर दें कि विदेशी अथवा बड़े-बड़े कल-कारखानोंकी बनी स्वदेशी चीजें गाँवकी चीजोंसे कहीं बढ़िया हैं। असल बात यह है कि ग्रामवासियोंकी सोई हुई कारीगरी या कलापूर्ण प्रतिभाको हमें जाग्रत कर देना चाहिए। सिर्फ इसी एक तरीकेसे हम उस भारी ऋणको थोड़ा-बहुत चुका सकेंगे जोकि गाँववालोंका हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इस विचारसे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं कि ऐसे प्रयत्नमें हम कभी कामयाब हो सकेंगे या नहीं। हमें अपने ही युगकी ऐसी कई मिसालें याद आ सकती हैं जब यह ज्ञान हो जानेके बाद कि अमुक काम देशकी तरक्कीके लिए अत्यन्त आवश्यक है, हमारे मार्गमें आनेवाली कठिनाइयाँ हमें जरा भी विचलित नहीं कर सकीं और उन कामोंमें हम असफल भी नहीं हुए। इसलिए अगर हममें से हरएक इस बातपर विश्वास करने लग जाये कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भारतीय ग्रामोंका पुनरुद्धार अत्यन्त आवश्यक है, और अगर हमारा इसमें जीवित विश्वास हो कि ग्रामोंके पुनरुद्धारके द्वारा ही हम अस्पृश्यताको निर्मूल करके तथा सम्प्रदाय या धर्मका भेदभाव छोड़कर आत्माकी एकताका अनुभव कर सकते हैं, तो हमें सच्चे हृदयसे गाँवोंकी ओर जाना ही होगा, और बजाय इसके कि हम ग्रामवासियोंके सामने उन्हें लुभानेके लिए शहरके कृत्रिम जीवनको रखें, हमें गाँवकी बनी चीजोंको नमूनेके रूपमें अपनाना होगा। अगर यह दृष्टिकोण ठीक है, तो हमें खुद ही आगे बढ़कर गाँवकी बनी चीजोंको व्यवहारमें लाना चाहिए — उदाहरणके लिए, जहाँ सम्भव हो फाउन्टेनपेन या होल्डरके बजाय हम गाँवकी कलमको और बड़े-बड़े कारखानोंकी बनी स्याहीकी जगह गाँवकी बनी स्याहीको काममें लायें। मैं ऐसे और भी अनेक उदाहरण दे सकता

हूँ। नित्यके उपयोगकी शायद ही कोई ऐसी चीज हो, जो आजसे पहले गाँववालोंने नहीं बनाई हो और जिसे वे आज न बना सकते हों। अगर हम इस तरह पूरी तरहसे अपना मन लगा दें और गाँवों पर अपना ध्यान एकाग्र कर लें, तो हम बात-की-बातमें लाखों रुपये गाँववालोंकी जेबमें पहुँचा सकते हैं। आज तो हम उन्हें कोई मुआवजा दिये बिना उलटे गाँववालोंका शोषण कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस भयंकर सर्वनाशको आगे बढ़नेसे रोक दें। जो लोग आज अस्पृश्य माने जाते हैं उनकी प्रथाके अनुसार मान्य की हुई अस्पृश्यता दूर करनेकी अपेक्षा अस्पृश्यता-निवारणका यह आन्दोलन मेरे लिए अब कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखने लगा है। शहरवालेकी दृष्टिमें गाँव अस्पृश्य हो गये हैं। शहरवाला उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। न वह गाँवमें जाकर रहना चाहता है। अगर वह किसी गाँवमें जा पहुँचता है, तो वहाँ भी वह अपना वही शहरी जीवन जमाना चाहता है। यह तो तभी सह्य हो सकता है जबकि हम अपने मुल्कमें इतने शहर बना सकें कि उनमें ३० करोड़ मनुष्य समा जायें। ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार, और जबरदस्तीकी बेकारी तथा दूसरे कारणोंसे उत्पन्न देशकी दिन-दिन बढ़ती हुई दरिद्रताको मिटाना अगर असम्भव है, तो भारतके गाँवोंको शहरोंमें परिणत कर देनेकी कल्पना तो और भी अधिक असम्भव है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३०-११-१९३४

४८८. तार: हीरालाल शर्माको[1]

३० नवम्बर, १९३४

शर्मा

द्वारा नाथमलदास बिहारीलाल

दानगंज, खुर्जा

तुम्हारा तार मिला। फिलहाल तुम्हारा कर्त्तव्य वहीं है। पत्र लिखकर मार्ग-निर्देशन करो। घर बदल दो ताकि द्रौपदी तथा बच्चोंको अच्छी ताजी हवा मिल सके।

बापू

[अंग्रेजीसे]

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२५ के सामने प्रकाशित अनुकृतिसे।

१. यह तार हीरालाल शर्माके २९ नवम्बर, १९३४को भेजे तारके जवाबमें था जिसमें कहा गया था: "मीराबहन और आपके पत्रोंमें बहुत अन्तर है। कागजोंके सवालने मेरी चिन्ता बढ़ा दी है। शायद 'आर०' 'पी०' या 'जी०' ईमानदारीसे चाहें तो बण्डलोंको ढूँढ सकते हैं। उन्हें सीधे मेरे अधीन रख दीजिए तो मैं आपकी चीजें ढूँढ दूँगा। तार कीजिए तो मैं आऊँ, वरना मैं कल पत्र लिखूँगा।" देखिए "पत्र: हीरालाल शर्माको", २७-११-१९३४ भी।

४८९. पत्र : एक लड़कीको

सेगाँव,
३० नवम्बर, १९३४

चि० लम्बूस,

लम्बोदर अर्थात् लम्बे पेटवाला। यह गणपतिका नाम है। मुझे तुझे लम्बूस नामसे पुकारना चाहिए था। तूने बहुत दिनो बाद पत्र लिखा, यह तो तेरी कृपा ही कही जायेगी?

अमतुस्सलाम, लीलावती, शारदा यही हैं। सब आनन्दपूर्वक हैं।

तुम सब बहनें ठीक काम कर रही जान पडती हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७५२) से।

४९०. पत्र : हीरालाल शर्माको

३० नवम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत, नमूने[1] और पुस्तक[2] और २०)[3] रु० के नोट व स्टाम्प[4] मिले हैं। नोट किस हिसाबसे वापिस की गई मे नही समझा। डा० अनसारीको मैंने खत लिखा है[5] उसकी नकल इसके साथ है। जब मुझे उत्तर मिलेगा तब मैं लिखूंगा उसके पहिले तुमारे उनको लिखना नही है। तुमारे किसी मकानमें जाना ही चाहिए। वैद्योंका तुमने लिखा सो ही है।[6] मकान न मिले तो जमीनका टुकडा मिले उसपर फूसकी झोपडी (डाल) कर रहो। द्रौपदीका पर्दा तोड डालो वर्ना खुर्जा छोडो।

बापुके आशीर्वाद

१. खुर्जाके बी के।

२. कन्या आश्रम की।

३. आश्रमकी खादीका उपयोग करनेके लिए।

४. जो आश्रम-कार्यालयसे उधार लिये गये थे।

५. देखिए "पत्र : डॉ० मुख्तार अहमद अंसारीको," २९-११-१९३४।

६. हीरालाल शर्माको अपनी पुत्रीके इलाजके सिलसिलेमें यह व्यक्तिगत अनुभव हुआ था कि अधिकाश वैद्य नीमहकीम होते हैं।

[पुनश्च]

तुम्हारा तार मिला।[1] मैं मानता हूँ तुम्हारे आनेसे कागजात ढूँढ़नेमें मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म द्रौपदी और लड़कोंकी सेवा करनेका है। घर बदलो। मैं खोजकर रहा हूँ।

बापु

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२६-७

४९१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

२ दिसम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

तुमारे तार वल्लभभाई पर और मेरे पर मिले हैं। यह छोटा-सा आपरेशन भी दुःख दे रहा है! डा० विधानका पत्र भी आया है। उनके पत्रमें लिखा है अच्छा हो रहा है। तुमारे तारोंसे ऐसा प्रतीत नहीं होता। और तारकी प्रतीक्षा करता हूं।

वाइसरायको मिलनेके लिये लिखना इस समय उचित नहीं जचता है। मैंने दुबारा लिखा तो है। 'इस वखत नहिं' का मतलब पूछा है[2] और इनकार करनेका कारण भी पूछा है। अब देखें क्या होता है। जो होगा ठीक ही होगा।

यदि तुमको अच्छा हो जाय और दिल्ली जा सकोगे तो मैं ता० २० के आसपास वहां जानेकी चेष्टा करूँगा। तैयारी कर रहा हूं।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००२ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

४९२. पत्र : गणेश वासुदेव मावलंकरको

३ दिसम्बर, १९३४

भाईश्री मावलंकर,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे लिए वह पूर्णतया सन्तोषजनक है और मुझे चिन्तासे मुक्त करता है। पाँच वर्षों तक इतना घाटा खानेके बावजूद यदि गोशाला नहीं चल सकती तो उसे बन्द ही करना होगा। हरिजन आश्रमके सम्बन्धमें ट्रस्टियोंके बारेमें तुमने जो लिखा है वह मुझे पूरी तरहसे मान्य है। ट्रस्टियोंको बुनियादी सिद्धान्तोंके अनुसार उनका प्रबन्ध-संचालन करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए।

1. देखिए पृ० ४४२की पाद-टिप्पणी १।
2. देखिए "पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको", २८-११-१९३४।

समय निकालकर नरहरिके साथ आवश्यक बातचीत कर लेना।

मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ लादता हूँ और तुम्हारा शरीर यह सब सहन नही कर सकता सो भी जानता हूँ। लेकिन जो लोग आगे बढकर बोझा स्वीकार करते हैं बोझ तो उनपर ही डाला जा सकता है। लेकिन जब तुम्हे जरूरतसे ज्यादा लगने लगे तब मुझे सावधान कर देना।

तुम भी जब मेरी तरह भिखारी बन जाओगे तब जात-पाँतके बन्धनसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन तब तुम्हारी भिक्षा माँगनेकी शक्ति भी तो काफी बढ जायेगी न? कौन जाने मैं उस शुभ दिनको देखनेके लिए जीवित रहूँगा या नही? लेकिन मैं यह विश्वास लेकर संसारसे जाऊँगा कि तुम किसी दिन फकीरी धारण करोगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४१) से।

४९३. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

३ दिसम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

साथका पत्र मावलंकरको दे देना। यह उसके पत्रका उत्तर है। उसका पत्र तुम्हारी फाइलके लिए है। हमारे लिए इतना आश्वासन ही पर्याप्त होना चाहिए। और जो भी पैसा इकट्ठा किया जा सके सो करते रहना। दोनो बातोंके बारेमें यदि तुम्हे कुछ कहना हो तो लिखना। सामर्थ्यानुसार कामको बढाते रहना।

उम्मीद है, अन्य सब कुशल होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६७) से।

४९४. पत्र : अन्नपूर्णाको

३ दिसम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला था। मा का भी मिल गया था। समय न होनेके कारण मै लिख न सका। पिताजी आ गये कुछ बात न कर सका। तुम सबके हाल भी पूछ न सका। अब मुझे लिखो क्या हो रहा है, सब कैसे है?

बापुके आशीर्वाद

श्रीमती अन्नपूर्णा कुमारी
मार्फत श्री गोपबन्धु चौधरी
बाड़ी
जिला कटक[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८०) से।

४९५. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

दुबारा नहीं पढ़ा

४ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। तेरे प्रश्नोके सयाने उत्तर दूं तो वह सच्चे सयानेपनकी निशानी ही होगी, ऐसा थोड़े कहा जा सकता है।

मेरा गुस्सा तुम कोई नही जानते। उसका साक्षी मै ही हो सकता हूँ। लीलावती या गंगाबहनने जो अनुभव किया[2] वह तो थोड़ा गुस्सा कहा जा सकता है। मुझमे जो गुस्सा भरा है उसे बहुत-कुछ तो मै पी जाता हूँ। पीते-पीते जो बाकी रह जाता है। गगाबहन वगैरह वही देख सकी होगी। इतना भी उन्हे न देखने दूं तो मै दंभी बन जाऊँ अथवा सूखकर हाड-पिंजर हो जाऊँ। ऐसा नही होता, इसका कारण यह है कि मै अपने गुस्सेको जान-बूझकर रोकता हूँ और आगेके लिए रास्ता बनाता हूँ। आसपास रहनेवालोके प्रति सावधान रहनेकी आवश्यकता नही समझता, इसलिए वे

१. मूलमें पता अंग्रेजी लिपिमें है।

२. गाधीजीने इन दोनोंको कांग्रेस-अधिवेशनमें जानेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था।

मेरे गुस्सेकी झाँकी कर लेते हैं; और मुझपर उनकी दया रहती है, इसलिए वे उसे भूल भी जाते है।

मेरे पास जो सूत[1] बाकी पड़ा होगा सो प्रभावती भेज देगी। मेरा हिसाब तो गलत निकला। प्रभावती इस समय बम्बईमें है। स्वरूपरानीकी सेवा करने और जयप्रकाशसे मिलने गई है।

. . .[2] के बारेमे जैसा तू मानती है, वैसा होनेकी सम्भावना बहुत ही कम है। किसीकी निन्दामे कही गई बातको सच मानते हुए बहुत विचार करना। उसे न सुने तो अधिक अच्छा हो।

डॉ० हार्डिकर जैसो[3] के लिए क्या हो सकता है? उनके मत भिन्न, मनोरथ भिन्न। जो प्रवृत्ति उन्हे अच्छी लगे उसे सरकार नही चलने देती, जो चलती हो उसमे उन्हें रस नही आता। प्रजातन्त्रमें तो जो कही भी जम सके उसीका समावेश हो सकता है। उनके जैसोको किसी-न-किसी जगह जमकर जो हो सके सो सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार मै बहुतोका मार्गदर्शन कर रहा हूँ।

जो ईमानदारीसे धन्धा करते है वे भी देशकी सेवा करते है। सेवाका दावा करनेवाले लोग भारस्वरूप हो सकते हैं; और धन्धा करके कमानेवाले लोग शुद्ध सेवक हो सकते हैं।

अपने पत्रोंके बारेमे तूने जो लिखा है वह ठीक है। जो पत्र तुझे मेरे ही पढने के लिए लिखने हो, उनपर तू 'व्यक्तिगत' लिख सकती है। जिन्हें मेरी मरजी पर छोडेगी, उन पत्रोका मुझे जो ठीक लगेगा वही करूँगा। मैं पत्रोका सग्रह तो कदाचित् ही करता हूँ।

उद्योगोका तो जो हो सके वह करना।

देव तुझे बहुत इधर-उधर न घुमाये तो अच्छा।[4] एक क्षेत्रमें टिका जा सके तभी कुछ काम हो सकता है। जहाँ तू रहती है वह पूनाका उपनगर ही हो तो बहुत लाभ नही होगा। परन्तु जब तू वहाँ काफी रह चुकी है तो एकाएक वह जगह न छोडना ही अच्छा होगा। परन्तु इसमे मेरी सलाह बेकार समझना। यदि वहाँ रहनेमे भूल हुई हो, तो फिर वही बने रहनेमे कोई औचित्य नही हो सकता। भूल साबित हो जाये तो उसे सुधारना ही चाहिए।

अहिंसासे राज्य दिलानेवाला मै कौन? यदि मुझमें अहिंसा सचमुच होगी तो उसकी छूत लगे बिना हरगिज नही रहेगी। मुझे अपने पर कम श्रद्धा है, लेकिन अहिंसा पर अटूट श्रद्धा है। जगतने इस महान सिद्धान्तको जान तो लिया है, परन्तु उसका आचरण बहुत थोड़ा किया गया है। मुझे तो रोज उसके नये घूंट पीनेको

१. प्रेमाबहन द्वारा गांधीजीको जेलमें भेजी गई पूनियोंका सूत।

२. नाम छोड दिया गया है।

३. डॉ० हार्डिकरके साथी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय अपने धन्धे छोड दिये थे और आन्दोलन वापस लेनेके समय कष्टमें थे। डॉ० हार्डिकर भी उनकी कोई मदद नही कर सकते थे।

४. शंकरराव देव अपना आश्रम सासवडसे हटाकर एक छोटे गाँवमें ले जाना चाहते थे।

मिलते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वही कल्पवृक्ष है। इस दुनियामें मेरे लिए और कुछ सम्भव नहीं है। क्योंकि सत्यनारायणसे मिलनेका दूसरा कोई मार्ग मुझे मिला ही नहीं। और उसके मिले बिना जीवन व्यर्थ लगता है। इसलिए अहिंसाका मार्ग कठिन हो या सरल, मुझे तो उसी मार्गसे जाना है। यदि मेरी मृत्युके बाद मारकाट ही मच जाये, तो समझना कि मेरी अहिंसा अत्यल्प अथवा झूठी थी — अहिंसाका सिद्धान्त कभी झूठा नहीं हो सकता। अथवा यह भी हो सकता है कि अहिंसा सिद्ध करनेसे पहले हमें रक्तकी वैतरणीमें से गुजरना पड़े। सन् १९२० में राजनीतिमें अहिंसा आई। उसके बाद क्या चौरी-चौरा[1] इत्यादिकी घटनाएँ नहीं हुईं, क्या सरकारने अपने जुल्मोंमें कोई कसर रखी है? परन्तु मेरा विश्वास है कि यह सारी हिंसा होते हुए भी अहिंसाने अपना प्रभाव खूब डाला है। फिर भी वह समुद्रमें बिन्दुमात्र है। मेरा प्रयोग आगे ही बढ़ता जाता है। भगवान करे तेरी श्रद्धा कभी विचलित न हो!

हमारी इंद्रियाँ जो-कुछ देखती हैं वह सत्य ही है, ऐसी बात नहीं अक्सर तो वे असत्य ही देखती हैं। इसीलिए अनासक्तिका मार्ग ढूँढ़ा गया। अनासक्ति अर्थात् इन्द्रियोंसे परे जाना। यह तो उनमें रहनेवाली आसक्तिको छोड़नेसे ही हो सकता है। आँखका प्रमाण मानें तो पृथ्वी समतल ही सिद्ध होगी न? सूरज सोनेकी थाली के सिवा क्या है? मेरी आँखें जिस प्रेमाको देखती हैं, अगर वही सच्ची प्रेमा हो, तो मेरी मुसीबत हो जाये न? कानोंसे मेरे बारेमें जो-कुछ तू सुने, यदि वह सब तू सच मान बैठे तो!

अब तो बहुत हुआ। मीराबहनका अलार्म बज गया। अब प्रार्थनाकी घंटी बजेगी। इतनेसे मेरी मनःस्थितिका जो चित्र खींचा जा सके, वह खींचना। १५ तारीखके बाद दिल्ली जानेका इरादा है। वहाँ थोड़े समय हरिजन-आश्रममें रहनेका विचार है। अन्तमें तो अभी जेल ही नजर आता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६३) से। सी० डब्ल्यू० ६८०२ से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

1. देखिए खण्ड २२, पृ० ४३८-४४ तथा ४४६-५०

४९६. पत्र : हीरालाल शर्माको

४ दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र कल मिला। सम्भव है उससे सामानका पता मिल जाये। उसमें तुमने जो सब लिखा है वह शोध करनेके लिए काफी है। तुमको यहाँ इस कामके लिए कैसे बुलाऊँ? तुमारे वहाँ जानेका एक बड़ा सबब द्रौपदी और बच्चोके पास रहकर उनकी सेवा करना है। यही तुमारी शिक्षाका आरम्भ है इसीसे नेचरोपेथी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कबूल करे तो उनके घरके एक कमरेमे रहोगे। यह भी द्रौपदीको छोडकर कृष्णाको हार्डपिजरकी हालतमे रखे हुए? नही, तुमारी शिक्षा तुमारा कर्त्तव्य आज तो द्रौपदी और बच्चोके पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करनेका है।

द्रौपदी और बच्चोको लेकर खुर्जेके नजदीकके गाँवमे कही रहो। ऐसा नही तो किसी देहातमे। दिल्लीके नजदीक नरेला है वहाँ कृष्णन नेयर रहता है। सज्जन है। उसके पास भी रह सकते हो। मतलब वह जगह बतायेगा अथवा अपने साथ रखेगा। खुर्जेमे भाइयोके साथ तो रहनेका नही है।[1] जो भाई खर्च देते है वह तो जहाँ होगे वहाँ खर्च देता ही रहेगा। बताओ उनकी आमद कितनी है?

अमतुलकी इच्छा तुमारे साथ रहकर कुछ करनेकी है। यदि किसी देहातमे रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है। वह द्रौपदी और बच्चोकी सेवा करना चाहती है लेकिन इस बातका तुमारे देहातमे जाकर रहनेसे कोई सम्बन्ध नही है।

ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऍनेटमीके पुस्तक नही मिले है इस कारण तुमारा अभ्यास रुक गया है। पुस्तक कभी भी मिले तुमारा अभ्यास तो व्यवस्थित जीवन व्यतीत करनेसे हो ही रहा है, वहम मात्र निकालनेसे भी होता है। देखो ज्ञानोबाको मेरे पास नही लानेमे मेरी रक्षा ही कारण था; अगर लोई मिल जाये तो मुझे उसे (ज्ञानोबा) मिलनेका कोई कारण नही था। किशोरीलाल (मशरूवाले)को मैंने ही नीचे भेजे थे। ऐसे ही कमलनयन, मोघेजीकी बात है, जब बाते हुई तब अमतुल वहाँ खडी थी। उसने सब बाते सुनी। वह कहती है कमलनयन और मोघेजी सिर्फ मजाक करते थे; उसमे तुमारे जानेमें खुशीकी कोई बात नही थी।[2] सम्भव है तुमारे जानेका उनको न रंज था न खुशी। नेचरोपैथ बनना चाहता हे वह आदमी किसी पर वहम नही करेगा, जल्दबाजी नही करेगा, किसीके दोषका ध्यान नही धरेगा। तुलसीदासके इस दोहेका नित्य मनन करेगा।

१. यह घर हवा और धूपकी दृष्टिसे ठीक नहीं था।

२. देखिए पृ० ४३२ की पाद-टिप्पणी १।

जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार॥

तब तो दूसरोकी दवाई करेगा। दूसरोके रोगका निदान सच्चा करेगा।

रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा। देखता हूँ क्या होता है।

आजकल समय कैसे व्यतीत करते हो? क्या पढ़ते हो? तुम्हारे पास किताब तो काफी हैं ही।

दिल्लीसे मनाई हुक्म तो आया है अब पत्र-व्यवहार चल रहा है। देखें क्या होता है।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १२७-९

४९७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा अन्तिम पत्र मुझे अभी मिला है। तुम्हारा स्वागत करनेके सिवा मुझे और कुछ कहनेकी जरूरत नही है। किसी अत्यावश्यक कार्यसे तुम्हारी वहाँ जरूरत हो जाये तो अलग बात है, वैसे मैं ७ तारीखको तुम्हारे यहाँ पहुँचनेकी आशा करता हूँ।

वाइसरायका पत्र[1] मुझे मिल गया है। इसमें मुझसे कहा गया है कि मैं सीमा-प्रान्त न जाऊँ। हॉयलैंड विहार जाते हुए १७ तारीखको यहाँ आयेंगे। मैं १८ तारीखको हरिजन आश्रममें कुछ दिन वितानेके लिए दिल्ली जाना चाहूँगा और उसके वाद . . .।[2]

अमृत कौर यहाँ ११ तारीखको आयेंगी और वह आशा कर रही है कि तुम यहाँ होगे।

वाकी वातें तुम्हें मथुरादास लिखेंगे।

हम सवकी ओरसे सप्रेम,

मोहन

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६८५) से, सौजन्य विश्वभारती पुस्तकालय, शान्तिनिकेतन

१. देखिए पृ० ३७३ की पाद-टिप्पणी १।
२. साधन-सूत्रमें यहाँ स्थान रिक्त छोड दिया गया है।

४९८. पत्र : पट्टाभि सीतारमय्याको

५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० पट्टाभि,

आपका पत्र मिला। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मैं जो चाहता हूँ वह यह है :

(१) आपके कार्यमें हस्तक्षेप किये बिना मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह बतायें कि मैंने आपको जिस दिशाकी ओर इंगित किया है उस दिशामें आपके यहाँ पुनरुत्थान की क्या सम्भावनाएँ हैं?

(२) आपकी रायमें विभिन्न जिलोंका बीड़ा कौन उठा सकते हैं? उन्हें लगभग अपना सारा समय इस कार्यको देना होगा और फिर भी यदि सम्भव हो तो अपना राह-खर्च खुद देना होगा तथा इस तरह संस्थाको स्वावलम्बी बनाना होगा। इस संस्थाको घाटेमें नहीं चलाया जाना चाहिए।

(३) क्या आप अपने जिलेमें यह काम शुरू करना चाहते हैं?

(४) गांवोंमें बने अतिरिक्त मालको बेचनेके लिए खादी-भण्डार अथवा खादी-केन्द्र आपसमें तय की गई शर्तोंपर उधार ले लें, इसके बारेमें आपकी क्या राय है? यदि उत्तर हाँ में है तो उसकी शर्तें क्या होनी चाहिए?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० पट्टाभि सीतारमय्या
मसूलीपट्टम

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

४९९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

५ दिसम्बर, १९३४

जेल जानेकी तैयारी कर रहा हूँ। अब इसे टालना मुश्किल दिखाई देता है। "आजका लाभ उठाओ; कल किसने देखा है?"

मैंने नेटालमें जो 'संक्षिप्त बालकाण्ड' छपाया था वह, और गट्टूलालजीकी 'सुभाषित लहरी' यदि तुम्हारे पास हो तो एन्ड्रयूजके हाथ भेजना। उसमें गट्टूलालजीकी समश्लोकी 'गीता' है, वह चाहिए।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १५४

५००. पत्र : एन० आर० मलकानीको

५ दिसम्बर, १९३४

दुबारा नहीं पढ़ा

प्रिय मलकानी,

गाधी सेवा-संघ अपना एक नया संविधान बना रहा है। इसने कोई नया दायित्व न लेनेका निश्चय किया है। यह ऐसे कार्यकर्त्ता भर्ती करेगा जिनके उद्देश्य तो समान होगे, लेकिन किसी एक ही कोषपर इन्हे आश्रित रहनेकी आवश्यकता नही होगी। जमनालालजी ही एकमात्र धन-सकलनकर्ता है, और उन्होने अपने ऊपर ऐसे भार ले रखे है जिन्हे वे हमेशा निभाते रह सकनेकी आशा नही कर सकते। ऐसे भारके नीचे दबकर तो संघ टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। इसलिए जबतक तुम हरिजन-सघमे हो तबतक अपना खर्च उसके कोषसे ही लो। जब तुम अपना सारा समय हरिजन-सघको दे रहे हो तो उसमे कोई हर्ज भी नही है। अपने आश्रितोको भी उसीमे खीच लो और तुम जो-कुछ धन लोगे वह कभी बहुत भारी नही पडेगा। अगर हम मिले तो शेष बाते मिलनेपर होगी। यह 'अगर' तो इस कारण लगा है क्योंकि १५ तारीखके बादभी घनश्यामदासके वहाँ आनेका कुछ निश्चय नही है। और यदि वह वहाँ नही होगे तो मै भी नही आऊँगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०३) से।

५०१. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय शंकरलाल,

यदि तुम्हारे पास मगनलाल-स्मारक अपील[1] और घोषित किये गये न्यासियोके नामोकी एक प्रति है, तो मुझे भेज दो। हमारा विचार एक स्मारककी स्थापना करनेका है और शायद तुम्हे याद होगा कि यह सुझाव जमनालालजीने दिया था। एक बहुत बडा हॉल होगा जिसमे रुई चुननेसे लेकर ओटाईतक की सारी प्रक्रिया देखी जा सकेगी, यह मुख्य आकर्षण होगा और इसके आसपास ग्रामोद्योगकी वस्तुएँ

१. देखिए खण्ड ३६, पृ० ३४२-३।

भी होगी। वहाँ ग्रामोद्योग-संघका कार्यालय खोलनेका भी विचार है, और यदि सम्भव हुआ तो वहींपर अ० भा० च० स० का कार्यालय भी होगा। तुम्हें यह सारी योजना कैसी लगती है?

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

५०२. पत्र : चित्रवशास्त्रीको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चित्रवशास्त्री,

आपका तार मिला। नाथूरामकी हत्याके समर्थनमें सिन्धके मुसलमानों द्वारा निकाले गये जुलूसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। किसी हत्याकी बात सुनकर मुझे कितनी परेशानी होती है, यह सर्वविदित है। निःसन्देह नाथूरामकी हत्या एक बुरी बात थी और जिस ढंगसे हत्या की गई है वह तो और भी बुरी है। लेकिन मेरे, और आपके भी, अच्छा न लगनेका कोई महत्त्व नहीं है। असली महत्त्व तो मुसलमानोंके अच्छा न लगनेका है।

हृदयसे आपका,

श्री चित्रवशास्त्री
अध्यक्ष, महाराष्ट्र हिन्दू महासभा
पूना शहर

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

५०३. पत्र : नोरा मोरेलको

६ दिसम्बर १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। यह पत्र मुझे कुछ समय पहले मिल गया था, लेकिन अत्यधिक कार्य होनेके कारण मैं जल्दी उत्तर नहीं दे पाया।

जर्मनीमें रहते हुए भारतकी सेवा करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जर्मनीमें रहनेवाले भारतीयोंके साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करें; और दूसरे, आप जिन सिद्धान्तोंको आदर्श मानती हैं, उनके अनुरूप कार्य करें।

हृदयसे आपका,

मदाम नोरा मोरेल
बर्लिन-विलमर्सडॉर्फ
रुडशमर प्लाज ६

अंग्रेजी प्रतिसे: प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

५०४. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

६ दिसम्बर, १९३४

अब मेरे जर्मन मित्रका पत्र हाथ लगा है। मैंने उसे पत्र लिखा है।[1] यह रही उसकी एक प्रति जिससे कि यदि तुम चाहो तो तुम भी उसे लिख सकते हो। उत्तर देनेमे देर तो जरूर हो गई है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद।

सलग्न : १

श्री जयरामदास दौलतराम
मार्केट स्ट्रीट
हैदराबाद (सिन्ध)

अग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य : प्यारेलाल

५०५. पत्र : अप्टन सिंक्लेयरको

६ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

एक लम्बे अर्सेके बाद आपका पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अपनी पुस्तके अहमदाबादके पतेपर भेजी है। मेरा सदर मुकाम आजकल आश्रम, वर्धा है। इसलिए लगता है कि किताबे अभी कही रास्तेमे है। मै दोनो पुस्तको 'द क्राइ फॉर जस्टिस' और 'एपिक कैम्पेन', की उत्कटताके साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आप बुरा न माने तो मै चाहूँगा कि आप मुझे एक नया पार्सल भेज दे जिससे कि पहलेसे भेजा गया पार्सल अगर कही खो जाता है तो मै पुस्तकोके लाभसे वंचित तो नही होऊँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत अप्टन सिंक्लेयर
स्टेशन ए० पासाडेना
कैलिफोर्निया

अंग्रेजी प्रतिसे · प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य · प्यारेलाल

१. देखिए पिछला शीर्षक।

५०६. तार : वाइसरायके निजी सचिवको

७ दिसम्बर, १९३४

सीमा-प्रान्तकी अपनी प्रस्तावित यात्राके बारेमें अपने कर्त्तव्यपर मैं प्रार्थना-पूर्ण मनसे विचार कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच यह देखते हुए कि हमारे पत्र-व्यवहारकी विकृत रिपोर्टें अखबारोंमें छप रही हैं, मैं चाहूँगा कि यदि वाइसराय महोदयको आपत्ति न हो तो उसे प्रकाशित कर दूँ।[1]

गांधी

[अंग्रेजीसे]

होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल, फाइल नं० ४/८/३५; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१२-१९३४ भी।

५०७. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० अमला,

मुझे तुम्हारे पत्र मिल गये हैं। यदि तुम्हें शान्तिनिकेतनमें कुछ मिल सके तो मुझे खुशी होगी। अपनी शर्तें बतानेमें बहुत लोभसे काम मत लेना। शेष महादेव लिखेगा।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. वाइसरायके निजी सचिवने १० दिसम्बरको उत्तर दिया : "वाइसराय महोदयको पत्र-व्यवहार प्रकाशित करनेपर कोई आपत्ति नहीं है।"

५०८. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० भगवानजी,

तुम्हारा पत्र मिला। भाई धूलजीको नकद रुपया कहाँ से दूँ? किस तरह दिया जाये? मेरा तो एक पाँव जेलमे है और एक जेलसे बाहर। उन्हे बीजापुर छोड़ना ही नही चाहिए था। और अब यदि छोडा ही है, तो उन्हें कही कामपर लग जाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

तुम्हे हठपूर्वक दूध तथा फलपर नही रहना चाहिए। कच्चा दूध और जो कच्ची खाई जा सके, ऐसी सब्जियो और कंद-मूलपर रहनेका प्रयोग करना चाहिए।

गुजरातीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३७३) से, सौजन्य भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या

५०९. पत्र : मनुबहन गांधीको

७ दिसम्बर, १९३४

चि० मनुड़ी,

तू बीमार कैसे पड़ गई? क्या 'भाई' से सेवा करवानेके खयालसे? लेकिन ज्यादा सेवा लिये बिना जल्द ही ठीक हो जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० १५३६) से, सौजन्य. मनुबहन एस० मशरूवाला

५१०. बातचीत : अब्दुल गफ्फार खांके साथ[1]

७ दिसम्बर, १९३४

[गांधीजी :] खान साहब, यह ऐसा मौका नही है जब हमें बचाव पेश नही करना चाहिए। हमे अपना वकील करके बचाव पेश करना चाहिए।

खान साहबने कहा, "हो सकता है, लेकिन अदालतमें अपना बचाव पेश करना मुझे पसन्द नहीं है। १९१९ से आपने हम लोगोंको सिखाया है कि हम कानूनी अदालतोंको मान्यता न दें और इस मौकेपर मै इसके विपरीत कुछ नहीं करना चाहूँगा।"

[गांधीजी :] मै समझता हूँ, लेकिन अगर हमारा बस चले तो हम अभी जेल नही जाना चाहते, और इसलिए मै आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक वकील कर ले।

"आप जैसा चाहे", खान साहबने कहा, और अधिकारियोंके साथ जानेके लिए तैयार हो गये।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-१२-१९३४

१. अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार किये जानेके बाद जिस समय ले जाये जा रहे थे उस समय यह बातचीत हुई थी। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा है, "...आज शाम सवा पाँच बजेके करीब जिस समय वर्धाका डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट बम्बईके एक पुलिस-अधिकारीके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँको पूछता हुआ सत्याग्रह आश्रम पहुँचा, उस समय वह ऊपरकी मंजिलपर महात्मा गांधीके साथ बैठे हुए थे। पुलिसके आनेकी सूचना उन्हें मीराबहनने दी। गांधीजीने मीराबहनसे कहा कि वह पुलिसवालोंको ऊपर ले आयें।

"डी० एस० पी० ऊपर आया और उसने गांधीजीको बताया कि उसके पास खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गिरफ्तारीके लिए बम्बईके प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक वारंट है। गांधीजीने वारंट ले लिया और खान साहबको पढ़कर सुनाया। वारंट धारा १२४-ए के अधीन लगाये अभियोगके आधारपर था और उसमें किसी भाषण अथवा लेखका उल्लेख नहीं था। डी० एस० पी० ने खान साहबसे पूछा कि वह कबतक तैयार हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। लेकिन गांधीजीने डी० एस० पी० से कहा कि यदि आपको आपत्ति न हो तो खान साहब जमनालालजीके घरपर अपने भाई और बच्चोंसे मिल लें। . . ."

५११. पत्र : अब्दुल गनीको

७ दिसम्बर, १९३४

प्रिय गनी,

मैं तुम्हारे पिताकी लिखी चिट्ठी एक अलग लिफाफेमें भेज रहा हूँ। पत्र लिखनेके बाद उन्हे मेरी उपस्थितिमे गिरफ्तार कर लिया गया था और बम्बई ले जाया गया था। वहाँ उनपर दफा १२४-ए के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जायेगा। तुम इससे परेशान न होना। जेल तो हमारा दूसरा अथवा सच्चा घर है।

मैं तुमसे एक लम्बे पत्रकी आशा रखता हूँ जिसमे तुम यह भी लिखो कि वहाँ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। लखनऊके पतेपर मैंने तुम्हे जो पत्र लिखा था क्या वह मिल गया?

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

५१२. पत्र : चोइथराम गिडवानीको

८ दिसम्बर, १९३४

प्रिय चोइथराम,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मैं कह नही सकता कि किसी प्रकारके प्रचारसे तुम्हारा कोई लाभ होगा। किसी भी सूरतमे तुम अब खान साहबको नही पा सकते। वह गिरफ्तार हो गये हैं। याद रखो कि हम लोग इस समय अपनेको गिरफ्तार नही कराना चाहते। हमें गाँवोमे काम करनेवाले मूक श्रमिक बनना है। भाषण करनेका काम उन थोड़े-से लोगोके लिए छोड़ देना होगा जो विधान-सभाओंमें है और इसीलिए उसे केवल थोड़े-से लोगोतक ही सीमित रहना चाहिए। आशा है, तुम चुस्त और ठीक-ठाक हो।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८५) से।

५१३. पत्र : प्रभावतीको

८ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। आज ही आया है। इसपर ६ तारीख दी हुई है, इसलिए कल मिलना चाहिए था। मैंने मम्मी[1] को जो पत्र[2] लिखा है वह कदाचित् तुझे पढनेको मिलेगा ही। मैंने लिखा है कि उन्हे तेरे साथ बात करके मामलेको अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए। चाहे जो हो, चार्ज देनेके लिए उन्हे कुछ दिनोके लिए तुझे भेजना ही चाहिए।

शेष सब मिलनेपर। उम्मीद है, जयप्रकाशकी तबीयत अच्छी होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

एन्ड्रयूज आज ही आये हैं। खुर्शेदबहन सोमवारको आयेगी। तेरे लिए गोपीका पत्र आया है जिसमें उसने लिखा है कि वह ठीक है। खान साहबके पकड़े जानेकी खबर तूने सुनी ही होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४४५) से।

५१४. सन्देश : प्रभाशंकर पट्टणीको[3]

८ दिसम्बर, १९३४

मुझे आपकी कठिनाइयोंका ध्यान आता है। यदि आप नगरपालिकाको धमकायेंगे तो यह निस्सन्देह एक अच्छी बात होगी और यदि केवल गाल बजानेवाली नगरपालिकाको आप बन्द कर देते हैं तो उसे कोई 'फासिज्म' नही कहेगा।

× × ×[4]

आप चिन्ताका सारा बोझ स्वय न उठाकर यदि थोडा यहाँ भी भेज दे तो कितना अच्छा हो।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९४०) से, सी० डबल्यू० ३२५७ से भी; सौजन्य : महेश पी० पट्टणी

१. स्वरूपरानी नेहरू।

२. पत्र उपलब्ध नहीं है।

३. यह सन्देश महादेव देसाईने सर प्रभाशकर पट्टणीको ८ दिसम्बर, १९३४ को लिखे अपने पत्रमें दिया था।

४. मूलमें यहाँ छूटा हुआ है।

५१५. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

८ दिसम्बर, १९३४

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला।

गोशालाके लिए भाई मावलंकर और रणछोडभाईने रुपया दिया सो ठीक किया। मुझे अम्बालाल भाईका पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे ३१ दिसम्बर तकका घाटा तो अवश्य पूरा करना चाहते हैं। इसलिए तुम मावलंकर और रणछोडभाईका दिया पैसा अभी खर्च करो, लेकिन जमा आगामी वर्षके हिसाबमें करना। और इसी तरह जब तुम्हें अम्बालालसे रुपये मिल जाये तब मैंने तुम्हें जो १,००० रुपये भेजे हैं वह तुम्हें वापस करने होंगे। इससे हिसाब ठीक हो जायेगा। दिसम्बरके अन्त तक [घाटेका] जो आँकडा बने वह मुझे भेजनेके बाद अम्बालालको भेजना। यदि तबतक मैं ठिकाने [जेल] पहुँच गया होऊँ तो इस पत्रमें मैंने जैसा बताया है वैसा करना। गोशालाके घाटेको पूरा करके किन्हीं दूसरी जगहोंसे जो पैसे आये हों उनके बारेमें मुझे बताना। इन्हें हमें उस रकममें नहीं जोड़ना चाहिए जो अम्बालाल हमें देना चाहते हैं। उदाहरणके लिए, गोसेवा-संघके लिए आया हुआ वह पैसा जिसकी सूचना तुमने ही दी थी। मैंने नारणदासको भी संक्षेपमें यह सब लिख दिया है। तुम्हारे आखिरी पत्रके बारेमें उसे अभी कोई जानकारी नहीं है।

रतिलाल तो सचमुच बहुत बचा। अब चोर हाथ आ जाये तो अच्छा हो। तुम प्रभाशंकरको बँगलेकी चौकसी थोडी और बढा देनेकी सलाह देना। पुलिससे जो मदद माँगी जा सके सो प्रभाशंकरको माँगनी चाहिए, और यदि रतिलालको वहाँ रहनेमें डर लगे तो हमें आश्रममें उसके लिए कमरेकी व्यवस्था कर देनी चाहिए। यह कमरा उसे किरायेपर दिया जाये। यदि कोई जोखिमकी चीज बँगलेमें हो तो उसे वहाँसे हटा देनेकी भी मैंने सलाह दी है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६६) से।

५१६. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

९ दिसम्बर, १९३४

मुझे खेद है कि सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमें सरकार और मेरे बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, अखबारोंके संवाददाताओंने उसके सम्बन्धमें अनधिकृत रिपोर्टें प्रचारित की हैं। मैं जनताको सावधान करता हूँ कि वह इन रिपोर्टोंपर विश्वास न करे। मैं शीघ्र ही एक वक्तव्य देनेकी आशा करता हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १०-१२-१९३४

५१७. पत्र : किर्लोस्कर-बन्धुओंको

१० दिसम्बर, १९३४

महोदय,

कल एक महत्त्वपूर्ण मुलाकातके दौरान मुझे आपका पत्र मिला। मैं उसे आज सवेरे तीन बजे ही पढ सका। मैंने आपके आविष्कारमें अत्यन्त गहरी दिलचस्पी ली है। एक मिस्तरी और एक व्यक्तिके रूपमें मेरे मनमें श्री कालेके प्रति बहुत आदर-भाव है। वे जब आश्रममें थे तब मैं उनकी ओर आकर्षित हुआ था। काफी व्यस्त होनेके कारण मैं मशीनकी जाँचमें ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन जो लोग[2] इस मशीनकी जाँच कर रहे हैं उनसे मैं बराबर सम्पर्क स्थापित किये हुए हूँ। जब आपने इस मशीनको भेजनेकी पेशकश की थी तब मैंने आपको अपनी कठिनाईके बारेमें बताया था। लेकिन मेरे एक मित्रने मुझपर दबाव डाला कि मैं स्वयं इसकी जाँच करके देखूं। इसलिए मैंने आपको यह अनुरोध करते हुए फिर पत्र लिखा[3] कि आप श्री काले और एक ऐसे व्यक्ति-सहित यह मशीन भेजें जिसे औजारोंकी सामान्य जानकारी हो। मेरा विचार कुछ समयके लिए यहाँ मशीन रखनेका था जिससे आश्रमके निदेशक श्री विनोबा भी इसकी जाँच कर ले। जिसकी मशीन सबसे अच्छी होगी उसे १,००,००० रुपयेका पुरस्कार मिलेगा। और यदि मेरी कल्पनाकी मशीन मुझे मिल सके तो मैं स्वयं यह पुरस्कार देना चाहूँगा। सामान्य चरखेकी सबसे ज्यादा रफ्तार ७०० गज सूत प्रति घण्टा है। आपकी मशीनके अलावा दो और भी अच्छी मशीनें हैं। उनपर भी सुधार किया जा रहा है।

१. देखिए "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", ११-१२-१९३४।

२. सतीशचन्द्र दासगुप्त, लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर और च० राजगोपालाचारी।

३. देखिए "पत्र : किर्लोस्कर-बन्धुओंको", २४-११-१९३४।

मै १८ तारीखको अथवा उसके आसपास दिल्लीके लिए रवाना होनेवाला हूँ। इसके बाद मेरा कार्यक्रम कुछ अनिश्चित-सा हो जायेगा। यदि मै वर्धा लौटनेके अपने प्रयत्नमे सफल रहता हूँ, और यदि आप मेरे अनुरोधपर अपनी मशीन भेजनेको तैयार हो जाते है तो मै स्वय सहर्ष उस मशीनकी जाँच कर डालूँगा। मेरा इरादा ग्रामोद्योग-योजनाके प्रति आपके मनमे दिलचस्पी पैदा करना है। और मै चाहूँगा कि आप अपने सुझावो द्वारा अथवा गाँवके औजारोमे, विशेष रूपसे आटा पीसनेकी चक्की, चावल कूटनेकी मशीन, कोल्हू और गन्नेका रस निकालनेवाली मशीनमे सुधार करके ग्रामोद्योग-सगठनकी सहायता करे।

और यदि आप मेरे अनुरोधको स्वीकार करते है तो मै चाहूँगा कि आप उसे लोकोपकारी कार्यमे लगे एक कॉमरेडके रूपमे स्वीकार करे, एक व्यापारीके रूपमे नही जिन्हे हमेशा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके उद्देश्योके बारेमे सन्देह रहता है, ऐसे कार्यकर्त्ताओके प्रति जो आप-जैसे उद्योगपतियोको ऐसी मशीनोका आविष्कार करनेके लिए प्रेरित करनेको प्रयत्नशील रहते है जिनसे लाखो ग्रामवासियोका भला होता हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल

५१८. पत्र : जे० एन० साहनीको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहनी,

मै नही जानता कि अधिकारियोके साथ मै जो पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ उसके बारेमे तुमने अपूर्ण और अनधिकृत तथा विकृत विवरण छापकर राष्ट्रकी माँगको किस हदतक पूरा किया है और निजी मैत्रीका किस हदतक आदर किया है। यदि तुम्हे लगता है कि तुमने ऐसा करके राष्ट्रीय उद्देश्यको लाभ पहुँचाया है तो मुझे कुछ नही कहना है। ज्यादा बुद्धिमानीकी बात इसमे थी कि तुमने इस बारेमें मुझसे पूछ-ताछ कर ली होती, जैसाकि कभी-कभी सर्वथा अपरिचित लोग भी कर लेते है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री जे० एन० साहनी
'नेशनल कॉल'
दिल्ली

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई

५१९. पत्र : एम० विश्वेश्वरैयाको[1]

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। सौभाग्यसे आपकी भेजी किताब भी मुझे मिल गई है। इसके लिए भी कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें।

आपके पत्रसे मुझे बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि उसमें गाँववालोंके लिए किये जाने-वाले मेरे विनम्र प्रयासको आपने अपना समर्थन देनेका वायदा किया है। भारी उद्योगोंके बारेमें आपके कथनका समर्थन करनेमें मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं मालूम होती। मैं जानता हूँ कि बिना शक्ति-चालित यन्त्रोंके भारी उद्योगोंका संगठन नहीं किया जा सकता। मैं मशीनोंके ऐसे उपयोगके खिलाफ नहीं हूँ। मुझे तो आपत्ति तब है जब ऐसी मशीनें मानव-श्रमको हटाकर उनका स्थान ले ले, लेकिन बदलेमें ऐसी कोई व्यवस्था न करे कि विस्थापित श्रमिकोंको कम-से-कम उनके उपयुक्त कोई दूसरा काम मिल सके।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७२७) से; सौजन्य: मैसूर सरकार

५२०. पत्र : कार्ल हीथको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपका १९ नवम्बरका पत्र मिला। चार्ली एन्ड्र्यूजकी मदद लेनेके बावजूद मैं उसे समझ नहीं सका हूँ।

मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि वर्तमान गतिरोधका जो भी हल हो वह न्याय-संगत और रचनात्मक होना चाहिए। इसे न ऊपरसे थोपा जाना चाहिए और न यह विवशतापर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दोंमें, इसका हल दोनों देशोंको आपसी सहमतिसे निकालना चाहिए और वह दोनोंके लिए सम्मानजनक होना

१. यह पत्र नई दिल्लीमें १९६९-७० में आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनीके मैसूर-कक्षमें प्रदर्शित किया गया था।

चाहिए। मैं भारतकी तकलीफोको जानता हूँ और लंकाशायरकी तकलीफोको भी जानता हूँ। किन्तु यदि इन दोनोके सन्निधान यह अर्थ निकाला जाता हो कि दोनोंकी तकलीफोके कारण भी एक समान है तो मैं इस विचारसे असहमत हूँ। भारतकी तकलीफ उसके ऊपर थोपी गई तकलीफ है। लकाशायरकी तकलीफका कारण कुछ तो विश्वकी परिस्थितियाँ है और कुछ उसकी खुदकी अदूरदर्शिता तथा उसका स्वार्थीपन है। लंकाशायरकी तकलीफको भारतकी मददसे यथासम्भव हल्का करनेके विचारसे मैंने १९३१ मे, जब मैं इंग्लैंडमे था, एक निश्चित प्रस्ताव भी रखा था।[1] मेरा प्रस्ताव यह था कि यदि भारत और इग्लैंडके बीच स्वेच्छासे कोई समझौता हो जाता है तो हाथसे बने कपड़े अथवा मिलमे बने कपड़ेके सिवाय जितना अतिरिक्त कपडा जरूरी होगा, उसकी पूर्तिके लिए भारत इग्लैंडके बने कपड़ेको तरजीह दे सकता है। मैं नही जानता कि आज इग्लैंडको इस प्रकारकी तरजीह दे सकना किस हदतक सम्भव है, क्योकि गोलमेज सम्मेलनके बादसे अभीतक बहुत थोडा-सा ही समय गुजरा है, लेकिन इसी अवधिमे वह अपनी आवश्यकताका सारा कपडा खुद तैयार कर सकनेकी और भी ज्यादा अच्छी स्थितिमे पहुँच गया है, और सो भी इस तथ्यके बावजूद कि वह महीन कपडा इग्लैंड और जापान, इन देशोसे मँगा रहा है। तथापि, मुख्य मुद्दा यह नही है कि लकाशायर किस प्रकार अपना कपड़ा भारतको भेज सकता है, बल्कि यह है कि भारत यदि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले तो उससे भारतको जो लाभ होगे, उन लाभोसे सारे इग्लैंडको हर प्रकारसे लाभ किस तरह मिल सकता है। मैं भारतके गाँवोका जितना भी अध्ययन करता हूँ, उतनी ही तीव्रताके साथ मैं यह अनुभव करता हूँ कि जिन बन्धनोके कारण आज उसका स्वाभाविक विकास रुका हुआ है, यदि उन बन्धनोसे मुक्त होकर उसे विकसित होनेका मौका मिले तो कोई कारण नही है कि भारत एक कगाल देश रहे।

आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदसे ऐसी ध्वनि निकलने लगती है जैसे भारतमे अब कही दमन नही है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि दमन है और कोई चाहे तो इसे साफ देख सकता है। मैं ऐसा एक भी दमनात्मक कानून नही जानता जिसे रद किया गया हो। समाचारपत्रोकी स्वतन्त्रतापर प्रभावकारी बन्धन लगे हुए हैं। बंगालमे और सीमा-प्रान्तमे भी लोगोकी आनेजानेकी स्वतन्त्रता नामकी कोई चीज है ही नही। यदि आपको गिरफ्तारियो और लाठी चार्जोकी खबरे नही सुनाई पड़ती तो इसका कारण यह है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है और काग्रेसने अहिंसाकी भावनाको प्रोत्साहन देनेके खयालसे यह निश्चय किया है कि मनुष्यके लिए जिस हदतक सम्भव है उस हदतक वह दमनकारी कानूनोकी अधीनता स्वीकार करेगी। इस सबके भी ऊपर अब ससदीय-समितिके नये सविधान-सम्बन्धी प्रस्ताव आये है। मेरी व्याख्याके अनुसार यह रिपोर्ट स्वतन्त्रताका स्पष्ट अस्वीकार है। मैं इसमे विकासकी कोई गुजाइश नही देखता। भारतको

१. देखिए खण्ड ४८, पृ० ७५-६ और ८५।

एक जबर्दस्त बोझके नीचे दबाने और उसपर ब्रिटेनकी पकड़को और मजबूत बनानेकी इस योजनाके मुकाबले तो मैं मौजूदा स्थितिको ही पसन्द करूँगा। मेरी सहन-शक्तिकी जैसी कड़ी परीक्षा हो रही है वह मेरी क्षमतासे परे है। सीमा-प्रान्त जानेका मेरा रास्ता बन्द है। क्षितिजपर अन्धकारके सिवा कुछ नही है, लेकिन फिर भी मैं निराशाका अनुभव नही करता। मैं विश्वास करता हूँ कि एक ऐसी कल्याणकारी शक्ति है जो मनुष्यकी सारी योजनाओंको रद और अस्तव्यस्त कर देती है। वह शक्ति सदैव अव्यवस्थामे से व्यवस्था कायम करती है और अत्याचारियोके अत्याचारोके बावजूद अन्यायका अन्त करती है।

भारतको एक दिन अपने सच्चे स्वरूपको प्राप्त करना है। लेकिन मुख्य रूपसे ऐसा वह तभी कर सकेगा जब भारतके बेटे और बेटियाँ अपना आचरण ठीक रखेंगे और भारतकी स्वतन्त्रताके योग्य सिद्ध होंगे। हमें अपनी योग्यता सिद्ध करनेके लिए पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी और मैं जानता हूँ कि कंसिलिएशन ग्रुप (समझौता दल) के मित्रगण अपनी बुद्धिके अनुसार एक न्याय-संगत हल निकालनेके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कार्ल हीथ
इंडियन कंसिलिएशन ग्रुप
फ्रेंड्स हाउस,
यूस्टन रोड, लन्दन, एन० डब्ल्यू० १

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२७) से।

५२१. पत्र : स्टीनको

१० दिसम्बर, १९३४

प्रिय कर्नल स्टीन,

आपका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। मैंने हरिजन-यात्राके दौरान सचमुच अच्छा धन इकट्ठा किया। उपर्युक्त धन इस समय हरिजन सेवक-संघ, दिल्लीके हाथमें है। अनुदान देने-सम्बन्धी सभी आवेदन-पत्रोंपर बोर्ड ही विचार करता है। मेरे द्वारा इकट्ठे किये गये धनका उपयोग अधिकांशत. उन्ही जिलो अथवा स्थानोंमे किया जायेगा, जहाँसे यह इकट्ठा किया गया था। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बोर्डके तत्त्वावधानमे अथवा अंशत: अथवा पूर्णत: बोर्डकी सहायतासे समस्त भारतमे कई हजार स्कूलो और छात्रावासोका संचालन किया जा रहा है।

कहनेकी जरूरत नही कि मैं आपकी सस्था और उसके कार्योको कई वर्षोसे जानता आया हूँ। श्री शिंदेने कृपा करके उसके प्रति मेरी रुचि जाग्रत की थी। निश्चय ही आपकी यह संस्था एस० एस० संघसे बहुत ज्यादा पुरानी है।

शुभकामनाओ सहित,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी प्रतिसे. प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

५२२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिले। मेरे लेखकी फिलहाल कोई उम्मीद न रखो। क्या लिखा जाये, यह मुझे सूझता भी नही। वहाँकी स्थितिके बारेमे मैं जानता नही। मेरी यह मान्यता अवश्य है कि एजेंट तो रहना चाहिए। अच्छा-बुरा जो आये सो हमारा नसीब। लेकिन यदि एजेंट न हो तो फिर कुछ भी नही हो सकता। और यदि तुम सबको एजेंटका उपयोग करनेकी कला न आती हो तो इसका क्या उपाय है? अथवा अनुभव ही तुम्हे यह कला सिखायेगा। तू स्वय यदि झगड़ोसे दूर रहेगा तो इतना ही पर्याप्त है। तू रामदासका परमिट नही भेजेगा, यह तो अब पक्का है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२८) से।

५२३. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० रावजीभाई,

अभी मुझसे सन्देश भेजनेके लिए मत कहो। मुझे काम करने दो और काममें से तुम जो सन्देश ले सको, ले लो, वही अच्छा है। कथनीसे करनी भली है। ग्रामोद्योगका पुनरुद्धार पाटीदार युवक और युवतियाँ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इससे बेहतर और क्या शिक्षा हो सकती है? जो मनुष्य ईमानदारीसे एकके दो पैसे बनाता है और अपनी पहनी खादीकी अपेक्षा देशकी ज्यादा कीमती सेवा करता है, उसे ही शिक्षित कहा जा सकता है। सम्मेलन[1] सफल हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५९२) से; सौजन्य : रावजीभाई नाथाभाई पटेल

५२४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१० दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

साथका पत्र[2] खान साहबको भेज देना। बाकी महादेव लिखेंगे। राजेन्द्रबाबूका पत्र मिलनेके बाद मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। दिल्लीसे अभीतक तार नहीं आया है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४३

१. पाटीदार सम्मेलन।
२. यह उपलब्ध नहीं है।

५२५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

१० दिसम्बर, १९३४

मेरा 'संक्षिप्त बालकाण्ड' मिल सकनेकी तो कोई सम्भावना नही है। सम्भव है, गट्टूलालका मिल जाये। मिले तो भेजना। कदाचित् मुन्शीके यहाँ हो। 'बालकाण्ड' तो किसी ऐसे भारतीयके पास होगा जो दक्षिण आफ्रिका हो आया हो। खोज करना।

खान साहबको किस लिए पकडा गया है, इसका अनुमान लगानेमे हम अपना समय व्यर्थ क्यो बरबाद करें? सीधा कारण तो हमारे पास है ही। उनसे उनका तेज सहन नही होता।

मेरे जेल जानेमे अभी समय लगेगा। लेकिन लगता है, अन्तत तो जाना ही पड़ेगा।

मै १८ अथवा १९ तारीखको वर्धा छोडनेका इरादा रखता हूँ।

वे मुझे चाहे जहाँ भी ले जाये, लेकिन मै समझता हूँ कि उन्हे मुझे हरिजन-कार्य करनेकी सुविधा देनी ही चाहिए।

. . .[1] अभी तो स्वतन्त्र रूपसे विचार कर रहा है। मेरा खयाल है कि खूब ठोकरें खानेके बाद वह ठिकानेपर आ जायेगा। उसका मन बहुत अस्थिर हो गया है। भगवान ही मालिक है। वह ज्यादा जानता है। और यह ज्ञान ही मुझे चिन्ता-मुक्त कर देता है।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृ० १५४-५

५२६. पत्र : रामेश्वरदास नेवटियाको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० रामेश्वर,

मुझे गनीके बारेमे सब खबर दे दो। उसको रू० ३० तो दे ही देना। कल ज्यादा लिखा जायगा। गनीके खानेका क्या प्रबध है? कोई स्वच्छ मुसलमान नही मिल सकता है? ख्रीस्ती पकानेवाला मिले तो भी चलेगा। यदि कोई बडा रेलवे स्टेशन नजदीकमें है तो वहा जाकर एक वखत का खाना खा सकता है। वहाकी आबोहवा कैसी है? आबादी कितनी है?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०४०) से।

१. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

५२७. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

१० दिसम्बर, १९३४

भाई राजेंद्रप्रसाद,

तुमारा खत मिला, लक्ष्मीदाससे भी सब सुन लिया, मैंने मोलाना साहबको खत भेजा है उसकी प्रतिलिपि इसके साथ है।[1] इसी मासके आखर हफ्तेमें मैं दिल्ली पहुंचूगा ऐसी उमीद है। वहां कमिटीकी मीटिंग तो होगी ही, वहा तक निर्णय मोकूफ किया जाय। मेरी आशा है कि उस वखत सब फेसला हो जायगा। इरके मारे नीति विरुद्ध निर्णय तो नही कर सकते हैं। जो किया जाय वह गुणदोष देख कर ही हो सकता है।

मेरा प्रोग्राम अवतक तो दिल्ली तक का है। वाईसरायमे और भी खत व कितावत होंगे। जहाँतक संभव है जेल जानेका टालना चाहता हूँ। भविष्य तो ईश्वरके हाथमें है।

तुमारा शरीर अच्छा वना रहे।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९७३३) से; सौजन्य : डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

५२८. पत्र : हीरालाल शर्माको

१० दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। दुःख है तुमारे दो खत एकसे नही होते हैं। नव मूड़से भरे हूए रहते हैं। मेरे लिये वहमकी कोई वात नही हैं। मेरे नजदीक प्रधान कार्य तुमको व्यवस्थित वनाना हैं। वहमका भाजन तो तुम्ही हो। मैंने ऐसा कया लिखा है जिसमें से तुमने मेरा वहमको पहचाना। मैं तो हर तरफसे तुमारी [तालीमका] प्रबंध करता हू। दा० अनसारीको तो लिखा ही है। कहो और क्या करुं? सच्ची तालीम तो हो रही है। देहातमें भी रहनेका मकान न मिल सके उसका अर्थ कया हो सकता है? कृष्णाका पिघलते रहना, तुमारा बीमार हो जाना कया वताता है? कहां गई तुमारी शोधक शक्ति? कहा गया तुमारा संयम? तुमने लिखा था तुमारे जानेसे शायद कृष्णा ठीक हो जायेगी। अब कया कर रहे हो? मैंने मान लिया था

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

वहा जाकर स्वस्थ हो जाओगे। इस बारका खत मुझे दु:ख देता है। बड़े संकटमें दिन काट रहे हो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लड़कोकी तालीमका कुछ ठिकाना हूआ है कया?

मुझे स्पष्टतया लिखो क्या हो रहा है। सब कोई तुमारी केदमे रहनेसे न मुझे भाईओके खत मिल सकते है न द्रौपदीके।

रामदासका कुछ अच्छा नही चलता है। बहूत चिंतित रहता है, अव्यवस्थित भी हो गया है। अनेक प्रकार तरग आते जाते है। ईश्वरेच्छा बलवती है। हम कया कर सकते है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

शायद मैं २० तारीखके नजदीक दिल्ली पहोचुगा।

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १३०-३१ के बीच प्रकाशित अनुकृतिसे।

५२९. पत्र: टी० रामचन्द्रको

[११ दिसम्बर, १९३४ से पूर्व][1]

महात्मा गांधीने ब्रह्मचारी टी० रामचन्द्रको[2] पत्र लिखकर उनसे मैसूर-राज्यके विभिन्न जिलोंमें से प्रत्येकके लिए एजेंटोंके नाम सुझानेको कहा है जो अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघकी प्रवृत्तियोंको आगे बढ़ानेका काम करेंगे। गांधीजीने यह संकेत किया है कि इस कामके लिए वे ही व्यक्ति चुने जाने चाहिए जो अपना पूरा समय और पूरी शक्ति इसमें लगानेको तैयार हों।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१२-१९३४

५३०. पत्र: एस० श्रीनिवास अय्यंगारको

११ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

आपके पिछले पत्रका उत्तर मैंने जान-बूझकर नही दिया, क्योकि उसमे जवाब देनेवाली कोई चीज नही थी। दो दिन पहले आपका जो पत्र मिला, उसका जवाब देनेकी जरूरत अवश्य थी। लेकिन मैं आपकी नेक पत्नीके आनेका इतजार कर रहा था। उनसे यहाँ मिलकर मैंने अपना सौभाग्य माना। अम्बुजमका आना मेरे लिए

१. यह रिपोर्ट दिनांक "बंगलौर, ११ दिसम्बर १९३४" के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

२. राज्य विधान-परिषदके सदस्य और मैसूर राज्य-हरिजन सेवक-संघके मत्री।

वरदान-जैसा सिद्ध हुआ। उससे मिलकर पुरानी मधुर स्मृतियाँ जाग उठी है और परिवारके एक सदस्यके रूपमें आपके साथ मैं और करीब आ गया हूँ। मेरी उसकी लम्बी बातचीत नही हुई है। आशा करता हूँ कि किसी दिन करूँगा। मेरे सामने एक भारी बैठक चल रही है, और अगले दो दिन भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। अम्बुजम अच्छी और प्रसन्न है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे, सौजन्य एस० डोराइस्वामी अय्यर तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

५३१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको

११ दिसम्बर, १९३४

यह खेदजनक है कि सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके सम्बन्धमे वाइसराय महोदय और मेरे बीच जो पत्र-व्यवहार चल रहा है, उसके बारेमें दोनों पक्षोंमें से किसीसे पूछे बिना अखबारी सवाददाताओंने भ्रष्ट और विकृत रिपोर्टें प्रकाशित करना मुनासिब समझा है।

कई पत्रोंके सम्पादकोंने मुझपर दबाव डाला कि मैं इन रिपोर्टोंका खण्डन करूँ या उनकी पुष्टि करूँ।

मेरे सामने सबसे अच्छा रास्ता यह था कि मैं वाइसराय महोदयसे अभीतक हुए पत्र-व्यवहारको प्रकाशित करनेकी अनुमति माँगूँ। अभी-अभी मुझे यह अनुमति प्राप्त हुई है,[1] और मैं पत्र-व्यवहारको समाचारपत्रोंमें प्रकाशनार्थ दे रहा हूँ।

लेकिन जनताको मैं सावधान करता हूँ कि वह ऐसा न समझे कि पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया है, और अब मैं वाइसराय महोदयकी सलाहके विरुद्ध सीमा-प्रान्तके लिए रवाना होने और अपनेको गिरफ्तार करानेके लिए मौकेका इन्तजार कर रहा हूँ।

फिलहाल इस समय मेरी इच्छा सविनय अवज्ञा करनेकी कदापि नही है। ईश्वरके एक विनम्र सेवकके रूपमें मेरा उद्देश्य सीमा-प्रान्तके उन लोगोंसे मिलना और उनको जानना है जो अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते है। अब चूँकि उनके वीर नेताको गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए यह इच्छा और भी बलवती हो गई है। लेकिन शासनकी अवहेलना करनेसे मेरा तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता। इसलिए मेरा विचार आवश्यक अनुमति प्राप्त करनेके लिए हर सम्भव संवैधानिक तरीका आजमानेका है।

१. देखिए "तार: वाइसरायके निजी सचिवको", ७-१२-१९३४ की पाद-टिप्पणी।

यदि अनुमति न देनेका कारण यह होगा कि सरकारको मेरी मशामे सन्देह है, तो मै उस सन्देहको दूर करनेकी कोशिश करूँगा। जिस हदतक मानवके लिए सम्भव है, उस हदतक मैं सत्ताकी सविनय अवज्ञा करनेके हर अवसरको टालूँगा।

इसलिए मैं जनतासे, और विशेष रूपसे सीमा-प्रान्तके मित्रोसे कहूँगा कि वे धीरजसे काम ले। समय आनेपर वे जान जायेगे कि अन्तत क्या होनेवाला है। और मै समाचारपत्रोके सम्पादकोसे अपनी इस इच्छाका आदर करनेको कहूँगा कि वे सीमा-प्रान्तकी मेरी प्रस्तावित यात्राके बारेमे कोई अनधिकृत रिपोर्ट न छापे।

पत्र-व्यवहार यह रहा.[1]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-१२-१९३४

५३२. पत्र : प्रभावतीको

११ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरे दो पत्र एक-साथ मिले है। मै सम्भवत· १९ तारीखको जाऊँगा। मैंने तो सोचा था कि तू रविवारको यहाँ पहुँच जायेगी। मेरी बातमे इतना बल कहाँ? तेरा वहाँ रहना कितना जरूरी है और कितना नही है, यह तो तू ही जान सकती है। और मम्मीको प्रसन्न करनेका काम भी तेरा है या कि दूर बैठे हुए मेरा? तुझे भेजनेका काम जितना आसान था उतना तुझे वापस बुलानेका नही है। बाकी, मै तो तेरी राह देख ही रहा हूँ, और यहाँ तेरा काम भी ऐसे ही पडा हुआ है। मै तो आज भी मम्मीको लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३६) से।

५३३. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

११ दिसम्बर, १९३४

भाई घनश्यामदास,

मैं देखता हू हर हालतमे २० तारीखके पहले दिल्ली पहुचनेकी कोशिश कर रहे हो। यदि यह सब प्रयत्न मेरे खातिर है तो ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नही है। शरीरको हानि पहोचाकर आनेका प्रयत्न न किया जाय। मेरे आनेके बारेमे एक दूसरा प्रश्न भी पैदा होता है। वाइसरायके साथ जो पत्र-व्यवहार हूआ है और जिसका सच्चा झूठ उल्लेख अखबारोमे आ चुका है उससे मेरा तुमारे निकटमे रहना

१. पत्र-व्यवहार यहाँ दिया नहीं गया है; देखिए "पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको", १५-११-१९३४ और २८-११-१९३४ तथा "तार : वाइसरायके निजी सचिवको", ७-१२-१९३४।

आपत्तिदायक तो नही होगा? तीसरी बात यह है। तुमारे दिल्ली पहोंचते ही धंदाका काम कुछ ज्यादा रहेगा न? यदि चाहते है कि मुझे दिल्ली जाना ही है तो भी मै चार-पांच दिनके बाद आ सकता हू। जहा तक मुझे अब तक ज्ञात है मै तो यहासे १९ ता० को निकल सकता हूँ और २० को वहा पहूँच सकता हूँ। बाकी तो सब महादेव लिख रहा है।

गोपीका खत आया है। इसके साथ रखता हूँ। क्या इसके यूरप जानेसे कुछ लाभ हो सकता है?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००३ से, सौजन्य · घनश्यामदास बिडला

५३४. पत्र: वल्लभभाई पटेलको

१२ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। खानसाहबके लिए नया ही बयान[1] भेज रहा हूँ। मेरे खयालसे यही किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। उनको पत्र लिख रहा हूँ। उसे देख जाना। इसलिए इस पत्रमें अधिक लिखनेकी जरूरत नहीं रह जाती। उसमे जो खेद प्रकट किया गया है, उसकी मैं तो बड़ी जरूरत मानता हूँ। परन्तु इस मामलेमें, और सारे बयानके बारेमें, अन्तिम निर्णय तुम्हे ही करना है। दूर बैठा हुआ मैं निश्चयपूर्वक कुछ नही कह सकता। मेरा यह भी खयाल है कि वकील किया जाये। वह बयान पढ कर सुना दे। वह दोष स्वीकार भी न करे और उससे इनकार भी न करे। वकील कम सजाकी मॉंग भी न करे, परन्तु भाषणका विश्लेषण करना हो तो करे, या केवल 'बाच' करे। गवाहोसे जिरह करनेकी तो बात ही नही रह जाती। परन्तु ये सब तो मेरे विचार है। सब बातोमे निर्णय तुम्हे करना है।

मेरा हाल तो तुम देख ही रहे हो। एन्ड्रयूज आज दिल्ली इसी कामसे गये हैं। कहते थे, तबतक आगे कुछ न किया जाये। अधिक तो मथुरादास समझायेगा। राजेन्द्रबाबूके बारेमें अभी तो और कुछ करनेकी बात रह नही जाती। घनश्यामदासका तार है कि उन्हे ३० तारीखतक डॉक्टर नही जाने देंगे। इसलिए मेरा २० तारीखको दिल्ली पहुँचना जरूरी नही, एन्ड्रयूज और कुछ लिखे तो दूसरी बात है। कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक तो अब जनवरीमें ही रखी जा सकती है।

बलवंतरायकी परिषदमे जाना ठीक समझो तो जाना। इस मामलेमें मेरी समझमे कुछ नही आता।

१. अदालतमें पेश करनेके लिए।

अभ्यंकरको मेरी तरफसे भी कहना कि वे भले-चंगे हो जायें।

प्यारेलाल पहुँच गये होंगे। और मदद चाहिए तो माँगना। स्वरूपरानीके लिए प्रभावतीको रवाना किया जा सके तो करना। प्यारेलाल वहाँ हो आये।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४३-४

५३५. पत्र: वल्लभभाई पटेलको

१३ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मणिलाल[1] तथा . . .का[2] मामला ठीक निपट गया। कर्नाटक खटकता है। परन्तु जहाँ गंगाधरराव-जैसे नेता हों, वहाँ क्या कहा जाये? जो हो सके, करना।

मैं तो ग्रामोद्योग-संघमें फँस गया हूँ। राजाजी यहाँ आ गये हैं। आज जाना चाहते हैं। परसों रातको आये थे। जमनालाल थोड़े दिनमें वहाँ पहुँचेंगे।

और सब कुछ महादेवसे जान लोगे।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४५

५३६. असममें हरिजन-कार्य

असमके हरिजन सेवक-संघके मंत्रीने मुझे संघके इस वर्षके कार्यकी रिपोर्टकी एक प्रति भेजी है। इस रिपोर्टमें से मैं निम्नलिखित दिलचस्प अंश उद्धृत करता हूँ:

> संघ लड़के और लड़कियोंके ७२ स्कूल चलाता है जिसमें २,३६५ छात्र-छात्राएँ पढ़नेके लिए आते हैं। इनमें से २१ स्कूलोंमें सहशिक्षा है और ४ स्कूल केवल लड़कियोंके लिए हैं।
>
> वर्षके दौरान स्कूलोंपर कुल मिलाकर रु० ४,४९५–१४–० खर्च किये गये।
>
> संघने सामान्य स्कूलोंके लिए ३२८ लड़के और लड़कियाँ भर्ती किये।
>
> माध्यमिक अंग्रेजी और उच्चतर अंग्रेजी स्कूलोंके लिए हरिजन छात्रोंको रु० ८६९–९–० की छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

१. मणिलाल गांधी।

२. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

जो किताबें, स्लेटें, साबुन तथा कपड़े दिये गये, उनकी कुल रकम रु० २०६–२–६ थी।

२३ नामघर (प्रार्थना-भवन) हरिजनोंके लिए खोल दिये गये।

जोरहाट समितिने रु० १,१९६–९–३ की लागतका एक सार्वजनिक प्रार्थना-भवन बनवाया।

संघने ११ हरिजन अध्यापक रखे जिनमें से दो स्त्रियाँ हैं।

डिब्रूगढ़में भंगियोंके लिए एक सहकारिता-समिति बनाई गई। इसमें ८१ भंगियोंने शेयर खरीदे हैं। अब तक ९२० रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

संघने ९ जिला कमेटियोंका गठन किया है और इन समितियोंमें हरिजनोंकी २२ उप-समितियाँ बनाई हैं।

रु० १६–७–० की मुफ्त चिकित्सा-सहायता दी गई। ४० चरखे और कातनेके लिए दस मन रुई गरीब हरिजनोंमें बाँटे गये।

अफीम-विरोधी प्रचार तथा शराब-विरोधी प्रचारके लिए ३२ गाँवोंका दौरा किया गया जिसके फलस्वरूप १५४ लोगोंने शराब छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा की और १५ ने गाँजा न पीनेकी।

प्रदेशकी नगरपालिकाओंसे अनुरोध किया गया कि वे अपने कर्मचारियोंके लिए, विशेषकर भंगियोंके लिए, आवासकी, जल-निकासकी और जल-वितरणकी अच्छी सुविधाएँ प्रदान करें। लेकिन हमने खेदके साथ यह देखा कि किसी भी नगरपालिकाने कार्यको हाथमें नहीं लिया। इनमें भी गोहाटी और डिब्रूगढ़की नगरपालिकाएँ सबसे ज्यादा अपराधी हैं।

इसके विपरीत हमने इस बातपर गौर किया और हमें यह देखकर खुशी हुई कि भ्रमणशील कार्यकर्त्ताओंके कहनेपर कुछ गाँवोंमें लोगोंने अपनी सड़कें बनाईं और अपने पानीके तालाबोंकी सफाई की।

वर्ष-भरमें २४६ गाँवोंका सर्वेक्षण किया गया और हरिजन-परिवारोंकी दशा, धन्धे, निर्योग्यताएँ और शराब तथा अफीमकी आदतें और अन्य बातोंसे सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठे किये गये।

संघके अध्यक्ष गरमुरके परम-पूजनीय सत्राधिकार गोस्वामीने अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्थानोंका दौरा किया जिनमें भूतपूर्व चाय-बागानके कुली-केन्द्र भी शामिल हैं।

असममें अफीमकी समस्या बहुत गम्भीर है। इसका सेवन करनेवाला व्यक्ति शारीरिक, नैतिक और आर्थिक दृष्टिसे तबाह हो जाता है। यह पाया गया है कि ८ जिलोंमें ६४,४५९ अफीमची हैं और औसतन प्रति व्यक्ति प्रति माह डेढ़ तोला अफीम खाता है। नवगाँवमें, मिकिर पहाड़ियोंको छोड़कर, प्रति १०,००० लोगोंमें करीब १८ सेर अफीमकी खपत होती है, लखीमपुरमें यह प्रति १०,००० पर ६२ सेर है और मिकिर पहाड़ियोंमें तो यह प्रति १०,००० लोगोंमें ६२ सेरसे भी अधिक है। लखीमपुर, शिवसागर और नवगाँवमें इसके सबसे ज्यादा शिकार हरिजन लोग हैं।

स्थानीय हरिजनोंका मुख्य धन्धा मछली पकड़ना, मिट्टीके बर्तन बनाना और स्वर्णकारीका काम करना है। पुनरुद्धार-आन्दोलनसे इन कारीगरोंको मदद मिलनी चाहिए।

यह एक उत्साहजनक विवरण है, लेकिन यह जानकर कि एक चौथाई पैसा प्रशासनिक और प्रचार उद्देश्योपर खर्च किया गया, यह उत्साह फीका पड़ जाता है। कुल मिलाकर ११,९६६ रुपये खर्च हुए। इसमे से ३,६६४ रुपये प्रशासन और प्रचार-कार्यपर, तथा ८,३०२ रुपये कल्याण-कार्यपर खर्च किये गये। प्रशासनिक कर्मचारियोपर १,१४९ रुपये तथा प्रचार-कार्य करनेवाले कार्यकर्त्ताओपर १,०२० रुपये खर्च किये जाते है। इसमे मैने आना और पाईको छोड दिया है। अब कल्याण-कार्यपर यह जो ८,३०२ रुपये खर्च किये जाते है, वे मेरे विचारसे बहुत ज्यादा है। जैसाकि मैने बार-बार कहा है, रचनात्मक-कार्य अपने-आपमे एक प्रचार है और यह सबसे अच्छा प्रचार है। प्रशासनिक कर्मचारियोकी सख्या भी कमसे-कम कर दी जानी चाहिए। मै जानता हूँ कि असम-प्रान्तमे कार्य करना बहुत कठिन है। फिर भी, हम लोगोको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हरिजन सेवक-सघ पश्चात्ताप करनेवालोका अथवा कर्जदारोका सगठन है।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१२-१९३४

५३७. टिप्पणी

एक महत्त्वाकांक्षी प्राकृतिक-चिकित्सक

मै स्वय एक अधकचरा प्राकृतिक-चिकित्सक हूँ और इस कारण मेरी ओर मुझ-जैसे सनकी आकृष्ट होते है। इनमे से खुर्जा-निवासी श्री शर्मा[1] एक है। उन्होने एक 'सन ऐण्ड लाइट हास्पिटल' (सूर्य और प्रकाश अस्पताल) खोल रखा था और कुछ सुविज्ञापित पुस्तके भी लिखी थी। इस अस्पतालके खत्म होनेमे मेरा हाथ था। उसके बादकी घटनाएँ उन्हीके शब्दोमे नीचे बताई गई है[2]

इसलिए जो लोग प्राकृतिक-चिकित्साके तरीकोंमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि प्रकृतिके अर्थात् सत्यके स्वभावको और अच्छी तरहसे जाननेपर मैंने पाया है कि धूप और रंगके बारेमें लिखी हुई मेरी तमाम पुस्तकें असंदिग्ध रूपसे भरोसेके काबिल नहीं हैं। . . . अतः मैं चाहूँगा कि जिन लोगोंके पास मेरी किताबें हैं या जिन्होंने उनके बारेमें सुन रखा है वे फिलहाल उनपर ध्यान न दें और उनमें मैंने जो-कुछ लिखा है, अथवा उनमें

१. डॉ० हीरालाल शर्मा।
२. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये है।

मैंने जिस आविष्कारका विज्ञापन किया है, उनपर भरोसा न करें। मैं आशा करता हूँ . . . कि किसी दिन मैं सत्यापनीय प्रयोगोंके आधारपर इन पुस्तकोंको फिरसे लिखूंगा और विश्वासके साथ उन्हें जनताके सामने रखूंगा।

मेरी कामना है कि अन्य प्राकृतिक-चिकित्सक भी श्री शर्माके उदाहरणसे सबक लेंगे। मैंने रोगोंकी चिकित्साके आधुनिक तरीकोंके खिलाफ बहुत-कुछ कहा है और लिखा है। लेकिन मैंने देखा है कि एलोपैथिक-चिकित्सकोंमें औरोंकी अपेक्षा ज्यादा समझदारी है और इसलिए उनके प्रति मनमें छिपा हुआ आदरभाव भी है। वे मिथ्याभिमान नहीं करते। अच्छेसे-अच्छा एलोपैथिक-चिकित्सक भी दूसरोंसे कुछ सीखनेको तैयार रहता है, और अपने मरीजोंके सामने भले स्वीकार न करे, लेकिन आपसमें अपनी गलती स्वीकार कर लेनेकी विनम्रता उनके अन्दर होती है। वे मानव-शरीरके बारेमें सब-कुछ, और जिन दवाओंका वे प्रयोग करते हैं उन दवाओंके बारेमें ज्यादा-से-ज्यादा जाननेकी कोशिश करते हैं। प्राकृतिक-चिकित्सक दवाओंका प्रयोग नहीं करते। लेकिन शरीरमें होनेवाले रोगोंको ठीक करनेके बहाने शरीरके साथ छेड़छाड़ करनेवालोंको शरीरका यथातथ्य ज्ञान होना तो निश्चय ही नितान्त आवश्यक है। श्री शर्माके मनमें एक सच्चा प्राकृतिक-चिकित्सक बननेकी सच्ची लगन है। इसलिए एलोपैथी, होम्योपैथी या प्राकृतिक-चिकित्साके नामपर रोगोंका उपचार करनेवालोंको शरीर रचना-विज्ञान, शारीरिक क्रिया-विज्ञान और अन्य जिन चीजोंका ज्ञान होना आवश्यक है, उनका काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए श्री शर्मा कृत-संकल्प हैं। उन्होंने जो सूचना प्रकाशित की है वह आत्म-स्वीकृति भी है और चेतावनी भी है। सभी सम्बन्धित लोग उसे ध्यानमें लें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१२-१९३४

५३८. एक हरिजन-सेवक गया

मैं श्री बी० पी० माधवराव, जिनका कुछ दिन पहले ८५ वर्षकी परिपक्व आयुमें बंगलौरमें निधन[1] हो गया है, के परिवारके साथ सादर अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। वह त्रावणकोर, बड़ौदा और मैसूरके दीवान थे। अवकाश ग्रहण करनेके बाद वह अपना समय समाज-सेवामें लगाते रहे। इतने वृद्ध होते हुए भी उन्होंने स्थानीय हरिजन सेवक-संघके अध्यक्ष-पदको ग्रहण करना स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने प्रभावका सदा हरिजनोंके हितमें प्रयोग किया।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१२-१९३४

१. १ दिसम्बर, १९३४ को।

५३९. आविष्कारकी जननी

इंडियन मर्चेन्ट्स चैम्बर, बम्बई, के मंत्री श्री जे० के० मेहता लिखते है:[1]

. . .१९१७ में भारत सरकारने युद्धके सिलसिलेमें मेरी सेवाएँ प्राप्त कर ली थीं। मैं डेढ़ वर्षतक शिमलामें युद्ध-सामग्री-बोर्डके साथ काम करता रहा। . . . हमने देखा कि घोड़ेकी नालें इंग्लैंडसे नहीं प्राप्त की जा सकतीं। यह एक बहुत विकट और जटिल समस्या सिद्ध हुई, क्योंकि भारतमें नाल बनानेवाली कोई फैक्टरी नहीं थी। . . . अन्तमें सैकड़ों गाँवोंसे नाल प्राप्त करके इस समस्याको हल किया गया। गाँवोके लोहारोंने भारत सरकारकी समस्याको हल किया। . . . भारत सरकार विभिन्न गाँवोंसे नालें प्राप्त करके सेनाकी आवश्यकता-पूर्तिके लिए भेजती रही। . . .

सच है कि आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। महायुद्धके समय जो-कुछ कर सकना सम्भव हो सका था, वही चीज सुस्ती और बेरोजगारीके खिलाफ हमारी इस लड़ाईमे कर सकना हमारे लिए क्यो नही सम्भव है? श्री जे० के० मेहताने जो दृष्टान्त दिया है, ऐसे हजारो दृष्टान्त दिये जा सकते है। महायुद्धके दिनोमे, जब लोग एक-दूसरेका संहार कर रहे थे, यूरोप महाद्वीपका सारा स्वरूप ही बदल गया था, और स्त्रियो और पुरुषोको, लडको और लडकियोको, तन और प्राण एक रखनेके लिए अपने हाथोसे काम करना पडता था।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १४-१२-१९३४

५४०. अ० भा० ग्रामोद्योग-संघ — उद्देश्य और संविधान[2]

[१४ दिसम्बर, १९३४][3]

चूंकि यह विचार था कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-सघकी नीति और कार्यक्रमका सचालन करनेके लिए ऐसे आदमियोका एक बोर्ड बनाया जाये, जो इसकी नीति और कार्यक्रमकी व्यावहारिकतापर पूरी तरह विश्वास रखते हो, और जो इसमे अपना सारा समय लगा सके, इसलिए श्री कुमारप्पा और मैंने उस बोर्डकी स्थापनाके सम्वन्धमे वहुत समयतक विचार किया है।

१. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये हैं।

२ और ३. इस संघकी स्थापना १४ दिसम्बरको हुई थी; देखिए खण्ड ६०, "नया बच्चा", २१-१२-१९३४। इसके संविधानको एक वक्तव्यके साथ १५ दिसम्बरको जारी किया गया था।

इस विषयका कांग्रेसका प्रस्ताव[1] ऐसे स्त्री-पुरुषोंकी स्वयं काम करनेवाली स्वतन्त्र और अराजनीतिक संस्था बनानेके लिए है, जिनके जीवनका प्रधान उद्देश्य ग्रामवासियोंसे अपना तादात्म्य स्थापित करना और उनकी भलाई करना हो।

नीचे लिखे सज्जन अपनी जिम्मेदारीको समझते हुए उस संघको बनानेके लिए राजी हुए हैं जिसके वे संस्थापक-सदस्य भी होंगे और साथ ही प्रथम प्रबन्धक-बोर्डके मेम्बर भी :

श्री श्रीकृष्णदास जाजूजी (अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष)
श्री जे० सी० कुमारप्पा (संगठनकर्त्ता और मंत्री)
श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
डॉक्टर खान साहब
श्री शूरजी वल्लभदास
डॉक्टर प्रफुल्ल घोष
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर
श्री शंकरलाल बैंकर

इन लोगोंको बोर्डके सदस्योंकी संख्या बढ़ानेका अधिकार होगा।

इस बोर्डका यह काम होगा कि समय-समय पर ग्रामोंके पुनर्गठनके कार्यक्रमकी व्याख्या करे, विभिन्न केन्द्रोंमें बरती जानेवाली नीतिमें एकसूत्रता लाये, कार्यकर्त्ता या एजेंटों द्वारा बढ़ते हुए और क्षय होनेवाले ग्रामोद्योगोंकी असली वर्तमान स्थिति तथा गाँववालोंकी आर्थिक, नैतिक और उनके शारीरिक स्वास्थ्यके सम्बन्धमें सूचनाएँ एकत्र करके उनकी समीक्षा और प्रचार करे, विशेषज्ञों और दक्षोंकी सहायतासे शोधका काम करे और गाँवोंमें बनी हुई चीजें, जो वहाँ खपनेसे बच जायें, उनको खपानेके लिए मंडियाँ ढूँढ़े तथा तैयार करे।

बोर्ड अपने कामको चलानेके लिए धन-संग्रह करेगा। चूंकि इस संघकी सफलता इसीमें होगी कि वह ग्रामीणोंको आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी बनाये, इसलिए कार्यक्रम खर्चीला नहीं होना चाहिए। इसलिए विचार यह है कि जहाँतक हो सके, थोड़ी पूंजीसे ही काम शुरू किया जाये।

इसलिए बोर्डकी मुख्य नीति विकेन्द्रीकरणकी होगी। जितने क्षेत्रोंमें कार्यकर्त्ता या एजेंट मिल सकेंगे, भारतको उतने ही क्षेत्रोंमें बाँटकर बोर्डकी शाखाएँ स्थापित की जायेंगी। प्रत्येक क्षेत्रके कार्यकर्त्ता कार्य करके शाखा संगठित करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रमें बोर्डके कार्यक्रमके अनुसार कार्य करनेके लिए जवाबदेह होंगे।

कार्यकर्त्ता या एजेंट ऐसे ही लोग चुने जायेंगे जो अपनी जीविकाके निर्वाहके लिए कार्य करते हुए अपना सारा समय इस संघके काममें लगा सकें। एजेंट जहाँतक बनेगा अवैतनिक होंगे। अपने क्षेत्रमें संगठनके लिए आवश्यक धन वे चन्देसे इकट्ठा करेंगे। हो सकता है कि बोर्डको ज्यादा अवैतनिक एजेंट न मिलें। शुरूमें अगर कुछ

1. देखिए "भाषण: अ० भा० कां० क० की विषय-समितिमें", २४-१०-१९३४।

जिलोमे अच्छी तरह सगठन हो जाये और आर्थिक दृष्टिसे तथा अन्य प्रकारसे हमे कामयाबी मिले तो बोर्डको सन्तोष ही होगा। एजेटोके नाम समय-समयपर प्रकाशित होते रहेगे।

विशेषज्ञोकी सहायताके बिना बोर्ड अनुसन्धानका कोई काम नही कर सकता। विशेषज्ञोसे ऐसी आशा नही की जा सकती कि वे अपना सारा समय और दिमाग संघके ही काममे लगा दे, इसलिए मैने अपने कितने ही मित्रोको लिखकर पूछा था कि आप अपना नाम सलाहकारी-बोर्डके सदस्योकी सूचीमे रखने देगे या नही? अबतक नीचे लिखे मित्रोने कृपा कर बोर्डमे रहना स्वीकार कर लिया है.

डॉक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर
सर जगदीशचन्द्र बसु
सर प्रफुल्लचन्द्र राय
सर चन्द्रशेखर वेंकटरमण
श्री रामदास पतलु
श्री जमाल मुहम्मद साहब
श्री घनश्यामदास बिडला
सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास
सर एस० पोचखानावाला
प्रोफेसर सैम हिगिनबॉटम
डॉक्टर जीवराज मेहता
डॉक्टर मुख्तार अहमद असारी
मेजर-जनरल सर रॉबर्ट मैकैरिसन
डॉक्टर राजबली
श्री० वी० पटेल
डॉक्टर एस० सुब्बाराव
डॉक्टर विधानचन्द्र राय
डॉक्टर पुरुषोत्तम पटेल

संघका प्रधान कार्यालय वर्धामे रहेगा। यह स्थान इसलिए पसन्द किया गया है कि यह देशके केन्द्रमे पडता है, रेलवेका जक्शन है और नगरकी अपेक्षा एक गौरवान्वित सुन्दर गाँव है।

अनेक सज्जनोने मुझे पत्र लिखे हैं कि वे संघके एजेट बननेको तैयार है। जिन लोगोने पत्र भेजे है उन्हे अब संगठन-मत्री श्री जे० सी० कुमारप्पासे वर्धाके पतेपर पत्र-व्यवहार करना चाहिए। मैने सब नाम और कागजात उन्हीको दे दिये है।

संघकी नियमावली

बम्बई-काग्रेसमें २७ अक्टूबर, १९३४ को ग्रामोद्योग-सघ स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसके अनुसार "अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ" सगठित किया जाता है।

उद्देश्य

संघका उद्देश्य होगा ग्रामोंका पुनर्गठन और नवरचना जिसमे ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित करने, उन्हे प्रोत्साहन देने और उनकी उन्नति करनेका, तथा ग्रामवासियोंकी नैतिक और भौतिक दशा सुधारनेका काम भी शामिल होगा।

साधन

अपने इस उद्देश्यकी ठीक-ठीक पूर्तिके लिए संघ अनुसन्धान-कार्य करेगा, साहित्य प्रकाशित करेगा, प्रचार-कार्य करनेका प्रबन्ध करेगा, एजेन्सियाँ स्थापित करेगा, गाँवोंमे जो औजार काममे लाये जाते है उनमे सुधार लानेका प्रयत्न करेगा और अपनी उद्देश्य-सिद्धिके लिए जो आवश्यक होगा वह सब कार्य करेगा। इन सब कार्योंके लिए वह धन-संग्रह करेगा।

संघ गाधीजीके नेतृत्वमें और उनके परामर्शसे काम करेगा।

संघके ये अग होगे : (क) प्रबन्ध-बोर्ड (ख) सदस्य, (ग) एजेंट, (घ) अवैतनिक कार्यकर्ता, (ङ) वैतनिक कार्यकर्ता और (च) सहायक तथा सलाहकार-बोर्ड।

जो व्यक्ति नीचे लिखे प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करेगा और जिसके लिए कोई सदस्य या एजेंट सिफारिश करेगा और जिसका भरती होना प्रबन्ध-बोर्ड मंजूर कर लेगा वही व्यक्ति इस संघका सदस्य हो सकेगा।

जो संघके उद्देश्यसे सहानुभूति रखेगा और कमसे-कम १०० रुपये वार्षिक चन्दा देगा वह सहायक बन सकेगा। और जो व्यक्ति १००० रुपये एकमुश्त देगा वह 'आजीवन सहायक' बन सकेगा।

सलाहकार वे ही लोग हो सकेंगे जो अपना काम करते हुए भी जब कभी उनसे सलाह माँगी जायेगी, मुफ्तमे संघको अपनी विशेषज्ञतासे लाभ पहुँचायेंगे।

प्रबन्ध-बोर्ड

पहला प्रबन्ध-बोर्ड तीन सालतक बना रहेगा। और इसके संस्थापक-सदस्य निम्नलिखित होंगे :

श्री श्रीकृष्णदास जाजू
श्री जे० सी० कुमारप्पा
श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
डॉ० खान साहब
श्री शूरजी वल्लभदास
डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष
श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आसर
श्री शंकरलाल बैंकर

इसके बाद प्रबन्ध-बोर्डके सदस्य प्रबन्ध-बोर्डका नया चुनाव करेंगे, जो फिर तीन सालतक बना रहेगा।

संघका सारा प्रबन्ध प्रबन्ध-बोर्डके अधीन रहेगा। संघका रुपया-पैसा और अन्य सम्पत्ति सब प्रबन्ध-बोर्डके जिम्मे रहेगा। बोर्डको अपने सदस्योकी संख्या भी बीस तक बढानेका अधिकार होगा।

प्रबन्ध-बोर्ड जमा-खर्चके बाकायदा वहीखाते रखेगा, जिसकी जाँच लेखा-परीक्षको द्वारा हुआ करेगी और जिन्हें देखने-जाँचनेका अधिकार सामान्य लोगोंको भी होगा।

प्रबन्ध-बोर्डको संघकी उद्देश्य-सिद्धिके लिए उपनियम इत्यादि बनानेका अधिकार होगा।

प्रबन्ध-बोर्डको यह भी अधिकार होगा कि बोर्डके तीन-चौथाई सदस्योकी सम्मति से वह संघके उद्देश्य-सम्बन्धी नियमको छोड़कर और चाहे जिस नियममें परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन करे।

प्रबन्ध-बोर्डको यह भी अधिकार होगा कि वह संघकी धन-सम्पत्तिके लिए ट्रस्टी नियुक्त करे।

सदस्योंके लिए प्रतिज्ञा-पत्र

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघकी नियमावलीको मै पढ चुका हूँ। मै संघका सदस्य होना चाहता हूँ और ईश्वर पर भरोसा करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मै अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिसे संघकी उद्देश्य-सिद्धिका प्रयत्न करूँगा, और यह उद्देश्य भारतके ग्रामवासियोकी सब प्रकारकी उन्नति करना है।

जबतक मै इस संघका सदस्य रहूँगा, तबतक किसी भी प्रकारकी सविनय-अवज्ञामे भाग नही लूंगा।

अपने कर्त्तव्यके पालनमें मै उन सब लोगोसे सहायता और सहयोग प्राप्त करनेकी कोशिश करूँगा जो इसके लिए तैयार हो और इस सम्बन्धमें राजनीतिक मतभेदका कोई विचार नही करूँगा।

जहाँतक बनेगा, मै यह कोशिश करूँगा कि संघके आदर्शके अनुसार चलूं और गाँवोमें बनी हुई वस्तुओंका ही यथासम्भव व्यवहार करूँ।

ग्रामवासियोंके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करते समय मै मनुष्य-मनुष्यमे किसी प्रकारका भेद-भाव नही बरतूंगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१२-१९३४

५४१. पत्र : जे० एन० साहनीको

१४ दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहनी,

आपका पत्र मिला। मैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नही पढता। आपने जो कतरन भेजी है उसे मैंने पहली बार देखा है। इस समय सुबहके तीन बजे है। देवदास यही है, पर उससे बहुत कम भेंट होती है। मैं अपनी नापसन्दगी व्यक्त करते हुए एक पत्रके साथ यह कतरन भेज रहा हूँ। हालांकि यह एक समाचार-एजेंसीकी रिपोर्ट है, फिर भी उसे मुझे दिखाये बगैर छापनेका उसको कोई अधिकार नही था। आप या वह अथवा कोई भी व्यक्ति कोई खबर अनन्य रूपसे छापना चाहे तो ऐसा करना बिलकुल ठीक होगा, बशर्ते कि उस खबरसे प्रभावित पक्षने उसे अधिकृत कर दिया हो। आज भारतमे अंग्रेजीके ऐसे पत्रकार है, जो मुझसे खुश नही है, लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, इस नियमका पालन करते हैं। वे ऐसा मेरी खातिर नही बल्कि पत्रकारिताकी अपनी ख्यातिके कारण करते है। मैं जानता हूँ कि आपने जानते हुए गलती नही की है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि आपने एक सैनिक और पत्रकार, दोनो ही रूपमें गलती की है।[1] इस गलतीकी शुरुआत पटनासे भेजे गये यूनाइटेड प्रेसके तारसे हुई। लेकिन मुझे अब और कुछ नही कहना है। मैं उन लोगोका ध्यान अपनी ओर खीचता हूँ जिनके बारेमें मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर मेरा प्रभाव पड़ता है। आप इस सबको भूल जाइए, लेकिन इससे यह सबक लीजिए कि मेरे बारेमे ऐसी किसी चीजको मुझसे पूछे बिना मत छापिए जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक हितसे हो।

जब मैं दिल्ली आऊँगा तो आप मुझसे अवश्य मिलेंगे, और तब आप देखेंगे कि अकेले आपने ही नही, औरोंने भी समयसे पहले जो एक-आधी सच्ची खबर छापी, उससे कितना जबर्दस्त नुकसान पहुँचा है। लेकिन औरोंने भी गलती की, इससे आपकी गलती माफ नही हो जाती।

हृदयसे आपका,
बापू

अंग्रेजी प्रतिसे : प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य : प्यारेलाल

१. देखिए "पत्र : जे० एन० साहनीको", १०-१२-१९३४ भी।

५४२. पत्र : साहबजी महाराजको

१५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहबजी महाराज[1],

मैंने आपका ६ सितम्बरका पहलेवाला पत्र अपने पास रख छोड़ा है। मैंने आपका "गायें गायोंकी सहायता करती हैं" अभी पिछले हफ्ते ही पढ़ा है। यह बहुत सुन्दर ढंगसे लिखा गया है। लेकिन मैं गायोंके विनम्र प्रतिनिधिके नाते एक शिकायत करना चाहता हूँ। कुछ विशेषज्ञोंने मुझे बताया है कि जिस प्रकारके मिश्रणों का आपने प्रस्ताव किया है, वे पूर्णतया सफल नहीं हैं। मैं देखता हूँ कि आवश्यकता ऐसे प्रयोगोंकी है जिनसे गाँववालोंको अपने ही गाँवोंमें मदद मिल सके। यदि हम उस दिशामें कुछ नहीं कर सकते तो अधिकांश गायोंको मरना पड़ेगा, सो भी इसलिए कि थोड़ी सी गायें दयालबाग-जैसे अलग-थलग स्थानोंमें जीवित रह सकें।

मैं ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कार्यमें आपकी मदद चाहूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६१) से।

५४३. पत्र : वेरियर एल्विनको

१५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय वेरियर,

मुझे लगता है कि तुमने जो वादा[2] किया है, उसके तहत मुझे वहाँ आना होगा। तुम्हें अनुमति लेनी होगी। तुम्हें इसका शब्दोंमें और भावनामें पूरा-पूरा पालन करना होगा। जब सन्देह हो तब अन्तःकरण अपेक्षा करता है कि सम्बन्धित व्यक्तिसे पूछताछ कर ली जाये। यदि वे लोग स्पष्ट उत्तर नहीं देते तो मुझे वहाँ

१. दयालबाग, आगरामें राधास्वामी सम्प्रदायके प्रधान।

२. भारतके लिए अपना पासपोर्ट नया करनेके लिए वेरियर एल्विनने निम्नलिखित वादा किया था :
"मैं अपनेको केवल गोंडोंके बीच कार्य करते रहनेतक ही सीमित रखूँगा;
"मैं सविनय अवज्ञा अथवा अन्य किसी प्रकारके राजनीतिक आन्दोलनमें भाग नहीं लूँगा;
"जहाँतक हो सकेगा, मैं राजनीतिक आन्दोलनमें भाग लेनेवाले किसी व्यक्तिका साथ नहीं दूँगा;
"मैं सरकारकी आलोचना करनेवाले लेख नहीं लिखूँगा और इस वादेका शब्दोंमें और भावनामें पूरा-पूरा पालन करूँगा।"

नही आना चाहिए। वादेकी अवधि जबतक है तबतक सबसे सम्मानजनक तरीका यही है कि जिन मामलोंमे हमें सन्देह हो, उन सबके बारेमे हमें अधिकारियोको सूचित करना चाहिए। यदि वादा करना एक अच्छी बात थी तो जिनसे वादा किया है, अपने-आपको उनके हाथमें छोड़ना और भी अच्छी बात है।

कुछ दिन पहले एन्ड्रयूज यहाँ आये थे। आजकल वे दिल्लीमे है। मै उनसे फिर मिलूँगा। वे ५ जनवरी (डी० वी०)को इंग्लैंडके लिए रवाना होगे।

सबको, सप्रेम,

बापू

श्री वेरियर एल्विन
गोंड सेवा-मंडल
करंजिया (सी० पी०)

अंग्रेजी प्रतिसे; प्यारेलाल पेपर्स, सौजन्य: प्यारेलाल

५४४. पत्र : एच० पी० मोदीको

१५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

असम सहायता-समितिने लिखा है कि उसे आपकी ओरसे कोई कम्बल नही मिले है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एच० पी० मोदी
मिल मालिक-संघ
बम्बई फोर्ट

मूल अंग्रेजीसे: एच० पी० मोदी पेपर्स; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

परिशिष्ट

मेरी चेजलेके साथ बातचीत[1]

[१५ दिसम्बर, १९३४ या उससे पूर्व][2]

मेरी चेजले: आपकी अवचेतन बुद्धि आपका मार्गदर्शन करती है अथवा परमात्मा करता है? इस बारेमे आप क्या मानते है?

गाधीजी. मुझे मार्ग-निर्देश परमात्मासे प्राप्त होता है। किन्तु अवचेतन बुद्धि परमात्माकी आवाज हो सकती है। अक्सर मार्ग देख लेनेके बाद मै बुद्धिपूर्वक यह समझनेकी कोशिश करता हूँ कि वही सबसे अच्छा रास्ता क्यो है। मुहम्मद ऐसे ही थे; उन्हे पूरा विश्वास था कि उनको सुनाई पड़नेवाली आवाज परमात्माकी थी, और वह कोई ढोगी व्यक्ति नही थे।

मेरी चेजले: क्या अन्तरात्माकी आवाजपर चलनेसे कुछ गूढ़ अनुभव होते है?

गाधीजी हो भी सकते है, और नही भी हो सकते। लेकिन एक चीज निश्चित है और वह यह कि गूढ अनुभवोके लिए मनुष्यमे ऐसी विनम्रताका होना आवश्यक है कि वह परमात्माके सामने अपनेको बिल्कुल तुच्छ समझे; ऐसी विनम्रता, जैसी सन्त फ्रासिस और सन्त ऑगस्टीनमे थी। इसके विपरीत ब्रैडलॉ और मारकस ऑरीलियस जैसे लोग थे, जो अपनी अन्तरात्माका कहा मानते थे, लेकिन वे ऐसा मानते थे कि वे जो-कुछ है, अपने प्रयत्नोसे है और परमात्माके ऊपर निर्भर नही है, और इसीलिए उन्हे किसी प्रकारका गूढ अनुभव या आनन्द नही मिल सका। मेरी दृष्टिमे अन्तरात्माकी आवाजपर चलनेका मतलब किसी आचारसहिताका नही बल्कि एक जीवन्त शक्तिका अनुसरण करना है।

मेरी चेजले जब सवाल दो अच्छी चीजोमे से किसी एकको चुननेका हो, उस समय आप यह कैसे जानते है कि परमात्माका आपके लिए निर्देश क्या है?

गाधीजी: मैं इस विषयपर अपनी बुद्धिका इस्तेमाल करता हूँ, और जब मै यह तय नही कर पाता कि मुझे दोनोमे से किसे चुनना चाहिए, तब मैं मामलेको वही छोड देता हूँ। शीघ्र ही एक सुबह मै पूरे आश्वस्त भावसे यह सोचकर उठता हूँ कि मुझे 'क' के बजाय 'ख' को चुनना चाहिए। लेकिन यह सदा जरूरी है कि

१. देखिए पृ० ४९४।

२. साधन-सूत्रके अनुसार, यह बातचीत अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके अधिवेशनके दौरान बैठक समाप्त होनेके बाद किसी समय हुई थी। अधिवेशन वर्धामें १४ और १५ दिसम्बर, १९३४ को हुआ था।

मनुष्यमे पूरी विनम्रता होनी चाहिए और निर्णयके फलस्वरूप चाहे जिस ओर जाना पडे, जाना चाहिए, फिर भले ही वह रास्ता कठिनाइयो और कष्टोकी ओर ही क्यो न ले जाता हो।

मेरी चेजले: क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए, इसके बारेमे इस प्रकारके आश्वासन प्राप्त करनेके लिए क्या अनुशासित जीवन व्यतीत करना जरूरी नहीं है?

गांधीजी. बेशक, मनुष्यके मनका तालमेल प्रेम, सत्य, पवित्रता, अपरिग्रह और निर्भीकता, इन पाँच नियमोंसे सदा बना रहना चाहिए।

मेरी चेजले: क्या आप इसमें शारीरिक अनुशासन, जैसे उपवास भी शामिल करते है?

गाधीजी: अगर आप ऊपर बताये गये पाँच नियमोका पालन करे तो आप देखेंगी कि शारीरिक अनुशासन स्वतः आ जायेगा। आपको इस विषयपर स्वामी विवेकानन्दका 'राजयोग' पढना चाहिए।

इसी समय यह सूचना मिली कि अमुक धनाढ्य व्यक्तिने एक बडी रकम अ० भा० ग्रामोद्योग-संघको दानमें दी है। इसपर वहाँ एकत्र छोटे-से समूहने बहुत हर्ष व्यक्त किया। गाधीजीने शान्त भावसे कहा . . . कि प्रेमसे की गई सेवाको अब उसका पुरस्कार मिल रहा है। मै कहता रहा हूँ कि हममे से जो लोग अहिंसामे विश्वास रखते हैं, उन्हे अपनी लगनपूर्वक सेवाके जरिये और जितनी हम माँग सकते हैं, उससे भी कम पैसे और प्रतिष्ठाकी स्थितिमे भी अपना सन्तोष और हर्ष प्रकट करके हम अमीरोंको गरीबोकी सेवाके लिए प्रेरित कर सकते है। इसकी चर्चा अब उन्होंने फिरसे की।

गाधीजी: यदि अमीर लोग देख सके कि हम अपेक्षतया गरीब लोग धनकी लालसा रखनेके बजाय सचमुच सन्तुष्ट है, तो धनका त्याग करना एक फैशनकी चीज बन जायेगा। भूरी डबल रोटीका फैशन इसलिए बढा, क्योकि कुछ उत्साही लोगोने यह दिखा दिया कि उन्हे वास्तवमें उसमे विश्वास है और वे उसे पसन्द करते है। दुर्भाग्यसे ऊँची जातिके लोगोने अपनेसे नीची जातिवालोके साथ तादात्म्य स्थापित नही किया है। हिन्दू-धर्मके लिए यह सबसे ज्यादा सकटका समय है। मेरे पास उसके बचावमे कुछ भी करनेको नही है।

मेरी चेजले: आप क्या उपाय सुझायेंगे?

गाधीजी हर चीज जो मै कर रहा हूँ, ग्रामोद्योग, खद्दर, हरिजन-कार्य आदि।[1]

मेरी चेजले: किन स्रोतोसे आपको परमात्माकी अपनी कल्पना मिलती है?

गाधीजी. अपने बचपनसे, जब मुझे याद है कि मेरी माँ बराबर मन्दिर जाया करती थी। कभी-कभी वह दिनमे चार या पाँच बार जाती थी, लेकिन दो बारसे कम कभी नही। मेरी आया भी मुझसे कहती थी कि अगर डर लगे तो राम-नाम रटते रहना चाहिए।

१. इस जगह मेरी चेजलेने बात रोक दी, क्योंकि गांधीजीको भोजन करना था। शामको टहलनेके समय बातचीत फिर शुरू हुई।

मेरी चेजले : क्या स्वय आपके अनुभव भी आपकी कल्पनाके स्रोत नहीं है?

गाधीजी : हाँ, लेकिन वे अनुभव बादमें, दक्षिण आफ्रिकामे शुरू हुए। इससे पूर्व कुछ समयतक मेरे मनमे शकाएँ थी, और यही समय था जब मैंने इस्लाम और ईसाई-धर्मका अध्ययन आरम्भ किया।

मेरी चेजले . इन दोनोंने परमात्माकी आपकी कल्पनाको किस हदतक प्रभावित किया है?

गाधीजी . आरम्भमे मेरे मनमे ईसाई-धर्मके विरुद्ध पूर्वग्रह थे, क्योकि मेरी किशोरावस्थामे मेरे लिए इस धर्मका अर्थ शराब पीना, मास खाना और पाश्चात्य ढगके कपड़े पहनना था। इस्लामके विरुद्ध मेरे मनमे इस प्रकारका कोई पूर्वग्रह नही था। बादमें जब मै कुछ भले ईसाई सज्जनोसे मिला तो मेरा पूर्वग्रह खत्म हो गया, और एक वर्षतक मैंने ईसाई-धर्मकी बहुत सारी पुस्तकोको जमकर पढा, केसविक कन्वेंशनमे शामिल हुआ, प्रसिद्ध धर्म-तत्त्वज्ञोसे मिला और ईसाई-धर्मको आत्मसात् किया। मै ईमानदारीसे जानना चाहता था कि क्या मै, जैसाकि मेरे कुछ मित्र मुझसे हमेशा करनेको कहते थे, वैसा करूँ अर्थात् ईसाई हो जाऊँ। लेकिन अन्तमे मुझे ईमानदारीके साथ ऐसा लगा कि मै वैसा नही कर सकता था। मुझे ऐतिहासिक ईसा मसीहमे विश्वास है, क्योकि ईसाई-धर्मके चार सिद्धान्तोमें भक्तोकी वास्तविक अनुभूतिकी छाप है।

मेरी चेजले : परमात्माकी पिताके रूपमे जो कल्पना है, वह क्या केवल ईसाई-धर्मंमे ही है?

गाधीजी : नहीं, यह हिन्दू-धर्ममें भी मिलती है। 'गीता' का दूसरा अध्याय पढिये जिसमे परमात्माकी कल्पना न केवल पिता बल्कि माताके रूपमे मौजूद है। इस्लाममे ऐसी बात नही है, क्योकि उसमे परमात्माके लिए निन्यानवे नाम हैं, लेकिन उसे पिता कही नही कहा गया है। ईसाकी तरह मुहम्मदमें भी परमात्माके साथ तादात्म्यकी प्रामाणिक झलक मिलती है। यदि अनुयायियोके परिवर्तित जीवनपरसे आप किसी धर्मके बारेमें कोई राय बनायें, तो इस्लामने भी मनुष्यके जीवनको उतना ही प्रभावित किया है जितना ईसाई-धर्मने। तथापि, किसी धर्मके गुणावगुणका निश्चय करनेकी दृष्टिसे दो हजार वर्षका समय बहुत कम है।

मेरी चेजले : मै कुछ लोगोको जानती हूँ जो परमात्मासे यह प्रार्थना कर रहे है कि आप ईसाई बन जायें।

गाधीजी : (हँसते हुए) बहुत-से लोग कर रहे है —

मेरी चेजले : लेकिन ठहरिए, कारण तो सुनिए — वे ऐसा इसलिए चाहते है क्योकि उनको लगता है कि आप ईसाई-धर्मकी जैसी सच्ची व्याख्या कर सकते है, वैसी आजतक ससारके समक्ष किसीने नही की है।

गांधीजी : अन्य लोग भी है जो ऐसा ही मानते है। लेकिन यदि वे चाहते हों कि मै कहूँ कि ईसाई-धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है तो वैसा मै नही कर सकता। मै सचाईके साथ यह अवश्य कह सकता हूँ कि ईसाई-धर्म एक सच्चा धर्म है।

मेरी चेजले : आपकी रायमे ईसाई-धर्म, इस्लाम और हिन्दू-धर्मका विश्वको विशेष योगदान क्या है?

गाधीजी . मैं समझता हूँ कि ईसाई-धर्मका विशेप योगदान सक्रिय प्रेमका उसका सन्देश है। अन्य कोई धर्म इतनी दृढतापूर्वक यह नही कहता कि ईश्वर प्रेम है। 'न्यू टेस्टामेंट' तो इस शब्दसे भरा पडा है, तथापि ईसाइयोने कुल मिलाकर अपने युद्धोके जरिये इस सिद्धान्तको नकारा ही है। हिन्दू-धर्मकी अहिंसा ईसाई-धर्मके सक्रिय प्रेमके मुकाबले कही ज्यादा निष्क्रिय चीज है।

हिन्दू-धर्मका सबसे महान योगदान यह है कि उसने सभी जीवोकी एकताको पहचाना है। ईसाई-धर्मकी ही भाँति हिन्दू-धर्म माननेवाले लोग भी असली शिक्षाओका पालन नही कर सके हैं। यदि इन दोनो धर्मोके लोगोने उन शिक्षाओका पालन किया होता तो इस्लाम-धर्मकी जरूरत ही न हुई होती, क्योकि किसी भी धर्ममे अगर कुछ बुनियादी अच्छाई है और वह दुनियाके उस हिस्सेके लिए कल्याणकारी है जिसमे उस धर्मका जन्म हुआ है तो वह समारके शेप भागोके लिए भी कल्याणकारी है।

इस्लामका योगदान उसका यह सिद्धान्त है कि सभी मनुष्य भाई-भाई हैं। बादमें यह सिद्धान्त केवल इस्लामी भ्रातृत्वतक ही सीमित हो गया। इस तरह मुसलमान लोग भी अपने धर्मकी शिक्षापर अमल नही कर सके हैं। खान साहब सारी मानव-जातिकी सेवाकी अपनी शिक्षाके जरिये मुसलमानोको वापस मूल शिक्षाकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं।

मेरी चेजले: आपने एक बार कहा था कि ईसा ईश्वरके पुत्र है, यह बात एक गूढ कल्पना है। क्या आप कृपया अपने इस विचारको विस्तारसे समझायेंगे?

गाधीजी मेरा विश्वास है कि ईसा मसीहका जन्म एक मनुष्यकी तरह प्राकृतिक रूपसे हुआ था। उन्होंने जो सुन्दर काम किये, उनको देखकर लोगोने उनमें देवत्वका आरोपण किया, और गूढ रूपसे इसे बतानेके लिए उन्होंने कहा कि वह ईश्वरके पुत्र हैं।

मेरी चेजले क्या आपका विचार है कि ऐसा लिखनेवाले लोग ढोगी या धोखेबाज थे?

गाधीजी नही। वे सिर्फ अपनी कल्पनाको रहस्यात्मक ढंगसे व्यक्त कर रहे थे। सारी-की-सारी 'बुक ऑफ रिवीलेशन' रहस्यमय अनुभवोके वर्णनसे भरी हुई है। उदाहरणके लिए, इसके शब्दश यह अर्थ नही है कि सडकोपर सोना बिछा हो। अनेक गूढ अभिव्यक्तियाँ ऐसी है जिनके यदि शब्दार्थ लिये जायें तो वे अत्यन्त अश्लील लगेंगी।

मेरी चेजले क्या आपको कभी रहस्यात्मक अनुभव हुए हैं?

गाधीजी यदि रहस्यात्मक अनुभवसे आपका तात्पर्य भगवद्-दर्शनसे है, तो नही। यदि मैं ऐसे दिव्य-दर्शन का दावा करूँ तो धोखेबाजी होगी। लेकिन मेरा मार्ग-दर्शन करनेवाली वाणीका मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, कुछ सिरफिरे लोगोने भी आवाजे सुननेका दावा किया है, लेकिन मैं ऐसा नही समझता कि किसीने मुझे सिरफिरा कहा हो।[१]

१. यह बात इतने मजाकिया ढगसे कही गई थी कि सभी लोग हँस पड़े।

मेरी चेजले : आपने उस बेचैनीका जिक्र किया है जो पिछले वर्ष आपके इक्कीस दिवसीय उपवास[1] का आरम्भ करनेसे पहले आपको महसूस होती थी, और आपने यह भी कहा है कि सामान्यत: जब आप अपने अन्तरकी आवाजके कहे अनुसार कार्य करते है, तब आपको अपने कार्यके लिए बादमे कारण मिलता है। क्या आपको अपने इक्कीस दिवसीय उपवासका कारण मिला?

गाधीजी : यह सच है कि एक बेचैनीने मुझे वह उपवास करनेपर मजबूर किया। सामान्यतया, जबर्दस्त तनावके बीच भी मैं काफी प्रसन्न रह सकता हूँ। लेकिन जब मेरी यह प्रसन्नता खत्म हो गई और मैंने देखा कि मैं सो भी नही पाता हूँ, तब मैंने उपवास करनेका निश्चय किया और मुझे फौरन ही शान्ति मिल गई। हाँ, मुझे उपवासका कारण भी मिला, ऐसा कारण जो स्वय उपवासके फलस्वरूप प्रकाशमे आया, क्योकि कई लोगोने उस दौरान और बादमे मुझे पत्र लिखकर, उन पापोको स्वीकार किया जो उन्होने किये थे और जिसे सुधारनेके लिए उन्होने अपनी भरसक कोशिश नही की थी। उन्होने कहा कि उपवाससे उन्हे अपने बारेमे सचाईका पता चला था और भविष्यमे वैसी गलतियाँ फिर नही करेगे।

मेरी चेजले : आपने कभी-कभी कहा है कि पापका अहसास परमात्मासे अलग होनेकी भावना भी पैदा कर देता है। क्या आपने अपने उपवाससे पहले परमात्मासे अलग होनेकी ऐसी कोई भावना अपने अन्दर पाई थी?

गाधीजी : नही, मुझे केवल जबर्दस्त उलझन और बेचैनी महसूस होती थी। मैं अपने सहज ढगसे विनोद भी नही कर पाता था।

ग्रामोद्योग-सघके सगठनके ऊपर चर्चाके दौरान गाधीजीने स्पष्ट कर दिया कि 'देहाती ढगसे सोचने-समझने' की बात उनके लिए महज तफसीलकी चीज नही है बल्कि एक अनिवार्य चीज है। जब एक अमुक महिलाका नाम सघके मण्डलकी सदस्यता के लिए सुझाया गया तो उन्होने कहा कि मुझे याद आता है कि उस महिलाने एक बार पूरी गम्भीरतासे कहा था कि शहरमे दातुन इस्तेमाल करना असम्भव है, क्योकि शहरमे ऐसी कोई जगह नही है जहाँ उसे फेंका जा सके।

गाधीजीने कहा कि इस प्रकारकी मनोवृत्तिवाले किसी भी व्यक्तिको मण्डलका सदस्य नही बनाया जा सकता। पहली चीज तो यही है कि हम अपने ग्रामोद्योगोको पश्चिमी देशोके साथ दाँतोका मजन आदि बनानेमे होड लगानेकी कोशिश नही करने दे सकते।

[अंग्रेजीसे]

बापू, पृ० ११४-२२

१. ८ मई से २८ मई, १९३३ तक; देखिए खण्ड ५५।

सामग्रीके साधन-सूत्र

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

जामिया मिलिया पुस्तकालय, जामिया नगर, नई दिल्ली।

नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।

विश्वभारती पुस्तकालय, कलकत्ता।

साबरमती सग्रहालय, अहमदाबाद : पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय, जिसमें गाधीजीसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं।

'गुजराती' : बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हरिजन'. रामचन्द्र वैद्यनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा हरिजन सेवक-सघके तत्वावधानमें प्रकाशित अग्रेजी साप्ताहिक, जो गाधीजीकी देखरेखमे ११ फरवरी, १९३३ को पूनासे प्रकाशित हुआ था।

'हरिजनबन्धु': चन्द्रशकर शुक्ल द्वारा सम्पादित तथा १२ मार्च, १९३३ को पूनासे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'हितवाद'. नागपुरसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' : नई दिल्लीसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' मद्राससे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी फाइले: जिनमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके रेकार्ड सुरक्षित है।

प्यारेलाल पेपर्स; सौजन्य: प्यारेलाल, नई दिल्ली।

'बॉम्बे सीक्रेट ऐब्स्ट्रैक्ट्स'. इनमें बम्बई सरकारके रेकार्ड सुरक्षित है।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी. जो स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमें सुरक्षित है।

'इंसिडेंट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ' (अग्रेजी) : सम्पादक : चन्द्रशंकर पी० शुक्ल, वोरा ऐंड कम्पनी पब्लिशर्स, लि०, बम्बई, १९४७।

'(ए) बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' (अग्रेजी) : जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, १९५८।

'दिल्लीका राजनैतिक इतिहास': राजेन्द्रप्रसाद, अर्जुन इलैक्ट्रिक प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली, १९३५।

'पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद'. सम्पादक: द० बा० कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'बापुना पत्रो – ६: ग० स्व० गंगाबहेनने' (गुजराती): सम्पादक: काकासाहब कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो – ९. श्री नारणदास गांधीने' (गुजराती): सम्पादक. नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५४।

'बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) · सम्पादिका: मणिबहन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना बाने पत्रो' (गुजराती) इंटरनेशनल प्रिन्टिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाल, १९४८।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती): मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'बापू · कन्वर्सेशन ऐंड करेस्पांडेंस विद महात्मा गांधी' (अंग्रेजी): एफ० मेरी बार, इंटरनेशनल बुक हाउस, लिमिटेड, बम्बई, १९४९।

'बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष': हीरालाल शर्मा, ईश्वरशरण आश्रम मुद्रणालय, प्रयाग, १९५९।

'माई डियर चाइल्ड' (अंग्रेजी) सम्पादक एलिस एम० बार्न्स, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, १९५६।

'रिपोर्ट ऑफ द फॉर्टी एट्थ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, १९३४'।

'रेमिनिसेंसेज ऑफ गांधीजी' (अंग्रेजी) सम्पादक: चन्द्रशंकर पी० शुक्ल, वोरा ऐंड कम्पनी पब्लिशर्स, लि०, बम्बई, १९५१।

'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री' (अंग्रेजी) एशिया पब्लिशिंग हाउस, १९६३।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ सितम्बर, १९३४ से १५ दिसम्बर, १९३४ तक)

१६ सितम्बर: गांधीजी वर्धामें।

१७ सितम्बर: कांग्रेससे त्यागपत्र देनेके अपने निर्णयका स्पष्टीकरण देते हुए समाचार-पत्रोंको वक्तव्य दिया।

२० सितम्बर: गांधीजी तथा एम० एस० अणेने समाचारपत्रोंको एक संयुक्त वक्तव्य दिया।

२३ सितम्बर: गांधीजीने 'वर्ण-व्यवस्था' की प्रस्तावना लिखी।

२५-२८ सितम्बर: सी० एफ० एन्ड्रयूज, राजेन्द्रप्रसाद तथा वल्लभभाई पटेलके साथ चर्चा की।

५ अक्टूबर: गुजराती पचांगके अनुसार गांधीजीका ६६वाँ जन्मदिन मनाया गया।

६ अक्टूबर: समाचारपत्रोंको वक्तव्य देते हुए गांधीजीने अपने जन्मदिवस पर प्राप्त सन्देशोंकी प्राप्ति स्वीकार की।

१० अक्टूबर से पूर्व: मद्रासके मतदाताओंको कांग्रेस प्रतिनिधि चुननेका आग्रह करते हुए एक सन्देश भेजा।

१२ अक्टूबर: 'हरिजन' द्वारा कालाकांकरके राजाके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

१५ अक्टूबर: आगामी कांग्रेस-अधिवेशनमें अपने द्वारा रखे जानेवाले कांग्रेस-संविधानके प्रस्तावित संशोधनों तथा अन्य प्रस्तावोंके सम्बन्धमें गांधीजीने समाचारपत्रोंको वक्तव्य दिया।

२० अक्टूबर: प्रातःकाल बम्बई पहुँचे।

२२ अक्टूबर: विट्ठलभाई पटेलके निधनकी पुण्यतिथि पर सार्वजनिक सभामें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

२३ अक्टूबर: कांग्रेसकी विषय-समितिकी बैठकमें भाषण दिया।

२४ अक्टूबर: विषय-समितिकी बैठकमें अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ-सम्बन्धी अपना प्रस्ताव रखा।

२६ अक्टूबर: विषय-समितिके सदस्योंके सम्मुख भाषण देते हुए उनसे आग्रह किया कि वे संशोधित संविधानको स्वीकार करें।

२७ अक्टूबर : विषय-समितिकी बैठकमें सशोधनोके सम्बन्धमे अपना भाषण जारी रखा। सशोधनोके अध्ययनके लिए उप-समितिकी नियुक्ति।

२८ अक्टूबर · प्रात काल शूरजी वल्लभदास स्वदेशी बाजारके वार्षिकोत्सवकी अध्यक्षता की। विषय-समितिकी बैठकमें उपसमितिकी सशोधन-सम्बन्धी रिपोर्ट तथा देशी राज्योंके सम्बन्धमें प्रस्तावका मसविदा पेश किया। खुले अधिवेशनमें काग्रेस-सविधानके सशोधनका गाधीजीका प्रस्ताव पारित हो गया। काग्रेस-अधिवेशनकी समाप्ति।

एसोसिएटेड प्रेसको दी भेंट-वार्तामे गाधीजीने राष्ट्रके नाम सन्देश दिया।

२९ अक्टूबर समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया जिसमे जनतासे काग्रेसी उम्मीदवारोको ही वोट देनेका आग्रह किया।

रेशमी धागेके बारेमे वक्तव्य दिया।

शामको वर्धाके लिए रवाना हो गये।

३० अक्टूबर वर्धा पहुँचे।

समाचारपत्रोको दिये गये वक्तव्यमे काग्रेस-सविधानमें किये गये परिवर्तनो और काग्रेससे अपने अवकाश-ग्रहण करनेपर स्पष्टीकरण किया।

काग्रेससे त्यागपत्र दे दिया।

८ नवम्बर अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघके सम्बन्धमें समाचारपत्रोको वक्तव्य दिया।

९ नवम्बर. निर्मलकुमार बोससे भेंट की।

१० नवम्बर · निर्मलकुमार बोसके साथ भेंट-वार्ता जारी।

११ नवम्बर गाधीजीने बी० शिवराव तथा जे० सी० कुमारप्पाके साथ वार्ता की।

१५ नवम्बर :- पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त जानेके अपने विचारके सम्बन्धमे वाइसरायको पत्र लिखा। 'द मैन्चेस्टर गार्जियन' के प्रतिनिधिके साथ भेंट की।

२२ नवम्बर सयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। एसोसिएटेड प्रेसके साथ भेंट-वार्ताके दौरान गाधीजीने उसपर मत प्रकट करनेसे इन्कार कर दिया।

२५ नवम्बर · वाइसरायके निजी सचिवने गाधीजीको पत्र भेजा कि 'इस समय' उनका सीमाप्रान्त जाना वाछनीय नही है।

२६ नवम्बर गाधीजीने नमक-सम्बन्धी छूटपर सर जॉर्ज शुस्टरके साथ हुए अपने पत्र-व्यवहारको प्रकाशनार्थ समाचारपत्रोको सौंप दिया।

२८ नवम्बर · गाधीजीको सीमाप्रान्त न जाने देनेके लिए सरकारने जो रुख अख्तियार किया, उसके उत्तरमे गांधीजीने वाइसरायको पत्र भेजा।

३० नवम्बर या उससे पूर्व : गाधी सेवा-सघके वार्षिक अधिवेशनमे भाषण दिया।

१ दिसम्बर: वी० पी० माधवरावकी मृत्यु हो गई।

७ दिसम्बर: गांधीजीने पत्र-व्यवहारका प्रकाशन करनेकी अनुमति माँगते हुए वाइसरायको तार भेजा।

अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार हो गये।

९ दिसम्बर: गांधीजीने जनताको चेतावनी दी कि वह वाइसरायके साथ हुए उनके पत्र-व्यवहारकी अप्रामाणिक खबरोंका विश्वास न करे।

११ दिसम्बर: सरकारके साथ हुए अपने पत्र-व्यवहारको प्रकाशनार्थ भेज दिया।

१४ दिसम्बर: 'हरिजन' में वी० पी० माधवरावके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघकी स्थापना हुई।

१५ दिसम्बर या उससे पूर्व: मेरी चेजलेने गांधीजीसे भेंट की।[1]

१५ दिसम्बर: गांधीजीने समाचारपत्रोंको दिये गये वक्तव्यमें अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघका संविधान पेश किया।

१. मेरी चेजलेके साथ हुई बातचीतके लिए देखिए परिशिष्ट।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

आ

इ

ई

ख

य

र

ल

व

ह